اللغة الهندية

हिंदी भाषा

शैख़ डॉ. हैसम सरहान की
इल्मी लाइब्रेरी

المكتبة العلمية للشيخ د. هيثم سرحان

शैख़ डॉ. हैसम सरहान की इल्मी पुस्तकों और व्याख्याओं का एक संग्रव:

- पैग़म्बर ﷺ की सीरत
- महत्वपूर्ण पाठ
- इस्लाम क्या है?
- किताब अत-तौहीद



मस्जिद-ए-नबवी और कुबा मस्जिद के पूर्व शिक्षक,
तथा ऑनलाइन शैक्षिक संस्थान महद सुन्नह के इल्मी पर्यवेक्षक।

नबी ﷺ की उपयोगी एवं संक्षिप्त जीवनी

लेखक:

हैसम बिन मुहम्मद सरहान

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिद -ए- नबवी

व महा प्रबंधक "अत्तासी अल-इल्मी डॉट कॉम"

www.alsarhaan.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

अल्लाह हमारे शैख़, उनके माता पिता तथा जिन्होंने इस किताब को मूर्त रूप देने में उनकी सहायता की सब को क्षमा करे

हिंदी अनुवाद:

साबिर हुसैन मुहम्मद मोजीबुर रहमान

[रिसर्च स्कॉलर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा]

प्रथम संस्करण

सभी अधिकार सुरक्षित हैं

सिवाय उसके जो लेखक के पुनरावलोकन पश्चात फ्री बाँटने के लिये इसका अनुवाद अथवा प्रिंट करना चाहे

निम्नांकित ईमेल पर संपर्क करें:

islamtorrent@gmail.co

sabirhussainzamanwi@gmail.com

فسح وزارة الإعلام

प्राक्कथन

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ﷺ، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾[آل عمران]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾[النِّساء]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾[الأحزاب].

أمَّا بعد:

यह कुछ वाक्य हैं जिनका ज्ञान होना हरेक उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत आपका ढ़ंग और आपके बारे में जानने का इच्छुक हो, इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं : (जब लोक एवं परलोक में बंदे का सौभाग्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत व मार्गदर्शन से जुड़ी है अतएव हरेक उस व्यक्ति पर वाजिब है जो अपने आपका शुभचिंतक है और अपनी मुक्ति व सौभाग्य चाहता है कि आपके विषय में, आपकी जीवनी तथा सीरत के विषय में ज्ञान अर्जित करे ताकि वह जाहिलों व अज्ञानियों की पंक्ति से निकल जाए और आपके अनुयायिओं, आपके संगठन तथा समूह में शामिल हो जाए, और इस विषय में लोगों के कई प्रकार हैं कुछ कम करने वाले, तो कुछ अत्याधिक करने वाले एवं कुछ तो बिल्कुल वंचित ही हैं, और फज़्ल (कृपा) तो अल्लाह के हाथ में है जिसे चाहत है उस पर अपनी कृपा दृष्टि रख देता है, और अल्लाह बड़ा महान फज़्ल वाला है)।

मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह (ईश्वर) से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तथा आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाए और जिसका आपने आदेश दिया है उसका आदेशपालन तथा जिससे मना किया है उससे रुकने का आशीर्वाद दे, हे अल्लाह मुहम्मद और मुहम्मद के परिवार वालों पर दरूद व रहमत नाज़िल (अवतरित) कर जिस प्रकार तूने इब्राहीम और उनके परिवार वालों पर रहमत नाज़िल की, हे अल्लाह तू मुहम्मद और मुहम्मद के परिवार वालों पर बरकत (आशीर्वाद) नाज़िल कर जिस प्रकार तूने इब्राहीम और इब्राहीम के परिवार वालों पर बरकत नाज़िल की थी, निःसंदेह तू प्रशंसा के योग्य एवं महिमावान है।



पहला: पाठ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जीवन चरित, स्वाभाव एवं गुण



आप ﷺ का स्वभाव एवं गुण

नबी ﷺ की वंशावली

आप मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुलमुत्तलिब पुत्र हाशिम पुत्र अब्दे मुनाफ़ पुत्र क़ुसैय पुत्र किलाब पुत्र मुर्रा पुत्र काब पुत्र लुऐय्य पुत्र ग़ालिब पुत्र फ़िह्र पुत्र मालिक पुत्र अन-नज़्र पुत्र किनाना पुत्र ख़ुज़ैमा पुत्र मुदरिका पुत्र इलयास पुत्र मुज़र पुत्र नज़ार पुत्र मअद् पुत्र अदनान, तथा अदनान अल्लाह की राह में क़ुर्बान किये गये इस्माईल पुत्र इब्राहीम अलैहिमस्सलाम की संतान में से थे।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस धरती के सबसे उच्च कुल एवं वंश से संबंध रखते थे, तथा ह़दीस़ में आया है कि हिरक़ल -रोम का राजा- ने अबू सुफ़ियान से कहा थाः "**मैंने तुमसे उसके वंश के संबंध में पूछा था ? तो तुमने बताया कि वह तुममें उच्च कुल से संबंध रखते हैं, रसूल ऐसे ही होते हैं वो अपनी समुदाय के सबसे उच्च कुल से संबंध रखते हैं**"।

आप का चयन

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**अल्लाह तआला ने इस्माईल का संतान में से किनाना का चयन किया, तथा किनाना में से क़ुरैश का चयन किया, और क़ुरैश में से बनू हाशिम का चुनाव हुआ तथा बनू हाशिम में से अल्लाह तआला ने मुझे चुना**"।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम

ये सभी विशेषण हैं और सिर्फ नाम मात्र नहीं हैं जो केवल पहचान का लाभ देते हैं, बल्कि आप में विद्यमान गुणों एवं विशेषताओं के यौगिक से निकले हुए नाम हैं जो आपके लिये कामिल व पूर्ण होने तथा प्रशंसा को अपरिहार्य करते हैं, उनमें से कुछ नाम निम्नांकित हैं :

मुहम्मद

यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सुप्रसिद्ध नाम है, और इसी नाम के द्वारा स्पष्ट रूप से तौरात में आप का वर्णन हुआ है। और इसका अर्थ हैः (ऐसे अनेकों गुणों से सुसज्जित जिन पर प्रशंसा एवं सराहना की जाता है।

अह़मद

अर्थातः अल्लाह की मख़लूक़ (रचना) में सर्वाधिक प्रशंसनीय, आपके अनेकों गुणों के कारण आकाश वासी, धरती वासी तथा समस्त लोक एवं परलोक के वासी आपकी प्रशंसा करते हैं, और इस नाम के द्वारा ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका नामकरण किया है।

अल-मुतवक्किल

इस नाम के द्वारा आपका नामकरण करने का कारण यह है कि धर्म को स्थापित एवं उसका प्रचार-प्रसार करने में आप अल्लाह तआला पर ऐसा तवक्कुल व भरोसा करते थे कि वैसा तवक्कुल आपके सिवा कोई अन्य नहीं कर सकता।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम	
अल-माहि	जिसके द्वारा अल्लाह तआला कुफ्र को मिटाता है, और जिस प्रकार से आपके द्वारा अल्लाह तआला ने कुफ्र को को मिटाया किसी और के द्वारा नहीं मिटा गया।
अल-हाशिर	जिसके पाँव के नीचे लोग इकट्ठा किये जायेंगे, तो मानो आप इस लिये भेजे गये थे कि लोगों को हश्र में (महाप्रलय के पश्चात) इकट्ठा किया जाये।
अल-आक़िब	जिसके बाद कोई नबी नहीं है, अर्थात आप नबियों की श्रृंखला को समाप्त करके मोहर लगा देने वाले हैं।
अल-मुक़फ़्फ़ी	जो अपने पूर्वजों के पदचिन्हों का अनुसरण करे, अर्थात अल्लाह तआला ने आप को पूर्व के रसूलों के पदचिन्हों अनुसरण करने के लिये अवतरित किया।
नबीयुत्तौबा	जिसके द्वारा अल्लाह तआला ने धरती वासियों के लिये तौबा का द्वार खोला था, और लोगों का इस अधिकता के साथ तौबा स्वीकार किया कि इससे पूर्व इसकी मिसाल नहीं मिलती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपना हाल यह था कि आप लोगों में सबसे अधिक तौबा व इस्तिग़फार (प्रायश्चित एवं क्षमा याचना) करने वाले थे।
नबीयुल मलह़मा	जो अल्लाह के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिये भेजे गये थे, जिस प्रकार का जिहाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपकी उम्मत ने किया उस प्रकार का जिहाद किसी भी नबी तथा उसकी उम्मत ने नहीं किया, और महा युद्ध जो आप के आने के पश्चात घटे उससे पहली उसकी मिसाल नहीं मिलती।
नबीयुर्रह़मत	जिनको अल्लाह तआला ने समस्त लोक वासियों के लिये रह़मत बना कर भेजा था, अतः आपके द्वारा समस्त धरती वासियों पर अल्लाह तआला ने कृपा किया, मोमिनों ने इसका एक बड़ा भाग पाया, तथा कुफ्फार में से अहले किताब उसकी छत्र-छाया में रहे, एवं उसके संधि एवं वचन के अंतर्गत जीयन यापन किया।
अल-फ़ातेह	जिनके द्वारा अल्लाह तआला ने संकीर्ण हिदायत के द्वार को पूर्णरूपेण खोल दिया, तथा आप के द्वारा, अंधी आँख, बहरे कान एवं बंद हो चुके दिलों को खोल दिया, अल्लाह ने आपके हाथों काफिरों के नगर पर प्रभुत्व दिया, आपके द्वारा ही जन्नत का द्वार खोला जाएगा, और आप के द्वारा ही अल्लाह तआला ने लाभदायक ज्ञान एवं नेक अमल (सदकर्म) के द्वार को खोला।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम

अल-अमीन

इस नाम के समस्त संसार में सर्वाधिक योग्य आप ही हैं, आप अल्लाह के दीन एवं वह्य (प्रकाशना, आकाशवाणी) के अमीन (विश्वासपात्र) हैं, आप जो धरती पर है उसके भी तथा जो आसमान पर है उसके भी अमीन है, बल्कि कुरैश के काफिरों ने आपके रसूल बनाये जाने के पूर्व ही आप का नाम अमीन रख दिया था।

बशीर

जिसने आज्ञापलन किया उसको सवाब व पुण्य की शुभ सूचना देने वाले तथा जिसने अवज्ञा की उसको अज़ाब व दंड की चेतावनी देने वाले हैं आप।

आदम की संतान के सरदार

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**मैं क़यामत के दिन नबियों का सरदार रहूँगा पर इसपर अभिमान करने योग्य कोई बात नहीं**"।

अल-सिराज अल-मुनीर

जो बिना जलाये हुये दीप्त तथा प्रकाश फैलाने वाले हैं, वह्हाज (अत्यंत भड़कने वाला, ज्वलनशील) के विपरीत कि इसमें एक प्रकार से जलाने का अर्थ पाया जाता है।

आप अब्दुल्लाह (अल्लाह के भक्त) हैं, आप अति विशिष्ट भक्ति के स्थान पर विराजमान हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भक्ति के सभी मापदंड पर पूर्णरूपेण खड़े उतरते हैं।

नबी ﷺ के गुण संक्षिप्त रूप से

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सबसे पूर्ण ख़ाका स्वयं आपने बताया हैः "**मैं मुहम्मद अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस स्थान से ऊपर उठा दो जहाँ अल्लाह तआला ने मुझे स्थापित किया है**"।

आप चाहे शारीरिक रचना हो अथवा आचरण एवं स्वाभाव हरेक आधार पर सर्वोत्तम पुरूष थे, अल्लाह तआला का फरमान हैः (**निःसंदेह आपके आचरण एवं स्वभाव उच्च कोटि के हैं**)। अल-क़लमः ४, तथा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं किः "**आपके शिष्टाचार वही हैं जो क़ुरआन है**", आप उसके अनुसार कर्म करते हैं, उसकी सीमा को नहीं लांघते, अल्लाह की प्रसन्नता के लिये प्रसन्न होते हैं तथा उसकी अप्रसन्नता के लिये अप्रसन्न होते हैं।

आप की शारीरिक रचना व गुण

ख़लील अल्लाह

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**अल्लाह तआला ने मुझे वैसे ही अपना ख़लील (घनिष्ठ मित्र) बना लिया है जिस प्रकार इब्राहीम अलैहिमस्सलाम को ख़लील बनाया था**"।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पवित्र शरीर

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फूल के रंग के थे**" अर्थात गोरे चिट्टे जिसमें गुलाबी रंग का मिश्रण हो, "**आपका पसीना मोती के समान था, आप आगे की ओर झुक कर चलते थे, तथा मैंने किसी दीबाज**" जोकि रेशम की अति उत्तम एवं उन्नत क़िस्म है "**और न ही ह़रीर** -सामान्य रेशम- **को कभी छूआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हथेली से अधिक नर्म व मुलायम हो, न ही मैंने किसी मुश्क अथवा अंबर को सूंघा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीर की गंध से अधिक सुगंधित हो**"।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शारीरिक रचना व गुण

आपका क़द व डील-डौल

बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मरबूअ**" अर्थातः मध्यम क़द के थे "**आप के दोनों कंधों को बीच चौड़ाई थी अर्थात आपकी छाती चौड़ी थी, आपके बाल आपकी कान पालि तक लटकती थी, मैंने आपको लाल वस्त्र धारण किये हुए देखा, उससे सुंदर कोई चीज़ मैंने कभी नहीं देखा**"।

आपकी मुखाकृति

काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सलाम किया तो ख़ुशी के कारण आपका चेहरा दमक रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब ख़ुश होते तो आपका मुख दमकने लगता मानो चाँद का टुकड़ा हो, और हम आपकी इस स्थिति को पहचान लेते थे**", और बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गयाः क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुख तलवार के समान था ? उन्होंने कहाः "**नहीं, बल्कि चंद्रमा के समान था**"।

आपके बाल

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ भरे-भरे थे, मैंने वैसा आपके बाद किसी को नहीं देखा, एवं आपके बाल सीधे लम्बे थे घुँघराले नहीं**" अर्थात आपके बाल टेढ़े-मेढ़े और जटा के समान न थे "**और न ही बिल्कुल सीधे थे**" अर्थात बिल्कुल सपाट सीधे लटकते हुए नहीं थे।

आप की आँख

जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं "**आपका मुँह ज़लीअ था**" अर्थातः कुशादा व चौड़ा "**आपके चक्षु (आँख) सफेदी में लालिमा लिए हुए थे**" तथा "**आप की ऐड़ी कमा मांस वाली हल्की थी**"।

आप का पसीना

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमे यहाँ आए तथा आपने क़ैलूला किया**" अर्थात दोपहर में कुछ देर सोए "**हमारे पास, और आपके शरीर से पसीना निकलने लगा, तो मेरी माता जी एक बोतल ले कर आईं तथा उस पसीना को एकत्र करने लगीं**" अर्थातः आपके पसीना को उस बोतल में जमा करने लगीं "**जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नींद से जागे तो पूछाः हे उम्मे सुलैम, यह क्या कर रही हो ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप का यह पसीना हम अपने इत्रों में डालते हैं तो वह और सुगंधित हो जाता है, आपके पसीने की गंध सबसे सुगंधित है**"।

नबूवत की मोहर

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दोनों कंधों के बीच में नबूवत की मोहर लगी हुई थी, जोकि आपके शरीर में तिल के समान बिल्कुल स्पष्ट था।

जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कंधे के पास कबूतर के अंडे के समान नबूवत की मोहर छपी हुई देखी, जो आपके शरीर के समान था**"।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आचरण व स्वाभाव

आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का आपका आदर सम्मान करना

अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**मेरे निकट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अधिक प्रिय कोई नहीं था न ही मेरी नज़र में उससे अधिक किसी के लिये आदर था, आपके आदर का यह हाल था कि मैं आपको आँख भर देख भी नहीं सकता था, यदि आप मुझसे कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुलिया बयान करो तो यह मेरे असंभव होगा क्योंकि मैंने जी भरकर कभी आपको देखा ही नहीं**"।

हुदैबिया के दिन उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी ने क़ुरैश के समक्ष नबी के संबंध में ब्योरा देते हुए कहा थाः "**अल्लाह की क़सम मैंने किसी राजा को नहीं देखा कि उसकी जनता उसका उतना आदर करती हो जितना मुहम्मद** (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) **के साथी मुहम्मद का करते हैं, अल्लाह की क़सम आप खखारते भी हैं तो वह खखार आपके साथियों में से किसी के हाथ में गिरता है जिसको वह अपने चेहरे तथा शरीर पर मल लेते हैं, जब आप कोई आदेश देते हैं तो उसके अतिशीघ्र पालन के लिए दौड़ कर आते हैं, जब आप वुज़ू करते हैं तो आपके वुज़ू का पानी लेने के लिए आपस में मारा-मारी होती है, जब आप बात करते हैं तो वो लोग अपनी आवाज़ नीची कर लेते हैं, और आपके आदर में आपकी ओर नज़र उठा कर जी भर कर देखते भी नहीं हैं**"।

अल्लाह का आदर

अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**हमने कहा आप हमारे सय्यद (अधिपति) हैं, तो आपने फरमायाः सरदार तो अल्लाह तबारक व तआला है, हमने कहाः आप हममें सबसे उत्तम तथा सबसे महान हैं, तो आपने फरमायाः (इसी प्रकार की) अपनी बातें बोलो -या इस जैसी कुछ बातें- और सावधान रहो कि शैतान कहीं तम्हें अपने जाल में न फांस ले**"

वीरता

अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**जब घमासान का रण पड़ता और एक गिरोह दूसरे गिरोह से युद्ध के लिये मिलता तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपना ढ़ाल बनाते थे, हम में से कोई भी .....** "।

अल्लाह से भय व डर

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**अल्लाह की क़सम मैं तुममें सर्वाधिक अल्लाह से भयभीत होने वाला तथा उसके लिए सर्वाधिक तक़वा (इंद्रियनिग्रह) अपनाने वाला हूँ**"।

अपने घरवालों के संग दयाभाव

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**तुममें सर्वोत्तम पुरूष वह है जो अपने घरवालों के लिये सबसे उत्तम हो, और मैं तुममें से सर्वाधिक अपने परिवार वालों के लिए उत्तम हूँ**"।

लज्जा

अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**रसूलुल्लाह** सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम **अपने घरों में रहने वाली कुँवारी लड़की से भी अधिक लज्जा वाले थे, जब कोई अप्रिय चीज़ आप देखते तो हम इसे आपके चेहरे का हाव-भाव से पता कर लेते थे**"।

आपका सरल

मोमिनों की माताश्री आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब दो चीज़ों के बीच चयन का अधिकार दिया जाता तो जो दोनों में सरलतम होता यदि उसमें गुनाह न हो तो आप उसे चुनते थे, और यदि वह सरलतम चीज़ गुनाह आधारित होती तो आप सर्वाधिक गुनाह से बचने वाले थे**"।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आचरण व स्वाभाव

अपने लिये इंतक़ाम नहीं लेते थे	आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं किः "**अल्लाह की क़सम आपने अपने लिये कभी किसी से इंतक़ाम (प्रतिशोध) नहीं लिया यहाँ तक कि जब अल्लाह के तय किए हुए सीमाओं का उल्लंघन होने लगता तो फिर आप इंतक़ाम लेते**"।
आप खाना को दोष नहीं देते थे	आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहता हैं किः "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी किसी खाने में दोष नहीं निकाला, यदि चाहत होती तो खा लेते और यदि नापसंद करते तो छोड़ देते**"।
आप उपहार स्वीकार करते थे	आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहता हैं किः "**अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उपहार स्वीकार करते थे और उसका बदला भी चुकाया करते थे**"।
आप सदक़ा (दान) नहीं लेते थे	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वंशज एवं ख़ानदान के लोग सदक़ा नहीं खाते हैं**"।
आपका विनम्रता	उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक व्यक्ति लाया गया जिससे आपने बात किया तो भय के मारे वह कपकपाने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे कहाः शांत हो जाओ, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं भी एक महिला का पुत्र हूँ जो धूप में सुखाए हुए मांस खाता है**"।
अपने परिवार वालों की सहायता करना	असवद बिन यज़ीद कहते हैं किः मैंने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्रश्न कियाः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में क्या करते थे ? तो उन्होंने बताया किः "**आप अपने घर वालों का काम में साथ दिया करते थे, जब नमाज़ का समय होता तो आप नमाज़ के लिये निकलते**"।
अज्ञानियों से दूरी अपनाना	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**क्या तुम लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे अल्लाह तआला ने मुझसे क़ुरैश के गाली गलोज को मुझ से दूर कर दिया ? वो किसी निंदनीय को गाली देते थे तथा किसी निंदनीय को धिक्कारते थे, जब्कि मैं प्रशंसनीय व सराहनीय -मुहम्मद- हूँ**"
आपकी सच्चाई	अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान किया और आप सच्चे थे जिसकी सच्चाई सर्वविदित थी।
अपने सेवकों के संग आपका व्यवहार	अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**मैंने दस वर्ष नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा की, अल्लाह की क़सम आपने कभी मुझ से उफ्फ भी नहीं कहा, और न ही कभी जो मैंने किया उसके लिये पूछा किः तुमने ऐसा क्यों किया? और न ही कभी जो मैंने नहीं किया उसके लिए कभी पूछा किः तुमने यह क्यों नहीं किया?**"

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आचरण व स्वाभाव

आप अपने साथियों के बीच अपने को विशेष स्थान नहीं देते थे और आप का हृदय बड़ा उदार था

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति ऊँट पर सवार हो कर आया ऊँट को मस्जिद में बैठाया और उसको बांधने के पश्चात पूछाः तुम में से मुहम्मद कौन है ? जब्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के बीच टेक लगा कर बैठे हुए थे, वह कहते हैं : हमने कहाः यह सफेद आदमी जो टेक लगाकर बैठे हैं, तो उस व्यक्ति ने आपसे कहाः हे अब्दुल मुत्तलिब के पुत्र, तो रसूलुल्लाह ने उससे कहाः **मैंने तुम्हार उत्तर दे दिया (अब आगे बोलो), उस व्यक्ति न कहाः हे मुहम्मद मैं आप से कुछ पूछने वाला हूँ तथा इसमें कठोरता से काम लूँगा अतः आप अपने दिल में मेरे लिये कोई बदगुमानी नही रखियेगा, तो रसूलुल्लाह ने फरमायाः जो कुछ पूछना है पूछो, तो उस व्यक्ति ने कहाः मैं आप को आपके रब तथा आप से पहले लोगों के रब की क़सम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आप को समस्त संसार के लोगों के लिये रसूल (संदेष्टा) बना कर भेजा है? आपने फरमयाः हाँ बिल्कुल, तो उसने कहाः मैं आप को अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको यह आदेश दिया है कि हम दिन व रात में पाँच समय नमाज़ पढ़ें? रसूलुल्लाह ने फरमायाः हाँ बिल्कुल, फिर उसने कहाः मैं अल्लाह की क़सम देकर आप से पूछता हूँ किः क्या अल्लाह ने साल के इस महीना का रोज़ा रखने का आप को आदेश दिया है? तो रसूलुल्लाह ने फरमायाः हाँ बिल्कुल, पुनः उस व्यक्ति ने पूछाः मैं अल्लाह की क़सम देकार आप से पूछता हूँ किः क्या अल्लाह ने आप को इस बात का आदेश दिया है कि यह सदक़ा हमारे धनावानों से ले कर हमारे ही निर्धनों मे बाँट दिया जाए? रसूलुल्लाह ने फरमायाः हाँ बिल्कुल, तो उस व्यक्ति ने कहाः आप जो लेकर आए हैं मैं उस पर ईमान लाता हूँ, और मैं अपने समुदाय का प्रतिनिधि हूँ, मैं बनू साद बिन बकर का भाई ज़िमाम बिन सालबा हूँ"**

आपका खान-पान

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं : "**मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घरवालों ने कभी पेट-भर कर दो दिन तक लगातार जौ की रोटी नहीं खाई यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्राण पखेरू उड़ गए**"।

सांसारिक मोहमाया से दूरी

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**मुझे यह बात पसंद नहीं है कि मेरे पास उहुद पहाड़ के समान सोना हो और उस पर तीन दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात मेरे पास उस में से एक दिरहम भी बच जाए, हाँ यदि क़र्ज़ (ऋण) के लिए बच जाए तो बात दूसरी है, परंतु मैं कहूँगा कि अल्लाह के अमूक बंदे का लिए इतना, और अमूक के लिए इतना इतना**"।

आपने कभी गाली नहीं दी

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं किः "**आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अश्लील थे और न ही गाली-गलौज करने वाले थे, न ही बाज़ारों में जा कर हुल्लड़ करने वाले थे, और आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि आप क्षमा, अनदेखी एवं माफ कर देने वाले थे**"।

आपने कभी किसी अन्य महिला के हाथ का स्पर्श नहीं किया

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं किः "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी भी किसी अन्य व अजनबी महिला का हाथ नहीं छूआ**"।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आचरण व स्वभाव

आपकी निर्धनता सांसारिक मोहमाया से दूरी एवं जीवन यापन

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और आप एक चटाई पर लेटे हुए थे तो मैं बैठ गया, आपने अपनी लुँगी समेट कर रख ली और आप के पास उस के सिवाय और कोई वस्त्र न था, लेटे होने के कारण चटाई का निशान आपकी पीठ पर आ गया था, मेरी दृष्टि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर के आवश्यक सामान एवं धन पर पड़ी तो देखा कि एक हथेली भर लगभग एक साअ जौ पड़ा हुआ था, और उसी के समान कीकर (बबूल की फली) घर के एक कोने मं पड़ा हुआ था, और ऊपर एक चमड़े का मश्कीज़ा लटका हुआ था ... वह कहते हैं किः यह देख कर मेरी आँखों में आँसू आ गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछाः "**हे ख़त्ताब के पुत्र, तुझे क्या चीज़ रुलाती है** ?" मैंने कहाः हे अल्लाह के नबी, मैं क्यों न रोऊँ कि इस चटाई ने आपके पहलु में अपना निशान छोड़ दिया, और आप का जो खज़ाना है वह तो मैं देख ही रहा हूँ, और जब्कि यह क़ैसर व किसरा (रोम व फ़ारस वाले) हरे-भरे बाग़ एवं नदियों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आप जो अल्लाह के रसूल एवं उसके चयनित सबसे उत्त बंदा हैं आपके ख़ज़ाने का यह हाल है ? तो आपने फरमायाः "**हे ख़त्ताब के पुत्र क्या तुझे यह पसंद नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आख़िरत हो ?**" मैंने कहाः क्यों नहीं।

प्रथम परीक्षा

सत्य	असत्य	प्रश्न:
☐	☐	❁ लोक एवं परलोक में बंदे का सौभाग्य नबी ﷺ के तरीकों का अनुसरण करने में है
☐	☐	❁ रसूल अपने ही क़ौम के लोगों के बीच भेजे जाते थे
☐	☐	❁ आपका सबसे पूर्ण ब्योरा स्वयं आपने दिया है कि: **"मैं अल्लाह का बंदा व उसका रसूल हूँ"**।
☐	☐	❁ हरीर और दीबाज (रेशम के प्रकार) नबी ﷺ की हथेली से अधिक मुलायम हैं
☐	☐	❁ अल्लाह ने अपने नबी के शिष्टाचार तथा आचरण व स्वाभा अति उच्च कोटि के बनाए हैं, और आपको ज्ञान, प्रधानता और जिसमें लोक एवं प्रलोक में सफलता, सौभाग्य एवं मुक्ति है वह सब इस प्रकार से दिया है जिस प्रकार से आपके पूर्व किसी को नहीं दिया गया।
☐	☐	❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मी हैं जो न पढ़ना जानते थे न लिखना, और आपको सिखाने वाला कोई इंसान नही हैं

❁ सभी धरती वासियों में सबसे उच्च कूल के हैं : ☐ युनुस बिन मत्ता ﷺ ☐ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ﷺ

❁ आपके नाम: ☐ सभी विशेषताएं हैं ☐ यह मात्र नाम भर हैं जो केवल परिचय बताते हैं ☐ ऐसे गुणों के यौगिक से बना है जो आपके पूर्ण होने एवं प्रशंसा को वाजिब बनाते हैं ☐ समस्त ☐ केवल पहला व तीसरा

❁ "**आप का आचरण मानो क़ुरआन ही था**" अर्थात: ☐ उसी की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न होते थे ☐ उसी की अप्रसन्नता के लिए अप्रसन्न होते थे ☐ समस्त

❁ ख़लीलुल्लाह हैं : ☐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ☐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ☐ सभी

❁ "**रसूलुल्लाह फूल के रंग के थे**" अर्थात: ☐ गेहुँआ ☐ गोरा ☐ अत्यंत गोरा

❁ सर्वाधिक सुगंधित सुगंध: ☐ मुश्क है ☐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पसीना है

❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मरबूअ थे, अर्थात: ☐ मध्यम क़द के थे ☐ लम्बे क़द के थे

❁ आपके नबूवत की मोहर: ☐ दोनों कंधे के बीच थी ☐ आपके शरीर के समान थी ☐ कबूतर के अंडे के समान थी ☐ सभी

क़ुरैश से	इस्माईल	बनू हाशिम से	किनाना	**अल्लाह ने चुना**
☐	☐	☐	☐	किनाना को . .की संतान में
☐	☐	☐	☐	क़ुरैश से
☐	☐	☐	☐	बनू हाशिम से
☐	☐	☐	☐	अपने नबी को

सकरदादा का नाम	नकरदादा का नाम	परदादा का नाम	दादा का नाम	पिता का नाम	आपका नाम	**आपकी वंशावली**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	हाशिम
☐	☐	☐	☐	☐	☐	अब्दुल मुत्तलिब
☐	☐	☐	☐	☐	☐	अब्दुल्लाह
☐	☐	☐	☐	☐	☐	मुहम्मद
☐	☐	☐	☐	☐	☐	इस्माईल
☐	☐	☐	☐	☐	☐	इब्राहीम

अल-सिराज	अल-आक़िब	अहमद	मुहम्मद	**प्रत्येक नाम को उसकी व्याख्या से मिलाएं**
☐	☐	☐	☐	अल्लाह की सर्वाधिक प्रशंसा करने वाले
☐	☐	☐	☐	जो बिना जलाए प्रकाश देता है
☐	☐	☐	☐	अत्याधिक प्रशंसनीय गुणों से लैस
☐	☐	☐	☐	आपके बाद कोई नबी नहीं, अर्थात आप मोहर के समान हैं

डरने वाले थे	आचरण एवं डील-डोल वाले	जीवन-यापन के आधार पर	गंध के आधार पर	हाथ के आधार पर	**आप ﷺ**
☐	☐	☐	☐	☐	लोगों में सर्वोत्तम थे
☐	☐	☐	☐	☐	सर्वाधिक मुलायम
☐	☐	☐	☐	☐	सर्वाधिक सुगंधित
☐	☐	☐	☐	☐	सबसे अच्छे
☐	☐	☐	☐	☐	सर्वाधिक

उपहार को	सदक़ा को	अपने लिए	खाने को	अल्लाह के लिए	**आप ﷺ**
☐	☐	☐	☐	☐	इंतक़ाम नहीं लेते थे
☐	☐	☐	☐	☐	इंतक़ाम लेते थे
☐	☐	☐	☐	☐	कभी दोष नहीं दिया
☐	☐	☐	☐	☐	स्वीकार करते एवं उसका बदला चुकाते
☐	☐	☐	☐	☐	स्वीकार नहीं करते थे

नबी ﷺ की सीरत

आपके वस्त्र धारण करने एवं खान-पान का ढ़ंग

आपका प्रिय रंग

आपका सबसे प्रिय रंग सफेद था, और आपने फरमायाः "**यह तुम्हारे रंगों में से सर्वश्रेष्ठ रंग है, अतः इसे पहना करो तथा इसी रंग में अपने मुर्दों व मृतकों को दफनाओ**"।

आपका वस्त्र

जो भी वस्त्र मयस्सर होता आप उसे धारण करते, कभी ऊनी, तो कभी कॉटन और कभी लेनिन का, और जब आप क़मीज़ पहनते तो दाहिने ओर से पहनना आरंभ करते।

संतुलित वस्त्र धारण करना

कुछ सलफ़ (नेक पूर्वजों) का कहना है किः (लोग दो प्रकार के प्रसिद्धि वाले वस्त्र को मकरूप व अप्रिय समझते थे सर्वोत्तम तथा अत्यंत घटिया), और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस़ में हैः "**जिसने प्रसिद्धि वाला वस्त्र धारण किया उसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसे अपमान वाला वस्त्र पहनाएगा फिर उसमें आग भड़क उठेगी**" क्योंकि इसका धारण उसने अहंकार, गर्व एवं अभिमान के लिए किया था तो अल्लाह तआला ने उसकी सोच के विपरीत के द्वारा दंड दिया, इसी प्रकार की एक रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**जो अपने कपड़े को घमंड करते हुए घसीटते हुए चलता है क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे (रहमत व कृपा दृष्टि से) नहीं देखेगा**"।

आपका भोजन

जो आपके समक्ष उपलब्ध होता उसमें ना नुकुर करते हुए उसको लौटाते नहीं थे और जो नहीं होता उसके लिए तकल्लुफ़ नहीं करते थे, जब भी आपके सामने कोई खाना रखा गया आपने उसमें से खाया, सिवाय ऐसी चीज़ के जिसको आपकी रूह नापसंद करती थी तो उसे हराम क़रार न देते हुए छोड़ देते थे, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि "**आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी किसी खाने में दोष नहीं निकाला, यदि चाहत होती तो खाते अन्यथा छोड़ देते**", जैसे आपने गोह नहीं खाया क्योंकि यह आपके यहाँ नहीं पाया जाता था।

भोजन करने का ढ़ंग

- अधिकतर आपका खाने भूमि पर दस्तरख़्वान में रखा जाता।
- आप तीन उँगिलयों से भोजन करते थे।
- आप टेक लगा कर भोजन नहीं करते थे।
- भोजन के आरंभ में अल्लाह तआला का स्मरण करते तथा अंत में उसकी प्रशंसा करते।
- जब आप खाने से फ़ारिग़ होते तो अपनी उँगलियों को चाटते थे।

आप का पानी पीना

- अधिकतर आप बैठ कर पानी पिया करते थे, बल्कि आपने खड़े होकर पानी पीने वाले को डांटा-फटकारा है तथा खड़े होकर पानी पीना उस समय जायज़ है जब कोई ऐसी विवशता हो जिसके सबब बैठने में असुविधा होती हो।
- जब आप पानी पीते तो उसके बाद उसे देते जो आपके दाहिने ओर होता यद्यपि आपके बाएं बड़े लोग ही क्यों न बैठे हों।

आप के शादी-विवाह का ढ़ंग एवं वैवाहिक जीवन

- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**तुम्हारी दुनियाँ में दो चीज़ें मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं : महिलाएं एवं सुगंध, तथा मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में बनाई गई है**"।
- आप अपनी सभी धर्म पत्नियों के बीच रात बिताने, घर एवं ठिकाना देने तथा दैनिक जीवन-यापन का ख़र्चा में बराबरी एवं समरसता का ध्यान रखते थे।
- आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं : "**जब आप यात्रा का इरादा करते तो अपनी पत्नियों के बीच क़ुरआ अंदाज़ी करते तथा जिनका नाम आता वह आपके साथ यात्रा में जाती तथी अन्य के लिये आपत्ति का कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे**"।
- अपनी पत्नयों के संग आपकी सीरत यह थी कि आप उनके संग अच्छा व्यवहार करते थे और शिष्टाचार का ध्यान रखते थे।
- आप आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पीछे-पीछे आते जहाँ वह अंसार की बालिकाओं के साथ खेला करती थीं, और जब वह किसी ऐसी चीज़ की इच्छा जतातीं जो शरई रूप से वर्जित न होता तो आप उनकी इच्छा पूर्ति करते।
- आप उनकी गोद में सिर रख करे टेक लगाए हुए क़ुरआन का पाठ करते और कभी-कभी ऐसा भी होता कि उन्हें माहवारी आ रही होती।
- जब उन्हें माहवारी आ रही होती तो आप उन्हें तहबंद बांधने का आदेश देते फिर आप उनके साथ मुबाशरत (अर्थात मैथुन के सिवा आलिंगन इत्यादि) करते।
- आप रोज़े की हालत में भी अपनी पत्नियों का चुंबन लिया करते थे।
- अपने परिवार के लोगों के प्रति कृपा एवं दयालुता का यह हाल था कि आप उन्हें खेलने देते, तथा दो बार आपने उनके संग दौड़ प्रतियोगिता की तथा एक बार घर से बाहर निकलने में उनके संद प्रतिस्पर्धा किया।
- जब आप यात्रा से लौट कर आते तो रात्रि में अपने घर का द्वार नहीं खटखटाते थे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकते थे।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सोने एवं जागने का ढंग

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सोने के लिए बिस्तर पर आते तो यह दुआ पढ़तेः "**बिस्मिका अल्लाहुम्मा अह्या व अमूत (ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से जीता व मरता हूँ)**" और "**और प्रत्येक रात्रि जब आप बिस्तर पर आते तो अपनी हथेलियों को मिलाते, तत्पश्चात उसमें फूँक मारते तथा ये सूरतें पढ़तेः ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ और ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ﴾ और ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ फिर जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता यथा संभव अपने शरीर पर फेरते, अपने सिर, मुख तथा शरीर के अगले भागों से आरंभ करते, ऐसा आप तीन बार करते**", तथा "**जब आप सोने का इरादा करते तो अपने दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे रखते, फिर यह दुआ पढ़तेः अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबदाका (हे अल्लाह जिस दिन तू अपने बंदों को दोबारा उठाएगा उस दिन मुझे अपने दंड से बचा के रखना**" और आप जब निद्रा से जागते तो यह दुआ पढ़तेः "**अल्हमदुलिल्लाहिल्लज़ी अह्यना बाद मा अमातना व इलैहिन्नुशूर (समस्त प्रकार की प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किया और अंत में हमें उन्हीं की ओर लौट कर जाना है**", फिर आप मिस्वाक (दातून) करते।
- आप रात्रि के प्रथम भाग में सो जाते तथा अंतिम भाग में जाग कर क़याम करते अर्थात नमाज़ें पढ़ते और यदा-कदा मुसलमानों के हित के लिए प्रथम भाग में जाग कर भी रहते।
- आपकी आँखें सोती थी किंतु दिल जागता रहता था।
- जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सो रहे होते तो लोग आप जगाते नहीं थे यहाँ तक कि आप स्वयं जाग जाएं।
- आपकी निद्रा सबसे संतुलित निद्रा होती थी, और इस प्रकार से निद्रा लेना सर्वाधिक लाभदायक है।

दूसरों के संग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का व्यवहार

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हास्य-विनोद किया करते थे किंतु प्रहास के समय भी आप सच ही बोलते थे।
- आप तौरिया (सांकेतिक शब्दों का प्रयोग) किया करते थे और इस तौरिया में भी सच ही बोला करते थे।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मशविरा व परामर्श देते भी थे और लेते भी थे।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रोगियों का हाल-चाल पूछने के लिए जाते, जनाज़ा में उपस्थित होते, न्योता स्वीकार करते, विधवाओं, निर्धनों, दुर्बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप सदैव तत्पर रहते।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी प्रशंसा में कही गई कविताओं का श्रवण करते और उस पर उपहार देते, आपकी जो भी प्रशंसा व सराहना की गई है वो सब आपमें विद्यमान ख़ूबी व अच्छाई का अंश मात्र है, परंतु आपके सिवा अन्य लोगों की जो प्रशंसा की जाती है उसमें अधिकतर झूठ की मिलावट होती है।
- आप अपने जूते स्वयं गाँठ लेते और कपड़ों में पैबंद लगा लेते, अपने डोल की मरम्मत कर लेते, दूध दूह लेते, अपने कपड़ों से जूँ निकाल लेते, स्वयं अपने आप की एवं सेवकों की सेवा करते, तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के संग मस्जिद बनाने के लिए ईंट ढ़ोते थे।
- कभी भूख के मारे आप अपने पेट पर पत्थर बाँध लेते और कभी पेट-भर खाना मिल जाता।
- आप अतिथि भी बनते और अतिथेय भी बनते (मेहमानी और मेज़बानी दोनों करते)।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सिर के मध्य में, पाँव के ऊपरी भाग पर, कण्ठ की नस (ग्रीवा शिरा) में, गर्दन के ऊपरी भाग (स्कंध) में, पछना (सींघी) लगवाया।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उपचार किया, आग से दाग़ा किंतु किसी से स्वयं को दाग़ने के लिए नहीं कहा, आपने दम (झाड़-फूँक) किंतु किसी से स्वयं पर दम झाड़-फूँक करने के लिए नहीं कहा, तथा रोगियों को कष्ट देने वाली चीज़ों से बचाया।
- व्यावहारिक रूप से आप सर्वोत्तम पुरूष थे, और जब आप क़र्ज़ लेते थे तो क़र्ज़ (ऋण) को अच्छे ढ़ंग से लौटाते थे।

आप के चलने का ढ़ंग

- आप सबसे तेज़, सबसे उत्तम तथा सबसे संतुलित चाल चलने वाले थे।
- आप अपने साथियों में सबसे तेज़ चलते थे यहाँ तक कि अन्य लोगों को आपके साथ चलने में बहुत प्रयास करना पड़ता था।
- और आप कभी नंगे पाँव तो कभी जूता पहन कर चलते थे।
- सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके आगे एवं आप उनके पीछे चलते थे।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सहाबा के साथ अकेले भी और समूह में भी चलते थे।

अल्लाह का स्मरण का ढ़ंग

आप सबसे अधिक अल्लाह तआला का स्मरण व ज़िक्र करने वाले थे, बल्कि आपका सारा वार्तालाप ही अल्लाह का ज़िक्र आधारित होता था

जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नींद से जागते तो अल्लाह का ज़िक्र करते, जब नमाज़ प्रारंभ करते, जब घर से निकलते, एवं मस्जिद में प्रवेश करते समय, भोर-सांझ, वस्त्र धारण करते समय, घर से निकलते और प्रवेश करते समय, शौचालय में घुसते समय, वुज़ू के पूर्व एवं पश्चात, जब अज़ान सुनते, चाँद देखते समय, खाने के पहले और बाद में एवं छींकते समय .... हर समय आप अल्लाह तआला का स्मरण करते रहते थे।

फ़ितरती एवं प्राकृतक सुन्नतें तथा उससे संबंधित चीज़ें

सुन्नत की गणना	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**दस चीज़ें फितरत (प्राकृति) में से हैं: मूँछ काटना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी डालना, नाख़ुन काटना, उँगलियों के जोड़ को धोना, काँख का बाल उखाड़ना, पेड़ू (जघवास्थि) के बाल काटना तथा इस्तिंजा (मल-मूत्र त्याग के पश्चात जल उपयोग) करना**" और दसवीं बात भूल गए।
दायाँ को पसंद करना	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जूता पहनने, कंघी करने, पाकी हासिल करने, लेने, देने में दाहिने ओर से आरंभ करना पसंद था, खान-पान तथा पाक होते समय आप दाहिन ओर से प्रारंभ करते थे जब्कि शौचालय तथा इसी के समान जैसे गंदगी को दूर करते समय बाएं ओर से आरंभ करते थे।
सिर मूंडना	सिर मूंडने में आपका तरीका यह था कि आप या तो पूरा मूंडते या पूरा छोड़ते।
मिस्वाक	दातून करना आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बहुत पसंद था, रोज़े की स्थिति हो अथवा बिना रोज़े की प्रत्येक स्थिति में आप दातून करते थे, नींद से जागने के पश्चात, वुज़ू के समय, नमाज़ के समय, घर में प्रवेश करते समय आप मिस्वाक करते थे, और आप पीलू की लकड़ी का दातून करते थे।
सुगंध	आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुगंध अत्यंत प्रिय था और आप इसका अत्याधिक प्रयोग किया करते थे।
दाढ़ी व मूँछ	आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मुश्रिकीन का विरोध करो अतः दाढ़ी बढ़ाओ तथा मूँछ छोटी करो।
समय सीमा	अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे लिए मूँछ तथा नाख़ुन काटने की समय सीमा चालीस दिन तय की थी और हम इसे इससे अधिक दिनों तक न छोड़ें**"।
बोल-चाल का ढ़ंग ...	- आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं किः "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम लोगों के समान जल्दी-जल्दी बात नहीं करते थे बल्कि आप बिल्कुल स्पष्ट ठहर-ठहर के बात करते थे जिसको मज्लिस में बैठने वाला व्यक्ति याद कर सकता था**"। - आप अधिकतर अपनी बात तीन बार दोहराते थे ताकि अच्छे से समझ में आजाए, और जब आप सलाम करते तो तीन बार सलाम करते। - बिना आवश्यकता के आप बात नहीं करते थे, और जब बात करते तो कम बातों में अनेक अर्थ छुपे हुए होते। - जिससे आपका संबंध नहीं होता था वो बात आप नहीं करते थे, और वही बात करते थे जिस पर सवाब (पुण्य) मिलने की आशा हो। - आप अश्लील नहीं थे न ही गाली-गलौच करने वाले थे और न ही हुल्लड़ मचाने वाले थे।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बोलने-चालने, हंसने-रोने तथा भाषण देने का ढ़ंग

आपका हंसना

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हंसना यह था कि आप सदा मुस्कुराते रहते थे, और अधिक से अधिक जो आपका हंसना होता था वह यह कि आप के दाढ़ प्रकट हो जाते।

आप का रोना

- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिसकी ले कर तथा ज़ोर-ज़ोर से नहीं रोते थे किंतु आपकी आँखों में आंसू (अश्रु) आ जाते यहाँ तक कि बाहर निकल जाता, और आप के सीने से बर्तन के जोश मारने के समान आवाज़ आती थी।
- आपका रोना कभी मृतक पर दया के कारण होता, कभी अपनी उम्मत पर डर एवं ममता के कारण, तो कभी अल्लाह के भय से और कभी क़ुरआन सुनते समय।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भाषण का अंदाज़

- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भूमी पर भी, मंच पर भी तथा ऊँट एवं ऊँटनी सभी पर चढ़ कर ख़ुत्बा (भाषण) दिया है।
- जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब ख़ुत्बा देते तो आपकी आँखें लाल हो जातीं, आवाज़ ऊँची हो जाती तथा गुस्सा बढ़ जाता, ऐसा प्रतीत होता मानो आक किसी सेना से डरा रहे हैं**"।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब भी कोई भाषण देते तो उसे सर्वप्रथम अल्लाह तआला की प्रशंसा एवं सराहना आरंभ करते।
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी भी समय ख़ुत्बा (भाषण) दिया करते थे जब देखते कि लोगों का हित इसमें निहित है तथा उन्हें इसकी आवश्यकता है।

द्वितीय परीक्षा

गलत	सही	प्रश्न:
☐	☐	❁ आप जब क़मीज़ पहनते तो दाहिने ओर से प्रारंभ करते
☐	☐	❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अधिकत खाना भूमि पर दस्तरख़्वान बिछा कर रखा जाता था और यही आपका माइदा (खाना परोसा तालिका) होता था।
☐	☐	❁ जब आप यात्रा से वापस आते तो रात्रि के समय अपने घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकते थे
☐	☐	❁ कभी भूख के कारण आप अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे और कभी पेट-भर भोजन मिल जाता था
☐	☐	❁ आप ने उपचार किया है और आग से दागा है किंतु स्वयं को आग से दागने के लिए किसी से नहीं कहा, आपने दम (झाड़-फूँक) किया है किंतु किसी को अपने ऊपर दम करने के लिए नहीं बोला।
☐	☐	❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आज कल वसवसा व शंका ग्रस्त लोग करते हैं, जैसे मूत्र विसर्जन वाले रास्ते पर हाथ फेरना ताकि पूर्णरूपेण मूत्र विसर्जित हो जाए, खांसना, उछल-कूद, रग पकड़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, शिश्न में रूई डालना, उसपर पानी बहना, हर कुछ देर के पश्चात चेक करते रहना, तथा इस जैसी और बिदअतें जिसको इन शंका ग्रस्त लोगों ने ईजाद कर रखा है
☐	☐	❁ आप आसान दीन -ए- हनीफ़ देकर भेजे गए थे, एवं इसके विरुद्ध हैं : शिर्क तथा हलाल के हरामक करना
☐	☐	❁ आप की सात संतान हैं : चार पुत्रि तथा तीन पुत्र
☐	☐	❁ आपकी सभी संतान ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हैं, उनके अतिरिक्त किसी और से आपको कोई संतान नहीं है
☐	☐	❁ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सभी संतान आप से पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे
☐	☐	❁ इसमें कोई दो राय नहीं कि आप नौ पत्नियों को छोड़ कर मरे थेः आइशा, हफ़सा, ज़ैनब बिन्ते जहश, उम्मे सलमा, सफ़ीय्या, उम्मे हबीबा, मैमूना, सौदा, जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना
☐	☐	❁ ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों सलाम भेजा था, और यह ऐसी विशेषता है जो आपके सिवा किसी और नहीं प्राप्त हुई

❁ आपका सर्वाधिक प्रिय रंग थाः ☐ सफेद ☐ काला ☐ जो रंग भी उपलब्ध हो

❁ आपका वस्त्र होता थाः ☐ ऊनी कपड़ा नहीं ☐ कॉटन तथा लेनिन नहीं ☐ जो भी वस्त्र उपलब्ध होता धारण कर लेते ☐ केवल प्रथम एवं द्वितीय

❁ आपका वस्त्र होता थाः ☐ अत्यंत महंगा ☐ अत्यंत घटिया ज़ुह्द (इंद्रिय-निग्रह) के कारण ☐ मध्यम दर्जे का

- आप बिस्मिल्लाह कहते तथा अल्लाह की प्रशंसा करते थेः ☐ भोजन के आरंभ में ☐ अंत में ☐ आरंभ एवं अंत में
- आप अधिकतर पानी पीते थेः ☐ बैठ कर ☐ खड़े हो कर ☐ दोनों
- नबी ﷺ ने फरमायाः "**मुझे तुम्हारी दुनियाँ में से दो चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं**": ☐ महिला ☐ सुगंध ☐ दोनों।
- नबी ﷺ ने फरमायाः "**मेरी आँखों की ठंडक बनाई गई है**": ☐ जन्नत में ☐ नमाज़ में ☐ समस्त
- नबी ﷺ अपनी पत्नियों के संग अच्छाः ☐ व्यवहार करते थे ☐ आचरण ☐ समस्त
- अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे लिए मूँछ तथा नाख़ुन काटने के लिए ... दिन का समय सीमा तय कर दी थी**": ☐ तीस ☐ चालीस ☐ पचास
- सिर मुंडाने में आप ﷺ का तरीका यह था किः ☐ कुछ मुंडाते कुछ छोड़ देते ☐ या तो पूरा मुंडाते या पूरा छोड़ देते
- आप मिस्वाक करना पसंद करते थे, तथा आप मिस्वाक करते थेः ☐ रोज़ा की हालत में ☐ बिना रोज़ा के भी ☐ समस्त
- आप का हंसनाः ☐ सदा केवल मुस्काना भर होता था ☐ अधिकतर मुस्काते थे
- आप भेजे गए थेः ☐ समस्त लोगों के लिए ☐ इंसान तथा जिन्नों के लिए
- निर्विवाद रूप से आपकी सबसे अफ़ज़ल व उत्तम पुत्रीः ☐ फ़ातिमा ☐ ज़ैनब ☐ सभी
- आपकी इस पत्नी के अतिरिक्त किसी और के रज़ाई मे होते हुए आप पर वह्य (प्रकाशना) नहीं उतरीः ☐ हफ़्सा ☐ उम्मे सलमा ☐आइशा

रोगी का	विधवाओं, निर्धनों तथा दुर्बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	न्योता	जनाज़ा में	**आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम**
☐	☐	☐	☐	हाल-चाल पूछते थे
☐	☐	☐	☐	उपस्थित होते थे
☐	☐	☐	☐	स्वीकार करते थे
☐	☐	☐	☐	सदैव तत्पर रहते थे

अपनी व अपने घरवालों की	अपने हाथों अपने जूते को	अपने हाथों अपने कपड़ा में	मस्जिद बनाने के लिए ईंट	बकरी का	**आप ﷺ के कर्म**
☐	☐	☐	☐	☐	गाँठ लेते थे
☐	☐	☐	☐	☐	पैबंद लगा लेते थे
☐	☐	☐	☐	☐	दूहते थे
☐	☐	☐	☐	☐	सेवा करते थे
☐	☐	☐	☐	☐	ढ़ोते थे

मूँछ	दाढ़ी	पेड़ू	काँख	नाख़ुन	**फितरत में से है**
☐	☐	☐	☐	☐	काटना
☐	☐	☐	☐	☐	बढ़ाना
☐	☐	☐	☐	☐	काटना
☐	☐	☐	☐	☐	उखाड़ना
☐	☐	☐	☐	☐	मूंडना

उपलब्ध को	बिना हराम क़रार दिए छोड़ देते थे	मगर खा लेते थे	अनुपलब्ध के लिए	**आप ﷺ का भोजन करने का ढ़ंग**
☐	☐	☐	☐	नहीं लौटाते थे
☐	☐	☐	☐	तकल्लुफ़ नहीं करते थे
☐	☐	☐	☐	कोई पवित्र चीज़ आपको पेश की जाती थी
☐	☐	☐	☐	आपका जी नहीं मानता था तो

तीन उँगलियों से	पाँचों उँगलियों से खाता है एवं हथेली से धकेलता है	एक उँगली से	एक बार खाना	जब फ़ारिग़ हो जाते	**आप ﷺ :**
☐	☐	☐	☐	☐	अपनी ... उँगलियों से खाते थे
☐	☐	☐	☐	☐	चाटते थे
☐	☐	☐	☐	☐	वह इससे अधिक प्रतिष्ठित है
☐	☐	☐	☐	☐	अहंकारी खाता है
☐	☐	☐	☐	☐	लालची एवं लालसा रखने वाला

आप ﷺ की विशेषताएं

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेषताएं

आप सहज व सरल दीन -ए- हनीफ़ लेकर भेजा था	इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं : (हनीफीया एवं समहा (सरल व सहज) दोनों को एक स्थान पर इकत्रित किया गया है क्योंकि तौहीद के मामले में हनीफीया है तथा व्यवहार के मामले में सरल है, और इन दोनों का विपरीतः शिर्क तथा हलाल को हराम बनाना है)।
आप इंसानों तथा जिन्नातों के लिए भेजे गए थे	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**(पहले के) नबी केवल अपने समुदाय के लिए भेजे जाते थे, और मैं समस्त लोगों के लिए भेजा गया है**"।
आपकी किताब और दावत	अल्लाह तआला का फरमान हैः (**अलिफ़ लाम रा, ऐ रसूल यह वह किताब है जिसको आपके ऊपर हमने इसलिए उतारा है कि आप लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर लाएं उनके रब के आदेश से सशक्त और प्रशंसनीय अल्लाह की ओर से**)। इब्राहीमः १ ।
आप की आयत (चमत्कार)	आपकी सबसे बड़ी आयत एवं चमत्कार क़ुरआन है, और आप के पूर्व जितने रसूलों और नबियों को जो भी चमत्कार दिए गए थे उसका हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी मिला।
आपसे प्रेम करना दीन व धर्म है	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**तुममें से कोई उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जबतक कि मैं उसके नज़दीक उसकी संतान उसके पिता तथा सभी लोगों से बढ़कर प्रिय व महूबूब न हो जाऊँ**"।
आप से घृणा करने वाले का	ऐसा व्यक्ति कुफ्र -ए- अकबर का अपराधी है, अल्लाह तआला का फरमान हैः (**निःसंदेह आप का शत्रु ही लावारिस तथा बे नामो निशान रहेगा**)। अल-कौसरः ३ ।
आप ख़लील हैं	नबी ﷺ ने फरमायाः "**अल्लाह तआला ने मुझे वैसे ही अपना ख़लील बना लिया है जिस प्रकार उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया था**"।
उलुल अज़्म (साहसी) में से एक हैं	अल्लाह तआला का फरमान हैः (**जब्कि हमने तमाम नबियों से वचन लिया औ -विशेष रूप से- आपसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के पुत्र ईसा -अलैहिमुस्सलाम- से**)। अल-अहज़ाबः ७।
आपका इल्म	आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**मैं तुममें सर्वाधिक अल्लाह का जानने वाला हूँ**"। और अल्लाह तआला का फरमान हैः (**आप कह दीजिए कि मैं न तो मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और न मैं ग़ैब जानता हूँ, और न मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ**)। अल-अनआमः ५०।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेषताएं

आपा का आज्ञापालन तथा अवज्ञा करने वाले का हुक्म

अल्लाह तआला का फरमान है: (आप कह दीजिए कि यदि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तआला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा)। आल -ए- इमरामः ३१ । और एक स्थान पर फ़रमायाः (तुम आलस्य न दिखाओ और शोक मनाओ तुम ही ग़ालिब (विजेता) रहोगे यदि तुम मोमिन हो)। आल -ए- इमरानः १३९ । और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**तुम में से प्रत्येक व्यक्ति जन्नत में प्रवेश करेगा सिवाय उसके जो इंकार करे**" सहाबा ने पूछाः अल्लाह के रसूल, कौन इससे इंकार करेगा ? "आपने फरमायाः जिसने मेरे आदेशों का पालन किया वो जन्नत में प्रवेश पाएगा तथा जिसने मेरे आदेशों की अवहेलना की उसने इंकार किया", और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**अपमान तथा अनादर उन लोगों के लिए है जो मेरे आदेशों का विरोध करते हैं**"।

आपकी उम्मत

अल्लाह तआला का फरमान है: "**तुम सर्वोत्तम उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो कि तुम नेक बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो एवं अल्लाह तआला पार ईमान रखते हो**"। आले इमरानः ३१ । और नबी ने फरमायाः "**जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं उसकी क़सम मेरा अनुमान है कि तुम जन्नत का आधी आबादी होगे**"।

आपका देश

आपका देश मक्का है, अल्लाह तआला का फरमान है: (**अल्लाह तआला का पहला घर जो लोगों के लिए निश्चित किया गया वही है जो मक्का (शरीफ़) में है और जो समस्त संसार के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खुली-खुली निशानियाँ है, मक़ाम -ए- इब्राहीम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है, अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो वहाँ तक आने में सक्षम हैं उस घर का ह़ज फ़र्ज़ क़रार दिया है, और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह तआला (उससे बल्कि) तमाम दुनियाँ से बेपरवाह है**)। आले इमरानः ९६ – ९७ ।

और मक्का हुरमता वाला नगर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**अल्लाह ने जिस दिन आकाश व धरती को पैदा किया उसी इस नगर को ह़राम क़रार दे दिया, अतः वह अल्लाह के ह़राम क़रार दिए जाने के कारण अब हुरमत वाला है**", और यह महाप्रलय तक मुसलमानों का देश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**मक्का विजय के पश्चात अब कोई हिजरत (पलायन) नहीं**"।

आपका क़िबला

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क़िबला, काबा है, और इससे पहले बैतुल मक़दिस था, अल्लाह तआला का फरमान है: (हम आपके चेहरे को बार-बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, अब हम आपको उस क़िबला की ओर फेर देंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाएं, आप अपना मुख मस्जिद -ए- ह़राम की ओर फेर लें और आप जहाँ कहीं हों अपना मुँह उसी तरफ फेरा करें)। अल-बक़राः १४४ ।

मस्जिद -ए- ह़राम प्रथम मस्जिद है जो इस धरती पर बनाई गई, अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से धरती पर बनाई गई सर्वप्रथम मस्जिद के विषय में पूछा तो आपने फरमयाः वह मस्जिद -ए- ह़राम है**"।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**जो इस घर को आया तथा न तो संभोग के क़रीब गया और न ही कोई बेहूदा हरकत की तो वह ऐसा पाक व पवित्र हो कर लौटता है जैसा माँ के पेट से पैदा होने के दिन पाक था**"।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेषताएं

आपका क़िबला

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "मस्जिद -ए- हराम में एक नमाज़ का सवाब अन्य मस्जिदों में एक लाख नमाज़ पढ़ने के समान, और मेरी इस मस्जिद (-ए- नबवी) में एक नमाज़ का सवाब एक हज़ार नमाज़ के सवाब के समान है, तथा बैतुल मक़दिस में पाँच सो नमाज़ के समान"।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**केवल तीन मस्जिदों के लिए यात्रा किया जाएगाः** मस्जिद -ए- हराम, मेरी मस्जिद (-ए- नबवी) और मस्जिद -ए- अक़सा"।

एवं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः "**जब तुम मल-मूत्र त्याग के लिए आओ तो क़िबला का सामना न करो और न ही उसे अपनी पीठ के पीछे रखो, कितुं पूरब अथवा पश्चिम की ओर हो जाएओ**"।

(यह उन लोगों के लिए है क्योंकि मदीना वालों का क़िबला दक्षिण की ओर पड़ता है अतः उन्हें पूरब अथवा पश्चिम की ओर घूम जाने का आदेश दिया गया, जब्कि हमारे यहाँ से क़िबला पश्चिम की ओर पड़ता है अतः हम उत्तर अथवा दक्षिण घूम कर बैठेंगे)।

आपकी पत्नियाँ एवं सगे-संबंधी

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सात संतान थीं: चार पुत्रियां तथा तीन पुत्र

[1] क़ासिम, और इन्हीं के नाम पर आपने अपनी उपाधि अबुल क़ासिम रखी थी।

[2] ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा

[3] रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा

[٤] उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा

[5] फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा

[6] अब्दुल्लाह, और इनका लक़ब तैयब व ताहिर था।

[7] इब्राहीम, यह मारिया क़िबत़ीय्या जो आपकी लौंडी थी उनसे पैदा हुए थे, जब्कि आपकी अन्य सभी संतानें ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुई थीं, उनके अतिरिपक्त किसी भी पत्नी से आपको कोई संतान नहीं थी।

आपकी सभी संतान आप के जीवन काल ही में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे सिवाय फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के, उनकी मृत्यु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के छः महीना के बाद हुई, अल्लाह तआला ने सब्र, धैर्य तथा अल्लाह से सवाब व पुण्य की उम्मीद रखने के कारण समस्त संसार की महिलाओं पर प्रधानता दी, और निर्विवाद रूप से आपकी सबसे अफ़ज़ल (सर्वश्रेष्ठ) पुत्री थी।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सभी पुत्रियों ने इस्लाम युग पाया तथा इस्लाम स्वीकार किया तथा आपके संग हिजरत (पलायन) किया।

आप का ग्यारह चाचा थे

[1] शहीदों के सरदार ह़मज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु

[2] अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु

[3] अबू तालिब तथा उनका नाम अब्दे मुनाफ़ था

[4] अबू लहब, तथा उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था

[5] ज़ुबैर

[6] अब्दुल काबा

[7] अल-मुक़व्विम

[8] ज़िरार

[9] क़ुसम

[10]मुग़ीरा एवं उसकी उपाधि ह़जल थी

[11] अल-ग़ैदाक़, एवं उसका नाम मुसअब था

आपके चाचाओं में से ह़मज़ा और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के सिवाय किसी और ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया।

आपकी छः फ़ुफियां थीं

[1] सफ़ीय्या, यह ज़ुबैर बिन अब्बाम रज़ियल्लाहु अन्हु की माता थी।

[2] उम्मे हकीम अल-बैज़ा

[3] आतिका

[4] बर्रा

[5] अरवा

[6] उमैमा

आप की पत्नियां: उनके नाम का परिवर्णी (लघु रूप) حَجَزَ صَخْرٌ سَمْعَهُ

हजज़ (حجز)

(ह, الحاء) = हफ़्सा पुत्री उमर पुत्र अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

(ज, الجيم) = जुवैरिया पुत्री हारिस़ रज़ियल्लाहु अन्हा।

(ज़, الزاي) = ज़ैनब पुत्री जहश रज़ियल्लाहु अन्हा + ज़ैनब पुत्री ख़ुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा

सख़र (صخرٌ)

(स, الصَّاد) = सफ़ीय्या पुत्री हुय्यि पुत्र अख़्तब रज़ियल्लाहु अन्हा।

(ख़, الخاء) = ख़दीजा पुत्री ख़ुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा।

(र, الراء) = उम्मे हबीबा रमला पुत्री सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

समआह (سمعه)

(स, السين) = सौदा पुत्री ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा।

(म, الميم) = मैमूना पुत्री हारिस़ रज़ियल्लाहु अन्हा।

(आ, العين) = आइशा पुत्री अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

(ह, الهاء) = उम्मे सलमा हिन्द पुत्री उबू उमैया रज़ियल्लाहु अन्हा।

ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सर्वप्रथम धर्म पत्नि ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद क़ुरशीय्या असदीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा थीं, आपने उनसे से नबूवत मिलने के पूर्व विवाह किया था जब उनकी आयु चालीस वर्ष थी, और उनके जीवन काल में आपने किसी अन्य महिला से विवाह नहीं रचाया, एवं आपकी सभी संतान उन्हीं से उत्पन्न हुईं सिवाय इब्राहीम के, यही हैं जिन्होंने आपकी नबूवत मिलने पर बड़ी सहायता की और आपके हर सुख-दुःख में आपके साथ रहीं एवं अपनी जान तथा माल आप पर न्योछावर कर के आप को तसल्ली व संतोष दिलाती रहीं, अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों आपको अपना सलाम भेजा था, यह आपकी ऐसी विशेषता है जो अन्य किसी महिला को प्राप्त नहीं हुआ, और आपकी मृत्यु हिजरत (पलायन) के तीन वर्ष पूर्व हुई।

सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा

ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मृत्यु के कुछ दिन बीत जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सौदा बिन्त ज़मआ क़ुरशीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा से विवाह किया, यही वह महान महिला हैं जिन्होंने अपनी बारी आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया था।

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा	उसके पश्चाता आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मे अब्दुल्लाह आइशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा से विवाह रचाया जिनके सतीत्व की गवाही सातों आसमान के ऊपर से उतरी, यह आपकी महबूबा व प्रेयसी थी, आप से विवाह रचाने के पूर्व ही फरिश्तों ने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष रेशम के कपड़े में लपेट कर दिखाते हुए कहा थाः "**यह आप की पत्नी हैं**", आपने इन से शव्वाल मास में विवाह किया था जब्कि उनकी उम्र मात्र छः साल थी, और उनका गौना हिजरत के प्रथम वर्ष शव्वाल में हुआ जब उनकी आयु नौ वर्ष हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनके अतिरिक्त किसी अन्य कुँवारी लड़की से विवाह नहीं किया, और इनके सिवा किसी और पत्नी की रज़ाई में होते हुए आप पर वह्य (आकाशवाणी, प्रकाशना) नहीं उतरती थी, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकट सभी प्राणियों से अधिक प्रिय थीं, आपके पाकदामनी (सतीत्व) आकाश से अवतरित हुई, एवं उम्मत इस बात पर निर्विवाद रूप से एक मत है कि जो आप पर व्यभिचार का लांछन लगाए वह काफिर है, यह सर्वाधिक समझदार तथा ज्ञानी महिला थीं, बल्कि निर्विवाद रूप से यह इस उम्मत की समस्त महिलाओं में सर्वाधिक समझदार तथा ज्ञानी महिला हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बड़े-बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उनसे फतवा पूछते थे तथा उनकी राय स्वीकार करते थे।
हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा	इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हफ़्सा बिन्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा से विवाह रचाया, उन्होंने अपने पहले पति ख़ुनैस बिन हुज़ाफ़ा अल-सहमी के संग ही इस्लाम स्वीकार कर लिया था एवं उनके संग हिजरत कर के मदीना आ गई थीं, किंतु ग़ज़वा -ए- उहुद के पश्चाता जब उनके पति का स्वर्गवास हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे विवाह किया।
ज़ैनब बिन्त ख़ुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा	इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ैनब बिन्त ख़ुज़ैमा बिन हारिस क़ैसिय्या रज़ियल्लाहु अन्हा जो बनू हिलाल बिन आमिर क़बीला से संबंध रखती थी उनसे विवाह किया, और इनसे विवाह के दो माह बाद ही इनका स्वर्गवास हो गया, यही वह महिला हैं जिनकी उपाधि उम्मुल मसाकीन (निर्धनों एवं फ़क़ीरों की माता) है।
उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा	इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिन्द बिन्त अबू उमैया क़ुरशीय्या मख़ज़ूमिय्या रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की, तथा अबू उमैया का नामः हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा था, आपकी धर्म पत्नियों में सबसे अंत में स्वर्गवासी होने वाली यही हैं, आपकी मृत्यु हिजरते के बासठवें साल में हुई।
जुवैरीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा	आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुवैरीय्या बिन्त हारिस बिन अबू ज़िरार मुस्तलिक़ीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की जोकि बनू मुस्तलिक़ की बंदियों में से थीं, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास अपनी आज़ादी के लिए तय किए गए धन अदा करने में सहायता माँगने के लिए आई थीं तो आपने उनकी ओर से वह तय शुदा धन अदा कर दिया तथा उनसे विवाह कर लिया।

ज़ैनब बिन्त जह़श रज़ियल्लाहु अन्हा

इसके पश्चात आपने ज़ैनब बिन्त जह़श रज़ियल्लाहु अन्हा से विवाह रचाया जो बनू असद बिन ख़ुज़ैमा नामक क़बीला से संबंध रखती थीं, यह आपकी फूफी उमैमा की पुत्री थीं, और इन्हीं के संबंध में यह आयत उतरी थीः (जब ज़ैद -रज़ियल्लाहु अन्हु- ने उनसे अपनी आवश्यकता पूरी कर ली तो हमने उसे आपके निकाह़ मे दे दिया)। अल-अह़ज़ाबः ३७ ।, और इसके कारण वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अन्य पत्नियों पर गर्व किया करती थीं और कहती थीं किः "**तुम्हारा विवाह तुम्हारे परिवार वालों ने कराया है जब्कि मेरा विवाह अल्लाह तआला ने सातों आसमान के ऊपर से कराया है**"।

आपकी विशेषताओं में से यह है कि आपकी वली (अभिभावक) स्वयं अल्लाह था जिसने सातों आसमान के ऊपर से आपका विवाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तय किया, आपकी मृत्यु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफत व शासनकाल के आरंभिक दौर में हुई, पहले आप ज़ैद बिन ह़ारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के संग विवाही गई थीं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना मुँहबोला बेटा (दत्तक पुत्र) बना लिया था. जब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको तलाक़ दे दिया तो अल्लाह तआला ने आपका विवाह उनसे करा दिया ताकि यह उम्मत के लिए अपने दत्तक पुत्रों की पत्नियों से विवाह करने का एक उदाहरण बन जाए।

उम्मे ह़बीबा रज़ियल्लाहु अन्हा

इसके पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मे ह़बीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की, उनका नाम रमला बिन्त अबू सुफ़ियान स़ख़्र बिन ह़र्ब क़ुरशीय्या उमवीय्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे ह़ब्शा (सूडान) की धरती पर विवाह किया था जहाँ वह हिजरत करके गई थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से उनका मुह़ नज्जाशी ने चार सौ दीनार अदा किया था, तत्पश्चात वह वहाँ से आपके पास लाई गईं और अपने भाई मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के शासनकाल में मृत्यु को प्राप्त हुईं।

स़फ़ीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स़फ़ीय्या बिन्त हुय्यि बिन अख़्तब बनू नज़ीर क़बीला के सरदार जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून बिन इमरान की संतान में से थे सी विवाह रचाया, इस प्रकार वह एक नबी की पुत्री दूसरे नबी की पत्नी हुईं, आप संसार की सर्वाधिक सुंदर महिलाओं में से एक थीं, यह क़ैद हो कर आपकी लौंडी बन गई थीं तो आपने उन्हें स्वतंत्र कर दिया और उनकी स्वतंत्रता ही उनकी मुह़ ठहरी, तो इसके बाद आज़ादी को को मुह़ क़रार देना सुन्नत बन गई।

मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा

उसके पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मैमूना बिन्त ह़ारिस़ हिलालीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की, यह सबसे अंतिम महिला थी जिनसे आपने विवाह रचाया, आपने उनसे उमरा -ए- क़ज़ा से ह़लाल होने के बाद इनसे मक्का में शादी की थी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु हुई तो आपकी नौ पत्नियां जीवित थीं, आपकी मृत्यु पश्चात सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त होने वाली आपकी पत्नियों में से ज़ैनब बिन्त जह़श रज़ियल्लाहु अन्हा थीं जिनकी मृत्यु सन २० हिज्री में हुई, तथा सबसे अंत में वफ़ात पाने वाली आपकी पत्नी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं जिनकी मृत्यु सन ३२ हिज्री में यज़ीद बिन मुआविया के शासन काल में हुई।



पाठ दो: नबी ﷺ की सीरत



पहला अध्याय: नबूवत मिलने के पूर्व

आप का जन्म	आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़ील (हाथी वाली घटना) वाले साल हिजरत से ५३ वर्ष पूर्व रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन मक्का मैं पैदा हुए जोकि ईस्वी वर्ष के अनुसार ५७१ ईस्वी था, हाथी वाली यह घटना तथा अल्लाह तआला का उसे रोक देना यह अल्लाह तआला की ओर से अपने घर (काबा) तथा अपने नबी के लिए एक भूमिका के रूप में थी।	
पिता	अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अभी अपनी माता के गर्भ ही में थे कि आपके पिता का देहांत हो गया, परिणामस्वरूप आप यतीम (अनाथ) पैदा हुए।	
माता	आमिना बिन्त वहब जो बनू ज़ुहरा क़बीला से थीं, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आयु सात वर्ष की भी नहीं हुई थी कि आपकी माता जी चल बसी।	
लालन-पालन	आपकी माता के मृत्यु पश्चात आपका लालन-पालन आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया, और अभी आपकी आयु लगभग आठ वर्ष की हुई कि आपके दादा का भी देहांत हो गया, तत्पश्चात आपका लालन-पालन आपके सगे चाचा अबू तालिब ने किया जिनका मूल नाम अब्दे मुनाफ़ था।	
आपको दुग्धपान कराने वाली महिलाएं	सुवैबा	यह अबू लहब की लौंडी (दासी) थी, इन्होंने आपके साथ अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद मख़ज़ूमी को भी दूध पिलाया था और उनको यह दूध उनके बेटे मसरूह के पैदा होने के कारण आया था, औ इन दोनों के साथ-साथ उन्होंने आपके चाचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दुग्धपान कराया था।
	हलीमा सादिया	उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह के जन्म के कारण उत्पन्न होने वाला दूध पिलाया था, और अब्दुल्लाह उनैसा और जुज़ामा -इन्हीं का नाम शैमा भी था- के भाई हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रिफ़ाआ सादी की संतान में से थे, और आपके साथ-साथ उन्होंने आपके चचेरे भाई अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दूध पिलाया था।
आपको अपने गोद में खेलाने वाली महिलाएं	आपकी माता आमिना	अबू लहब की लौंडी सुवैबा	हलीमा बिन्त अबू ज़ुऐब सादिया
	शैमा	यह हलीमा सादिया की पुत्री तथा आपकी दूध शरीक बहन थी, यही हैं जो हवाज़िन के प्रतिनिधि मंडल में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई थीं तो आपने इनका आदर करते हुए अपना चादर बिछाकर उस पर बैठाया था।	

आपको अपने गोद में खेलाने वाली महिलाएं

उम्मे ऐमन

यह बरका अल-ह़बशीय्या रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने पिता की ओर से उत्तराधिकार (विरासत) में मिली थी और यह आपकी दाया थीं।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनका विवाह अपने प्रिय ज़ैद बिन ह़ारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से कराया था तो उनसे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा पैदा हुए।

यही वह महिला हैं जिनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु पश्चात अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आए तो देखा कि वह रो रहीं हैं, तो उन दोनों ने पूछाः क्यों रो रही हो ? अल्लाह के पास जो है वह उसके रसूल के सर्वोत्तम है ? तो उन्होंने कहाः (मैं जानती हूँ कि अल्लाह के पास जो है वह उसके रसूल के लिए बेहतर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस स्थिति में थे उससे बेहतर स्थिति में पहुँच चुके हैं, किंतु मैं तो इस लिए रो रही हूँ कि आसमान से वह्य (प्रकाशना) का सिलसिला समाप्त हो गया!!) यह सुनना था कि वह दोनों भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे।

आपके कार्य

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बकरियां चराई, और आपके अंदर सब्र (धैर्य), दुर्बलों के ऊपर दया भाव एवं उनकी देख-भाल करना जैसे गुण पाए जाने का यह भी एक बड़ा कारण है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**अल्लाह तआला ने जितने भी नबी भेजे सभी ने बकरियां चराई**" सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछाः क्या अपने भी ? आपने फरमायाः "**हाँ, मैं चंद क़रारीत़ (पैसों) के बदले मक्का वासियों की बकरियां चराया करता था**"।

व्यापार एवं विवाह

जब आपकी आयु २५ वर्ष हुई तो आप व्यापार के लिए शाम (सीरीया) गए, और बुसरा जाकर वापस लौटे, वहाँ से लौटने के पश्चात ही आपकी पहली पत्नी ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा से विवाह किया।

काबा का पुनर्निर्माण

जब आपकी उम्र ३५ साल हुई तो काबा की दीवार जर्जर व क्षीण हो चुकी थी और किसी भी क्षण गिर सकती थी यह देख कर क़ुरैश ने इसका पुनर्निर्माण का इरादा बनाया, क़ुरैश के सभी क़बीला के लोगों ने निर्माण के लिए एक-एक किनारा बाँट लिया, निर्माण जब ह़जर -ए- असवद तक पहुँचा तो इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि इसको अपने स्थान पर कौन रखेगा, ऐसा करते हुए चार या पाँच दिन बीत गए, फिर वह इस बात पर एकमत हो गए कि जो सर्वप्रथम काबा में प्रवेश करेगा वह इस झगड़ा का समाधान निकालेगा, सौभाग्यवश काबा में सर्वप्रथम दाख़िल होने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थे अतः उन्होंने आपको अपना फैसला करने के अधिकार दिया, आपने एक चादर मंगाया तथा उसमें हजर -ए- असवद रखा और हरेक क़बीला को एक किनारा पकड़ने कर उठाने के लिए कहा यहाँ तक कि जब वह अपने उचित स्थान तक पहुँच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथों से उस जगह स्थापित कर दिया।

आपका एकांतप्रिय होना

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं किः "आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एकांत प्रिय थे, तो आप ग़ार -ए- ह़िरा में एकांत में चले जाते और कई-कई रातों तक इबादत करते रहते" और नैसर्गिक रूप से आपके दिल में मूर्तियों तथा अपनी समुदाय के धर्म से घृणा हो गई थी, आपके निकट इससे घृणित कोई चीज़ थी ही नहीं।

दूसरा अध्याय: वह्य का आरंभ

जब आपकी आयु ४० वर्ष हुई तो आपके ऊपर नबूवत का सूरज चमका और अल्लाह तआला ने सोमवार के दिन आपको रसूल बना कर आपको सम्मानित किया।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि: "**वह्य के प्रारंभ आपके सच्चे सपनों से हुआ, आप जब भी कोई सपना देखते थे तो वह भोर के उजियारे के समान सही व सच्चा साबित होता, फिर आप एकांत प्रिय हो गये, कई-कई रातें आप ग़ार -ए- हिरा में एकांतवास में इबादत करते हुए बिता देते जब तक घर आने का दिल नहीं करता अपना तोशा (पाथेय) लिए हुए वहीं रहते, तोशा समाप्त होने पर अपनी पत्नी ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते तथा फिर तोशा ले कर वहीं चले जाते, यहाँ तक कि ग़ार -ए- हिरा में ही आप के ऊपर हक़ प्रकट हुआ और प्रकाशना हुई, आपके पास फरिश्ता आया और कहा: पढ़िए, आपने कहा: मैं पढ़ना नहीं जानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि: फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ कर ख़ूब ज़ोर से भींचा यहाँ तक कि मुझे तक्लीफ़ होने लगी फिर मुझे छोड़ दिया और कहा: पढ़िए, आपने कहा: मैं पढ़ना नहीं जानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि: फिर फरिश्ते ने मुझे पुन: दोबारा पकड़ कर ख़ूब ज़ोर से भींचा यहाँ तक कि मुझे तक्लीफ़ होने लगी फिर मुझे छोड़ दिया और कहा: पढ़िए, आपने कहा: मैं पढ़ना नहीं जानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि: फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ कर तीसरी बार ख़ूब ज़ोर से भींचा यहाँ तक कि मुझे तक्लीफ़ होने लगी फिर मुझे छोड़ दिया और कहा: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣﴾[العلق]، अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को रक्त के लोथड़ा से पैदा किया, आप पढ़ते रहिए आपका रब बड़ा करम वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह आयतें सुन कर घर लौटे और इस अनोखी घटना से आप काँप रहे थे, आप ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा का पास आए तथा कहा: मुझे कम्बल ओढ़ा दो, मुझे कम्बल ओढ़ा दो, लोगों ने आप को कम्बल ओढ़ा दिया यहाँ तक कि जब आप भय समाप्त हो गया तो आपने ख़दीजा से बात की और उन्हें उस घटना के संबंध में बताया और कहा: मुझे अपनी जान का ख़तरा लग रहा है, तो ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ढाढस बंधाते हुए कहा: अल्लाह की क़सम कदापि ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह आपको अपमानित करेगा, आप सगे-संबंधियों से मेल-मिलाप रखते हैं, दुर्बलों का बोझ उठाते हैं, निर्धनों को कमा कर खिलाते हैं, आप अतिथि का सत्कार करते हैं, विपत्ति में फंसे हुए लोगों लोगों की सहायता करते हैं, ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको लेकर वरक़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा जो ख़दीजा के चचेरे भाई थे के पास आईं, और वरक़ा ऐसे आदमी थे जिन्होंने जाहिलीयत (अंधकार) वाले युग में ईसाई धर्म अपना लिया था, और किताब को इबरानी भाषा में लिखा करते थे इस प्रकार इंजील को इबरानी भाषा में जितना अल्लाह तौफ़ीक़ देता उतना नक़ल करने का काम किया करते थे, अत्याधिक बूढ़ा हो जाने के कारण वह अंधे हो गए थे, ख़दीजा ने उनसे कहा: हे मेरे चचेरे भाई, थोड़ा अपने भतीजे की बात सुन लीजीए, तो वरक़ा ने आपसे कहा: हे मेरे भतीजे तुम क्या देखते हो ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ देखा था सब बता दिया, तो वरक़ा ने आपसे कहा: यह वही नामूस (आदरणीय भेदी फरिश्ता) है जिसको अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था, हाय काश मैं उस समय जवान होता, काश मैं उस समय जीवित होता जब आपकी क़ौम आपको यहाँ से निकालेगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आश्चर्य से पूछा: क्या वो मुझे सच में**

आपकी नबूवत

निकालेंगे ? उसने कहा: हाँ, जिस चीज़ को ले कर आप आए हैं उसको लेकर जो भी नबी आए उनकी क़ौम ने उनसे दुश्मनी की, यदि मुझे आपका ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी भरपूर सहायता करूँगा, फिर कुछ दिन के बाद वरक़ा की मृत्यु हो गए तथा वह्य का का सिलसिला बंद हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: मैं रास्ते में जा रहा था कि अचानक आकाश से एक आवाज़ सुनी जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वही फरिश्ता आकाश व धरती के बीच कुर्सी पर बैठे हुए दृष्टिगोचर हुआ जो हिरा में आया था, मैं उससे डर गया, और लौट कर आया तथा कहा: मुझे कम्बल ओढ़ाओ, मुझे कम्बल ओढ़ाओ, तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: (हे कपड़ा ओढ़ने वाले, खड़ा हो जा और डरा) (अल-मुदस्सिर: १-२) **इसके बाद वह्य का मामला गर्म हो गया और निर्बाध वह्य उतरने लगा**"।

वह्य (आकाशवाणी, प्रकाशना) की श्रेणी

[1] सपना

वह्य (प्रकाशना) का आरंभ इसी प्रकार हुआ, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं : "**आप जब भी कोई सपना देखते तो सुबह की रौशनी की तरह वह सच्चा हो कर सामने आ जाता**"।

[2] मुँह में डालना

फरिश्ता आपके दिल एवं मस्तिष्क में बिना सामने आए डाल देता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**रूहुल अमीन (जिब्रील) ने मेरे मस्तिष्क में डाल दिया और मुझे सूचना दी कि ...**"।

[3] फरिश्ते का रूप धारण करना

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**फरिश्ता कभी-कभी मेरे पास मानव के रूप में आता है तथा मुझसे बात करता है, तो वह जो कहता है मैं उसको अंगीकार कर लेता हूँ**", इस रूप में फरिश्ता को कभी-कभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी देख लिय करते थे।

[4] झंकार, घरघराहट

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**कभी-कभी मेरे पास वह्य घंटी की झंकार के समान अवतरित होती है, यह मेरे लिए सबसे कठिन होता है, जब तक वह मुझसे समाप्त होता है तब तक उन्होंने जो कुछ कहा होता है मैं याद कर चुका होता हूँ**", और आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि: "**मैंने अत्यंत ठंड के दिनों में आप पर वह्य उतरते देखा है, जब वह समाप्त होता तो आपके ललाट पर पसीना बह रहा होता**", बल्कि यदि आप सवार होते तो आपकी सवारी उस बोझ के कारण बैठ जाती थी।

[5] फरिश्ते के रूप में

आप फरिश्ता को उस रूप में भी देखते थे जिस रूप में उसे पैदा किया गया है, वह आपके ऊपर वह्य करता जो अल्लाह चाहता, ऐसा आपके साथ दो बार हुआ जैसा कि सूरा नज्म में अल्लाह तआला ने इसका उल्लेख किया है।

[6] अल्लाह की ओर से प्रत्यक्ष वह्य

यह वही है जो प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह तआला ने मेराज की रात में आप पर नमाज़ फ़र्ज़ करने इत्यादि से संबंधित वह्य की थी।

[7] अल्लाह का आप से बात करना

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अल्लाह तआला ने वैसे ही बिना किसी वास्ता व माध्यम के वार्तालाप किया जैसा मूसा अलैहिस्सलाम से किया करता था।

सर्वप्रथम आप पर अवतरित होने वाली वह्य

सर्वप्रथम आप पर सूरा अलक़ की प्रारंभिक पाँच आयतें (श्लोक) उतरीः (**पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को ख़ून के लोथड़े से पैदा किया, तू पढ़ता रह तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने क़लम के द्वारा (इल्म) सिखाया, जिसने इंसान को वह सिखाया जिसको वह नहीं जानता था**)।

आपके दावत की श्रेणी

[1] नबूवत

[2] सगे संबंधियों को डराना

[3] अपने समुदाय को डराना

[4] उस क़ौम को डराना जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया था, और वह समस्त अरब हैं।

[5] हरेक उस इंसान व जिन्नों को डराना जिसको क़यामत तक आपकी दावत पहुँचेगी।

दाव का चरण

[1] **गुप्त दावतः** यह नबूवत के प्रारंभिक तीन वर्ष तक चली।

[2] **खुली दावतः** जब आपको इसका आदेश दिया गयाः (**आप उस आदेश को जो आपको दिया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए**)। अल-हिज्रः ९४।

सर्वप्रथम ईमान लाने वाले

पुरूषों में : अबू बकर सिद्दीक़ ।

महिलाओं में : ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद ।

बच्चों में : अली बिन अबू तालिब ।

आज़ाद किए जा चुके सेवकों में : ज़ैद बिन हारिसा ।

सेवकों में : बिलाल बिन रबाह अल-हबशी ।

जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर में इस्लाम स्वीकार किया

आप पर प्रारंभिक दौर में ईमान वाले जिनलोगों का हम उल्लेख कर चुके हैं उनके पश्चात आपके घर वालों ने इस्लाम स्वीकार किया फिर उसमान बिन अफ़्फ़ान, त़लह़ा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अव्वाम, साद बिन अबी वक़्क़ास, अब्दुर्रह़मान बिन औफ़, ख़ब्बाब बिन अरत्त, सुहैब रूमी, अम्मार बिन यासिर उनकी माता सुमैया, अबू उबैदा आमिर बिन जर्राह़, उसमान बिन मज़ऊन, अबू सलमा बिन अब्दुल असद एवं उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस्लाम स्वीकार किया।

तीसरा अध्या: मक्की काल

मुश्रिकीन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को कष्ट पहुँचाना

मुश्रिकीन ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत की सच्चाई तथा लोगों को उसे स्वीकार करते हुए देखा तो आपको कठोर से कठोरतम पीड़ा देना आरंभ किया, उनके द्वारा दिए जा रहे पीड़ा के कुछ रूप ये हैं :

- आपकी ओर से यह झूठ फैलाना कि आप जादूगर हैं ताकि लोगों में आपके प्रति घृणा एवं डर उत्पन्न किया जा सके।
- आपकी ओर से यह झूठ फैलाना कि आप पागल हैं ताकि लोग आपको मूर्ख समझें।
- आपकी ओर से यह झूठ फैलाना कि आप झूठे हैं, और इसका खंडन इससे होजात है कि आप उनके बीच अपनी सच्चाई एवं अमानतदारी के कारण अमीन के नाम से प्रसिद्ध थे।
- आपका तथा जो कुछ लेकर आप आए थे उसका उपहास बनाना।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब लोगों को दावत देने के लिए जाते तो शोर और हल्ला मचाते ताकि लोगों को वह्य और जो हक़ (सत्य) लेकर आप आए हैं उसे सुनने से रोक दें।
- मक्का से बाहर के लोग जो उमरा यह हज के उद्देश्य से आते उनका स्वागत करना तथा उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातों को सुनने से रोकने का प्रयास करना।
- आपको शारीरिक पीड़ी देना जैसे उक़बा बिन अबू मुऐत ने किया था कि एक बार आपके गले में कपड़े का फंदा डाल कर इतना ज़ोर से खींचा कि ऐसा लगा मानो आपके प्राण पखेरू उडने वाले हैं यहाँ तक कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको आप से दूर किया, और आपके ऊपर ऊँट की ओझड़ी डाल दी जिसे आपकी पुत्री फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने साफ किया।
- आपको क़त्ल करने का प्रयास करना, चुनाँचे इसी उद्देश्य से उन्होंने आपको चाचा अबू तालिब के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बदला वो लोग अबू तालिब को उमारा बिन वलीद दे दें और वो लोग आपको क़त्ल कर दें, इसी प्रकार हिजरत के समय भी उन लोगों ने आपको मारने का प्रयास किया।
- दुर्बल व कमज़ोर मोमिनों को कठो से कठोरतम पीड़ा देना जैसे वो लोग बिलाल के पेट पर पत्थर रख देते थे, और जैसा अमानवीय व्यवहार उन्होंने अम्मार बिन यासिर एवं उनके परिवार वालों के संग किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम।

हबशा (सूडान) की ओर हिजरत (पलायन)

जब मुस्लिम की संख्या बढ़ने लगी तथा कुफ्फार उनसे डरने लगे तो उनका अत्याचार और उपद्रव और बढ़ गया, यह सब देख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हबशा की ओर हिजरत (पलायन) करने की अनुमती दी, और फरमाया: "**उस देश का राजा ऐसा व्यक्ति है जिनके समक्ष लोगों पर अत्याचार नहीं हो सकता**"।

पहली हिजरत हबशा की ओर

पहली हिजरत

इस हिजरत में बारह पुरूष तथा ४ महिलाएं थी, जिनमें उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, सर्वप्रथम वह तथा उनकी धर्म पत्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेटी रुक़ैया निकले, हबशा में वो लोग बड़े ही अच्छे ढंग से जीवन-यापन करने लगे, फिर उनको यह सूचना मिली कि क़ुरैश ने इसलाम स्वीकार कर लिया है जब्कि यह सूचना झूठी थी, यह सुन कर वो लोग मक्का लौट आए, यहाँ आकर पता चला कि स्थिति पहले की तुलना में अधिक पीड़ादयक है तो कुछ लोग वहीं से लौट गए और कुछ लोग नगर में प्रवेश कर गए तो उन्हें क़ुरैश की ओर से अत्यंत कष्टों का सामना पड़ा, नगर में प्रवेश करने वाले लोगों में से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे।

दूसरी हिजरत

दूसरी हिजरत में तिरासी पुरूष तथा अट्ठारह महिलाओं ने हबशा की ओर प्रस्थान किया, वो लोग नज्जाशी के पास बड़ी अच्छी स्थिति में ठहरे रहे, जब यह बात क़ुरैश को पता चली तो उन्होंने अम्र बिन आस एवं अब्दुल्लाह बिन अबू रबीआ को एक गिरोह के संग भेजा ताकि नज्जाशी के हृदय में साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति घृणा उत्पन्न कर दें, किंतु अल्लाह तआला ने उनकी चाल उन्हीं पर पलट दिया।

हमज़ा व उमर का इस्लाम स्वीकार करना

नबूवत के छठे वर्ष हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम स्वीकार किया और आप क़ुरैश के सबसे सम्मानित व्यक्ति समझे जाते थे, इस प्रकार अल्लाह तआला ने उनके द्वारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमलुल्लाह को सम्मानित किया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआओं के बरकत के कारण उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसलाम स्वीकार किया और अब जाकर क़ुरैश के अत्याचार का सिससिला थमा।

अबू तालिब की घाटी में

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रति क़ुरैश का अत्याचार बढ़ता ही गया यहाँ तक कि उन्होंने आपको अपने परिवार वालों समेत अबू तालिब का घाटी में तीन वर्ष तक घिराव कर दिया, इसी घाटी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जन्म हुआ, काफिरों को आपसे बड़ा दुःख पहुँचा और अंततः आप उस घिराव से बाहर निकले, जब्कि आपकी आयु ४९ वर्ष हो चुकी थी।

अबू तालिब एवं ख़दीजा की मृत्यु

इसके कुछ महीना बीत जाने के बाद आपके चाचा अबू तालिब का ८७ वर्ष की आयु में देहांत हो गया, उसके कुछ ही दिनों के पश्चात ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी स्वर्गवास हो गया, अब काफिरों का अत्याचार और बढ़ गया।

आपका ताइफ़ जाना

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़ैद बिन हारिसा के संग अल्लाह की ओर दावत देने के लिए ताइफ़ गए, वहाँ आप कुछ दिन ठहरे रहे किंतु उन्होंने आपकी दावत को स्वीकार नहीं किया, आपको कष्ट देकर वहाँ से निकाल दिया, आपको पत्थरों से मारा यहाँ तक कि आपके दोनों टख़ना लहूलहान (रक्त रंजित) हो गए, वहाँ से लौट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का आए, तथा मक्का में मुतइम बिन अदी की ज़मानत में प्रवेश किया।

अद्दास का इस्लाम	वहाँ से लौटते हुए रास्ते में अद्दास जोकि ईसाई थे उनसे भेंट हुई वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान ले आए तथा आपकी पुष्टि की।
जिन्नों का इस्लाम	उसी मार्ग में नख़ला नामक स्थान पर नसीबैन समुदाय से संबंध रखने वाले सात जिन्नों के एक समूह का आपके पास गुज़र हुआ, उन्होंने क़ुरआन को सुना तो इस्लाम स्वीकार कर लिया।
इसा व मेराज	फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सशरीर व रूह रात्रि में मस्जिद -ए- अक़सा ले जाया गया, तत्पश्चात वहाँ से सशरीर व प्राण आपको आसमानों के ऊपर अल्लाह के पास ले जाया गया, अल्लाह तआला ने आपसे वार्तालाप किया तथा आपके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ किया।
आपका क़बीलों के समक्ष इस्लाम पेश करना	आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का में रह कर क़बीलों को अल्लाह तआला की ओर बुलाते रहे, और प्रत्येक वर्ष हज के मौसम में आप उनके समक्ष अपने आपको पेश करते कि वो आपको शरण दें ताकि आप अपने रब की रिसालत को लोगों तक पहुँचा सकें और इसके बदले उन्हें स्वर्ग मिलेगा, किसी भी क़बीला ने आप के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, यह सम्मान तो अल्लाह तआला ने अंसार के भाग्य में लिख दिया था, अतः वहाँ के छः लोग आए और अल्लाह व उसके रसूल की दावत को स्वीकार किया, तत्पश्चात वो लोग मदीना लौटे और अपने समुदाय को इस्लाम की दावत दी यहाँ तक कि इस्लाम फैल गया और अंसार के घरों में से कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चर्चा न होता हो।
अंसार तथा अक़बा की बैअत (वचन) — पहली बैअत	अगले वर्ष अंसार के १२ व्यक्ति मक्का आए, जिनमें से पाँच वही पहली बार वाले छः लोगों में से थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे सूरा मुमतहिना में वर्णित महिलाओं वाली बैअत (वचण) अक़बा (कठिन घाटी) में लिया, तत्पश्चात वो लोग मदीना लौट गए।
अंसार तथा अक़बा की बैअत (वचन) — दूसरी बैअत	उससे अगले वर्ष ७३ पुरूष तथा दो महिला आई, यह अंतिम अक़बा वाले थे, उन्होंने यह बैअत किया (वचन दिया) कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वैसा ही बचाव करेंगे जैसे वो अपनी महिलाओं, संतानों तथा अपनी जानों की रक्षा करते हैं, तो आप तथा आपके सहाबा ने उनकी ओर प्रस्थान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनमें से बारह लोगों को नक़ीब (सरदार) नियुक्त किया।

चौथा अध्याय: मदनी काल

हिजरत की अनुमति

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों को मदीना की ओर हिजरत (पलायन) करने की अनुमति दी, तो वो लोग जत्था बना कर तलवार लटकाए हुए निकले, उनमें सबसे पहला जैसाकि प्रचलित है: अबू सलमा बिन अब्दुल असद मख़ज़ूमी थे, और एक राय के अनुसार वह: मुसअब बिन उमैर थे, वो लोग अंसार के पास उनके घरों में आए, उन्होंने उन्हें शरण दिया, उनकी सहायता की और मदीना में इस्लाम फैल गया।

फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी हिजरत की अनुमति मिल गई, तो आप रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन मक्का से निकले, उस समय आपकी आयु ५३ वर्ष थी, और आपके संग अबू बकर सिद्दीक़ तथा अबू बकर के स्वतंत्र किए हुए दास आमिर बिन फ़ुहैरा थे, और आप लोगों का मार्गदर्शक अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित लैसी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के संग ग़ार -ए- सौर (सौर नामक गुफा) में दाख़िल हुए तथा उसमें तीन दिन तक रहे, फिर साहिल के रास्ते वहाँ से कूच किया।

आपका मदीना में प्रवेश

जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व आपके साथी मदीना पहुँचे -जोकि १२ रबीउल अव्वल सोमवार का दिन था- तो मदीना के ऊपरी भाग क़ुबा में बनू अम्र बिन औफ़ के पास विश्राम के लिए उतरे और उनके पास चौदह दिनों तक ठहरे रहे।

इस्लाम की सर्वप्रथम मस्जिद

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ुबा में मस्जिद की नींव रखी, अब्दुलल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि: "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प्रत्येक शनिवार को पैदल और सवार हो कर क़ुबा जाया करते थे**", और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**क़ुबा में नमाज़ अदा करना उमरा करने के समान है**"।

नबी की मस्जिद का निर्माण

फिर वहाँ से अपनी ऊँटनी पर सवार हो कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चले, लोग आप की ऊँटनी की लगाम पकड़-पकड़ कर आप से विनती कर रहे थे कि आप उनके यहाँ ठहरें, आप उनसे कहते: "**इसका मार्ग छोड़ दो इसे आदेश मिला हुआ है**", अंततः ऊँटनी उस स्थान पर जहाँ आज मस्जिद -ए- नबवी है वहाँ जाकर बैठ गई, जोकि उस समय बनू नज्जार के दो बालक सह्ल व सुहैल का खलिहान था, वहाँ आप अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर उतरे, फिर आपने उस खलिहान के स्थान पर अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के संग मिल कर कच्ची ईंट एवं खजूर की टहनी से मस्जिद का निर्माण किया, तत्पश्चात अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए उसी के बग़ल में निवास स्थान का निर्माण किया, उसमें सबसे समीप आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था, फिर सात महीना बीत जाने के बाद अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से यहाँ स्थानांतरण किया।

भाईचारा	मस्जिद निर्माण के पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुहाजिरीन जिनका संख्या नब्बे थी तथा अंसार के मध्य एक-दूजे की सहायता के आधार पर भाई चारा (बंधुत्व) कायम किया, तथा बद्र की घटना से पहले तक वो लोग एक दूसरे के मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारी (वारिस) भी बनते थे।
यहूदी	जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना आए और यहूदियों ने आपको देखा तो समझ गए कि आप सच्चे रसूल हैं और आप वही हैं जिनका वर्णन वो अपनी किताब तौरात में पाते थे, इसके बावजूद उनमें से बहुत कम लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया जिनमें से एक उनके ज्ञानी एवं प्रकांड विद्वान अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूदियों के क़बीले बनू क़ैनुक़ाअ, बनू नज़ीर तथा बनू क़ुरैज़ा से संधि (मैत्री) की।
क़िबला का परिवर्तन	मेराज में नमाज़ फ़र्ज़ होने के पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैतुल मक़दिस की ओर घूम कर नमाज़ पढ़ा करते थे, और आपकी चाहत थी कि क़िबला बदल कर मक्का कर दिया जाए और इसी आशा में आप अपने मुख को आकाश की ओर उठा कर देखा ताका करते थे, तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारीः (**हम आपके मुख को बार-बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, हम आपका रुख़ उस क़िबला की ओर फेर देंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे**)। अल-बक़राः १४४, अतः हिजरत के दूसरे वर्ष आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना क़िबला काबा की ओर परिवर्तित कर लिया।
जिहाद की अनुमति	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मदीना पूर्णरूपेण स्थापित हो गए तथा अंसार ने आपकी हर प्रकार से रक्षा की तो अल्लाह तआला का यह आदेश अवतरित हुआः (**जिन -मुसलमानें- से -काफिर- युद्ध कर रहे हैं उन्हें भी मुकाबला (प्रतिकार) करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि वो मज़लूम -पीड़ित- हैं, निःसंदेह अल्लाह उनकी सहायता करने में समर्थ है, ये वो हैं जिन्हें नाहक़ अपने घरों से निकाला गया सिर्फ इतनी सी बात कहने पर कि हमारा रब (प्रभु) केवल अल्लाह है**)। अल-अम्बियाः ३९-४०, अतः अल्लाह तआला ने मोमिनों को मुश्रिकीन के विरुद्ध युद्ध की अनुमति दी। और आपके प्रारंभिक ग़ज़वों में से ग़ज़वा -ए- अबवा, बुवात़, उशैरा तथा कुछेक और सरीय्या हैं।
ग़ज़वा -ए- बद्र (बद्र नामक युद्ध)	हिजरत के दूसरे वर्ष रमज़ान मास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन सौ से कुछ ऊपर (लगभग तीन सौ तेरह) मोमिनों के संग शाम से लौट रहे क़ुरैश के क़ाफिला की तलाश में निकले, तो अबू सुफियान उस क़ाफिला को दूसरे मार्ग से लेकर निकल गया, और शैतान ने क़ुरैश को मोमिनों से युद्ध के लिए उभारा अतः वो निकले और बद्र नामक स्थान पर दोनों समूह की भेंट हुई, और यही वह महा युद्ध ग़ज़वा -ए- बद्र अल-कुबरा है जिसे यौमुल फ़ुरक़ान (सत्य एवं असत्य के बीच अंतर स्पष्ट कर देने वाला दिन) भी कहा जाता है। जो दोनों समूह आपस में टकराए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ माँगी, तो अल्लाह तआला ने फरिश्तों के द्वारा मोमिनों की सहायत की जो उनके संग युद्ध लड़ रहे थे, और अल्लाह तआला ने काफिरों के ऊपर आपको विजयी किया तथा अपने कलमा को सर्वोच्चता प्रदान की, बद्र में मुश्रिकीन में से सत्तर आदमी मारे गए तथा मोमिनों में से चौदह आदमी शहीद हुए।

ग़ज़वा क़ैनुक़ाअ	सन तीसरी हिजरी में बनू क़ैनुक़ाअ ने संधि तोड़ दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पंद्रह रातों तक उनका घेराव किया, फिर वो आपके हुक्म पर उतरे तो आपने उन्हें छोड़ दिया, और उनकी संख्या उस समय सत्तर थी।
ग़ज़वा -ए- उहुद	ग़ज़वा -ए- उहुद शव्वाल में हुआ, जब क़ुरैश बद्र में मारे गए अपने लोगों का बदला लेने के लिए लगभग तीन हज़ार लोगों को लेकर आए और जब मदीना पहुँच गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लगभग सात सौ लोगों को लेकर उहुद की ओर निकले, और मुनाफ़िक़ीन आपका साथ छोड़ कर निकल गए। दिन के आरंभिक भाग में मुसलमानों का पलड़ा भारी था, फिर अल्लाह तआला ने मुसलमानों की परीक्षा ली और गेंद अब मुश्रिकीन के पाले में थी यहाँ तक कि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँच गए और आपको घायल व आहत कर दिया तथा आपके सामने के दो दांत तोड़ दिए, उस दिन आपके साथ फरिश्तों ने भी लड़ाई लड़ी, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से सत्तर लोग शहीद हो गए जिनमें हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, मुसअब बिन उमैर, अनस बिन नज़्र तथा फरिश्तों द्वारा स्नान दिए गए हनज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुम आदि थे। उस दिन तल्हा बिन उबैदुल्लाह की बड़ी अच्छी परीक्षा हुई यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**तल्हा ने आज वाजिब कर लिया**" रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा मुसलमान पहाड़ के पास सिमट कर आ गए और अल्लाह तआला ने सभी को मुश्रिकीन से बचा लिया। उहुद का दिन परीक्षा एवं जाँच का दिन था, अल्लाह तआला ने उस दिन मोमिनों की पीक्षा ली थी, और मुनाफ़िक़ खुल कर सामने आ गए, तथा जिसे अल्लाह ने चाहा शहादत से सम्मानित किया। ग़ज़वा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पुनः एक बार फिर क़ुरैश के निकलने की सूचना मिली ताकि मुसलमानों का समूल नाश कर दें, आप इस घायल अवस्था में भी मोमिनों को लेकर उनका मुकाबला करने के लिए निकल, जब हमरा अल-असद नामक स्थान पर क़ुरैश को इसकी सूचना मिली तो पस्पाई अपनाते हुए वो मक्का लौट गए।
सन ४ हिजरी	सन चार हिजरी में बेर मऊना की घटना घटी जिसमें सत्तर ह़ाफिज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़त्ल कर दिए गए, और इसी वर्ष नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनू नज़ीर का घेराव किया यहाँ तक कि उनके दिलों धाक बैठ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल बाहर किया, और उन्हीं के संबंध में सूरा ह़श्र नाज़िल हुई।
ग़ज़वा -ए- मुरैसीअ	हिजरत के पाँचवे वर्ष नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बनू मुसतलिक़ से युद्ध के लिए निकले और विजयी हो कर लौटे, इसी रास्ते में तयम्मुम मशरूअ हुआ अर्थात इसकी अनुमति दी गई, और इसी मार्ग में इफ्क (बुहतान, आरोप, लांछन) की घटना घटी, जहाँ मुनाफ़िक़ों ने पाक व पवित्र मोमिनों की माता जी आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लांछन लगाया था, यह मामला स्वयं उनके लिए तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए बड़ा कठिन था यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने सूरा नूर में उनकी बराअत व सतीत्व का ऐलान किया, और बुहतान लगाने वालों को हद्द में कोड़े लगाए गए।

ग़ज़वा -ए- अह़ज़ाब

हिजरत के छठे वर्ष शव्वाल में ग़ज़वा -ए- ख़न्दक़ (अह़ज़ाब) घटा, जब यहूदियों ने क़ुरैश तथा जिनके संग उनकी संधि थी सबने मिल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके सहाबा को क़त्ल करने का प्लान बनाया, इस प्रकार क़ुरैश, बनू सुलैम, बनू असद, फ़ज़ारा तथा अशजअ आदि मिल कर दस हज़ार की संख्या में मदीना आए।

सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़न्दक़ (खाई, गर्त) खोदने का विचार दिया, अतः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन हज़ार की संख्या में निकले और सलअ नामी पहाड़ को अपने पीछे तथा ख़न्दक़ को अपने सामने रखा, आप मैत्री संधि वाले बनू क़ुरैज़ा की ओर से निश्चिंत थे किंतु उसने संधि तोड़ दिया और आपके विरोधियों से मिल गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध के लिए आई हुई सेना तथा बनू क़ुरैज़ा की ओर नईम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, उन्होंने युक्ति लगा कर दोनों के बीच अलगाव करा दिया, फिर अल्लाह तआला ने उस अह़ज़ाब (सेना) पर वायु की एक सेना भेजी जिसने उनके तम्बू उखाड़ दिए और हांडियों को पलट दिया, हवा ने उन्हें हिला कर रख दिया और उनके दिलों में आतंक बैठ गया और वो पस्पा होने पर मजबूर हो गए, इस प्रकार उनकी धुर्त्तता उनके कुछ काम न आई और वो वापस लौट गए।

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बनु क़ुरैज़ा के पास आए और उनके निर्णय लेने का अधिकार साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दिया।

और इसही ग़ज़वा के विषय में सूरा अह़ज़ाब नाज़िल हुई।

हुदैबिय्या की मुलह़ (मैत्री)

छठे वर्ष ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने चौदह सौ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को साथ लेकर उमरा की नीयत से निकले, जब आप हुदैबीय्या नामक स्थान पर पहुँचे तो क़ुरैश ने आपको मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया, और इस बात पर मुसालहत (मैत्री) की कि वो आपस में दस साल तक नहीं लड़ेंगे, और यह मैत्री मोमिनों के लिए एक प्रकार से फ़त्ह़ (विजय) प्राप्त करना था जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमायाः (निःसंदेह हमने आपको एक खुल्लम-खुल्लाह विजय दे दिया)। अल-फ़त्ह़ः १।

इस मैत्री में एक बात यह भी थी कि अगले वर्ष क़ुरैश मुसलमानों को उमरा के लिए मक्का आने की अनुमति देगी, उमरा -ए- क़ज़ा (इस साल के छूटे हुए उमरा के बदले उमरा) सातवीं हिजरी के ज़िल क़ादा मास में अंजाम पाया।

ग़ज़वा -ए- ख़ैबर

हुदैबीय्या से लौटने के बीस दिन बाद मदीना के उत्तर में ख़ैबर के लिए आप निकले और वहां यहूदियों का लगभग बीस दिन तक घेराव किया, इसमें मुसलमानों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, जब यहूदियों को अपने नाश का पक्का यक़ीन हो गया तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुलह (मैत्री) करनी चाही, आप ने उनके प्राण की रक्षा की गारंटी देते हुए इस शर्त पर जाने दिया कि वो अपने पहने हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी भूमि को उसमें पैदा होने वाले आधे हिस्सा पर प्रयोग करने की अनुमति दी।

जाफ़र का आना

जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ैबर में थे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान होकर मदीना पधारे, और इसी बीच आपके चचेरे भाई जाफर बिन अबू तालिब और जो लोग हबशा में रुके हुए थे उनके साथ आ गए और ख़ैबर में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भेंट हो गई, और उन लोगों के संग अशअरी क़बीला के लोग अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी लोग आए।

ग़ज़वा -ए- मूअता

आठवें वर्ष ग़ज़वा -ए- मूअता की घटना घटी, और इसका कारण यह था कि शुरहबील बिन अम्र ग़स्सानी रोम के राजा की ओर भेजे गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूत को क़त्ल कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चहेते ज़ैद बिन हारिसा के प्रतिनिधित्व में तीन हज़ार सहाबियों को रवाना किया और फरमायाः "**यदि ज़ैद शहीद हो जाएं जाफर बिन अबू तालिब कमांडर होंगे और यदि जाफर भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा** (रज़ियल्लाहु अन्हुम)" और उधर से हिरक़्ल और उनके संधि-मित्र अरब लोग दो लाख की संख्या में निकले तथा मूअता नामक स्थान पर दोनों की भेंट हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तय किए गए सभी कमांडर शहीद हो गए तो ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा अपने हाथ में लिया और बड़े अच्छे ढ़ंग से सेना का नेतृत्व किया और मुसलमानों को ले कर वहाँ से निकल गए और इस प्रकार अल्लाह तआला ने शत्रुओं से उन लोगों को बचा लिया।

मक्का की महा विजय

इसी वर्ष क़ुरैश के संधि-मित्र बनू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संधि-मित्र क़बीला ख़ुज़ाआ पर आक्रमण कर दिया और क़ुरैश ने भी गुप्त रूप से उनकी सहायता की, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सूचना मिली तो आपने मक्का विजय का निश्चय किया, अबू सुफियान ने मदीना आकर इस विषय में बात करनी चाही परंतु आपने उसकी एक न सुनी, तो उसने अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस संबंध में बात करें परंतु उन दोनों ने इंकार कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला से दुआ किया कि अल्लाह क़ुरैश से इस मामले को गुप्त रखे ताकि उन्हें आपके आक्रमण की ख़बर न हो तो अल्लाह तआला ने आपकी दुआ को क़बूल कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दस हज़ार की संख्या में निकले यहाँ तक कि मक्का में प्रवेश कर गए।

विजय से कुछ देर पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम स्वीकार किया।

और जो बातें आपने मक्का विजय के पूर्व कही थी उनमें से यह भी था किः "**जो सुफियान के घर में प्रवेश कर जाए उसे अमन है, और जो मस्जिद (-ए- ह़राम) में प्रवेश कर जाए उसे अमन है तथा जो अपने घर के द्वार बंद करले उसे भी अमन है**", इस प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम केवल उसी से युद्ध किया जो युद्ध के लिए निकले, सिवाय उन चंद लोगों के जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा मुसलमानों को कष्ट पहुँचाया था आपने उनके प्राण का कोई मुल्य नहीं रखा।

जब आप मक्का में दाख़िल हुए तो बिना एहराम की ही स्थिति में काबा का तवाफ़ किया (चक्कर लगाया), फिर उसमान बिन तल्हा को बोलाया तथा उनसे काबा की कुंजी ले कर उसके अंदर एवं उसके आस-पास जो मूर्तियां थीं सबको तोड़ दिया, फिर कुंजी उसमान बिन तल्हा को वापक कर दी।

मक्का विजय के पश्चात एक बड़ी संख्या ने इस्लाम स्वीकार किया, बल्कि क़बीला के क़बीला लोग मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आते थे।

मूर्तियों को तोड़ना

जब अल्लाह तआला ने अपने नबी को मक्का पर विजय दे दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों को मक्का के आस-पास मूर्तियों को तोड़ने के लिए भेजा, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को सुवाअ को तोड़ने के लिए भेजा, साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुनात तोड़ने के लिए भेजा, ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को उज़्ज़ा तोड़ने के लिए भेजा, तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुल कफ्फैन तोड़ने के लिए तथा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तैई क़बीला का बुत तोड़ने के लिए भेजा।

ग़ज़वा -ए- हुनैन

जब हवाज़िन वालों ने मक्का विजय के बारे में सुना तो एक क़ाफिला ले कर रसूलुलालह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर चला, और अपने संग अपने धन, महिलाए तथा अपने बच्चे भी लाए, रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी ओर बारह हज़ार की संख्या में निकले, उस दिन मुसलमान अपनी संख्या पर आत्ममुग्ध थे यहाँ तक कि जब हुनैन नामक घाटी में पहुँचे तो हवाज़िन ने उनके ऊपर मिल कर एक आदमी के हमला करने के समान मिल कर हमला किया यहाँ तक कि घबराहट के कारण लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से असावधान हो गए, और आपके साथ बस कुछ मुहाजिर और आपके घर वाले रह गए, फिर अल्लाह तआला ने मुसलमानों को हौसला दिया और वो पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए, और आपके संग मिल कर युद्ध किया यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने शत्रुओं के विरुद्ध उन्हें विजयी कर दिया, और हवाज़िन के लोग भाग कर ताइफ़ चले गए।

फिर हवाज़िन के चौदह लोग मुसलमान हो कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और आपसे अपने बंदियों को स्वतंत्र करके उनपर कृपा करने का निवेदन किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया और आपकी देखा-देखी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी ऐसा ही किया।

ग़ज़वा -ए- ताइफ़

जब आप हवाज़िन से फ़ारिग़ हुए तो ग़ज़वा -ए- ताइफ़ का इरादा किया, अतः आप वहाँ आए और उनके क़िला (दुर्ग) का आठ दिन तक घेराव किए रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिन युद्ध किए वापस लौट गए।

ग़ज़वा -ए- तबूक

छठी हिजरी में ग़ज़वा -ए- तबूक (ग़ज़वा -ए- उस्रा (संकट, निर्धनता) की घटना पेश आई, वह समय अत्यंत गर्मी का तथा फलों के पकने एवं छाया में रहने का था, ऐसे समय में युद्ध के लिए निकलना बड़ा कठिन था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निकलने का इरादा किया तो लोगों को ख़र्च करने के लिए उभारा, तो उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु सौ ऊँट मय टाट व कजावा (काठ, हौदा) तथा उसके साथ एक हज़ार दीनार दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**आज के बाद उसमान जो भी करें उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता**", और अन्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी सामर्थ्य भर अल्लाह के मार्ग में ख़र्च किया।

आम मुनाफ़िक़ीन इससे पीछे रहे, और आपके चयनित सहाबा में से भी तीन लोग काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरार बिन रबीअ रज़ियल्लाहु अन्हुम बिना किसी उज्र (विवशता) के पीछे रह गए थे, तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मदीना वापस आने पर क्षमा याचना की, तो उन्हीं के विषय में सूरा तौबा की यह आयत उतरी (और वो तीन लोग जो पीछे रह गए थे)। अल-तौबाः ११८, अल्लाह तआला ने जब उनकी सच्चाई देखी तो उनके तौबा के स्वीकार कर लिया, और इस सूरा में मुनाफ़िक़ों की निंदा की गई है तथा इसी चर्चा पर यह सूरत समाप्त होती है, इसीलिए इस सूरा का फाज़िहा (फजीता करने वाला) रखा गया क्योंकि इसने उन लोगों का फजीता तथा अपयश कर दिया है।

ग़ज़वा -ए- तबूक

इसी ग़ज़वा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐला वालों से जिज़या के ऊपर सुलह (संधि) किया, इसी प्रकार जरबा तथा अज़रह वालों से भी, और उनके लिए परावाना (आदेश-पत्र) लिख कर दिया, एवं दौमा के राजा उकैदिर से भी जिज़या लेकर संधि किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबूक में दस से ऊपर कुछ रातों तक रुके रहे फिर बिना युद्ध हुए मदीना लौट आए।

जब आप लौट कर मदीना आए तो अल्लाह तआला ने मस्जिद -ज़िरार- को ध्वस्त करने का आदेश दिया जिसे मुनाफ़िक़ों ने बनाया था (**हानि पहुँचाने, कुफ़्र करने तथा मोमिनों में दराड़ डालने और उस व्यक्ति के घात में बैठने के लिए जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल से लड़ चुका है**)। अल-तौबाः १०७, अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे ध्वस्त कर दिया, और यह अंतिम ग़ज़वा था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं सम्मिलित हुए थे।

प्रतिनिधी मंडल

ग़ज़वा -ए- तबूक के बाद सक़ीफ़ ने इस्लाम स्वीकार किया, और यह हिजरत का नौवां वर्ष प्रतिनिधि मंडलों का वर्ष कहलाया, क़बाला वाले समूह के समूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर इस्लाम स्वीकार करते थे, इन्हीं में से बनी तमीम का वफ़्द था जिनके सरदार उतारिद बिन हाजिब तमीमी थे, और तैई का वफ़्द (प्रतिनिधि मंडल) जिनके सरदार ज़ैद अल-ख़ैल थे, और अब्दुल क़ैस का वफ़्द जिनके सरदार जारूद अब्दी थे, और बनू हनीफ़ा का वफ़्द भी जिनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब भी था जिसने बाद में चल कर नबूवत का झूठा दावा किया।

अबू बक्र का हज

हिजरते के नौवें वर्ष नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर (सरदार) बना कर हज के लिए भेजा, तो उन्होंने लोगों को हज करके दिखाया, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जो सूरा तौबा की प्रारंभिक आयतें पढ़ते और मुश्रिकीन को उनकी संधि लौटा रहे थे, और लोगों में यह ऐलान कर दिया कि इस वर्ष के बाद से मुश्रिक तथा नंगे लोग काबा का तवाफ़ नहीं कर सकेंगे जैसा वो लोग जाहिलीयत युग में किया करते थे।

हज्जतुल वदा

सन दस हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल वदा (अंतिम हज) किया और आपके संग विभिन्न क़बीलों तथा नगर के लोग निकले यहाँ तक कि संख्या एक लाख पहुँच गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हज के मनासिक (ढ़ंग) बताए, और अरफ़ा के दिन उन्हें ख़ुत्बा (भाषण) दिया और अल्लाह तआला का यह फरमान तिलावत कीः (आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया, और तुम्हारे ऊपर अपनी नियामतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हो गया)। अल-माइदाः ३, इस उन्हें सूचना दी कि इस्लाम पूर्ण हो चुका, और उन्हें क़ुरआन व हदीस़ को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने की वसीयत की और एक के लिए दूसरे का रक्त (प्राण), धन तथा इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करना हराम क़रार दिया, मानो यह आपकी ओर से अंतिम व विदाई वाला ख़ुत्बा था।

उसामा को भेजना

सन ग्यारह हिजरी सफर के महीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोम को लोगों से युद्ध करने के लिए एक सेना तैयार की जिसका सेनापति उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बनाया, अतः जब वो निकले और जुर्फ के स्थान पर पड़ाव डाला कि इसी बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीमारी की सूचना उन्हें मिला।

आप ﷺ के ग़ज़वों का सारांश

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ज़वों, बुऊस़ एवं सरीय्या का का संक्षिप्त विवरण

आपका सभी ग़ज़वा, बुऊस़ तथा सरीय्या (वह सेना जो आपने लड़ाई के लिए भेजे) यह सभी हिजरत के बाद दस वर्ष के अंतराल में हुआ।

जहाँ तक आपके सरीय्या एवं बुऊस़ की बात है तो उनकी संख्या लगभग साठ है, और ग़ज़वों की संख्या २७ है, जिनमें से तीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध लड़ा जो इस प्रकार हैं: बद्र, उहुद, ख़न्दक़, क़ुरैज़ा, मुस़्तलिक़, ख़ैबर, फत्ह, हुनैन, ताइफ, और इनमें से कुछ के संबंध में क़ुरआन भी उतराः

इन ग़ज़वों के संबंध में जो क़ुरआन में अवतरित हुआ

ग़ज़वा -ए- बद्रः इस संबंध में सूरा अन्फाल उतरी, और इसको सूरा बद्र भी कहा जाता है।

ग़ज़वा -ए- उहुदः इस संबंध में सूरा आल -ए- इमरान का अंतिम भाग उतरा, अल्लाह तआला के इस फरमानः (**हे नबी उस समय को याद करो जब आप सुबह ही सुबह आप अपने घरों से निकल कर मोमिनों को युद्ध के मैदान में लड़ाई के मोरचों पर बैठा रहे थे**)। आले इमरानः १२१, से लेकर अंत से कुछ पहले तक।

ग़ज़वा -ए- ख़न्दक़, बनू क़ुरैज़ा और ख़ैबरः इस संबंध में सूरा अह़ज़ाब का कुछ भाग उतरा।

ग़ज़वा -ए- बनू नज़ीरः इस विषय में सूरा ह़श्र नाज़िल हुआ।

ग़ज़वा -ए- हुदैबीय्या व ख़ैबरः इस संबंध में सूरा फ़त्ह नाज़िल हुआ, और इसमें **फ़त्ह** (विजय) की ओर इशारा किया गया है, और सूरा नस्र में स्पष्ट रूप इस फ़त्ह का वर्णन किया गया है।

ग़ज़वा -ए- तबूकः इस विषय में सूरा तौबा की कुछ आयतें नाज़िल हुईं।

एक ग़ज़वा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घायल हुए जो ग़ज़वा -ए- उहुद है, और आप के संग फरिश्तों ने बद्र, उहुद तथा हुनैन में युद्ध लड़ा, और ख़न्दक़ के दिन फरिश्ते अवतरित हुए तो मुश्रिकीन हिला दिए गए और उनको पराजय हुई, और इसी युद्ध में आपने मुश्रिकीन के चेहरों पर कंकर फेंका तो वो भाग गए, और दो युद्धों में आप को विजय प्राप्त हुआः बद्र और हुनैन में, और एक युद्ध ताइफ़ में मिंजनीक़ (मंजनीक, तोप के समान एक यंत्र जिससे पत्थर बरसाए जाते थे) का प्रयोग किया, और ख़न्दक़ के द्वारा एक युद्ध में बचाव किया जोकि अह़ज़ाब है जिसका विचार सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था।

नबी ﷺ की बीमारी और मृत्यु

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीमारी और मृत्यु

फिर अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संसार में रहने तथा अल्लाह से भेंट करने व जन्नत में से एक का चयन करने का अधिकार दिया तो आपने अल्लाह से भेंट और जन्नत को चुना, अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बहुत बीमार हो गये तो आपने अपनी पत्नियों से आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में तीमारदारी (परिचर्या) के लिए रुकने की इच्छा प्रकट की जिसको सभी सहृष स्वीकार कर लिया, जब आपके अंदर मस्जिद में जा कर नमाज़ पढ़ने का शक्ति नहीं बची तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को आदेश दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं जो इस बात की ओर इशारा था कि आप के बाद वही ख़लीफ़ा होंगे।

सन ग्यारह हिजरी सोमवार के दिन बारह रबीउल अव्वल को आप लोगों की ओर निकले जब वो फज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने पर्दा उठाया और दरवाज़ा खोला ताकि उनको देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी ओर इशारा किया कि नमाज़ मुकम्मल करें और आप उनके देख कर मुस्काए, फिर जब चाश्त (सूर्योदय से एक पहर) का समय हुआ तो आपकी मृत्यु हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु सबसे बड़ी विपदा थी जो मुसलमानों पर पड़ी, आपके मृत्यु से मुसलमानों को अत्यंत दुःख पहुँचा।

फिर लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इकट्ठा हुए और आपके लिए ख़लाफ़त की बैअत की, चूँकि आपका सर्वप्रथम इस्लाम स्वीकार करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद इस उम्मत पर सबसे अधिक उपकार करना सर्वविदित था अतः कोई भी आपकी बैअत से पीछे नहीं रहा।

तत्पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को स्नान दिया गया और तीन सफेद कपड़े में कफ़न दिया गया फिर मोमिनों की माता आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में उसी स्थान पर जहाँ आपने अंतिम सांस ली थी वहीं दफ़न किया गया, और नबियों के विषय में यही अल्लाह की सुन्नत रही है कि वो वहीं दफ़न होते हैं जहाँ उनकी मृत्यु होती है, और आपके जनाज़ा की नमाज़ इंसानों एवं जिन्नों ने पढ़ी आप पर मेरे रब का दरूद व सलाम नाज़िल हो, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अमानत अदा कर दिया, उम्मत को नसीहत कर दी, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद का हक़ अदा कर दिया, अल्लाह तआला एक नबी को उसकी उम्मत की ओर से जो बदला दे सकता है उससे बेहतर बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दे, हरेक प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है।

समाप्तिः

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कवि हस्सान बिन साबि ने कहाः

हे मेरे रब, अपने नबी के संग हमें जन्नत में इस प्रकार से इकट्ठा कर कि अति इर्ष्यालु आँखें इससे दूर रहें

जन्नतुल फ़िरदौस में और इसे हमारे भाग्य में लिख दे हे तेज, प्रताप व जलाल, बुलंदी एवं सरादारी वाले

अल्लाह तथा जो उसके अर्श के आस पास हैं और पवित्र आत्मा सभी मुबारक अहमद पर दरूद भेजते हैं

तृतीय परीक्षा

गलत	सही	प्रश्न
☐	☐	❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बकरियां चराईं और आपक सब्र, निर्धनों एवं दुर्बलों पर कृपा एवं उनका ध्यान रखना का यह भी एक कारण था
☐	☐	❁ जब आपकी आयु चालीस वर्ष हुई तो आप पर नबूवत का सूरज चमका, और अल्लाह तआला ने जुमा (शुक्रवार) के दिन आप को रिसालत दे कर सम्मानित किया
☐	☐	❁ रसूलुल्लाह के प्रति क़ुरैश का अत्याचार बहुत बढ़ गया यहाँ तक कि आपको तीन वर्ष के लिए अबू तालिब का घाटी में क़ैद कर दिया, और जब आप घाटी से निकले तो आपकी उम्र ४९ वर्ष हो चुकी थी

❁ आप मक्का में पैदा हुए: ☐ फ़ील वाले साल ☐ हिजरत से ५३ वर्ष पूर्व ☐ सभी

❁ आपके वह्य के प्रारंभिक दौर मे: ☐ आप एकांतप्रिय थे ☐ सच्चा सपना ☐ सभी

❁ वह्य की श्रेणियों की संख्या: ☐ पाँच ☐ सात ☐ तीन

❁ आप के दावत की श्रेणी: ☐ दो ☐ तीन ☐ पाँच

❁ फिर आपको सशरीर व प्राण रात्रि में मस्जिद -ए- अक़्सा ले जाया गया, फिर वहाँ से सातों आसमान के ऊपर (....) अल्लाह के पास ले जाया गया जहाँ अल्लाह ने आपसे वार्तालाप किया और आप के ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ किया: ☐ सशरीर ☐ सप्राण ☐ शरीर एवं प्राण के साथ

❁ इस्लाम की सर्वप्रथम मस्जिद है: ☐ हराम ☐ नबवी ☐ अक़्सा ☐ क़ुबा

❁ क़िबला परिवर्तन हुआ था: ☐ हिजरत के पूर्व मक्का में ☐ हिजरत के दूसरे वर्ष ☐ हिजरत के तीसरे वर्ष

❁ ग़ज़वा -ए- बद्र रमज़ान में सन: ☐ दो हिजरी में हुआ था ☐ तीन हिजरी में हुआ था

अबू बकर सिद्दीक़	ज़ैद बिन हारिसा	बिलाल बिन रबाह	अली बिन अबू तालिब	**सर्वप्रथम जो रसूल पर ईमान लाए**
☐	☐	☐	☐	पुरूषों में
☐	☐	☐	☐	बच्चों में में
☐	☐	☐	☐	स्वतंत्र दासों में
☐	☐	☐	☐	दासों में

सात वर्ष	अब्दुल्लाह की मृत्यु हुई	लगभग सात वर्ष	अब्दुल मुत्तलिब	अबू तालिब ने	**आपका लालन-पालन**
☐	☐	☐	☐	☐	आपकी माता के बाद आपके दादा ... ने पाला
☐	☐	☐	☐	☐	फिर उनकी मृत्यु हुई और आपकी आयु थी
☐	☐	☐	☐	☐	उसके बाद आपके सगे चाचा ... आपका पालन किया
☐	☐	☐	☐	☐	और आप अभी गर्भ में थे
☐	☐	☐	☐	☐	आपकी माता का देहांत हुआ और आपकी आयु

केवल एक ग़ज़वा में	उनमें से नौ में	सत्ताईस	साठ	दस साल	**आपके ग़ज़वा व आपके द्वारा भेजी हुई सेना (बुऊ़स)**
☐	☐	☐	☐	☐	आपके समस्त ग़ज़वा व बुऊ़स हिजरत के पश्चात मात्र ... में हुए
☐	☐	☐	☐	☐	आपके सरीय्या व बुऊ़स की संख्या है लगभग
☐	☐	☐	☐	☐	आपके ग़ज़वा की संख्या
☐	☐	☐	☐	☐	आपने युद्ध लड़ा
☐	☐	☐	☐	☐	आप घायल हुए

विषय - सूची

- प्राक्कथन 3
- नबी ﷺ गुण 5
- प्रथम परीक्षा 13
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत 15
- द्वितीय परीक्षा 20
- आप ﷺ की विशेषताएं 23
- आप ﷺ की पत्नियाँ एवं सगे-संबंधी 26
- नबूवत के पूर्व आप ﷺ की सीरत 31
- वह्य का आरंभ 33
- आप ﷺ की सीरत का मक्की काल 36
- आप ﷺ की सीरत की मदनी काल 39
- आप ﷺ के ग़ज़वों का सारांश 46
- आप ﷺ की बीमारी और मृत्यु 47
- तृतीय परीक्षा 48
- विषय – सूची 50

وقف لله تعالى لا يجوز بيعه

مترجم إلى اللغة الهندية



شرح متن
الدُّروس المهمَّة لعامَّة الأمَّة
आम जनता के लिए महत्वपूर्ण पाठ

लेखक: शैख इमाम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज (رحمه الله)

व्याख्याकर्ता:

शैख हैथम बिन मुहम्मद जमील सरहान (حفظه الله)

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिदे नबवी

हिंदी अनुवाद:

डॉ. मुजाहिदुल इस्लाम मदनी

شرح متن

الدُّروس المهمَّة لعامَّة الأمَّة

आम जनता के लिए महत्वपूर्ण पाठ

लेखक: शैख इमाम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज(رحمه الله)

व्याख्याकर्ता:

शैख हैथम बिन मुहम्मद जमील सरहान(حفظه الله)

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिदे नबवी

हिंदी अनुवाद:

डॉ. मुजाहिदुल इस्लाम मदनी

الطَّبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظةٌ

إلَّا من أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّانًا بعد مراجعة المؤلِّف

الرَّجاء التَّواصل على:

islamtorrent@gmail.com

mujahidulislam74@yahoo.com

लेखक के प्रस्तावना की व्याख्या

शैख व इमाम अब्दुल-अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज(رحمه الله)ने फरमाया:
सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहाँ का रब है। और अच्छा परिणाम उनके लिए जो परहेजगार हैं, और दुरूद व सलाम नाजिल हों उनके बन्दे और रसूल, हमारे नबी मोहम्मद(ﷺ)पर, और उनके परिवार व साथियों पर, इसके बाद..
ये कुछ संक्षिप्त बातें हैं, जिसमें उन चीजों की व्याख्या व वर्णन है, जिसे आम जनता को दीने इस्लाम के संबंध में जानना जरुरी है, इसी लिए हमने इसका नाम: "आम जनता के लिए महत्वपूर्ण पाठ" रखा है, अल्लाह से दुआ है कि इस किताब को मुसलमानों के लिए लाभकारी बनाए, और मेरी तरफ से इस विनम्र कार्य को कबूल फरमाये, बेशक वे उदारवादी और करम करने वाले हैं।

अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज।

हम यह किताब (महत्वपूर्ण पाठ) क्यों पढ़ें?

क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि लेखक ने उसका नाम ही रखा है, और उलेमा ने उसे पढ़ने की नसीहत की है।
अगर कोई कहे कि यह किताब आम जनता के लिए है, और मैं तो तालिबे इल्म हुं, मेरा दर्जा उन से ऊपर है।
जवाब: हम उससे इस किताब में मौजूद ज्ञान के बारे में प्रश्न करेंगे, अगर उसे पता ना हो, तो मानना पड़ेगा कि आम जनता उस से बेहतर है। और तालिबे इल्म को चाहिए कि विनम्र रहे, और इल्म व उलेमा पर श्रेष्ठता ना दिखाए, और परहेजगार उलेमा के नक्शे कदम पर चले। सहीह बुखारी में आया है कि मुजाहिद(رحمه الله)ने फरमाया: शर्मीला और अहंकारी व्यक्ति ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता।

इस किताब(महत्वपूर्ण पाठ) में किन चीजों का बयान है?

1- इस चीज का बयान है कि हमारे नेक पूर्वजों का बरताव कुरआन के साथ कैसा था, उसे पढ़ने, हिफ्ज करने, गौर व फिक्र, व अमल करने में।

2- इस किताब में इस्लाम, ईमान, इहसान, तौहीद और शिर्क के प्रकारों का व्याख्या व वर्णन है।

3- इसमें नमाज की व्याख्या व वर्णन है।

4- इसमें वुजू की व्याख्या व वर्णन है।

5- इसमें दीनी अख्लाक को अपनाने, और इसलामी स्वभाव में खुद को ढालने का बयान है।

6- इसमें शिर्क और तमाम प्रकार की बुराइयों से डराया गया है।

7- इसमें मृतकों के कफन दफन, नमाजे जनाजा, और दफनाने की विधि का बयान व वर्णन है।

उलेमा अपनी किताबों को बिस्मिल्लाह से क्यों आरंभ करते हैं

कुरआने करीम और नबीयों व रसूलों के हुक्म का पालन करते हुए।	उस हदीस का सहारा लेते हुए जिस में यह कहा गया, कि हर वह काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए, वह अधूरा है। अगर चे हदीस जईफ है।	नेक पूर्वज उलेमा का अनुसरण करते हुए।	अल्लाह के नाम से बर्कत् व भलाई हासिल करते हुए।

पहला पाठ

सूरह फातिहा और छोटी सुरतों के बारे में

सूरह फातिहा और छोटी सुरतें (यानी सुरा जिल्जाल से सुरा नास् तक) जरुरी है इन को तल्कीन करना, पढ़ाई को शुद्ध कर लेना, हिफ्ज करना, और जहाँ जरुरी हो व्याख्या जान लेना ।

स्पष्टीकरण:

मुनासिब है कि नेक पूर्वजों का अनुसरण करते हुए, हर रोज दस आयतें हिफ्ज की जाएँ, साथ में उसकी व्याख्या किसी अच्छी संक्षिप्त तफ्सीर से पढ़ ली जाए, जैसे तफ्सीरे इब्ने सादी(رحمه الله)। और उस पर अमल करने के लिए आल्लाह से सहायता मांगी जाए।

तालिबे इल्म किस तफ्सीर से शुरु करे?

तालिबे इल्म के लिए मुनासिब है कि शैख अब्दुर रहमान बिन नासिर अस्-सादी की तफ्सीर जिसका पुरा नाम है (तैसीर अल-करीम अर-रहमान फी तफ्सीरे कलामिल-मन्नान) से शुरू करे, अल्लाह उन पर रहम करे और क्षमा प्रदान करे।

क्यों इस तफ्सीर से शुरू करे?

उलेमाए किराम ने उसे पढ़ने की नसीहत की, और खुद भी उसका पालन किया।	यह एक संक्षिप्त तफ्सीर है, जिसे पढ़ना एक आरंभिक छात्र के लिए मुनासिब है।	उसकी इबारत् सहज और स्पष्ट है, जिस में किसी प्रकार की पेचीदगी नहीं है।	कुरआने करीम पर अमल करने में मदद्गार साबित होगी।	क्योंकि लेखक ने तौहीद के मुद्दे पर ज्यादा फोकस किया है

कुरआन के साथ बरताव में लोगों के प्रकार:
कुरआन के साथ बरताव में लोग तीन प्रकार के हैं। उग्र रवैया वाले, सुस्ती करने वाले, और बीच वाले

बीच का रवैया वाले:
इस प्रकार के लोग कुरआन को नियमित पढ़ते, हिफ्ज करते, समझते, और अमल करने में अल्लाह से मदद तलब करते हैं। यह नेक पूर्वजों और उनके मानने वालों का तरीका है।

उग्र रवैया वाले:
इस प्रकार के लोग कुरआन पढ़ते और हिफ्ज करते हैं, लेकिन बिना समझे और अमल किये।

सुस्ती करने वाले:
इस प्रकार के लोग कुरआन से दूर रहते हैं, और वह इस तरह होता है:

- कुरआन से शिफा हासिल ना करना
- कुरआन पर अमल ना करना
- कुरआन में गौर व फिक्र ना करना
- कुरआन का हिफ्ज ना करना
- कुरआन का ना पढ़ना

अल्लाह तआला ने फरमाया: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)
अनुवाद: और रसूल(ﷺ)कहेंगे कि ऐ मेरे पर्वरदिगार, बे शक मेरी कौम ने इस कुरआन को छोड़ रखा था(फुर्कान:30)। और नबी(ﷺ)ने एक शख्स के बारे में फरमाया था कि इस की नस्ल से ऐसे लोग निकलेंगे जो कुरआन की तिलावत् तो खूब करेंगे, लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, वे मुसल्मानों का कत्ल करेंगे, और बुतपरस्तों को छोड़ देंगे, और इस्लाम से इस तरह दूर भागेंगे जैसे तीर कमान से भागता है,यदि मैंने उनको पा लिया, तो कौमे आद की तरह कत्ल करुंगा। (बुखारी:7432)

अल्लामा अब्दुर रहमान अस्-सादी की किताब (तैसीर अल-करीम अर-रहमान फी तफ्सीरे कलामिल-मन्नान) से चुना हुआ कुछ अंश, और इस पर आधारित प्रश्न व उत्तर।

○○○○○○○○○○

सूरह फातिहा की तफ्सीर, और यह मक्की सूरह है।

﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾

अनुवाद: शुरु करता हुं अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। सारी प्रशंसाएँ अल्लाह ही के लिए हैं, जो सारे संसार का रब है। बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है। बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। हमें सीधे मार्ग पर चला। उन लोगों के मार्ग पर जो तेरे कृपापात्र हुए, जो न प्रकोप के भागी हुए और न पथभ्रष्ट हुए।

व्याख्या:

(1)अर्थात मैं अल्लाह के हर नाम से शुरु करता हूँ,क्योंकि इस्म(اسم) एकवचन शब्द व मुजाफ है, इसलिए तमाम अस्माए हुस्ना को शामिल है। (الله)अर्थात पुजने व इबादत् करने के योग्य, जो अकेले ही सारी इबादतों का हक्दार है, क्योंकि सिर्फ वही दिव्यता व पूर्णता के गुण रखता है।

(ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)यह दो नाम हैं, जो इस बात पर दलालत करते हैं, कि अल्लाह महान है, दया करुणा व रहमत का मालिक है, उसकी रहमत हर चीज को घेरा हुआ है। और यह दया, करुणा व रहमत, उसने अपने उन बन्दों के लिए लिख दिया है, जो नबियों व रसूलों का अनुसरण करते हैं। उन के लिए पूरी रहमत है, जबकि उन के सिवा दूसरों के लिए रहमत का कुछ अंश।

मालुम होना चाहिए कि अल्लाह के अस्मा(नामों) व सिफात(गुणों) और अहकामे सिफात पर ईमान लाना, दीन के उन नियमों में शुमार होता है, जिन पर उम्मत के सलफ्(नेक पूर्वजों)व इमामों का इत्तेफाक है। उदाहरण के लिए: वे ईमान रखते हैं कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, और रहमत का मालिक है, जो उनकी विशेषता है, जो रहम किये हुए शख्स से जुड़ा है। तमाम नेमतें अल्लाह की रहमत की निशानियाँ हैं, और यही नियम तमाम अस्मा(नामों)पर लागु होता है। तो(العليم)के बारे में कहा जाएगा कि अल्लाह अलीम है, इल्म वाला है, और उस इल्म से हर चीज को जानता है। वह(قدير)है, कुदरत वाला है, और हर चीज पर कुदरत रखता है।

(2)(ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ)यह अल्लाह की प्रशंसा है, पूर्णता के गुणों के जरिए, और उनके उन कार्यों के जरिए, जो पुण्य और न्याय के बीच ही घूमता है। तो इसमें अल्लाह के लिए सभी पहलू से पूर्ण प्रशंसा है। (رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ) रब्ब वह हस्ती होता है जो तमाम जहानों(यानी अल्लाह के सिवा तमाम मख्लूक) की तर्बियत करता है, उन को पैदा करके, उनके लिए सारा सामान तैयार करके, और बड़ी नेमतों से नवाज् कर, जो अगर ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए। तो मख्लुक के पास जो भी नेमतें हैं सब अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह की तर्बियत व पर्वरिश् दो तरह की होती है। आम परवरिश् और खास परवरिश्

आम परवरिश् होती है मख्लूक को पैदा करना,आजीविका का प्रबंध करना, और उन चीजों की तरफ उनका मार्गदर्शन करना, जिनसे वे दुनिया में जीवित व बाकी रह सकें।

खास परवरिश् यह होती है कि अल्लाह अपने नेक बन्दों पर खास ध्यान दे। और ईमान के जरिए उनकी तर्बियत करे, ईमान की तौफीक से नवाजे, और उसे पूर्ण कराये। उन तमाम चीजों को उन से दुर रखे, जो सच्चे मार्ग पर चलने से उनको रोकता है, और अल्लाह व बन्दों के बीच रुकावट बनता है। उसकी हकीकत यह है कि हर भलाई की तौफीक के लिए और हर बुराई से हिफाजत के लिए अल्लाह उनकी पर्वरिश् करे।

शायद यही राज है कि नबियों की अधिकांश दुआएं (रब्ब)शब्द के साथ हैं, क्योंकि उनकी तमाम माँगें खास रुबूबियत(आधिपत्य) के तहत आती हैं। अल्लाह का कलाम(رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ)यह संदेश देता है कि वे अकेले ही निर्माण, प्रबंधन, व नवाजिश् का मालिक है। और वे पूर्ण बे नियाज, और पूरी दुनिया हर एतबार से उनका मोहताज है।

(4)(مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ)मालिक वह व्यक्तित्व है,जो मालिकाना गुणों से भरपूर हो, जिसकी ताकत यह हो कि वह आदेश दे, मना करे, दंडित करे, व इनाम से नवाजे, और अपने मातेहत् पर हर प्रकार का तसर्रुफ् कर सके। और मिल्कियत(स्वामित्व)को कयामत् के दिन के साथ जोड़ा गया, जिस दिन लोगों को अच्छे और बुरे का बदला दिया जायेगा, क्योंकि उस दिन बन्दों के सामने अल्लाह की पूर्ण बाद्शाहत्, इन्साफ्, बुद्धिमत्ता, और बन्दों की स्वामित्व का अंत, पुरी तरह जाहिर हो जाएगा। यहाँ तक कि उस दिन बादशाह, आम नागरिक, गुलाम व आजाद, सब बराबर होंगे। उस रोज तमाम मख्लूक उसकी महानता के सामने आज्ञाकारी बने रहेंगे, और बदले का इंतजार कर रहे होंगे, इनाम के उम्मीदवार, व सजा से भयभीत होंगे। इसी वजह से उस दिन की स्वामित्व का खास जिक्र हुआ, अगरचे अल्लाह कयामत के दिन और बाकी दिनों के भी मालिक हैं।

(5) إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ यानी इबादत् और सहायता माँगने में सिर्फ और सिर्फ तुझे खास करते हैं, क्योंकि नहवी व्याकरणानुसार मामूल का पहले आना सीमीत होने का फायदा देता है, यानी उल्लेखित के लिए हुक्म साबित करना, और दूसरों से संपूर्ण मनाही करना। गोया कि बन्दा कह रहा है, कि हम तेरी ही इबादत् करते हैं, और तेरे सिवा किसी और की इबादत् नहीं करते, और सिर्फ तुझ से ही मदद् माँगते हैं, और तेरे सिवा किसी और से मदद् नहीं माँगते। इबादत् को तलबे मदद् से पहले जिक्र करना, आम को खास से आगे करना है। और इसी तरह अल्लाह के हक् को बन्दे के हक् से पहले बयान करना है।

और इबादत कहते हैं उन तमाम जाहिरी और छिपे हूए कार्यों और बातों के समूह को, जिसे अल्लाह पसन्द करता और उससे राजी होता है। और(استعانة)कहते हैं, लाभ हासिल करने, और नुक्सान को दूर करने में अल्लाह पर पूरी तरह निर्भरता को, साथ में उसके हासिल होने का पूरा भरोसा हो। अल्लाह की इबादत् करना और उनसे मदद् तलब करना स्थायी खूशी की गारंटी, और सारी बुराई से बचने का एकमात्र साधन है, और इन दोनों से ही नजात का रास्ता हासिल किया जा सकता है। और इबादत् सिर्फ उसी वक्त इबादत् कहलाएगी, जब वह नबी(ﷺ)के बताए हुए विधिअनुसार किया गया हो,और अल्लाह की रजामंदी के लिए किया गया हो। इन दोनों शर्तों से ही इबादत् सही हो सकती है। इबादत के बाद मदद माँगने का जिक्र हुआ, जबकि वह उसी में दाखिल है, तो वह इसलिए हुआ कि बन्दे को हर इबादत् में मदद् माँगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अल्लाह उसकी मदद् ना करे, तो वह सब कुछ नहीं कर सकता, जो वह करना चाहता है, यानी नेकी के कार्य, और बुराई से परहेज।

(6)फिर अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया:(ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ)हम सबको सीधे मार्ग पर चला: अर्थात हमें सीधे पथ पर चलने का रास्ता दिखा, और उसकी तौफीक भी प्रदान कर। और(ٱلۡمُسۡتَقِيمَ)उस मार्ग को कहते हैं जो अल्लाह और उसकी जन्नत तक ले जाए। और यह हक को जानने और उस पर अमल करने का नाम है। सीधे मार्ग की तरफ हिदायत का मतलब इस्लाम धर्म को मजबूती से पकड़ना, और उसके सिवा अन्य धर्मों को छोड़ देना। मार्ग में हिदायत मिलना, तमाम दीनी मामलात में इल्म व अमल के एतबार से हिदायत को शामिल है। इसी लिए यह दुआ व्यापक और अधिक उपयोगी है। और इंसान पर वाजिब है कि नमाज की हर रकअत में इसके जरिए अल्लाह से दुआ माँगे, क्योंकि उसे इसकी सख्त जरूरत है।

(7)और यह सीधा रास्ता ही नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, और नेकों का रास्ता है, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और यह उन लोगों का रास्ता नहीं, जिन पर क्रोध नाजिल हुआ, और जिनहोंने हक को पहचान कर भी उसे छोड़ दिए,जैसे यहूद वगैरह, और पथभ्रष्ट लोगों का रास्ता भी नहीं, जिन्होंने अज्ञानता और गलत मार्गदर्शन के कारण हक को छोड़ दिया, जैसे ईसाई वगैरह। यह सूरह संक्षिप्त होने के बावजूद, इसमें ऐसी सामग्री मौजूद है, जो कुरआन के किसी दूसरे सूरह में नहीं है, यह तौहीद के तीनों प्रकार को शामिल है।

पहला तौहीद-ए-रुबूबियत (रब होने की तौहीद) यह अल्लाह के कलाम(رب العالمين) में पाया जाता है

दूसरा तौहीद-ए-उलूहियत (इबादत वाली तौहीद)यह शब्द(الله)और (إياك نعبد وإياك نستعين) में पाया जाता है

तीसरा तौहीद अल आस्मा वल सिफात**(**नामों और गुणों की तौहीद)। इसका अर्थ यह है कि अल्लाह तआला के कुछ अच्छे नाम और उच्च गुण हैं। जिनका उल्लेख कुरआन व हदीस में हुआ है। इन सब को बिना समानता, कैफियत, निरस्तिकरण, और हेर-फेर के, मान लेना चाहिए। यह अल्लाह के कलाम(ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)में पाया जाता है। इसी तरह अल्लाह के कलाम (ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ) में नबूवत् को साबित किया गया है। क्योंकि सीधे रास्ते की तरफ मार्गदर्शन नबूवत के बिना मुमकिन नहीं। इंसान को उनके कर्मों का बदला देना, अल्लाह के इस कलाम(مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ)में मौजूद है, और निस्संदेह बदला इन्साफ के साथ ही दिया जाएगा, क्योंकि(الدين)का अर्थ है इन्साफ के साथ बदला देना। और यह सूरह तक्दीर को साबित करता है, और यह भी साबित करता है कि वास्तव में बन्दा ही कर्ता है, जो कद्रिया और जब्रिया के अकीदे के विपरीत है। बल्कि इस सूरह के इस आयत(ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ)में तमाम गुमराह फिर्कों और नवाचारों का रद्द है। क्योंकि सिराते मुस्तकीम से मुराद हक की जानकारी और उस पर अमल करना है। और हर गुमराह व नवाचारी हक का विरोधी है।

(إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ) इस बात को शामिल है कि इबादत् व मदद् माँगने में दीन को अल्लाह के लिए खालिस रखा जाए।

आयत अल-कुर्सी की तफ्सीर

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾

अनुवाद: वह अल्लाह जिसके सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं, वह जीवन्त-सत्ता है, सबको संभालने और कायम रखनेवाला है। उसे न ऊँघ लगती है और न निद्रा। उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। और वे उसके ज्ञान में से किसी चीज पर हावी नहीं हो सकते, सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसकी कुर्सी आकाशों और धरती को व्याप्त है और उनकी सुरक्षा उसके लिए तनिक भी भारी नहीं और वह उच्च व महान है।

व्याख्या: नबी करीम(ﷺ)के फरमान के मुताबिक यह आयत, कुरआन मजीद की सब से महान आयत है, इसमें आल्लाह तआला की तौहीद, महानता, और गुणों के व्यापक होने का अर्थ बयान किया गया है। अल्लाह तआला ने अपने बारे में फरमाया कि वे अल्लाह हैं,जिसके लिए उलूहियत(देवत्व) के तमाम अर्थ साबित हैं। और उलूहियत् व इबादत् का हकदार सिर्फ वह हैं, उसके सिवा हर एक की उलूहियत् व इबादत् बातिल है।

(ٱلۡحَيُّ)से मुराद वह हस्ती है जिसे पूर्ण जीवन की वास्तविकता हासिल हो, जैसे सुनना, देखना, जानना, और कुदरत रखना, इत्यादि। बिल्कुल उसी तरह जैसे(القيوم)में अल्लाह तआला के तमाम कार्यों की वास्तविकता मौजूद है। क्योंकि वह कय्युम है, जो खुद से कायम है, और अपनी तमाम मख्लुक से बे नियाज है, और उन से ही तमाम मौजूद चीजें कायम हैं। उसी ने उन्हें वजूद बख्शा, बाकी रखा, और बाकी रहने के लिए तमाम सहायता मुहैया किए।

अल्लाह के हयात व कय्युमियत के पूर्ण होने का प्रभाव यह भी है कि उनहें ऊँघ और नींद नहीं आती। क्योंकि ऊँघ और नींद मख्लूक को ही आती है, जो कमजोर और असहाय हैं, महानता अभिमान और पराक्रम वाले को नहीं आती। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वह आकाश और पृथ्वी के सब कुछ का मालिक है। और सब उनके बन्दे और दास हैं, कोई इस हैसियत से बाहर नहीं। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है, सब रहमान(अल्लाह)के पास बन्दा और दास बन कर आने वाले हैं।(मर्यम:93) वे मालिक हैं बाकी सब उनके आदेश के नीचे, उसी के लिए स्वामित्व, महानता व शक्ति के सारे गुण हैं। उनकी पूर्ण बादशाहत का परिणाम है कि उनकी अनुमति के बिना कोई शिफारिश नहीं कर सकता। तमाम गणमान्य व्यक्ति और शिफारिश करने वाले, उनके बन्दे और दास हैं, उनकी अनुमति के बिना शिफारिश के लिए कोई आगे बढ़ ही नही सकता। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह के लिए ही तमाम शिफारिशें हैं, उसी के लिए आस्मान व जमीन की बाद्शाहत है।(अज-जुमर:44)। और अल्लाह सिर्फ उसी को इजाजत देंगे जिस से वे प्रसन्न होंगे, और अल्लाह को सिर्फ तौहीद व नबी(ﷺ)की इत्तिबा ही प्रसन्न कर सकती है।जिसने यह दोनों कार्य ना किये हों,उस का शिफारिश में कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर अल्लाह तआला ने अपने व्यापक इल्म व ज्ञान के बारे में खबर दिया कि वे उनके अतीत व भविष्य के पूरे हालात को जानते हैं। उन पर कोई चीज पोशीदा नहीं है, यहाँ तक कि आँख की खियानत व सीने में छिपे हूए भेद को भी जानता है। मख्लूक में से कोई भी अल्लाह तआला के इल्म पर हावी नहीं हो सकता, मगर अल्लाह जितना चाहे बता दे, जैसे कुछ शरई और तक्दीर की चीजें। और यह अल्लाह के महान ज्ञान के सामने एक छोटा सा अंशमात्र है। जैसे कि अल्लाह तआला के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले रसूलों और फरिश्तों ने अल्लाह से मुखातिब होकर कहा: आप पाक हैं, हमें उतना ही इल्म है

जितना आप ने हमें बताया।(अल-बकरह:32)। फिर अल्लाह तआला ने अपनी महानता के बारे में जानकारी दी, कि उसकी कुर्सी आस्मान व जमीन को समायी हुई है। और एक विशेष सिस्टम जिसे संसार के अन्दर बना के रखा गया, के जरिए आस्मान व जमीन और उसमें बसने वालों का संरक्षण करता है। उन दोनों की हिफाजत अल्लाह तआला को भारी नहीं पड़ती, क्योंकि वे अत्याधिक महान, ताकतवर, और अहकाम में व्यापक हिक्मत रखने वाले हैं। वे अपने आप में और महान गुणों में तमाम मख्लूक से ऊपर हैं। वे इतना सर्वश्रेष्ठ हैं कि, मख्लूकों पर गालिब, मौजूदात उनके फरमांबरदार और गर्दनें उसके अधीन हैं। (العظيم)का अर्थ है महानता अभिमान और महिमा के तमाम गुण एकत्र करने वाला, जिससे दिलें मुहब्बत करे, रूहें सम्मान करे। और जानने वाले जानते हैं कि, हर चीज की महानता चाहे वह कितनी हो, अल्लाह तआला की महानता के सामने बहुत कम है।

तो जो आयत इन तमाम सामग्री को समेटी हुई है, हकदार है कि पूरे कुरआन की सबसे महान आयत शुमार की जाए। और जो उसे समझकर और गौर करके पढ़े, उसका दिल यकीन, ज्ञान और ईमान से भर जाए, और वह शैतान की बुराइयों से बच जाए।

सूरह जिलजाल की तफ्सीर, और यह मदनी सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا ۝١ وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝٣ يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٦ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨﴾.

अनुवाद:जब धरती इस प्रकार हिला डाली जाएगी जैसा उसे हिलाया जाना है, और धरती अपने बोझ बाहर निकाल देगी, और मनुष्य कहेगा, उसे क्या हो गया है?

उस दिन वह अपनी खबरें सुनाएगी, इस कारण कि तुम्हारे रब ने उसे यही संकेत किया होगा, उस दिन लोग अलग-अलग निकलेंगे, ताकि उन्हें उनके कर्म दिखाए जाएँ। अतः जो कोई कणभर भी नेकी करेगा, वह उसे देख लेगा, और जो कोई कणभर भी बुराई करेगा, वह भी उसे देख लेगा।

व्याख्या:(1-2)अल्लाह तआला उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो कयामत के दिन होने वाले हैं, जैसे धरती में कंपन होना, काँपना थरथराना, यहाँ तक कि उस पर मौजूद तमाम इमारतों और स्थलों का गिर कर खत्म हो जाना, उस दिन जमीन पर मौजूद तमाम पहाड़ों के टुकड़े हो जाएँगे, उस के टीले बराबर कर दिये जाएँगे, जमीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगी, और ऊँच नीच नहीं रहेगी। (وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا)जमीन अपना बोझ निकाल देगी, यानी जमीन के पेट में जो खजाने और मुर्दे हैं वह उन्हें निकाल फेंकेगी।

(3)(وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا)जब इंसान भयंकर हालात को देखेगा तो कहेगा की इसे क्या हो गया, कोन सी चीज पेश आयी है।

(4-5)(يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا)उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी,अर्थात कार्य करने वालों के अच्छे बुरे कार्यों की गवाही देगी। जो उन्होंने उसकी पीठ पर किये हैं। क्योंकि जमीन भी उन गवाहों में शुमार होगी, जो बन्दों के खिलाफ उन के कार्यों की गवाही देंगे। यह सब इस लिए होगा क्योंकि अल्लाह तआला उसको हुक्म देगा कि उन तमाम कार्यों के बारे में खबर दे, जो उसके ऊपर किये गए हैं, तब धर्ती नाफरमानी नहीं करेगी।

(6)(يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ)उस दिन लोग विभिन्न गिरोहों में कयामत के मैदान में आएँगे, जब अल्लाह उनके बीच फैसला करेंगे। ताकि अल्लाह उनको उन की बुराईयाँ और नेकियाँ दिखाएँ जो उन्होंने किये थे, और अपने कार्यों के बदले का दर्शन वह स्वयं करें।

(7-8) जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा, और जिसने

जर्रा बराबर गुनाह किया होगा उसे भी देखेगा। यह अच्छे और बुरे सारे कार्यों को शामिल है। क्योंकि जब वे जर्रा भर वजन को देख सकेगा जो कि सब से छोटी चीज है, और उसका बदला देगा तो वह कार्य जो उससे बड़ा हो उन को दिखाना ज्यादा आसान है। अल्लाह ने फरमाया: जिस दिन इंसान अपने अच्छे और बुरे कार्यों को मौजूद पायेगा और कामना करेगा कि काश उसके और बुराईयों के बीच बहुत लंबी दुरी होती। (आले-इमरान:30)। और उन्होंने जो कार्य किये थे उनको मौजूद पाएँगे।(अल-कहफ:49) इन आयात में भलाई के कार्य का प्रोत्साहन है अगरचे कम ही हो, और बुराई के कार्यों से डराया गया है अगरचे मामूली हो।

oooooooooo

सूरह आदियात की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلۡعَٰدِيَٰتِ ضَبۡحٗا ١ فَٱلۡمُورِيَٰتِ قَدۡحٗا ٢ فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحٗا ٣ فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا ٤ فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡعًا ٥ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ ٦ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ ٧ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ ٨ أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ ٩ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ ١١ ﴾

अनुवाद: हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। फिर ठोकरों से चिन्गारियाँ निकालने वालों की कसम। फिर सुबह सवेरे धावा बोलने वालों की कसम। उसमें उन्होंने गर्द-गुबार उड़ाया, और फौज के दल में जा घुसा। निस्संदेह मनुष्य अपने रब का बड़ा अकृतज्ञ है। और निश्चय ही वह स्वयं इसपर गवाह है। और निश्चय ही वह धन के मोह में बड़ा सख्त है। तो क्या वह जानता नहीं कि जब उगलवा लिया जाएगा जो कब्रों में है। और जाहिर कर दी जाएगी जो बातें सीनों में हैं। निस्संदेह उनका रब उस दिन उनकी पूरी खबर रखता होगा।

व्याख्या: (1)अल्लाह तआला ने घोड़ों की कसम खाई क्योंकि उनके अन्दर अल्लाह तआला की प्रतिभाशाली निशानियाँ और स्पष्ट नेमतें हैं, जो तमाम इन्सानों को मालुम है। और घोड़े के उन गुणों की कसम खाई, जिनमें कोई भी जानवर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी लिए फरमाया हाँपते हूए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। यानी बड़ी कुव्वत के साथ दोड़ने वाले घोड़े, जब उन से हाँपने की आवाज आ रही हो। (الضبح)कहते हैं घोड़ों की साँस की आवाज को, जो तेज दोड़ते वक्त उनके सीनों से निकलती है।

(2)(فَٱلۡمُورِيَٰتِ)अपने खुरों से पत्थरों पर चिंगारियाँ निकालने वाले। (قَدۡحًا) यानी जब वह घोड़े दोड़ते हैं तो उन के खुरों की सख्ती और कुव्वत से आग निकलती है।

(3)(فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحًا) सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करने वाले की। क्योंकि अधिकतर आक्रमण सुबह के वक्त ही किया जाता है।

(4-5)(فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعًا)यानी अपने दौड़ने और हमला करने के जरिए गुबार उड़ाते हैं, फिर अपने सवार के साथ दुश्मन के जत्थों के बीच जा घुसते हैं।

(6)कसम का जवाब है अल्लाह तआला का यह कलाम(إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ) बेशक मानव अपने रब का ना शुकरा है।अर्थात वह उस भलाई को रोक लेता है जिससे अल्लाह ने उसे नवाजा, क्योंकि इंसान का स्वाभाव यह है कि उसका दिल उन हकों के बारे में जो उसके जिम्मा है उदारता नहीं दिखाता, कि उसे पूरा-पूरा अदा करदे, बल्कि उसके जिम्मे जो वित्तीय या शरीरीक कर्तव्य हैं, उनके बारे में वह सुस्ती करता है। सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है, और उस ने बखीली को छोड़कर हकों की अदाइगी व उदारता को इख्तियार किया है।

(7)(وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ)अर्थात इंसान जो अनुमति ना देने और ना शुकरी करने में मशहूर है, बेशक वह स्वयं उस पर गवाह है,उसे ना झुठला सकता है, ना इंकार कर सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट और जाहिर है।

और इसमें यह भी संभव है कि जमीर अल्लाह की तरफ लौटती हो, और अर्थ यह हो की बन्दा अपने रब का ना शुकरा है, और अल्लाह उस पर गवाह है, तब इस सूरत में जो अपने रब की ना शुकरी करे उस के लिए गंभीर चेतावनी है, क्योंकि अल्लाह उस को देख रहा है।

(8)और बेशक इंसान धन की मुहब्बत में बहुत सख्त है,अर्थात धन से अत्याधिक प्रेम करता है। और धन की मुहब्बत ही उस को उसके ऊपर वाजिब अधिकारों को अदा ना करने पर प्रेरित करता है। क्योंकि उसने नफ्स की चाहत को रब की खूशी पर तरजीह दी, यह सब इसलिए कि उसने अपनी नजर को इसी दुनिया पर केंद्रित किया और आखिरत से बेख़बर रहा।

(9-10)इसी लिए अल्लाह ने कयामत के दिन का खौफ दिलाते हुए फरमाया: कि अपने आप को धोखे में रखने वाला यह व्यक्ति क्या नहीं जानता कि जब कब्रों से मुर्दों को हश्र व नश्र के लिए निकाला जाएगा। और जो कुछ सीनों में है वह जाहिर और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात सीनों के अन्दर जो भलाई या बुराई है वह छिपी ना रहेगी, बल्कि हर भेद खुल जाएगा, और उन के कार्यों का नतीजा तमाम मख्लूक के सामने आ जाएगा।

(11)(إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ) निस्संदेह उनका रब उनके बाहरी तथा आंतरिक, छिपा और स्पष्ट, सब कार्यों से अवगत हैं, और उनके कर्मों का बदला देंगे। अल्लाह तआला ने अपनी जानकारी को उस दिन के साथ खास किया जब कि वे हर समय की खबर रखने वाले हैं, क्योंकि उस से मुराद उन कार्यों का बदला है जिसका कारण अल्लाह का इल्म और इत्तेला है।

सूरह अल-कारिआ की तफ्सीर, यह सूरह मक्की है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ٱلۡقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ۝٣ يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ ۝٥ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ۝٧ وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ ۝٩ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةُۢ ۝١١﴾

अनुवाद: खड़खड़ानेवाली! क्या है वह खड़खड़ानेवाली? और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वह खड़खड़ानेवाली? जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएँगे, और पहाड़ धुने हुए रंग-बिरंगे ऊन के जैसे हो जाएँगे। फिर जिस किसी का वजन भारी होगा, वह मनभाते जीवन में रहेगा। और जिसका वजन हल्का होगा, उसका ठिकाना होगा गहरा गढ्ढा, और तुम्हें क्या मालूम कि वह क्या है? दहकती हुई आग है।

व्याख्या: (1-3)अल-कारिआ कयामत के दिन के नामों में से एक नाम है, और उसको यह नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि यह जोरदार दस्तक देगा, और अपनी भयावहता से परेशान करेगा, इसी लिए अल्लाह ने उसकी भीषणता को बयान करते हुए फरमाया: खड़्खड़ानेवाली! क्या है वह खड़्खड़ानेवाली? और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वह खड़खड़ानेवाली? जिस दिन लोग सख्त घबराहट और हौलनाकी की वजह से बिखरे हुए पर्वानों की तरह हो जाएँगे, यानी बिखरे हुए टिड्डी दल की तरह जैसे मौजें मारता हुआ समुद्र हो। और(الفراش)कहते हैं उन पतंगों को जो रात के वक्त झुन्ड के रूप में मौज बन कर आते हैं, और वह नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं, जब उनके सामने आग रौशन की जाती है, तो नासमझी की वजह से उस पर टूट पड़ते हैं, और उस में आ गिरते हैं। ठीक यही परिस्थिति बुद्धिमान लोगों की हो जाएगी।

(5)और रहे बड़े ठोस और सख्त पहाड़, तो वह धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएँगे, जो बहुत कमजोर हो गई हो, और जिसे मामुली हवा भी उड़ा ले जाए। अल्लाह तआला ने फरमाया: और तुम पहाड़ों को देखते हो और समझते हो की यह कठोर है, लेकिन वह बादलों कि तरह चल रहे होंगे(अन-नमल:88)। फिर उसके बाद बिखरा हुआ धूल बन कर खत्म हो जाएँगे, और उनमें नजर आने लायक कुछ नहीं बचेगा। उस वक्त तराजू स्थापित किये जाएँगे, और लोग दो भागों में विभाजित हो जाएँगे, नेकबख्त और बदबख्त।

(6-7)फिर जिस का वजन भारी होगा,अर्थात जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, और बुराईयों का पलड़ा हल्का होगा वह नेमतों वाली जन्नत में होगा।

(8-11)और जिसका नामा-ए-आमाल हल्का निकलेगा, यानी उसकी नेकियाँ इतनी ना हों जो उसकी बुराईयों का मुकाबला कर सकें, तो उस का ठिकाना जहन्नुम होगा, जिसके नामों में से एक नाम हाविया है, जो उसके लिए माँ की तरह होगा, जो हमेशा चिमटा रहेगा। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया: बेशक जहन्नुम का अजाब तो चिमट जाने वाला है।(अल-फुर्कान:65)। यह भी अर्थ लिया गया है कि उसके दिमाग का ऊपरी भाग जहन्नुम में गिरेगा, यानी वह अपने सिर के बल जहन्नुम में गिराया जाएगा। وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ और तुम क्या समझो कि हाविया क्या है? यह सवाल इस मामले को हौलनाक बना देता है, फिर आने वाले कलाम से उसकी व्याख्या की गई(نَارٌ حَامِيَةُۢ)सख्त गर्मी वाली आग है, उसकी गर्मी दुनिया की आग से सत्तर गुना अधिक होगी, हम उस से अल्लाह की पनाह माँगते हैं।

सूरह अत-तकासुर की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ٥ لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ ٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨﴾

अनुवाद: ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुँच गए। कुछ नहीं, तुम शीघ्र ही जान लोगे। फिर कुछ नहीं, तुम्हें शीघ्र ही मालूम हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर तुम विश्वसनीय ज्ञान के रूप में जान लो तो अवश्य ही तुम भड़कती आग को देख लोगे। फिर सुनो, उसे अवश्य देखोगे इस दशा में कि वह यथावत विश्वास होगा। फिर निश्चय ही उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा।

व्याख्या:(1)अल्लाह तआला अपने बन्दों को डाँटते हुए फरमाते हैं, कि उन्होंने वह काम छोड़ दिया जिसके लिए वे पैदा किए गए थे, कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें, शिर्क ना करें, और अल्लाह के बारे में ज्ञान हासिल करें, और उनकी मुहब्बत को सब पर तरजीह दें। अल्लाह फरमाते हैं: वृद्धि के लालच ने तुमको इन सारी जिम्मेदारियों से गाफिल कर दिया। जिस चीज की वृद्धि की तलब है, उसका उल्लेख नहीं किया गया, ताकि हर उस चीज को शामिल हो जाए जिसके जरिए जियादती में मुकाबला करने वाले करते हैं, और घमंड करने वाले करते हैं। जैसे कि धन-दौलत, औलाद, सहायक, सेना, नौकर और पोजीशन इत्यादि, जिनको लोग एक दूसरे से जियादा हासिल करने में लगे रहते हैं, और अल्लाह की रजामंदी के तलबगार नहीं होते।

(2)तुम्हारी गफ्लत और जीवन का आनंद जारी रहा, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहूँचे। तब तुम्हारे सामने से पर्दा हटा, मगर उस वक्त जब तुम्हारा इस संसार में दोबारा आना मुम्किन नहीं रहा। अल्लाह तआला का यह कलाम(حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ)दलालत करता है कि बर्जख् ऐसा घर है

जिसका लक्ष्य आखिरत के घर को पहूँचना है। क्योंकि अल्लाह ने उनको यात्री के नाम से पुकारा, निवासी के नाम से नहीं पुकारा, तो यह दलालत् करता है कि उठाये जाने और कार्मों का बदला दिये जाने के बाद, वे ऐसे घर में रहेंगे जो बाकी हो खत्म होने वाला ना हो।

(3-6)इसी लिए अल्लाह तआला ने चेतावनी दी कि हरगिज नहीं, तुम्हें जल्द मालुम हो जाएगा। हरगिज नहीं अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो। यानी जो कुछ तुम्हारे सामने है, अगर तुम उसको जानते होते, ऐसा जानना जो दिल की गहराईयों तक पहूँचे, तो तुम्हें अधिक धन अर्जित करने की लालसा गाफिल ना करती, और तुम जल्दी से नेक कार्यों की तरफ बढ़ते, मगर सच्चा इल्म ना होने ने तुम्हें उस मुकाम पर पहूँचा दिया जहाँ पर तुम खुद को पाते हो।(لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ)तुम निस्संदेह उस जहन्नुम को देख लोगे, जिसे अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है।

(7)फिर तुम उस को यकीनी तौर पर देखोगे, अर्थात आखों की दृष्टि से देखोगे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया: और मुजरिम लोग जहन्नम को देख कर यकीन कर लेंगे कि वह उसमें झोंके जाने वाले हैं, और उस से बचने का कोई रास्ता नहीं पाएँगे। (अल-कहफ:53)।

(8)फिर तुमसे उन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, जिनसे तुम दुनिया की जिन्दगी में आनंद लेते रहे, कि क्या तुमने उन नेमतों का शुक्रिया अदा किया, और उनमें अल्लाह के हक को अदा किया, और अल्लाह की नाफरमानी में उन नेमतों को उप्योग नहीं किया? ताकि वे तुम्हें उन नेमतों से उच्च व अच्छा प्रदान करे। या तुम उन नेमतों की वजह से धोखे में रहे, और शुक्र अदा नहीं किये। बल्कि कभी-कभार अल्लाह की नाफरमानी में उन नेमतों को उप्योग किया, तब अल्लाह उस पर सजा देंगे। जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं:"जिस दिन उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया जहन्नुम के सामने पेश किया जाएगा, तो उन से कहा जाएगा तुम अपना आनंद दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके, और खूब फायदा उठा चुके, लो आज जिल्लत का अजाब चखो"। (अल-अहकाफ:20)।

सूरह अल-अस्र की तफ्सीर, यह सूरह मक्की है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣ ﴾

अनुवाद: कसम है जमाने की। बेशक मनुष्य घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, और एक-दूसरे को हक की ताकीद की, और एक-दूसरे को धैर्य की ताकीद की।

व्याख्या: (1-3)अल्लाह तआला ने जमाने की कसम खाई (जो दिन व रात के गर्दिश का नाम है, और जिस के अन्दर बन्दों के सब कार्य होते हैं) कि सारे मानव घाटे में हैं। और घाटा लाभ का विपरित होता है। और घाटे के विभिन्न स्टेज होते हैं। कभी घाटा पूर्ण होता है। जैसे कि उस शख्स का हाल, जिसने दुनिया व आखिरत में घाटा उठाया, अर्थात जन्नत से महरूम हुआ और दोजख में दाखिल हुआ। और कभी इंसान एक पहलू से घाटे में रहता है, और दूसरे पहलू से नहीं। इस लिए अल्लाह ने नुक्सान को हर आदमी के साथ व्यापक किया है, सिवाय उनके जिनमें यह चार गुण मौजूद हैं।

पहला: उन चीजों पर ईमान लाना जिन पर ईमान लाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और ईमान इल्म के बिना नहीं होता, क्योंकि इल्म ईमान ही का हिस्सा है। उसके बिना ईमान पूर्ण नहीं हो सकता।

दूसरा: नेक अमल करना, जो तमाम जाहिरी और छिपे हुए अच्छे कर्मों को शामिल है, जो अल्लाह और बन्दों के अधिकारों से जुड़े हुए हैं, चाहे वाजिब हो या मुस्तहब।

तीसरा: एक दूसरे को हक की वसीयत करना, हक ईमान व नेक कार्यों के समूह का नाम है।अर्थात ईमान वाले एक दूसरे को उन दोनों चीजों

की वसीयत करते हैं, और उन पर एक दूसरे को उभारते व प्रोत्साहित करते हैं।

चौथा: एक दूसरे को सब्र(धैर्य) की वसीयत करना, अल्लाह के आज्ञा का पालन करने में, अवज्ञा ना करने में, व कष्टदायक तक्दीर को बर्दाश्त करने में। इस तरह ईमान व नेक कार्य के द्वारा बन्दा अपने आप को पूरा करता है, और हक व सब्र की वसीयत करके दूसरों को पूर्ण बनाता है। इन चारों चीजों को पूरा करके इंसान घाटा से संरक्षित रह सकता है। और महान लाभ हासिल करने में सफल हो सकता है।

oooooooooo

सूरह अल-होमाजा की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢ يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ٨ فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَۭ ٩ ﴾

अनुवाद: तबाही है हर कचोके लगानेवाले, ऐब निकालनेवाले के लिए, जो माल इकट्ठा करता और उसे गिनता रहा। समझता है कि उसके माल ने उसे अमर कर दिया। कदापि नहीं, वह चूर-चूर कर देनेवाली आग में फेंक दिया जाएगा, और तुम्हें क्या मालूम कि वह चूर-चूर कर देनेवाली क्या है? वह अल्लाह की दहकाई हुई आग है, जो झाँक लेती है दिलों को। वह उनपर ढाँककर बन्द कर दी गई होगी, लम्बे-लम्बे स्तम्भों में।

व्याख्या:(1)तबाही और सख्त अजाब है हर उस शख्स के लिए जो ऐब निकालनेवाले ताना देने वाला है। यानी जो अपने कार्य से तक्लीफ देता है, और बातों से ऐब निकालता है। (همازٍ)वह शख्स है

जो लोगों की ऐब निकालता और इशारा व कार्य से चोट पहूँचाता है। और(لمّاز)उस को कहते हैं जो बातों से ऐब निकालता है।

(2)इस ऐब निकालने वाले ताना देने वाले की पहचान यह है कि धन जमा करने, उसको गिनने, उस पर खूश होने के सिवा, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उस धन को भलाई के रास्ते व रिश्तेदारों की सहायता इत्यादि, में खर्च करने में उसे कोई शौक व उत्सुक्ता नहीं है।

(3)अपनी मुर्खता के कारण वह समझता है कि उसका धन उसको दुनिया में हमेशा जिंदा रखेगा। इसी लिए उसकी तमाम कोशिशें अपने धन को बढ़ाने में खर्च होती हैं। वह समझता है कि यह उसकी उम्र को बढ़ाएगा, मगर वह यह नहीं जानता कि बखीली उम्रों को तबाह और बस्तियों को बर्बाद कर देती है, और नेकी उम्र को बढ़ा देती है।

(4-7)उसे जरूर फेंका जाएगा होतामा में, और आप को क्या मालूम कि होतामा क्या है? यह प्रश्न उसकी भयावहता और हौलनाकी को उजागर करता है। फिर उसकी व्याख्या इस तरह की गई कि: वह अल्लाह की भड़काई हूई आग है जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो अपनी तीव्रता के कारण शरीरों को छेदती हुई दिलों तक जा पहूँचेगी।

(8)इतनी गर्मियों के बावजूद वे आग में कैद होंगे, उससे बाहर निकलने से मायूस होंगे, इसी लिए फरमाया गया: वह आग उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, दरवाजों के पीछे बड़े बड़े स्तंभों में, ताकि वे उस से बाहर ना निकल सकें। जब-जब वे उस आग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उसी में लौटा दिए जाएँगे। हम उस से अल्लाह की पनाह माँगते हैं, और आफियत व माफी चाहते है।

सुरह अल-फील की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ ۝١ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ۝٢ وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ۝٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ ۝٥ ﴾

अनुवाद: क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथीवालों के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या उसने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया? और उनपर झुंड के झुंड पक्षी भेजे, जो उनपर कंकरीले पत्थर मार रहे थे। अन्ततः उन्हें ऐसा कर दिया, जैसे खाया हुआ भूसा हो।

व्याख्या:(1-5)क्या आप ने अल्लाह की क्षमता, महानता, अपने बन्दों पर उनकी दया, उनकी एकता के सबूत, और उनके रसूल मुहम्मद(ﷺ)की सच्चाई को नहीं देखा? कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? जिन्होंने उनके पवित्र घर के साथ साजिश की, और उसे ढा देने का इरादा किया, उसके लिए तैयारी की, और हाथी साथ ले आए, और हब्शा व यमन के लोगों से गठित एक ऐसी फौज लेकर आए, जिसका मुकाबला करना अरबों के बस में नहीं था। जब वे मक्का के करीब पहूँचे, तो अरबों में रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मक्का के लोग जान बचाने के लिए मक्का से भाग गये थे। तब अल्लाह ने उन के ऊपर पक्षियों का झुंड भेजा,जो गर्म की हूई मिट्टी की कंकरियाँ उठाये हुए थे, वे झुंड के झुंड आते गये, और कंकरियाँ उन पर बरसाते गए, दूर और नज्दीक सबको निशाना बनाया, फिर वे मर कर ठंडे, और खाए हुए भूसे की तरह हो गए, अल्लाह उनकी शैतानी के लिए खूद काफी हो गये, और उनकी चाल उनहीं पर लौटा दिया।

यह घटना बहुत मश्हूर और प्रसिद्ध है। और नबी(ﷺ)के जन्म के साल घटित हुआ था। यह घटना नबी(ﷺ)की दावत के लिए अग्रदूत बन कर, और उनकी रिसालत के लिए सबूत बन कर सामने आया। अंततः अल्लाह के लिए प्रशंसा और शुक्र है।

oooooooooo

सूरह कुरैश की तफ्सीर, यह सुरह मक्की है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ۝١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ۝٢ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ۝٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ۝٤ ﴾

अनुवाद: कुरैश को लगाए रखने के लिए। लगाए रखना उन्हें जाड़े और गर्मी की यात्रा से। अतः उन्हें चाहिए कि इस घर(काबा) के रब की बन्दगी करें। जिसने उन्हें खिलाकर भूख से बचाया, और निश्चिन्तता प्रदान करके भय से बचाया।

व्याख्या:(1-4)बहुत से मुफस्सिरीन (व्याख्याकारों) ने कहा कि जार और मजरूर यानी(لِإِيلَٰفِ)का ताल्लुक पहले के सूरह से है। यानी हमने हाथी वालों के साथ जो कुछ किया, वह कुरैश की सुरक्षा, उनके हित की दुरुस्तगी के लिए था, व्यापार और लाभ कमाने के मक्सद से उनकी यात्रा को नियमित बनाया, सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ। फिर अल्लाह ने उन तमाम लोगों का विनाश कर दिया, जिन्होंने उनके बारे में बुरा इरादा किया था, और अरब के दिलों में हरम की महानता प्रदान की, यहाँ तक कि वे कुरैश का सम्मान करने लगे। और कुरैश जहाँ कहीं का यात्रा करते, उन्हें कोई स्पर्श तक नहीं करता। इसी लिए अल्लाह ने शुक्र करने का आदेश देते हुए फरमाया: فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ तो वे इस घर के रब की इबादत करें, यानी उसे एक मान कर खालिस उसी

की इबादत करें, जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और भय से सुरक्षा प्रदान की। रिज्क में कुशादगी और डर से सुरक्षा मिलना दुनिया की सब से बड़ी नेमत है, जो अल्लाह के शुक्र को वाजिब करती है। ऐ अल्लाह तेरा ही प्रशंसा व शुक्र है जाहिरी व आंतरिक नेमतों पर। और अल्लाह ने काबा के साथ रबूबियत को खास किया, उसके सम्मान व महानता को बताने के लिए, वरना वे हर चीज के रब हैं।

oooooooooo

सूरह अल-माऊन की तफ्सीर, यह सूरह मक्की है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ۝٣ فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ۝٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ۝٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ۝٧﴾

अनुवाद: क्या तुमने उसे देखा जो दीन को झुठलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है, और मुहताज के खिलाने पर आग्रह नहीं करता। अतः तबाही है उन नमाजियों के लिए, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावे के लिए कार्य करते हैं, और साधारण बरतने की चीज भी किसी को नहीं देते।

व्याख्या:(1)अल्लाह तआला उस शख्स की भर्त्सना करते हुए जिसने उसके और बन्दों के हकों को अदा नहीं किया, फरमाते हैं कि: क्या तुमने उस शख्स को देखा जो मौत के बाद के जीवन को झुठलाता है,और नबीगण(عليهم السلام)जो लेकर आए उस पर ईमान नहीं लाता।

(2)यह वही शख्स है जो हिंसक रूप से यतीम को धक्के देता है। उसके दिल की क्रूरता की वजह से रहम भी नहीं करता। और कारण यह भी है कि ना वह नेकी की उम्मीद रखता है, ना सजा से डरता है।

(3)और दूसरों को मिस्कीन को खिलाने पर प्रेरित भी नहीं करता, और रहा खूद खिलाने का, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

(4-5)तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। अर्थात अपनी नमाज को बर्बाद करते हैं, सही वक्त पर पढ़ते नहीं हैं, और ना ही अरकान को अच्छी तरह अदा करते हैं। उसका कारण है अल्लाह के हुक्मों का पालन ना करना, जिसकी वजह से उन्होंने नमाज जैसी महत्वपूर्ण इबादत को छोड़ दिया। नमाज को भूल जाना इंसान को दोषी बनाता है, लेकिन नमाज में भूल हो जाना, तो यह हर शख्स से हो सकता है, यहाँ तक कि नबी(ﷺ)से भी।

(6-7)इसी लिए अल्लाह ने नमाज से गाफिल लोगों को दिखावा, क्रूरता, दयाहीनता, जैसे गुणों से वर्णित करते हुए फरमाया,कि वे लोगों को दिखाने के लिए नेक कार्य करते हैं। और किसी चीज को उधार या उपहार के तौर पर देने से रोकते हैं, जिसे देने से उसे कोई नुक्सान नहीं होता। जैसे कि बर्तन, बालटी, कुल्हाड़ी इत्यादी, जिनके उप्योग के लिए अनुमति देने की आदत लोगों में पायी जाती है। तो जब यह लोग अपनी लालच के कारण उप्योग की मामूली चीजें देने से मना करते हैं, तो बड़ी चीजें देने में उनका क्या हाल होगा।

तो इस सूरह में यतीमों और मिस्कीनों को खाना खिलाने, उसकी प्रेरणा बनने, नमाज का ध्यान रखने व हिफाजत करने, इन में और बाकी तमाम कार्यों में इख्लास अपनाने की प्रेरणा दी गई है। इसी तरह अच्छे कार्य करने, मामूली चीजें उप्योग के लिए देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जैसे कि बर्तन, बालटी, और किताबें इत्यादि। क्योंकि अल्लाह तआला ने उन लोगों की भर्त्सना की है, जो ऐसा ना करें, और अल्लाह ज्यादा बेहतर जानने वाले हैं।

सूरह अल-कौसर की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ۝٣﴾

अनुवाद: निश्चय ही हमने तुम्हें कौसर प्रदान किया, अतः तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और (उसी के लिए) कुर्बानी करो। निस्संदेह तुम्हारा दुश्मन ही लावारिस व बेनामी है।

व्याख्या: (1)अल्लाह तआला अपने नबी मुहममद(ﷺ)पर इहसान गिनाते हुए फरमाते हैं, कि हमने आपको कौसर अर्थात अत्याधिक भलाई और महानतम् फज्ल प्रदान किया, जिनमें से वह नहर भी है, जो अल्लाह उनको कयामत् के दिन प्रदान करेंगे, जिसका नाम कौसर होगा, और जिसकी लंबाई व चौड़ाई एक महीने का रास्ता होगा। उसका पानी दूध से अधिक सफेद, और शहद से अधिक मीठा होगा, उसके बर्तन चमक और गिनती में आकास के तारों के समान होंगे। जिस किसी ने एक बार उसमें से पी लिया, दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा।

(2)अल्लाह तआला ने नबी(ﷺ)पर अपने इहसान गिनाने के बाद शुक्रिया अदा करने का हुक्म देते हुए फरमाते हैं कि, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह ने इन दो इबादतों का खास तौर पर जिक्र फरमाया, क्योंकि यह दोनों सर्वश्रेष्ठ इबादतें हैं, और अल्लाह की निकटता प्राप्त करने का उत्तम साधन है। और उन दोनों का विशेष रूप से उल्लेख करने की एक कारण यह भी है,कि नमाज दिल व शरीर के अंगों की सुपुर्दगी को जाहिर करता है, और इंसान को अल्लाह की बन्दगी में दाखिल करता है। और कुर्बानी से अल्लाह की निकटता प्राप्त की जाती है, बन्दा के पास मौजूद सरवोत्तम चीज से। इसी तरह वह धन खर्च करना भी सिखाती है, जिससे प्रेम करना और उसमें

बखीली करना इंसान के स्वभाव में पाया जाता है।

(3)निस्संदेह आपके शत्रु, अर्थात आप से नफरत करने वाले,आपको बद्नाम व अपमान करने वाले, अब्तर हैं, अर्थात हर प्रकार की भलाई से महरूम हैं, उनका कार्य, उनका नाम व चर्चा, सब कटा हुआ है। रहे मुहम्मद(ﷺ)तो सच में वे पूर्ण हैं, इतना पूर्ण कि वहाँ तक पहुँचना किसी इंसान के बस की बात नहीं, जो ऊँची प्रतिष्ठा, अनगिनत समर्थक व सहायक उनको मिले हैं।

oooooooooo

सूरह अल-काफिरून की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦﴾

अनुवाद: आप कह दिजिए कि ऐ काफिरो। मैं वैसी बन्दगी नहीं करूँगा जैसी बन्दगी तुम करते हो, और न तुम वैसी बन्दगी करनेवाले हो जैसी बन्दगी मैं करता हूँ। और न मैं वैसी बन्दगी करनेवाला हूँ जैसी बन्दगी तुमने की है। और न तुम वैसी बन्दगी करनेवाले हुए जैसी बन्दगी मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म।

व्याख्या:(1-6)आप काफिरों को स्पष्ट घोषणा करते हुए बता दीजिये, कि मैं वैसी बन्दगी नहीं करूँगा जैसी बन्दगी तुम करते हो। अर्थात आप बराअत् जाहिर कीजिये उन चीजों से, जिनकी वे अल्लाह के सिवा जाहिरी व पोशीदा इबादत् करते हैं। और जिसकी मैं इबादत करता हुँ तुम उसकी इबादत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह के लिए तुम्हारी इबादत में इख्लास नहीं पाया जाता। अल्लाह के लिए तुम्हारी इबादत जो शिर्क से मिली हुई है इबादत नहीं कही जा सकती। इस जुमले को बार बार दोहराया गया ताकि पहला जुमला

काम के ना पाये जाने पर दलालत करे,और दुसरा जुमला इस बात पर दलालत करे कि यह उनकी आदत का अभिन्न अंग बन गया है। इसी लिए दोनों जमातों व समुदायों के बीच पृथक्करण किया गया और फरमाया गया: तुम अपने धर्म पर और मैं अपने धर्म पर। अल्लाह ने यह भी फरमाया: कह दीजिये कि हर शख्स अपने अपने तरीके के मुताबिक काम करता है।(अल-इसरा:84)। और फरमाया: जो कुछ मैं करता हूँ तुम उससे बरी हो, और जो कुछ तुम करते हो, मैं उससे बरी हूँ। (यूनुस:41)

oooooooooo

सूरह अन-नस्र की तफ्सीर, यह मदनी सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ۝٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ۝٣ ﴾

अनुवाद: जब अल्लाह की सहायता आ जाए, और विजय प्राप्त हो, और तुम लोगों को देखो कि वे अल्लाह के दीन में गिरोह के गिरोह प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने रब की प्रशंसा करो और उससे क्षमा चाहो। निस्संदेह वह बड़ा तौबा कबूल करनेवाला है।

व्याख्या: (1-3)इस सूरह में एक खूश्खबरी है, उस खूश्खबरी के हासिल होने पर नबी(ﷺ)के लिए एक हुक्म है, और इस हुक्म के फलस्वरूप एक इशारा व चेतावनी है। **तो खुश्खबरी** है अल्लाह की तरफ से मदद मिलना, मक्का का विजय होना, लोगों का अल्लाह के दीन में गिरोह दर गिरोह दाखिल होना। इस तरह काफी लोग इस दीन के मददगार हो गए जबकि वे पहले इसके दुश्मन थे। और यह खूश्खबरी पूरी हो चुकी है। और रहा मदद व विजय मिलने के बाद **का हुक्म**, तो अल्लाह ने रसूल(ﷺ)को हुक्म दिया कि इस विजय पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें,और प्रशंसा के साथ तस्बीह

ब्यान करें व क्षमा माँगें। और रहा **इशारा** व चेतावनी तो उसमें दो इशारे हैं। पहला इशारा यह है कि दीने इस्लाम का विजय जारी रहेगा, और इसमें वृद्धि होती रहेगी, जब जब रसूल(ﷺ)अल्लाह की प्रशंसा व तस्बीह बयान करेंगे व क्षमा माँगेंगे। क्योंकि यह शुक्र है, और अल्लाह फरमाते हैः अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा देंगे।(इब्राहीम:7)। और यह विजय इस उम्मत में खुलफा-ए-राशिदीन के शासनकाल में, और उसके बाद हो चुका है। और अल्लाह की यह मदद जारी रही, यहाँ तक कि इस्लाम वहाँ तक पहूँच गया, जहाँ तक कोई भी धर्म नहीं पहूँच पाया। फिर इस उम्मत में अल्लाह के अहकाम का उल्लंघन होने लगा, तब वे आपसी फूट और विवाद के शिकार हो गये, फिर जो हुआ सब के सामने है। इन सब के बावजूद अल्लाह की रहमतें व दया इस उम्मत व इस धर्म पर इतना है जो किसी के दिमाग या कल्पना में ना आए।

और दूसरा इशारा यह है कि इस सूरह में संकेत है कि नबी(ﷺ)की मौत का समय नज्दीक आ चुका है। उसकी व्याख्या इस तरह है कि आप(ﷺ)की उम्र मुबारक व अच्छी चीज है, जिसकी अल्लाह ने कसम भी खाई है, और यह बात तैशुदा है कि अच्छी चीजें इस्तिगफार(क्षमा याचना)के साथ खत्म की जाती हैं। जैसे कि नमाज हज इत्यादि। तो इस हालत में अल्लाह का नबी(ﷺ)को हुक्म देना कि मेरी प्रशंसा और क्षमायाचना करो, यह इशारा देता है कि उनका समय समाप्त हो गया है। तो उनहें चाहिए कि अपने रब से मुलाकात की तैय्यारी करें, और अपने अंतिम समय में हरसंभव अच्छे कार्य करें। अल्लाह का दुरूद व सलाम उन पर नाजिल हों। इसी लिए आप(ﷺ)कुरआन की इस आयत का पालन करते हुए अपनी नमाज के अन्दर रुकू व सजदे में अक्सर पढ़ा करते थे(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)अनुवाद: हे अल्लाह ऐ हमारे रब, हम तेरी प्रशंसा व स्तुति करते हुए तेरी पाकीजगी बयान करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे क्षमा कर दे।(बुखारी हदीस नं :794)

सूरह अल-मसद की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ۝٣ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۭ ۝٥﴾

अनुवाद: टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया। न उसका माल उसके काम आया और न वह कुछ जो उसने कमाया। वह शीघ्र ही भड़कती आग में पड़ेगा, और उसकी स्त्री भी लकड़ी उठानेवाली, उसकी गर्दन में खजूर के रेशों की बटी हुई रस्सी पड़ी है।

व्याख्या: अबू लहब नबी(ﷺ)का चाचा था, वह नबी(ﷺ)का परम शत्रु और सख्त तक्लीफ देने वाला था, अल्लाह उसे बर्बाद करे, उसमें जर्रा बराबर भी न दीन का हिस्सा था, न रिश्तेदारों के लिए सहानुभूति। अल्लाह ने उसे इस बड़े अपराध का आपराधि बताया जो क्यामत तक उसके लिए शर्म की बात बनी रहेगी। और यह फरमाया:
(1)उसके दोनों हाथ टूट गए,अर्थात दोनों हाथ बर्बाद हो गये, और वह बदबख्ती में पड़ गया अर्थात लाभांवित नहीं हो सका।
(2)उसका धन जो उसके पास जमा था, और उसे सरकश् बना दिया था, किसी काम ना आया। जो कमाया था वह भी काम ना आया, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो कोई चीज भी उसे रोक नहीं पाई।
(3-5)वह शीघ्र ही भड़कती हूई आग में डाला जाएगा,अर्थात आग उसे हर तरफ से घेर लेगा, और उसकी बीवी भी जो लकड़ी उठानेवाली थी। वह भी नबी(ﷺ)को सख्त तक्लीफ पहूँचाती थी। पति-पत्नि दोनों गुनाह व जुल्म में एक दूसरे की सहायता करते थे। वह तक्लीफ पहूँचाती और नबी(ﷺ)को कष्ट देने में कोई कमी नहीं करती। वह अपनी पीठ पर बोझ ढोती है उस व्यक्ति के मानिन्द जो लकड़ी जमा करता है।

और अपनी गर्दन में डालने के लिए खजूर के पेड़ के रेशों से बनी हूई एक रस्सी तैयार करता। या उसका अर्थ यह है कि जहन्नुम में वह ईंधन उठा-उठा कर अपने शौहर पर डालेगी, इस हाल में कि उसके गले में खजूर की बनी हूई रस्सी होगी। दोनो अर्थों के अनुसार इस सूरह में अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह है कि: अल्लाह ने जब यह सूरह नाजिल फरमाया था, तब अबू लहब और उसकी पत्नी का देहांत नहीं हुआ था, लेकिन इसमें खबर यह दी गई कि दोनों को जहन्नम में अजाब होगा, इस लिए जरूरी था कि दोनों इस्लाम कबूल किये बिना मर जाएं, और ऐसा ही हुआ, जैसे कि गायब और मौजूद के जानने वाले रब ने खबर दी थी।

oooooooooo

सूरह इख्लास की तफ्सीर, यह मक्की सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤﴾.

अनुवाद: आप कह दीजए कि वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, नहीं जना उसने किसी को, और न ही वह खूद जना गया, और न कोई उसका समकक्ष है।

व्याख्या: (1)आप कह दीजए, इस तथ्य पर विश्वास रखते हूए और उसके अर्थ को जानते हूए कि वह अल्लाह एक हैं। एकता उन में सीमीत है। वह एक हैं और पूर्णता में एकल। जिनके लिए अच्छे नाम, उच्च गुण, व पवित्र कार्य हैं। अद्वितीय हैं उनके जैसा कोई नहीं।
(2)अल्लाह बेनियाज हैं,अर्थात तमाम जरूरतों में वही अकेले आश्रय हैं, ऊपरी व निचली दुनिया वाले सब उनकी तरफ बेहद जरूरतमंद हैं। उसी से अपनी हाजतों का सवाल करते हैं, और महत्वपूर्ण समस्याओं में उसी की तरफ लोटते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने गुणों में पूर्ण हैं

जानने वाले हैं और अपनी जानकारी में पूर्ण हैं। नम्र हैं जो अपनी नम्रता में पूर्ण हैं। रहीम हैं जिनकी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। इसी प्रकार समस्त सिफतें(गुण)हैं।

(3)यह उनकी पूर्णता ही है कि ना उन्होंने किसी को जना ना उनसे कोई जना गया, क्योंकि वे पूर्ण तौर पर बे नियाज हैं।

(4)उनके नामों,गुणों व कार्यों में कोई उनके बराबर नहीं। उनका व्यक्तित्व बरकत वाला है। तो यह सूरह तौहीदुल अस्मा वस्सिफात (नामों व गुणों की तौहीद) पर आधारित है।

oooooooooo

सूरह अल-फलक की तफ्सीर, यह सुरह मक्की है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ۝٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥ ﴾.

अनुवाद: आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की शरण लेता हूँ। हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा किये। और अंधेरे की बुराई से जब वह फैल जाए। और गाँठों में फूँक मारने वालियों की बुराई से,और हसद् करने वाले की बुराई से जब वह हसद् करे।

व्याखाया: (1)आप पनाह माँगते हूए कहिये कि, मैं पनाह ढूँडता हूँ व अपना बचाव तलाश करता हूँ फलक के रब के जरिये, और फलक का अर्थ है जो दाना और गुठली को फाड़ कर पौधा निकालता है, और सुबह को रात से निकालता है।

(2)शरण माँगता हूँ हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा किये। यह अल्लाह के तमाम मख्लूक को शामिल है। जैसे कि इंसान जिन्न तथा पशु-पक्षी। तो इन सब के पैदा करने वाले से इनके

भीतर की बुराई से शरण माँगी गई है।

(3)फिर अल्लाह ने आम चीजों का उल्लेख करने के बाद खास चीजों का उल्लेख किया और फरमाया: और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए। अर्थात मैं उस बुराई से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ जो रात के अंधेरे में होती है, जब अंधेरा छा जाता है, तब बुरी आत्माएँ और हानिकारक जानवर फैल जाते हैं।

(4)और गाँठों में फूँक मारने वालियों की बुराई से।अर्थात जादू करने वाली औरतों की बुराई से जो अपने जादू में गाँठों में फूँकों से काम लेती हैं जिन को वे जादू के लिए बाँधती हैं।

(5)और हसद् करने वाले की बूराई से जब वह हसद् करे। हसद करने वाला वह होता है जो दूसरों की नेमतों का विनाश चाहता है। तो वह अपनी पूरी ताकत से दूसरों की नेमतों को बर्बाद करना चाहता है। इसी लिए जरूरत पड़ती है कि उसकी बुराई व शाजिश से अल्लाह की पनाह माँगी जाए। और नजर लगाने वाला भी हासिद ही में ही शुमार होता है, क्योंकि नजरे बद सिर्फ हासिद, दुष्ट तबीयत, बुरी आत्मा वालों से ही लगती है।

तो इस सूरह में आम और खास समस्त प्रकार की बुराईयों से पनाह माँगा गया है। और यह सूरह इस बात को भी प्रमाणीत करती है कि जादू हकीकत में होती है, उसकी बुराई से डरना, और जादू व जादूगरों से अल्लाह की पनाह माँगना चाहिए।

सूरह नास की तफ्सीर, यह मदनी सूरह है।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ۝٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝٦﴾

अनुवाद: आप कह दीजिए कि मैं शरण लेता हूँ मनुष्यों के रब की, मनुष्यों के सम्राट की, मनुष्यों के उपास्य की, वसवसा डालनेवाले, खिसक जानेवाले की बुराई से। जो लोगो के दिलो में भ्रम डालता रहता है। जो जिन्नों में से भी होता है और मनुष्यों में से भी होता है।

व्याख्या: (1-6)इस सूरह में पनाह माँगा गया है लोगों के रब, उनके मालिक, उनके उपास्य का, उस शैताने रजीम से जो तमाम बुराइयों की जड़ व उत्पत्ति है, जिसकी बुराईयों व फितनों में से एक यह है, कि वह लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। बुराई को सुंदर बना कर पेश करता है, बुराई के लिए सक्रिय बनाता है, और अच्छे कार्य से रोकता व सुस्ती पैदा कराता है, वह सर्वदा इस प्रयास में रहता है कि वसवसा डालकर पीछे हट जाए। जब मोमिन बन्दा अल्लाह को याद करता है, और शैतान से रक्षा के लिए रब की मदद चाहता है, तो शैतान पीछे हट जाता है। इस लिए बन्दे को चाहिये कि अल्लाह की रुबूबियत के द्वारा मदद माँगे, उसी की शरण में आकर अपना बचाव करे। याद रहे कि तमाम मख्लूक उसकी रुबूबियत व बादशाहत के अधीन हैं, वह हर जानदार की पेशानी को पकड़े हुए हैं। और इसी प्रकार लोग अल्लाह की उलूहियत की शरण हासिल करें, जिसके लिए ही उन्हें पैदा किया गया है। और यह उस वक्त तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि उनके दुश्मन की बुराई को रोका ना जाए, जो दुश्मन

उन्हें सही रास्ते से हटाना चाहता है, और चाहता है कि अपने गिरोह में शामिल कर ले, ताकि वे जहन्नमी बन जायें। वसवसा जिस तरह जिन्नों की तरफ से होता है मनुष्यों की तरफ से भी हो सकता है, इसी लिए अल्लाह तआला ने फरमायाः जिन्नों में से और मनुष्यों में से।

अंत में अल्लाह की प्रशंसा करते हैं,जो संसार का पालनहार है, और दुआ करते हैं कि वह अपनी नेमतें हम पर पूरी करे, और गुनाहों को क्षमा करे, जो हमसे बहुत सारी बरकतों को रोकने का कारण है। और उन गलतियों व ख्वाहिशों को भी माफ करे, जो उसकी आयतों में विवेक उपयोग करने से हमारे दिलों को गाफिल कर देती है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बुरे कार्यों के कारण अल्लाह अपने खैर से हमें महरूम न करे, क्योंकि अल्लाह की जात से केवल काफिर लोग ही निराश हो सकते हैं। और दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के रसूल मुहम्मद(ﷺ)पर, आप के परिवार व साथियों पर। और अल्लाह का शुक्र है जिसकी नेमत से तमाम नेक कार्य पूरे होते हैं।

oooooooooo

प्रस्तावना और तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

1. महत्वपूर्ण पाठ(الدروس المهمة)के लेखक कौन हैं? O अब्दुल अजीज बिन बाज(رحمه الله) O मुहम्मद बिन उसैमीन(رحمه الله) O हैसम सरहान(حفظه الله)
2. हम महत्वपूर्ण पाठ क्यों पढ़ें?
   O क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण है। O इसलिए कि उलेमा ने उसे पढ़ने की वसीयत की है। O इसलिए कि इसमें वह लाभकारी बातें हैं जिसकी जरूरत मुसल्मानों को है। O इन तमाम कारणों से।
3. इस किताब में निम्नलिखीत विषयों का वर्णन है।
   O कुरआन और तौहीद के साथ मुसल्मानों का संबंध O नमाज और वजू। O इसलामी स्वभाव और नैतिकताएं। O पापों और गुनाहों से चेतावनी। O मृतकों के कफन दफन की विधि। O यह समस्त विषय।
4. सब से पहले किस सूरह की तिलावत और हिफ्ज व व्याख्या शुरू करे?
   O सूरह अलक। O सूरह फातिहा। O सूरह इख्लास।
5. मुसलमान कुरआन में गौर करने और उस पर अमल करने के एतबार से दो समूहों में बंटे हुए हैं, और एक समूह बीच का रासता अपनाया हुआ है। (सही- गलत)
6. तालिबे इल्म सर्वप्रथम कौन सी तफ्सीर पढ़े?
   O इब्ने कसीर। O इब्ने सादी। O कुरतुबी।
7. तालिबे इल्म बड़ी किताबों से पहले छोटी किताबों से आरम्भ करे। (सही- गलत)
8. तालिबे इल्म तफ्सीर की किताबों में ऐसे सूरतों से पढ़ना आरम्भ करे जो पढ़ाई जारी रखने के शौक को बढ़ाए, जैसे सूरह कसस, मरयम, कहफ। (सही- गलत)
9. अगर पढ़ना मुश्किल हो तो तफ्सीर के आडियो से फायदा उठाया जा सकता है, जैसे तफ्सीर सादी का आडियो प्रोग्राम। (सही- गलत)
10. नबी(ﷺ)ने ऐसे लोगों से सावधान किया जो कुरआन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अर्थ पर गौर नहीं करते। (सही- गलत)

सूरह फातिहा की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न:

11. सूरह को इसलिए सूरह कहा जाता है क्योंकि यह दिवारों से घिरा हुआ है ना कुछ निकल सकता है ना अन्दर जा सकता है। (सही- गलत)
12. इसे सूरह फातिहा इसलिए कहा गया क्योंकि:

---

13. सूरह फातिहा के नामों में से यह सब हैं: O उम्मुल कुरआन। O सबआ मसानी। O अर-रुकिया। O अस-सलात। O यह तमाम।
14. तिलावत प्रारंभ करने से पूर्व शैतान से पनाह माँगना क्यों जरूरी है, बावजूद इसके कि हम इबादत शुरू कर रहे हैं, गुनाह नहीं?

---

15. शब्द(أعوذ)का क्या अर्थ है?

---

16. शैतान को रजीम कहा गया है: O क्योंकि वह अल्लाह की रहमत से दूर किया गया है। O क्योंकि वह तारों से मारा जाता है। O क्योंकि वह आदमी के अन्दर इच्छाएँ और संदेह डालता है। O यह तमाम चीजें।
17. (بسم الله)में जार व मजरूर, उपयुक्त हटाई गई क्रिया से संबंधित है।(सही- गलत)
18. (الله)अल्लाह: O बतौर मुहब्बत और ताजीम वे पुज्य हैं। O यह नाम अल्लाह के सिवाय किसी और का नहीं है। O यह तमाम नामों का संदर्भ है। O कहा जाता है कि यह अल्लाह का इस्म-ए-आजम है। O पुकारने के वक्त अलिफ व लाम पोशीदा नहीं किये जाते। O यह तमाम बातें।
19. अल्लाह के दोनों अच्छे नामों(الرحمن الرحيم) के दरमियान क्या फर्क है?

---

20. बन्दों के लिए अल्लाह की तर्बियत दो प्रकार के हैं, वह दोनों क्या है? O आम और खास तर्बीयत। O मुत्लक और मुकय्यद तर्बियत।
21. अधिक्तर नबियों की दुआओं के शब्द होते थे:
O (اللهم)ऐ अल्लाह। O (الرب)ऐ मेरे रब।
22. यौमुद्दीन(يوم الدين) का अर्थ है: O क्यामत का दिन। O वह दिन जब इंसान को कार्य का बदला दिया जाएगा। O यह तमाम चीजें।

23. (ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ)यह व्यापक और बन्दों के लिए लाभकारी दुवाओं में से एक है। (सही- गलत)

24. दीन का अर्थ होता है।

O बदला। O कार्य। O कभी बदला और कभी कार्य।

25. क्रिया को कर्ता से आगे करना फायदा देता है:

O सीमित होने का। O कोई फयदा नहीं।

26. इबादत् को तलबे मदद् से पहले उल्लेख करना किस प्रकार का है?

O आम को खास से आगे करना। O अल्लाह के हक को बन्दे के हक से आगे करना। O यह तमाम चीजें।

27. (إياك نعبد) बहुवचन के साथ क्यों आया है?

---

28. इबादत: O उन तमाम जाहिरी और छिपे हुए कार्यों और बातों के समूह को इबादत कहते हैं, जिन्हें अल्लाह पसन्द करता और उससे राजी होता है। O मुहब्बत और ताजीम के साथ हुक्मे इलाही का पालन करना। O कभी पहला अर्थ तो कभी दूसरा अर्थ।

29. अल्लाह के कलाम(ٱهۡدِنَا)में हिदायत से क्या मुराद है?

O मार्गदर्शन। O तौफीक। O दोनों।

30. अल्लाह का कलाम(صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ)का अर्थ है: O इस उम्मत के वे लोग जो ईमान लाए। O नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, और नेकलोगों का वह समूह जिन पर अल्लाह ने इनाम किया।

31. (إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ)शरीअत व तकदीर दोनों को शामिल है। (सही- गलत)

32. निम्नलिखीत सूरतों में से कौन सा सूरह उन बातों को शामिल है जो दूसरे सूरह में नहीं है?

O सूरह फातिहा। O आयातुल कुर्सी। O सूरह इख्लास।

33. अल्लाह का कलाम(ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ)इन चीजों को शामिल है: O नबूवत को साबित करना। O तमाम पथभ्रष्ट व नवाचारी लोगों का जवाब देना। O दोनों चीजें।

34. अल्लाह का कलाम(مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ)इन चीजों को शामिल है:

O निस्संदेह बदला इंसाफ के साथ होगा। O वास्तव में बन्दा कर्ता है।

O पिछली तमाम बातें। O बदला सिर्फ कार्य का मिलेगा।

आयतुल कुर्सी की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न।

35. आयातुल कुर्सी को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें कुर्सी का जिक्र है।(सही- गलत)

36. कुरआन में सबसे बड़ी आयत कौनसी है?
O ऋण वाली आयत। O दस हकों वाली आयत। O आयतुल कुर्सी।
37. कुरआन अर्थ के एतबार से महान है। (सही- गलत)
38. आयतुल कुर्सी में कितने अस्मा-ए-हुस्ना(अल्लाह के अच्छे नाम)मौजूद हैं:
O पाँच। O छह। O सात।
39. अल्लाह के नाम (الحي)में कौन सा कमाल मौजूद है।
O जाती। O सुलतानी।
40. अल्लाह के नाम (القيوم)में कौन सा कमाल मौजूद है।
O जाती। O सुलतानी।
41. जब(الحي) (القيوم) के साथ मिल कर आए तो जाती और सुल्तानी दोनों कमाल पर दलालत करता है। (सही- गलत)
42. अल्लाह के दोनों नाम(الحي)और(القيوم)एक साथ मिलकर कितनी जगह पर आया है।
O तीन जगह। O चार जगह। O दो जगह।
43. इंकार किये गये सिफतों में जरूरी है कि अल्लाह से उनका इंकार बिल्कुल उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार अल्लाह ने और रसूल(ﷺ)ने किया है। साथ में उसके विपरीत को साबित किया जाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इंकार में खूबी नहीं है। उसका उदाहरण यह है कि हम अल्लाह से ऊँघ और नींद का इंकार करते हैं, तो यह उनके पूर्ण जिंदगी और पूर्ण कय्यूमियत को साबित करता है। (सही- गलत)
44. अल्लाह तआला शिफारिश की इजाजत सिर्फ उसी को देगा जिस से वे राजी होंगे, और वे राजी होंगे सिर्फ: O तौहीद से। O रसूल के अज्ञापालन से। O दोनों से।
45. शरीअत और तक्दीर से संबंधित जिन चीजों की जानकारी अल्लाह ने बन्दों को दी वह: O बहुत कम है। O ज्यादा है।
46. अल्लाह का कलाम(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ)वर्तमान काल और भविष्य काल को सम्मिलित है। और(وَمَا خَلْفَهُمْ)अतीत काल को शामिल है। (सही- गलत)
47. अल्लाह का नाम(العلي)अल-अली, जिसका अर्थ है बुलंद, और वे बुलंद हैं:
O व्यक्तित्व के एतबार से। O गुणों के एतबार से। O तमाम मख्लूक पर नियंत्रण के एतबार से। O इन तमाम कारणों से।

48. जिसने इसे रात में पढ़ लिया अल्लाह की जानिब से उसकी हिफाजत होती रहेगी, और शैतान उसके करीब नहीं आएगा, यहाँ तक कि सुबह हो जाए। वह क्या है?
O सूरह बकरह की आखरी आयतें। O आयतुल कुर्सी।

49. आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है: O फर्ज नमाजों के बाद। O सोते समय।
O सुबह व शाम। O इन सभी समय में।

सूरह जलजला की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न:

50. सूरह जलजला: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

51. सूरह जलजला में: O चेतावनी है। O प्रेरना है। O दोनों है।

52. अल्लाह तआला का कलाम(إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا) बिल्कुल वैसा है जैसे अल्लाह का फरमान(﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفۡصَفًا ١٠٦ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمۡتًا ١٠٧﴾)। (सही- गलत)

53. अल्लाह तआला का कलाम कि जमीन अपना बोझ निकाल देगी उसका अर्थ है:
O पहाड़ और टीले। O मुर्दे और खजाने।

54. जमीन उन गवाहों में से एक है जो बन्दों के कार्यों की गवाही देगी। (सही- गलत)

55. अल्लाह का कलाम(أَشۡتَاتًا)का अर्थ है: O हर शख्स अलग अलग। O विभिन्न समूह में।

56. अल्लाह का कलाम(فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ)बिल्कुल वैसी है जैसे अल्लाह का फरमान (وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا)है (अल-कहफ:49)। (सही- गलत)

सूरह अल-आदियात की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

57. सूरह अल-आदियात: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

58. अल-आदियात(العاديات)का शाब्दिक अर्थ है:
O घोड़ा। O हर चीज जो हरकत करे। O दोनों।

59. सूरह आदियात में वाजिब हकों को अदा ना करने पर चेतावनी दी गई है।(सही- गलत)

60. निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बयान कीजिए:

(ضَبۡحًا)----------

(قَدۡحًا)----------

(نَقۡعًا)----------

(لَكَنُودٌ)----------

सूरह अल-कारिआ की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

61. सूरह अल-कारिआ: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।
62. सूरह कारिआ का मक्सद है डराना: O क्यामत की भीषणता से। O दुनिया की आज्माइशों से।
63. अल-कारिआ से मुराद है: O चेतावनी की आयतें O क्यामत का दिन।
64. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बयान कीजिए:
(كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ)----------
-(كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ)----------
65. इस सूरह में उल्लेखित तराजू का अर्थ है: असली तराजू। इंसाफ की तरफ संकेत।
66. (عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ)खूशहाल जिंदगी अर्थात: O दुनिया में। O जन्नत में।
67. (فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ)का अर्थ है: O जहन्नुम उससे उसकी माँ की तरह चिमटा होगा। O उसके दिमाग की माँ यानी जड़ आग में होगी। O यह दोनों बातें।
68. अल्लाह के फरमान(وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ)में: O जहन्नुम के भयावहता को दिखाया गया है। O उसके बारे में प्रश्न किया गया है।
69. जहन्नम के नामों में से(इससे अल्लाह की शरण चाहते हैं): O अल-हावियह है। O जहन्नम है। O अल-हुतमह है। O लजा है। O अस-सईर है। O सकर है। O यह तमाम नाम हैं।
70. (نَارٌ حَامِيَةُۢ)गरम आग (हम इससे अल्लाह की शरण चाहते हैं)। उस की गर्मी दुनिया की आग से कितना गुना ज्यादा है?
O सत्तर गुना। O नव्वे गुना। O निन्यान्वे गुना।

सूरह अल-तकासुर की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

71. सूरह अल-तकासुर: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।
72. इस सुरह में: O लोगों के हालात की खबर दी गई है। O इंसान जिस मक्सद के लिए पैदा किये गये उसे भूलने पर चेतावनी दी गई है।
73. इस सूरह में ज्यादा तलब करने से मना किया गया है, अगरचे उससे इरादा अल्लाह को राजी करने का हो। (सही- गलत)
74. यह कहावत कि वह अपने आखरी ठिकाने को पहूँच गया: O इसमें मरने के बाद उठाये जाने का इंकार है। O ऐसा कहना जायेज है।

75. अल्लाह तआला के कलाम(حَتَّىٰ زُرْتُمُ)में उनको यात्री के नाम से पुकारा गया और निवासी के नाम से नहीं पुकारा, क्यों? O क्योंकि बर्जख् ऐसा घर है जिसका लक्ष्य आखिरत के घर तक पहूँचना है। O क्योंकि वे दुनिया में अपने घरों से कब्र तक जा चुके हैं जो उनका अपना नहीं।

76. इल्म तीन प्रकार के हैं: O यकीनी इल्म। O यकीनी दर्शन। यकीनी हक। (सही- गलत)

सूरह अल-अस्र की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

77. सूरह अल-अस्र: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

78. सूरह अल-अस्र में चार चीजों के ऊपर दलील है: इल्म, अमल, दावत व सब्र। (सही- गलत)

79. गैरुल्लाह के कसम खाने के संबंध में निम्नलिखित कौन सा जुमला सही है?
O अल्लाह के लिए जायज है कि अपने मख्लूक में से जिस की चाहे कसम खाये।
O मख्लूक के लिए जायज नहीं कि अल्लाह को छोड़ कर किसी की कसम खाये।
O मख्लूक के लिए जायज है कि गैरुल्लाह की कसम खाये। O पहला और दूसरा उत्तर।

80. सब्र कितने प्रकार के हैं: O दो प्रकार। O तीन प्रकार। O चार प्रकार।

81. इस सूरह में चार महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले के दो को पालन करके बन्दा खूद को पूर्ण कर लेता है, और बाद के दो के जरिए बन्दा दूसरे को पूर्ण बनाता है। (सही- गलत)

सूरह अल-होमजा की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

82. सूरह अल-होमजा: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

83. (ويل)शब्द का अर्थ है: O जहन्नम की एक वादी। O एक चेतावनी, जो जहन्नम की वादी और दूसरी चीजों को शामिल है।

84. (الهمز)बातों के जरिए और (اللمز)कार्यों के जरिए होता है। (सही - गलत)

85. (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ) इस आयत से पता चलता है कि नेकी उम्र में वृद्धि करती है। (सही- गलत)

86. अल्लाह का फरमान(وَمَآ أَدْرَىٰكَ)का अर्थ है कि आप(ﷺ)ने: O जाना। O नहीं जाना।

87. अल्लाह तआला के कलाम(نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ)में आग के ईंधन का मतलब है: O इंसान। O पत्थर। O दोनों।

88. अल्लाह का फरमान(تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ)आग जो दिलों तक पहूँचती है, उसका अर्थ:
O जो धारणा तुम दिलों में पालते हो। O शरीरों से होते हुए दिलों को पहूँचेगी।

सूरह अल-फील की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

89. सूरह अल-फील: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।
90. इस सूरह में सबक यह है कि जब पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर अल्लाह के घर पर हमला करने से डरता है, तो इंसान को और ज्यादा डरना चाहिए। (सही- गलत)
91. नबी(ﷺ)पैदा हुए: O हाथी के साल। O गम के साल। O सूखे के साल।
92. यह सूरह नबी(ﷺ)की नबूवत के लिए अग्रदूत है। और यह सब असाधारण बातें हैं जो नबी(ﷺ)के लिए उनके मिशन से पहले जाहिर हुएँ। (सही- गलत)
93. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बयान कीजिए:

(طَيْرًا أَبَابِيلَ)यानी:----------

(كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ)यानी:----------

सूरह कुरैश की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

94. सूरह कुरैश: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।
95. इस सूरह का संबंध है: O सूरह फील से। O सूरह काफिरून से।
O सूरह नास से।
96. सर्दी में कुरैश की यात्रा शाम की ओर होती थी, और गर्मी में यमन की ओर। (सही- गलत)
97. अल्लाह तआला ने मक्का व मक्का के वासियों की महानता अरब के दिलों में डाल दी, यहाँ तक कि वे उन का सम्मान करते, और कोई नुक्सान नहीं पहूँचाते थे:
O मक्का में। O मक्का में भी और सफर में भी।
98. अल्लाह तआला ने काबा के साथ अपनी रुबूबियत को खास किया, उसके सम्मान व महानता को बताने के लिए, वरना वे हर चीज के रब हैं। (सही- गलत)
99. (رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ) इसमें मख्लूक की इजाफत् खालिक की तरफ है उनके सम्मान को बताने के लिए। (सही- गलत)

सूरह अल-माऊन की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

100. सूरह अल-माऊन: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।
101. अल्लाह के कलाम(أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ)में(الدين)शब्द का अर्थ है:

O जी उठना और बदला दिया जाना। O कर्ज लेना और हकों का इंकार करना।

102. (يَدُعُّ)शब्द का अर्थ है: O छोड़ देना। O ताकत के साथ धक्के देना।

103. यतीम वह है जिस के: O पिता का देहांत हो गया हो। O माता का देहांत हो गया हो।

104. इसी तरह यतीम उसको कहते हैं जो: O बालिग ना हुआ हो। O बालिग हो गया हो।

105. नमाज में भूल होना इंसान को दोषी बनाता है, और नमाज को भुल जाना तो यह हर शख्स से हो सकता है। (सही- गलत)

106. दिखावा करने का हुक्म: O जायज है। O मकरूह है। O हराम है। O छोटा शिर्क है। O बड़ा शिर्क है।

107. इस सूरह में भलाई के काम पर उभारा गया है। (सही- गलत)

108. इस आयत में उल्लेख किये गए माऊन शब्द का अर्थ है: O बर्तन वगैरह। O हर वह चीज जिसके उपयोग की अनुमति देने की परंपरा लोगों में पायी जाती है।

सूरह अल-कौसर की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

109. सूरह अल-कौसर : O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

110. अल-कौसर नाम है: O एक नहर का। O बहुत सारी भलाईयों का।

111. अल्लाह ने इन दो इबादतों यानी नमाज और कुर्बानी को खास करके जिक्र किया, क्योंकि यह दोनों सर्वश्रेष्ठ इबादत हैं। (सही- गलत)

112. (شَانِئَكَ)यानी: O आप से नफरत करने वाले। O आप को बद्नाम करने वाले। O आप का अपमान करने वाले। O उपरोक्त सभी।

113. अल्लाह का कलाम(هُوَ ٱلْأَبْتَرُ)अपने अर्थ से दलालत करता है कि नबी(ﷺ)से मुहब्बत करने वाले की प्रशंसा व जिक्र बाकी रहने वाली है। (सही- गलत)

114. इस सूरह में आप(ﷺ)के असंख्य समर्थक व मदद्गार होने के सबूत हैं। (सही- गलत)

सूरह अल-काफिरून की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

115. सूरह अल-काफिरून: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

116. सूरह काफिरून किस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद पढ़ी जाती है: O फज्र की सुन्नत में। O मगरिब की सुन्नत में। O तवाफ की सुन्नत में। O वित्र में। O इन तमाम नमाजों में।

117. शिर्क की मिलावट वाली इबादत: O अपूर्ण इबादत है। O इबादत है ही नहीं।

118. (قُلْ) में संबोधन: O नबी(ﷺ)को है। O नबी(ﷺ)और हर उस शख्स को जिसे संबोधित किया जा सके।

119. इस सूरह में काफिरों से मुराद: O वे लोग जिन्हें नबी(ﷺ)की दावत पहूँची और वे ईमान नहीं ले आए,जैसे यहूदी व ईसाई। O मक्का के काफिरगण।

120. इस सूरह में शिर्क और शिर्क वालों से, दिल जुबान और शरीर के अंगों के द्वारा, बराअत् का इजहार किया गया है। (सही- गलत)

121. इस सूरह में शब्दों का दोहराया जाना: O ताकीद के लिए है। O इसलिए कि पहला जुमला काम के ना पाये जाने पर दलालत करे, और दुसरा जुमला इस बात पर दलालत करे कि यह उनकी लाजिमी आदत बन गयी है।

सूरह अन-नस्र की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

122. सूरह अन-नस्र: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

123. इस सूरह में एक खूश्खबरी, एक समाचार, एक हुक्म, एक चेतावनी है। (सही- गलत)

124. इस उम्मत व इस धर्म पर अल्लाह की रहमतें व दया इतनी हैं जो किसी के मस्तिष्क व कल्पना में ना आए। (सही- गलत)

125. इस सूरह में इस बात का इशारा है कि आप(ﷺ)के देहांत का समय करीब आ चुका है। (सही- गलत)

126. इस सूरह पर अमल करते हूए आप(ﷺ)अक्सर रुकू व सजदे में पढ़ा करते थे: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)। (सही- गलत)

सूरह अल-मसद की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

127. सूरह अल-मसद यह: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

128. अबूलहब: O आप(ﷺ)के चाचा थे। O उसका आप(ﷺ)से कोई रिश्ता नहीं था।

129. क्यामत के दिन तक भर्त्सना की जाएगी: O अबूलहब की। O हर उस शख्स की जो नबी(ﷺ)से दुशमनी रखे।

130. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बयान कीजिए:

(تَبَّتْ)----------

(وَمَا كَسَبَ)----------

(جِيدِهَا)----------

(مَّسَدٍ)----------

131. इस सूरह में अल्लाह की निशानियों में से एक प्रभावशाली निशानी यह है कि अबूलहब व उसकी बीवी इसलाम कबुल नहीं करेंगे। (सही- गलत)

सूरह अल-इख्लास की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

132. सूरह अल-इख्लास यह: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

133. सूरह इख्लास को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि: O यह अल्लाह के गुणों को बयान करने में खालिस है। O अपने पढ़ने वाले को शिर्क से नजात दिलाता है। O यह दोनों बातें।

134. नेकी में यह सूरह बराबर है: O आधे कुरआन के। O एक चौथाई कुरआन के। O एक तिहाई कुरआन के।

135. दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद यह सूरह पढ़ी जाती है: O फज्र की सुन्नत में। O मगरिब की सुन्नत में। O तवाफ की सुन्नत में। O वित्र की नमाज में। O फर्ज नमाजों के बाद। O सोते समय। O उपरोक्त सभी।

136. सूरह काफिरून और सूरह इख्लास दिन व रात पढ़ी जाती है, ताकि तौहीद के तीनों किस्मों का पूर्ण पालन हो सके। (सही- गलत)

137. सूरह इख्लास में: O तौहीदे उलूहीयत है। O तौहीदे रबूबियत व तौहीदे अस्मा व सिफात है।

138. (قل)का वास्तविक अर्थ है कि: O सिर्फ जुबान से हो। O जुबान दिल और अमल से।

139. अल्लाह का फरमान(هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ)अल्लाह एक है, यानी अपनी रुबूबीयत, उलूहियत, अस्मा व सिफात में अकेला है। (सही - गलत)

140. अल्लाह का फरमान(ٱلصَّمَدُ)बेनियाज का अर्थ है: O जो समस्त जरूरतों में आश्रय हैं। O जो खूद कायम हैं और दूसरे भी उनकी वजह से कायम हैं। O वह सरदार जो सरदारी,उलूहीयत,रुबूबियत,और अस्मा व सिफात में पूर्ण हैं। O उपरोक्त सभी।

141. अल्लाह की जानिब औलाद या बाप की निस्बत करना बड़ा कुफ्र है। (सही- गलत)

सूरह अल-फलक की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

142. सूरह अल-फलक यह: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

143. सूरह फलक पढ़ी जाती है:
O फर्ज नमाजों के बाद। O सोते समय। O दोनों समय।

144. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बयान कीजिए:
(أَعُوذُ)----------
(ٱلْفَلَقِ)----------
(غَاسِقٍ)----------
(وَقَبَ)----------
(ٱلنَّفَّٰثَٰتِ)----------
(ٱلْعُقَدِ)----------
(حاسدٍ)----------

145. इस सूरह में: O आम और खास रूप से पनाह माँगने का बयान है।
O इस चीज का बयान है कि जादू की वास्तविकता है। O यह दोनों बातें।

सूरह अन-नास की तफ्सीर से संबंधित प्रश्न

146. सूरह अन-नास यह: O मक्की सूरह है। O मदनी सूरह है।

147. सूरह अन-नास पढ़ी जाती है: O फर्ज नमाजों के बाद। O सोते वक्त। O दोनों समय।

148. (ٱلْخَنَّاسِ)शब्द का क्या अर्थ है: ----------

दूसरा पाठ

दूसरा पाठ: इसलाम के अरकान

इसलाम के पाँच अरकान हैं: सबसे पहला और बड़ा हैःलाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना उसके अर्थों एवं शर्तों समेत।

अर्थ: (لا إله)में अल्लाह के सिवा समस्त माबूद(आराध्य)जिनकी पूजा की जाती है सबका इंकार है। (إلا الله)में सिर्फ अल्लाह के लिए समस्त इबादत का इकरार है।

लाइलाहा इल्लल्लाह की शर्तें:

1.ऐसा इल्म जो अज्ञानता के विपरीत हो। 2.ऐसा यकीन जो शक के विपरीत हो। 3.ऐसा इख्लाल जो शिर्क के विपरीत हो। 4.ऐसी सच्चाई जो झूठ के विपरीत हो। 5.ऐसी मुहब्बत जो नफरत के विपरीत हो। 6.ऐसा आज्ञा जो नाफरमानी के विपरीत हो। 7.ऐसा कबूल जो इंकार के विपरीत हो। 8.अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है सबका इंकार हो। इन तमाम शर्तों को इन पंक्तियों में जमा कर दिया गया है।

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها

मुहम्मद रसूलुल्लाह(ﷺ)की गवाही और उसके तकाजे का बयान:

आप(ﷺ)की बताई हुई खबर को सच्चा मानना, आप के आदेश का पालन करना, आप की मना की हूई चीजों से रुक जाना, और आप की लाई हूई शरीअत के मुताबिक आल्लाह की इबादत करना।

फिर तालिबे इल्म के सामने बाकी अरकान का जिक्र किया जाए, जो यह हैं: नमाज, जकात, रमजान के रोजे, अल्लाह के घर(काबा) का हज जिसके पास जाने की ताकत हो।

(لاإله إلا الله) के अरकान

साबित करन(إلا الله)	इंकार करना (لا إله)
सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत को साबित करना (अल्लाह पर ईमान)	अर्थात अल्लाह के सिवा समस्त बातिल माबूदों का इंकार (तागूत का इंकार)

الشعر: لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما

अनुवादः कलिमा-ए-इख्लास के दो रुक्न हैः एक इंकार, दूसरा इकरार, दोनों को अच्छी तरह याद कर लो।

लाइलाहा इल्लल्लाह के शर्तों की व्याख्या:

लाइलाहा इल्लल्लाह के शर्तों का उदाहरण एक कुंजी के दांत जैसा है। तो जब कलमा लाइलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, और कुंजी दांत के बिना किसी काम की नहीं, तो इसी लिए कुरआन व हदीस में जो भी आया है कि जो शख्स लाइलाहा इल्लल्लाह कह लेगा उसके लिए यह इनाम है, तो उस इनाम को हासिल करने के लिए इन शर्तों का पूरा होना जरुरी है। और वह आठ हैं:

1.**लाइलाहा इल्लल्लाह के अर्थ का ज्ञान**: इसका विपरीत है उसके अर्थ को ना जानना। तो जो शख्स उसके अर्थ को ना समझे, वह उससे फायदा नहीं उठा सकता। इसी लिए जो शख्स इसलाम में दाखिल होना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि लाइलाहा इल्लल्लाह के अर्थ को पूरा समझे। नबी(ﷺ)ने इरशाद फरमाया:(من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، دخل الجنة) जिस व्यक्ति का इस हाल में देहांद हो कि वह लाइलाहा इल्लल्लाह के अर्थ को जानता था तो वह जन्नत में दाखिल होगा।(सही मुस्लिम:26)

2.यकीन: यानी शत प्रतिशत यकीन। अगर कोई सौ प्रतिशत में से एक प्रतिशत भी तागूत के इंकार में शक करे या तरद्दुद करे, तो वह तौहीद प्रस्त नहीं, इसी तरह यहूद व नसारा के काफिर होने में शक करे जिन तक नबी(ﷺ)की दावत पहँच चकी. तो भी वह तौहीद प्रस्त नहीं। नबी(ﷺ)का डरशाद है:

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई आराध्य नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जिसने इन दोनों के साथ शक ना करते हूए अल्लाह से मुलाकात की, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। (सही मुस्लिम:27)

3.इख्लास: जिस ने इस में दिखावा से काम लिया, या बड़ा शिर्क किया, जैसे गैरुलल्लाह की इबादत की, तो यह कलमा उसे फायदा नहीं पहूँचाएगा। नबी(ﷺ)ने फरमाया: मेरी शिफारिश का ज्यादा हकदार वह शख्स है जिसने लाइलाहा इल्लल्लाह का इकरार खालिस दिल से किया।(सही बुखारी:99)

4.सच्चाई: जिस ने झूटे दिल से इस कलमा का इकरार किया(जैसे मुनाफिक)तो उसे यह कोई फायदा नहीं पहूँचाएगा। नबी(ﷺ)ने फरमाया: जिस किसी ने सच्चे दिल से गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं, तो अल्लाह उस पर जहन्नम हराम कर देंगे। (बुखारी व मुस्लिम)।

5.मुहब्बत: इंसान अल्लाह से मुहब्बत करे, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे से मुहब्बत ना करे, और अल्लाह ने जिन से मुहब्बत करने का हुक्म दिया है उन से भी मुहब्बत करे। मुहब्बत का विपरीत शब्द नफरत है। इसी लिए इसलाम से खारिज करने वाली चीज है रसूल(ﷺ)की लाई हूई शरीअत से नफरत करना, अगरचे उस पर अमल भी करता हो फिर भी काफिर हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं: कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से हटकर दूसरों को उसके समकक्ष ठहराते हैं, उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए।(बकरह:165)

6.आत्मसमर्पण: सर झुका कर इसको मान लेना,इस पर अमल करना, जिस ने अमल नहीं किया उसे कलमा से कोई फयदा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं: तो तुम्हें तुम्हारे रब की कसम! ये ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में ये तुमसे फ़ैसला न कराएँ। फिर जो फ़ैसला तुम कर दो, उसपर ये अपने दिलों में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह मान लें। (निसा:65)

7.कबूल: यानी बात या अमल या अकीदा को ना ठुकराए। अल्लाह फरमाते हैं: उनका हाल यह था कि जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं है। तो वे घमंड में आ जाते थे। और कहते थे, "क्या हम एक उन्मादी कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ दें? (साफ्फात:36)

मुहब्बत के प्रकार

प्राकृतिक मुहब्बत:
यह मुहब्बत जायज है इस शर्त पर कि अल्लाह की मुहब्बत से ऊपर ना हो। जैसे बच्चे और बीवी से मुहबबत। आप(ﷺ)ने फरमाया: तुम में से कोई भी उस वक्त तक पूर्ण मोमिन नहीं हो सकता जबतक कि मैं उसके लिए उसके बाप बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। (बुखारी व मुसलिम)

अल्लाह के लिए मुहब्बत करना:
मुहब्बत की यह किस्म वाजिब ही नहीं बल्कि ईमान की मजबूत रस्सियों में से एक है। अल्लाह फरमाते हैं: अल्लाह के रसूल मुहम्मद और जो लोग उनके साथ हैं, वे काफिरों पर भारी हैं, आपस में दयालु हैं।(फतह:29)

यह चार चीजों में होता है:

- उस स्थान से मुहब्बत करना जिसे अल्लाह पसन्द करते हैं। जैसे मक्का और मदीना
- उस समय से मुहब्बत करना जिसे अल्लाह पसन्द करते हैं। जैसे शबे कदर, रात की आखिरी तिहाई
- नेक कार्य करने वालों से मुहब्बत करना। जैसे नबी, रसूल, फरिश्ते, सहाबा और हर वह शख्स जो तौहीद पर चलता है।
- उस कार्य से मुहब्बत करना जिसे अल्लाह पसन्द करते हों। और यह हर वह चीज है जिसे शरीअत लेकर आई है, जैसे तौहीद

अल्लाह के साथ किसी और से मुहब्बत करना:
ऐसा करना शिर्के अकबर है। अल्लाह फरमाते हैं: कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से हटकर दूसरों को उसके समकक्ष ठहराते हैं, उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए।(बकरह:165)

(محمد رسول الله) की गवाही में (عبده)का क्या अर्थ है

- मुहम्मद(ﷺ)मख्लूक में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, और उन्होंने पूर्ण बन्दगी के सारे तकाजे पूरे किये।
- मुहम्मद(ﷺ)अल्लाह के बन्दे हैं, और जो खुद बन्दा है उसकी इबादत दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनमें रुबूबियत उलूहियत और अस्मा व सिफात के लक्षण नहीं पाये जाते

अल्लाह की बन्दगी के प्रकार

अति विशेष बन्दगी:
यह ऐसी बन्दगी है जो रसूल(ﷺ)अदा करते हैं। अल्लाह तआला नूह(ﷺ)के बारे में फरमाते हैं: निस्संदेह वह शुक्र गुजार बंदे थे।(इस्रा:3) यह बन्दगी जो रसूलों की तरफ निस्बत की गई है वह अति विशेष कहलाएगी, क्योंकि इन रसूलों का इबादत के मैदान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता।

विशेष बन्दगी:
यह आम इबादत की बन्दगी है। अल्लाह तआला फरमाते हैं: और रहमान के बन्दे वह हैं जो जमीन पर विनम्रता से चलते हैं, जब जाहिल लोग उन से मुखातिब होते हैं तो कह देते हैं सलाम हो (फुर्कान:63) इस में वह बन्दे शामिल हैं जो अल्लाह की इबादत उसकी शरीअत के मुताबिक करते हैं।

सामान्य बन्दगी:
यह है रुबूबियत की बन्दगी,यानी गलबा और काबू रखना,और यह समस्त मख्लूक के लिए सामान रुप से है। अल्लाह तआला फरमाते हैं: आकाश व पृथ्वी में जो भी हैं सब अल्लाह के बन्दे व गुलाम बन कर आने वाले हैं। (मरयम:93) इसमें मोमिन व काफिर सब शामिल हैं।

नबी(ﷺ)की जिवनी का संक्षिप्त वर्णन:

आप(ﷺ)का नसब नामा

आप मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तालिब बिन हाशिम हैं,और हाशिम कुरैश में से हैं, और कुरैश अरब में से, और अरब इस्माईल(ﷺ)बिन इब्राहीम(ﷺ)की औलाद में से हैं।

आप(ﷺ) का जन्म

आप(ﷺ)हाथी वाले साल रबीउल अव्वल महीने में मक्का में पैदा हूए। 63 साल की उम्र पाई, जिन में चालीस साल नबूवत से पहले के, और 23 साल नबी व रसूल बनकर गुजारे। आप यतीम थे, आप के पिता का आपके जन्म लेने से पहले ही देहांत हो गया था, आप(ﷺ)अपने दादा अब्दुल मुत्तालिब की देखभाल में रहे, फिर उसके देहांत के बाद अपने चाचा अबूतालिब की देखभाल में रहे।

आप(ﷺ)जिन्न व इंसान की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, जिस को भी आप की दावत पहूँची, और ईमान नहीं लाया तो वह असली काफिर होगा, चाहे कोई भी हो।	नबी(ﷺ)का मिशन
आप(ﷺ)ने तौहीद और अच्छे कार्य व अच्छे स्वभाव की तरफ दावत दी, और शिर्क, बुरे कार्य व स्वभाव से मना किया।	नबी(ﷺ)की दावत
नबी(ﷺ)को मक्का से बैतुलमुकद्दस तक सैर कराया गया, फिर वहाँ से सातवें आस्मान तक ले जाया गया, जहाँ अल्लाह तआला ने आप से बात की, और पाँच वक्त की नमाजें फर्ज की गईं।	इस्रा और मेराज
आप(ﷺ)ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, और वहीं आपकी मृत्यु हुई, और मोमिनों की माँ हजरत आइशा के कमरे में दफन किये गए।	नबी(ﷺ)की हिजरत व देहांत
अल्लाह ने आप(ﷺ)के जरिए दीन को पूर्ण कर दिया, आप ने स्पष्ट तौर पर दीन को पहूँचा दिया, अमानत अदा करदी, उम्मत को नसीहत फरमाई, और अल्लाह के रास्ते में हर प्रकार का जिहाद किया, अब किसी के लिए संभव ही नहीं कि इस में किसी भी प्रकार की वृद्धि करे।	इसलाम धर्म को दूसरों तक पहूँचाने का कर्तव्य
यह सात हैं: बदर,उहुद, खन्दक, खैबर, मक्का विजय, तबुक और हुनैन।	महत्त्वपूर्ण गजवात(युद्ध)

कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्लाह(तैयब व ताहिर),और जैनब, रुकैया, उम्मे कुल्थूम, फातिमा। इन सभों की वफात आप(ﷺ)की जिन्दगी में ही हो गई थी, सिवाय फातिमा के, उसका देहांत आप(ﷺ)की देहांत के छह महीने बाद हुआ।	नबी(ﷺ)की सात औलादें थीं:
खदीजा, आइशा, सौदह, हफ्सा, जैनब हिलालियह, उम्मे सल्मा, जैनब बिन्त जहश्, जोवैरियह् बिन्त हारिस, सफीयह् बिन्त हुय्य, उम्मे हबीबह, रैहाना बिन्त जैद, मैमूनह बिन्त हारिस। (رضي الله عنهن)	नबी(ﷺ)की बारह बीवीयाँ थीं:
नबी(ﷺ)की माता आमिनह बिन्त वहब, आपके चाचा अबूलहब की लौन्डी सोवैबह, हलीमह बिन्त अबी जोऐब सादीयह।	नबी(ﷺ)को दूध पिलाने वाली महिलाएँ
सूरह अलक की प्रारंभिक पाँच आयतें: ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥ **अनुवाद**: पढ़ो, अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, पैदा किया मनुष्य को जमे हुए ख़ून के एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही उदार है, जिसने कलम के द्वारा शिक्षा दी।	नबी(ﷺ)पर नाजिल होने वाली पहली वही:
पुरुषों में से अबूबक्र सिद्दीक(ﷺ), औरतों में उम्मुल मोमिनीन खादीजा बिन्त खुवैलिद, बच्चों में से अली बिन अबी तालिब(ﷺ),आजाद गुलामों में से जैद बिन हारिसा(ﷺ), गुलामों में से बिलाल बिन रिबाह(ﷺ)।	नबी(ﷺ)पर सर्वप्रथम ईमान लाने वाले:

आप(ﷺ)ने चार उमरे किये, सब के सब जीकादा के महीने में हुआ, और एक बार हज किया जिसे हज्जतुलवादा कहा जाता है, जो कि हिजरत के दसवें वर्ष पूरा हूआ।	नबी(ﷺ)का हज व उमरा
अल्लाह तआला फरमाते हैं: निस्संदेह आप स्वभाव के उच्चतम दरजे पर विराजमान हैं।(कलम:4) और उम्मुल मोमिनीन आइशा फरमाती हैं: कुरआन ही आप का अख्लाक था।(अहमद:25302)	नबी(ﷺ)का स्वभाव
इब्नुल कय्येम(رحمه الله)फरमाते हैं कि: जब दुनिया व आखिरत की भलाई नबी(ﷺ)के तरीके पर चलने में है, तो हर वह शख्स जो स्वयं का शुभचिंतक है, और अपनी नजात व खूशी चाहता है, उसे चाहिए कि नबी(ﷺ)के तरीके, जीवनी व हालात, को अच्छी तरह जान ले, जिससे वह अज्ञानियों के गिरोह से निकल कर, नबी(ﷺ)के अनुयायियों के गिरोह में शामिल हो जाए। और इस मैदान में लोग तीन प्रकार के हैं: ज्यादा करने वाले, कम करने वाले, और सीधे महरूम। और फजल व हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहता है नवाजता है, और अल्लाह बडा फज्ल वाला है।	नबी(ﷺ)की जीवनी पढ़ने का महत्त्व

तीसरा पाठ

ईमान के अरकान:

ईमान के छह अरकान हैं: अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसके किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, और तक्दीर के अच्छे व बुरे पर ईमान लाना।

ईमान का शरई परिभाषा:

जुबान से इकरार करना, दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से अमल करना। ईमान अच्छे कार्य करने से बढ़ता है, और गुनाह करने से घटता है, उसकी दलील निम्नलिखित है:

ईमान के घटने की दलील:	ईमान के बढ़ने की दलील:	दिल से एतकाद की दलील:	शरीर के अंगों से अमल करने की दलील:	जुबान से इकरार करने की दलील:
ما رأيت من ناقصات عقل ودين	أيكم زادته هذه إيمانا	والحياء شعبة من الإيمان	नबी(ﷺ)का फरमान (أدناها اماطة الاذى عن الطريق	فأعلاها قول لا إله إلا الله
मैंने औरतों के जैसी अल्पबुद्धि अल्प दीन वाला किसी को नहीं देखा	तुम में से किसके ईमान में इससे वृद्धि हुई।	शर्म व लज्जा ईमान का एक शाखा है।	ईमान का निम्न दर्जा है रास्ता से कष्टदायक चीजों को हटाना।	ईमान का उच्चतम शाखा है लाइलाहा इल्लल्लाह कहना।

ईमान में वृद्धि के कारण

- अल्लाह के मख्लूक में गौर व फिक्र करना।
- अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के कामों से दूर रहना।
- अल्लाह का अज्ञापालन और अच्छे कार्य ज्यादा से ज्यादा करना।
- तौहीद का अध्ययन करना, विशेषकर अस्मा व सिफात के विषय को

ईमान के घटने के कारण

- अल्लाह के मख्लूक में गौर व फिक्र ना करना।
- अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों के काम करना।
- अल्लाह की इताअत और अच्छे कार्य ना करना।
- तौहीद का अध्ययन ना करना। विशेषकर अस्मा व सिफात के विषय को

ईमान के छह अरकान हैं

- तक्दीर के अच्छे व बुरे पर ईमान लाना।
- आखिरत के दिन पर ईमान लाना
- रसूलों पर ईमान लाना।
- किताबों पर ईमान लाना।
- फरिश्तों पर ईमान लाना।
- अल्लाह पर ईमान लाना।

पहला रुक्न: अल्लाह पर ईमान लाना,यह निम्नलिखित चीजें लाजिम करती है:

अल्लाह तआला के अस्मा व सिफात पर ईमान लाना।	अल्लाह तआला के सच्चे माबूद (उपास्य)होने पर ईमान लाना।	अल्लाह तआला के रब होने पर ईमान लाना।	अल्लाह के मौजूद होने पर ईमान लाना। यह चार चीजों से साबित होता है:
शरीअत से: इब्ने कय्येम(رحمه الله) ने जिक्र किया है कि अल्लाह की किताब में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें अल्लाह के एक होने की दलील मौजूद ना हो।	**प्रकृति से:** आप(ﷺ)ने फरमाया: हर बच्चा इसलाम की प्रकृति पर पैदा होता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना लेते हैं।(बूखारी व मुस्लिम)	**इहसास से:** जब तुम किसी पीड़ा या परेशानी में होते हो, तो हाथ को आस्मान की तरफ उठा कर कहते हो: ऐ मेरे रब। तब अल्लाह के हुक्म से यह परेशानी दूर हो जाती है।	**बुद्धि से:** अक्ल कभी यह मान नहीं सकता कि सृष्टिकर्ता के बिना सृष्टि का वजूद हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं: क्या वे बिना किसी सृष्टिकर्ता के पैदा हो गए, या खुद वे सृष्टिकर्ता हैं (तूर:35)

दूसरा रुक्न: फरिश्तों पर ईमान लाना:

फरिश्ते गैब की दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वे अल्लाह के अज्ञापालन में लगे रहते हैं, और नाफर्मानी नहीं करते। उनकी रूहें हैं, कुरआन में पाक रूह कहा गया,उनके शरीर हैं, अल्लाह फरमाते है: दो-दो, तीन-तीन और चार-चार पंखवाले फरिश्तों को सन्देशवाहक बनाकर नियुक्त करने वाले। वह संरचना में जैसी चाहता है अभिवृद्धि करता है।(फातिर:1) उनके पास अक्ल और दिल भी होते हैं, अल्लाह फरमाते है: यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाएगी, तो वे कहेंगे, तुम्हारे रब ने क्या कहा.(सबा:23)। हम उन पर और उनके उन नामों पर जिन्हें अल्लाह ने हमें बता दिया ईमान रखते हैं, जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील। उनके गुण व कार्य यह है कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफवरजी नहीं करते, वही करते हैं जो हुक्म दिये जाते हैं(तहरीम:6)

कुछ वे फरिश्ते जिनके बारे में हमें खबर दी गई:

उन में से अर्श के उठानेवाले आठ फरिश्ते हैं, और जिब्रील जिनके जिम्मे वहय का काम सोंपा गया है, और मीकाईल जो बारिश के लिए नियुक्त हैं। हम उन तमाम पर ईमान रखते हैं, और उन खबरों पर भी जो उनके बारे हम तक पहूँची है, मोटे तौर पर या विस्तृत तरीके से।

तीसरा रुक्न: किताबों पर ईमान:

हम पर वाजिब है कि यह यकीन व ईमान रखें कि कुरआन अल्लाह का वास्तविक कलाम है। और अल्लाह की तरफ से उतारा गया है, पैदा नहीं किया गया, और अल्लाह ने हर रसूल के साथ एक किताब भेजी, जिन पर हम ईमान रखते हैं, साथ में उनके नामों और हुकमों व खबरों पर भी जो हम तक पहूँची, जब तक मन्सूख ना हुआ हो। और यह भी ईमान रखते हैं कि कुरआन मजीद पुर्व की तमाम किताबों को मन्सूख(समाप्त)कर दिया है, और पूर्व की किताबें यह हैं: तौरात, इन्जील, जबूर, इब्राहीम(عليه السلام)व मुसा(عليه السلام)के सहीफे।

चौथा रुक्न: रसूलों पर ईमान:

जरूरी है कि हम यह ईमान लाएँ कि सभी रसूल इंसान हैं, उन में रुबूबियत का कोई गुण मौजूद नहीं, और वे सब के सब बन्दे हैं, उनकी इबादत नहीं की जा सकती, अल्लाह ने उन्हें रसूल बना कर भेजा, वहय से नवाजा, और निशानियों के जरिए उनहें मजबूत किया। वे अमानत को पूर्ण तौर पर अदा कर चुके, उम्मत की खैरख्वाही की, और अल्लाह की राह में जिहाद का हक अदा किया। हम उन पर और जो कुछ अल्लाह ने हमें उनके नामों गुणों व खबरों के बारे में मोटे तौर पर या विस्तृत जानकारी दी है ईमान रखते हैं, और यह भी कि पहले नबी आदम(عليه السلام)हैं, और पहले रसूल नूह(عليه السلام)हैं, और आखिरी नबी मुहम्मद(ﷺ)हैं, और यह कि पुर्व की तमाम शरीअतें मुहम्मद की शरीअत से मन्सूख हो गई हैं। और अज्म वाले रसूल पाँच हैं, जो दो सूरह में उल्लेख किये गए हैं :मुहम्मद(ﷺ), नूह(عليه السلام), इब्राहीम(عليه السلام), मूसा(عليه السلام), ईसा(عليه السلام)।

पाँचवाँ रुक्न: आखिरत के दिन पर ईमान लाना:

यह रुक्न हर उस चीज पर ईमान को शामिल है, जिसकी नबी(ﷺ)ने खबर दी थी, और जो मौत के बाद होने वाला है, जैसे कब्र का फितना, सूर में फूँका जाना, लोगों का कब्रों से उठ खड़ा होना, मीजान, आमाल नामा,सिरात, हौजे कौसर, शफाअत, जन्नत, जहन्नम, मोमिनों का क्यामत के दिन व जन्नत में अपने रब का दीदार। इसके इलावा दूसरी गैबी चीजें।

छठा रुकन: तक्दीर के अच्छे व बुरे पर ईमान रखना:

इसके चार दर्जे हैं, जिनको कवि ने अपने पंक्ति में बयान किया है:

علم،كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين	इल्म,रब का लिखा,तथा उनकी चाहत और शृष्टि, यही अविष्कार बनावट है।

पैदा करना:

यह ईमान रखना कि बन्दे और उनके सारे कार्य पैदा किये गए हैं। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड भी। उसकी दलील अल्लाह का फरमान है: अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। (जुमर:62) और यह फरमान भी: अल्लाह ने तुमको और तुमहारे कार्यों को पैदा किया। (साफ्फात:96)

मशीअत:

यह ईमान रखना कि अल्लाह जो चाहते हैं होता है, और जो नहीं चाहते वह नहीं होता। और बन्दों की भी चाहत होती है लेकिन अल्लाह के इरादे के अधीन है। अल्लाह फरमाते हैं:और तुम नहीं चाह सकते मगर यह कि अल्लाह चाहे। (अत-तक्वीर:29)

लिखना:

इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला ने क्यामत तक होने वाली हर चीज की तक्दीर लिख दी है।उसकी दलील अल्लाह का फरमान है: आकाश तथा पाताल में छिपी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो (अन-नमल:75)

इल्म:

इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला हर चीज को संक्षिप्त और विस्तृत तौर पर पहले से जानते हैं। इसकी दलील अल्लाह का यह कलाम है: वह जानते हैं जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। (बकरह:255)

चौथा पाठ

तौहीद और शिर्क के प्रकार:

तौहीद तीन प्रकार के है: तौहीदे रुबूबियत, तौहीदे उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात।

तौहीदे रबूबियत का मतलब: इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला, तसर्रुफ करने वाला है, जिसमें उसका कोई शरीक व साझी नहीं।

तौहीदे उलूहियत का मतलब: इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह ही सच्चे माबूद हैं, उनका कोई शरीक नहीं। और यही लाइलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है, क्योंकि लाइलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। लिहाजा हर तरह की इबादत, जैसे नमाज,रोजा इत्यादि,अल्लाह के लिए विशुद्ध करना वाजिब है, और उस में से कुछ भी किसी और के लिए करना दुरुस्त नहीं।

तौहीद-ए-अस्मा व सिफात का मतलब: कुरआन-ए-करीम और सही हदीसों में मौजूद अल्लाह के नामों व गुणों पर ईमान लाना, और उनको अल्लाह के लिए साबित करना, बिल्कुल उसी तरह जो उनकी शान के उप्युक्त है, बिना किसी हेर-फेर, निरस्तीकरण, कैफियत, और समानता के। अल्लाह के इस फरमान पर अमल करते हुए कि: आप कह दीजये कि वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, नहीं जना उसने किसी को, और न ही वह खूद जना गया, और न कोई उसका समकक्ष है। (इख्लास:1-4)। और फरमाते हैं: उसके जैसी कोई चीज नहीं। वही सबकुछ सुनता, देखता है।(अस्-सूरा:11)। कुछ अहले इल्म ने तौहीद की दो किस्में बयान की हैं, और तौहीद अस्मा वस्सिफात को तौहीदे रुबूबियत में शामिल किया है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों विभाजन का मक्सद साफ है।

शिर्क की तीन किस्में हैं: बड़ा शिर्क, छोटा शिर्क, और छिपा हुआ शिर्क।
तो जिस व्यक्ति का देहांत बड़े शिर्क पर रहते हुए हो गया, उसका सारा अमल बर्बाद हो जाता है, और वह सदैव जहन्नमी बन जाता है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया: और यदि उन लोगों ने कहीं अल्लाह का साझी ठहराया होता, तो उनका सब नेक कार्य बर्बाद हो जाता।(अनआम:88)। अल्लाह ने और फरमाया: यह मुशरिकों का काम नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसके प्रबंधक हों, जबकि वे स्वयं अपने ऊपर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं, उन लोगों का सारा नेक कार्य बर्बाद हो गया,और वे आग में सदैव रहेंगे।(तौबा:17)। और जिस शख्स की मौत शिर्क पर हो जाती है उसकी माफी नहीं होगी,और जन्नत उस पर हराम हो जाती है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया: अल्लाह इसको क्षमा नहीं करेगा कि उसका साझी ठहराया जाए। किन्तु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा, क्षमा कर देगा।(निसा:48)। अल्लाह तआला और फरमाते हैं: जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा, उसपर तो अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है। अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं।(मायेदा:72)।
शिर्क के कुछ प्रकार: मृतकों और बुतों को पुकारना, उनसे फरियाद करना, उनके लिए नजर मानना, और कुर्बानी करना, इत्यादि।
छोटे शिर्क का अर्थ: वह चीजें जिसे कुरआन व हदीस में शिर्क कहा गया है, परन्तु वह बड़ा शिर्क जैसा नहीं है। जैसे नेक कार्य में दिखावा करना, गैरुल्लाह की कसम खाना, और यह कहना कि अल्लाह ने और उस शख्स ने चाहा, इत्यादि। क्योंकि अल्लाह के रसूल(ﷺ)ने फरमाया: मुझे तुम पर सबसे ज्यादा छोटे शिर्क का डर है, फिर उसके बारे में पूछा गया तो फरमाया: नेक कार्य में दिखावा करना।(अहमद:23630)। और फरमाया: जिस ने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया।(अबूदाऊद:3251)। और फरमाया: यह ना कहो कि अल्लाह जो चाहे और वह शख्स जो चाहे, बल्कि यह कहो कि अल्लाह जो चाहे फिर वह शख्स जो चाहे। (अबूदाऊद:4980)

छोटे शिर्क से कोई व्यक्ति ना मुर्तद होता है, और ना सदा के लिए जहन्नमी बनता है, लेकिन उसकी तौहीद में कमी जरूर आती है, जो अपेक्षित पूर्ण तौहीद के विपरीत है।

शिर्क की तीसरी किस्म छिपा हुआ शिर्क है: जिस की दलील नबी(ﷺ)की यह हदीस है: क्या मैं तुम्हें उस चीज के बारे में ना बता दूँ जिस का तुम पर मुझे मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खौफ है, सहाबा(رضي الله عنهم)ने कहाः क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल, तो फरमाया: छिपा हुआ शिर्क। आदमी नमाज पढ़ रहा होता है, और जब उसे कोई देखता है तो वह अपनी नमाज को खूब्सूरत बनाने लगता है।(इब्ने माजा:4204)।

और शिर्क को सिर्फ दो प्रकार में भी बाँटा जा सकता है: बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क। क्योंकि छिपा हुआ शिर्क दोनों किस्मों में पाया जाता है। तो बड़े शिर्क में छिपे हुए शिर्क का उदाहरण है: मुनाफिकों का शिर्क। क्योंकि वे अपने खराब अकीदे को छिपाते हैं, और इस्लाम का इजहार करते हैं, दिखाने के उद्देश्य से, एवं डर के कारण। और छोटे शिर्क में छिपे हुए शिर्क का उदाहरण है दिखावा करना। जैसे कि महमूद बिन लबीद अन्सारी(رضي الله عنه)की हदीस में है, जो पहले गुजर चुकी, और अबूसईद खुदरी(رضي الله عنه)की हदीस में भी है जिसका अभी जिक्र हुआ। अल्लाह तौफीक देने वाले हैं।

गुनाहों के प्रकार

छोटा गुनाह: हर वह गुनाह जिसे अल्लाह व रसूल ने हराम करार दिया हो, लेकिन उस पर कोई खास सजा निर्धारित ना की गई हो।

बड़ा गुनाह: हर वह गुनाह जिसे करने पर विशेष चेतावनी दी गई है, जैसे कि उसके करने पर लानत भेजी गई हो, या रहमत से दूर किया गया हो, या उससे बराअत का इजहार किया गया हो, या उन्हे काफिरों व मुशरिकों में शुमार किया गया हो, या कहा गया हो कि वह मुसलमानों में से नहीं है,या उसे बुरे जानवरों के जैसा बताया गया.....इत्यादि।

छोटा शिर्क यह बड़ा शिर्क से कम और कबीरा गुनाह से ऊपर है।

बड़ा शिर्क: यह हराम चीजों में सबसे बड़ा गुनाह है।

कबीरा(बड़े)गुनाह

कबीरा का हुक्म: उसके लिए तौबा करना जरूरी है, क्योंकि नबी(ﷺ)का इर्शाद है: नूहा करने वाली अगर मौत से पहले तौबह ना करे... (मुस्लिम:934)दूसरी हदीस में कहा: जब कबीरा से बचा जए। मुस्लिम:233)

उसकी श्रेणी: उसकी श्रेणी और मरतबे अलग अलग हैं, जैसे कि नबी(ﷺ)ने फरमाया: क्या मैं ना बताऊँ सबसे बड़े कबीरा गुनाह के बारे में.... (बुखारी,मुसलिम)

करने वाले का हुक्म: वह मोमिन है लेकिन ईमान में अपूर्ण है, या ईमान की वजह से मोमिन है कबीरा गुनाह की वजह से फासिक है। उसके ईमान की मात्रा के बराबर उससे प्यार किया जाएगा, और उसके कबीरा गुनाह की मात्रा के बराबर उससे नफरत किया जाएगा। गुनाहे कबीरा करते समय उससे मील जोल ठीक नहीं

इसकी संख्या: कबीरा गुनाहों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है लेकिन उनको उस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है जिसे ऊपर बयान किया गया

बड़े शिर्क व छोटे शिर्क के बीच का अंतर

बड़ा शिर्क(शिर्के अक्बर):

1. शिर्के अक्बर आदमी को इस्लाम के सीमा से बाहर कर देता है।
2. सारे नेक कार्य को बर्बाद कर देता है।
3. सदैव जहन्नम में रहने का कारण बनता है।
4. मुस्लिम शासक के लिए उसके जान व माल को हलाल कर देता है।
5. शिर्के अक्बर साबित करने के लिए स्पष्ट दलील जरुरी है।
6. यह एतकाद रखना कि ब्रह्मांड में सबब की पोशीदा शक्ती है।
7. इस शिर्क की हालत में मौत हो जाए तो कभी माफी नहीं मिलेगी।
8. अगर इससे तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देंगे, सिवाय दो हालत के: सूर्य का पश्चिम से उदय होने के बाद,और इंसान की जान निकलते समय।

छोटा शिर्क(शिर्के अस्गर):

1. शिर्के अस्गर आदमी को इस्लाम के सीमा से बाहर नहीं करता।
2. सारे नेक कार्य को बर्बाद नहीं करता, लेकिन खास अमल को बर्बाद कर देता है।
3. सदैव जहन्नम में रहने का कारण नहीं बनता।
4. जान व माल को हलाल नहीं करता
5. स्पष्ट दलील मौजूद होना कि यह शिर्के अस्गर है।
6. ऐसी चीज को सबब बनाये जिसे अल्लाह ने सबब नहीं बनाया।
7. जो भी कार्य शिर्के अक्बर तक ले जाए वह शिर्के अस्गर है।
8. हर वह कार्य जिसको शरीअत ने शिर्क या कुफ्र के नाम गिनाया, लेकिन दोनों शब्द पर अलिफ व लाम नहीं आया। तो वह शिर्के अस्गर माना जाएगा, सिवाय उस अवस्था के जब सुराग से पता चले कि वह शिर्के अक्बर है।

पांचवां पाठ

इह्सान

इह्सान यह है कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे करें जैसे आप उन्हें देख रहे हों, अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम यह कल्पना करें कि वे आप को देख रहे हैं।

इह्सान का एक ही रुक्न है, जिसके दो श्रेणी हैं:

निगरानी वाली इबादत:

जिसका मतलब यह है कि बन्दा अपने रब की इबादत उसके अजाब से बचने के लिए करे, और यह हर मुसल्मान में पाया जाता है।

मुशाहदा वाली इबादत:

इसका अर्थ यह है कि अल्लाह तआला की नेमतों की इच्छा और प्यार व शौक में इबादत की जाए। और यही नबियों व रसूलों की इबादत थी। जैसे कि नबी(ﷺ)का फरमान है: क्या मैं शुक्र गुजार बन्दा ना बन जाऊँ।(मुस्लिम:2819)। तो ईबादत की वजह यह हूई कि अल्लाह के पास जो नेमतें हैं, उनकी इच्छा, उनसे प्यार,उनके शौक ने इबादत पर मजबूर किया। साथ में अल्लाह के अजाब का खौफ भी रहा हो।

तौहीद से संबंधीत प्रश्न

1. दीन के कितने मरतबे(ग्रेड)हैं? O तीन। O दो। O पाँच।
2. इस्लाम के कितने अरकान हैं? O पाँच। O छह। O सात।
3. इस्लाम मरतबे(ग्रेड)में ईमान से ऊपर है। (सही- गलत)
4. इख्लास की गवाही के कितने अरकान हैं? O सात। O आठ O दो।
5. लाइलाहा इल्लल्लाह की कितनी शर्तें हैं? O आठ O सात O पाँच
6. इल्म लाइलाहा इल्लल्लाह की शर्तों में से एक है और उसका अर्थ है:
   O किसी चीज को उसकी असली सूरत में समझना। O अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।
7. अगर कोई ऐसे शख्स के कुफ्र में शंका करे जिस तक दावत पहूँची और ईमान नहीं लाया तो उसका हुक्म:
   O कुफ्रे अक्बर का दोषी है। O अगर यकीन शक से ज्यादा हो तो तक्फीर नहीं की जाएगी।
8. कबूल लाइलाहा इल्लल्लाह की शर्तों में से एक है, और उससे मुराद है:
   O बातों का कबूल करना। O कार्य का कबूल करना। O एतकाद का कबूल करना। O यह सारे।
9. लाइलाहा इल्लल्लाह में दिखावा करना, सदके में दिखावा करने जैसा शिर्के अस्गर है। (सही- गलत)
10. जिस ने सिर्फ जुबान से लाइलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और दिल से यकीन ना रखा तो वह: O तौहीद परस्त है। O मुसल्मान है मोमिन नहीं। O कुफ्रे अक्बर का दोषी है। O कमजोर ईमान का है।
11. अगर कोई नबी(ﷺ)से वैसी मुहब्बत करे जैसी मुहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए तो वह:
    O कुफ्रे अक्बर का दोषी है। O कुफ्रे अस्गर का दोषी है। O कबीरा गुनाह का दोषी है।
12. मुहब्बत की कितनी किस्में है: O चार। O तीन। O दो।
13. अल्लाह के लिए मुहब्बत,अमल से, अमल करने वाले से, और समय व स्थान से होती है। (सही- गलत)
14. अल्लाह के साथ किसी और से मुहब्बत करने का हुक्म:
    O छोटा शिर्क है। O वाजिब है। O बड़ा शिर्क है।
15. अल्लाह के लिए मुहब्बत का हुक्म:
    O जायज है। O वाजिब है। O बड़ा शिर्क है।

16. बन्दगी के कितने प्रकार हैं? O दो। O तीन। O चार।
17. समस्त मख्लूक अल्लाह के गुलाम हैं(काबू मे रहने की गुलामी) यहाँ तक कि काफिर भी। (सही- गलत)
18. अगर किसी ने लाइलाहा इल्लाल्लाह कहा और बिल्कुल अमल नहीं किया, ना नमाज पढ़ी, ना कोई इबादत की, तो यह उसे: O फायदा देगा। O फायदा नहीं देगा।
19. कलमा-ए-शहादत में(عبده)का मतलब: बन्दा जिसकी इबादत नहीं की जा सकती, और(رسوله)का मतलब: रसूल जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। (सही- गलत)
20. नबी(ﷺ)ने जो हुक्म दिया उसका पालन करना, और जो खबर दी उसको सच्चा जानना.....الخ यह(أشهد أن محمدا عبده ورسوله)का: O का अर्थ है। O तकाजा है।
21. जिसने रुबूबियत की विशेषताओं में से कुछ नबी(ﷺ)को दिया, तो सच में उसने गवाही नहीं दी कि वे अल्लाह के बन्दे हैं। (सही- गलत)
22. नबी(ﷺ)का उच्चतम विवरण है उनका: O रसूल होना। O बन्दा और रसूल होना। O आखिरी नबी होना।
23. जिसने इस्लाम में किसी बिद्अत(नवाचार)को जन्म दिया, और वह उसको अच्छा समझता है, तो गोया उसने आरोप लगाया कि मुहम्मद(ﷺ)रिसालत में खयानत किये हैं। इसलिए कि अल्लाह तआला फरमाते हैं: आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया।(मायदा:3) तो जो कुछ उस वक्त दीन का हिस्सा नहीं था वह आज भी दीन का हिस्सा नहीं है, यह बात किसकी है:
O शैखुल इसलाम इब्ने तैमिया। O इमाम मालिक। O इमाम इब्ने बाज।
24. नबी(ﷺ)किस नबी के वंशज हैं: O इसहाक(عليه السلام)। O इस्माईल(عليه السلام)।
25. खाली जगहों को भरें: नबी(ﷺ)----------के साल, शहर----------में पैदा हुए, आप(ﷺ)ने----------साल उम्र पाई, जिसमें नबूवत से पहले----------साल, और नबूवत के बाद---------साल।----------के जरिए नबी बनाया गया, और----------के जरिए रसूल बनाया गया।
26. नबी(ﷺ)भेजे गए: O अपनी कौम की तरफ। O इंसानों की तरफ।
O इंसानों और जिन्नों की तरफ।
27. मेराज कहते हैं आप(ﷺ)के मक्का से बैतुलमुकद्दस के यात्रा को। (सही- गलत)
28. आप(ﷺ)ने हिजरत की: O तायेफ की तरफ। O हब्शा की तरफ।
O मदीना की तरफ। O यह तीनों बातें।

29. नबी(ﷺ)के महत्त्वपूर्ण गजवात(युद्ध)की संख्या कितनी है:
O एक। O दो। O तीन। O चार। O पाँच।
30. नबी(ﷺ)की औलाद कितनी हैं: O तीन। O चार। O सात।
31. नबी(ﷺ)ने विदाई का हज किया, यह दलालत करता है कि आप ने उससे पहले भी हज किया था। (सही- गलत)
32. नबी(ﷺ)की जीवनी का अध्ययन करना: O वाजिब है। O मुस्तहब है। O जायज है।
33. खाली जगहों को भरें: शरीअत की इस्तिलाह में ईमान नाम है----------से इकरार करने----------से इतकाद रखने, और----------के जरिए अमल करने का। ईमान----------से बढ़ता है, और----------से घटता है।
34. ईमान के अरकान कितने हैं: O छह। O पाँच। O चार।
35. अल्लाह पर ईमान लाने से कुछ बातें लाजिम आती हैं, उनकी संख्या कितनी है?
O चार। O तीन। O दो।
36. अल्लाह के वजूद की दलील मोटे तौर पर: O चार हैं। O गिनती करना मुश्किल है।
37. मीकाईल(عليه السلام)वह फरिश्ता है जो बारिश के लिए निर्धारीत है। (सही- गलत)
38. दिल सिर्फ इंसान का होता है, फरिश्तों के दिल नहीं होते। (सही- गलत)
39. उन किताबों की संख्या कितनी है, जिनके नाम हमें बताये गए हैं:
O छह। O चार। O सात। O बहुत ज्याद।
40. अल्लाह तआला ने हर नबी पर एक किताब उतारी। (सही- गलत)
41. प्रथम रसूल आदम(عليه السلام)हैं। (सही- गलत)
42. मुहम्मद(ﷺ) रसूल हैं, नबी नहीं हैं। (सही- गलत)
43. अज्म वाले(मजबूत संकल्प वाले) रसूलों की संख्या कितनी है:
O पाँच। O चार। O बहुत अधिक।
44. आखिरत पर ईमान लाना उन तमाम बातों पर ईमान लाने को शामिल है जो मौत के बाद से लेकर कब्रों से उठाये जाने तक पेश आयेगा। (सही- गलत)
45. तक्दीर पर ईमान रखने के कुछ ग्रेड(मरतबे)हैं, उनकी संख्या कितनी है:
O पाँच। O चार। O तीन।
46. क्या अल्लाह तआला घटना घटित होने से पूर्व उसको जानते हैं? (हाँ - नहीं)
47. क्या हर वह चीज जो इंसान जानते हैं अल्लाह भी जानते हैं? (हाँ - नहीं)

48. क्या हर वह चीज जो इंसान जानता है अल्लाह ने लिख रखा है? (हाँ - नहीं)

49. बन्दे के लिए खूद का अपना इरादा व चाहत होती है, जो चाहता है करता है। (सही- गलत)

50. क्या बनदों के कार्य पैदा किए गए हैं? (हाँ - नहीं)

51. तौहीद कितने प्रकार के हैं: O दो प्रकार। O तीन प्रकार। O दोनों सही।

52. बड़े शिर्क व छोटे शिर्क के बीच का पाँच अंतर बयान कीजिए:

1----------
2----------
3----------
4----------
5----------

53. बड़े शिर्क व छोटे शिर्क दोनों के पाँच-पाँच उदाहरण दीजिए:

बड़ा शिर्क (शिर्के अक्बर)	छोटा शिर्क(शिर्के अस्गर)
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

54. जो विश्वास के साथ मुनाफिक है वह शिर्के अस्गर का दोषी है, इस्लाम की सीमा से बाहर नहीं जाता। (सही- गलत)

55. इह्सान का: O एक ही रुक्न है। O दो रुक्न है।

छठा पाठ

नमाज की शर्तें

नमाज की नौ(9)शर्तें हैं:

1-मुसल्मान होना। 2-अकल्मंद होना। 3-तमीज व समझ होना।
4-हदस से पाक होना। 5-नजासत से पाक होना। 6-सतर ढ़ाँपना।
7-नमाज का वक्त दाखिल होना। 8-किबला की ओर रुख करना।
9-नीयत करना।

पहली शर्त: मुसलमान होना

इस्लाम का विपरीत शब्द कुफ्र है, तो अगर ऐसा शख्स नमाज अदा करे जो रब को गाली देता है,या इबादतों में से कुछ भी गैरुल्लाह के लिए करता है, तो उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर वह तौबा करले तो नमाज सही होगी।

दूसरी शर्त: अकल्मंद होना।

अकल्मंद का विपरीत शब्द पागलपन है, तो पागल शख्स की नमाज नहीं होगी, अतएब नशे में धुत व्यक्ति का तो बिल्कुल भी नहीं।

तीसरी शर्त: तमीज की उम्र तक पहूँच जाना।

तमीज की उम्र का मतलब बालिग होना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ यह है कि वह ऐसी उम्र को पहूँच जाए, जिसमें चीजों के बीच फर्क करना आ जाए, और प्रश्न व उत्तर को अच्छी तरह समझ सके, उसके लिए कोई विशेष आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन आम तौर पर बच्चे सात साल की उम्र में तमीज करने लगते हैं।

बच्चे की नमाज कब दुरुस्त होगी?: जब उसे चीजों के बीच, फर्क करना आ जाए, यानी प्रश्न व उत्तर को समझ सके, और पानी एवं आग के बीच फर्क कर सके, वरना उसकी नमाज नहीं होगी।

चौथी शर्त: हदस को दूर करना

और इसमें दाखिल है:

बड़ा हदस:
यह स्नान से दूर होता है।

छोटा हदस:
यह वुज़ू से दूर होता है।

पाचवीं शर्त: नजासत (अपवित्रता) को दूर करना

यानी नजासत को शरीर, धरती, और कपड़े से दूर करना। अगर कोई शख्स इस हालत में नमाज पढ़ ले जब उस पर नजासत लगी हो, और वह उसे जानता हो और हटाने की ताकत भी रखता हो, और भूला भी ना हो, तो उसकी नमाज नहीं होगी। और नजासत(अपवित्रता) तीन प्रकार के होते हैं:

मध्यम अपवित्रता:
यह धोने से दूर होता है, और धोने का अर्थ है पानी में डाल कर निचोड़ना। जैसे पुरुष एवं महिला का पेशाब, और दूसरी अपवित्र चीजें।

हलका अपवित्रता:
जो पानी के छिड़काउ से दूर हो जाता है, निचोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे उस लड़के का पेशाब जो खान-पान आरंभ नहीं किया हो, इसी तरह मजी। वीर्य अगरचे पाक है लेकिन नबी(ﷺ)उस पर पानी छिड़कते थे अगर गीला होता, और नाखुन से खुरच देते जब सूखा होता।

गंभीर अपवित्रता:
यह कुत्ते की अपवित्रता है। नबी(ﷺ)ने उस बर्तन को सात बार धोने का आदेश दिया जिसमें कुत्ता ने मुँह डाल दिया हो, उनमें पहली बार मिट्टी से होगा। (सही मुस्लिम)

अपवित्र चीजें:

मानव का मल-मूत्र, जिस पशु का मांस हराम है उसका मल-मूत्र। दरिन्दा जानवर सब के सब अपवित्र हैं, सिवाय ऐसे जानवर के जिनसे बचना मुश्किल है। जैसे बिल्ली,खच्चर और गधा। इसी तरह बहता हुआ खून जो जानवर के जबह करने के बाद निकलता है। दोनों रास्तों से निकलने वाला खून, मरी हूई चीजें अपवित्र हैं, सिवाय मृत आदमी और ऐसा प्राणी के जिसका बहने वाला खून ना हो। और सागर का मृत प्राणी, टिड्डियाँ, यह सब अपवित्र नहीं हैं।

छठी शर्त: सतर ढ़ाँपना

सतर ढ़ाँपने की तीन किस्में हैं

मध्यम:

यह पूर्व के दोनों प्रकार के लोगों के इलावा है। जरूरी है कि नाभि से घुटने तक का हिस्सा छुपाया जाए। साथ ही दोनों कन्धों को छुपाना और अच्छे कपड़े पहनना मुस्तहब है।

गंभीर:

यह आजाद व बालिग महिला का सतर है। लाजिम है कि वह चेहरा छोड़ पूरे शरीर को छुपाये। लेकिन अजनबी मर्द के सामने चेहरे को भी छुपाना जरूरी है।

हलका:

यह सात से दस साल तक के लड़के का सतर है। लाजिम है कि उसके दोनों शर्मगाह को छुपाया जाए।

सातवीं शर्त: समय का दाखिल होना

नमाज ना तो वक्त से पहले दुरुस्त होगी, और ना वक्त गुजरने के बाद, सिवाय उस हालत के, जब किसी विशेष कारण से दूसरी नमाज के साथ इकट्ठा पढ़ी जाए। लेकिन अगर नमाज को जान बूझ कर समय से देर किया गया तो गुनहगार होगा।

आठवीं शर्त: किबला की तरफ रुख करना

इस शर्त से सफर की नफ्ली नमाजें बाहर हैं, अतः सफर में सवारी का रूख जिधर होगा, उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जायेगी। उसका उदाहरण इस जमाने में विमान के अन्दर की नमाज है। इसी तरह इस हुक्म से वे लोग बाहर हैं जिन्हें किब्ला रुख होने की ताकत नहीं, या दुश्मन का डर है।

नवीं शर्त: नीयत करना

नीयत दिल के इरादे का नाम है, और जुबान से उसको अदा करना बिदअत है, अगर नीयत नमाज से थोड़ी देर पहले कर ले, या सिर्फ वक्त के फर्ज होने की नीयत करे, तो भी नमाज दुरुस्त होगी।

महत्वपूर्ण जानकारी:

1. किसी शर्त को छोड़ने में अज्ञानता या भूल काबिले कबूल नहीं है, लेकिन अगर नमाज इस हालत में अदा कर ले कि अज्ञानता या भूल की वजह से उसमें नजासत बाकी रह गई हो, तो नमाज दुरुस्त होगी, इसलिए कि उसका संबंध छोड़ देने से है, करने से नहीं।
2. तमाम शर्तें इबादत से बाहर की चीजें हैं, और इबादत से पहले अदा किये जाते हैं, और इबादत के खत्म होने तक उसका पाया जाना जरूरी है।

सातवाँ पाठ

नमाज के अरकान

नमाज के चौदह अरकान हैं:

1- अगर ताकत हो तो खड़े होना।
2- तक्बीरे तहरीमा कहना।
3- सूरह फातिहा पढ़ना।
4- रुकू करना
5- रुकू के बाद सीधे खड़ा होना।
6- सात अंगों पर सज्दा करना।
7- सज्दा से सर उठाना।
8- दो सज्दों के बीच बैठना।
9- नमाज के तमाम कार्य इत्मीनान से करना।
10- सारे अरकान को क्रमवार करना।
11- आखिरी तशह्हुद का पढ़ना।
12- आखिरी तशह्हुद के लिए बैठना।
13- नबी(ﷺ)पर दुरूद पढ़ना।
14- दोनों तरफ सलाम फेरना।

पहला रुक्न: अगर ताकत हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना

नफल नमाज में:

नफल नमाजें बैठ कर पढ़ना जायज है, लेकिन खड़ा होने वाले का आधा सवाब मिलेगा, इसी तरह लेट कर पढ़ना भी जायज है लेकिन बैठने वाले का आधा सवाब मिलेगा।

फर्ज नमाज में:

कियाम फर्ज नमाजों में रुक्न है, और यह माफ हो जाता है, अगर कियाम की बिल्कुल ताकत ना हो, या उससे खुशू में कमी आती हो। और अगर कियाम की कुछ भी ताकत हो तो उसे करना चाहिए।

दूसरा रुक्न: तकबीरे तहरीमा कहना

(الله أكبر) के सिवा किसी दूसरे शब्द से तक्बीर कहना दुरुस्त नही।

तीसरा रुक्न: सूरह फातिहा का पढ़ना।

नमाज की हर रकअत में सूरह फातिहा का पूरा पढ़ना वाजिब है, चाहे नमाज सिर्री(गुप्त आवाज से)हो, या जेहरी(बुलंद आवाज से)हो। और अगर कोई व्यक्ति इमाम को रुकू की हालत में पाये, तो फातिहा से माफी मिल जाती है।

नवाँ रुक्न: नमाज के तमाम कार्य इत्मीनान(शांती)से करना।

हर रुक्न में लाजिमी दुआ पढ़ लेने से पूर्ण इत्मीनान का पालन हो जाता है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

अरकान इबादत के अन्दर दाखिल है, और किसी भी रुक्न को छोड़ने में न अज्ञनता का बहाना चलेगा और न भूल जाने का, और सज्दा-ए-सुहू से उसकी भरपाई नहीं होगी, बल्कि मौजूदा नमाज को दोहराना पड़ेगा।

अलबत्ता अगर पिछली नमाजों में कुछ अरकान छूट गए हों, तो उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नबी(ﷺ)ने उस सहाबी को जो नमाज को सही तरीका से अदा नहीं कर पा रहा था, पिछली तमाम नमाजों को दोहराने का आदेश नहीं दिया, बल्कि सिर्फ मौजूदा नमाज को दोहराने का आदेश दिया, हालाँकि उसने एक रुक्न(इत्मीनान) को छोड़ा था।

आठवाँ पाठ

नमाज की वाजिब चीजें

नमाज में आठ चीजें वाजिब हैं:

1-नमाज की तमाम तक्बीरें सिवाय तक्बीरे तहरीमा के।

2-समिअल्लाहो लिमन हमिदह(سمع الله لمن حمده)कहना, इमाम और अकेले सब को।

3-सभी को रब्बना वा लकल हम्द(ربنا ولك الحمد)कहना।

4-रुकू में सुब्हाना रब्बी अल-अजीम(سبحان ربي العظيم)कहना।

5-सज्दे में सुब्हाना रब्बी अल-आला(سبحان ربي الأعلى)कहना।

6-दोनों सज्दे के बीच रब्बिग्फिर ली(رب اغفر لي)कहना।

7-पहला तशह्हुद पढ़ना।

8-पहले तशह्हुद के लिए बैठना।

महत्वपूर्ण सुचना:

रुकू में सुब्हाना रब्बी अल-अजीम(سبحان ربي العظيم)को उसी शब्द के साथ कहना वाजिब है, फिर उसके पश्चात दूसरी दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरह सज्दे में सुब्हाना रब्बी अल-आला(سبحان ربي الأعلى) को उसी शब्द के साथ कहना वाजिब है, फिर उसके बाद दूसरी दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है।

नवाँ पाठ

तशह्हुद का बयान:

तशह्हुद यह है:

"التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

अनुवाद: मेरी तमाम जुबानी,शरीरिक व माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं, ऐ नबी आप पर सलाम हो, और अल्लाह की रहमत व बरकतें भी, सलाम हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ)अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। फिर नबी(ﷺ)पर दुरूद सलाम व बरकतें भेजे, इस तरह:

"اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"

अनुवाद: ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद(ﷺ)पर और मुहम्मद(ﷺ)के परिवार पर, जैसे आप ने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम(عليه السلام)पर, और इब्राहीम(عليه السلام)के परिवार पर, निस्संदेह आप प्रशंसनीय बड़ी शान वाले हैं, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुहम्मद(ﷺ)पर और मुहम्मद(ﷺ)के परिवार पर, जैसे आप ने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम(عليه السلام)पर और इब्राहीम(عليه السلام)के परिवार पर, निस्संदेह आप प्रशंसनीय बड़ी शान वाले हैं।

फिर इस दुआ के जरिए अल्लाह से पनाह माँगे :

"اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات..."

अनुवाद: ऐ अल्लाह बेशक मैं कब्र के अजाब, दज्जाल के फितने, और जिन्दगी व मौत के फितने से आप की पनाह लेता हूँ।

फिर जो चाहे दुआ करे, विशष कर नबी(ﷺ)से साबितशुदा दुआएँ, जैसे कि यह दुआ:

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"

अनुवाद: ऐ अल्लाह बेशक मैंने अपने ऊपर बहुत ज्याद जुल्म किया, और गुनाहों को क्षमा करने वाला कोई नहीं सिवाय आप के, इसलिए मुझे अपनी तरफ से क्षमा प्रदान कर, और मुझ पर रहम फरमा, बेशक आप माफ करने वाले मेहेरबान हैं।(बूखारी:834)

और पहले के तशह्हुद में शहादत वाली दुआ पढ़ने के पश्चात, तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए(जुहर,अस्र,मग्रिब और इशा की नमाजों में)और अगर दुरूद भी पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस विषय में हदीसें आम हैं।

दसवाँ पाठ

नमाज की सुन्नतें

नमाज की सुन्नतें यह हैं:

1- दुआए इस्तिफताह, यानी शुरू करने की दुआ, जैसे(اللهم باعد بيني وبين خطاياي....)

2- खड़ा रहते समय दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर सिने के ऊपर रखना, चाहे रुकू से पहले हो या बाद में।

3- हाथ उठाना, इस तरह कि दोनों हाथों की उंगलियां मिली हूई और हथेली फैली हूई हों,फिर कंधों या कानों के बराबर लेकर जाना। और यह काम पहली तक्बीर के समय, और रुकू से पहले व रुकू के बाद, और पहले तशह्हुद से उठते समय करना होगा।

4- रुकू और सज्दे की तस्बीह जो एक बार से अधिक पढ़ी जाए।

5- रुकू से उठने के बाद(ربنا ولك الحمد)से ज्यादा शब्द का पढ़ना। इसी तरह दो सज्दों के बीच वाली क्षमा की दुआ को एक बार से ज्यादा पढ़ना।

6- रुकू के समय सिर को पीठ के बराबर रखना।

7- सज्दे की हालत में बाजूओं को पहलू से, पेट को रानों से, रानों को पिन्डलियों से अलग और जुदा रखना।

8- सज्दे की हालत में दोनों हाथों को जमीन से अलग रखना।

9- पहले तशह्हुद और दो सज्दों के दरमियान दाहिना पाँव को खड़ा करके बायां पाँव को बिछा कर उन पर बैठना।

10- तीन,चार रकअत वाली नमाजों के आखिरी तशह्हुद में तवर्रुक(تورّك)करना, और इसका तरीका है: नितंब जमीन पर लगा कर बैठना, इस तरह कि बायां पाँव दाहिना पाँव के नीचे हो, और दाहिना पाँव खड़ा हो।

11-पहले और दूसरे तशह्हुद में शुरू से आखिर तक दुआ के वक्त शहादत की ऊँगली से इशारा करना व दुआ के समय उसे हिलाना।

12-पहले तशह्हुद में दुरूद व सलाम भेजना मुहम्मद(ﷺ)और उनके परिवार पर, इसी तरह इब्राहीम(عليه السلام)और उनके परिवार पर।

13- आखिरी तशह्हुद में दुआ पढ़ना।

14- जिहरी (ऊँचे स्वर में) कुरआन पढ़ना, फज्र, जुमा, ईद और इस्तिस्का की नमाजों में, और इसी तरह मग्रिब व इशा के पहले के दो रकअतों में।

15- सिर्री(आहिस्ता से)किरात करना, जोहर व अस्र की नमाजों में, इसी तरह मग्रिब की तीसरी और इशा की आखिरी दोनों रकअतों में।

16- सूरह फातिहा के बाद कुरआन की दूसरी आयतों की तिलावत करना।

इसके साथ ही बाकी दूसरी सुन्नतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, उन में से उल्लेखयोग्य है: रुकू के पश्चात(ربنا ولك الحمد)के बाद जो दुआएँ पढ़ी जाती हैं,और यह सुन्नत है इमाम मुक्तदी व अकेले सबके लिए। इसी तरह रुकू की हालत में दोनों हथेलियों की उंगलियाँ फैला कर घुटने पर रखना।

इस्तिफताह की दुआ(अर्थात शुरू करने की दुआ):

इस्तिफताह की दुआ नमाज में तक्बीर-ए-तहरीमा के बाद पढ़ी जाती है। उसमें बहुत सारी दुआएँ आई हैं, जिनमें से एक यह दुआ है जो नबी(ﷺ)ने सिखाया है:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

अनवाद: ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के बीच इतनी दूरी करदे, जितनी दूरी आपने पूरब और पश्चिम के बीच में की है, ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से ऐसे ही पाक करदे जिस प्रकार सफेद कपड़ा मैल से साफ किया जाता है, ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से पानी,बर्फ और ओलों से धो दे। नबी(ﷺ)ने यह भी सिखाईः

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

अनुवाद: ऐ अल्लाह मैं प्रशंसा के साथ आपकी पाकीजगी बयान करता हूँ, आपका नाम बरकत वाला है, और शान बुलंद है, और आपके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।

गयारहवाँ पाठ

नमाज को बातिल करने वाली चीजें

नमाज को बातिल करने वाली चीजें आठ हैं:

1-नमाज की हालत में जान-बूझ कर बात-चीत करना। लेकिन अज्ञानता और भूल कर बात करने से नमाज बातिल नहीं होगी।

2-हंसना। 3-खाना। 4-पीना। 5-सतर का खुल जाना।

6-किब्ला से बहुत ज्यादा फिर जाना। 7-नमाज में लगातार बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना।

8- वजू का टूट जाना।

नमाज को बातिल करने वाली पहली चीज: जान बूझकर बातचीत करना।

इस हुक्म से बाहर है इमाम की गलती पर चेतावनी देना, जब वह तिलावत या नमाज में गलती करे।

नमाज में हरकत करने की हालतें।

ऐसी हरकतें जो वाजिब हैं:	ऐसी हरकतें जो मुस्तहब हैं:	ऐसी हरकतें जो जायेज हैं:	ऐसी हरकतें जो मकरूह हैं:	ऐसी हरकतें जो हराम हैं:
यह वह हरकतें हैं जिन का संबंध नमाज की दुरुस्तगी से है, जैसे अपवित्रता को दूर करना।	यह वह हरकतें हैं जिन पर नमाज की पूर्णता निर्भर करता है। जैसे खाली स्थानों को भरना।	जो हरकतें किसी जरूरत के लिए की जाएँ, जैसे दाढ़ी या शरीर खुजाना।	बिना किसी जरूरत के मामूली हरकतें करना। जैसे इधर उधर मुड़ना।	जब बहुत ज्यादा हरकतें लगातार और बिना जरूरत के किया जाए, जैसे खाना पीना।

महत्वपूर्ण जानकारी

नमाज की शर्तें, अरकान, वाजिबात, और सुन्नतें, गुजर चुकी हैं, तो इन के बीच क्या अंतर है?

<table>
<tr><th>सुन्नत</th><th>वाजिब</th><th>रुक्न</th><th>शर्त</th></tr>
<tr><td colspan="3">इन तीनों का संबंध इबादत के अंदर से है।</td><td>यह इबादत के बाहर का हिस्सा है।</td></tr>
<tr><td colspan="3">इन तीनों का संबंध इबादत के हिस्सों में से एक हिस्से से है।</td><td>शर्त का पूरी इबादत के दौरान पाया जाना जरूरी है।</td></tr>
<tr><td>सुन्नत को अज्ञानता, या भूल कर, या जान बूझ कर, हर हाल में जरूरत पड़ने पर छोड़ा जा सकता है।</td><td>वाजिब को अज्ञानता या भूल कर छोड़ना कबूल होगा, लेकिन जान बूझ कर नहीं होगा।</td><td colspan="2">शर्त और रुक्न को अज्ञानता, या भूल कर, या जान बूझ कर, किसी भी सूरत में छोड़ना कबूल नहीं।</td></tr>
<tr><td>/</td><td>वाजिब को छोड़ने पर सज्दा-ए-सुहू काफी होगा।</td><td>रुक्न को छोड़ने पर सज्दा-ए-सुहू काफी नहीं, बल्कि दोबारा अदा करना होगा।</td><td>शर्त को छोड़ने पर सजदा-ए-सुहू नहीं है, बल्कि उससे इबादत ही बातिल हो जाती है।</td></tr>
</table>

सज्दा-ए-सहव का बयान

सज्दाए सुहू के तीन कारण हैं:

नमाज में शक होना:
जैसे रकअत की संख्या में शक हो जाए कि उसने तीन पढ़ी या चार। उसकी दो किस्में हैं:

नमाज में कमी करना:
जैसे इंसान का नमाज के वाजिबात में से किसी का कम कर देना, और समय पर अदा ना होना।

नमाज में वृद्धि कर देना:
जैसे इंसान का रुकू या सज्दा या कियाम(खड़ा होने) या कुऊद(बैठने)में वृद्धि कर देना।

अगर इबादत के दौरान शक पैदा हो:
इस हालत में अगर शक का प्रतिशत कम हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और यदि शक का प्रतिशत ज्यादा हो तो जिस बात पर ज्यादा यकीन हो उसका एतबार किया जाएगा। अगर कमी व बेशी दोनों पर शक बराबर हो तो कम का एतबार किया जाएगा।

अगर इबादत खत्म कर लेने के बाद शक पैदा हो:
ऐसी हालत में उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक यकीन ना हो जाए।

जरूरी नोट:

- अगर नमाजी सुहू में गलती कर दे, तो कोई हरज नहीं, और उसकी नमाज दुरुस्त होगी।
- अगर नमाजी कोई रुक्न छोड़ दे, तो उसकी नमाज उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगी, जबतक कि उसे और उसके बाद के कार्य को अदा ना कर ले, और साथ में सजदा सुहू भी कर ले।
- अगर नमाजी कोई वाजिब गलती से छोड़ दे, और वक्त चला जाए तो सज्दाये सुहू कर ले।

नमाज का तरीका फोटो के जरिए

– बेहतर यह है कि मुसल्मान अपने घर में वुजू करके निकले, और अच्छा पोशाक पहने।

– पैदल या सवार होकर मस्जिद जाए, चाल व चरित्र में शांति व शराफत बनाये रखे, ना तेज चले ना दौड़े, ना ज्यादा इधर-उधर देखे, ना आवाज ऊँची करे।




– जब मस्जिद पहूँच जाए तो अपने जूते निकालकर उसके स्थान पर रखे,उसके साथ ही दुनिया को भूल जाए,और मस्जिद में क्रय-विक्रय, लापता वस्तु का इलान, यह सब ना करे।

– मस्जिद में प्रवेश करते समय पहले दाहिना पैर रखे और यह दुआ पढ़े: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)। और मस्जिद से बाहर निकलते समय पहले बायां पाँव बाहर निकाले और यह दुआ पढ़े: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اني أسألك من فضلك)।

– पुरुष लोग पहली लाइन की ओर बढ़ जाएँ, और महिलायें पीछे रहें।

– अगर कोई मस्जिद में इस हाल में प्रवेश करे, जब नमाज शुरू हो चुकी हो, तो उसे चाहिए कि इमाम के साथ नमाज में शामिल हो जाए, चाहे इमाम किसी भी अवस्था में हो। अगर इमाम को खड़े अथवा रुकू की अवस्था में पाये, तो वह रकअत शुमार कर ले, फिर जब इमाम सलाम फेरे तो छूटी हुई नमाज पूरी कर ले।

– अगर कोई मस्जिद में इस हालत में दाखिल हो जब नमाज शुरू नहीं हूई, तो फर्ज नमाज से पहले सुन्नत अदा कर ले। अगर उस नमाज से पहले कोई सुन्नत ना हो तो तहीय्यतुल मस्जिद पढ़ ले।

– नमाज याद दिलाने के लिए, घड़ी की तरफ बार बार देख कर, या गले से आवाज निकाल कर, मस्जिद की हुरमत को पामाल ना करे।

– इमाम और अकेले के लिए सुन्नत यह है कि सुतरह रख कर नमाज पढ़े, याद रहे कि इमाम का सुतरह ही मुक्तदी का सुतरह है।



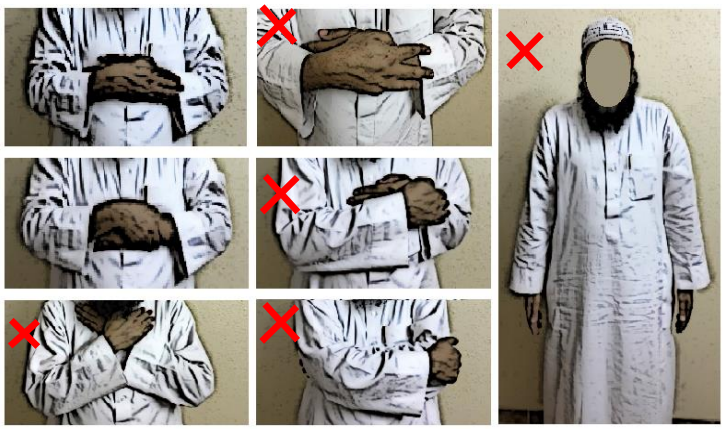
– दोनों पैरों के बीच उतनी ही दूरी रखे जितनी दोनों कंधों के बीच है, ना ही ज्यादा करे ना कम करे,और कदम के बाहरी हिस्से को बराबर रखे।



– नमाज की तमाम शर्तें पूरी होने के पश्चात अल्लाहु अक्बर कहे, साथ में दोनों हाथों को कंधों या कानों तक उठाये, इस हाल में कि उंगलियाँ आपस में मिली हों, हथेली का भीतरी भाग किबला की ओर हो।



– फिर दाहिने हाथ की हथेली के अंदरूनी हिस्से को बाएं हाथ की हथेली के ऊपरी हिस्से और कलाई पर रखे या पकड़े।



– अपनी नजर को सज्दे के स्थान पर रखे और इधर-उधर ना देखे।



– फिर मुस्तहब(अच्छा)है कि सिर्फ पहली रकअत में दुआ-ए-इस्तिफ्ताह पढ़े, और बेहतर है कि इस में आई हूई तमाम दुआओं को बदल-बदल कर पढ़े।

– फिर कुरआन व हदीस में आए हूए तरीके पर शैतान से पनाह माँगे, यानी आऊजु बिल्लाहि मिनाश्शैतानिर रजीम (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) कहे।

– फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम (بسم الله الرحمن الرحيم) कहे।

– फिर पूरे सूरह फातिहा की, हरकात,कलिमात,आयात की तर्तीब के साथ तिलावत करे।

– फिर मुस्तहब है कि कुरआन में से जो कुछ मुयस्सर हो, उसकी तिलावत करे, इसमें अऊजु बिल्लाह ना पढ़े, लेकिन अगर सूरह प्रारंभ हो तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े।

– फिर हाथ उठाते हुए अल्लाहु अक्बर(الله أكبر)कहे, जिस तरह तक्बीरे तहरीमा में कहा था, और फिर रुकू करे।

– रुकू में दोनों घुटनों को पकड़े रहे, और कोहनियों को ना मोड़े, और पीठ को सिर के बराबर में रखे।

– रुकू में वाजिब है कि एक बार(سبحان ربي العظيم)कहे, और मुस्तहब है कि एक से ज्यादा बार इसको पढ़े, या और दुआएँ पढ़े।



– फिर रुकू से उठते हूए पूर्ण सीधा खड़ा होने से पहले(سمع الله لمن حمده) कहे, और साथ में दोनों हाथों को कानों या कंधों तक उठाये।

– जब पूर्ण रूप से खड़ा हो जाए तो(ربنا ولك الحمد)कहे, और बेहतर है कि और भी दुआएँ जो साबित हैं उनको भी पढ़े।

– फिर हाथ ना उठाते हुए तक्बीर कहे, और सात अंगों पर सज्दा करे, और वह हैं: पेशानी, नाक, दोनों हथेलियों के भीतरी भाग, दोनों घुटने, दोनों पैर की उंगलियों के भीतरी भाग।

– और दोनों बगलों के बीच, इसी तरह पेट और रानों के बीच, और रानों व पिंड्लियों के बीच दूरी रखे, और दोनों बाहों को जमीन से उठाकर रखे।



– सज्दा में एक बार(سبحان ربي الأعلى)कहे, जो कि वाजिब है, जबकि एक से ज्यादा बार कहना मुस्तहब है, और मन पसन्द दुआएँ करना भी जायज है, लेकिन साबित शुदा दुआएँ करना ज्यादा बेहतर है।

– फिर तक्बीर कहते हूए सज्दे से उठे, और बायां पैर बिछा कर उस पर बैठे, और दाहिना पैर को खड़ा रखे, और दाहिने पैर की उंगलियों के अंदरोनी हिस्से को जमीन पर रखे, इस हाल में कि उंगलियाँ किब्ला की तरफ हों, और दोनों हथेलियों के अंदरोनी हिस्से को दोनों रानों के आखिरी हिस्से पर रखे। बैठने का यही तरीका नमाज की हर बैठक में होगी, सिवाय तीन और चार रकअतों वाली नमाजों के आखिरी तशह्हुद के, क्योंकि उसमें तवर्रुक किया जाएगा। उसका तरीका यह है कि बाएं पैर को दाहिनी पिंडली के नीचे रखा जाए।



– फिर तक्बीर कहे और पहले सज्दे की तरह ही सज्दा करे।

– फिर तक्बीर कहे और दूसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए, और उसी तरह सब कार्य करे जैसा पहली रकअत में किया था, परंतु दुसरी रकअत में ना तो तक्बीर-ए-तहरीमा है, ना दुआ-ए-इस्तिफ्ताह।

– जब दूसरा सज्दा हो जाए तो तशह्हुद के लिए बैठे।

– तस्बीह वाली उंगली से इशारा करे, इस हाल में कि अंगूठा और बीच वाली उंगली द्वारा गोल सा दायरा बना ले, उसको हिलाये और दुआ करे।

– वाजिब है कि तशह्हुद पढ़े।

– अगर नमाज दो रकअत वाली है, तो वाजिबी तौर पर दुरूदे इब्राहीमी पढ़े और यह दुआ करे: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال " । इसके सिवा जो चाहे दूआ करे, बेहतर यह है कि साबित शुदा दुआओं को ही पढ़े, और यह भी पढ़े (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)



– फिर दायें और बायें दो बार सलाम फेरे, और सिर्फ अपने सिर को मोड़े, दोनों कंधों को नहीं, इसी तरह सिर को ऊपर नीचे भी ना हिलाये, और ना दोनों हाथों से इशारा करे।



– और अगर नमाज तीन या चार रकअत वाली है, तो पहला तशह्हुद पढ़ने के बाद खड़ा हो जाए। इस तशह्हुद में दुरूदे इब्राहीमी पढ़ना भी मुस्तहब है।

– अगर नमाज तीन रकअत वाली है,तो तक्बीर कहते हूए उठे, और तीसरी रकअत पूरी करे,फिर तशह्हुद के लिए बैठे।और अगर नमाज चार रकअत वाली है तो दो रकअत पढ़ कर तशह्हुद के लिए बैठे।

– तशह्हुद पढ़े फिर दुरूदे इब्राहीमी पढ़े और यह दुआ पढ़े:

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة الدجال)

और जो पसन्द हो वह दुआ भी करे, लेकिन बेहतर है कि साबित शुदा दुआएँ पढ़े, और यह भी पढ़े: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)

– अगर फर्ज नमाज है तो नमाज के पश्चात साबित शुदा अज्कार का पढ़ना मुस्तहब है जैसे:

أستغفر الله، أستغفر الله،أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام

– फिर(سبحان الله)और(الحمد لله)और(الله أكبر)यह तीनों तैंतीस तैंतीस बार पढ़े, कुल मिलाकर निन्यानवे बार हो जाएँगे, और सौ पूरा करने के लिए एक बार पढ़े: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير

– फिर आयतुल कुर्सी पढ़े और वह है:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾

और फिर(قل هو الله أحد) तथा(قل أعوذ برب الفلق) एवं(قل أعوذ برب الناس)पढ़े।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी:

– गुजर चुका है कि नमाज सही होने की शर्तों में से एक सतर को छुपाना है,इसलिए नमाजी को चाहिए कि नमाज के दौरान किसी भी तरह उसका सतर खुल ना जाए, अन्यथा उसकी नमाज बातिल हो जाएगी।



– कोई एक शख्स अगर इमाम के साथ नमाज अदा करे, तो उसके लिए जरूरी है कि इमाम के दाहिने जानिब खड़ा हो, और दोनों के टखने बराबर रहें, ना आगे बढ़े ना पीछे रहे, और इसी प्रकार खड़ा होना है जब बहुत सारे नमाजी एक साथ खड़े हों।



नमाज से संबंधित ज्ञान का सारांश

विवरण	संख्या	समय	हुक्म	नाम
नमाजे जुमा जेहरी नमाज होती है, और तीन आदमी या उससे ज्यादा लोगों की जमात के साथ अदा होती है	दो रकअत	जुहर के समय	फर्ज है	जुमा की नमाज
यह नमाज जेहरी होती है, और हर रकअत में दो रुकू।	दो रकअत	ग्रहण लगने के समय	फर्जे किफाया है	सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज
इसके विभिन्न तरीके हैं: -सिर्फ एक रकअत पढ़ना। -तीन रकअत। इस तरह कि तीन लगातार पढ़ी जाए, और अंत में एक तशह्हुद करे। या दो रिकात पढ़ कर सलाम फेर ले फिर एक रकअत पढ़े। -पाँच रकअत पढ़े और सिर्फ आखिर में एक तशह्हुद करे। -सात रकअत पढ़े और सिर्फ आखिर में एक तशह्हुद करे। -नौ रकअत पढ़े और आठवें रकअत में तशह्हुद करे फिर नवीं के लिए खड़ा हो और आखिर में तशह्हुद व सलाम हो -दो दो रकअत पढ़ता जाए और अंत में एक वित्र पढ़ ले।	एक से गयारह तक	इशा के बाद से फज्र तक	सुन्नते मोअक्कदा है	वित्र की नमाज

पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी में इख्लास पढ़े	दो रकअत	नमाजे फज्र से पहले	सुन्नते मोअक्कदा है	फज्र की सुन्नत
दो दो रकअत करके	चार फिर दो	चार रकअत जुहर से पहले दो उसके बाद	सुन्नत है	जोहर की सुन्नत
पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी में इख्लास पढ़े	दो रकअत	मग्रिब की नमाज के बाद	सुन्नत है	मगरिब की सुन्नत
	दो रकअत	इशा की नमाज के बाद	सुन्नत है	इशा की सुन्नत
	दो रकअत से दस रकअत तक	इशा के बाद से फजर तक	सुन्नत है	तरावीह की नमाज
	दो रकअत	मस्जिद में प्रवेश करते समय	वाजिब है	तहीय्यतुल मस्जिद
	दो रकअत से आठ रकअत तक	सूरज के बुलंद होने से लेकर जवाल से पहलेतक	सुन्नत है	चाश्त की नमाज
सलाम फेरने से पहले इस्तिखारा की दुआ पढ़े	दो रकअत	किसी भी समय	सुन्नत है	इस्तिखारा की नमाज
नमाजे ईद की तरह तकबीरें हैं: सात पहली रकअत में, और पाँच दूसरी रकअत में	दो रकअत	एक नेजा के बराबर सूरज बुलंद होने पर	जरुरत के समय सुन्नत है	इस्तिस्का यानी बारिश तलब करने की नमाज

पहली रकअत में तक्बीरे तहरीमा मिलाकर सात तकबीरें। और दूसरी रकअत में तक्बीरे इन्तेकाल छोड़ कर पाँच तकबीरें	दो रकअत और दो खुत्बा	एक नेजा के बराबर सूरज बुलंद होने पर	सुन्नत है	दोनों ईदों की नमाजें

आम नफल पढ़ने की मनाही के समय:

1) फज्र से लेकर सूरज के एक नेजा बराबर बुलंद होने तक।
2) नमाजे अस्र से लेकर सूर्यास्त तक।
3) सूरज जब बीच आस्मान में हो, और ढलने न लगे।

नमाज से संबंधित प्रश्न

1. नमाज की कितनी शर्तें हैं? O नौ। O गयारह। O आठ।
2. नमाज की शर्तों में इस्लाम की शर्त लगाना गलत है, क्योंकि नमाज केवल मुसल्मान ही पढ़ता है। (सही - गलत)
3. तमीज बालिग होने को कहते हैं। (सही - गलत)
4. हदस दूर करना शरीर, जगह, और कपड़े को शामिल है। (सही - गलत)
5. सूअर की अपवित्रता: O गंभीर अपवित्रता है। O मध्यम अपवित्रता है।
6. वीर्य अपवित्र है, क्योंकि उसके निकलने के बाद स्नान करना वाजिब हो जाता है। (सही - गलत)
7. पानी के छिड़काउ और धोने में कोई अंतर नहीं। (सही - गलत)
8. तमाम मृत चीजें अपवित्र हैं। (सही - गलत)
9. कुत्ते की नापाकी में मिट्टी के बिना भी काम चल जाएगा, इसी तरह आधुनिक कीटनाशक से भी काम चलेगा। (सही - गलत)
10. जिस से बचना मुशकिल हो, उसका मतलब वह जानवर जो बहुत ज्यादा आता-जाता हो। इसलिए बिल्ली कुछ लोगों के लिए पाक और कुछ के लिए नापाक है। (सही - गलत)
11. जिसमें बहने वाला नफ्स ना हो, यहाँ नफ्स का अर्थ रूह है। (सही - गलत)
12. रगों में बचा हुआ खून। O अपवित्र है। O पवित्र है।
13. नमाज के कितने अरकान हैं? O चौदह। O नौ। O आठ।
14. तक्बीरे तहरीमा हाथ उठाने को कहते हैं। (सही - गलत)
15. अगर रुक्न गलती से छोड़ दे तो उसपर सिर्फ सजदाए सहव है।(सही - गलत)
16. नमाज के कितने वाजिबात हैं? O आठ। O चौदह। O नौ।
17. अगर किसी ने सज्दे में(سبوح قدوس رب الملائكة والروح)कहा, जब कि उसे मालूम था कि एक बार(سبحان ربي الأعلى)कहना वाजिब है, तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। (सही- गलत)
18. नमाजी के लिए जरूरी है कि दाहिने हाथ की हथेली के अंदरोनी हिस्से को बायां हाथ की हथेली के ऊपरी हिस्से और कलाई पर रखे। (सही - गलत)
19. जेहरी तिलावत फर्ज नमाज की पहली दो रकातों में है, जब नमाज रात में अदा हो, और हर वह नमाज जिस में ईद की तरह आम इज्तेमा हो। (सही- गलत)
20. नमाज को बातिल करने वाली चीजें कितनी हैं? O आठ। O नौ। O चौदह।

21. तवर्रुक होता है: O पहले तशह्हुद में। O दूसरे तशह्हुद में। O दोनों में।

22. (ربنا لك الحمد والشكر)में(والشكر)को बढ़ाना कैसा है: O जायज। O मुस्तहब। O हराम।

23. दोनों सजदों के बीच(رب اغفر لي ولوالديّ)कहना: O जायज है। O हराम है। O मक्रूह है।

24. सज्दे की हालत में दोनों कोहनियों को जमीन पर रखना:
O हराम है। O मुस्तहब है। O मकरूह है।

25. सजदाए सहव के कितने कारण हैं: O दो। O तीन। O चार।

26. कार्य पूरा हो जाने के बाद शक कोई प्रभाव नहीं डालता, इसी तरह जब शक बहुत ज्यादा हो। (सही- गलत)

27. फज्र की सुन्नत दूसरी सुन्नतों से अलग होती है, फजीलत में, संक्षिप्त होने में, खास सूरह पढ़े जाने में, उस पर प्रतिबद्धता में, और घर में उसे पढ़ने के बाद लेट जाने में। (सही- गलत)

28. निम्नलिखीत मसलों का हुक्म बयान कीजिए:

मसला	हुक्म
जो दीन को गाली दे उसकी नमाज	
जो नशे में हो उसकी नमाज	
अल्जाइमर रोगी की नमाज	
छोटे बच्चे की नमाज	
भूल कर बिना वुज़ू नमाज पढ़ने वाले की नमाज	
भूल कर अपवित्र कपड़े में नमाज पढ़ने वाले की नमाज	
गाय का मुत्र	
कौवे का मुत्र	
इस हालत में नमाज पढ़ी कि दोनों रान खुले हूए थे	
जिसने भुल कर समय से पहले नमाज अदा की	
हवाई जहाज में नमाज	
जिसने वक्त के फर्ज होने की नीयत की	
जिसने बैठ कर नमाज अदा की	

जो सूरह फातिहा भूल गया	
इमाम को रुकू की हालत में पाया	
नमाज में जल्दी करना	
शक्की आदमी का नमाज के बाद शक करना	
तक्बीर-ए-तहरीमा के बाद वुजू में शक पैदा होना	
गलती से रुकू ज्यादा कर दिया	
तक्बीर-ए-तहरीमा को छोड़ दिया	
पहला तशह्हुद छोड़ दिया	
आखिरी तशह्हुद छोड़ दिया	
शक पैदा हो गया कि तीन रकात पढ़ी या चार रकात	
नमाज के बाद शक पैदा हुआ	
नमाज के दौरान शक पैदा हुआ	
सजदाए सहव में गलती किया	
भूल कर नमाज में बात कर ली	
सतर खुला हुआ था इसी हालत में नमाज पढ़ ली, और नमाज के बाद ही जान पाया	
नमाज के लिए निकलने से पहले घर में वुजू कर लेना	
मस्जिद में खरीद व फरोख्त करना	
मस्जिद में मुद्राएँ चेंज करना	
इमाम को आखिरी तशह्हुद में पाया	
नमाज में सुतरह का इख्तियार करना	
नमाज में थोड़ा सा मुड़ना	
नमाज में बहुत जयादा मुड़ना	
जल्दी जल्दी माथा टेकना	
तशह्हुद में दुरूदे इब्राहीमी पढ़ना	

नमाज में बातें करना	
नमाज में हरकत करना	
सूरह फातिहा का भूल जाना	
जुमा की नमाज	
वित्र की नमाज	
तहीय्यतुल मस्जिद	

29.शर्त, रुक्न,वाजिब और सुन्नत के बीच का अंतर बयान कीजिए:

सुन्नत	वाजिब	रुक्न	शर्त

बारहवाँ पाठ

वुज़ू की शर्तें

वुज़ू की दस शर्तें हैं:

1- वुज़ू करने वाले का मुसल्मान होना।
2- अक्लमन्द होना।
3- तमीज होना।
4- नीयत करना।
5- वुज़ू पूरा होने तक नीयत को बाकी रखना।
6- जो चीज वुज़ू को वाजिब करती है, उससे दूर रहना।
7- वुज़ू से पहले इस्तिन्जा वगैरह कर लेना। (जरुरत पड़ने पर)
8- पानी का पाक और जायज होना।
9- ऐसी चीजों को दूर कर देना, जो त्वचा तक पानी पहूँचने को रोकती हो।
10- नमाज के समय का दाखिल होना, उस शख्स के लिए जिसका वुज़ू बार बार टूटता है।

वुज़ू की कुछ शर्तों की व्याख्या:

– वुज़ू पूरा होने तक नीयत को बाकी रखना। इसका अर्थ यह है कि वुज़ू की नीयत वुज़ू की शुरुआत से आखिर तक मौजूद होनी चाहिए।

– जो चीज वुज़ू को वाजिब करती है उससे अलग होना। उसका उदाहरण यह है कि ऊंट का गोश्त खाते हुए, या पेशाब करते हूए वुज़ू ना करे, बल्कि वुज़ू शुरू करने से पहले वुज़ू को तोड़ने वाली चीजों से अलग हो जाए।

– वुज़ू से पहले इस्तिन्जा वगैरह कर लेना। इससे यह बाहर किया गया है कि जब वुज़ू हवा निकलने से या नींद या ऊंट के गोश्त खाने से हो।

– पानी का पाक और जायज होना। इसका अर्थ यह है कि नापाक या छीने हुए पानी से वुज़ू ना करे।

– ऐसी चीजों को दूर कर देना जो त्वचा तक पानी पहूँचने को रोकती है। जैसे कि आटा या उंगलियों का पालिश,जो पानी को अंगों तक पहूँचने नहीं देता

स्वाभाविक आदतें:

1-खतना करना: यह पुरुषों के लिए वाजिब है और महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर सुन्नत है।

2/5-मूंछें काटना, नाखुन तराशना, बगल के बाल उखाड़ना, नाभि के नीचे का बाल साफ करना. अनस(ﷺ)से रिवायत है कि नबी(ﷺ)ने, मूंछ काटने नाखुन तराश्ने बगल के बाल उखेड़ने और जेर नाफ साफ करने के लिए समय निर्धारित कर दिया कि हम इसे चालीस दिनों से ज्यादा ना छोड़ें। (मुस्लिम:258)

6-दाढ़ी को उसकी हालत पर छोड़ देना: इसका हुक्म वाजिब है, और उसका शेव करना(छीलना)कबीरा गुनाह है।

7-मिस्वाक करना: पीलू इतयादि के पेड़ की लकड़ी से दाँतों को साफ करना। यह सुन्नत है, और किसी भी वक्त किया जा सकता है,खासकर वुज़ू, नमाज,गृह प्रवेश, कुरआन की तिलावत, नींद से उठने, मौत के वकत व मुंह की गंध दूर करने के लिए करना चाहिए।

तेरहवाँ पाठ

वुज़ू के फरायेज

वुज़ू के छह फरायेज हैं:

1- चेहरे का धोना। और उसी में शामिल है कुल्ली करना व नाक में पानी डालकर साफ करना।

2- दोनों हाथों को कोहनी सहित धोना।

3- पूरे सर का मसह करना, और उसी में शामिल है दोनों कानों का मसह।

4- दोनों पाँव को टखनों समेत धोना।

5- वुज़ू के फरायेज को तर्तीब से(क्रमवार) अदा करना।

6- वुज़ू के फरायेज को लगातार अदा करना।

स्पष्टीकरण: चेहरा, दोनों हाथों, दोनों पैरों, को तीन तीन बार धोना मुस्तहब है, इसी तरह कुल्ली करना व नाक में पानी डालना भी। ध्यान रहे कि फर्ज सिर्फ एक बार है। और सर का मसह तो उसको एक से ज्यादा करना मुस्तहब नहीं है, जैसे कि सही हदीसें उस पर दलालत करती हैं।

वुज़ू के अंगों को लगातार धोना:

इसका अर्थ यह है कि एक अंग को धोने के बाद दूसरे अंग को धोने में इतनी देर ना लगाए कि पहला अंग सूख जाए।

चौदहवाँ पाठ

वुज़ू को तोड़ने वाली चीजें

वुज़ू को तोड़ने वाली चीजें छह हैं:

1-दोनों गुप्तांगों से कुछ निकलना।

2-शरीर से अपवित्र चीजों का अधिक मात्रा में निकलना।

3-अक्ल का खत्म होना, सोने या किसी और कीरण से।

4-दोनों गुप्तांगों में से किसी एक को हाथ से डायरेक्ट छूना।

5-ऊंट का गोश्त खाना।

6-इसलाम की सीमा से निकल जाना।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी:

सही राय के मुताबिक मृत को स्नान दिलाने से वुज़ू नहीं टूटता, और यही अधिक्तर उलेमा का फतवा है, क्योंकि उसपर कोई दलील मौजूद नहीं है। लेकिन अगर धुलाने वाले का हाथ मृत के गुप्तांग को डायरेक्ट छू जाए, तो वुज़ू वाजिब हो जाता है। इसलिए स्नान दिलाने वाले को चाहिए कि मृत के गुप्तांग को जरूरत पड़ने पर कपड़े के ऊपर से ही छोए।

इसी तरह उलेमा की सही राय के मुताबिक पत्नी को छूने से भी वुज़ू नहीं टूटता, चाहे वासना के साथ छूए या बिना वासना के। शर्त यह है कि लिंग से कुछ ना निकले। क्योंकि नबी(ﷺ)ने अपनी एक पत्नी का चुंबन लिया, और वुज़ू किए बिना नमाज के लिए चले गए।

और अल्लाह का फरमान:(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)या तुम ने औरतों को छूआ हो।(निसा:43)। इससे मुराद उलेमा की सही राय के मुताबिक संभोग है। यही इब्ने अब्बास(رضي الله عنه)और पूर्ववर्ती व बाद के कुछ नेक उलेमा की राय है।

वुज़ू को तोड़ने वाली चीजें में से कुछ की व्याख्या:

– दोनों गुप्तांगों से कुछ निकलना। जैसे मल-मुत्र, वीर्य, मजी, वदी, हवा, पत्थर, खून, कीड़े, मासिक और सुति-स्राव इत्यादि।

– शरीर से अपवित्र चीजों का अधिक परिमाण में निकलना। इसमें सही राय यही है कि यह वुज़ू को तोड़ने वाली चीज नहीं है। लेकिन सिर्फ तब जब यह मूत्र और मल के जैसा हो।

– सोने की वजह से अक्ल का खत्म होना। असल में नींद की वजह से वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन हवा निकलने का अंदेशा रहता है, अगर उसे लगे कि हवा नहीं निकली है तो वुज़ू नहीं टूटता।

– दोनों गुप्तांगों में से किसी एक को हाथ से डायरेक्ट छूना। शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया(رحمه الله)ने कहा कि सटीक राय के मुताबिक गुप्तांग छूने से वुज़ू करना मुस्तहब होता है वाजिब नहीं।

वुज़ू की विधि चित्र के माध्यम से

– जब वुज़ू की नीयत करे तो चाहिए कि अल्लाह का नाम ले।अर्थात बिस्मिल्लाह कहे।

– फिर हथेली को तीन बार धोये, अच्छी तरह हाथों पर पानी बहाये।

– फिर अपने दाहिने हाथ से एक चुल्लू पानी ले, उसे मुंह के अंदर घुमाते हुए कुल्ली करे, फिर नथुने में पानी दाखिल करे और झिड़क दे, इस हाल में कि उसका बायां हाथ का अंगूठा व शहादत की उंगली नथुने के ऊपर हो। इस तरह तीन बार करे।

– फिर चेहरे को तीन बार धोये। और चेहरा कहा जाता है सामान्य तौर पर सर के बाल के उगने की जगह से ठोड़ी व जबड़े की हड्डी के आखिरी हिस्से तक को, और चौड़ाई में दोनों कानों के बीच का हिस्सा।

– फिर दोनों हाथों को कोहनी समेत तीन बार धोये, दाहिने से शुरू करे।

– फिर सर का मसह करे, दोनों हाथों को सर के आगे वाले हिस्से से पीछे तक ले जाए, और वापस लाए

– फिर दोनों शहादत की उंगली को कान के अंदरूनी हिस्से में डालकर मसह करे।

– फिर दोनों पाँव को टखनों समेत तीन बार धोए।










– और वुज़ू से फारिग होने के बाद कहे:

"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه"

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वे एक हैं उनका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ)उनके बन्दे व रसूल हैं।

और तिर्मिज़ी में आया है: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ"

ऐ अल्लाह मुझे तौबह करने वालों और पाकीजा रहने वालों में से बना दे।

साबित शुदा परिमाण से ज्यादा धोने का हुक्म:

वुज़ू के अंदर साबित शुदा परिमाण से ज्यादा करना जायज नहीं है, जैसे कि तीन से ज्यादा बार धोना, या कोहनी के ऊपर के बाहों को धोना, या टख्नों के ऊपर के पिंडली को धोना, या गर्दन का मसह करना।





परिशिष्ट जिसमें अरकाने इस्लाम से संबंधित कुछ बातें हैं

पहला: पाकी हासिल करना

तयम्मुम:

यह पानी द्वारा पवित्रता हासिल करने का विकल्प है। जब वुज़ू के किसी या सारे अंगों में पानी का उपयोग संभव ना हो। चाहे पानी मौजूद ना होने के कारण, या उपयोग से किसी प्रकार के नुक्सान का डर हो, तो ऐसी हालत में मिट्टी पानी का विकल्प बन जाता है।

तयम्मुम का तरीका:

तयम्मुम की नीयत करे, फिर बिस्मिल्लाह कहे, फिर जमीन पर एक बार हाथ मारे, और अपनी दोनों हथेलियों के भीतरी भाग से चेहरे और हथेलियों के बाहरी भाग का मसह करे।



और जमीन पर हाथ मारते समय उंगलियों को मिट्टी पर फैलाना, और हथेलियों का मसह करते वक्त उंगलियों का खिलाल करना शरीअत से साबित नहीं है।



वाजिब स्नान का तरीका:

जनाबत से पवित्रता और स्नान की नीयत करे, फिर बिस्मिल्लाह कहे, फिर कुल्ली करे व नाक में पानी डाले, और फिर पूरे शरीर और बालों के नीचे तक पानी पहूँचाए।

स्नान की सुन्नतें:

गुप्तांग को धोना, फिर दोनों हाथों को धोना, फिर नमाज की तरह वुज़ू करना, फिर सर के बालों की जड़ तक पानी पहूँचाना, फिर अपना दाहिना पहलू धोना, फिर बायां पहलू धोना, फिर दोनों पाँव धोना।

स्नान को वाजिब करने वाली चीजों:

1) जनाबत से। और जनाबत कहते हैं संभोग या किसी और कारण से वीर्य स्खलन होना, इसी तरह महिला एवं पुरुष के शर्मगाह का मिलाप होना।
2) मासिक धर्म व निफास का खून निकलना।
3) शहादत के सिवा मृत्यु को प्राप्त होना।
4) काफिर का इस्लाम लाना।

मोजे पर मसह करने की शर्तें

दोनों मोजे या जुराब पाक हों

इन्हें पाकी की हालत में पहना गया हो,यानी वुज़ू करते समय दोनों पाँव पानी से धोने के बाद पहना हो।

मोजों पर मसह हदस-ए-अस्गर के बाद किया हो, ना कि जनाबत व स्नान वाजिब करने वाली चीजों के बाद।

अंग के अधिक्तर हिस्से को ढाँपे हुए हो

शरीअत से निर्धारीत समय तक ही मसह करना चाहिए, और वह है मुकीम (निवासी)के लिए एक रात एक दिन यानी(24)घंटे। और यात्री के लिए तीन रात तीन दिन यानी(72)घंटे। और हदस के बाद पहले मसह से समय शुरू होता है।

मोजों पर मसह करने की विधि:

दोनों हाथों को पाँव की उंगलियों से पिंडली तक गुजारते हूए ले जाए, यानी सिर्फ मोजे के ऊपरी हिस्से का मसह किया जाए। दोनों हाथों से दोनों पैरों का मसह होगा, इस तरह कि दाहिना हाथ दाहिने पाँव को, और बायां हाथ बायें पाँव को एक ही समय में मसह करेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दोनों कानों का मसह किया जाता है, इसलिए कि सुन्नत से यही संकेत मिलता है।

मसह से संबंधित कुछ मसाइल:

1-मसह की अवधि पूरी होने, या मोजा उतार देने से वुज़ू नहीं टूटता बल्कि बाकी रहता है।

2-फटे हूए मोजे, या पतले मोजे जिससे त्वचा नजर आ रहा हो, उस पर भी मसह करना जायज है।

मल-मूत्र त्याग करने के आदाब:

– मुस्तहब चीजें: जब शौचालय में प्रवेश करे तो पहले बायां पाँव को आगे रखे, और यह दुआ कहे: (بسم الله، اللهم إني أعوذبك من الخبث والخبائث) अल्लाह के नाम से प्रवेश करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं खबीस नर और मादा जिन्नों की बुराई से पनाह माँगता हूँ।

– और जब शौचालय से निकले तो पहले दाहिना पाँव को बाहर रखे, और कहे: (غفرانك)ऐ अल्लाह हम आप से क्षमा चाहते हैं।

– वाजिब चीजें: वाजिब है कि दीवार या किसी और चीज से पर्दा करे, और अगर खुली जगह में हो तो काफी दूर चला जाए।

– नाजायज चीजें: जायज नहीं है कि रास्ते में, या लोगों के बैठने की जगह पर, या फलदार पेड़ के नीचे, या ऐसी जगह जहाँ लोगों को तक्लीफ पहूँचेगी, या ठहरे हूए पानी में, मल-मूत्र त्याग करे।

– जायज नहीं है कि मल-मूत्र त्याग करते समय किब्ला को सामने या पीछे करे।

– जायज नहीं कि दाहिने हाथ से गुप्तांग को छूए।

– जायज नहीं कि उस समय अल्लाह का नाम ले।

और जब मल-मूत्र त्याग कर फारिग हो जाए, तो पानी से धो ले या ढेले से साफ करले, और ढेला से साफ करने की निम्नलिखीत शर्तें हैं:

– तीन या तीन से ज्यादा बार पोंछे, उसमें एक ही जगह से नहीं।

– ठीक से साफ किया करे, जिसकी पहचान यह है कि ढेला या टिश्यु सूखा दिखे।

– अपवित्र या सम्मानजनक चीजों से सफाई ना करे, जैसे खाना, हड्डी, गोबर, इत्यादि।

और खड़े होकर पेशाब करना जायज है, इस शर्त पर कि पेशाब का छींटा शरीर या कपड़े पर ना आ लगे, और बेपर्दगी का डर ना हो। क्योंकि हदीस में है कि नबी(ﷺ)लोगों के कचरे फेंकने की जगह पर आए, और खड़े होकर पेशाब किये। (बूखारी व मुस्लिम)

पवित्रता हासिल करने से संबंधित प्रश्न

1. वुज़ू की कितनी शर्तें है :O नौ। O दस। O आठ।
2. वुज़ू के फरायेज हैं: O चार अंगों का धोना। O पिछली तमाम चीजें साथ में तर्तीब, और लगातार करना भी।
3. वुज़ू को तोड़ने वाली चीजें कितनी हैं:
   O छह। O पाँच। O आठ।
4. निम्नलिखित वाक्यों में वुज़ू को तोड़ने वाली चीजों को बयान करें:
   O ऊंट का गोश्त खाना। O हिरन का मांस खाना।
   O पेट की आवाज। O हवा निकलना।
   O ऊंघ आना। O मृतक को स्नान कराना।
   O औरत को छूना।
5. तयम्मुम का तरीका बयान कीजिये:

   ---

6. स्नान करने का तरीका बयान कीजिये:

   ---

7. निम्नलिखित मसाइल का हुक्म बयान कीजिये:

मसला	हुक्म
जुबान से नीयत करना	
वुज़ू करते समय एक नमाज की नीयत की, फिर उससे कई नमाजें पढ़ ली	
तिलावते कुरआन के लिए वुज़ू किया फिर उसी से नमाज अदा कर लिया	
वुज़ू करते हुए नीयत तोड़ दिया	
वुज़ू के बाद नीयत तोड़ दिया	
इस हाल में वुज़ू किया कि उसकी पिंडली पर आटा लगा हुआ था।	
इस हाल में वुज़ू किया कि वह ऊंट का गोश्त खा रहा था	
चोरी किये हूए पानी से वुज़ू किया	
इस्तिन्जा करने से पहले वुज़ू किया	
वुज़ू में कान की मसह के लिए नया पानी लेना	
सिर का तीन बार मसह करना	
वुज़ू में एक-एक बर धोना	
वुज़ू में तीन-तीन बर धोना	
वुज़ू में दोनों हथेलियों को धोना	
वुज़ू में दाढ़ी का खिलाल करना	
वुज़ू में अंगों को मलकर धोना	
जिस अंग का धोना फर्ज है उस पर मसह करना	

वुज़ू में सिर को धोना	
दोनों हथेलियों को बर्तन में दाखिल करना	
दाहिने तरफ से वुज़ू को आरंभ करना	
तीन बार से अधिक धोना	
पिंडली का धोना	
तैराकी के बाद नमाज पढ़ ली	
स्नान के बाद बिना वुज़ू किये नमाज पढ़ ली	

दूसरा: जकात देना

जकात के दो प्रकार हैं

शरीर की जकात

यह फितरा वाली जकात है, और यह हर मुसल्मान, छोटे बड़े, मर्द व औरत, गुलाम व आजाद, सब पर वाजिब है।

माल की जकात

यह इस्लाम का तीसरा रुकन है, और हर मुसल्मान आजाद शख्स पर फर्ज है, जो निसाब का मालिक हो गया हो। और जकात उस वक्त तक वाजिब नहीं होता, जब तक साल पूरा ना हो जाए, सिवाय जमीनी उत्पादन के। और जो असल के अधीन हो, जैसे निसाब का बढ़ना और व्यापार का लाभ, क्योंकि उसका साल गुजरना उसके असल का गुजरना है।

और माल की जकात तीन प्रकार के हैं:

व्यापार का सामान

यानी हर वह सामान जो खरीद व बिक्री के लिए रखा गया हो।

जमीनी उत्पादन

जैसे अनाज और फल इत्यादि

चरने वाले पालतू जानवर

यानी वह जानवर जो साल भर या साल का ज्यादा हिस्सा, जायेज चरागाहों पर गुजारा करता है। पालतू जानवर का मतलब है: ऊंट,गाय और बकरियाँ।

दोनों नकदी

यानी सोना चांदी, और हर वह मुद्रा जो इन दोनों की जगह उपयोग किया जाता है। सोने का निसाब बीस मिस्काल है,जो (85)ग्राम के बराबर है। और चांदी का निसाब(200) दिरहम है, जो(895)ग्राम के बराबर है।

जकात के हकदार:

1. फकीर लोग: यह वह जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल कुछ भी ना हो, या पर्याप्त का कुछ हिस्सा हो।
2. मिस्कीन लोग: जिनके पास पर्याप्त का अधिकतर हिस्सा या आधा हिस्सा हो। तो अगर हम उदाहरणस्वरूप बारह हजार(12000)को एक साल के लिए पर्याप्त मानते हैं, तो फकीर वह होगा जिसके पास छह हजार से कम या कुछ भी नहीं होगा। और मिस्कीन वह होगा जिसके पास छह हजार या उससे ज्यादा होगा, लेकिन बारह हजार तक नहीं पहूँचेगा। इसलिए हम फकीर व मिस्कीन को इतना देंगे जो उन्हें साल भर के लिए काफी हो जाए, क्योंकि जकात साल में एक बार ही वाजिब होता है।
3. जकात के कर्मचारी: यानी वे लोग जो जकात का माल वसूल करने, हिफाजत करने, और वितरण करने पर निर्धारित हों। उनको समय का शासक चुनेगा, और उनका फकीर होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर वे धनी हों तब भी उन्हें दिया जा सकता है।
4. जिनकी दिलजोई का इरादा हो: यानी जिनके इस्लाम कबूल करने की आशा हो, या जिस की बुराई से बचना हो, या उसके ईमान को मजबूत करने का इरादा हो।
5. गर्दनें आजाद कराने में, वह इस प्रकार है:

   (क) मालिक से संधि किया हुआ मुसल्मान गुलाम, जो स्वयं को मालिक से खरीदना चाहता हो।

   (ख) मुसल्मान गुलाम को आजाद कराना।

   (ग)मुसल्मान कैदी को आजाद कराना।

और इसमें वह गुलाम शामिल नहीं जिसको उसका मालिक आजाद करे, और वह उसे ही जकात देना समझे, क्योंकि यह जायज नहीं है।

6. कर्जदार लोग: वे इस प्रकार है: (क) जो रिश्तेदारों के बीच सुलह कराने में कर्जदार हुआ हो। (ख) जो अपनी जरूरत के लिए कर्जदार हुआ हो।

अगर गरीब कर्जदार को जकात की नीयत से छोड़ दिया जाए, तो यह जकात की अदायगी नहीं मानी जाएगी।

7.अल्लाह के रास्ते में: इस में शामिल हैं जिहाद करने वाले, और उनके लिए जरूरी हथियार और साज व सामान।

8.पथिक: इससे मुराद ऐसे बेसहारा यात्रीगन हैं, जिनका पैसा रास्ते में खत्म हो गया हो। तो उनको इतनी मदद दी जाएगी जिससे वे अपने घर तक पहूँच जाएं।

इन सभी प्रकार में से किसी एक प्रकार को पूरा जकात देना जायज है। और जकात का माल नहीं दिया जा सकता किसी धनी व्यक्ति को, मजबूत कमाने वाले शख्स को,मुहम्मद(ﷺ)के परिवार(यानी बनू हाशिम) को,या जिन पर खर्च करने की जिम्मेदारी स्वयं उसी पर है उनको, या काफिर आदमी को। लेकिन नफ्ल सदका किसी को भी दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं:

- बिन्ते मखाज: ऊंट का वह बच्चा है जिसका एक वर्ष पूरा हो चुका हो। और बिन्ते मखाज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी माँ गर्भवती होती है।
- बिन्ते लबून: ऊंट का वह बच्चा है जिसका दो वर्ष पूरा हो चुका हो। और बिन्ते लबून इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी माँ दूध दे रही होती है।
- हिक्का: वह ऊंटनी है जिसकी आयु तीन वर्ष हो चुकी है। और हिक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नर ऊंट से संभोग के काबिल हो चुकी है।
- जज्आ: वह ऊंट है जिसकी आयु चार वर्ष हो चुकी है। और जज्आ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आयु में सामने के दो दाँत गिर जाते हैं।
- तबीआ: गाय का वह बच्चा है जिसका एक वर्ष पूरा हो चुका हो।
- मुसिन्ना गाय का वह बच्चा है जिसका दो वर्ष पूरा हो चुका हो।

जकात का निसाब व परिमाण

जकात का परिमाण	निसाब	साल गुजरना	माल
आने वाली तालिका में बयान होगा	आने वाली तालिका में बयान होगा	शर्त है	चरने वाले पालतू जानवर
जो फसल बारिश, या चश्मे के पानी से सैराब की गई हो उसमें दसवाँ हिस्सा है।	तीन सौ साअ (750 किलोग्राम)	शर्त नहीं है	जमीनी उत्पादन
जिस फसल को मेहनत या मशीन से सैराब किया जाए उसमें बीसवाँ हिस्सा है			
जो फसल दोनों तरीके से सैराब किया जाए, उसमें तीन चौथाई उश्र है। (यानी माल का साढ़े सात 7.5 प्रतिशत)			
चालीसवाँ हिस्सा। 2.5 प्रतिशत	(85)ग्राम सोना या (595)ग्राम चांदी	शर्त है	नकदी यानी सोना चांदी और मुद्राएँ
चालीसवाँ हिस्सा। 2.5 प्रतिशत	उसकी कीमत सोने चांदी के निसाब तक पहूँच जाए तो जकात है	शर्त है	व्यापार का सामान

चरने वाले पालतू जानवरों के निसाब व परिमाण

चरने वाले पालतू जानवरों के निसाब व परिमाण

गाय और भैंस का निसाब

उसकी जकात	इसका परिमाण	
	तक	से
एक तबीआ	39	30
एक मुसिन्नह	59	40
दो तबीआ	69	60
फिर हर तीस गाय या भैंस में एक तबीआ, और हर चालीस में एक मुसिन्नह।		

ऊंट का निसाब
(एक कोहान या दो कोहान वाला)

उसकी जकात	इसका परिमाण	
	तक	से
एक बकरी	9	5
दो बकरी	14	10
तीन बकरी	19	15
चार बकरी	24	20
एक बिन्ते मखाज	35	25
एक बिन्ते लबून	45	36
एक हिक्का	60	46
एक जज्आ	75	61
दो बिन्ते लबून	90	76
दो हिक्का	120	91
तीन बिन्ते लबून	129	121
अगर उससे ज्यादा हो तो हर चालीस ऊंट पर एक		

भेड़ और बकरी का निसाब

उसकी जकात	इसका परिमाण	
	तक	से
एक बकरी	120	40
दो बकरी	200	121
तीन बकरी	300	201
फिर हर सौ में एक बकरी		

सदके में बोक, बूढ़ी, दोषपूर्ण, और खराब बकरियाँ नहीं ली जाएंगी।

इसी तरह सदके में दुबली,गर्भवती,खानेयाग्य, और चुनी हूई बकरियाँ नहीं ली जाएंगी।

	बिन्ते लबून, और हर पचास ऊंट पर एक हिक्का	

जकात से संबंधित प्रश्न

1. किसी भी माल में उस वक्त तक जकात नहीं, जबतक उसपर एक साल गुजर ना जाए, और साल से मुराद है: O हिज्री साल। O इस्वी साल। O दोनों।
2. एक साल गुजरने की शर्त से बाहर है:
   O दफन खजाना(रिकाज)। O जमीनी उत्पादन। O दोनों।
3. सोने का निसाब है: O 85 ग्राम। O 595 ग्राम। O 95 ग्राम।
4. चांदी का निसाब है: O 200 दिरहम। O 595 दिरहम। O दोनों।
5. पालतू जानवर: ऊंट, गाय, भैंस बकरी, सब को शामिल है। (सही- गलत)
6. फल में कोई जकात नहीं। (सही- गलत)
7. चरने वाले जानवर से मुराद है: O जिसकी कीमत ऊँची हो। O जो साल भर या साल के अधिकतर समय चरता हो।
8. वह जानवर जो जायज जगह चरता हो यानी: O जो पाकीजा चीजें खाता हो।
   O जिसका कोई मालिक ना हो।
9. अगर मिस्कीनों का जिक्र हो तो उसमें फकीर भी शामिल होते हैं। (सही- गलत)
10. फकीर को इतना दिया जाए जो उसको काफी हो:
    O एक साल के लिए। O एक माह के लिए।
11. जकात पर काम करने वाले: O हर वह शख्स हैं जो जकात के लिए काम करे। O सिर्फ वे लोग जिन्हें शासक निर्धारित करे।

12. निम्नलिखित चीजों में जकात का परिमाण बयान कीजिए:

माल	जकात का परिमाण	वकस अगर हो
100 दिरहम		
300 दीनार		
400 दिरहम		
80 ग्राम सोना		
500 ग्राम चांदी		
30 बकरी		
60 बकरी		
565 बकरी		
4 ऊंट		
17 ऊंट		
449 ऊंट		
30 गाय		
49 गाय		
77 गाय		
99 गाय		
दो करोड़ रियाल		
40 रियाल		
45679 रियाल		
255 साअ गेहूँ		

13. तालीफे कल्ब(दिलजोई) में वह काफिर भी शामिल है जिनसे इस्लाम में दाखिल होने की उम्मीद ना की जाए। (सही- गलत)
14. जब मालिक गुलाम को आजाद कर दे, तो उसको जकात में से दिया जा सकता है। (सही- गलत)
15. एक धनी आदमी का एक गरीब के ऊपर कुछ हक है, और वह उसे छोड़ कर जकात में शुमार कर लेता है,तो उसका यह काम सही होगा। (सही- गलत)

16. अल्लाह के रास्ते में: कहने का मतलब तमाम अच्छे कार्य में खर्च करना शामिल है, जैसे कि मस्जिद बनवाना। (सही- गलत)
17. नकदी(सोना चांदी)में जकात का परिमाण चालिसवाँ हिस्सा है। (सही- गलत)
18. चरने वाले पालतू जानवर में जकात वाजिब है। और काम वाले जानवर में वाजिब नहीं, ना ही उसमें जिसे घर पर खिलाया जाए। (सही- गलत)
19. अनाज और फलों में जकात वाजिब है, अगर निसाब तक पहूँच जाए, और यह फसल की कटाई और फलों के पकने के समय वाजिब होगा। (सही- गलत)
20. अनाज और फलों में बीसवाँ हिस्सा जकात फर्ज है, जब उसे खर्चा करके सैराब किया जाये। (सही- गलत)
21. सोने में जकात फर्ज है, जब वह निसाब को पहूँच जाए, और उसका निसाब है बीस(20)मिस्काल। (सही- गलत)
22. निम्नलिखित जिन चीजों में जकात वाजिब है उन्हें एक गोल दायरा से इंगित कीजये: O मुर्गियाँ। O वाणिज्यिक दुकान। O घर पे खिलाए जाने वाली बकरियाँ। O चरने वाले ऊंट। O खजूर काश्त की जमीन। O 25 मिस्काल सोना।
23. तबीआ वह गाय है जिसकी आयु दो वर्ष हो। (सही- गलत)
24. बैंकनोट्स(कागज के रुपये)के निसाब का हिसाब किया जाएगा: O व्यापारिक सामान के मुताबिक। O सोने या चांदी के निसाब की कीमत के मुताबिक। O सोने चांदी दोनों के निसाब की कीमत मुताबिक।
25. कागज की मुद्राओं की जकात में वाजिब है: O चालीसवाँ हिस्सा। O बीसवाँ हिस्सा।
26. अस्सी(80)ग्राम सोने की जकात है: O दो ग्राम सोना। O चार ग्राम सोना। O उसमें जकात है ही नहीं।
27. उन घरों पर जकात वाजिब है जिसे रहने के लिए तैयार किया गया हो। (सही- गलत)
28. हर वह शख्स जो यात्रा करे उसे जकात में से दिया जा सकता है क्योंकि वह पथिक है। (सही-गलत)

तीसरा: रोजा

सौम(रोजा)अरबी भाषा में किसी चीज से रुक जाने को कहते हैं, और इस्लामी शरीअत में अल्लाह की इबादत के लिए, भोर होने से लेकर सूर्यास्त तक, खाने पीने और रोजा तोड़ने वाली तमाम चीजों से रुक जाने को कहते हैं।

रोजा के अरकान

1- नीयत करना।

2- रोजा तोड़ने वाली चीजों से रुके रहना

नफ्ली रोजे की नीयत

इसकी नीयत दिन के किसी भी समय की जा सकती है,जब तक रोजा तोड़ने वाली चीजों से रुका हुआ हो, लेकिन नीयत के समय से नेकी का शुमार होगा।

फर्ज रोजे की नीयत

जरूरी है कि फर्ज रोजे की नीयत रात ही से कर ली जाए, यानी भोर होने से पहले। रमजान के शुरू में महीना दाखिल होने की नीयत करना भी काफी है, और नीयत की जगह दिल है, जुबान से नीयत करना बिद्अत है।

रोजे के प्रकार

नफ्ली रोजे:

वाजिब के सिवा तमाम रोजे

वाजिब रोजे:

रमजान, कफ्फारा और नजर के रोजे

रोजा वाजिब होने की शर्तें:

1-मुसल्मान होना। 2- अक्लमंद होना।

3- बालिग होना: लेकिन नाबालिग को रोजे के लिए प्रेरित किया जाएगा, और उसका अभिभावक उसे हुक्म देगा।

4- निवासी होना: यात्री के ऊपर रोजा वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि जब तक कोई कठिनाई ना हो रोजा रखा करे, क्योंकि यह नबी(ﷺ)का तरीका है, और जल्दी जिम्मेदारी से मुक्ति भी मिल जाती है, इसी तरह रोजेदार के लिए आसानी है, और रमजान महीने की फजीलत को भी पा लेता है।

5- स्वास्थ्य अच्छा होना। 6- महिलाओं का मासिक धर्म और निफास से पाक होना।

रोगी के लिए रोजे का हुक्म

ऐसा रोगी जिसके ठीक होने की उम्मीद हो, लेकिन उस पर रोजा रखना कठिन हो।

इस हुक्म में मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति और दूध पिलाने वाली औरतें भी शामिल हैं, और इसी तरह यात्रा करने वाले भी। जब यह सब खत्म हो जाए, तो छोड़े हूए दिनों की गिन्ती के बराबर रोजा पूरा कर ले। और अगर ठीक होने से पहले ही देहांत हो जाए तो रोजा माफ हो जाता है।

ऐसा रोगी जिसके ठीक होने की उम्मीद नहीं

इसी हुक्म में वह बूढ़ा शख्स भी शामिल होगा जो रोजा नहीं रख सकता है, उसपर रोजा जरूरी नहीं है, बल्कि हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा।

उसका तरीका यह है कि दिनों की गिनती के बराबर मिस्कीनों को जमा किया जाएगा, और उनको दोपहर या रात का खाना दिया जाएगा, या दिनो के हिसाब से खाना मिस्कीनों पर वितरण कर दिया जाएगा, हर मिस्कीन को साअ नबवी का एक चौथाई हिस्सा,यानी उमदा गेहूं का आधा कीलो दस ग्राम दिया जाएगा।

और बेहतर है कि उसके साथ सालन के लिए गोशत व तेल इत्यादि भी दिया जाए।

रमजान महीने के दाखिल होने की पुष्टि कैसे होगी।

या तो रमजान का चांद देखकर, या शाबान के तीस दिन पूरे कर के।

रोजे को तोड़ देने वाली चीजें

1- जान बूझ कर खा या पी लेना। अगर किसी ने भूल कर खा या पी लिया हो तो उसका रोजा नहीं टूटता।

2- संभोग कर लेना। अगर यह रमजान के दिन में कर लिया जब रोजा उस पर फर्ज था, तो उसपर बड़ा कफ्फारा(प्रायश्चित) वाजिब हो जाता है और वह है: गुलाम आजाद करना, अगर ना कर सके तो लागतार दो महीने रोजे रखना, अगर ना कर सके तो साठ मिस्कीन को खाना खिलाना।

3- वीर्य का निकलना, चाहे पत्नी के शरीर से शरीर को मिलाने से हुआ हो, या चुंबन से, या बाहों में भरने से, इत्यादि।

4- जो चीज खाने पीने के हुक्म में हो, जैसे कि भोजन मुहैया करने वाला इंजेक्शन लगवाना। अगर इंजेक्शन भोजन वाला ना हो तो कोई बात नहीं।

5- हजामत के द्वारा खून निकालना, अगर थोड़ा खून जांच के लिए निकाला जाए तो रोजा नहीं टूटेगा।

6- जानबूझकर उल्टी करना।

7- मासिक धर्म और सूति-स्राव का खून निकल आना।

कुछ वह चीजें जो रोजेदार के लिए जायज हैं

जैसे थूक का निगल लेना, जरूरत पड़ने पर खाना चख लेना, स्नान करना, इत्र लगाना, ठंडक हासिल करना इत्यादि।

रोजे की मुस्तहब(सुन्नत)चीजें

1- सेहरी खाना। 2- सेहरी में देरी करना। 3- इफ्तार में जल्दी करना। 4- रुतब खजूर से इफ्तार करना। अगर ना मिले तो सूखे खजूर से, और खजूरें ताक लेना, अगर ना मिले तो पानी के कुछ घोंट से, अगर कुछ भी ना पाये तो दिल से इफ्तारी की नियत कर ले।

5- इफ्तार के समय और रोजे के दौरान दुआ करना।

6- ज्यादा से ज्यादा सदका करना। 7- रात की नमाज पर खास ध्यान देना।

8- कुरआन की तिलावत करना। 9- अगर कोई अपशब्द कहे तो जवाब में यह कहना कि मैं रोजेदार हूं। 10- रमजान में उमरा करना।

11- आखिरी दस दिनों में एतकाफ करना।

12- कदर वाली रात्री (शबे कदर) को तलाश करना।

रोजे की मकरूह चीजें:

1- कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालिगा(अतिशयोक्ति)करना।

2- बिना जरूरत खाना चखना।

वह चीजें जो रोजेदार पर हराम हैं:

1-बल्गम को निगल जाना, अगरचे इससे रोजा टूट नहीं जाता।

2-पत्नी का चुंबन,यह उस व्यक्ति के लिए है जो अपने ऊपर संयम (कंट्रोल) ना रख सके।

3-झूट बोलना, और उसी में शामिल है तमाम गलत कार्य।

4-अज्ञानता, मूर्खता और बेवकूफी के कार्य करना।

5-सौमे विसाल करना, अर्थात बिना सेहरी व इफ्तारी के लगातार उपवास करना(रोजा रखना)।

नफली रोजे:

1- शव्वाल महीने के छह रोजे रखना,उसके लिए जिसने रमजान के रोजे पूरे किये हों
2- अरफा के दिन का रोजा रखना,उसके लिए जो हज्ज नहीं कर रहा हो।
3- यौमे आशूरा(दस मुहर्रम)का रोजा रखना, साथ में नौ या गयारह तारीख को मिला लेना।
4- सोमवार और बृहस्पतिवार का रोजा रखना, जबकि सोमवार का अधिक महत्वपूर्ण है।
5- हर महीने के तीन दिन रोजे रखना,लेकिन बेहतर है कि सफेद दिनों (चाँदनी वाले दिनों)(13-14-15)तारीख के रोजे रखे।
6- एक दिन रोजे रखना और एक दिन खाना खाना।
7- अल्लाह का महीना मुहर्रम के रोजे रखना।
8- जिल-हिज्जा की नौ तारीख के रोजे रखना।
9- शाबान महीने के रोजे रखना, लेकिन पूरे महीने का ना रखे।

मकरूह रोजे:

सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विशेष रुप से रोजा रखना मकरूह है, लेकिन अगर सुन्नत रोजे इन दिनों में पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, जैसे कि अरफा का रोजा अगर इन दिनों में से किसी दिन पड़ जाए तो हरज नहीं है।

हराम रोजे:

1- रजब महीने को रोजे के लिए खास करना।
2- दोनों ईदों के दिन रोजे रखना।
3- शक के दिन रोजा रखना। लेकिन अगर किसी की कोई स्थायी आदत हो, और यह दिन पड़ जाए, तो वह रख सकता है।
4- तशरीक के दिनों को रोजा रखना, सिवाय उनके जो हज्ज में हो और कुर्बानी ना कर सका हो।
5- हमेशा के लिए(हर दिन) रोजे रखना।

रोजा कजा(पूरा करने)के प्रावधान:

– कजा रोजे को लगातार रखना मुस्तहब है।
– बचे हुए रोजे को ईद के दिन के फौरन बाद जल्दी रख लेना मुनासिब है।
– दूसरे रमजान तक देर करना जायज नहीं।
– अगर बिना कारण देर किया गया, तो उस पर छोड़े हुए रोजे से ज्यादा कुछ करना वाजिब नहीं है, लेकिन गुनहगार जरूर होगा।

जकात-ए-फित्र:

रमजान के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद सदका-ए-फित्र हर मुसल्मान पर वाजिब होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, गुलाम हो या आजाद, इस शर्त पर कि उसके पास ईद के दिन व रात अपने और अपने बच्चों के खोराक व मूल जरूरतों से ज्यादा कुछ बचा हो। और भ्रूण पर फित्रा मुस्तहब है।

और फित्रा लागू होने की हिक्मतें निम्नलिखीत हैं:

- यह रोजेदारों को गलत व गंदी बातों के गुनाहों से पाक करता है।
- इससे फकीर व मिस्कीनों को समृद्ध किया जाता है, ताकि ईद के दिन भीख माँगने पर मजबूर ना हों।

जकात-ए-फित्र निकालने का समय

हराम वक्त:	मुस्तहब वक्त:	जायज वकत:
ईद की नमाज के बाद	फज्र के बाद से ईद की नमाज तक	ईद से एक या दो दिन पहले

जकात-ए-फित्र का परिमाण:

जकात-ए-फित्र में उस भोजन का एक साआ दिया जाएगा जिसे इंसान खाता हो, इसमें पैसे देना दुरुस्त नहीं, और साआ का परिमाण होता है अच्छे गेहूं का दो किलो चालीस ग्राम।

ईद की नमाज:

यह प्रत्येक मुसलमान पर फर्ज है,और उसका वक्त है सूरज एक नेजा के बराबर बुलंद होने से लेकर सूरज के ढलने तक। अगर छूट जाए तो कजा नहीं हो सकता। इस नमाज को शहर के बाहर खुले में पढ़ना सुन्नत है, और मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह सुन्नत है: ईद से पहले विषम संख्या में खजूरें खाना, पाकी हासिल करना, खूशबू लगाना, अच्छे पोशाक पहनना और एक रास्ते से जाना व दूसरे रास्ते से वापस आना।

ईद की मुबारकबादी के तौर पर(تقبل الله منا ومنكم)कहने में कोई हरज नहीं है, और ईद की रात और दिन के पाँचों नमाजों के बाद तक्बीर कहना सुन्नत है और इस तरह कहा जाएगा:

(الله أكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)

और ईद की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि दो रकअत खुतबा से पहले पढ़ी जाएगी, पहली रकात में तक्बीर-ए-तहरीमा के बाद छह तक्बीरें कहना होगा, और दूसरी रिकात में तिलावत से पहले व तकबीर-ए-कियाम के बाद पाँच तकबीरें कहना होगा।

रोजे से संबंधित प्रश्न

1. रोजे के कितने अरकान हैं: O दो। O तीन। O चार।
2. रोजा रखना किस पर वाजिब है

   (क)----------

   (ख)----------

   (ग)----------

   (घ)----------
3. हर तरह की बिमारी रोजा रखने से रोकती है। (सही- गलत)
4. निम्नलिखित कार्यों का हुक्म बयान कीजिये:

कार्य	हुक्म
फज्र के बाद रोजे की नीयत करना	
बगैर नीयत के रोजा रखना	
छोटे बच्चे का रोजा रखना	
मुसाफिर का रोजा रखना	
निफास की हालत में रोजा रखना	
असमर्थ आदमी का रोजा रखना	
रोजे की हालत में खाना पीना	
भोजन वाला इंजेक्शन लगावाना	
आँख में ड्राप डालना	
दर्द निवारक इंजेक्शन लगवाना	
पछना लगवाना	
उलटी करना	
थूक निगल लेना	
खाना चखना	
नींद आना	

स्नान करना	
ठंडक हासिल करना	
मिस्वाक करना	
धूप वाली खूश्बू	
सेहरी का वक्त	
किस चीज से सेहरी करे	
किस चीज से इफ्तारी करे	---------से,अगर ना पाये तो---------से, अगर ना पाये तो--------से, अगर ना पाये तो-----
तरावीह की नमाज	
रमजान में उमरह करना	
कुल्ली करने में मुबालगा करना	
रोजेदार का पत्नी को चुंबन लेना	
दो दिन लगातार बिना सेहरी व इफ्तारी के रोजे रखना	
शव्वाल महीने के छह रोजे रखना	
अरफा के दिन का रोजा रखना	
शक के दिन का रोजा रखना	
ईद के दिन का रोजा रखना	
तश्रीक के दिनों का रोजा रखना	
मुहर्रम महीने का रोजा रखना	
रजब महीने का रोजा रखना	
हमेशा के लिए रोजे रखना	
जुमा के दिन का रोजा रखना	
रोजे के कजा को दूसरे रमजान तक देर करना	

चौथा: हज्ज करना

हज्ज इस्लाम का पांचवां रुक्न है। और यह इस शर्त पर वाजिब है कि व्यक्ति मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, आजाद हो, और मक्का जाने में सक्षम हो। महिलाओं के लिए एक शर्त ज्यादा है, और वह है मुहरिम का पाया जाना, अगर उसे हज्ज के लिए यात्रा करना पड़े। और हज्ज के चार अरकान हैं:

सई करना(चलना) यानी सफा और मारवा के बीच चलना। अल्लाह तआला फरमते हैं: निस्संदेह सफा और मरवा अल्लाह की विशेष निशानियों में से हैं। (बकरह:158)

तवाफे इफाजा: इसको तवाफे जियारह भी कहते हैं, यह अरफा में ठहरने के बाद किया जाता है। और यह तवाफे कुदूम के अतिरिक्त है।

अरफा में ठहरना: उसका समय जिलहिज्जा की नौ तारीख के सूरज ढलने से लेकर, ईद के दिन की फज्र तक है। नबी(ﷺ)ने फरमाया: हज्ज अरफा में ठहरने का नाम है।(अहमद:18774)

इहराम बांधना: हज्ज या उमरह में दाखिल होने की नीयत को इहराम कहते हैं। और यह लब्बैक कहने और चादर व लुंगी पहनने के अतिरिक्त है।

हज्ज के प्रकार

हज्जे तमत्तोअ: इसका अर्थ यह है कि हज्ज के महीने में उमरह की नीयत करे, उसको पूरा करे और हलाल हो जाए, फिर उसी वर्ष हज्ज का इहराम बांधे, इसमें भी कुर्बानी वाजिब होता है।

हज्जे किरान: इसका अर्थ यह है कि हज्ज और उमरे की एक साथ नीयत की जाए, और दोनों के कार्यों को पूरा किया जाए, और इसमें कुर्बानी बाजिब होता है।

हज्जे इफ्राद: इसका अर्थ यह है कि सिर्फ हज्ज की नीयत की जाए, और सिर्फ उसी के कार्यों को पूरा किया जाए।

हज्ज की वाजिब चीजें

अगर किसी व्यक्ति ने इन वाजिब चीजों में से किसी एक को छोड़ दिया है,तो उसके निवारण के लिए कुर्बानी देना वाजिब है। उसका विवरण यह है कि एक बकरी हरम की सीमा के अंदर जबह करना होगा, और मक्का के फकीरों में वितरण कर दिया जाएगा, उसमें से खुद खाना जायज नहीं।

मीकात से इहराम बांधना।	सूर्यास्त तक अरफा में ठहरना, उस व्यक्ति के लिए जो दिन में ठहरे
मुज्दलिफा में रात गुजारना।	तश्रीक की रातें मिना में गुजारना
कंकरियाँ मारना।	बालों की शेविंग करना या कटवाना

विदाई का तवाफ करना, यह हर उस हाजी के लिए वाजिब है जो मक्का छोड़ना चाहे, अगरचे हज्ज के महीनों के बाद ही निकले, सिवाय हैज व निफास वाली औरतों के।

हज्ज उमरह की मीकातें

स्थानिक मीकातें:

- जुल हुलैफाः मादीना वालों के लिए है, और जो वहाँ से गुजरे।
- जोहफाः शाम, मिस्र और मग्रिब वालों के लिए है।
- कर्ने मनाजिलःनज्द वालों के लिए।
- यलम्लमः यमन वालों के लिए।
- जात इर्कः इराक वालों के लिए।

सामयिक मीकातें:

यह हज्ज के महीने हैं, यानी: शव्वाल,जुल-कादा, और जुल-हिज्जा। सामयिक मीकातें सिर्फ हज्ज के लिए होती हैं, उमरह के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है।

हज्ज की मुस्तहब चीजें

पुरुषों के लिए सफेद रंग के चादर व लुंगी का पहनना।	इहराम के लिए स्नान करना और खुशबू लगाना
इहराम बांधने से लेकर जमरा-ए-अक्बा को कंकरी मारने तक लब्बैक कहते रहना	नाखुन तराश्ना, और उन बालों को साफ करना जिनका निकालना इहराम की नीयत से पहले जरूरी है।
आगमन के तवाफ में पहले के तीनों चक्करों में रमल करना। और रमल कहते हैं तेज गति से चलने को।	हज्जे मुफ्रद और हज्जे किरान करने वालों के लिए आगमन का तवाफ करना।
मुज्दलिफा पहूंच कर मग्रिब व इशा की नमाज को जमा व तक्दीम करके पढ़ना।	हज्जे तमत्तोअ करने वाले के लिए आगमन के तवाफ और उमरे के तवाफ में इज्तिबाअ करना। और इज्तिबाअ कहते हैं दाहिने कंधे के खुला रखने को
हजरे अस्वद का चुंबन करना	अरफा की रात मिना में गुजारना

मुज्दलिफा में मश्अर-ए-हराम के पास फज्र से सूर्योदय तक ठहरना, और मुज्दलिफा पूरा का पूरा ठहरने क स्थान है।

इहराम की हालत में जिन चीजों से बचना जरूरी है

यह नौ चीजें है: सिर और शरीर के बाल निकालना, नाखुन तराशना, पुरुषों का टोपी इत्यादि से सर ढाँपना, पुरुषों का सिला हुआ कपड़ा पहनना (सिला हुआ का अर्थ होता है वह कपड़ा जो शरीर या शरीर के किसी अंग के साइज के मुताबिक सिलाया जाए), महिलाओं के लिए नकाब और दस्ताना पहनना, खूशबू लगना (सुगंधित साबुन भी इसी हुक्म में है), जंगली जानवर का शिकार और कत्ल करना, अपने लिए या किसी और के लिए विवाह का आयोजन करना, संभोग करना, बिना संभोग के पत्नी के शरीर से चिपकना। अगर कोई व्यक्ति भूल कर, या अज्ञानता से, या मजबूरी में, ये कार्य कर डाले, तो उस पर कोई कफ्फारा नहीं है, सिर्फ जो शिकार करेगा उसपर फिद्या है। जान बूझ कर करने की सूरत में इन चीजों के चार प्रकार हैं:

जिसका फिद्या सर मुंडवाने के जैसा है:

यह फिद्या बाकी प्रतिबंधित चीजों में है, और इस फिद्या में तीन चीजों के बीच चयन करना होता है: या तो तीन दिन का रोजा रखे, या छह मिस्कीन को खाना खिलाए (हर एक को आधा साअ करके) या एक बकरी जबह करके हरम के फकीरों में वितरण कर दे।

जिसका फिद्या गंभीर है:

यह फिद्या संभोग के कारण लागू होता है, लेकिन अगर कोई तहल्लुल-ए-अव्वल से पहले ही संभोग कर लेता है, तो उसका हज्ज बेकार हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा करेगा, और अगले साल दोबारा उसी हज्ज को अदा करेगा। और उस पर कुर्बानी वाजिब है।

जिसका फिद्या उसके जैसा है:

यह जंगली जानवर के शिकार या कत्ल करने का फिदया है, तो जिसने ऐसा किया उसके ऊपर मुत्लक फिदया है, यानी उस जानवर के बराबर जिसका उसने शिकार किया, और इसका फैसला दो न्याय वाले व्यक्ति करेंगे

जिसमें कोई फिद्या नहीं:

जैसे अपने लिए या किसी और के लिए विवाह का आयोजन करना। इसी तरह बिना संभोग के पत्नी के शरीर से चिपकना, जब उससे वीर्य स्खलित ना हो। तो इसमें कफ्फारा नहीं है, बल्कि तौबा है।

हज्ज के दिनों के नाम

निकलने का दूसरा दिन:	निकलने का पहला दिन:	ठहरने का दिन:	ईद का दिन:	अरफा का दिन:	तरविया का दिन:
यह जिल-हिज्जा का तेरहवाँ दिन है।	यह जिल-हिज्जा का बारहवाँ दिन है।	यह जिल-हिज्जा का गयारहवाँ दिन है।	या कुर्बानी का दिन,यह जिल-हिज्जा का दसवाँ दिन है।	या ठहरने का दिन,यह जिल-हिज्जा का नवाँ दिन है।	जिल-हिज्जा का आठवाँ दिन,क्योंकि लोग उस दिन मिना की तरफ पानी लेकर जाते थे।

जमा होने की रात ईद की रात को कहा जाता है, यह नाम इस लिए दिया गया क्योंकि लोग अरफा में ठहरने के पश्चात इस रात जमा होते थे, कारण यह था कि मक्का वाले जाहिलीयत में अरफा तक नहीं जाते थे।

हज्ज में दुआ करने की पाँच जगहें हैं:

सई करते समय,सफा व मर्वा के ऊपर,और दोनों के दरमियान	तवाफ के दौरान	तशरीक के दिनों में छोटे और बीच के जमरा को कंकरी मारने के बाद।	मुज्दलिफा में दस तारीख की रात, फज्र से लेकर उजाला होने तक	अरफा के मैदान में, नौवीं जिल-हिज्जा के दिन, सूरज ढलने से लेकर सूर्यास्त तक

हज्ज और उमरा का तरीका:

शैख मुहम्मद बिन सालिह अल-उथैमिन(رحمه الله)फरमाते हैं:

जब मीकात पहूंच जाएँ तो स्नान कर लें, और अपने शरीर यानी सिर और दाढ़ी पर खूश्बू लगा लें, फिर तमत्तोअ की नीयत के साथ उमरा का इहराम बांध लीजिए, और लब्बैक कहते हूए मक्का की तरफ रवाना हो जाइए। जब काबा शरीफ सामने आ जाए तो उमरा के सात तवाफ कर लीजिए, और याद रखिए कि पूरी मस्जिद तवाफ की जगह है, चाहे काबा से करीब हो या दूर, लेकिन अगर भीड़ से तक्लीफ ना हो तो करीब से तवाफ करना बेहतर है। अगर भीड़ हो तो दूर ही रहना चाहिए, अल्लाह क कृपा है कि इस मामले में कुशादगी रखी गई है। जब तवाफ पूरा कर लें तो मकाम-ए-इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज पढ़ लें, यदि जगह उपलब्ध हो तो उसके करीब पढ़ें वरना दूर ही, महत्त्वपूर्ण यह है कि मकाम-ए-इब्राहीम आपके और काबा शरीफ के बीच में आये। फिर उमरा की सई के लिए निकलें, और सफा से शुरू करें, जब सातों चक्कर पूरे हो जाएं तो पूरे सिर के बालों को कटवा लें, और लोगों की देखादेखी सिर के एक ही तरफ के बाल ना कटवाएँ।

फिर जब जिल-हिज्जा का आठवाँ दिन हो, तो स्नान कर लें, खूश्बू लगा लें और अपने ठहरने की जगह से हज्ज का एहराम बाँध लें, और मिना के लिए निकल पड़ें, और वहाँ पहूँच कर जुहर, अस्र, मग्रिब, इशा और फज्र की नमाजें, बिना जमा किये कस्र के साथ पढ़ लें, क्योंकि आपके नबी(ﷺ)मक्का और मिना में बिना जमा के कस्र करते थे। फिर जब अरफा के दिन सूर्योदय हो जाए तो विनम्र होकर लब्बैक कहते हूए अरफा की तरफ चल पड़ें। वहाँ पहूँच कर जुहर और अस्र की नमाजें जमा तक्दीम के साथ दो-दो रकात अदा करें, फिर दुआ व प्रार्थना के लिए एकाग्रित हो जाएँ, और कोशिश करें कि पवित्रता की हालत में ही समय गुजरे।

किब्ला को सामने करें, अगरचे पहाड़ आप के पीछे हो जाए। क्योंकि हुक्म सिर्फ किब्ला को आगे करने का है, पहाड़ को नहीं। मैदान-ए-अरफा की सीमाओं और उनकी निशानियों का अच्छी तरह ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे हाजी अरफा के बाहर ही ठहर जाते हैं, याद रहे कि जो अरफा में ना ठहरे उसका हज्ज होता ही नहीं है, क्योंकि नबी(ﷺ)ने फरमाया: अरफा में ठहरना ही असल हज्ज है।(अहमद:18774) और पूरा अरफा ठहरने की जगह है, पूरब का हिस्सा हो या पश्चिम का, दक्षिण का हिस्सा हो या उत्तर का, सिवाये वादी अरना के, इसलिए कि नबी(ﷺ)ने फरमाया: मैं यहाँ ठहरा, और पूरा अरफा ठहरने की जगह है।(मुस्लिम:1218) जब सूर्यास्त हो जाए और उसका यकीन भी हो जाए, तो विनम्र होकर लब्बैक कहते हूए मुज्दलिफा की तरफ चल पड़ें, और जितना संभव हो शांती बनाये रखें, जैसा कि आपके नबी(ﷺ)ने आदेश दिया है, जब आप(ﷺ)अरफा से चले तो अपनी ऊंटनी का लगाम इतना खींचा कि उसका सिर पायदान को छू रहा था,और आप(ﷺ)अपने हाथ के इशारे से कह रहे थे: ऐ लोगो, शांती बनाये रखो ,शांती से चलो। (मुस्लिम:1218)

जब मुज्दलिफा पहूँच जाएँ, तो वहाँ मग्रिब व इशा पढ़ लें, फिर फज्र तक लेट जाएँ। और नबी(ﷺ)ने किसी को भी फज्र से पहले मुज्दलिफा से निकलने की छूट नहीं दी,सिवाय कमजोर लोगों के। उन लोगों को छूट दी गई कि वे आखिरी रात को मुज्दलिफा से निकल जाएँ। जब आप फज्र की नमाज पढ़ लें तो किब्ला को सामने करके अल्लाह की बड़ाई व प्रशंसा करें, और उजाला होने तक दुआ करते रहें। फिर सूर्योदय से पहले मिना की तरफ रवाना हो जाएँ, फिर सात कंकरियाँ उठा लें और जमरा-ए-अकबा,जो कि मक्का की तरफ अंतिम जमरा है, के पास जाएँ और सूर्योदय के बाद सात कंकर से शैतान को मारें।

हर कंकर के साथ पूरी विनम्रता से अल्लाहो अक्बर कहें। और जान लें कि कंकर मारने का मक्सद अल्लाह की बड़ाई बयान करना, और उनके जिक्र को कायम करना होता है। जरूरी है कि कंकरियाँ हौज में जा गिरे, लेकिन स्तंभ को लगना शर्त नहीं है, जब कंकर मारने से फारिग हो जाएँ तो हदी का जानवर जबह करें, और हदी में उसी तरह का जानवर जरूरी है जो कुर्बानी में जरूरी होता है। और जबह करने में किसी शख्स को वकील या प्रतिनिधि बनाने में कोई हरज नहीं है। फिर जबह के बाद अपने सिरों को मुंडवाएँ, पूरे सिर के बालों को मुंडवाना जरूरी है, कुछ हिस्सा मुंडवाना काफी नहीं होगा। महिलाएँ बालों के आखिरी हिस्से से उंगली के पोर के बराबर कटवा लेगी।

यह सब कर लेने के बाद तहल्लुल-ए-अव्वल हासिल हो जाता है, तब आपके लिए जायज है कि मन पसंद कपड़े पहनें, नाखुन तराशें, खूशबू लगाएँ, लेकिन पत्नी से संभोग ना करें, फिर जुहर से पहले मक्का जाएँ और हज्ज का तवाफ व सई कर लें, और फिर मिना वापस लौट जाएँ। यह सब यानी तवाफ, सई, कंकर मारने व सिर मुंडवाने से दूसरा तहल्लुल भी हासिल हो जाता है, तब आपके लिए सब कुछ हलाल हो जाता है, यहाँ तक कि पत्नियाँ भी।

हे लोगो ईद के दिन हाजी को चार काम करने होते है: कंकर मारना, कुर्बानी करना, सर मुंडवाना, और तवाफ व सई करना। यह पूर्ण तर्तीब है, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे हो जाए, उदाहरणस्वरूप कुर्बानी से पहले सिर मुंडवा ले, तो कोई हरज नहीं। और अगर तवाफ व सई को मिना से वापस आने तक देर कर दे तो भी कोई हरज नहीं। और अगर कुर्बानी को विलंब करके तेरहवीं तारीख को मक्का में जाकर कर ले, तो भी हरज नहीं, विशेष तौर पर जब जरूरत और परिस्थिति ऐसी हो। गयारह तारीख की रात मिना में गुजारें, जब सूरज ढल जाए तब तीनों जमरात को पत्थर मारें।

पहला से शुरू करें, फिर बीच वाला, फिर जमरा-ए-अकबा, हर एक को सात कंकरियाँ मारें, और हर कंकर के साथ अल्लाहो अक्बर कहें। याद रहे कि ईद के दिन कंकर मारने का समय आम लोगों के लिए सूर्योदय से शुरू होता है, और कमजोरों के लिए रात के अंतिम पहर से शुरू हो जाता है, और सूर्यास्त तक बाकी रहता है। और बाकी दिनों में इसका समय सूरज के ढलने से सूर्यास्त तक है, इन दिनों सूरज के ढलने से पहले पत्थर मारना जायज नहीं। अगर दिन में भीड़ अधिक हो तो रात को पत्थर मारा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति छोटा, बूढ़ा, या बीमार होने के कारण खूद पत्थर नहीं मार सकता है, तो किसी को वकील बना सकता है, जो उसकी तरफ से यह कार्य कर देगा। अगर वकील एक ही जगह पर खड़ा रह कर अपनी, और उस शख्स की तरफ से जिसने वकील बनाया, कंकर मार ले तो इसमें कोई हरज नहीं, बस इतना जरूरी है कि पहले अपना काम करे फिर उसका।

जब आप बारह तारीख का पत्थर मार लें तो आपका हज्ज पूरा हो गया, और आपको इख्तियार है कि जल्दी करते हुए मक्का के लिए निकल जाएँ, और अगर चाहें तो तेरह तारीख की रात मिना में गुजारकर सूरज ढलने के बाद पत्थर मारें, और ऐसा करना बेहतर है, क्योंकि नबी(ﷺ)ने ऐसा ही किया था। फिर जब मक्का से घर जाना चाहें, तो विदाई का तवाफ कर लें, याद रहे कि मासिक धर्म वाली और निफास वाली महिलाओं के लिए विदाई का तवाफ जरूरी नहीं है। इसी तरह उन महिलाओं का मस्जिद के दरवाजे तक आना, और कुछ देर के लिए ठहरना भी शरीअत में नहीं है।

हज्ज से संबंधित प्रश्न

1. हज्ज किस पर वाजिब है?

   (क)----------

   (ख)----------

   (ग)----------

   (घ)----------

   (ञ) महिला के लिए एक शर्त ज्यादा है और वह है----------

2. हज्ज के कितने अरकान हैं? O दो। O तीन। O चार।
3. इहराम हज्ज के अरकान में से एक रुक्न है, और वह है: चादर व तहबंद का मीकात से पहन लेना। (सही - गलत)
4. तवाफ-ए-इफाजा, तवाफ-ए-जियारा के अतिरिक्त है, इनमें से पहला रुक्न है और दूसरा सुन्नत है। (सही- गलत)
5. नबी(ﷺ)ने तीन हज्ज किये। (सही - गलत)
6. हज्ज फर्ज होते ही फौरन अदा कर लेना चाहिए। (सही - गलत)
7. मदीना के लोग यलमलम से इहराम बांधेंगे। (सही- गलत)
8. उमरह का सामयिक मीकात रमजान का महीना है। (सही- गलत)
9. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरें: हज्ज और उमरा उम्र में--------बार फर्ज है, और जिस ने हज्ज किया और----------नहीं किया, और----------भी नहीं किया, तो वह अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो गया, जैसे कि आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हो, और हज्जे मबरूर का कोई बदला नहीं सिवाय----------के।
10. मक्का के लोग तन्ईम से हज्ज का इहराम बाँधेंगे। (सही - गलत)
11. औरत अपने इहराम के लिए सफेद कपड़ा पहनेगी। (सही - गलत)
12. जो इहराम का इरादा रखता है वह खूश्बू लगाए----------और ना लगाए------
13. औरत के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना जायज नहीं। (सही - गलत)
14. मुहरिम के लिए बेल्ट पहनना हराम है। (सही - गलत)
15. मुहरिम महिलाएँ ना तो----------पहनेगी, और ना ही----------

16. इज्तिबाअ करना सुन्नत है:
O उमरा के तवाफ में। O आगमन के तवाफ में। O तवाफे जियारा में।
O सिर्फ पहला और दूसरा। O इन तमाम जगहों पर।
17. सई में जोर से चलना मुस्तहब है। (सही - गलत)
18. सई आरंभ होगा---------- और खत्म होगा----------
19. हाजीगण अरफा से मग्रिब से पहले लौटेंगे। (सही - गलत)
20. अरफा में ठहरना हज्ज के वाजिबात में से एक है। (सही - गलत)
21. हज्ज के कार्य------के दिन से आरंभ होता है, और------के खत्म होने तक जारी रहते हैं।
22. मैदाने अरफात में पहाड़ पर चढ़ना शरीअत से साबित नहीं। (सही - गलत)
23. (हदी)कुर्बानी करना हज्ज-ए-तमत्तोअ व हज्ज-ए-किरान करने वालों के लिए वाजिब, और इफ्राद करने वालों के लिए सुन्नत है। (सही - गलत)
24. ईद के दिन जमरा-ए-अकबा को कंकरियाँ मारने के बाद लब्बैक कहना खत्म हो जाता है। (सही - गलत)
25. अगर हाजी कंकरी को हौज में डाल दे, और स्तंभ को ना लगे, तो उसका काम सही होगा। (सही - गलत)
26. दसवीं जिल-हिज्जा को हाजी तीनों जमरात को कंकरी मारेगा। (सही - गलत)
27. तश्रीक के दिनों में सूरज ढलने के बाद ही पत्थर मारना शुरू होगा। (सही- गलत)
28. जमरा-ए-अकबा को कंकरी मारने के बाद दुआ करना सुन्नत है। (सही - गलत)
29. अगर तवाफ-ए-इफाजा को मक्का से निकलने तक देर किया जाए, तो वही विदाई का तवाफ भी हो जाएगा,और तवाफ-ए-इफाजा तवाफ-ए-उमरा की तरह है,सिवाय----और---
30. हज्ज-ए-किरान व इफ्राद करने वालों के लिए वाजिब है कि सई करे---------- और हज्ज-ए-तमत्तोअ करने वाले----------
31. निम्नलिखित कार्यों का हुक्म बयान कीजिए

मस्ला	हुक्म
बच्चों का हज्ज	----------
महिलाओं का बिना मुहरिम हज्ज करना	----------
उस व्यक्ति का हज्ज जिसके ऊपर कर्ज हो	----------

पंद्रहवाँ पाठ

हर मुसलमान का धार्मिक नैतिकता व चरित्र से परिपूर्ण होना

हर मुसलमान को अच्छे चरित्र से परिपूर्ण होना चाहिए, जिन में से कुछ इस प्रकार हैं: सच्चाई, अमानतदारी, पाकदामनी, लज्जा, बहादुरी, उदारता, वफादारी, और हर उस चीज से बचना जिसको अल्लाह तआला ने हराम किया है, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव,और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करना, इस तरह की और भी नैतिक चिजें, जिनकी वैधता पर कुरआन व हदीस दलालत करती है।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

- (सच्चाई)यानी अपनी बातों, कार्यों, और एतकाद में अल्लाह के साथ सच्चे होने का सबूत देना, और अल्लाह के बन्दों के साथ सच बोलना। इसका विपरीत शब्द झूठ है।
- (अमानतदारी)यह महान फरीजा है, जिसे उठाने की जिम्मेदारी इंसान ने ली है, इसका विपरीत शब्द खयानत है।
- (पाकदामनी)यह हराम कार्यों से रुक जाने का नाम है।
- (लज्जा)यह ऐसा चरित्र है जो इंसान को अच्छे कार्य करने पर उभारता,और बुरे कार्यों से रोकता है।
- (पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव)इसके लिए जरूरी है कि निगाहें नीची रखी जाएँ, और पड़ोसियों के पोशीदा राजों पर ताक-झांक ना की जाए।
- (जरूरतमंद लोगों की मदद करना) नबी(ﷺ)ने फरमाया: जिस ने किसी मोमिन की दुनियावी परिशानियों में से किसी एक परिशानी को दूर किया, अल्लाह उसकी कयामत के दिन की परिशानियों में से एक परिशानी को दूर करेगा, और जिसने किसी तंगदस्त पर आसानी की, तो अल्लाह उस पर दुनिया व आखिरत में आसानी फरमायेगा, और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह दुनिया व आखिरत में उसकी पर्दापोशी करेंगे। अल्लाह उस बन्दे की मदद में लगे रहते हैं जो अपने किसी भाई की मदद में लगा रहता है।(मुस्लिम:2699)

सोलहवाँ पाठ

इस्लामिक स्वभाव में खूद को ढालना

हर मुसल्मान को चाहिए कि इस्लामिक स्वभाव में स्वयं को ढाले, जिन में से कुछ इस प्रकार हैं: सलाम करना, मुस्कुरा कर मिलना, दाहिने हाथ से खाना और पीना, काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह, और खत्म करते वक्त अल्हम्दो लिल्लाह कहना, छींक आने पर अल्हम्दो लिल्लाह कहना, और छींकने वाला जब अल्हम्दो लिल्लाह कहे तो उसका जवाब देना, बीमारों की इयादत करना,नमाज-ए-जनाजा पढ़ना फिर दफनाने के लिए जनाजे के पीछे चलना, मस्जिद या घर में प्रवेश करते या निकलते समय शरई आदाब का ख्याल रखना, इसी तरह यात्रा के समय, माता-पिता के साथ, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, छोटे बड़े के साथ, शरई आदाब का ख्याल रखना। बच्चा पैदा होने पर बधाई देना,शादी पर मुबारकबाद देना, मुसीबत में शोक जाहिर करना। इसके अतिरिक्त चीजों में भी इस्लामिक स्वभाव को अपनाना, जैसे कपड़ा पहनने, जूता पहनने व निकालने इतयादि में।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

- (सलाम कहना)इसका पूर्ण रूप यह है(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)। सलाम हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे उससे आपका परिचय हो या ना हो, और जो सलाम करे उसका जवाब देना फर्ज है।
- (दाहिने हाथ से खाना और पीना) यह वाजिब है, और तीन उंगलियों से खाना चाहिए, रहा दाहिने हाथ से लेन-देन करना, तो यह मुस्तहब है।
- सारे कार्य के शुरू में अल्लाह का नाम लेना, यानी (بسم الله) कहना।
- कार्यों के समाप्त होने पर अल्लाह की प्रशंसा करना,उस दुआ से जो हदीस में आया है, जैसे: (الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة)

अल्लाह के लिए प्रशंसा है, जिसने मुझे यह खाना खिलाया, और मेरी शक्ति व ताकत के बेगैर मुझे यह आजीविका प्रदान किया।(तिर्मिजी:3458)

– खाने वाले के लिए हुक्म है, कि अपने सामने से खाये, और भोजन का ऐब(दोष)ना निकाले।

– (छींक आने पर अल्लाह की प्रशंसा करना)यानी अल्हम्दु लिल्लाह कहना

– (छींकने वाले का जवाब देना जब वह अल्हम्दो लिल्लाह कहे)यानी जवाब में(يرحمك الله)कहना, तब छींकने वाला जवाब में(يهديكم الله ويصلح بالكم)कहेगा।

– (रोगी की इयादत करना) यानी बार-बार उपयुक्त समय में रोगी से मुलाकात करना, लेकिन उसके पास ज्यादा देर तक ना बैठा जाए, और ना ही उसको अल्लाह की रहमत से मायूस करना चाहिए।

– (नमाज-ए-जनाजा व दफन के लिए जनाजे के पीछे चलना)यह हुक्म पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं।

– (मस्जिद या घर में प्रवेश करते या निकलते समय शरई आदाब का ख्याल रखना)और वे इस प्रकार हैं: मस्जिद में प्रवेश करते वकत दाहिना पाँव पहले रखना और कहना:(بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،اللهم افتح لي أبواب رحمتك) अल्लाह के नाम से प्रवेश करता हूँ, और अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और मस्जिद से निकलते समय बायां पाँव पहले रखे, और कहे: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،اللهم إني أسألك من فضلك) अल्लाह के नाम से निकलता हूँ, और अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे फजल में से कुछ चाहता हूँ। और घर में प्रवेश करते व निकलते समय दाहिना पाँव पहले रखे, और निकलते वक्त यह दुआ पढ़े:

"بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أَضِلَّ أو أُضِلَّ، أو أزِلَّ أو أُزِلَّ، أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ، أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ"

अल्लाह के नाम से निकलता हूँ, और अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, कोई शक्ति व ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ इस बात से कि गुमराह हो जाऊँ या कर दिया जाऊँ फिसल जाऊँ या फिसला दिया जाऊँ, जुल्म करूँ या जुल्म किया जाऊँ, मुर्खता करूँ या किया जाऊँ। और घर में प्रवेश करते समय यह पढ़े:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

ऐ अल्लाह मैं तुझसे माँगता हूँ सर्वश्रेष्ठ प्रवेश, और सर्वश्रेष्ठ निकलना, अल्लाह के नाम से हमने प्रवेश किया, और अल्लाह के नाम से हम निकले भी, और अपने रब पर हमने पूरा भरोसा किया। फिर अपने परिवार वालों पर सलाम कहे।

—(शादी में मुबारकबाद देना)अर्थात यह दुआ कहना:

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

अल्लाह बर्कत पर्दान करे तुम दोनों के लिए, अल्लाह बर्कत नाजिल करे तुम दोनों के ऊपर, और तुम दोनों को भलाई के साथ एकत्रित रखे।

—(मुसीबत में शोक जाहिर करना) और यह शोक सिर्फ तीन दिन तक ही मनाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं।

सत्रहवाँ पाठ

शिर्क और तमाम प्रकार के गुनाहों से चेतावनी

हर मुसल्मान को शिर्क और तमाम प्रकार के गुनाहों से डरना और डराना चाहिए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: सात विनाशकारी गुनाह, और वह हैं: अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, ऐसी जान की हत्या करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है सिवाय हक रास्ते के, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद के मैदान से भागना, व्यभिचार से बेखबर,पवित्र मोमिन महिलाओं पर तुहमत लगाना। **और** उन्ही में से यह भी है: माता-पिता की अवज्ञा करना, रिश्तेदारों से दूरी बनाना, झूटी गवाही देना, झूटी कसम खाना, पड़ोसी को तक्लीफ देना, लोगों के ऊपर उनके जान, धन व इज्जत में अन्याय करना, शराब पीना, जुआ खेलना, गीबत करना, चुगल्खोरी करना, और वह तमाम कार्य जिनसे अल्लाह तआला या उसके रसूल(ﷺ)ने मना फरमाया है।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

- (अल्लाह के साथ शिर्क करना) इसमें शिर्के अक्बर और शिर्के अस्गर, दोनों शामिल है।
- (जादू करना)इसी में शुमार होता है: पति पत्नी के बीच दुश्मनी व मुहब्बत पैदा करना। जिसने यह किया या उससे राजी हुआ, तो वह काफिर हो जाता है। और हराम है जादूगरों के पास जाना, उनके वेबसाइट को खोलना, उनके चेनलों को देखना, या ऐसे समाचार पत्र व पत्रिकाओं को पढ़ना जिनमें बुर्जों की बातें हों। और जादू के द्वारा जादू का इलाज कराना ठीक नहीं है, बल्कि उसका इलाज शरई झाड़फूंक, दुआ, और हलाल दवाइयों के जरिए किया जाएगा, जैसे पछना लगाना इत्यादि।
- (ऐसी जान की हत्या करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है)चाहे वह जान मुसल्मान का हो, या संधियों वाले काफिर का,या अधीन काफिर का,या सुरक्षा दिये गये काफिरों का।

– (सिवाय हक के) यानी जिनका खून बहाना जायज है, वे तीन प्रकार के लोग हैं: अवैध हत्या करने वाला, विवाहित व्यभिचारी, इस्लाम धर्म को छोड़कर मुसलमानों के समूह से निकल जाने वाला।

– (यतीम)यतीम वह बच्चा है जिसके बालिग होने से पहले उसके पिता का देहांत हो गया हो।

– (जिहाद के मैदान से भागना) इससे मुराद अल्लाह तआला के रास्ते में युद्ध करने वाली फौजें हैं।

– (पवित्र महिलाओं पर तुहमत लगाना)इससे मुराद आजाद औरतें हैं, इसका मतलब विवाहित महिलाएँ नहीं हैं।

– (झूटा कसम खाना)इसी तरह है गैरुल्लाह की कसम खाना। जैसे नबी(ﷺ)की कसम, सम्मान की कसम, जीवन की कसम, कब्रों की कसम, बुढ़ापे की कसम, इतयादि।

– (जुआ खेलना)यानी हर वह मामला जो लाभ और नुक्सान से जूड़ा हो, जैसे लॉटरी।

– (गीबत) नबी(ﷺ)ने उसे इस तरह समझाया: अपने मुसल्मान भाई का इस तरह उल्लेख करना जिसे वह ना पसंद करता हो। (मुस्लिम:2589)

– (चुगलखोरी)गलत इरादे से लोगों के बीच बातों को फैलाना।

प्रतियोगिता व श्रेष्ठता का हुक्म

जो मुआवजा के बिना जायज है, लेकिन मुआवजा के साथ जायज नहीं:	जो हर हाल में हराम है:	जो मुआवजा के साथ और मुआवजा के बिना दोनों जायज है:
वह तमाम प्रतियोगिताएँ जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हूआ।	जैसे पांसा और शतरंज इत्यादि खेलना।	जैसे घोड़े, ऊंट, और तीरंदाजी की प्रतियोगिता। नबी(ﷺ)ने फरमाया: कोई प्रतियोगिता नहीं मगर घोड़े, ऊंट, और तीरंदाजी में। (तिर्मिजी:1700)

अठारहवाँ पाठ

मृतकों का कफन दफन, नमाज-ए-जनाजा इत्यादि का तरीका।

इसको नीचे विस्तार से बयान किया जाता है:

पहली बात: मौत के समय लाइलाहा इल्लल्लाह की तल्कीन करना सुन्नत है, जैसे कि नबी(ﷺ)ने फरमाया: अपने मरने वालों को लाइलाहा इल्लल्लाह की तल्कीन करो। मरने वाले से मुराद यहाँ वे लोग हैं जिन पर मौत की निशानियाँ जाहिर हो चुकी हैं।

दूसरी बात: जब मौत का यकीन हो जाए तो मृतक की दोनों आँखों को बंद कर दिया जाए, और दोनों दाढ़ को मिला दिया जाए, जैसे कि हदीस में आया है।

तीसरी बात: मुसल्मान मैयत को गुस्ल देना वाजिब है, लेकिन अगर शहीद हो, युद्ध में मारा गया हो, तो उसको गुस्ल नहीं दिलाया जाएगा, और ना ही उसपर नमाज पढ़ी जाएगी, बल्कि उसी कपड़े में दफन किया जाएगा। क्योंकि नबी(ﷺ)ने उहुद के शहीदों को न तो गुस्ल दिलाया,और न ही उनपर नमाज पढ़ी।

चौथी बात: मृतक को गुस्ल देने का तरीका: गुप्तांग पर पर्दा डाल दिया जाए, फिर थोड़ा ऊपर उठा कर पेट को नर्मी से दबाया जाए, फिर गुस्ल देने वाला अपने हाथ में कपड़े का टुकड़ा, या उस जैसी कोई चीज लपेट ले,और इस्तिन्जा कराये, फिर उसे नमाज की तरह वुजू कराये, फिर सिर और दाढ़ी को पानी और बेरी के पत्ते, या उस जैसी किसी अन्य चीज से धोये, फिर दाहिने पहलू को गुस्ल दे,फिर बायें को। इसी तरह दूसरी और तीसरी बार गुस्ल देना होगा, और हर बार हाथ को पेट पर से गुजारे, अगर कुछ निकले तो उसे धो दिया जाएगा, और उस जगह को रूई या उस जैसी अन्य किसी चीज से बंद कर दिया जाएगा, अगर उसके बावजूद ना रुके तो शुद्ध मिट्टी या किसी आधुनिक चिकित्सीय उपकरण के माध्यम से बंद करे, जैसे चिपकाने वाला सामग्री।

और दोबारा वुज़ू कराए, अगर तीन बार से सफाई हासिल ना हो, तो पाँच या सात बार गुस्ल दे, फिर कपड़े से पानी को सूखाए, और दोनों बगलों और जांघों के अंदरोनी हिस्सों और सज्दे की जगहों पर खूशबू लगाए, अगर पूरे शरीर पर लगा दे तो बेहतर है। फिर कफन को बुखूर(धूप)से खूश्बूदार करे, अगर उसकी मूंछें और नाखुन लंबे हों तो छोटा करे, अगर छोड़ दिया जाए तो कोई हरज नहीं, और उसके बालों को ना कंघी करे, न नाभि के नीचे के बालों का शेविंग करे, और ना खतना करे, क्योंकि उसपर कोई दलील मौजूद नहीं है, और औरत के बालों की तीन चोटी बनाई जाए, और पीछे लटका दिया जाए।

<u>पाँचवीं बात</u>: मैयत को कफन देना: सबसे अच्छा यह है कि पुरुष को तीन सफेद कपड़ों में कफन दिया जाए, जिसमें कुर्ता और पगड़ी ना हो, जैसे नबी(ﷺ)को कफन दिया गया, और कफन के कपड़े को एक दूसरे में दाखिल कर दिया जाए, और अगर एक कुर्ता, एक लुंगी, और एक लिफाफे में कफन दिया जाए तो कोई हरज नहीं, और औरत को पाँच कपड़े में कफन दिया जाएगा: कुर्ता, ओढ़नी, तहबंद, और दो लिफाफे, और बच्चे को एक से तीन कपड़े में कफन दिया जाएगा, और बच्ची को एक कुर्ता और दो लिफाफे में कफन दिया जाएगा। और सभों के हक में एक ही कपड़ा वाजिब है, जो मैयत के पूरे शरीर को छुपा सके।

लेकिन अगर मैयत इहराम की हालत में हो,तो पानी और बेरी के पत्ते से गुस्ल दिया जाये, और उसी तह्बंद व चादर में, या उन दोनों के सिवा कुछ हो तो उसमें कफन दिया जाए, उसके सिर और चेहरे को ढांका नहीं जाएगा, और ना खूशबू लगाया जाएगा, क्योंकि वह क्यामत के दिन लब्बैक कहते हूए उठाया जाएगा। जैसे कि सही हदीस से साबित है।

अगर इहराम की हालत में औरत का देहांत हो, तो उसे दूसरों की तरह कफन दिया जाएगा, लेकिन खूशबू नहीं लगाया जाएगा, और ना ही चेहरे को नकाब से छुपाया जाएगा, और ना दोनों हाथों को दस्ताने से।

लेकिन चेहरे और दोनों हाथों को उसी कफन से छुपाया जाएगा,जो उसे पहनाया गया है, जैसा कि औरतों को कफनाने के बयान में गुजर चुका है।

छठी बात: मृतक को गुस्ल देने, नमाज-ए-जनाजा पढ़ाने, और दफ्न करने का सबसे ज्यादा हक्दार वह व्यक्ति है, जिसके बारे में मृतक ने वसीयत की है,फिर उसका बाप, फिर दादा, फिर अस्बा में से करीब तरीन आदमी, यह पुरुषों के बारे में है। और महिला को गुस्ल देने का ज्यादा हकदार वह है, जिसके बारे उसने वसीयत की है, फिर उसकी माँ, फिर दादी व नानी, फिर महिलाओं में जो उससे ज्यादा करीब हो। पति पत्नी का हुक्म यह है कि, एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं, इसलिए कि अबूबक्र सिद्दीक(ﷺ)को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और अली(ﷺ)ने अपनी बीवी फातिमा को गुस्ल दिया।

सातवीं बात: मैयत पर नमाज-ए-जनाजा पढ़ने का तरीका: चार बार तक्बीर कहे, पहली तक्बीर के बाद सूरह फातिहा पढ़े, अगर उसके साथ कोई छोटी सूरह या, एक दो आयत पढ़ ले तो अच्छी बात है, जैसा कि इब्ने अब्बास(ﷺ)से इस बारे में रिवायत मौजूद है। फिर दूसरी तक्बीर कहे, और नबी(ﷺ)पर दुरूद पढ़े, जिस तरह तशह्हुद में पढ़ा जाता हैं। फिर तीसरी तक्बीर कहे, और यह दुआ पढ़े:

"اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده"

ऐ अल्लाह क्षमा प्रदान कर हमारे जिंदों और मृतकों को, उपस्थितों और अनुपस्थितों को, छोटे और बड़ों को, पुरुषों व महिलाओं को, ऐ अल्लाह हम में से जिसे तू जिंदा रखे, उसे इस्लाम पर जिंदा रखना, और जिसे मृत्यु दे उसे ईमान पर मृत्यु देना(अबूदाऊद:3201)। फिर यह दुआ पढ़े:

اللهم، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار"

ऐ अल्लाह इसे क्षमा कर दे, इस पर रहम फरमा, इसे आफियत में रख, इसे दरगुजर फरमा, इसकी बेहतरीन मेहमाननवाजी फरमा, इसकी कब्र

का विस्तार करदे, उसके गुनाहों को पानी,ओलों,और बर्फ से धो डाल, उसे गुनाहों से इस तरह साफ करदे जैसे सफेद कपड़े को मैल से पाक साफ किया जाता है, उसके दुनिया वाले घर से बेहतर घर, उसके परिवार से अच्छा परिवार, और उसकी जोड़ी से अच्छी जोड़ी प्रदान कर, उसको जन्नत में दाखिल कर दे, और कब्र के अजाब व जहन्नम के अजाब से बचा(मुस्लिम:963) फिर चौथी तक्बीर कहे, और दाहिने जानिब एक ही सलाम फेरे, और मुस्तहब यह है कि हर तक्बीर के साथ हाथ उठाये। अगर मैयत महिला है तो कहा जाए(اللهم اغفر لها...الخ)। और अगर जनाजा दो व्यक्ति का है तो कहा जाए(اللهم اغفر لهما...الخ)। और अगर जनाजा दो से ज्यादा व्यक्ति का है तो कहा जाए(اللهم اغفر لهم...الخ)। और अगर जनाजा बच्चे का हो तो उस दुआ के बदले यह कहे:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ"

ऐ अल्लाह उसे बना दे,उसके माता-पिता के लिए, आगे पहूँचने वाला, नेकी का जखीरा, शिफारिश करने वाला, और जिसकी शिफारिश कबूल की गई हो। ऐ अल्लाह उसके द्वारा दोनों के मीजान को भारी कर दे, और उसके द्वारा दोनों की नेकी को बड़ा कर दे। और उसको मोमिनों के नेक पुर्वजों से मिला दे, और उसको इब्राहीम(عليه السلام)की किफालत में करदे, और उसको अपनी रहमत से जहन्नम के अजाब से बचा ले।

और सुन्नत यह है कि अगर पुरुष का जनाजा हो, तो इमाम उसके सिर के सामने,और अगर महिला का हो तो उसके बीच में खड़ा होगा, और अगर सामूहिक जनाजा हो, तो पुरुष का जनाजा इमाम के नज्दीक और महिला का आगे किब्ला की तरफ होगा। अगर साथ में बच्चे का जनाजा हो, तो उसे महिला के जनाजा से पहले रखा जाएगा, फिर औरत का फिर बच्ची का रखा जाएगा। और बच्चे का सिर पुरुष के सिर के बराबर होगा, और औरत का दरमियानी हिस्सा मर्द के सिर के बराबर में होगा।

इसी तरह बच्ची का सिर महिला के सिर के बराबर में होगा, और बच्ची का दरमियानी हिस्सा मर्द के सिर के बराबर में होगा। और तमाम नमाजी इमाम के पीछे खड़े होंगे, लेकिन अगर कोई इमाम के पीछे जगह ना पाये, तो वह इमाम के दाहिनी तरफ खड़ा हो सकता है।

आठवीं बात: मैयत को दफ्न करने का तरीका: हुक्म यह है कि कब्र को कमर तक की गहराई में खोदा जाए, और किब्ला की तरफ उसमें लहद (बुगली)हो, मैयत को उसके दाहिने पहलू पर लहद में रखा जाए, और कफन की गिरह खोल दिया जाए, और उसे निकाला ना लिया जाए, बल्कि उसी में छोड़ दिया जाए। और चेहरा ना खोला जाए, चाहे मैयत पुरुष हो या महिला। फिर उस पर कच्ची ईंट खड़ी की जाए, फिर मिट्टी से भर दिया जाए, ताकि खड़ा रहे, और मिट्टी उसमें दाखिल ना हो। अगर कच्ची ईंट उपलब्ध ना हो, तो दूसरी चीजें जैसे तख्ती, पत्थर, या लकड़ी से बंद कर दिया जाए, और उस पर मिट्टी डाल दी जाए,मुस्तहब यह है कि मैयत को कब्र में उतारते समय(بسم الله وعلى ملة رسول اللهﷺ)कहा जाए, और कब्र को एक बालिश्त तक ऊँची की जाए। अगर संभव हो तो कब्र पर छोटे पत्थर रख दिये जाएँ, और पानी का छिड़काऊ कर दिया जाए।

जनाजे में शरीक लोगों के लिए हुक्म है, कि वे मैयत को दफ्न करने के बाद उसकी कब्र के पास खड़े होकर उसके लिए दुआ करें, क्योंकि जब नबी(ﷺ) दफ्न करने से फारिग हो जाते थे, तो कब्र के पास खड़े हो जाते और कहते: अपने भाई के लिए क्षमा की प्रार्थना करो, और उसके साबित कदम रहने के लिए दुआ करो, क्योंकि अभी उससे पूछा जा रहा है।(अबूदाऊद:3221)

नौवीं बात: जिसने नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी, उसके लिए हुक्म है कि दफ्न के बाद नमाज पढ़ ले, क्योंकि नबी(ﷺ)ने ऐसा किया है। यह तब होगा जब यह एक महीने के अंदर हो, अगर उससे ज्यादा अवधि गुजर जाए, तो कब्र पर जनाजा पढ़ना जायज नहीं, क्योंकि नबी(ﷺ)से साबित नहीं कि किसी कब्र पर एक महीना गुजर जाने के बाद नमाज-ए-जनाजा पढ़ी हो।

दूसवीं बात: मैयत के परिवार वालों के लिए जायज नहीं कि वे लोगों के लिए खाना बनायें, जैसा कि महान सहाबी जरीर बिन अबदुल्लाह अल-बजली(ﷺ)फरमाते हैं कि: हम लोग मैयत को दफन करने के बाद उसके घर पर एकत्रित होने और खाना बनाने को नियाहा में शुमार करते थे।(अहमद:6905)

लेकिन मैयत के परिवार वालों का अपने लिए या अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने में कोई हरज नहीं है। और मैयत के रिश्तेदारों व पड़ोसियों को चाहिए है कि उनके लिए खाना बनायें, क्योंकि नबी(ﷺ)को जब जाफर(ﷺ)के मुल्क-ए-शाम में शहीद होने की खबर पहूँची तो अपने परिवार वालों को हुक्म दिया कि जाफर(ﷺ)के परिवार वालों कि लिए खाना बनाएं, और फरमाया कि: उन पर ऐसी मुसीबत आई है जो उन्हें व्यस्त कर दिया है।(तिर्मिजी:998)

मृतक के परिवार पर कोई हरज नहीं कि वे अपने पड़ोसियों या दूसरों को उस भोजन को खाने के लिए बुलाए जो उनहें भेजा गया है, और उसके लिए शरीअत की तरफ से कोई निश्चित समय मुतैयन नहीं है।

ग्यारहवीं बात: महिला के लिए जायज नहीं कि किसी भी मैयत पर तीन दिन से ज्यादा सोग मनाये, सिवाय उस महिला के जिसके पती का देहांत हुआ हो,तो उस पर वाजिब है कि चार महीने और दस दिन सोग मनाये, लेकिन अगर वह गर्भवती है, तो बच्चा पैदा होने तक। क्योंकि यही नबी(ﷺ)से सही हदीस में साबित है। और पुरुष के लिए किसी पर भी सोग मनाना जायज नहीं, चाहे वह रिश्तेदार हो या और कोई।

बारहवीं बात: पुरुषों के लिए हुक्म है कि कभी-कभी कब्रों की जियारत कर लिया करें, कब्र वालों के लिए दुआ करने, दया का प्रार्थना करने, और मौत व उसके बाद को याद करने के उद्देश्य से। क्योंकि नबी(ﷺ)ने फरमाया: कब्रों की जियारत करो, वह तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी।(इब्ने माजा:1569)

नबी(ﷺ)अपने साथियों को सिखाते थे कि जब कब्रों की जियारत करें तो यह कहें:

" السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين"(صحيح مسلم:975)

अनुवाद:आप सब पर सलामती हो, ऐ इस दियार में रहने वाले मोमिनो और मुसल्मानो,अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी आप से आ मिलने वाले हैं, हम आप सब के लिए और अपने लिए अल्लाह से आफियत चाहते हैं, अल्लाह हम में से पहले वालों और बाद वालों पर रहम फरमाये।

रही बात महिलाओं की तो उनके लिए कब्रों की जियारत का हुक्म नहीं है, क्योंकि नबी(ﷺ)ने कब्र की जियारत करने वालियों पर लानत भेजी है।(तिर्मिजी:320) और इसलिए भी कि उनकी जियारत से फितने का अंदेशा और सब्र खोने का डर रहता है। इसी तरह उनके लिए जायज नहीं कि जनाजा के पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाएँ, क्योंकि नबी(ﷺ)ने इस से मना फरमाया है। लेकिन अगर मस्जिद में नमाज-ए-जनाजा पढ़ी जाए तो उसमें शरीक होना पुरुषों व महिलाओं सब के लिए सुन्नत है।

هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

कब्र के जियारत की किस्में

शिर्क वाली जियारत:	बिद्अत् वाली जियारत:	शरई जियारत:
अगर कब्र वाले से कुछ माँगने की नीयत से जियारत किया हो तो यह शिर्क वाली जियारत है।	अगर कब्रों के पास अल्लाह से दुआ करने की नीयत से जियारत किया हो तो यह बिद्अत वाली जियारत है।	आखिरत को याद करने की नीयत से जियारत किया हो, जियारत के लिए यात्रा ना किया हो, और मृतकों व खूद के लिए दुआ करने की नीयत रखा हो, और शरीअत विरोधी कोई कार्य ना किया हो।

गुजरे हूए पाठों से संबंधित प्रश्न

1. राष्ट्रीय नियम और इस्लामिक स्वभाव की हिफाजत करना मुसल्मान का अख्लाक होना चाहिए। (सही- गलत)
2. मेरा धर्म मुझे आदेश देता है कि मैं बुरे लोगों की संगत इख्तियार करूँ, और नेकों से दूर रहूँ। (सही- गलत)
3. इसलाम ने हमें सिखाया है कि अपने खादिमों और श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। (सही- गलत)
4. जो व्यक्ति दूसरों को जुबान और हाथ से तक्लीफ देता है मुझे उसकी संगत इख्तियार करनी चाहिए। (सही- गलत)
5. अगर मुझे कोई गाली दे तो मुझे जवाब में उसे गाली देना और आनंद लेना चाहिए। (सही- गलत)
6. इस्लाम ने मुझे सिखाया है कि जरूरत मंदों और कमजोरों की सहायता करूँ। (सही- गलत)
7. एक मुसल्मान का दूसरे मुसल्मान पर हक है कि उसकी बीमारी में उससे मुलाकात करे, और शिफा के लिए दूआ करे। (सही- गलत)
8. पड़ोसियों के भेदों तक पहूँचना मोमिनों के गुणों में से है। (सही- गलत)
9. अल्लाह के नज्दीक सबसे प्यारा व्यक्ति वह है ,जो लोगों के लिए अधिक लाभकारी हो। (सही- गलत)
10. घर से निकलने की दुआ है: (بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا)। (सही- गलत)
11. जो मेरे छींक का जवाब देगा उसे कहूँगा(يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)। (सही- गलत)
12. अजकार,मुसल्मान की हिफाजत करते हैं और उसे अल्लाह से करीब करते हैं। (सही- गलत)
13. मुसलमान भाई के लिए आपकी मुहब्बत की पहचान किया है?

---

14. जो चीजें ईमान की कमी पर दलालत करती हैं, उन्ही में से एक है, अपने मुसलमान भाई से हसद करना। (सही- गलत)
15. मुहब्बत पैदा होने के कारण क्या हैं?
---
16. मादक द्रव्यों में हराम वह चीज है जिसे शराब कहते हैं। (सही- गलत)
17. खाने पीने की चीजों में फूँक मारना मकरूह है। (सही- गलत)
18. खाने से फारिग होने के बाद और हाथ धोने से पहले उंगलियों का चाटना मुस्तहब है। (सही- गलत)
19. खाने पीने और पोशाक में बीच की राह इख्तियार करना सही तरीका है। (सही- गलत)
20. मैयत को गुस्ल देने, नमाजे जनाजा पढ़ाने, और दफ्न करने का सबसे ज्यादा हकदार ----------है, फिर----------फिर----------फिर----------
21. मैयत की तरफ से कर्ज की अदायगी: O वाजिब है। O सुन्नत है। O जायज है।
22. मैयत को दफन करने का हुक्म: O वाजिब है। O सुन्नत है। O फर्जे किफाया है।
23. मृत्युरोग में(لا إله إلا الله)की तल्कीन करना: O वाजिब है। O सुन्नत है। O हराम है।
24. मैयत को गुस्ल देने वाले लोगों के सिवा दूसरों का मौजूद रहना:
O हराम है। O जायज है। O मकरूह है।
25. मैयत को कब्र में रखने के बाद कफ्न का बंधन खोल दिया जाएगा। (सही- गलत)
26. पति और पत्नी एक दूसरे को गुस्ल नहीं दे सकते, इसलिए कि देहांत के बाद निकाह टूट जाता है। (सही- गलत)
27. पुरुष व महिला के लिए जायज है कि उनको गुस्ल दे जो----------
28. जिसकी नमाजे जनाजा छूट गई वह----------पढ़ सकता है, और यह ----------की अवधि में होना चाहिए।
29. मैयत पर रोना हर हाल में जायज है। (सही- गलत)
30. मैयत को लहद(कब्र)में किब्ला रुख करके रखा जाएगा। (सही- गलत)

विषय सूचि

लेखक के मुकद्दमे की व्याख्या----------(2)
पहले पाठ की व्याख्या: सूरह फातिहा और छोटी सूरतें----------(4)
तैसीरुल करीम अर-रहमान का कुछ अंश----------(6)
मुकद्दमा और तफ्सीर से संबंधित कुछ प्रश्न----------(39)
दूसरे पाठ की व्याख्या: इसलाम के अरकान----------(51)
तीसरे पाठ की व्याख्या: ईमान के अरकान----------(59)
चौथे पाठ की व्याख्या: तौहीद व शिर्क के प्रकार ----------(64)
पाँचवीं पाठ की व्याख्या: इहसान----------(69)
तौहीद से संबंधित प्रश्न----------(70)
छठे पाठ की व्याख्या: नमाज की शरतें----------(74)
सातवें पाठ की व्याख्या: नमाज के अरकान----------(78)
आठवें पाठ की व्याख्या: नमाज के वाजिबात----------(80)
नौवें पाठ की व्याख्या: तशहहुद का बयान----------(81)
दसवीं पाठ की व्याख्या: नमाज की सुननतें----------(83)
गयारहवें पाठ की व्याख्या: नमाज को बातिल करने वाली चीजें----------(86)
सजदाए सुहू के अहकाम----------(88)
नमाज का तरीका तस्वीरों के द्वारा ----------(89)
नमाज और उसके अहकाम का सारांश----------(99)
नमाज से संबंधित प्रशन----------(102)
बारहवें पाठ की व्याख्या: वुजू की शर्तें----------(105)
तेरहवें पाठ की व्याख्या: वुजू के फरायेज----------(107)
चौदहवें पाठ की व्याख्या: वुजू को तोड़ने वाली चीजें----------(108)
वुजू का तरीका तस्वीरों के जरिए----------(110)

पवित्रता के संबंध में कुछ बातें----------(113)
पवित्रता के संबंध में कुछ प्रशन----------(117)
जकात के प्रावधानों से संबंधित कुछ बातें----------(120)
जकात से संबंधित कुछ प्रश्न----------(125)
रोजे से संबंधित कुछ बातें----------(128)
रोजे से संबंधित कुछ प्रश्न----------(135)
हज्ज व उमरा से संबंधित कुछ बातें----------(137)
हज्ज से संबंधित कुछ प्रश्न----------(146)
पंदरहवें पाठ की व्याख्या: नैतिक चरित्र से आरास्ता होना----------(148)
सोलहवें पाठ की व्याख्या: इसलामी आदाब को अपनाना----------(149)
सतरहवें पाठ की व्याख्या: शिर्क और गुनीहों से चेतावनी----------(152)
अठारहवें पाठ की व्याख्या: मैयत का कफन दफन व जनाजा----------(154)
इसलामी आदाब और जनाजे से संबंधित प्रश्न----------(161)
विषय सूचकांक----------(163)
सन्दर्भ पुस्तकों की सूची----------(165)

सन्दर्भ पुस्तकों की सूची

1- पवित्र कुरआन, हफ्स की रिवायत के साथ, जो आसिम से किया है।

2- "सही बुखारी" लेखक मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुखारी मृत्युवर्ष (256हिज्री)

3- "सही मुस्लिम" लेखक मुस्लिम बिन हज्जाज अन-नेसापूरी,मृत्युवर्ष(261हिज्री)

4- "अस्-शरहुल मुमतेअ अला जादिल मुस्ताक्नेअ" लेखक शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उथैमीन, मृत्युवर्ष (1421 हिज्री)।

5- "अल-कौलुल-मुफीद अला किताबित्-तौहीद" लेखक शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उथैमिन, मृत्युवर्ष (1421 हिज्री)।

6- "तैसीर अल-करीम अर-रहमान फी तफ्सीरे कलामिल-मन्नान" लेखक शैख अब्दुर रहमान बिन नासिर अस-सादी, मृत्युवर्ष (1376 हिज्री)।

हिंदी अनुवाद



شرح متن
الدُّروس المهمَّة لعامَّة الأمَّة

आम जनता के लिए महत्वपूर्ण पाठ

लेखक: शैख इमाम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज(رحمه الله)

व्याख्याकर्ता

शैख हैथम बिन मुहम्मद जमील सरहान(حفظه الله)

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिदे नबवी

अनुवादक

डॉ. मुजाहिदुल इस्लाम मदनी

Email: islamtorrent@gmail.com
Website: www.saarhan.net
Facebook: attassee.alelmi
Twitter: attasseelalelm1

شرح

ثلاثة الأصول وأدلتها
والقواعد الأربع
ومتن نواقض الإسلام

तीन मूल आधार
चार क़ायदे
व इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों
की व्याख्या

लेखक
मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब तमीमी

व्याख्याता
शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान
पूर्व शिक्षक अल-ह़रम शिक्षण संस्थान

अनुवादक
साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान
रिसर्च स्कालर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदीना मुनव्वरा

وقف لله تعالى لا يجوز بيعه

شرح ثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام للشيخ هيثم بن محمد جميل سرحان مترجم إلى اللغة الهندية

شرح
ثلاثة الأصول وأدلتها
والقواعد الأربع
ومتن نواقض الإسلام

तीन मूल आधार एवं उनके प्रमाण
चार सिद्धांत
एवं इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों
की व्याख्या

लेखकः

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब बिन सुलैमान तमीमी

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

व्याख्याताः

शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान

[पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिद -ए- नबवी व महा प्रबंधक "अततासील अल-इल्मी डाट काम"]

http://attasseel-alelmi.com

हिंदी अनुवादः

साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान

[रिसर्च स्कालर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदीना मुनव्वरा]

الطَّبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظةٌ

إلَّا من أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّانًا بعد مراجعة المؤلِّف

الرَّجاء التَّواصل على:

islamtorrent@gmail.com

sabirhussainzamanwi@gmail.com

ثلاثة الأصول وأدلتها

तीन मूल आधार एवं उनके प्रमाण

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

سرحان، هيثم محمد

شرح ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ونواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن بن عبد الوهاب التميمي. / هيثم محمد سرحان.

الرياض، ١٤٣٨ هـ

١١٢ ص : ٢٤ × ١٧ سم

ردمك : ٥-٣٣٧٥-٠٢-٦٠٣-٩٧٨

١-التوحيد ٢- العقيدة الإسلامية أ٠ العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٣٨/٢٨٥٤

رقم الإيداع : ١٤٣٨/٢٨٥٤
ردمك : ٥-٣٣٧٥-٠٢-٦٠٣-

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إنَّ الحَمدَ للهِ نَحمَدُه ونستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَد أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شَريك له، وأشهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أمَّا بعدُ:

व्याख्या से पूर्व एक प्राक्कथन

इस पुस्तिका के लेखक

नामः शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब बिन सुलैमान तमीमी,
उपनामः अबुल हुसैन
जन्मः १११५ हिज. तथा मृत्युः १२०६ हिज. में उयैना नामक स्थान पर हुआ जोकि सऊदी अरब का एक प्रसिद्ध नगर है।

तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकिः

अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है	इसके बिना अल्लाह कोई भी अमल स्वीकार नहीं करेगा
जन्नत (स्वर्ग) में केवल ऐकेश्वरवादी ही प्रवेश कर सकता है	यह नेकियों में बढ़ोतरी का कारण है
गुनाह (कुकर्म) के नाश का कारण है	हिदायत (मार्गदर्शन) एवं शांतिस्थापना का कारण है
शांतचित्तता का कारण है।	नबी ﷺ की शिफ़ाअत पाने का कारण है

इस पुस्तिका के चयन का कारण

सलफ़ एवं अहले सुन्नत के विद्वानों ने इस पुस्तक के प्रति अपार प्रेम दर्शाया है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के लाभ तथा ऐसे मूलाधार, नियम एवं क़ायदे का उल्लेख है जो शरीअत का अध्ययन कर रहे छात्र के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, अतः हमें भी नेक पूर्वज की पैरवी करते हुए उन्हीं का ढंग अपनाना चाहिए।

* इसी प्रकार सामान्य लोगों के लिए भी इस पुस्तिका का अध्ययन अपरिहार्य है क्योंकि इसमें अक़ीदा के ऐसे महत्वपूर्ण मूल बयान किए गए हैं, जिन पर बिना किसी संदेह के ईमान लाना वाजिब है।

इस पुस्तिका -एवं शैख़ुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब ﵀ के अन्य पुस्तकों की विशेषता-:

- सरलता एवं स्पष्टता
- मसले (मुद्दे) को दलील (तर्क) के साथ ज़िक्र करना
- मसले को व्यवस्थित ढ़गं से एक स्थान पर सूचीबद्ध करने के पश्चात व्याख्या का आरंभ करना।
- अपनी पुस्तक के पाठक एवं श्रोता के लिए अत्याधिक दुआ करना।

तीन मूल आधार का परिचय

वास्तव मे तीन मूल आधार संक्षिप्त रूप सेः क़ब्र के तीन प्रश्न हैं

- तुम्हारा रब कौन है?
- तुम्हारा धर्म क्या है?
- तुम्हारा नबी कौन है?

तीन मूलाधार के अध्ययन का क्या फायदा है?

यदि आप तीन मूल आधार को जान लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, लोगों को उसकी दावत देते हैं तत्पश्चात उस ज्ञान, अमल तथा दावत पर सब्र करते हैं तो अवश्य ही आप -अल्लाह की आज्ञा से- क़ब्र के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।

तीन मूल आधार की विषय सूची

इस पुस्तक की पाँच क़िस्में हैं, जो इस प्रकार हैः

१- चार मसले (सूरह अस्र)

२- तीन मसले (तौ़हीद के प्रकार)

३- तौ़हीद जानने का लाभ

४- तीन मूल आधार (क़ब्र के तीन प्रश्न)

५- निष्कर्ष (समाप्ति)

१- चार मसले

- १- ज्ञान अर्जित करना
- २- उसके अनुरूप कर्तव्य करना
- ३- उसकी ओर दावत देना
- ४- इस पथ में मिलने वाली उत्पीड़न पर धैर्य रखना

२- तीन मसले

- १- तौ़हीद -ए- रुबूबियत एवं असमा व सिफ़ात
- २- तौ़हीद - ए- उलूहियत
- ३- शिर्क एवं मुशरिकीन से दूरी (हृदय, जिह्वा -जीभ- तथा अंगों से)

३- तौ़हीद जानने की महत्ता

इस प्रश्न का उत्तर "तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?में है।

४- तीन मूल आधार

वास्तव मे तीन मूल आधार संक्षिप्त रूप सेः क़ब्र के तीन प्रश्न हैं

- तुम्हारा रब कौन है?
- तुम्हारा धर्म क्या है?
- तुम्हारा नबी कौन है?

५- निष्कर्ष (समाप्ति)

लेखक -रहिमहुल्लाह- के इस पंक्ति (जब लोग मर जाऐंगे तो उन्हें पुनः उठाया जाऐगा) से लेकर पुस्तक के अंत तक।

प्रथमः चार मसले

(१) بسم الله الرحمن الرحيم
आपको ज्ञात हो - अल्लाह आप पर कृपा करे - (२) कि हमारे लिए चार चीज़ों का सीखना आवश्यक हैः
पहलाः ज्ञान अर्जित करना, अर्थात अल्लाह तआला, उसके रसूल तथा इस्लाम धर्म को प्रमाणों समेत जानना।
दूसराः उस अर्जित ज्ञान के अनुसार कर्तव्य करना। (३)

(१) लेखक का इस पुस्तिका को बिस्मिल्लाह से आरंभ करने का कारणः

१- कुरआन एवं नबियों -عليهم السلام- का अनुसरण करते हुए।

२- अपने सलफ (नेक पुर्वज) एवं उलेमा (बुद्धिजीवियों) का अनुकरण करते हुए, जिनकी प्रवृत्ति अपनी पुस्तकों का प्रारंभ बिस्मिल्लाह से करने की थी।

३- अल्लाह करीम के पवित्र नाम से बरकत हासिल करने के लिए।

(२) जैसा कि हमने प्राक्कथन में इशारा किया था कि लेखक की आदत है कि वह विधार्थियों के लिए दुआ तथा उनके लिए अल्लाह की रहमत मांगते हुए किताब प्रारंभ करते हैं, जो प्रमाण हैः

अहल -ए- सुन्नत व जमात की अपने छात्रों से स्नेह पर

इस्लाम धर्म का आधार ही रहमत है

इल्म -ज्ञान- हक़ को प्रमाणों के साथ जानना है, जिसका विलोम जहल (अज्ञानता) है।

(३) ज्ञान तथा कर्म के बीच संबंध के विषय मे कहा गया है किः (यदि इल्म (ज्ञान) के अनुसार कर्म किया जाए तो ठीक, अन्यथा वह इल्म समाप्त हो जाता है)। अर्थात बिना कर्तव्य के ज्ञान का कोई लाभ नहीं, अतः ज्ञान अर्जित करने के पश्चात कर्म करना आवश्यक है ताकि यहूदियों से समानता न हो, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था किंतु उसके अनुसार कर्म नहीं करते थे ﴿يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ﴾ (वह तो उन्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने)।

वह तीन लोग जिनके द्वारा जहन्नम (नरक) सुलगाई जाएगी उनमें से एक वह आलिम (ज्ञानी) होगा जिसने अपने ज्ञानुसार कर्म नहीं किया।

وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الوَثَنْ

जिस आलिम ने अपने ज्ञानुसार कर्म नहीं किया मूर्तिपूजकों से पूर्व अज़ाब दिया जाएगा।

दावत का कार्य करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं जिनका उसमें पाया जाना ज़रूरी है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैः

१- दावत पूर्णरूपेण अल्लाह के लिए हो।	२- दावत का कार्य शरीअत के ज्ञान पर आधारित हो।	३- दावत का कार्य हिकमत तथा धैर्य के साथ हो।	४- व्यक्ति, समय तथा परिस्थिति के अनुसार दावत का कार्य हो।

तीसराः उस अर्जित ज्ञान की ओर लोगों को दावत देना।

इन शर्तों की दलीलः

अल्लाह तआला का यह कथन हैः ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ आप कह दिजिए,यही मेरा मार्ग है। मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी, -महिमावान है अल्लाह-,और में कदापि बहुदेववादि नहीं।

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ इसका तात्पर्य रसूल ﷺ की लाई हुई शरीअत से है। सबील, अर्थात मार्ग।

﴿أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ﴾ अल्लाह की ओर दावत देने वाला (दाई) वही है जिसका मकसद निष्ठावान होकर लोगों को केवल अल्लाह के करीब करना हो।

﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ बसीरतः इल्म को कहते हैं, जो यहाँ निम्नलिखित बातों पर आधारित हैः

शरीअत का ज्ञान	दावत दिए जाने वाले व्यक्ति के परिस्थिति के अनुसार दावत का कार्य करना।	दावत की शैली तथा माध्यम का ज्ञान।

लेखक महोदय कहना चाहते हैं किः जब आपने ज्ञान अर्जित करने के पश्चात उसके अनुसार कर्म कर लिया तो अब आवश्यक है कि आप उस मार्ग पर चलें जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सहाबा, तथा सलफ़ (नेक पूर्वज) चलते थे, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى﴾ (आप कह दिजिए, यही मेरा मार्ग है। मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी), अर्थात दावत का कार्य अपरिहार्य है।

चौथाः इस पथ में आने वाली कठिनाईयों को सहन करना तथा संयम रखना। (१)

इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ﴾ सौगंध है काल की, बेशक सारे इंसान टूटे तथा घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे-अच्छे तथा नेक कार्य किए, एवं एक दूसरे को हक़ (सत्य) तथा सब्र (संयम) की वसीयत करते रहे। (२)

(१) लेखक महोदय ने दावत के पश्चात सब्र का उल्लेख किया है, मानो कह रहे हैं कि जो दावत के पथ पर चलेगा उसे भी वही यातनाऐं झेलनी पड़ेंगी जो नबियों तथा रसूलों को झेलनी पड़ी थीं, अतः सब्र करना अपरिहार्य है।

सब्र

शब्दकोष अनुसार सब्र कहते हैः रोकने को।

शरीअत में सब्र कहते हैः स्वंय को कुछ चीज़ों से रोक लेना तो कूछ चीज़ों को अपने ऊपर रोक लेना।

इमाम इब्न अल क़ैयिम رحمه الله ने सब्र के तीन भाग किए हैः

१- अल्लाह के आज्ञापालन पर सब्र करना यहाँ तक की अदा कर दिया जाए।

२- अल्लाह के अवज्ञा से सब्र करना यहाँ तक की बच जाए।

३- अल्लाह की ओर से मुक़द्दर की गई परेशानियों पर सब्र करना।

(२) चारों मसले ज़िक्र करने के पश्चात लेखक रहिमहुल्लाह ने कुरान से उनकी दलील ज़िक्र की है, जो कि सूरा अस्र है, लेखक रहिमहुल्लाह हमेशा मसले को दलील के साथ जिक्र करते हैं, **क्यों?**

ताकि छात्र की शिक्षा एवं परवरिश इत्तेबा पर हो न कि तक़लीद पर।

ताकि छात्र के पास दलील हो जिससे वह मुख़ालिफ का रद्द (खण्डन) कर सके।

ताकि छात्र के अंदर दुरुस्त बुनियादों पर प्रमाणों से मसला समझने की क्षमता पैदा हो।

(१) आप रहिमहुल्लाह का अभिप्राय यह है कि यह सूरत अकेले बंदों पर हुज्जत क़ायम करने के लिए पर्याप्त है कि वह सीखें, उसपर अमल करें, उसकी ओर दावत दें तथा उस पर सब्र करें।

(जब एक सूरा का यह हाल है) तो फिर क़ुरआन के अन्य हिस्सों के विषय में आपके क्या विचार हैं, जब्कि समस्त क़ुरआन ही हुज्जत एवं दलील है।

(२) हदीस से संबंधित ज्ञान रखने के मामले में अमीरुल मोमिनीन (मोमिनों के ख़लीफा) का दर्जा प्राप्त (इमाम बुख़ारी) ने अपनी किताब सहीह़ बुख़ारी में अध्याय रखा है: $بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ#. कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान प्राप्त करने का अध्याय। और उसकी दलील ज़िक्र की है, अतः कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान अर्जित करना अपरिहार्य है।

इस से साबित हुआ कि ज्ञान अर्जित करने के पूर्व कर्म करना सही नहीं है, अन्यथा ऐसा करने वाले के अंदर ईसाईयों से समानता पाई जाएगी।

इमाम शाफई रहिमहुल्लाह का कथन है कि: $لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ#(१) यदि अल्लाह ने मानवता के लिए इसके सिवा कोई दूसरी आयत न भी उतारी होती, तो यह उनके लिए तर्क के तौर पर काफी और पर्याप्त होती।

इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह का कथन है: $بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ#. कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान प्राप्त करने का अध्याय।

और इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾.

ऐ हमारे रसूल, आपको ज्ञात हो कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद नहीं, और आप अपने तथा पुरुष एवं महिला मोमिनों के गुनाहों की क्षमा मांगें।

तो (यहाँ अल्लाह ने) कथनी तथा करनी के पूर्व ज्ञान से आरंभ किया है। (२)

द्वतीयः तीन मसले

अल्लाह की आप पर कृपा हो, ज्ञात हो कि प्रत्येक मुस्लिम पुरुष तथा महिला पर इन तीन मसले का जानना एवं उसके अनुसार कर्म करना आवश्यक और वाजिब है। (१)

(१) लेखक ने यहाँ भी छात्रों के लिए दुआ करने से प्रारंभ किया है।
लेखक रहिमहुल्लाह ने तीन मूलाधार में तीन स्थान पर छात्रों के लिए प्रार्थना (दुआ) किया हैः चार मसले के प्रारंभ में, तत्पश्चात यहाँ तीन मसले के पास, तथा तीसरा स्थान हैः (जान लो, अल्लाह आपको अपने आज्ञापालन की ओर मार्गदर्शन करे कि हनीफीया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत ...)

तीन मसले का आरंभ करने के पूर्व एक परिचय

तौहीद

शब्दकोष अनुसारः किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जिसकी उत्पत्ति मूल शब्द वहदा युवहिदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से हुई है।

शरीअत अनुसारः अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओः उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना।

तौहीद के तीन प्रकार हैः

तौहीद -ए- रुबूबियत
अल्लाह तआला को उनके समस्त क्रियाकलाप में अकेले मानना या अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में अकेला मानना।

तौहीद -ए- उलूहियत
उपासना एवं आराधना योग्य होने में अकेला मानना।

तौहीद अल-असमा व अल-सिफात
अल्लाह ने अपने कुरान में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के।

* अल्लाह के नाम एवं गुण तौक़ीफी हैं, आर्थात इस संबंध में कुरआन व सुन्नत में जो कुछ आया है, उसी पर निर्भर रहना होगा, जोकि इस प्रकार होगाः

- अल्लाह ने अपने लिए अपनी किताब में स्वंय के लिए अथवा उनके रसूल ने उनके लिए जो प्रमाणित किया है उसको मानना।
- अल्लाह ने अपने लिए अपनी किताब में स्वंय के लिए अथवा उनके रसूल ने उनकी ओर से जिन चीजों का इंकार किया है उसका बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के इंकार करना, जैसे ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (उसे न ऊँघ लगती है न निद्रा) ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ (हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई)

पहली बातः यह कि अल्लाह तआला ने हमें पैदा किया, वही हमारे जीविका का प्रबंध करता है, तथा उसने पैदा करने के पश्चात हमें बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे पास अपना रसूल (दूत) भेजा, जो उनकी बात मानेगा वह जन्नत में जाएगा, तथा जो उनकी बात नहीं मानेगा वह जहन्नम में जाएगा।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ (१) निः संदेह हमने तुम्हरी ओर तुम पर गवाही देने वाला एक रसूल भेजा, जैसा की हमने फिरऔन की ओर एक रसूल (दूत) भेजा था, परंतु फिरऔन ने रसूल की अवहेलना की तो हमने उसको बड़ी सख़्ती के साथ दबोच लिया।

«तीन मसले» का सारांश

- पहला मसलाः तौहीद -ए- रुबूबियत व तौहीद अल-असमा व अल-सिफात
- दूसरा मसलाः तौहीद -ए- उलूहियत
- तीसरा मसलाः शिर्क एवं मुश्रिकीन से अलगाव

पहले मसले में लेखक ने तौहीद -ए- रुबूबियत व तौहीद अल-असमा व अल-सिफात, को साबित किया है (أَنَ اللهَ خَلَقَنَا) (अल्लाह तआला ने हमें पैदा किया) वही सृष्टि कर्ता है, (وَرَزَقَنَا) (वही हमारे जीविका का प्रबंध करता है) रोज़ी देने वाला है (وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً) (हमें बेकार नहीं छोड़ा) निष्क्रिय जिसे न कुछ करने की आज्ञा हो, न ही किसी कार्य से रोका गया हो (بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً) (बल्कि हमारे पास अपना दूत भेजा)।

रसूलों को भेजने का उद्देश्यः

- रहमतः ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ हमने आपको समस्त संसार के लिए रहमत (दयालु) बना कर भेजा है।
- मख़लूक़ पर हुज्जत क़ायम करनाः ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ हम लोगों को अज़ाब (यातना) नहीं देते जब तक कोई रसूल न भेज दें।

दूसरी बातः अल्लाह को यह बात कदापि स्वीकार नहीं कि उसकी उपासना में किसी अन्य को साझी बनाया जाए, चाहे वह कोई (निकटवर्ती) फरिश्ता अथवा रसूल ही क्यों न हो।

और इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए हैं, अतः तुम (इसमें) अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को न पुकारो।

दूसरे मसले में अल्लाह की उलूहियत (देवत्व) का इक़रार है।

लेखक रहिमहुल्लाह फरमाते हैः لا أنَّ الله) يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ (अल्लाह के नज्दीक यह बात कदापि स्वीकार्य नहीं कि किसी अन्य को उसका साझी बनाया जाए) «أحدٌ»(कोई अन्य) नकरः (अनिश्चयवाचक संज्ञा) है जो हर किसी को सम्मिलित है, चाहे वह नबी, वली, जिन्न, फरिश्ता, या नेक लोग इत्यादि ही क्यों न हों, अर्थात कोई भी हो।

जिसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾

मस्जिद के अर्थ के विषय में तीन कथन हैं, एवं तीनों के मध्य संयोजन संभव है।

दीवार के सहारे बनाई गई मस्जिदें कि जिसमें केवल अल्लाह की उपासना की जाए।

वह अंग, जिनका प्रयोग सज्दा करते समय किया जाता है।

भूमिः وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا (हमारे लिए समस्त भूमि मस्जिद एवं पाक करने वाली बनाई गई है)।

﴿لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾: أحـــــدًا नकरः (अनिश्चयवाचक संज्ञा) है जिसके पूर्व नह्य (इंकार, निषेध) है, जो हर किसी को शामिल है, इसी कारणवश इमाम रहिमहुल्लाह ने दूसरे मसले के प्रारंभ में कहा हैः أنَّ الله لَا يَرْضَـى أنْ يُشْـرَكَ مَعَـهُ) (أحَـدٌ(अल्लाह को कदापि स्वीकार नहीं कि किसी अन्य को उसका साझी बनाया जाए) चाहे वह नबी वली जिन्न फरिश्ता या नेक आदमी इत्यादि ही क्यों न हो।

तीसरे मसले में लेखक रहिमहुल्लाह ने शिर्क तथा अहले शिर्क से बराअत (अलगाव) के वाजिब (अपरिहार्य) होने का उल्लेख किया है।

शिर्क तथा अहले शिर्क से बराअत निम्नलिखित चीजों के द्वारा होगाः

- हृदय
- ज़ुबाँ
- शारीरिक अंग

१- हृदय सेः इस प्रकार कि आप काफिर एवं उनके त्योहार तथा समारोह से घृणा करें, विशेष रूप से जो शिर्क एवं बिदअत (नवाचार) उनके यहाँ पाया जाता है उससे।

२- ज़ुबान सेः ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ﴾ (तुम जिसकी उपासना करते हो मेरा उस से कोई संबंध नहीं)।

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾ (कह दीजिए, हे काफिरों, मैं वैसी बन्दगी नहीं करुँगा जैसी बन्दगी तुम करते हो, और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हो जैसी बन्दगी मैं करता हूँ, और न मैं वैसी बन्दगी करने वाला हूँ जैसी बन्दगी तुमने की है, और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हो जैसी बन्दगी मैं करता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म)।

३- शारीरिक अंगों से इस प्रकार कि उनके समारोह, त्योहार या उनके धार्मिक पोशाकों एवं धारणाओं से दूरी बना कर रखे।

तीसरी बातः जिसने रसूल की बात मान ली तथा केवल अल्लाह तआला को अपना अकेला माबूद (उपास्य) मान लिया उसके लिए यह जायज (उचित) नहीं की वह उन लोगों से मित्रता रखे जो अल्लाह एवं उनके रसूल की बात नहीं मानते, चाहे वह उसके घनिष्ठतम संबंधी ही क्यों न हों।

और इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾. (अल्लाह तआला तथा क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप कभी भी उन लोगों से मित्रता करते हुए नहीं पा सकते जो अल्लाह और उसके रसूल के विरोधी हों, यधपि वह उनके पिता, पुत्र, भाई अथवा उनके परिवार के निकट सम्बन्धी ही क्यों न हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान अंकित कर दिया है, तथा अपनी ओर से एक आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति दी है, और जिनको ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी जहाँ वे सदैव रहेंगे, अल्लाह उन से प्रसन्न तथा यह भी अल्लाह से ख़ुश हैं, यही लोग अल्लाह के गिरोह हैं, सावधान रहो, निः संदेह अल्लाह के गिरोह वाले ही सफल हैं)।

तृतीयः तौहीद जानने की महत्ता

अल्लाह आपको अपने आज्ञापालन की ओर मार्गदर्शन करे, जान लें कि, हनीफीयत -इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत- (१) यह है किः आप अल्लाह की इबादत (उपासना, पूजा), धर्म को उसके लिए ख़ालिस एवं निर्मल करते हुए करें, ऐसा ही करने का आदेश अल्लाह ने समस्त मानवता को दिया, तथा इसी उद्देश्य के लिए उनकी सृष्टि की है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (२) (मैंने तो जिन्नों और मनुष्यों को मात्र अपनी बन्दगी के लिए पैदा किया है)।

(३) (يَعْبُدُونِ) का अर्थ (يُوَحِّدُونِ) है अल्लाह को अकेला माबूद मानना।

सबसे महान (सर्वश्रेष्ठ) कार्य जिसके करने का अल्लाह ने हमें आदेश दिया है, वह तौहीद (एकेश्वरवाद) है, जिसका अर्थ हैः कि केवल अल्लाह ही की इबादत की जाए।

सबसे नीच (दुष्टतम) कार्य जिस से अल्लाह ने रोका है, वह शिर्क है, जिसका अर्थ हैः अल्लाह के संग किसी और को भी पुकारना।

(१) ह़नीफीयत (दीन -ए- ह़नीफ)

शब्दकोष अनुसारः इसकी उत्पत्ति (الحَنف) से हुई है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु की ओर आकर्षण

शरीअत अनुसारः यह शिर्क से हट कर इख़्लास, तौहीद एवं ईमान की ओर आकर्षित होने वाली मिल्लत को कहते हैं। ﴿قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا﴾ (वह अल्लाह के आज्ञाकारी और उसकी ओर एकाग्रचित्त थे)। अर्थात वह शिर्क से मूँह फेर कर अल्लाह की ओर आकर्षित होने वाले थे, क्योंकि ह़नीफ उसको कहा जाता है जो सर्वदा तौहीद की ओर आकर्षित हो तथा शिर्क से दूरी बनाए रखे।

(२) लेखक رَحِمَهُ اللَّهُ यहाँ तौहीद जानने की महत्ता बता रहे हैं, जिसका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं।

तौहीद की परिभाषा -जैसा कि प्रस्तावना में हमने इसका वर्णन किया है-

शब्दकोष अनुसारः किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जो अपने मूल शब्द वहहदा युवह्हिदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से निकला है।

शरीअत अनुसारः अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओः उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना।

(३) लेखक महोदय का कथनः (يَعْبُدُونِ) का अर्थ (يُوَحِّدُونِ) है, यह इब्न अब्बास - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- का फरमान है, जैसाकि वह कहते हैः «क़ुरआन में जहाँ भी इबादत (का शब्द) आया है उसका अर्थ हैः तौहीद» ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (अल्लाह को एक मानो), ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (हे लोगों अपने रब को एक मानो)।

चतुर्थः तीन मूल आधार

(१) लेखक रहिमहुल्लाह ने तीन मूलाधार के उल्लेख से इसका आरंभ किया है जोकि वास्तव में क़ब्र में पूछे जाने वाले तीन प्रश्न हैं, तथा प्रश्न के द्वारा पाठक एवं श्रोता का ध्यानाकर्षण किया है फिर उसका उत्तर दिया है।

(२) लेखक ने पहले मूल आधार का वर्णन करते हुए बयान किया है कि रब एवं इबादत (पूजा) के योग्य केवल अल्लाह तआला है तथा उसके प्रमाण में अल्लाह का यह फरमान ज़िक्र किया हैः

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

अतः रब ही माबूद है।

यदि आप से प्रश्न किया जाए कि वह तीन मूलाधार क्या हैं, जिनका जानना मनुष्य के ऊपर वाजिब है? तो आप उत्तर दें किः बंदे का अपने रब को, अपने दीन (धर्म) को तथा अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहचानना। (१)

यदि आप से प्रश्न किया जाए किः आपका रब कौन है? तो आप उत्तर दीजिये कि मेरा रब वह अल्लाह है जो अपनी कृपा से मुझे तथा समस्त जग को पालता है, वही मेरा माबूद है उसके सिवाय मेरा कोई माबूद (पूज्य) नहीं, इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ (२) (हर प्रकार की प्रशंसा समस्त जगत के रब अल्लाह के लिए है)।

अल्लाह के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह जगत के अंदर के दाख़िल है, और मैं भी इसी जगत का एक प्राणी हूँ।(३)

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ यह आयत, तौहीद के तीनों प्रकार को अपने अंदर समोए है।

﴿ٱلْحَمْدُ﴾ इसमें तौहीद अल-असमा व अल-सिफात का सबूत है।

﴿لِلَّهِ﴾ इसमें तौहीद तौहीद अल-उलूहियत का सबूत है।

﴿رَبِّ﴾ इसमें तौहीद तौहीद -ए- रुबूबियत का सबूत है।

(३) अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह मख़्लूक़ (प्राणी, सृष्टि) है, और जब में मख़्लूक़ हूँ तो मेरे लिए आवश्यक है कि सृष्टिकर्ता, कृपालु तथा फज़्ल करने वाले का शुक्र (धन्यवाद) अदा करूँ। سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ (पाक व बुलंद है उसकी ज़ात -वजूद-)।

जब आपसे कहा जाए कि आपने अपने रब को कैसे पहचाना? तो आप कहें कि उसकी निशानियों तथा उसकी मख़्लूक़ के द्वारा, तथा उसकी निशानियों में से, रात, दिन तथा चंद्रमा एवं सूर्य हैं, और उसकी मख़्लूक़ में से सातों आसमान व ज़मीन तथा जो कुछ उनके अंदर तथा बीच में है।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (और उसकी निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं, तुम सूरज एवं चाँद के आगे सज्दा न करो, बल्कि केवल उस अल्लाह के लिए सज्दा करो जिसने इन सब को पैदा किया है, यदि तुम्हें उसी की इबादत करनी है तो)। और अल्लाह तआला का यह फरमान: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ (१) (निःसंदेह तुम्हारा रब वह अल्लाह है जिसने आकाश और पृथ्वी को छः दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हो गया, वह रात को दिन से इस प्रकार छुपा देता है कि वह उसे तेज़ी से आ लेता है, और सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे भी इस प्रकार बनाए कि वह सब उसके आदेश के आधीन हैं, सावधान रहो, केवल उसी अल्लाह के हाथ में रचना तथा सारे आदेश हैं, अल्लाह समस्त संसार का रब, बड़ी बरकत वाला है।)

और रब ही माबूद (पूज्य) है जिसका प्रमाण अल्लाह का यह कथन है: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (२) (हे लोगो, अपने उस रब की इबादत (उपासना) करो जिसने तुम्हें और तुम से पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम बच सको, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी बरसाया, जिससे विभिन्न प्रकार के फलों को तुम्हारे लिए रोज़ी बनाकर निकाला, अतः अब यह जान कर भी अल्लाह के लिए साझी न बनाओ)।

इमाम इब्न -ए- कसीर رحمه الله फरमाते हैः इन समस्त वस्तुओं का सृजनकर्ता ही इबादत (उपासना, पूजा) के योग्य है।(३)

(१) लेखक ने उन चंद सांसारिक निशानियों तथा मख़लूक़ों का ज़िक्र करना शुरू किया है जो अल्लाह के वजूद पर दलालत करती हैं और जिन से साबित होता है कि अल्लाह के सिवा कोई रब, पैदा करने वाला और सच्चा माबूद नहीं तथा उसके प्रमाण क़ुरआन से बयान किए हैं जैसाकि मूल पुस्तिका में मौजूद है।

* हर मख़्लूक़ (प्राणी) अल्लाह के वजूद (अस्तित्व) पर दलील है, किंतु शैख़ुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब रहिमहुल्लाह ने आयत (निशानी) तथा मख़्लूक़ (प्राणी) के मध्य फर्क़ किया है, क्योंकि निशानियाँ परिवर्तनीय होती हैं, जैसे दिन व रात, तथा जो निशानी परिवर्तनीय हो, वह अपरिवर्तनीय से अधिक शक्तिशाली है।

(२) यह आयत सूरह बक़रा की है, कुछ उलेमा का कहना है किः इस आयत में क़ुरआन की पहली निदा (पुकार) है ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ (हे लोगों), पहला अम्र (आदेश) اُعْبُدُوا अर्थात अल्लाह को अकेला मानो तथा पहली नह्य (रोक, मनाही) है ﴿فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ इसमें शिर्क से मनाही है।

(३) अर्थात जो तौहीद -ए- रुबूबियत में एकल है, वाजिबी तौर पर उसे तौहीद -ए- उलूहियत में भी अकेला माना जाए।

लेखक महोदय ने इब्ने कसीर के कथन के पश्चात कुरआन से प्रमाणित करते हुए विभिन्न प्रकार की हार्दिक एवं शारीरिक इबादतों का उल्लेख किया है, जोकि निम्नलिखित हैः

दुआ के दो भेद हैः

इबादत वाली दुआः

इसमें बंदा अपनी शारीरिक क्रिया एवं हाव-भाव के द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से दुआ माँगता है, जैसे नमाज़, रोज़ा तथा हज।

इसको अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम देना शिर्क अकबर है।

माँगने वाली दुआ

इसमें बंदा प्रत्यक्ष रुप से ज़ुबान के द्वारा दुआ माँगता है जैसे यह कहनाः اللهم اغفرلي (हे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे) ارحمني (रहम कर)

इसके हुक्म में तफ़सील (विस्तार) है, और इसकी दो क़िस्में हैं, जैसाकि अतिशीघ्र आने वाला है।

इबादत के प्रकार जिसके करने का अल्लाह ने आदेश दिया हैः(१) जैसे इस्लाम, ईमान तथा एहसान, इसी तरह अन्य प्रकार की इबादतें भी जैसे दुआ, डर, उम्मीद (आशा), भरोसा, रुची, भय, ख़ुशू (श्रद्धा), ख़शीय्यत (भय), अल्लाह की ओर प्रत्यागमन तथा सहारा, पनाह एवं सहायता माँगना, ज़ब्ह करना, नज़्र (मन्नत) एवं इस प्रकार की अन्य इबादतें जिसके करने का अल्लाह ने आदेश दिया है, यह केवल अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए, जिसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ (और मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए ख़ास हैं, अतः अल्लाह के संग किसी और को न पुकारो)।

जिसने इन इबादतों में से किसी एक को भी अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम दिया तो वह मुश्रिक (बहुदेववादी) व काफिर (अनीश्वरवादी) है, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ (और जो कोई भी अल्लाह के साथ किसी ऐसे माबूद को पुकारेगा जिसके संबंध में उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो बस उसका हिसाब उसके रब के पास है, निश्चय ही काफिर लोग कभी सफल नहीं होंगे)।

और हदीस में आया हैः «दुआ इबादत की जान है», इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थानाएँ स्वीकार करुँगा, जो लोग मेरी बन्दगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं निश्चित रूप से वह शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्म (नरक) में जाएंगे)।



किंतु यदि यह धारणा रखे कि जिससे माँगा जा रहा है यह ब्रह्मांड में गुप्त रुप से उलट-फेर करने की क्षमता रखता है तथा उसके अंदर लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता है तो यह शिर्क है।

❖ टिप्पनीः

यहाँ हम कार्य के ऊपर हुक्म का अध्ययन कर रहें हैं, रही बात ऐसा करने वाले के ऊपर हुक्म लगाने की तो इसमें दो शर्तों का पाया जाना अति आवश्यक हैः (१) हुज्जत (दलील) मौजूद होना तथा (२) संदेह का पहलू न होना।

अस्बाब (माध्यम) के संबंध में एतेकाद (आस्था) रखने के विषय में लोगों के तीन क़िस्में हैं।

पहली क़िस्मः वह लोग जिनकी आस्था है कि केवल उन्हीं चीज़ों को सबब (माध्यम) बनाना सही है जिनको अल्लाह ने सबब बनाया है।
यह सही है।

दूसरी क़िस्मः वह लोग जो उन चीज़ों के सबब होने का एतकाद (आस्था) रखते हैं जिनको अल्लाह ने सबब नहीं बनाया है।
यह छोटा शिर्क है।

तीसरी क़िस्मः उन लोगों की है जो यह आस्था रखते हैं कि सबब (माध्यम) स्वयं लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने में सक्षम हैः
यह बड़ा शिर्क है।

शरई माध्यम
जैसे शरीअत से प्रमाणित झाड़-फूँक, अल्लाह ने शरई झाड़-फूँक को रोग निवारण का माध्यम बनाया है।

इन्द्रिय माध्यम
जैसे औषधि, अल्लाह तआला ने औषधि (दवा) को चंगा (निरोग) होने का माध्यम बनाया है।

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ$** (दुआ इबादत की जान है), यह हदीस ज़ईफ है, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सही है किः **الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ#$ (दुआ ही इबादत है)।

दुआ किस प्रकार इबादत है?

इस का प्रमाण अल्लाह तआला का यह कथन हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थानाएँ स्वीकार करूँगा, जो लोग मेरी बन्दगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं निश्चय ही वह शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्म (नरक) में जाएंगे)।

क्योंकि अल्लाह तआला के फरमान ﴿عِبَادَتِي﴾ का आश्य दुआ ही है।

भय के इबादत होने की दलील अल्लाह का यह फरमान है:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

(१) यदि तुम मोमिन हो तो उनसे न डरोकेवल मुझसे डरो)।

आशा (के इबादत होने) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (२)

(जो अपने रब से मिलने की आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा कर्म करे और अपने रब की बंदगी में किसी को साझी न बनाए)।

(१) भय (डर) एक प्राकृतिक स्थिति है जो अनुमानित विनाश, हानि अथवा दुख के समय (मानव शरीर में) उत्पन्न होती है। अल्लाह ने शैतान के चेलों से भय खाने से रोका है तथा स्वयं से डरने का आदेश दिया है।

(२) अर-रज़ा (आशा) कहते हैः मानव का जल्द ही प्राप्त होने वाली किसी चीज की उम्मीद करना, कभी-कभी देर से प्राप्त होने वाली चीज पर भी यह लागू होता है यदि उनको जल्द प्राप्त होने वाली चीज मान लिया जाए तब।

ऐसी आशा जो नम्रता (अधीनता) तथा श्रद्धा पर आधारित हो, केवल अल्लाह के लिए अंजाम दी जाएगी, किसी और के लिए इसको अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है।

आशा उसी समय प्रशंसनीय होगी जब इसको अल्लाह की आज्ञाकारिता व सवाब की उम्मीद रखते हुए अंजाम दिया जाए, अथवा तौबा कबूल होने की उम्मीद के साथ गुनाहों को छोड़ दिया जाए, किंतु कोई कार्य किए बिना आशा रखना स्वयं को धोखा देना तथा निंदनीय कृत्य है।

भय तीन प्रकार के होते हैः

ऐसा भय जो शरीअत के अनुसार हराम है।	ऐसा भय जो प्राकृतिक है (नैसर्गिक)	ऐसा भय जो इबादत तथा बड़ाई के लिए है
जैसे अल्लाह की रहमत से निराश होना, या अल्लाह के आदेश की अवहेलना करते हुए, बंदे के आज्ञा को सर्वोपरि मानना।	जैसे किसी का अग्नि, शत्रु, दरिंदा इत्यादि से डरना। भय की यह क़िस्म जायज़ है।	यह उपासक का उपास्य से डरना है, जिसमें उपास्य के लिए नम्रता, श्रद्धा, अधीनता तथा महानता का भाव होता है। भय की यह क़िस्म केवल अल्लाह के लिए होना वाजिब है, इसको अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है।

(१) तवक्कुल (भरोसा) की परिभाषा

शाब्दिक रुप से: तवक्कुल कहते हैं किसी वस्तु विशेष पर भरोसा करने को।

शरीअत के अनुसार: अल्लाह पर भरोसा करते हुए और जायज़ माध्यम अपनाते हुए उसी पर दृढ़ विश्वास रखना।

तवक्कुल में तीन चीज़ों का पाया जाना आवश्यक है:

सच्चाई (खुलूस) अल्लाह पर भरोसा करने में

भरोसा अल्लाह तआला का अपने बंदों से किए हुए वादा को पूरा करने में

शरीअत के बताए हुए माध्यम को अपनाना

तवक्कुल (भरोसा) (के इबादत होने) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ यदि तुम मोमिन हो तो केवल अल्लाह पर ही भरोसा रखो)। और यह फरमानः ﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾ (१) जो अल्लाह पर भरोसा करे,उसके लिए अल्लाह काफी है।

रग़बत (शौक़), रहबत (दहशत), आजिज़ी (विवशता) की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾(२) (निस्संदेह वह लोग नेकी के कामों में जल्दी करते थें और हमें शौक़ (रग़बत) तथा डर के साथ पुकारते थे और हमारे आगे दबे रहते थे।

(२) **रग़बतः** मन्पसंद चीज को पाने की चाहत।

रहबत (दहशत) ऐसी दहशत जो डराई हुई चीज से दूर कर दे, अर्थात इस डर का संबंध अमल (क्रिया) से जुड़ा हुआ है।

खुशूः अल्लाह की महानता के सामने असमर्थता एवं विनम्रता का प्रदर्शन करना, यहाँ तक कि अल्लाह के शरई और सांसारिक फैसले के आगे नतमस्तक हो जाए।

- ❖ अल्लाह की ओर ध्यान लगाने वाले के लिए आवश्यक है कि वह भय तथा आशा के बीच रहे, एक पक्ष को दूसरे पक्ष पर भारी न पड़ने दे, जो विनाश और बर्बादी का कारण बने, बल्कि चिड़िया के दोनों पंखों की भांति भय तथा आशा दोनों के दामन को पकड़े रहे।

ख़शीयत (भय से लरज़ना) की दलीलः अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ (१) तुम उनसे न डरो, मुझसे ही डरो।

इनाबत की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾(२) (तुम अपने मालिक की ओर पलटो और उसी के आज्ञाकारी बनो)।

इस्तिआना की दलील, अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं)।

और हदीस में आया हैः $إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ#(३) जब भी मदद माँगो केवल अल्लाह ही से मदद माँगो।

शरण व पनाह चाहना की दलीलः ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (हे नबी, कह दीजिये कि मैं सुबह (भोर, प्रातः) के रब की शरण लेता हूँ)। ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (हे नबी, कह दीजिये कि मैं मनुष्यों के रब की शरण लेता हूँ)। (४)

इस्तिग़ासा (फरियाद करना) की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ (५) (याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी पुकार सुन ली)।

जब्ह (बली) की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ आप कह दीजिये कि मेरी नमाज़, समस्त प्रकार की उपासना तथा मेरा जीवन-मरण समस्त संसार के रब केवल अल्लाह ही के लिए है, उसका कोई साझी नहीं।

और ज़ब्ह की दलील हदीस सेः (जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जब्ह किया उस पर अल्लाह की लानत हो)। (६)

(१) ख़शीयतः ऐसा डर जो अल्लाह की महानता एवं पूर्ण स्वामित्व के ज्ञान पर आधारित हो।

(२) इनाबतः अल्लाह का आज्ञापालन करते हुए तथा उसके आदेश का उल्लंघन करने से बचते हुए, अल्लाह की ओर पलटना।

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ (अर्थात अल्लाह की ओर पलट जाओ), ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (अर्थात अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि आप सेवक हैं, और सेवक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को स्वामी के हवाले कर दे, और (असली) स्वामी अल्लाह है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः $هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ#(अल्लाह ही स्वामी है)।

(३) इस्तिआनतः मदद चाहना ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ इस आयत में शब्द (إياك) क्रिया से पहले है जोकि क्रिया के बाद आता है, अतः यह यहाँ पर एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, जिसका मलतब हैः لا نعبد إلَّا إيَّاك ولا نستعَينُ إلَّا بكَ

(४) इस्तिआज़ाः घृणित वस्तुओं से अल्लाह की शरण चाहना, ﴿أَعُوذُ﴾ अर्थात शरण चाहता हूँ।

(५) इस्तिग़ासहाः विनाश एवं तक्लीफ से बचने के लिए फरियाद करना।

❖ इस्तिआना, इस्तिआज़ा, इस्तिग़ासा तथा सिफारिश बंदे से मांगना जायज़ है, लेकिन चार शर्तों के साथः जीवित हो, उपस्थित हो, सक्षम हो तथा ऐसा केवल माध्यम समझकर किया जाए।

(६) ज़ब्हः विशेष पद्धति से रक्त बहा कर अल्लाह के लिए जानदार प्राणी को क़ुर्बान करना (बलि चढाना)।

ज़ब्ह के तीन प्रकार हैं

अल्लाह के लिए ज़ब्ह करना	अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सप्रेम एवं क़द्रदानी करते हुए ज़ब्ह करना	ऐसा जब्ह जो जायज़ हो,
जैसे हज, ईद अल-अज़्हा एवं सदका व खैरात के लिए ज़ब्ह करना।	जैसे जिन्न तथा क़ब्र वालों के लिए जब्ह करना, यह बड़ा शिर्क है।	जैसे स्वयं खाने के लिए अथवा अतिथी सत्कार या व्यापार के लिए जब्ह करना।

नज़्र (मन्नत) के इबादत होने की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (१) (वह अपनी नज़्र (प्रतिज्ञा) पूरी करते हैं, और उस दिन से डरते हैं जिस दिन परेशानी चारों ओर फैली हुई होगी)।

❖ टिप्पणी: जब्ह के मसले का विस्तारित वर्णन किताब -अल- तौहीद में आएगा।

(१) नज़्र की परिभाषा:

शब्दकोष अनुसार:	शरीअत के अनुसार:
अनिवार्य तथा अपरिहार्य करना	बंदे का अपने ऊपर, ग़ैर वाजिब चीज को वाजिब कर लेना।

❖ टिप्पणी: नज़्र के प्रकार एवं शर्तों का विवरण किताब -अल- तौहीद में आएगा।

नज़्र (मन्नत) के प्रकार

अल्लाह के लिए मन्नत	ग़ैरुल्लाह के लिए मन्नत

❖ लेखक महोदय ने इन इबादतों का उल्लेख मात्र उदाहरण स्वरूप किया है, क्योंकि ऐसी अनेकों इबादतें हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर नहीं हुआ है, सार यह है कि जिसने इन इबादतों या इन जैसी अन्य इबादतों को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम दिया तो उसने शिर्क किया।

दूसरा मूलाधारः इस्लाम को प्रमाणों सहित जानना। इस्लाम का अर्थ हैः अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

इसकी तीन श्रेणियाँ हैः इस्लाम, ईमान तथा एहसान, और प्रत्येक श्रेणी के कुछ अरकान (स्तम्भ) हैः

पहली श्रेणीः इस्लाम। (१)

इस्लाम के पाँच अरकान हैः

لَاإِلَهَ إِلَا اللهُ (२) وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ की गवाही देना

(गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल (दूत) हैं, नमाज पढना, जकात देना, रमाज़ान में रोज़ा रखना और खाना -ए- काबा का हज करना।

(१) यहाँ से लेखक رَحِمَهُ اللهُ ने दूसरे मूल को बयान किया है जोकि बंदा का अपने दीन (धर्म) को पहचानना है, तथा इस मूल का प्रारंभ इस्लाम को परिभाषित करने से किया और कहाः

पहली श्रेणीः इस्लाम

अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

यही इस्लाम की परिभाषा हैः अर्थात अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि आप सेवक हैं, और सेवक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को स्वामी के हवाले कर दे, और (असली) स्वामी अल्लाह है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः #$ صَرِيخُ اللهِ (अल्लाह ही स्वामी है)।

तत्पश्चात दीन की तीनों श्रेणियों का उल्लेख किया हैः



(२) इस्लाम के पाँच अरकान हैः

पहला रुक्नः لَاإِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

(लाइलाह इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह) की शहादत (गवाही) देना

लेखक महोदय ने दलील से لَا إِلَـــهَ إِلَّا اللهُ के अर्थ को स्पष्ट किया है, और दलील के अनुसार इसका सही अर्थ है: لا معبود بحقٍّ إلَّا الله अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।

अतः (कलेमा -ए-) इख़्लास की शहादत में निम्नांकित चीजों का पाया जाना जरूरी है:

- इन्कार करना
- साबित करना

#لا إله$ इस वाक्य में इन्कार करना है, और #إلَّا الله$ में साबित करना है वाक्य की यह बनावट सीमित करने तथा साबित करने को स्पष्ट करती है, वह इस प्रकार कि, इबादत को केवल अल्लाह के लिए सीमित एवं साबित करती है तथा उसके सिवा अन्य की इबादत का इन्कार करती है।

इसी लिए लेखक रहिमहुल्लाह ने कहा कि: इसकी और अधिक व्याख्या अल्लाह के इस फरमान से होती है: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى﴾ (और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता तथा समुदाय के लोगों से कहा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया।

﴿بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ यह #لا إله$ का अर्थ है

शहादत की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ (अल्लाह तआला, फरिश्ते और उलेमा गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और वह न्याय स्थापित करने वाला है, उस प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं)।

इस आयत का अर्थ यह है कि: अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है।

«لَا إِلَهَ» इसमें अल्लाह के अतिरिक्त पूजी जाने वाली सभी चीजों का इन्कार है।

#إلَّا الله$ यह वाक्य केवल एक अल्लाह की इबादत को साबित करता है, जिसकी इबादत में उसका कोई साझी नहीं जिस प्रकार उसके राज-पाट में कोई उसका साझी नहीं।

इसकी और अधिक व्याख्या अल्लाह के इस फरमान से होती है: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता तथा समुदाय के लोगों से कहा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया, अतः निश्चय ही वह मुझे (सही) मार्ग दिखाएगा, और यही बात वह अपनी संतान में छोड़ गए, ताकि लोग (शिर्क) से पलट आऐं)।

और अल्लाह का यह फरमानः ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (१) आप कह दीजिए कि, हे किताब वालो (यहूदी व ईसाई) एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर व समान मान्यता प्राप्त है, कि हम एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बन्दगी न करें, और न उसके संग किसी अन्य को साझी बनाएं और न परस्पर हम में से कोई एक-दुसरे को अल्लाह को छोड़कर रब बना ले, फिर यदि वह मुँह मोड़ें तो कह दीजिए कि, गवाह रहो, हम मुसलमान हैं।

❖ यदि कोई कहे कि :لا إله إلّا الله# $ का अर्थ है لا مَعبودَ إلّا الله अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं?

तो हम कहेंगे कि यह अर्थ गलत है क्योंकि इसमें अल्लाह के सिवा तमाम माबूद के अस्तित्व का इन्कार है, जब्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व है यधपि उनकी इबादत करना सही नहीं है, किंतु जब हमने कहा لا مَعبودَ بحقّ إلّا الله कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तो इससे तमाम झूठे माबूदों का इंकार होता है, अतः यही अर्थ सही है।

❖ यदि कोई कहे किः لا إلـــه إلّا الله# $ का अर्थ है لا رَبَّ بِحَق إلّا الله अल्लाह के सिवा कोई सच्चा रब नहीं?

तो हम कहेंगे कि यह बात तो दुरुस्त है लेकिन لا إلـــه إلّا الله# $ की व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें केवल तौहीद -ए- रुबीबियत का उल्लेख है, जिसका गुणगान मक्का के वह काफिर भी करते थे जिनके बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे, लेकिन यह उनके इस्लाम में दाख़िल होने के लिए काफी नहीं हुआ।

(१) ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ यह आयत (सर्वधर्म समान) की बात करने वालों पर रद्द (कुठराघात) है, या जो कहते हैं किः सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

(१) इस आयत को लेखक रहिमहुल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अल्लाह के रसूल होने के प्रमाण के तौर पर ज़िक्र किया है, इस आयत में अल्लाह ने नबी की शहादत पर तीन चीजों के द्वारा जोर दिया हैः

गुप्त क़सम, लाम तथा क़द

(२) लेखक महोदय ने "मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" की शहादत का अर्थ बयान किया है, और इससे सभी मुस्लिम महिला तथा पूरुष पर यह वाजिब होता है किः

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसका पालन करना, जिन चीजों के विषय में समाचार दिया है उसमें आप को सच्चा मानना, जिन चीजों के करने से रोका है उन से रुक जाना और अल्लाह की इबादत (उपासना) आपकी लाई हुई शरीअत एवं बताए हुए रास्ते के अनुसार करना। आप पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो।

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ की शहादत की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (१)

तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ चुके हैं, जिनके ऊपर तुम्हें हानि पहूँचाने वाली चीजें बड़ी भारी गुजरती हैं, जो तुम्हारे (लाभ के) लिए लालयित (इच्छुक) रहते हैं, वह मोमिनों के प्रति अत्यंत करूणामय (उदार) तथा दयावान हैं।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का रसूल मानने की गवाही का अर्थ है किः "आपने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसका पालन करना, जिन चीजों के विषय में समाचार दिया है उसमें आप को सच्चा मानना, जिन चीजों के करने से रोका है उन से रुक जाना और अल्लाह की इबादत (उपासना) आपकी लाई हुई शरीअत एवं बताए हुए रास्ते के अनुसार करना"।(२).

(لا إله إلا الله) की गवाही का अर्थ यह है कि (आप बन्दे हैं जिनकी उपासना नहीं की जाएगी, तथा रसूल हैं जिनको झुठलाया नहीं जाएगा) और यह निम्नांकित चीजों को सम्मिलित हैः

अल्लाह के रसूल ﷺ ने जिन कार्यों के करने का आदेश दिया है उसमें उनका पालन करना,

क्योंकि आप अल्लाह की ओर से पहूँचाने वाले (संदेशवाहक) व दावत देने वाले हैं।

जिन चीजों के करने से रोका है उन से रुक जाना

वह इस प्रकार की आप ने जिन कार्यों के करने से रोका है आप उनको पूर्णरूपेण छोड़ दें।

जिन चीजों के विषय में समाचार दिया है उसमें आप को सच्चा मानना

क्योंकि आप स्वयं भी सच्चे हैं तथा लोगों ने भी आपको सच्चा माना है।

अल्लाह की इबादत (उपासना) आपकी लाई हुई शरीअत एवं बताए हुए रास्ते के अनुसार करना।

इसमें बिदअती (नवाचारी) के ऊपर रद्द है।

नमाज़, ज़कात तथा तौहीद की व्याख्या की दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ (१) उन्हें बस यही आदेश दिया गया था कि वे अल्लाह की बंदगी करें निष्ठा एवं विनयशीलता को उसके लिए विशिष्ट करके, बिल्कुल एकाग्र होकर, नमाज़ पढें और ज़कात दें, और यही सत्य तथा उत्तम दीन है।

रोज़े की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ (२) हे ईमान वालो, तुमपर रोज़े अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ।

हज की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (३) जो हज करने की ताकत रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए काबा का हज करना वाजिब है, और जिसने इंकार किया, तो अल्लाह सारे संसार से बेनियाज़ है।

(१) दूसरा रुक्नः नमाज़

यह कुछ विशेष शब्द एवं क्रिया के द्वारा अल्लाह की इबादत करना है, जिसका प्रारंभ तकबीर (अल्लाहु अकबर कहना) तथा अंत सलाम के द्वारा होता है, यह दीन (धर्म) का स्तम्भ है जिसको अल्लाह ने प्रत्यक्ष रूप से मेराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फर्ज़ किया है।

(२) तीसरा रुक्नः ज़कात

शाब्दिक अर्थ हैः पाकी तथा बढोतरी।

इसके दो भेद हैः शरीर की ज़कात, धन की ज़कात

चौथा रुक्नः अल-स्याम, (रोज़ा)

अरबी में इसका शाब्दिक अर्थ हैः किसी चीज से रुक जाना।

और शरीअत में रोजा कहते हैः प्रातःकाल से लेकर सूर्यास्त तक अल्लाह के लिए रोज़ा की नीयत से उसको तोड़ने वाली चीजों से रुक जाना।

रोजा इबादत की सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में से एक है, क्योंकि इसमें सब्र के तीनों प्रकार पाए जाते हैं, इसकी सर्वश्रेष्ठता का एक कारण यह भी है कि अल्लाह ने फरमाया है कि "इसका बदला मैं स्वयं दूँगा"।

(३) पाँचवा रुक्नः हज्ज

इसका शाब्दिक अर्थ हैः इरादा (इच्छा) करना, शरीअत के अनुसारः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए ढंग अनुसार अल्लाह के लिए हज (करने) से संबंधित क्रियाकलाप अंजाम देना।

और यह प्रत्येक मुस्लिम पर जीवन भर में एक बार फर्ज़ है।

दूसरी श्रेणीः ईमान

ईमान का शाब्दिक अर्थ हैः इकरार करना (हामी भरना)।

शरीअत के अनुसारः ज़ुबान से इकरार करना (कथन), दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से कर्म करना, ईमान सुकर्म से बढ़ता है और कुकर्म से घटता है।

ईमान की शरई परिभाषा में उपर्युक्त पाँचों चीज का पाया जाना आवश्यक है, अन्यथा इनमें से यदि एक भी कम हो तो वह अहल -ए- सुन्नत व अल-जमात की परिभषा नहीं कहलाएगी।

इन पाँच चीजों की क्या दलील है?

कथन (ज़ुबान से इकरार करना) की दलील आप ﷺ का यह फरमान हैः «فأعلاها: قولُ لا إله إلا الله» (ईमान की सर्वाधिक ऊँची शाखा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है)।

शारीरिक अंगों से अमल करने की दलील आप ﷺ का यह फरमान हैः $وأدناها إماطة الأذى عن الطريق# (रास्ते से दुःख दायक चीजों को हटाना इसकी सबसे निचली शाखा है)।

दिल से विश्वास रखने की दलील आप ﷺ का यह फरमान हैः والحياء شعبة من الإيمان (लज्जा ईमान की एक महान शाखा है)।

दूसरी श्रेणीः ईमान, इसकी सत्तर से अधिक शाखाएं है, उनमें सर्वाधिक ऊँची शाखा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, जब्कि रास्ते से दुःख दायक चीजों को हटाना इसकी सबसे निचली शाखा है तथा ह़या (लज्जा, शर्म) ईमान की एक महान शाखा है।

ईमान के छः अरकान (स्तंभ) हैः

अल्लाह तआला पर, उसके फरिश्तों पर, उसके पुस्तकों पर, उसके रसूलों पर, महा प्रलय (क्यामत) के दिन पर तथा अच्छे व बुरे तक़दीर पर ईमान लाना।

इन में से पहले पाँच अरकान (स्तंभ) की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ﴾ (नेकी केवल यह नहीं है कि तुम अपने मुख पूरब और पश्चिम की और कर लो, बल्कि नेकी यह है कि आदमी अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिशतों, किताबों तथा नबियों पर ईमान रखे)।

क़दर (भाग्य, तक़दीर,) की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ (हमने प्रत्येक वस्तु को तकदीर -अनुमान- के मुताबिक पैदा किया है)।

ईमान में वृद्धि की दलीलः ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا﴾ (तुम में से किस के ईमान में इससे वृद्धि हुई)। ईमान घटने की दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान हैः $ما رأيت من ناقصات عقل ودين# (मैंने महिलाओं जैसी अल्प बूद्धि तथा अल्प दीन किसी को नहीं देखा)।

ईमान के छः अरकान (स्तंभ) हैः

- अल्लाह पर ईमान लाना
- फरिश्तों पर ईमान लाना
- किताबों पर ईमान लाना
- रसूलों पर ईमान लाना
- आख़िरत के दिन पर ईमान लाना
- अच्छी-बुरी तक़दीर पर ईमान लाना

पहला रुकनः अल्लाह पर ईमान, यह निम्नांकित चीजें अनिवार्य करती हैः

- अल्लाह तआला के मौजूद होने पर ईमान लाना, और यह चार तर्कों से साबित होता हैः
  - **अक्ल (बुद्धि) द्वारा**
    बुद्धि कभी भी यह नहीं मान सकती कि सृष्टि कर्ता के बिना सृष्टि की रचना हो जाए, ﴿أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ﴾ (क्या वे बिना किसी खालिक़ के पैदा हो गए हैं या वे स्वयं ख़ालिक़ हैं)।
  - **इंद्रीय द्वारा**
    जब आप किसी तक्लीफ या पीड़ा में होते हैं तो हाथों को आकाश की ओर उठाकर कहते हैः हे मेरे रब, तब अल्लाह के आज्ञा से यह पीड़ा दूर हो जाती है।
  - **प्राकृति द्वारा**
    नबी ﷺ ने फरमायाः كل$ مولود يولد على الفطرة# प्रत्येक बच्चा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।
  - **शरीअत द्वारा**
    इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि कुरआन में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह के एक होने की दलील मौजूद न हो।
- अल्लाह तआला के रब होने पर ईमान लाना
- अल्लाह तआला के सच्चे माबूद (उपास्य) होने पर ईमान लाना
- अल्लाह तआला के अस्मा व सिफात (नाम व गुण) पर ईमान लाना।

दूसरा रुक्नः फरिशतों पर ईमान लाना

फरिशते ग़ैब की (अनदेखी दुनिया) दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वह अल्लाह के आज्ञापालन में लगे रहते हैं तथा उसकी अवज्ञा नहीं करते, उनके पास रूह (आत्मा) है, ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ और शरीर भी ﴿رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ हृदय एवं बुद्धि भी ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ हम उन पर और उनके उन नामों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने हमें बता दिया है (जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील) उनके गुणों पर भी ﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ एवं उनके कार्यों पर (जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते) तथा उनके विषय में जो खबरें हम तक पहूँची हैं मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से, हम सब पर ईमान रखते हैं।

तीसरा रुक्नः किताबों पर ईमान रखना

हम पर यह ईमान रखना वाजिब है कि कुरआन अल्लाह का वास्तविक कलाम (कथन) है, तथा अल्लाह की ओर से उतारा गया है, पैदा नहीं किया गया, और प्रत्येक रसूल के साथ अल्लाह ने एक किताब उतारी, हम उन किताबों पर तथा अल्लाह तआला ने उनमें से जिनके नाम बताए हैं और जो ख़बरें उन में हैं तथा उनमें गैर मन्सूख़ (प्रचलित) जो अहकाम हैं सब पर ईमान रखते हैं (मोटे तौर पर भी तथा विस्तृत रूपसे भी), यह भी ईमान रखते हैं कि कुरआन ने पूर्व की तमाम किताबों को मंसूख़ (रद्द) कर दिया है जो कि यह हैः तौरात, इंजील, ज़बूर तथा इब्राहीम व मूसा -अलैहिमस्सलाम- के सहीफे।

चौथा रुक्नः रसूलों पर ईमान लाना

इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि तमाम रसूल इंसान हैं, उनमें रुबूबियत का कोई भी गुण नहीं है, वो सभी बंदे हैं उनकी इबादत (उपासना) नहीं की जा सकती, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा और उनकी ओर वह्य उतारी तथा निशानियों एवं मोअजिज़ा (चमत्कारों) के द्वारा उनकी मदद की, वे अमानत को पूर्णरूपेण अदा कर चुके, उम्मत की खैरख्वाही (हितचिंता) की और दीन पहूँचा दिया तथा अल्लाह के रास्ते में जिहाद का हक़ अदा कर दिया, हम उन पर तथा जो कुछ भी अल्लाह ने हमें उनके नामों, गुणों व हालतों के विषय में मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से बताया हैं हम उन सब पर ईमान रखते हैं, और यह भी की पहले नबी आदम عليه السلام हैं, पहले रसूल नूह عليه السلام तथा अंतिम नबी मोहम्मद ﷺ हैं, यह भी कि पूर्व की तमाम शरीअतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के द्वारा मंसूख़ (रद्द) कर दी गई हैं तथा अज़्म वाले रसूल पाँच हैं जिनका उल्लेख सूरः शूरा तथा अह़ज़ाब में हुआ है और वह यह हैः (मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नूह, इब्राहीम, मूसा तथा ईसा अलैहिमुस्सलाम)।

पाँचवां रुक्नः आख़िरत के दिन पर ईमान लाना

इसमें हर उस चीज पर ईमान लाना शामिल है जिसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खबर दिया है कि वह मृत्यु पश्चात होने वाली है, जैसेः क़ब्र का फितना, सूर फूँका जाना, लोगों का कब्रों से उठ खड़ा होना, मीज़ान, आमाल नामा, कौसर नामक हौज, शफाअत, जन्नत, जहन्नम, मोमिनों का क़यामत के दिन व जन्नत में अपने रब का दीदार करना तथा इसके अलावा अन्य ग़ैबी चीजें।

छठा रुक्नः अच्छी व बुरी तक़दीर पर ईमान लाना, तथा यह निम्नलिखित चार चीजों को शामिल हैः

इल्मः
इस पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु को पूर्व से ही संक्षिप्त एवं विस्तृत तौर पर जानता है।

लिखनाः
यह ईमान रखना कि क्यामत तक घटित होने वाली सभी चीजों की तक़दीर अल्लाह ने लिख दिया है।

मशीअतः
यह ईमान रखना कि अल्लाह जो चाहता है वह होता है, जो नहीं चाहता है नहीं होता है, और बंदे का भी इरादा होता है किंतु वह अल्लाह तआला के इरादे के अधीन है।

पैदा करनाः
यह ईमान रखना कि बंदा तथा उसके समस्त क्रियाकलाप अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड भी, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः
﴿اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾
(अल्लाह तआला प्रत्येक चीज को पैदा करने वाला है) ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ﴾
अल्लाह ने तुम्हें तथा तुम्हारे कर्मों को पैदा किया है।

इन चारों श्रेणियों को कवि ने इस पंक्ति में समेट दिया हैः

عِلْمٌ، كِتَابَةُ مَولَانَا، مَشِيْئَتُه وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِيْجَادٌ وَتَكْوِيْنُ

तीसरी श्रेणीः एहसान

यह दीन का सर्वोत्तम दर्जा है, जिसका केवल एक रुक्न है तथा इसके तहत दो दर्जे हैः

मुशाहदा (दर्शन) वाली इबादत

अल्लाह के पास जो कुछ है उसको पाने की अभिलाषा रखते हुए इबादत करना।

इसका उदाहरणः नबियों व रसूलों ﷺ की इबादतें हैं तथा उनके सिवा दुसरों के लिए भी इस दर्जे तक पहूँचना संभव है।

निगरानी वाली इबादतः

अल्लाह के डर तथा उसके अज़ाब से (भयभीत होकर उससे) बचने के लिए इबादत करना।

यह प्रत्येक मुस्लिम में पाया जाना अपरिहार्य है।

तीसरी श्रेणीः एहसान, इसका केवल एक रुक्न है, और वह यह है कि $أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ# वह यह है कि आप अल्लाह की इबादत इस प्रकार करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो वह तो आपको देख ही रहा है।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ (निःसंदेह, अल्लाह तआला परहेजगारों तथा एहसान करने वालों (उत्तमकारों) के साथ है)।

और यह फरमानः ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ (उस प्रभुत्वशाली और दयावान अल्लाह पर भरोसा रखो जो तुम्हें देख रहा होता है जब तुम खड़े होते हो और सज्दा करने वालों में तुम्हारे चलत-फिरत को भी, निश्चय ही वह भली-भाँति सुनता-जानता है)।

और यह फरमानः ﴿وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (आप जिस हाल में भी हों और क़ुरआन से जो कुछ भी पढते हों (हे लोगो) तुम जो भी कार्य करो हमें उसकी अवश्य सूचना रहती है जब तुम उसमें लगे होते हो)।

स्पष्टिकरणः इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि इस दर्जे वाले के पास केवल अल्लाह की मोहब्बत ही होती है उसका भय नहीं होता, किंतु इस श्रेणी के बंदे को इबादत के लिए जो चीज सर्वाधिक प्रेरित करती है, वह अल्लाह की मोहब्बत (प्रेम) है, (अतः) इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायः $أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا# क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ।

हदीस से इसका प्रमाण हज़रत उमर ﷺ वाली प्रसिद्ध हदीस है, वह कहते हैं किः एक दिन हम नबी-ए-करीम ﷺ के पास बैठे हुए थे कि अचानक हमारे सामने एक साहब आए, जिनके कपड़े अत्यधिक सफ़ेद और बाल बहुत काले थे, उन पर सफर की कोई निशानी भी नहीं थी और हम मे से कोई उन्हें पहचानता भी न था, यहाँ तक की आपके पास बैठे और अपने घुटने नबी ﷺ के घुटनों से मिलाया और अपनी हथेली नबी ﷺ की जाँघ पर रखे और कहाः हे मुहम्मद (ﷺ), मुझे इस्लाम के बारे मे बताइये, आप (ﷺ) ने फरमायाः इस्लाम ये है की तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और यदि सामर्थ्य रखते हो तो काबा का हज करो, अर्ज़ किया किः सच फरमाया, रावी कहते हैं कि हम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूछते भी हैं और स्वयं तसदीक़ (पुष्टि) भी करते हैं, फिर उन्होने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइये, आपने फरमायाः अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन एवं अच्छी व बुरी तक़दीर पर ईमान रखो, अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया, फिर प्रश्न कियाः मुझे एहसान के बारे में बताइये, आपने फरमायाः एहसान यह है कि आप अल्लाह की इबादत इस प्रकार करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो वह तो आपको देख ही रहा है। अर्ज़ किया कि क़यामत के विषय में कुछ बताइये, आपने फरमायाः जिससे पूछ रहे हैं वो इसके बारे मे आपसे अधिक नहीं जानता, अर्ज़ किया कि क़यामत की निशानियाँ ही बता दीजिये। आपने फरमाया किः लौंडी (बाँदी) अपने मालिक को जन्म देगी, नंगे बदन, नंगे पैर, निर्धन बकरियों के चरवाहे इमारतें और भवन बनाने में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उमर ﷺ फरमाते हैं कि फिर वो उठ कर चले गए हम लोग कुछ समय तक ठहरे रहे। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझसे फरमायाः हे उमर, जानते हो यह कौन थे? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल अधिक जानते हैं, आप ने फरमायाः ये जिब्राईल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे।

यह हदीस इस्लाम, ईमान और एहसान के अरकान (स्तंभ) की दलील है

नबी ﷺ के फरमानः «जिससे पूछ रहे हैं वो इसके बारे मे आपसे अधिक नहीं जानता» इसमें यह प्रमाण है कि क़यामत का इल्म केवल अल्लाह के पास है।

नबी ﷺ के फरमानः (أن تلد الأَمة ربَّتها) इसके कई अर्थ हैः

- अवज्ञा (नाफरमानी) की बाहुल्यता (बहुतायत)
- गुलामों की बाहुल्यता
- हालात में बदलाव
- राजा अपनी दासी से विवाह करेगा जिससे लड़का पैदा होगा तथा वह लड़का पिता के मृत्यू पश्चात राजगद्दी संभालेगा और अपनी माता का स्वामी होगा।

$ العَالَةَ# अर्थातः निर्धन

$العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ# अर्थात हालात बदल जाएंगे एवं निर्धनता मालदारी (धनाढ्यता) में

हदीस –ए- जिब्रील से चयनित कुछ महत्वपूर्ण बातें

१- विधार्थी के ऊपर छः हक़ (अधिकार) हैः अपनी जान का, शिक्षकों का, जिस स्थान पर शिक्षा ग्रहण करता है उसका, साथियों, पुस्तकों तथा ज्ञान का हक़ जिसे वह अर्जित करता है।

- अपनी जान का हक़ः इल्म -ज्ञान- इबादत है (जिसके लिए दो शर्तें हैः इख़्लास तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी) सलफ सालेहीन (नेक पूर्वज) के पथ पर चलना, अल्लाह का डर तथा उसके निगरानी का ध्यान रखना, विनम्रता अपनाते हुए घमंड से दूर रहना।

संतोष एवं संतुष्टि का भाव अपनाना, स्वयं को ज्ञान, उदारता, दयालुता, कोमलता तथा स्थिरता से सुसज्जित करना, और बेकार बैठकों, आवारा फिरने तथा लंपटगीरी से दूर रहना।

प्रतिबद्धता के साथ ज्ञान अर्जित करना, उसके लिए यात्रा करना, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करना, उसे कंठस्थ करना, सहेजे गए ज्ञान की समीक्षा करते रहना।

उसूल (मूल) पर फुरूअ (शाखा) की तख़रीज में महारत हासिल करना, अल्लाह की ओर पलटना, किसी दूसरे के लिखे हुए को अपने नाम न करना तथा सच्चाई को थामे रखना।

गूढ़ ज्ञान का द्वार (मैं नहीं जानता) कहने से खुलता है अर्थात अपने आप को अशिक्षित मान कर ज्ञान अर्जित करने में लगे रहना।

समय की क़द्र करना, सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना ज़ब्त और सही का ध्यान रखना अर्थात पढने का सही ढंग सीखना, बड़ी पुस्तकों का सारांश करना व संक्षिप्त विवरण रखना।

प्रश्न करने का सलीका यानी अच्छे ढंग से प्रश्न करना, उसको ध्यान से सुनना, समझना एवं उस पर अमल करना, बिना लाभ के मुनाज़रा (बहस) करने से बचना, पढ़ने लिखने का अभ्यास करते रहना, किताब व सुन्नत तथा इससे संबंधित ज्ञान में पारंगत होते हुए प्रत्येक कला की बुनियादि बातें सीखना।

अमल करते रहना, सांसारिक पद, शोहरत तथा लोभ से दूर रहना।

अपनी कमियों पर निगाह रखते हुए दूसरों के विषय में अच्छा विचार रखना।

इल्म की ज़कात यह हैः हक का परचम बुलंद करना, नेकी का हुक्म देना तथा बुराई से रोकना, लाभ-हानि पर निगाह रखना, ज्ञान का दीप जलाना, औरों को फायदा पहूँचाना, अपनी शक्ति, वैभव तथा पहूँच का प्रयोग (मुसलमान) भाइयों की परेशानी दूर करने तथा उसके लिए सही सिफारिश करने में करना।

गरिमा बनाए रखना, इल्म की हिफाजत करना, एक सीमा तक मधुरता का ध्यान रखना, सिखाने व ज्ञान देने तथा नेतृत्व करने से पहले स्वयं को उसके योग्य बनाना।

उलेमा के इख्तेलाफ (मतभेद) तथा उनकी त्रूटियों पर दलील के साथ सही दृष्टिकोण अपनाना और सही का पक्ष लेना।

संशय दूर करना, अपने आपको गिरोह बंदी और पक्षतापूर्ण रवैया अपनाने से बचाना, वला -दोस्ती- एवं बरा -दुश्मनी- (में शरीअत के आदेशों) का ध्यान रखना।

- अध्यापक का हक़ः लोग इस विषय में अति एवं न्यून दो पक्षों में बंटे हुए हैं तो कुछ लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया है, इसका और अधिक विवरण दूसरी पुस्तक में आएगा कि पृथ्वी पर पनपने वाला प्रथम शिर्क नेक लोगों के प्रति अनाधिकारिक प्रेम दिखलाने के ही कारण था, अतः अति आवश्यक है कि हम नेक लोगों के विषय में अति एवं न्यून छोड़कर बीच (तटस्थता) का रास्ता अपनाएं।
- उस स्थान का अधिकार जहाँ शिक्षा ग्रहण करता है।

अपने संगी-साथी का अधिकारः अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (तुम सर्वश्रेष्ठ समुदाय हो जिसे औरों के लिए पैदा किया गया है), और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "तुम में से कोई भी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जबतक कि वह अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो वह अपने लिए पसंद करता है"।

- किताब का अधिकारः अर्थात किताबों की रक्षा करना क्योंकि अल्लाह तआला ने इन किताबों द्वारा हम पर इनाम किया है जिसकी रक्षा अति आवश्यक है।
- ज्ञान का अधिकारः उसकी रक्षा करना तथा सतत समीक्षा करते रहना, उसके अनुसार कर्म करना क्योंकि जिसने ज्ञान अर्जित किया उसके लिए अपरिहार्य है कि उसके अनुसार कर्म करे, तत्पशचात उसकी ओर लोगों को दावत देना क्योंकि यह अनुग्रह है जिसका धन्यवाद ज्ञापन आवश्यक है।

२- प्रश्न करने के शिष्टाचार में से यह है कि ऐसा प्रश्न करे जिससे अन्य को भी लाभ हो।

३- विधार्थी को चाहिए कि सफाई सुथराई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे।

४- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मृत्यु पश्चात, (अल्लाह तथा उसके रसूल अधिक जानते हैं) कहना, सही नहीं है, केवल (अल्लाह बेहतर जानता है) कहा जाएगा।

तीसरा मूल आधारः अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहचानना।

आप का नाम मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मुत्तलिब पुत्र हाशिम है, और हाशिम क़ुरैश परिवार से हैं तथा क़ुरैश एक अरबी खानदान है, और अरब समुदाय हजरत इस्माईल पुत्र इब्राहीम ख़लील की नस्ल (पीढ़ी) है, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا (उन दोनों तथा हमारे नबी पर अल्लाह का सर्वश्रेष्ठ दुरूद व सलाम उतरे)।

आपकी आयुः तिरसठ वर्ष थी, जिनमें से चालीस वर्ष नबूवत से पूर्व तथा तेईस वर्ष नबूवत व रिसालत के बाद का है।

"इकरा" नामक सूरत के द्वारा आपको नबी तथा "मुद्दस्सिर" नामक सूरत के द्वारा रसूल बनाया गया।

आपका जन्मस्थान मक्का है, फिर आप हिजरत करके मदीना आ गए।

यह अनुच्छेद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संक्षिप्त जीवनी पर आधारित है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम, वंशावली, आयु तथा दावती मिशन का उल्लेख है।

नबी ﷺ के विषय में जिन बातों का ज्ञान रखना आवश्यक है,उनमें से कुछ निम्नलिखित हैः

आप ﷺ का नाम व वंशावली

मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मुत्तलिब पुत्र हाशिम, और हाशिम क़ुरैश परिवार से हैं तथा क़ुरैश एक अरबी खानदान है, और अरब समुदाय हजरत इस्माईल पुत्र इब्राहीम ख़लील की नस्ल (पीढ़ी से) है।

आपकी आयुः

आपकी आयु तिरसठ वर्ष थी, जिनमें से चालीस वर्ष नबूवत से पूर्व तथा तेईस वर्ष नबूवत व रिसालत के बाद का है।

आप के नबूवत का दौर दो भागों में खण्डित हैः

मक्की काल	मदनी काल
तेरह वर्ष	दस वर्ष

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबी हैं अथवा रसूल?

आप नबी तथा रसूल दोनों हैं -आप पर अल्लाह का दुरूद व सलाम उतरे- [إِقْرَأْ] "इकरा" नामक सूरत के द्वारा आपको नबी तत्पश्चात [الْمُدَّثِّرُ] "मुद्दस्सिर" नामक सूरत के द्वारा रसूल बनाए गए।

नबी ﷺ की जीवनी की कुछ झांकी

मक्की जीवन काल तौहीद के इक़रार तथा शिर्क के इंकार पर केंद्रित थी, जो कि तेरह वर्षों तक चलती रही।

फिर आप ﷺ को मदीना की ओर हिजरत का आदेश मिला, यहां भी आप लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, इसके साथ-साथ शरीअत के अन्य अहकाम जैसे इबादत, मामला तथा जीवन बिताने का सही ढंग इत्यादी उतरा।

आपकी जीवनी का अवलोकन करने वाला स्पष्ट रूप से देखेगा कि तौहीद की दावत आपके जीवन के अंतिम चरणों तक चलती रही, जिसमें उनलोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि तौहीद का सीखना आवश्यक नहीं तथा यह दावा करते हैं कि तौहीद कुछ क्षणों में भी सीखा जा सकता है।

अल्लाह तआला ने आप को रसूल बनाकर भेजा ताकि आप, लोगों को शिर्क (बहूदेववाद, अनेकेश्वरवाद) से डरायें तथा तौहीद की दावत दें।

और इसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ﴾ हे कपड़ा ओढ़ने वाले, उठो सावधान करने में लग जाओ, और केवल अपने रब ही की बड़ाई व प्रशंसा करो, अपने कपड़ों को पाक रखो, नापाकी को छोड़ दो, और एहसान करके अधिक लेने की लालसा न रखो, और अपने रब के लिए धैर्य से काम लो।

﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ का अर्थ है कि: आप लोगों को शिर्क से डरायें तथा तौहीद की ओर बुलाएं।

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ का अर्थ है कि: अपने रब की, तौहीद के द्वारा बड़ाई बयान करो।

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ का अर्थ है कि: अपने कर्मों को शिर्क की गंदगी से पाक रखें।

﴿وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ﴾ رُجْز: बुत को कहते हैं, इसको छोड़ने का अर्थ है: बुत तथा उसको पूजने वालों से संबंध विच्छेद कर लेना।

इसी को लेकर आप दस वर्ष तक तौहीद की दावत देते रहे, तत्पश्चात आप को आसमान की सैर कराई गई, जहाँ आप पर पाँच वक़्त की नमाज़ फर्ज़ की गई, आप तीन वर्ष तक मक्का में नमाज़ पढ़ते रहे फिर आपको मदीना की ओर हिजरत करने का आदेश मिला।

लेखक महोदय का कथन: (عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ) (तत्पश्चात आप को आसमान की सैर कराई गई) से हमें यह सीख मिलती है कि:

१- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए ग़ैब (अगोचर, अनदेखा, दैवीय मामला) से संबंधित चीजों के विषय में हम कहें (हम ईमान लाए, हमने सच्चा माना तथा आत्मसमर्पण कर दिया)।

२- फर्ज़ नमाज़ अत्याधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आसमान पर फर्ज़ किया गया है।

हिजरतः शिर्क वाले देश को छोड़कर इसलाम वाले देश की ओर चले जाने को हिजरत कहते हैं, इस उम्मत पर शिर्क वाले देश को छोड़कर इसलाम वाले देश की ओर हिजरत करना क़यामत तक फर्ज़ है, इसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान है:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

जो लोग अपने ऊपर अत्याचार करते हैं, जब फरिश्ते उनके प्राण ग्रस्त कर लेते हैं तो कहते हैः तुम किस दशा में पड़े रहे, वे कहते हैः हम धरती में निर्बल और बेबस थे, फरिश्ते कहते हैः क्या अल्लाह की धरती विस्तृत न थी कि तुम हिजरत कर जाते, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। सिवाय उन बेबस पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के जो विवश (असहाय) हैं, जिनके वश में न कोई उपाय है और न ही कोई राह पा रहे हैं। तो संभव है कि अल्लाह ऐसे लोगों को छोड़ दे, अल्लाह तआला अत्यंत क्षमाशील तथा माफ करने वाला है, इसी प्रकार अल्लाह का यह फरमानः ﴿يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ﴾ हे मेरे मोमिन बंदों, निस्संदेह मेरी धरती विशाल है, अतः तुम केवल मेरी ही इबादत (पूजा) करो।

इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह फरमाते हैः इस आयत के उतरने का कारण मक्का के कुछ मुसलमान हैं जिसने हिजरत नहीं की थी, उनको अल्लाह तआला ने मोमिन कह कर संबोधित किया है।

हदीस से हिजरत फर्ज होने की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन हैः हिजरत उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक तौबा करने का समय समाप्त न हो, तथा तौबा उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि सूर्य पश्चिम की ओर से न निकले।

हिजरत (पलायन) के तीन प्रकार हैः

- शिर्क वाले देश को छोड़कर इसलाम वाले देश की ओर चले जाना। यह वाजिब है।
- मक्का से मदीना की ओर हिजरत, मक्का विजय के साथ यह समाप्त हो चुका है।
- हर उस चीज को छोड़ देना जिसको छोड़ने का आदेश अल्लाह ने दिया है, यधपि उसका संबंध क्रिया से हो या कारक से या समय अथवा स्थान से।

क्रियाः वह तमाम चीज जिसको अल्लाह ने हराम किया है जिसमें सर्वोपरि शिर्क है, कारक (करनेवाला) काफिर, मुनाफिक़ इत्यादि। समयः ऐसे समय से दूर रहना जिसमें काफिर त्योहार मनाते हैं। स्थानः ऐसे स्थान से दूर रहना जहाँ काफिर त्योहार मनाते हों।

❋ तौबा समाप्त होने का समयः

१- सूर्य का पश्चिम से उदय होना।

२- मरणासन्न (मृत्यु शैय्या पर) होना।

﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ, और इसी प्रकार उन लोगों की भी तौबा नहीं जो मरते दम तक काफिर ही रहे।

❋ नबी ﷺ का फरमान (मक्का विजय के बाद हिजरत नहीं) का अर्थ है मक्का से मदीना की ओर हिजरत। इसमें इस बात का संकेत है कि मक्का पुनः कुफ़्र वाला देश नहीं बन सकता।

शैख़ इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैः ज़कात सर्वप्रथम मक्का में ही फर्ज किया गया था, किंतु इसका निसाब एवं परिमाण स्थापित नहीं किया गया था तथा मदीना में इसका निसाब एवं परिमाण उतरा।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु सन् ग्यारह (११) हिज्री में हुई तथा आइशः रज़िअल्लाहु अन्हा के हुजरा (कक्ष) में दफन किए गए।

(आप ने अपनी उम्मत को भलाई की एक-एक बात की ओर मार्गदर्शन तथा बुराई की एक-एक बात से सावधान कर दिया) अतः हमारे ऊपर अनिवार्य है कि हम गवाही दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अमानत अदा कर दिया, रिसालत पहूँचा दिया, उम्मत को नसीहत (हितचिंता) कर दी, अल्लाह की राह में पूरी तरह जिहाद किया और हमें ऐसे स्पष्ट रास्ते पर छोड़ा जिसकी रात भी दिन की तरह प्रकाशमय है जिससे कोई नाश्वान ही भटक सकता है।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मदीना में नियमित रूप से जम गए तो इसलामी शरीअत के अन्य आदेश जैसे ज़कात, रोज़ा, हज्ज, जिहाद, अज़ान तथा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना इत्यादि उतरा।

इन सब में दस वर्ष लगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का देहांत हो गया।

आप का लाया हुआ दीन आज भी बाकी है, और यही आपका दीन (धर्म) है, आप ने अपनी उम्मत को भलाई की एक-एक बात की ओर मार्गदर्शन तथा बुराई की एक-एक बात से सावधान कर दिया।

भलाई जिसकी ओर आपने मार्गदर्शन किया हैः तौहीद तथा वह समस्त कार्य हैं जिन से अल्लाह प्रसन्न और खुश होता है।

बुराई जिससे आपने अपनी उम्मत को सावधान किया हैः शिर्क तथा वह समस्त कार्य हैं जिसे अल्लाह नापसंद करता है।

बड़े-बड़े गुनाह

- शिर्क -ए- अकबर (यह इसलाम से निष्कासित कर देता है)
- शिर्क -ए- असगर (यह इसलाम से निष्कासित नहीं करता है)
- कबीरा गुनाह (गुनाह -ए- कबीरः) (प्रत्येक गुनाह जिसपर विशेष दंड का प्रावधान है)
- सगीरा गुनाह (गुनाह -ए- सग़ीरः) (प्रत्येक गुनाह जिसपर विशेष दंड का प्रावधान नहीं है)

अल्लाह ﷻ ने आप को समस्त लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है एवं आपका आज्ञापालन करना प्रत्येक मानव तथा दानव के लिए अनिवार्य किया है।

और इसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (१) आप कह दीजिए कि हे लोगो, मैं अल्लाह की तरफ से तुम सब की ओर रसूल बनाकर भेजा गया हूँ।

आपके द्वारा अल्लाह तआल ने इस्लाम धर्म को पूर्ण कर दिया।

जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ (२) आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और इस्लाम को तुम्हारे लिए धर्म के रूप में पसन्द कर लिया है।

तथा आप की देहांत की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝٣٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ आपको भी मरना है तथा वह भी मरेंगे, फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने रबके समक्ष झगड़ोगे।

(१) आप ﷺ समस्त लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे, और आपके द्वारा पूर्व की तमाम शरीअतों को मंसूख़ (रद्द) कर दिया गया, अतः यहूदी व ईसाई चाहे वह नबी ﷺ के युग के हों या हमारे युग के, दीन की दावत पहूँचने के पश्चात यदि वह ईमान नहीं लाते हैं तो वह काफिर हैं चाहे वह मूसा व ईसा अलैहिमस्सलाम के दीन पर ही क्यों न हों, जिसकी दलीलें निम्नलिखित हैः

(१) अल्लाह तआला का यह फरमानः ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾ आप कह दीजिए कि, हे किताब वालो (यहूदी व ईसाई) एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर (समान मान्यता प्राप्त) है, कि हम एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बन्दगी न करें, और न उसके संग किसी अन्य को साझी बनाएं।

(२) अल्लाह तआला का यह फरमानः ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल के हराम को हराम नहीं ठहराते और न सत्यधर्म का अनुपालन करते हैं, उनलोगों में से जिन्हें किताब दी गई।

(३) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमानः $وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ# (उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे बारे में किसी यहूदी या ईसाई को ख़बर पहूँचे फिर भी वह ईमान न लाए तो वह जहन्नमी है)।

(२) इस आयत में बिद्अतियों (नवाचारियों) पर रद्द है।

पंचमः समाप्ति

(१) सारे लोग आवश्यक रूप से मौत का मज़ा चखेंगे, और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा तथा उन्हें उनके कर्म के अनुसार बदला दिया जाएगा।

(२) जिसने मृत्यु पश्चात पुनः उठाए जाने का इंकार किया तो वह काफिर है क्योंकि उसने ईमान के रुक्नों में से एक रुक्न का इंकार किया।

(३) नूह अलैहिस्सलाम प्रथम रसूल हैं जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ﴾ किंतु सबसे पहले नबी आदम ﷺ हैं जिसकी दलील यह है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आदम ﷺ के विषय में प्रश्न किया गया, क्या वह नबी हैं? आपने फरमाया: वह ऐसे नबी हैं जिन से अल्लाह ने बात की है।

और सबसे अंतिम नबी व रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ﴾ तुम्हारे पुरूषों में से किसी के पिता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं हैं, परंतु आप अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक हैं।

अतः जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नबूवत अथवा रिसालत का दावा किया तो वह झूठा और काफिर है, और जिसने ऐसा करनेवाले को सच्चा माना वह भी उसी की तरह काफिर है।

सारे लोग मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किए जाएंगे, जिसकी दलील अल्लाह ﷻ का यह फरमान है: ﴿مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ﴾ (इसी (ज़मीन) से हमने तुमको पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे, और इसी से फिर दोबारा निकाल खड़ा करेंगे)।

और यह फरमान: ﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا﴾ (अल्लाह ने तुमको धरती से विशिष्ट प्रकार से उगाया है, फिर वही तुमको उसमें लौटाएगा, और वही तुम्हें उस से दोबारा निकाल खड़ा करेगा)।

दोबारा उठाए जाने के बाद उनसे हिसाब लिया जाएगा और उन्हें उनके कर्म का बदला दिया जाएगा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَىٰ﴾ (१) (अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की अल्लाह उनको उनके कर्मों का बदला दे, और जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको उनके कर्मों का बदला दे)।

और जिसने मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किए जाने का इंकार किया वह काफिर है, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ﴾ (२) (काफिरों का गुमान है कि वह मरने के पश्चात कदापि न उठाए जाएँगे, आप कह दीजिए, क्यों नहीं, मेरे रब की क़सम तुम अवश्य उठाए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया है उससे अवगत करा दिया जाएगा, और यह अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है)।

अल्लाह ने सभी रसूलों को ख़ुशख़बरी देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ﴾ (हमने इन सारे रसूलों को ख़ुशख़बरी देने वाला तथा सावधान करने वाला बनाकर भेजा)।

सर्वप्रथम रसूल नूह ﷺ तथा अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ हैं।

नूह ﷺ के प्रथम रसूल होने की दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ﴾ (३) हमने आपकी ओर वैसे ही वह्य (प्रकाशना) की है जैसे नूह (अलैहिस्सलाम) की ओर तथा उनके बाद आने वाले नबियों की ओर।

अल्लाह तआला ने सभी बंदों पर तागूत का इंकार करना तथा अल्लाह पर ईमान लाना अनिवार्य कर दिया है।

इब्न क़ैय्यिम رَحِمَهُ اللَّهُ फरमाते हैः तागूत हर वह चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो या पेशवा या हाकिम।

नूह عَلَيْهِ السَّلَامُ के युग से लेकर मुहम्मद ﷺ के युग तक समय-समय पर अल्लाह तआला ने प्रत्येक समुदाय के लिए एक रसूल भेजा जो उन्हें केवल एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते और तागूत (असुर) की इबादत करने से मना करते, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (हम ने हर समुदाय में कोई न कोई रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो)।

और तागूत बहुतेरे हैं, लेकिन उनके सरदार पाँच हैः इब्लीस मरदूद (शैतान)। वह व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए और वह उससे प्रसन्न हो। वह व्यक्ति जो लोगों को अपनी उपासना की दावत दे। वह व्यक्ति जो ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने) का दावा करे। वह व्यक्ति जो अल्लाह की उतारी शरीअत से हटकर फैसला करे।

जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सही बात नासमझी से अलग होकर स्पष्ट हो गई है, अतः जो तागूत का इंकार करके केवल अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने एक मज़बूत कड़ा (सहारा) थाम लिया)।

और यही (ला इलाहा इल्लल्लाह) का अर्थ है, और हदीस में आया हैः "धर्म की नीवं इस्लाम, उसका स्तंभ नमाज़ तथा उसकी चोटी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है"।

अल्लाह तआला ने सभी रसूलों व नबियों को अच्छे कार्य पर ख़ुशख़बरी देने वाला तथा बुरे कार्य पर डराने वाला बनाकर भेजा, और समस्त रसूलों व नबियों की दावत का केंद्र बिंदू तौहीद का इक़रार तथा तागूत और शिर्क का इंकार है जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾ (अर्थात सभी समुदाय में ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾) (अर्थात केवल अल्लाह की इबादत करो), ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ अर्थात तागूत को एक ओर छोड़कर स्वयं दूसरी ओर हो जाओ, और यह उससे बचने के लिए कहने की अति उत्तम शैली है, जिससे शिर्क तथा मुश्रिकीन से दूर होना साबित होता है।

अल्लाह तआला ने सभी बंदों पर तागूत का इंकार करना तथा अल्लाह पर ईमान लाना अनिवार्य कर दिया है।

और अल्लाह पर ईमान लाने से पहले तागूत का इंकार आवश्यक है जैसाकी अल्लाह का फरमान है ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ﴾

तागूत हर वह चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो (जैसे पत्थर या पेड़) या पेशवा (जैसे बुरे उलेमा) या हाकिम (जैसे अल्लाह की नाफरमानी का आदेश देने वाले शासक)।

और तागूत बहुतेरे हैं, लेकिन उनके सरदार पाँच हैः

इब्लीस मरदूद (शैतान), (शैख़ ने यहां उस पर दी गई ख़बर अनुसार लानत भेजी है)।

वह व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए और वह उससे प्रसन्न हो।

वह व्यक्ति जो लोगों को अपनी उपासना की दावत दे।

वह व्यक्ति जो ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने) का का दावा करे।

वह व्यक्ति जो अल्लाह की उतारी शरीअत से हटकर फैसला करे।

अल्लाह की उतारी हुई शरीअत से हटकर फैसला करना, इसमें तफ्सील है:

कुफ्र -ए- अकबर

यदि यह अकीदा रखे कि बंदे का फैसला अल्लाह के फैसला के समान या उससे उत्तम है।

कुफ्र के अलावा कुफ्र (कुफ्रे अस़ग़र)

जो यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह के फैसले को छोड़कर, फैसला करना बातिल है, लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ति कि लिए या पद के लालच मे या इसके सिवा किसी और कारणवश ऐसा फैसला करे।

अल्लामा इब्ने क़ैय्यिम -रहिमहुल्लाह- ने जिहाद को चार भागों में विभाजित किया है।

नफ्स से जिहाद

यह ज्ञान, कर्म, अल्लाह के रास्ते की दावत तथा सब्र (धैर्य) के द्वारा किया जाएगा।

शैतान से जिहाद

यह शुबुहात (शिर्क व बिद्अत) तथा शह्वात (सग़ीरह व कबीरह गुनाह) को छोड़कर किया जाएगा।

काफिरों व मुनाफिकों से जिहाद

यह दिल व ज़ुबान तथा जान व माल के द्वारा किया जाएगा।

जालिम (आततई) तथा अहल -ए- बिदअत व मुन्कर से जिहाद

यह हाथ, ज़ूबान और दिल के द्वारा किया जाएगा।

समाप्ति

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इस महान पुस्तिका का अध्धयन करे और इसमें सोच-विचार करे क्योंकि यह अपने अंदर ऐसे मूल आधारों को समोए हुआ है जिसकी आवश्यकता हरेक व्यक्ति को क़ब्र में होगी।

هذا و اللهُ أعلَمُ ، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وعلى آله وصَحبه وسلَّم

प्रमाणों के साथ अल्लाह को जानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जानना तथा इस्लाम को जानना। (अर्थातः तीन मूल आधार)	ज्ञान अर्जित करना	चार मसले और उनकी दलीलें, (सूरः अस्र)	तीन मूल आधार वास्तव में क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित है,उसकी दलीलें,तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तीन मूल सिद्धांत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?इसके जानने का फायदा (लाभ) क्या होगा।
(यदि इल्म -ज्ञान- के अनुसार कर्म किया जाए तो ठीक, अन्यथा वह इल्म समाप्त हो जाता है)। وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الوَثَنْ जिस आलिम ने अपने ज्ञानुसार कर्म नहीं किया मूर्ति पूजकों से पूर्व अज़ाब दिया जाएगा।	उस पर अमल करना		
अल्लाह की तरफ दावत देने की शर्तेः इख्लास़, शरई इल्म, दावत दिए जाने वाले लोगों के हालत की रियायत, हिकमत और सब्र (धैर्य)।	उसकी तरफ दावत देना		
सर्वप्रथम जिस चीज की दावत दी जाएगी वह तौहीद है क्योंकि यही नबियों तथा रसूलों की दावत रही है। दावत की सर्वोत्तम श्रेणी तौहीद का इकरार तथा शिर्क का इंकार करना है।			
अल्लाह की इताअत पर सब्र करना जैसे नमाज़, अल्लाह की नाफरमानी पर सब्र करना जैसे सूद खाना और तक़दीर (भाग्य) में लिखि हुई परेशनियों पर सब्र करना जैसे दीनता व मोहताजी।	यातनाओं पर सब्र करना		
अर्थात इल्म हासिल करने पर सब्र करना, तत्पश्चात अमल करने पर सब्र करना और फिर उसकी दावत देने में मिलने वाली परेशानियों पर सब्र करना।			
तौ़हीद -ए- रुबूबियत (जो तौ़हीद -ए- रुबूबियत में अकेला है, उसे उलूहियत में अकेला मानना भी अति आवश्यक है) **और तौ़हीद -ए- असमा व सिफ़ात**		तीन मसले	
तौ़हीद -ए- उलूहियतः (इख़्लास), अल्लाह तआला को यह बात नापसंद है कि उसके संग किसी और को इबादत (उपासना) में शरीक किया जाए, चाहे वह कोई महान फरिश्ता अथवा रसूल ही क्यों न हो।			
शिर्क एवं मुश्रिकीन से अलगावः दिल व ज़ुबान से (कुफ्फार से बुग़्ज़ व कराहियत) ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं) शारीरिक अंग से इस प्रकार किः उनके समारोह, त्योहार तथा उनकी नकल करने से दूरी बना कर।			

दीन –ए- हनीफः यह शिर्क से हट कर इख़्लास, तौहीद एवं ईमान की ओर आकर्षित होने वाली मिल्लत को कहते हैं।	तौहीद जानने और इसके अध्यापन का कारण	तीन मूल सिद्धांत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तीन मूल आधार वास्तव में क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित है, उसकी दलीलें, तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इसके जानने का फायदा (लाभ) क्या होगा।
शब्दकोष अनुसारः किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जो अपने मूल शब्द वहहदा युवहिहदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से निकला है। शरीअत अनुसारः अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओः उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना। **और इसके तीन प्रकार हैः**		
तौहीद -ए- रुबूबियत अल्लाह तआला को उनके समस्त क्रियकलाप में अकेले मानना या अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में अकेला मानना। तौहीद -ए- उलूहियत उपासना एवं आराधना योग्य होने में अकेला मानना। तौहीद अल-असमा व अल-सिफात अल्लाह ने अपने कुरान में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के।		
शिर्क कहते हैः अल्लाह के संग किसी और के पुकारने को, जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे घृणित कार्य है।		
अल्लाह ﷻ को जानना, तेरा रब कौन है? तूने अपने रब को कैसे पहचाना? रब ही माबूद है, इबादत के प्रकार, जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इबादत की कोई भी क़िस्म अंजाम देता है उसका हुक्म।	तीन मूल आधार	
दलीलों के साथ इस्लाम को जानना, इस्लाम की परिभाषा, दीन के दर्जे, इस्लाम के अरकान (स्तंभ) शहादत की परिभाषा, ईमान की शाखाएं, एहसान, दीन के दर्जे की दलीलें, क़्यामत की निशानियां।		
नबी ﷺ को जानना, आपकी वंशावली, आपका जन्म, आपकी आयु, आपकी नबूवत व रिसालत, आपका वतन, आपकी रिसालत का उद्देश्य, तौहीद के दावत की मुद्दत (कार्य काल) इस्रा व मेराज, नमाज़ कब तथा कहाँ फर्ज़ हुई? हिजरत का हुक्म और उसका समय, बाकी शरीअत कब उतरी, दावत का काल (मुद्दत) नबी ﷺ का देहांत, जो दीन आप लेकर आए, आपकी रिसालत मानव तथा दानव के लिए व्यापक थी, दीन पूर्ण तथा नेमतें मुकम्मल हैं।		

<table>
<tr><td colspan="4">मरणोपरांत पुनः जीवित किया जाना और आमाल का हिसाब देना, जिसने मरने के बाद फिर से ज़िंदा किए जाने का इंकार किया वह काफिर है, रसूलों का वज़ीफा (कार्य प्रणाली) और उनकी दावत, पहले और अंतिम रसूल, तौहीद के स्तंभः ताग़ूत का इंकार और अल्लाह पर ईमान, ताग़ूत की परिभाषा, ताग़ूतों के सरदार, ताग़ूत के इंकार कि कैफियत, ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ, दीन की मूल (नींव) इस्लाम है, इसका स्तंभ नमाज़ है, इसका सर्वोच्च शिखर जिहाद करना है।</td><td rowspan="8">समाप्ति</td><td rowspan="8">तीन मूल आधार वास्तव में क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित है,उसकी दलीलें,तौहीद को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?तीन मूल सिद्धांत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?इसके जानने का फायदा (लाभ) क्या होगा।</td></tr>
<tr><td colspan="2">यह जिहाद जैसा कि सूरा अस्र में आया है (यह ज्ञान अर्जित करने, कर्म करने, अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत तथा उस पर सब्र (धैर्य) के द्वारा किया जाएगा)।</td><td>नफ्स से जिहाद</td><td rowspan="7">जिहाद के प्रकार</td></tr>
<tr><td>कबीरा गुनाहः (जिसके ऊपर विशेष दंड का प्रावधान हो)।</td><td rowspan="2">शहवात</td><td rowspan="3">शैतान से जिहाद</td></tr>
<tr><td>सग़ीरा गुनाहः (जिसके ऊपर विशेष दंड का प्रावधान न हो)।</td></tr>
<tr><td>शुबुहातः शिर्क -ए- अकबर (मिल्लत -ए- इस्लाम से निष्कासित कर देता है)
शिर्क -ए- अस़ग़र</td><td rowspan="2">शुबुहात</td></tr>
<tr><td>बिद्अत</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">यह दिल व ज़ुबान तथा जान एवं माल के द्वारा किया जाएगा।</td><td>काफिरों व मुनाफिकों से जिहाद</td></tr>
<tr><td colspan="2">जालिम (आततई) तथा अहल -ए- बिदअत व मुन्कर से जिहाद
यह हाथ, ज़ुबान और दिल के द्वारा किया जाएगा।</td><td>जालिम (आततई) तथा अहल -ए- बिदअत व मुन्कर से जिहाद</td></tr>
</table>

हर वह चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो (जैसे पत्थर या पेड़) या पेशवा (जैसे बुरे उलेमा) या हाकिम (जैसे अल्लाह की नाफरमानी का आदेश देने वाले बादशाह) और तागूत बहुतेरे हैं, किंतु उनके सरदार पाँच हैः इब्लीस मरदूद, (शैतान) वह व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए और वह उससे प्रसन्न हो। वह व्यक्ति जो लोगों को अपनी उपासना की दावत दे। वह व्यक्ति जो ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने) का दावा करे। वह व्यक्ति जो अल्लाह की उतारी हुई शरीअत से हटकर फैसला करे।	तागूत		
والله أعلمُ وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصَحبه وسلَّم.			

तीन मूल आधार तथा उसके प्रमाण की परिक्षा

कोष्ठक में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनेः

१- तीन मूल आधार के लेखक हैः
(मुहम्मद बिन सुलैमान तमीमी - मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब - सभी)।

२- तीन मूल आधार क़ब्र के तीन प्रश्नों पर आधारित हैः (सत्य - असत्य)

३- लेखक ने तीन मूल आधार में पाठक के लिए कितने स्थान पर दुआ किया है? (दो स्थान पर - तीन स्थान पर)

४- लेखक महोदय के पुस्तकों की विशेषता हैः सरलता एवं स्पष्टता – पहले संक्षिप्त फिर विस्तृत विवरण - क़ुरआन व हदीस से दलीलों का अंबार - विधार्थियों के लिए दुआ करना - समकालीन संदेहों का निवारण - उनके पुस्तकों के व्याख्या की अधिकता व बहुतायत - मुख्य बिंदुओं का प्रश्न एवं उत्तर के ढ़ंग में प्रस्तुत करना - अल्लाह ने उसे लोगों के मध्य सामान्य स्वीकृती दिला दी है - सभी ।

५- तीन मूल आधार को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? (दो - तीन)

६- तौहीद का ज्ञान अर्जित करनाः (फर्ज -ए- किफाया - फर्ज -ए- ऐन)

७- चार मसले की दलील कौनसी सूरः है? (अल अस्र - अल इख़्लास)

८- जिसने इल्म हासिल किया, किंतु उसपर अमल नहीं किया, वह किसके समान है? (ईसाई - यहूदी - दोनों)।

९- सब्र के कितने प्रकार हैं? (दो - तीन)

१०- सूरा अस्र के विषय में इमाम शाफई के कथन का अर्थ है कि, यह सूराः (हुज्जत कायम करने के लिए काफी है - दूसरी सूरतों के लिए काफी है)।

११- जो तौहीद के तीनों प्रकार में से केवल एक पर ईमान लाए, वह मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) नहीः (सत्य - असत्य)।

१२- शिर्क तथा अहले शिर्क से बराअत (अलगाव) कैसे होगी? (ह्रदय, ज़ुबान, शारीरिक अंग से – वह कार्य तथा उसके करने वाले से अलगाव के द्वारा)।

१३- अल्लाह तआला के फरमानः (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) में मस्जिद का अर्थ हैः (दीवार के सहारे बनाई गई मस्जिद - सज्दा करने के अंग - समस्त भूमि - सभी)।

१४- सलफ का तरीका थाः (पहले दलील फिर एतकाद - पहले एतकाद फिर दलील)।

१५- हमारे उलेमा में से जो पथभ्रष्ट हो गए, उनके अंदर (यहूदी - ईसाई) से समानता है।

१६- हमारे इबादत करने वालों में से जो पथभ्रष्ट हो गए, उनके अंदर (यहूदी - ईसाई) से समानता है।

१७- तीन मसला ही दरअसल तीन मूल आधार हैः (सत्य - असत्य)।

१८- दुआ के भेद हैः (इबादत वाली दुआ व माँगने वाली दुआ- शारीरिक क्रिया एवं हाव-भाव के द्वारा व प्रत्यक्ष रुप से ज़ुबान के द्वारा)

१९- दुआ -ए- मसअला के कितने प्रकार हैं? (दो - चार)

२०- अस्बाब (माध्यम) के संबंध में एतकाद (आस्था) रखने में लोगों के कितने गिरोह हैः (अति तथा न्यून एवं तठस्थ - शिर्के अकबर, शिर्के असगर व जायज़)

२१- मख़लूक़ से मदद माँगना जायज़ हैः आम तौर पर - केवल उसी में जिस पर वह सक्षम है - केवल उसी में जिस पर वह सक्षम है अन्य चारों शर्तों के साथ।

२२- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ का अर्थ है (आविष्कार तथा खोज की योग्यता रखने वाला - अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं - अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं)।

२३- सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात करनाः (जायज़ है - कबीरा गुनाह है - कुफ्र है)।

२४- संक्षिप्त रुप से अल्लाह के वजूद (अस्तित्व) पर दलीलेः (बहुत अधिक हैं - चार हैं)।

२५- क्या फरिश्तों के पास दिल हैः (हाँ - नहीं)।

२६- तौहीद का ईमान से संबंध इस प्रकार है कि ईमान आम है और तौहीद उसका एक अंश हैः (सत्य - असत्य)

२७- ईमान के अरकान (५ - ६ - ७)

२८- मुश्रिकीन भी कुछ अर्थों में अल्लाह की इबादत करते हैः (सत्य - असत्य)

२९- अल्लाह के सिवा जिसकी पूजा की जा रही हो तथा वह उससे प्रसन्न न होः (उसको ताग़ूत कहा जाएगा - उसको ताग़ूत नहीं कहा जाएगा)

३०- ब्रह्मांड का प्रबंध और पानी बरसाने में अल्लाह को एकल मानना, तौहीद -ए- (उलूहियत - रुबूबियत - असमा व सिफ़ात) है।

३१- इनमें से क्या मूल तौहीद के विरुद्ध हैः (शिर्क -ए- अकबर - अस़ग़र - बिद्अत)।

३२- वाजिबात में से सबसे बड़ा वाजिब माता-पिता के संग अच्छा व्यवहार करना है (सत्य - असत्य)

३३- हराम चीजों में सबसे घृणित कार्य व्यभिचार और किसी को नाहक़ क़त्ल करना हैः (सत्य - असत्य)

३४- मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक की यात्रा को कहा जाता हैः (सत्य - असत्य)

३५- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थेः (केवल अपने समाज के लिए - समस्त मानव तथा दानव के लिए)

३६- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (का देहांत हो चुका - नबी मरते नहीं)

३७- जिसने मृत्यु पश्चात पुनः जीवित किए जाने का इंकार किया उसने कुफ्र -ए- (अकब - अस़ग़र) किया।

३८- सभी नबियों का दीन (एक है - प्रत्येक नबी का अपना अलग-अलग दीन है)

३९- हिजरत का हुक्मः (मक्का विजय के पश्चात समाप्त हो चुका - क़यामत तक बाकी है)

४०- हिजरत कहते हैः (शिर्क वाले देश को छोड़कर इस्लाम वाले देश की ओर चले जाने को - हर उस चीज को छोड़ देना जिसको छोड़ने का आदेश अल्लाह ने दिया है)

४१- इस्लाम दीन, पूर्ण है, सिवाय उसके जो नेकलोग स्वपन में देखते हैः (सत्य - असत्य)

४२- अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, शिर्क -ए- (अकबर - अस़ग़र) है।

४३- किसी कार्य पर हुक्म लगाने और उसके करने वाले के मध्य अंतर करना अनिवार्य हैः (सत्य - असत्य)

४४- सर्वप्रथम नबीः (नूह अलैहिस्सलाम - आदम अलैहिस्सलाम हैं)

४५- हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः (नबी हैं - रसूल हैं)

निम्नलिखित पहली सूची के वाक्यांश को दूसरी सूची के उप्युक्त वाक्यांश से मिलाएं।

पहली सूची	क्रमांक	क्रमांक	दूसरी सूची
इमाम अहमद रहिमहुल्लाह का कथनः (إذا رأيت الكافر أغمضت عينيَّ مخافة أن أرى عدوَّ الله) (जब मैं किसी काफिर को देखता हूँ तो अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ कि कहीं अल्लाह के दुशमन पर मेरी दृष्टि न पड़ जाए)।	१		तौहीद शब्दकोष के अनुसार
हरेक उस चीज पर ईमान लाने को सम्मिलित है जो मृत्यु पश्चात होने वाली है।	२		तौहीद शरीअत के अनुसार
जुबान से इकरार करना (कथन), दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से अमल करना, ईमान सुकर्म से बढ़ता है और कुकर्म से घटता है।	३		तौहीद -ए- उलूहियत
इस्लाम, ईमान और एहसान हैं	४		तौहीद -ए- रुबूबियत
अल्लाह के लिए भी और ग़ैरुल्लाह के लिए भी	५		तौहीद -ए- अल-अस्मा व अल-सिफात
वाजिब, जायज़ और हराम	६		दीन -ए- हनीफ
शरई और हिस्सी (इंद्रिय)	७		कुरआन का सर्वप्रथम निदा व अम्र
क़ब्र के प्रश्न हैं	८		निद्द
ज्ञान अर्जित करना, उस पर अमल करना, उसकी ओर दावत देना और उस पर सब्र (धैर्य) करना।	९		ख़शीय्यत
इख़्लास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी।	१०		तवक्कुल
अल्लाह पर भरोसा और जायज़ माध्यम अपनाते हुए केवल उसी पर एतमाद करना।	११		इबादत स्वीकार्य होने की दो शर्तें है
ऐसा डर जो अल्लाह की महानता एवं पूर्ण स्वामित्व के ज्ञान पर आधारित हो।	१२		चार मसले संक्षिप्त में
समान, मानिंद और समकक्ष को कहते हैं	१३		तीन मसले संक्षिप्त में

सूरः बक़रा में है	१४		तीन मूलाधार संक्षिप्त में
यह शिर्क से हटकर, इख़्लास, तौहीद और ईमान की तरफ आकर्षित होने वाली मिल्लत को कहते हैं।	१५		सबब (माध्यम) के प्रकार
अल्लाह ने अपनी पुस्तक (क़ुरान) या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम रखा है या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसकी अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर,निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता।	१६		नज़्र (मन्नत) के प्रकार
अल्लाह तआला को उसकी इबादत में अकेला मानना है।	१७		ज़ब्ह के प्रकार
अल्लाह तआला को सृष्टि रचना, बादशाहत तथा प्रबंध करने में अकेला मानना।	१८		भय के प्रकार
अल्लाह ﷻ को उसकी समस्त विशेषताओं में अकेला मानना है।	१९		इस्लाम
मूल शब्द वहहदा युवहिहदो (وَحَّدَ يُوَحِّدُ) से निकला है, जिसका अर्थ है किसी चीज को एकल मानना।	२०		दीन की श्रेणी (दर्जे)
सूर्य का पश्चिम से उदय होना, अथवा मरणासन्न (मृत्यु शैय्या पर) होना।	२१		ईमान
हरेक चीज है जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा लांघ जाए चाहे वह माबूद हो या पेशवा या हाकिम।	२२		आख़िरत पर ईमान लाना
तौहीद -ए- रुबूबियत, तौहीद अल-असमा व अल-सिफात व तौहीद -ए- उलूहियत तथा शिर्क व मुश्रिकीन से अलगाव के द्वारा।	२३		शिर्क से पूर्णरुपेण अलगाव होगा
अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।	२४		तौबा का समय समाप्त होगा
जिसको अल्लाह के सिवा चित्र के रूप में पूजा जाता हो।	२५		तागूत

विषय सूची

१	प्राक्कथन	५-७
२	चार मसले	८-१२
३	तीन मसले	१३-१६
४	तौहीद जानने की महत्ता	१७
५	तीन मूल आधार	१८-४४
६	समाप्ति	४५-४७
७	परिशिष्ट (पुस्तिका की संक्षिप्त व्याख्या तालिका के रूप में)	४८-५१
८	तीन मूल आधार तथा उसके प्रमाण की परिक्षा	५२-५६
९	विषय सूची	५७

القواعد الأربع

चार सिद्धांत

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:

व्याख्या से पूर्व एक प्राक्कथन

इस पुस्तिका के लेखक

नामः शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलैमान तमीमी,
उपनामः अबुल हुसैन
जन्मः १११५ हिज. तथा मृत्युः १२०६ हिज. में उयैना नामक स्थान पर हुई जोकि सऊदी अरब का एक प्रसिद्ध नगर है।

चार सिद्धांत, यह छात्रों के लिए आरंभ किए गए पुस्तकों के श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, इस पुस्तिका के चयन के कारण निम्नलिखित हैः

- उलेमा ने इसको पढने की सलाह दी है
- पूर्व नेक उलेमा की पैरवी
- इसमें हमारे युग के मुश्रिकीन के संदेहों का निवारण है
- क्योंकि यह कश्फ अल-शुबुहात नामक पुस्तक का सारांश है

कश्फ अल-शुबुहात पढ़ने से पहले इस पुस्तिका से आरंभ करते हैं ताकि विधार्थी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह बाकी न रहे।

चार सिद्धांत की विषय सूची

इस के तीन प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैः

१- प्रस्तावना

(सौभाग्यवान बनने का शीर्षक)

२- तौहीद जानने की महत्ता

३- सिद्धांत

पहलाः प्रस्तावना (सौभाग्यवान बनने का शीर्षक)

(१) بسم الله الرحمن الرحيم

बड़े सिंहासन के प्रभू, आदरणीय अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह लोक एवं परलोक में आपकी रक्षा करे (२) और आप जहाँ भी हों आपको मुबारक तथा लाभदायक बनाए।(३)

(१) लेखक -रहिमहुल्लाह- का इस पुस्तिका को बिस्मिल्लाह से आरंभ करने का कारणः

१- कुरआन और नबियों व रसूलों -अलैहिमुस्सलाम- की पैरवी करते हुए।

२- नेक पूवर्ज उलेमा का अनुसरण करते हुए।

३- अल्लाह के आदरणीय नाम से बरकत (हासिल करना) व भलाई प्राप्त करने की उम्मीद रखते हुए।

(२) बिस्मिल्लाह के पश्चात लेखक रहिमहुल्लाह ने पुस्तिका के प्रस्तावना को अपनी आदत के अनुसार छात्रों के लिए दुआ से आरंभ किया है, जो छात्रों से उनके प्रेम तथा हितचंता का प्रतीक है, और उनके लिए अल्लाह से समस्त प्रकार की भलाई माँगना है।

(३) अल्लाह के वली वह लोग हैं जिन्होंने ईमान व तक़वा को अपनाया।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैः जो व्यक्ति ईमान व तक़वा अपनाता है, वह अल्लाह का वली हो जाता है, जिसका प्रमाण अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ सुन लो, अल्लाह के मित्रों को न तो कोई डर है और न वे शोकाकुल होंगे, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और (कुकर्मों से) बचते हैं।

बरकतः यह विकास तथा वृद्धि को कहते हैं।
तबुर्रुकः विकास तथा वृद्धि का अनुरोध करने को कहते हैं।
मुबारकः ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी हो दूसरों के लिए लाभदायक हो।

तबर्रुक के दो भेद हैं

जायज़ तबर्रुक

इन्द्रियः जैसे इल्म, दुआ इत्यादि, क्योंकि लोगों का इल्म व भलाई की तरफ दावत दूसरों के लिए बरकत का कारण होती है, और हम इसे बरकत इसलिए कहते हैं कि हम इस से भलाई प्राप्त करते हैं, जैसे शैख़ुल इस्लाम व अन्य उलेमा की पुस्तकें जिनमें अल्लाह ने बरकत व भलाई रखी है जिन से उम्मत लाभान्वित हुई है।

शरईः जैसे मस्जिद -ए- हराम या मस्जिद -ए- नबवी में नमाज़ पढ़ना।

नाजायज़ तबर्रुकः यह वह तबर्रुक है जिसपर कोई शरई अथवा इन्द्रिय प्रमाण न हो, तथा यह शिर्क -ए- अस़ग़र में से है।

और आपको उन लोगों में से बनाए जो अल्लाह कि ओर से नवाज़े जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं।

नेमत (अनुग्रह) आज़माइश (परिक्षण) का कारण है, और इसके प्रमाण बहुतेरे हैं, जिनमें से कुछ ये हैः ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (और हम अच्छी व बुरी परिस्थितियों में डाल कर तुम सबकी परिक्षा लेते हैं)। ﴿فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ﴾ (तो जब सुलेमान عليه السلام ने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे ये मेरे रब का उदार अनुग्रह है ताकि वह मेरी परिक्षा ले कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतघ्न बनता हूँ, जो कृतज्ञता दिखलाता है तो वह अपने लिए ही कृतज्ञता दिखलाता है और वह जिसने कृतघ्नता दिखाई तो मेरा रब निश्चय ही निस्पृह (बेनियाज़), बड़ा उदार है)। ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ﴾ किंतु मनुष्य का हाल यह है कि जब उसे उसका रब प्रतिष्ठा और नेमत देकर परिक्षा लेता है तो कहता है, मेरे रब ने मुझे प्रतिष्ठित किया।

और हदीस में है किः बनी इस्राईल में तीन लोग थे, अल्लाह ने उनकी परिक्षा लेनी चाही...

तौहीद –ए- रुबूबियत एवं तौहीद –ए- उलूहियत से संबंधित अनुग्रहों का शुक्र अदा करने (धन्यवाद ज्ञापन) के दो प्रकार हैः

अनुग्रह (नेमत) के पश्चात अल्लाह का शुक्र अदा करना, और यह निम्नांकित चीजों के द्वारा होगाः

दिल से

इस प्रकार कि, सच्चा ईमान, परम विश्वास तथा पूर्णरूपेण आश्वस्त होना कि रिज़्क़ व नेमत देने वाल केवल अल्लाह तआला है और बंदे के पास जो भी नेमतें हैं वह अल्लाह ही की ओर से है।

ज़ुबान से

और वह इस प्रकार कि, अल्लाह की नेमतों का बखान करे और उसपर अल्लाह की प्रशंसा करे व शुक्रिया अदा करे, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (और अपने रब की अनुकम्पा का बखान करते रहें)।

अंगों से

और वह इस प्रकार कि, नेमतों को उसी प्रकार से ख़र्च करे जिस प्रकार से अल्लाह प्रसन्न होता है, इसके अलावा अल्लाह की निकटता प्राप्त करने के लिए सुकर्म करे तथा उसके आदेशों का पालन करते हुए कुकर्म छोड़ दे।

अनुग्रह (नेमत) से पूर्व अल्लाह से ताल्लुक (संबंध) रखना

यह प्रकार बंदों से मांग करता है कि वह यह श्रद्धा और विश्वास रखें कि नेमत देने वाला केवल अल्लाह ﷻ है, अतः उसके सिवा न किसी से दिल लगाएं न ही दूसरों से भलाई मांगें।

जिस प्रकार जन्नत केवल अल्लाह ही से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है ठीक उसी प्रकार आजीविका भी केवल उसी से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है।

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (और उस अल्लाह पर भरोसा करो जो जीवंत और अमर है)।

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पूजते हो वे तुम्हारे लिए रोज़ी का भी अधिकार नहीं रखते, अतः तुम अल्लाह ही के यहाँ रोज़ी तलाश करो)। **अर्थात अल्लाह ही के पास न कि दुसरों के पास।**

﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ (और उसी की बंदगी करो और उसके आभारी बनो)।

(१) क्योंकि सब्र के वाजिब होने पर उम्मत का इत्तेफाक़ है।

दुःख व परेशानी के समय लोगों के चार हालात होते हैः

- नाराज होने वाले
- सब्र करने वाले
- राजी रहने वाले
- शुक्र अदा करने वाले

और उन लोगों में से बनाए जो विपत्तियों पर सब्र करते हैं (१) और गुनाह हो जाने पर इस्तिग़फार करते (माफी माँगते) हैं।

१- नाराजगीः ह़राम है, और कबीरा गुनाहों में से है, तथा यह निम्नांकित चीजों के द्वारा होता हैः

- दिल से
- ज़ुबान से
- अंगों से

दिल से नाराजगी जाहिर करनाः अल्लामा इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह के कथन का सार यह है कि कुछ लोग ज़ुबान से कहने की जुर्रत तो नहीं करते लेकिन वह मन और दिल में अपने रब से बदगुमान होते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं किः मेरे रब ने मुझपर जुल्म किया, मेरे रब ने मुझे वंचित कर दिया इत्यादि, और यह गुण कुछ लोगों में कम होती है तो कुछ में अधिक, अतः आप अपना जायज़ा लें, यदि आपका ह्रदय इससे पाक है तो आप बड़े गुनाह से बच गए।

ज़ुबान से नाराजगी जाहिर करनाः और यह इन चीजों के द्वारा होता हैः चीखना व चिल्लाना, रोना धोना, मातम करना, अपने लिए बद्दुआ करना, लानत मलामत तथा गाली-गलौज करना।

अंग से नाराजगी जाहिर करनाः और यह इन चीजों के द्वारा होता हैः अपना गाल पीटना, गिरेबान फाड़ना तथा बाल नोचना।

२- सब्रः इसके वाजिब होने पर उम्मत का इजमाअ (आम सहमति) है, और यह भी वाजिब है कि दिल, ज़ुबान व अंगों से सब्र करे, इमाम अह़मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैः क़ुरआन में लगभग सत्तर (७०) स्थान पर सब्र का उल्लेख हुआ है, और इसके वाजिब होने पर उम्मत सहमत है, तथा यह आधा ईमान है, क्योंकि ईमान के दो भाग हैः आधा सब्र और आधा शुक्र (देखेः मदारिज अल-सालिकीन)।

३- रज़ा (संतुष्टि) यह मुस्तह़ब (वांछनीय) है, और यह सब्र से भी ऊँचा दर्जा है।

४- शुक्र अदा करनाः यह मुस्तह़ब (वांछनीय) है, और यह सर्वश्रेष्ठ दर्जा है।

दूसराः चार सिद्धांत

जान लें -अल्लाह आपको अपने आज्ञापालन की तौफ़ीक़ दे- कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का धर्म अर्थात हनीफियत यह है कि आप केवल एक अल्लाह की इबादत करें और उसी के लिए दीन को शुद्ध रखें, अल्लाह तआला ने इसी लिए सृष्टि की रचना की है तथा सबको इसी का आदेश दिया है, जैसा कि अल्लाह का फरमान हैः ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (१) (मैंने जिन्नों और इंसानों को मात्र इसीलिए पैदा किया कि वह केवल मेरी ही इबादत करें)।

जब आपने यह जान लिया कि अल्लाह ﷻ ने आप को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो आप यह भी जान लें कि इबादत बिना तौहीद के, इबादत नहीं कही जा सकती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नमाज़ बिना पवित्रता के नमाज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि इबादत में जब शिर्क समावेशित हो जाए तो इबादत नष्ट हो जाती है, जैसे नापाकी जब पवित्रता में समावेश कर जाए तो पवित्रता भंग हो जाती है, जब आप ने यह जान लिया कि इबादत में शिर्क की मिलावट हो जाती है तो वह इबादत को बर्बाद कर देता है और शिर्क करने वाला सर्वदा के लिए जहन्नमी हो जाता है तो अब आप ने यह भी जान लिया होगा कि आप के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आती है वह यह है कि आप शिर्क को अच्छी तरह जान लें, उम्मीद है कि अल्लाह आपको शिर्क के इस जाल से बचाए, जोकि अल्लाह के संग किसी को शरीक करना है, जिसके विषय में अल्लाह का फरमान हैः ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा, किंतु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा)।

और शिर्क से बचने के लिए उन चार सिद्धांतों को जानना आवश्यक है जिनका उल्लेख अल्लाह ने क़ुरआन में किया हैः

पहला सिद्धांतः आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जिन काफिरों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध किया था वे सब इस बात का इक़रार करते थे कि अल्लाह तआला ही पैदा (व प्रबंध) करने वाला है और संसार को चलाने वाला है, परंतु उनका यह इक़रार उन्हें इस्लाम में प्रवेश नहीं दिला सका, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (२) (आप कह दीजिए कि तुम्हें आकाश व धरती से रोज़ी कौन देता है, या ये कान और आँखें किसके अधिकार में हैं और कौन जीवन्त को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को जीवन्त से निकालता है, और कौन है जो सभी मामलों का प्रबंध करता है? इसपर वे बोल पड़ेंगे कि (अल्लाह), तो उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते?)

(१) लेखक रहिमहुल्लाह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें तौहीद का अध्ययन क्यों करना चाहिए?

(२) वह कुफ्फार जिनकी ओर नबी ﷺ भेजे गए थे, वह तौहीद -ए-रुबूबियत का इक़रार करते थे, इसके बावजूद नबी ﷺ ने उनसे युद्ध किया, अतः पता चला कि उनके और नबी ﷺ के बीच झगड़ा तौहीद -ए-उलूहियत को लेकर था, अतः जो कोई भी अल्लाह को छोड़कर किसी और की ईबादत करे तो वह काफिर व मुश्रिक है।

दूसरा सिद्धांतः शिर्क करने वाले कहते हैः हम अल्लाह के सिवा दुसरों को केवल इसलिए पुकारते और उनकी ओर ध्यान लगाते हैं ताकि वे हमें अल्लाह से निकट कर दें और अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर दें।

निकटता की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ﴾

(१) (जिन्होंने अल्लाह से हटकर दुसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं (कहते हैं) हम तो उनकी बन्दगी इसी लिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करा दें, निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं, अल्लाह झूठे तथा अकृतज्ञ का मार्गदर्शन नहीं करता)।

और सिफारिश की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ (वे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं, जो न उनका कुछ बिगाड़ सकें ओर न उनका कुछ भला कर सकें और कहते हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं)।

और शिफाअत के दो प्रकार हैः जायज़ शिफाअत और नाजायज़ शिफाअत। (२)

(१) कुफ्फार व मुश्रिकीन का तर्क यह था कि हमारा इन माबूदों को पुकारना तथा इनकी ओर ध्यान केंद्रित करना, केवल अल्लाह का सामीप्य तथा सिफारिश प्राप्त करने के लिए है, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें काफिर समझा और उनसे युद्ध लड़ा।

(२) शिफाअत (सिफारिश) शब्कोष अनुसारः मिलाने तथा दो वस्तुओं को एक करने को कहते हैं।

शरीअत अनुसारः लाभ प्राप्त करने अथवा हानि से बचने के लिए किसी को वास्ता (प्रतिनिधि) बनाना।

शिफाअत (सिफारिश) के भेद

प्रमाणित सिफारिशः जो केवल अल्लाह से माँगी जाएगी, और उसकी निम्नांकित शर्तें हैः
१- सिफारिश के लिए अल्लाह की अनुमति।
२- शिफाअत करने वाले तथा
३- जिसकी शिफाअत की जा रही है दोनों से अल्लाह का प्रसन्न होना।

जिस को पूरा करने में मनुष्य सक्षम हो
उसकी चार शर्तें हैः
१- उपस्थित होना।
२- जीवित होना।
३- योग्य (सक्षम) होना।
४- सबब (माध्यम) मानना।

अप्रमाणित सिफारिशः जिसको क़ुरआन ने नाजायज़ कहा है, जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसके पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विशेष सिफारिश (का प्रावधान)

- शिफाअत -ए- उज़्मा (सर्वोत्तम सिफारिश)
- अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए सिफारिश
- जन्नत का द्वार खुलवाने के लिए सिफारिश

आम (सामान्य) सिफारिश जो सभी नबी, रसूल, फरिश्तों, मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) और शिशुओं के लिए होगी।

- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) के पद में उन्नति के लिए सिफारिश
- मुवह्हिदीन में से जिनलोगों के लिए जहन्नम में जाने का आदेश जारी हो चुका होगा उनके लिए सिफारिश।
- मुवह्हिदीन में से जो लोग जहन्नम में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए सिफारिश।

अप्रमाणित सिफारिशः वह है जिसको क़ुरआन ने नाजायज़ कहा है जैसे कि अल्लाह के सिवा किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसको पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है, और इसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۚ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ (ऐ ईमान वालो, हमने जो कुछ प्रदान किया है उसमें से ख़र्च करो इससे पूर्व कि वह दिन आ जाए जिसमें न कोई क्रय-विक्रय होगा और न कोई मित्रता होगी और न कोई सिफारिश, और काफिर ही ज़ालिम हैं)।

प्रमाणित सिफारिशः जो केवल अल्लाह से ही माँगी जाएगी, सिफारिश करने वाले को सिफारिश की अनुमति देकर सम्मानित किया जाएगा, तथा जिसकी सिफारिश की जाएगीः अनुमति के बाद उनके कथनी तथा करनी से अल्लाह का प्रसन्न होना (आवश्यक है), जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ (कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके?)

तीसरा सिद्धांतः(१) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे लोगों के बीच भेजे गए थे जो विभिन्न प्रकार से पूजा-पाठ करते थे, उनमें से कुछ फरिश्तों की पूजा करते थे और कुछ नबी व नेक लोगों की, कुछ पत्थरों और पेड़ों की पूजा करते थे तो कुछ सूर्य व चंद्रमा के आगे नतमस्तक होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनलोगों के बीच कोई अंतर नहीं किया और सभी से युद्ध किया, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۖ﴾ (उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि उनमें अक़ीदा का बिगाड़ न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए)।

और सूर्य व चंद्रमा की दलील अल्लाह ﷻ का यह फरमान हैः ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧﴾ (रात और दिन और सूर्य और चन्द्रमा उसकी निशानियों में से है, तुम न तो सूर्य को सज्दा करो और न चन्द्रमा को, बल्कि अल्लाह को सज्दा करो जिसने उन्हें पैदा किया, यदि तुम्हें उसी की बंदगी करनी है तो)।

और फरिश्तों की दलील अल्लाह का यह फरमान हैः ﴿وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۚ﴾ (और ऐसा नहीं हो सकता की वह तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म दे)।

(१) यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन लोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि केवल मूर्तिपूजन ही शिर्क है, जब्कि शरई दलीलें आम (व्यापक) हैं उस युग में पाई जाने वाली इबादत की सभी किस्मों के लिए, इसी कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन सभी को तागूत कहा और बिना किसी अपवाद के सभी से युद्ध लड़ा है, ताकि दीन (धर्म) विशुद्ध रूप से केवल अल्लाह के लिए हो।

और नबी की दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ (और याद करो जब अल्लाह कहेगाः हे मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अतिरिक्त दो अन्य पूज्यः मुझे और मेरी माता को बना लो? वह कहेंगेः महिमावान (पाक) है तू, मुझसे यह नहीं हो सकता कि ऐसी बात कहूँ, जिसका मुझे कोई हक़ नहीं है, यदी मैंने ऐसा कहा होता तो तुझे मालूम होता, तू जानता है जो कुछ मेरे मन में है, परंतु मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में है, निश्चय ही तू छिपी बातों को भली-भांति जानने वाला है)।

और नेक लोगों की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ﴾ (जिनको यह लोग पुकारते हैं वे तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूँढते हैं कि कौन उनमें से सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले, और वे उसकी दयालुता की आशा रखते हैं और उसकी यातना से डरते हैं)।

और पत्थरों व पेड़ों की दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ﴾ (क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा, और तीसरी -एक और- मनात को)।

और अबू वाकिद लैसी -रजियल्लाहु अन्हु- की हदीस है, वह फरमाते हैं किः हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग हुनैन के लिए निकले, और हमलोग अभी नए-नए मुसलमान हुए थे, और मुश्रिकों के पास बैरी का एक पेड़ था जिसपर वह अपने हथियारों को लटकाते थे जिसको ज़ात -ए- अनवात़ कहा जाता था, तो जब हम उस पेड़ के समीप पहूँचे तो हम में से कुछ लोगों ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी ऐसा ही एक ज़ात -ए- अनवात़ बनवा दें जैसा इनलोगों के लिए है ... हदीस।

चौथा सिद्धांतः हमारे युग के मुश्रिकीन का शिर्क पुराने ज़माने के मुश्रिकीन से अधिक गंभीर है, क्योंकि पूर्व के मुश्रिकीन केवल समृद्धि एवं समपन्नता के समय ही शिर्क किया करते थे, जब्कि आपदा के समय केवल एक अल्लाह को पुकारते थे, जब्कि हमारे युग के मुश्रिकीन समृद्धि एवं आपदा दोनों ही हालतों में सर्वदा शिर्क करते हैं, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान हैः

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

(जब वे नौका में सवार होते हैं तो वे अल्लाह को, उसके दीन (आज्ञापालन) के लिए निष्ठावान होकर पुकारते हैं, किंतु जब वह उन्हें बचा कर शुष्क भूमी तक ले आता है, तो उसी समय अल्लाह का साझी ठहराने लगते हैं)। (१)

وَ اللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(१) लेखक रहिमहुल्लाह ने इस सिद्धांत के द्वारा हमारे युग के मुश्रिकों द्वारा अंजाम दी जा रही शिर्क की भयावहता का चित्रण किया है, कि उनका शिर्क पुराने ज़माने के मुश्रिकीन के शिर्क से भी भयंकर है, क्योंकि पुराने ज़माने के मुश्रिकीन केवल समृद्धि के समय शिर्क करते थे किंतु आपदा के समय केवल अल्लाह को पुकारते थे जब्कि हमारे युग के मुश्रिकीन समृद्धि तथा आपदा दोनों हालतों में शिर्क करते हैं।
अतः वह कुफ्फार जिनके मध्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे, हमारे युग के मुश्रिकों से कम शिर्क करने वाले थे, इसके बावजूद अल्लाह ने उनको काफिर कहा, तो आपके क्या विचार हैं उन लोगों के विषय में जो शिर्क में उनसे बढे हुए हैं, ये तो अपेक्षाकृत अधिक मुश्रिक कहे जाने के पात्र हैं।

चार सिद्धांत वास्तव में लेखक की एक दूसरी पुस्तक कश्फ़ अल-शुबुहात का सारांश है

प्रस्तावना जिसमें सौभाग्यवान बनने के गुर बतलाए गए हैं

सौभाग्यवान बनने का शीर्षक

जो (अल्लाह के फ़ज़्ल से) नवाज़े जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं।

नेमतों पर शुक्र अदा करना

नेमत (अनुग्रह) आज़माइश (परिक्षण) का कारण है (और हम अच्छी व बुरी परिस्थितियों में डाल कर तुम सबकी परिक्षा लेते हैं)। ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

जो तौहीद -ए- रुबूबियत से

जो तौहीद -ए- उलूहियत से संबंधित है

जो विपत्तियों पर सब्र करते हैं

दुःख व परेशानी के समय लोगों के चार हालात होते हैः

जन्नत केवल अल्लाह ही से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है, इसी प्रकार आजीविका भी केवल उसी से माँगी जाएगी क्योंकि वही उसका मालिक है, अतः केवल अल्लाह ही से संबंध रखे न कि ओरों से।	जो तौहीद -ए- रुबूबियत से	
दिल से शुक्र अदा करनाः इस बात का इकरार व स्वीकार करना कि हरेक प्रकार की नेमतें केवल अल्लाह की ओर से हैं न कि किसी और की ओर से।	जो तौहीद -ए- उलूहियत से संबंधित है	
ज़ुबान से शुक्र अदा करना ﴿هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ (यह मेरे रब का उदार अनुग्रह है ताकि वह मेरी परिक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतघ्न बनता हूँ)		
अंग से शुक्र अदा करनाः वह इस प्रकार कि नेमतों (अनुग्रह) को नेमत देने वाले (अनुग्रहकर्ता) का शुक्र अदा करते हुए ख़र्च करना, और प्रत्येक नेमत का शुक्र उसके उचित रूप में किया जाएगा, जैसे धन का शुक्र यह है कि उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाए, वहीं इल्म (ज्ञान) का शुक्र यह है कि प्रश्न करने वाले का हरसंभव उत्तर दिया जाए चाहे शब्दों के द्वारा हो या हाव-भाव के द्वारा।		
नाराज होने वालेः विपत्तियों के समय नाराज़ होना कबीरा गुनाह है, बल्कि कभी-कभी यह शिर्क तक पहूँच जाता है, और नाराज़गी (क्रुद्धता) का इजहार दिल, ज़ुबान और अंगों के द्वारा होता है।		
सब्र करने वालेः विपत्ती के समय सब्र के वाजिब होने पर उम्मत की आम सहमति है, और यह भी वाजिब है कि दिल, ज़ुबान और अंगों से सब्र करे, यह बिल्कुल अपने नाम को चरितार्थ करता है कि चखने में तो बड़ा कड़वा है किंतु इसका परिणाम मधु से भी मीठा होता है।		
राजी रहने वालेः विपत्तियों के समय राजी (संतुष्ट)		

रहना मुस्तहब (वांछनीय) है, और अपने रब से पूर्ण रूप से राजी होने का अर्थ है कि व्यक्ति यह विश्वास रखे कि जो भी विपत्तियां आई हैं, वह अल्लाह ही की तरफ से हैं, तथा अल्लाह ने बंदे के भाग्य में वही लिखा है जो उसके लिए बेहतर है।					
शुक्र अदा करने वाले: विपत्तियों पर शुक्र अदा करना सबसे प्रिय व सर्वोत्तम श्रेणी है, और शुक्र अदा करनेवाला अल्लाह के प्रियतम बंदों में से है।					
गुनाह हो जाने पर इस्तिग़फार करते (माफी माँगते) हैं।					
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का धर्म अर्थात हनीफियत यह है कि, अल्लाह तआला ने केवल अपनी इबादत के लिए सृष्टि की रचना की है, इबादत बिना तौहीद के इबादत नहीं कही जा सकती, इबादत में जब शिर्क समावेशित हो जाए तो इबादत को नष्ट कर देती है तथा सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं और ऐसा करने वाला सदा के लिए जहन्नमी बन जाता है, अतः इसका ज्ञान अर्जित करना अति आवश्यक है।	हम तौहीद का अध्ययन क्यों करें? तथा शिर्क की संगीनी				
पहला सिद्धांतः आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जिन काफिरों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध किया था वे तौहीद -ए- रुबूबीयत का इक़रार करते थे, किंतु तौहीद -ए- उलूहियत का नहीं, और उनका यह अमल उन्हें इस्लाम में प्रवेश नहीं दिला सका।					चार सिद्धांत
दूसरा सिद्धांतः कुफ्फार मूर्तिपूजन केवल अल्लाह का सानिध्य प्राप्त करने तथा उनकी सिफारिश के लिए करते थे।					
तीसरा सिद्धांतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे लोगों के बीच भेजे गए थे जो विभिन्न प्रकार से पूजा-पाठ करते थे, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके शिर्क में कोई भेद-भाव नहीं किया।					
चौथा सिद्धांतः हमारे युग के मुश्रिकीन का शिर्क पुराने ज़माने के मुश्रिकीन से अधिक गंभीर है।					

चार सिद्धांत से संबंधित प्रश्न

नामः .....

किताब अल तौहीद कितना कंठस्थ है? .....

क्या आपने चार सिद्धांत कंठस्थ कर लिया है? .....

करने के कार्य	कुरआन व सुन्नत से उसकी दलील
नेमत (अनुग्रह) आज़माइश (परिक्षण) का कारण है	
कुफ्फार तौहीद -ए- रुबूबियत का इकरार करते थे	
सामीप्य की दलील	
अप्रमाणित शिफाअत	
सूर्य तथा चंद्रमा के न पूजने की दलील	
फरिश्तों को न पूजने की दलील	
नबियों को न पूजने की दलील	
नेक लोगों को न पूजने की दलील	
पत्थड़ों तथा पेड़ों को न पूजने की दलील	
(पुराने ज़माने के मुश्रिकीन) समृद्धता में शिर्क करते थे किंतु विपत्ति में विशुद्ध रूप से केवल अल्लाह को पुकारते थे	
शिर्क की दलील	

निम्नलिखित वाक्यों के संबंध में अपना ज्ञान अंकित करेः

तौहीद का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है?	१- ..... २- ..... ३- ..... ४- .... ५- ..... ६- ..... ७- .... ८- ..... ९- .....
हम चार सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें?	१- ..... २- ..... ३- ..... ४- .....
चार सिद्धांत के भेद हैः	१- ..... २- ..... ३- .....
चार सिद्धांत किस पुस्तक का सारांश है	
कश्फ अल-शुबुहात का अध्ययन हम क्यों नहीं करें?	
सौभाग्यवान बनने का शीर्षक	१- ..... २- ..... ३- .....
ह़नीफियत का अर्थ है	
चार सिद्धांत के अध्ययन का लाभ	
अल्लाह के वली	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया फरमाते हैः
उसकी दलील	क्योंकिः
नेमत का शुक्र किस प्रकार अदा किया जाता है, उदाहरण के साथ लिखें	१-
	२-
	३-
नेमत मिलने से पूर्व अल्लाह से ताल्लुक़ (संबंध) रखना	
विपत्ति के समय लोगों के हालात उसके हुक्म के साथ लिखें	१- ..... उसका हुक्म ..... और इसके द्वारा होगा ..... व ..... व .....
	१- ..... उसका हुक्म ..... और इसके द्वारा होगा ..... व ..... व .....

शिफाअत (सिफारिश)	शब्दकोष अनुसारः
	शरीअत अनुसारः
सिफारिश के प्रकार	
प्रमाणित सिफारिश की शर्तें	

प्रमाणित सिफारिश के प्रकारः १- ..... २- .....

..... ३- .....

प्रमाणित सिफारिश की शर्तेः

१- और इसके उप-प्रकार ये हैः और और

२- और इसके उप-प्रकार ये हैः और और

पहला सिद्धांत	
दूसरा सिद्धांत	
तीसरा सिद्धांत	
चौथा सिद्धांत	
ऐसा अमल (कर्म) जिसमें शिर्क समावेशित हो चुका हो, उसका हुक्म	

चार सिद्धांत की विषय सूची

१	प्रस्तावना (सौभाग्यवान बनने का शिर्षक)	६३-६६
२	पहला सिद्धांत	६७
३	दूसरा सिद्धांत	६८-६९
४	तीसरा सिद्धांत	७०-७१
५	चौथा सिद्धांत	७२
६	परिशिष्ट (पुस्तिका की संक्षिप्त व्याख्या तालिका के रूप में)	७३-७४
७	चार सिद्धांत से संबंधित प्रश्न	७५-७७
८	विषय सूची	७८

شرح متن

نواقض الإسلام

इस्लाम से निष्कासित (खारिज) करने वाली बातों की व्याख्या

लेखकः

मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलैमान तमीमी

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

व्याख्याताः

शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान

[पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिद -ए- नबवी]

महाप्रबंधक अल-तासील अल-इल्मी वेबसाईट

http://attasseel-alelmi.com

المشرف على موقع التأصيل العلميّ

http://attasseel-alelmi.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

الطَّبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظةٌ

إلَّا من أراد طبعه أو ترجمته لتوزيعه مجَّانًا بعد مراجعة المؤلِّف

الرَّجاء التَّواصل على:

islamtorrent@gmail.com

इस्लाम से निष्कासित (खारिज) करने वाली बातें

शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब रहिमहुल्लाह फरमाते हैः

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

आपको ज्ञात हो कि इस्लामी सीमा से निष्कासित करने वाली बातें दस हैः

पहलाः अल्लाह की इबादत में किसी को साझी ठहराना, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ)(निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा, किंतु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा)। और दुसरे स्थान पर फरमायाः (إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) (जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा, उसपर अल्लाह तआला ने जन्नत ह़राम करदी है, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं)। अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए जब्ह करना, जैसे वह लोग जो (जिन्नातों) दानवों या क़ब्र वालों के लिए बली चढाते हैं, यह भी शिर्क -ए- अकबर है।

दूसराः जो अपने और अल्लाह के बीच किसी और को वास्ता और माध्यम बनाए, उनको पुकारे, उससे सिफारीश की प्रार्थना करे और उन पर भरोसा करे, तो वह सर्वसहमती के साथ काफिर है।

तीसराः जो मुश्रिकों को काफिर न समझे अथवा उनके कुफ्र में संदेह करे, या उनके धर्म को सही कहे तो वह भी काफिर है।

चौथाः जो यह विश्वास रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े से किसी अन्य का तरीका अधिक परिपूर्ण, या किसी और का फैसला आपके फैसले से बेहतर है - जैसे वह लोग जो शैतानी नियमों और व्यवस्थाओं को आप की शरीअत पर प्रधानता देते हैं- तो वह भी काफिर है।

पाँचवाः जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत से घृणा करे तो वह काफिर है, चाहे वह उस पर कार्यरत ही क्यों न हो। (प्रत्यक्ष रूप से उस पर अमल ही क्यों न कर रहा हो)।

छठा: जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे दीन अथवा अल्लाह के सवाब (पुण्य) या अज़ाब (दण्ड) का उपहास उड़ाए, वह काफिर है जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ) (हे नबी, आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह, उसकी आयतें और उसके रसूल ही हँसी-मज़ाक़ के लिए रह गए हैं, बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान के पश्चात काफिर हो गए)।

सातवा: जादू करना, चाहे दिलों को फेरना (घृणा पैदा करके) हो या मिलान (प्रेम-भाव) पैदा करना, जो ऐसा करे या ऐसा करने वाले से सहमत हो तो वह काफिर है, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) (वह दोनों किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ्र न कर)।

आठवा: मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों का समर्थन और उनकी सहायता करना, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ) (तुम में से जो भी उन में से किसी से मित्रता करे वह निःसंदेह उन्हीं में से है, अत्याचार करने वालों को अल्लाह तआला कदापि मार्गदर्शन नहीं करता)।

नौवा: जो यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं है, जैसाकि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत का पाबंद रहना ज़रूरी नहीं था, तो वह काफिर है।

दसवा: अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना, कि न उसे सीखे और न उसपर अमल करे, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (उससे बड़ा अत्याचारी कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से उपदेश दिया गया, फिर भी उसने मुख फेर लिया, निश्चय ही हम भी पापियों से प्रतिशोध लेने वाले हैं)।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली उपर्युक्त बातों का करने वाला चाहे इसे मज़ाक़ में करे, या गम्भीर होकर या डर कर, उसे इस्लाम से निष्कासित माना जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया हो। और ये समस्त अति भयंकर और बहुधा घटित होने वाले हैं, अतः मुसलमान को चाहिए कि इससे सावधान रहे और इसमें पड़ जाने से डरता रहे। हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक यातना से पनाह माँगते हैं। وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

व्याख्या

प्रस्तावना

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

आपको ज्ञात हो कि इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें दस हैः

उलेमा अपनी पुस्तकों का प्रारंभ बिस्मिल्लाह से क्यों करते हैं?

- क़ुरआन और नबियों व रसूलों -अलेहिमुस्सलाम- की पैरवी करते हुए।
- उस हदीस का अनुसरण करते हुए जिसमें कहा गया है किः "कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि अल्लाह का नाम लिए बिना प्रारंभ किया जाए तो वह अधूरा है"। गरचे यह हदीस ज़ईफ है।
- नेक पूर्वज उलेमा का अनुसरण करते हुए।
- अल्लाह के आदरणीय नाम से बरकत (हासिल करना) व भलाई हासिल करने की उम्मीद रखते हुए।

जब क़ुरआन व ह़दीस में अंक का उल्लेख हो तोः

- यदि हम क़ुरआन व ह़दीस में उस अंक के ऊपर कुछ और अंकों की वृद्धि पाते हैं तो इसका अर्थ है कि वही अंक अपेक्षित नहीं है, बल्कि उस उल्लेखित अंक के ऊपर वृद्धि की जा सकती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमानः «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ...» (पाँच चीजें फ़ितरत (नैसर्गिकता) में से हैं), तथा यह फरमानः «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ...» (सात विनाशकारी गुनाहों से बचो)।
- जब हम क़ुरआन व ह़दीस में इस अंक के ऊपर किसी और अंक की वृद्धि न पाएं, तो इसका अर्थ है कि वही अंक अपेक्षित है यानी उस अंक पर कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जाएगा, जैसे हदीस -ए- जिब्रील में वर्णित इस्लाम व ईमान के स्तंभ।

कभी-कभी अंक का उल्लेख क्यों किया जाता है जब्कि वह अपेक्षित नहीं होता है?

यह श्रोता के मन-मस्तिष्क में सभा में उल्लेखित बातों को अच्छे ढंग से बैठाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा अपनाया गया शिक्षा की एक पद्धति है, ताकि मुद्दतों तक वह उन मसलों को याद रख सकें, जैसे नबी ﷺ का फरमानः (तीन चीजों को मैं क़सम खाकर बयान करता हूँ, अतः तुम उन्हें याद -स्मरण- कर लोः सदका -दान- करने से किसी का धन घटता नहीं है), और लेखक महोदय ने यही ढंग अपनाया है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का जानना क्यों आवश्यक है?

ताकि हम उसमें न पड़कर उससे बच सकें, अतः इसके जानने का बड़ा लाभ है, बल्कि इसका जानना अत्यंत लाभकारी है, जिस प्रकार हम वुज़ू तथा नमाज़ ख़राब करने वाली चीजों का ज्ञान अर्जित करते हैं ताकि हमारे वुज़ू तथा नमाज़ बर्बाद न हों, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं किः (लोग रसूलुल्लाह ﷺ से भलाई के बारे में पूछते थे और मैं बुराई के बारे में पूछता था कि कहीं उसमें पड़ न जाऊं)।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें क्या हैं?

ये इस्लाम के विरुद्ध कार्य हैं जिसके करने से व्यक्ति इस्लाम की सीमा से निकल कर बड़े शिर्क में प्रवेश कर जाता है, और इस्लाम का अर्थ हैः अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

इसका मतलब यह है किः जिसके करने से व्यक्ति इस्लाम की सीमा से निकल कर बड़े शिर्क में प्रवेश कर जाता है, अल्लाह हमें इससे बचाए रखे।

उलेमा इसे कभी नवाक़िज़ तो कभी मुफ्सिदात तो कभी मुबत़िलात -ए- इस्लाम क्यों लिखते हैं?

यह केवल भावाभिव्यक्ति के अलग-अलग रूप हैं ताकि छात्र एक ही प्रकार की वाक्यशैली से उकता न जाएं वरना अर्थ एक ही है, अतः कभी नवाक़िज़ ए- इस्लाम व वुज़ू और कभी मुबत़िलात -ए- नमाज़ तो कभी मुफ्सिदात -ए- रोज़ा से अभिव्यक्त किया जाता है।

क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों पर सभी उलेमा सहमत हैं?

हाँ।

क्या इनकी संख्या इतनी ही है?

नहीं।

तो फिर यहाँ, दस ही का उल्लेख क्यों है?

क्योंकि यह सर्वाधिक गंभीर (संगीन) हैं, तथा इन्हें याद करना अत्यंत सरल है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का संक्षिप्त विवरण

बोलने से संबंधित	करने से संबंधित	आस्था रखने से संबंधित	कुफ़्र में संदेह
जैसे अल्लाह या उसके रसूल या इस्लाम धर्म को गाली देना	जैसे जादू करना	जैसे अल्लाह के सिवा किसी और से लाभ या हानि की आशा रखना	उन यहूदी तथा ईसाई के कुफ़्र में संदेह करना जिन्हें नबी ﷺ की दावत पहूँची हो और वे ईमान न लाए हों

क्या नबी ﷺ ने इन दस बातों का उल्लेख किया है? इसकी क्या दलील है?

हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन सभी का उल्लेख किया है, बल्कि इनमें से हरेक पर क़ुरआन व ह़दीस से प्रमाण मौजूद है, जैसे अल्लाह का फरमानः (وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ) (इसी प्रकार हम अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं, और ताकि अपराधियों का मार्ग स्पष्ट हो जाए)।

जिसने इन बातों को कर लिया तो क्या कोई भी उसे काफिर कह सकता है?

कतई नहीं, बल्कि किसी को व्यक्तिगत रूप से काफिर कहने के लिए उलेमा तथा शरई अदालतों से संपर्क करना अति आवश्यक है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः (जिस किसी ने भी अपने भाई को काफिर कहा तो दोनों में से किसी एक तरफ कुफ़्र लौट जाता है)।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों के विषय में किसी ने लिखा है?

जिसने भी फिक़्ह से संबंधित किताब लिखी है, उन्होंने "मुर्तद्द का हुक्म" नामक अध्याय में इसका उल्लेख किया है, लेकिन लेखक -रहिमहुल्लाह- ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विषय पर स्थायी रुप से एक पुस्तिका लिखी है।

क्या निष्कासित करनेवाली इन बातों में क्रिया तथा कारक के मध्य अंतर किया जाएगा?

हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि कुफ्रिया कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता, बल्कि व्यक्तिगत रूप से किसी को काफिर कहने के पूर्व हुज्जत क़ायम करना तथा संदेहास्पद स्थिति का न होना अति आवश्यक है, और लेखक رحمه الله का आशय किसी को व्यक्तिगत रूप से काफिर कहना नहीं है, बल्कि मूल उद्देश्य इन बातों से भयभीत तथा सावधान करना है जो उम्मत के प्रति उनके हितचिंतक होने को दर्शाता है।

इन बातों को जानने वाले का कर्तव्य क्या है?

आवश्यक है कि स्वयं भी डरे और इसमें पड़ने से बचे तथा दूसरों को भी डराए, किंतु व्यक्तिगत रूप से किसी पर हुक्म लगाने के पूर्व उलेमा तथा शरई अदालतों से संपर्क करना अति आवश्यक है।

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾﴾

तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ चुके हैं, जिनके ऊपर तुम्हें हानि पहूँचाने वाली चीजें बड़ी भारी गुजरती हैं, जो तुम्हारे (लाभ के) लिए लालयित (इच्छुक) रहते हैं, वह मोमिनों के प्रति अत्यंत करूणामय (उदार) तथा दयावान हैं। अब यदि वे मुँह मोड़ें तो कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य-प्रभु नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही बड़े सिंहासन का प्रभु है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली पहली बात

अल्लाह की ईबादत में किसी को साझी ठहराना, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ) (निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा, किंतु उससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा)। और दुसरे स्थान पर फरमाया: (إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ) (जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा, उसपर अल्लाह तआला ने जन्नत हराम करदी है, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं)। अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए जब्ह करना, जैसे वह लोग जो जिन्नातों (दानवों) या क़ब्र वालों के लिए बली चढाते हैं, यह भी शिर्क -ए- अकबर है।

शिर्क –ए- अकबर के भेद

बड़ा

लेखक का उद्देश्य यही (आश्य इसी से) है।

जिसका मतलब है कि: ये आस्था रखना कि अल्लाह के सिवा किसी और को भी ब्रह्मांड में हेर-फेर का या उसको लाभ-हानि का अधिकार है।

- इस्लामिक सीमा से बाहर कर देता है।
- सारे आमाल को बर्बाद कर देता है।
- जान व माल को हलाल कर देता, बशर्ते कि उसका कार्यान्वयन मुस्लिम शासक की ओर से हो।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण है।
- इसको शरीअत में शिर्क -ए- अकबर कहा गया हो।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (أل) हो।

छोटा:

जिसका मतलब है कि: ऐसी चीज को माध्यम बनाए जिसको अल्लाह ने माध्यम नहीं बनाया है, और इसी तरह वह हरेक चीज जो शिर्क -ए- अकबर तक पहूँचने का आधार बने, शिर्क -ए- अस़ग़र है।

- इस्लामिक सीमा से बाहर नहीं करता है।
- सारे आमाल को बर्बाद नहीं करता है।
- जान व माल को हलाल नहीं करता है।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण नहीं बनता है।
- इसको शरीअत में शिर्क -ए- अस़ग़र कहा गया हो।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (أل) दाखिल न हो।

क्या शिर्क -ए- अकबर माफ हो जाता है?

यदि कोई व्यक्ति शिर्क -ए- अकबर करते हुए मर जाए तो उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ) (निस्संदेह अल्लाह अपने संग साझी ठहराए जाने को कभी माफ नहीं करेगा), किंतु मरने से पहले यदि इससे तौबा करले तो माफ कर दिया जाएगा, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ) (कह दो, कि ऐ मेरे बन्दो, जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हों, निःसंदेह अल्लाह सारे ही गुनाहों को क्षमा कर देता है, निश्चय ही वह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है) और तौबा केवल उसी समय तक क़बूल होगी जबतक सूर्य पश्चिम से उदय न हो जिसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह परमान है: «**لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا**» (हिजरत उस समय तक समाप्त नहीं होगी जबतक तौबा का द्वार बंद नहीं होता, और तौबा का द्वार उस समय तक बंद नहीं हो सकता जबतक सूर्य पश्चिम से उदय न हो)। या मरणासन्न (मृत्युशैया पर) न होना, जैसाकि अल्लाह का यह फरमान है: (وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ) (ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ)।

मुहर्रमात (निषिद्ध की हुई वस्तु) के प्रकार

शिर्क -ए- अकबर
यह हराम कार्यों में सबसे बड़ा गुनाह है।

शिर्क -ए- अस़ग़र
यह शिर्क -ए- अकबर से छोटा तथा गुनाह -ए- कबीरा से बड़ा है।

गुनाह -ए- कबीरा
हरेक गुनाह जिसके करने पर विशेष दंड का प्रावधान हो, जैसे उसके करने वाले पर लानत भेजी गई हो, या उससे अलगाव की बात कही गई हो, या उसे काफरों व मुश्रिकों में गिना गया हो, या ऐसा कहा गया हो कि वह मुस्लिमों में से नहीं, या उसे घृणित पशु के समान कहा गया हो।

गुनाह -ए- स़ग़ीरा
हरेक गुनाह जिसको अल्लाह व उसके रसूल ने हराम किया हो किंतु उसपर किसी विशेष दण्ड का प्रावधान न हो।

संख्याः
इसकी कोई निश्चित संख्या तो नहीं है किंतु इसका आकलन उपर्युक्त नियम के अनुसार करेंगे।

गुनाह –ए- कबीरा के दोषी का हुक्म
- वह मोमिन है किंतु गुनाहे कबीरा करने के कारण कम ईमान वाला है, या वह अपने ईमान के कारण मोमिन है और गुनाहे कबीरा करने के कारण फ़ासिक़ है।
- ईमान के अनुपात में उससे प्रेम रखा जाएगा तथा गुनाहे कबीरा के अनुपात में उससे घृणा की जाएगी।
- गुनाहे कबीरा के समय उससे संबंध रखना उचित नहीं है।

श्रेणीः
इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसाकि नबी ﷺ ने फरमायाः «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ...».
गुनाह -ए- कबीरा में भी सबसे बड़े गुनाह)।

हुक्मः
गुनाह -ए- कबीरा के दोषी के लिए तौबा करना अनिवार्य है जैसाकि नबी ﷺ का फरमान हैः «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا...» (मातम करने वाली यदि अपने मृत्यु से पहले तौबा न करले), और दूसरी हदीस में हैः «... إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ...» (जब गुनाह -ए- कबीरा (बड़े गुनाहों) से बचें)।

ज़ब्ह़ के प्रकारः

अल्लाह के लिए ज़ब्ह़ करनाः
जैसे हज्ज, ईद अल-अज़्हा तथा अन्य सदक़ा व ख़ैरात के लिए ज़ब्ह़ करना।

ग़ैरुल्लाह के लिए सप्रेम तथा उसके महानता का भाव रखते हुए ज़ब्ह़ करना
(और यही लेखक -रहिमहुल्लाह- का आशय है)
जैसे जिन्नात तथा क़ब्र वालों के लिए ज़ब्ह़ करना, यह शिर्क -ए- अकबर है।

ऐसा ज़ब्ह़ जो जायज़ होः
अर्थात जो स्वयं के खाने, या अतिथि सत्कार अथवा व्यवसाय के लिए हो।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली दूसरी बात

जो अपने और अल्लाह के बीच किसी और को वास्ता और माध्यम बनाए, उनको पुकारे, उससे सिफारीश की प्रार्थना करे और उन पर भरोसा करे, तो वह सर्वसहमती के साथ काफिर है।

शिफाअत (सिफारिश) के भेद

जिसके करने पर केवल अल्लाह ही सक्षम हो

प्रमाणित सिफारिशः

जो केवल अल्लाह से माँगी जाएगी, और उसकी ये शर्तें हैः

१- सिफारिश के लिए अल्लाह की अनुमति।

२- शिफाअत करने वाले तथा

३- जिसकी शिफाअत की जा रही है दोनों से अल्लाह का प्रसन्न होना।

अप्रमाणित सिफारिशः

(लेखक का अभिप्राय यही है)

जिसको कुरआन ने नाजायज़ कहा है जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसके पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है।

यह बड़ा शिर्क है।

जिस को पूरा करने में मनुष्य सक्षम हो

इसकी चार शर्तें हैः

१- उपस्थित होना।

२- जीवित होना।

३- योग्य (सक्षम) होना।

४- सबब (माध्यम) मानना।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विशेष सिफारिश (का प्रावधान)

१- सर्वोत्तम सिफारिश

२- अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए सिफारिश।

३- जन्नत का द्वार खुलवाने के लिए सिफारिश।

आम सिफारिश जो अन्य नबी, रसूल, फरिश्तों, मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) और शिशुओं के लिए होगी।

१- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) के पद में उन्नति के लिए सिफारिश।

२- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) में से जिनलोगों के लिए जहन्नम में जाने का आदेश जारी हो चुका उनके लिए सिफारिश।

३- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) में से जो लोग जहन्नम में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए सिफारिश।

क्या किसी व्यक्ति का अपने मुस्लिम भाई से (मेरे लिए दुआ कर दीजिये) कहना सही है?

यदि ऐसा हीनता के भाव से परिपूर्ण होकर आवश्यकता पूर्ति के लिए कहा गया हो तो शिर्क -ए- अस़ग़र है, किंतु केवल दुआ की नीयत (इरादा) से कहा गया हो तो सही है, और किसी जीवित, उपस्थित तथा सक्षम व्यक्ति से उसको माध्यम मानकर दुआ के लिए कहना सही तो है लेकिन ऐसा न करना श्रेष्ठतर है।

तवक्कुलः

अल्लाह पर भरोसा करते हुए और जायज़ माध्यम अपनाते हुए उसी पर दृढ़ विश्वास रखना।

शिर्क -ए- अकबर है

यदि ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया जाए

(और यही लेखक का अभिप्राय है)

इबादत करते हुए और श्रद्धा-भाव के साथ भरोसा रखना।

यानी जिसपर भरोसा किया जा रहा हो पूरे तौर पर उसी पर दृढ़ विश्वास रखना, यह आस्था रखते हुए कि उसी के हाथ में लाभ-हानि है, जैसे मुर्दों पर भरोसा करना।

शिर्क -ए- अस़ग़र है

यदि आवश्यकता पूर्ति का भाव रखते हुए किसी जीवित पर भरोसा किया जाए, जैसे आजीविका की आशा में किसी में जीवित पर सबब (माध्यम) से भी ऊपर मान कर भरोसा करना।

जायज़ हैः

हीनता के भाव से ऊपर उठकर किसी को सुपुर्द किए गए कार्य में उसपर भरोसा करना, जैसे किसी व्यक्ति को क्रय-विक्रय में अपना वकील (प्रतिनिधि) बनाना।

क्या ये कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) सही है? या फिर क्या सही है?

ऐसा कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) सही नहीं है, क्योंकि यह हार्दिक कार्य है जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसे कहेः (मैंने अमूक व्यक्ति को अपना वकील बनाया, अर्थात अपना मामला उसके हवाले कर दिया) याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ सहाबी को अपने आम और निजी मामलों का वकील बनाया है।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली तीसरी बात

जो मुश्रिकों को काफिर न समझे अथवा उनके कुफ्र में संदेह करे,या उनके धर्म को सही कहे तो वह भी काफिर है।

इस्लाम में मुश्रिकों का हुक्मः

हरेक मुश्रिक जिसको नबी ﷺ की दावत पहूँची और वह उसपर ईमान न लाया हो तो वह काफिर है, क्योंकि अल्लाह का फरमान हैः (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ) (जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई और दीन (धर्म) तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आख़िरत में वह घाटा उठाने वालों में से होगा)।

क्या अहल -ए- किताब (यहूदी व ईसाई) को मुश्रिक माना जाएगा?

हां, वह अहले किताब जो नबी ﷺ पर ईमान नहीं लाए वह मुश्रिक माने जाएंगे, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः (قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ) (वे किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न अंतिम दिन पर और न अल्लाह और उसके रसूल के ह़राम ठहराए हुए को ह़राम ठहराते हैं और न सत्यधर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर और छोटे (अधीनस्थ) बनकर जिज़्या देने लगें)। और नबी ﷺ का फरमान हैः (उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे बारे में किसी यहूदी या ईसाई को ख़बर पहूँचे फिर भी मेरी रिसालत पर ईमान लाए बिना मर जाए तो वह जहन्नमी है)।

तो क्या इसका यह मतलब है कि हम उनके साथ वादा ख़िलाफी करें?

किसी के साथ किए गए वादा को पूरा करना ज़रूरी है ताकि हम अल्लाह के मुहब्बत के हकदार बन सकें, अल्लाह का यह फरमान हैः (فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ)(जब तक वह तुमसे वादा निभाएं तुम भी उनसे वफादारी करो, निश्चय ही परहेज़गार लोग अल्लाह को प्रिय हैं)। मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के संग मामला रखने में लोगों के तीन प्रकार हैः

एक तो वह जो उनके त्योहारों, उनकी बैठकों तथा धार्मिक धारणाओं में सम्मिलि होते हैं।

दूसरे वो लोग जो क़त्ल, लूट-मार, धोखा और मारपीट के द्वारा अत्याचार करते हैं।

इनमें सबसे बेहतर बीच वालें हैं जो अहले -ए- सुन्नत व अल-जमात का तरीका है, कि हम उनके त्योहारों, उनकी बैठकों तथा धार्मिक धारणाओं में शिरकत नहीं करेंगे, किंतु उनसे किए हुए वादा को पूरा करेंगे, और अत्याचार न करके उनके साथ लेन-देन करेंगे तथा उनको तौहीद की दावत देंगे।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली चौथी बात

जो यह विश्वास रखे कि नबी ﷺ के तरीक़े से किसी अन्य का तरीका अधिक परिपूर्ण, या किसी और का फैसला आपके फैसले से बेहतर है -जैसे वह लोग जो शैतानी नियमों और व्यवस्थाओं को आप की शरीअत पर प्रधानता देते हैं- तो वह भी काफिर है।

अल्लाह की उतारी हुई शरीअत के विरुद्ध फैसला करने के प्रकारः

शैतानी नियमों और सांसारिक व्यवस्थाओं को अल्लाह के हुक्म पर प्रधानता दे, यह आस्था रखते हुए कि अल्लाह तआला का हुक्म अनुचित है, तो ऐसा अक़ीदा रखने वाला काफिर और इस्लामी सीमा से बाहर है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (اتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ) (उन्होंने अल्लाह से हटकर अपने धर्मज्ञाताओं और संसार-त्यागी संतों को अपना रब बना लिया है)।

यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह के हुक्म का पालन अनिवार्य है और वही संसार तथा उसमें बसने वाले जीवों के लिए अधिक उप्युक्त है, किंतु ताग़ूती (शैतानी) व्यवस्थाओं को सांसारिक लाभ के मोह या पद इत्यादि की लालसा में प्राथमिकता दे तो यह (बड़े) कुफ़्र के अतिरिक्त कुफ़्र है, अर्थात कुफ़्र -ए- अस़ग़र और फिस्क़ है, और ऐसे फैसले के द्वारा यदि किसी मुसलमान का अधिकार छीन (हक हथिया) ले तो वह अत्याचारी है और संभव है कि वह कुफ़्र -ए- अकबर में प्रवेश कर जाए और इस्लामी सीमा से बाहर निकल जाए।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली पाँचवी बात

जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत से घृणा करे तो वह काफिर है,चाहे वह उस पर कार्यरत ही क्यों न हो अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उस पर अमल ही क्यों न कर रहा हो।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली इस बात की दलीलेः

अल्लाह तआला का यह फरमानः (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ) (यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने अवतरित किया, तो अल्लाह ने उनके कर्म अकारथ कर दिए)।

और यह फरमानः (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا) (तो तुम्हें तेरे रब की क़सम, वो ईमानवोले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में ये आपसे फैसला न कराएँ, फिर जो फैसला आप कर दें, उसपर ये अपने दिलों में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह मान लें)।

और यह फरमानः (فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (सो जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में पड़ा रहने देना चाहता है, उसके सीने को तंग और भिंचा हुआ कर देता है, मानो वह आकाश में चढ़ रहा है, इस तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है, जो ईमान नहीं लाते)।

अल्लाह ही के लिए प्रेम रखना तथा घृणा करनाः

अल्लाह ही के लिए प्रेम रखना तथा घृणा करना, दीन के वाजिबात में से है, बल्कि यह ईमान की मज़बूत रस्सियों में से है।

अल्लाह के लिए किन चीजों से प्रेम रखना वाजिब है?

अमल से:	अमल करने वालों से:	समय से:	स्थान से:
जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, और वह प्रत्येक वह चीज है जिसको अल्लाह ने शरीअत के तौर पर उतारा है।	जैसे नबी, रसूल, फरिश्ते, सहाबी और मुवह्हिद (एकेश्वरवादी)।	जिन्हें अल्लाह पसन्द करता है, जैसे शबे क़द्र और रात का तीसरा पहर।	जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जैसे मक्का व मदीना।

अल्लाह के लिए किन चीजों से घृणा करना वाजिब है?

अमल से:	अमल करने वालों से:	समय से:	स्थान से:
जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, और वह प्रत्येक वह चीज है जिसको करने से अल्लाह ने रोका है जैसे शिर्क।	जैसे मुश्रिकीन, मुनाफीक़ीन और शैतान।	जिन्हें अल्लाह नापसन्द करता है, जैसे प्रत्येक वह समय जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा की जाती है, जैसे सूर्य पूजन का समय।	जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है, जैसे शिर्क किए जाने वाले स्थान।

क्या महिला का एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) को नापसंद करना कुफ्र है?

सच्चाई यह है कि महिला शरई हुक्म का इंकार नहीं करती है, लेकिन अपने पति के लिए एक से अधिक विवाह करने को नापसंद करती है, अतः इसपर उसकी निंदा नहीं की जाएगी।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली छठी बात

जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे दीन अथवा अल्लाह के सवाब (पुण्य) या अज़ाब (दण्ड) का उपहास उड़ाए, वह काफिर है जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ) (हे नबी, आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह, उसकी आयतें और उसके रसूल ही हँसी-मज़ाक़ के लिए रह गए हैं, बहाने न बनाओ. तम अपने ईमान के पश्चात काफिर हो गए)।

इस्तिहज़ा करने (उपहास उड़ाने) वाला

इसका अर्थ व हुक्मः

इस्तिहज़ा अर्थात मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने वाला और गाली देने वाला काफिर और इस्लामी सीमा से खारिज तथा सदा के लिए जहन्नमी है, अल्लाह हमें इस से बचाए।

किंतु वह जो गालियां सुन रहा हो तो उस पर वाजिब है कि उसका इंकार करे या मज्लिस से निकल जाए, अन्यथा बिना इंकार किए सुनने, देखने और बयान करने वाले सब काफिर हैं, जैसाकी अल्लाह का फरमान है: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) वह "किताब" में तुमपर यह हुक्म उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इंकार किया जा रहा है और उसका उपहास किया जा रहा है, तो जब तक वे किसी दूसरी बात में न लग जाएँ, उनके साथ न बैठो, अन्यथा तुम भी उन्हीं के जैसे होगे।

तौबा क़बूल होने की शर्तेः

- अल्लाह की ऐसी प्रशंसा करे जो उसके लायक हो।
- उपहास के तौर पर कही गई बात से अपने आपको अलग करे।
- तौबा का प्रभाव तथा उसकी सच्चाई उसके हाव-भाव से प्रतीत हो व दिखाई दे।

लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाले व्यक्ति को अपने समय का हुक्मरां (शासक) क़त्ल करेगा, और यदि वह अपने तौबा में सच्चा है तो अल्लाह उसके तौबा को कबूल करेगा।

क्या ऐसी बात-चीत जिसमें गाली का संदेह हो, कुफ़्र है?

उसको उपदेश दिया जाएगा, यदि तौबा करले तो ठीक है अन्यथा उसका मामला उलेमा तथा शरई अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली सातवीं बात

जादू करना, चाहे दिलों को फेरना (घृणा पैदा करके) हो या मिलान (प्रेम-भाव) पैदा करना, जो ऐसा करे या ऐसा करने वाले से सहमत हो तो वह काफिर है, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) (वह दोनों किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ्र न कर)।

जादू करना

उसका हुक्मः

जादू करना कुफ्र -ए-अकबर है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) (वह दोनों किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ्र न कर)।

जादूगर की निशानियां एवं लक्षण

- शरई झाड़-फूँक के शर्तों का विरोध करना। अधूरे शब्द तथा निरर्थ वाक्य लिखना।
- सितारों की चाल (राशिफल बतलाना), हाथ की रेखाएं और प्याली पढकर किस्मत का हाल बताना।
- गिरह लगाकर उसमें फूँकना। दिलों को फेरने या जोड़ने के लिए अमल करना।
- रोगी को शरीअत के विरुद्ध के कार्य करने की आज्ञा देना, जैसे हराम कार्य करने, या नमाज़ छोड़ने अथवा बिना बिस्मिल्लाह किए जानवर ज़ब्ह करने के लिए कहना।
- माँ का नाम पता करना।
- ग़ैब जानने का दावा करना।

जादूगर के पास जाना और उसका हुक्मः

जादूगर के पास जाने का अर्थ है कि उसके पास बैठे या किसी और को उसके पास भेजे या उससे पत्राचार करे, या ऐसे चैनल, वेबसाइट देखे और पत्रिका पढे, जिसमें राशिफल या जादू के विषय में लिखा गया हो या हाथ की लकीरें और प्याली पढ कर किस्मत का हाल बताए।

जादूगर के पास जाने का हुक्म यह है कि उसकी चालीस दिन तक नमाज़ मक़बूल नहीं होती जैसाकि हदीस में आया है, लेकिन जो व्यक्ति उसकी बातों को सच माने, उसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैः "जो किसी ज्योतिषी के पास आए और उसको सच माने तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारी गई शरीअत का इंकार किया", किंतु इस चेतावनी में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो उसके पास इंकार की नीयत से जाए तथा वह ऐसा करने में सक्षम हो।

नुशरहः (कहते हैं)
जादू का इलाज करना (को), और इसके दो प्रकार हैः

जायज़ तरीकाः
शरई झाड़-फूँक, जायज़ औषधि और साबित दुआओं के द्वारा उपचार करना।

नाजायज़ तरीकाः
जादू के द्वारा उपचार करना, इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैः «إِنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» ये शैतानी कार्य

जादू का इलाज जादू से करने को जायज़ कहने वालों पर रद्दः

१- जादू का इलाज जादू से करना, कुरआन व हदीस, सहाबी और सलफ के तरीकों के विरुद्ध है।

२- इसमें कुरआन करीम और साबित दुआओं के द्वार उपचार करने की महत्ता को कम करना है।

३- इसमें जादू व जादूगरों का प्रोत्साहन तथा लोगों की दृष्टि में उसे प्रतिष्ठित बनाना है।

४- इसमें कुरआन और साबित दुआओं के द्वारा सुनिश्चित उपचार से, जादू जैसे संभावित उपचार की ओर फेरना है।

५- जादू का उपचार जादू से करने के लिए आवश्यक है कि जादूगर तथा रोगी (मोहित) दोनों शैतान का सामीप्य उसकी मनपसंद वस्तुओं के द्वारा हासिल करें, ताकि वह रोगी से जादू के प्रभाव को समाप्त कर दे।

६- जादू का रोगी (मोहित) यदि सब्र करे तो उसके लिए जन्नत है जैसाकि यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है।

७- जादू का उपचार जादू से करने में मोहित के ऊपर फिर से जादू का बोझ डालना है।

८- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, किंतु आपने उसका उपचार जादू से करने की जगह शरई झाड़-फूँक से किया।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली आठवीं बात

मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों का समर्थन और उनकी सहायता करना, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ) (तुम में से जो भी उन में से किसी से मित्रता करे वह निःसंदेह उन्हीं में से है, अत्याचार करने वालों को अल्लाह तआला कदापि मार्गदर्शन नहीं करता)।

मुसलमानों कि विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता करना:

मुसलमानों के ऊपर वाजिब है कि वह मुश्रिकीन तथा उनके धर्म से बराअत (अलगाव) जाहिर करें, और मुवह्हदीन से मैत्री तथा मेलजोल रखें, और जिसने भी कुफ्र को पसंद किया या उससे सहमत हुआ या उसपर किसी काफिर व मुश्रिक की सहायता की तो वह काफिर और इस्लामी सीमा से खारिज है।

सारांश यह है कि मुस्लिमों के विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता करने के दो प्रकार हैं:

कुफ्र व रिद्दत (इस्लाम से फिर जाना) है:

मुश्रिकों से प्रेम तथा मुस्लिमों से घृणा करते हुए मुस्लिमों के विरुद्ध मुश्रिकों के वर्चस्व की कामना करते हुए सहायता करना।

कुफ्र व रिद्दत (इस्लाम से फिर जाना) नहीं है:

ऐसा करना मुश्रिकों से प्रेम तथा मुस्लिमों से घृणा के कारण न हो बल्कि किसी सांसारिक लाभ के मोह में हो।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली नौवीं बात

जो यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं है, जैसाकि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत का पाबंद रहना ज़रूरी नहीं था, तो वह काफिर है।

जो यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं हैः उलेमा के बीच आम सहमती है कि ऐसा करने वाला काफिर और मिल्लते इस्लाम से खारिज है, उससे तौबा करने को कहा जाएगा और उसके समक्ष दलील पेश किया जाएगा, यदि तौबा करले तो ठीक अन्यथा क़त्ल कर दिया जाएगा।

जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ (आप कहिए, ऐ लोगों मैं तुम सबकी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः «لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي» (यदि मेरे भाई मूसा भी जीवित होते तो उन्हें भी मेरा अनुसरण करना पड़ता)।

और ऐसा ही मामला उन यहूदी व ईसाईयों के साथ किया जाएगा जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत पहूँची हो।

क्या वास्तव में ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के अधीन नहीं थे? ऐसा दलील से साबित नहीं है, और यदि साबित हो भी तो हो सकता है कि उनकी शरीअत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत से अलग रही हो, जैसाकि उस युग में नबी विशेषतः अपने समुदाय के लिए भेजे जाते थे, जब्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सारे संसार के लिए भेजे गए हैं, अतः उनकी लाई हुई शरीअत का पालन करना हरेक के लिए अनिवार्य है जिसका कोई इंकार नहीं कर सकता।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली दसवीं बात

अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना, कि न उसे सीखे और न उसपर अमल करे, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (उससे बड़ा अत्याचारी कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से उपदेश दिया गया, फिर भी उसने मुख फेर लिया, निश्चय ही हम भी पापियों से प्रतिशोध लेने वाले हैं)।

अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (अल्लाह तआला जिसके संग भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है)। और जिसके संग भलाई नहीं करना चाहता उसे दीनी शिक्षा से लापरवाह बना देता है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (और उस व्यक्ति से बढकर अत्याचारी कोन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए, फिर वह उनसे मुँह फेर ले, निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे)। और गुनहगार लोग ही जहन्नमी होंगे।

-والعياذ بالله- (हम इससे अल्लाह की शरण चाहते हैं)

विमुखता प्रकट करने वालों का हुक्म:

जिसने सुनने से विमुखता प्रकट की और न ही दिल से उसको सच्चा या झूठा माना, न मित्रता दिखलाई न ही शत्रुता और न ही उसकी कोई परवाह की तो वह काफिर और मिल्लते इस्लाम से खारिज है, जैसाकि अल्लाह का फरमान है: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا) (और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की ओर जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूल की ओर तो आप मुनाफ़िकों (कपटाचारियों) को देखते हैं कि वे आपसे कतरा कर रह जाते हैं)।

और दूसरे स्थान पर फरमाया: (وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) (और जो कोई अपने रब की याद से कतराएगा, तो वह उसे कठोर यातना में डाल देगा)।

समाप्ति

इस्लाम से निष्कासित करने वाली उपर्युक्त बातों का करने वाला चाहे इसे मज़ाक़ में करे, या गम्भीर होकर या डर कर, उसे इस्लाम से निष्कासित माना जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया हो। और ये समस्त अति भयंकर और बहुधा घटित होने वाली हैं, अतः मुसलमान को चाहिए कि इससे सावधान रहे और इसमें पड़ जाने से डरता रहे। हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक यातना से पनाह माँगते हैं। وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

निष्कासित करने वाली इन बातों के बीच कोई अंतर नहीं है, चाहे ऐसा करने वालाः

भयभीत होः
यानी ऐसा करने वाला झूठा दावा करे कि उसने धन-दौलत या पद में हानि के डर से ऐसा किया है हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसाकि अल्लाह का फरमान हैः ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾(कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि "हम अल्लाह पर ईमान लाए", किंतु जब अल्लाह के मामले में वे सताए गए तो उन्होंने लोगों की ओर से आई हुई आज़माइश को अल्लाह की यातना समझ लिया, अब यदि तेरे रब की ओर से सहायता पहूँच गई तो कहेंगे, हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या जो कुछ दुनियावालों के सीनों में है उसे अल्लाह भली-भाँति नहीं जानता?)

गंभीर होकरः
यानी निष्कासित करने वाली इन बातों में किसी बात को जानबूझकर बिना किसी दबाव के अंजाम दे।

मजाक में करेः
यानी निष्कासित करने वाली इन बातों में से किसी बात को अंजाम देने के पश्चात कहे कि मैंने ऐसा मजाक में किया है।

ज़बरदस्ती (बाध्यता, विवशता)

जिस व्यक्ति को निष्कासित करने वाली इन बातों में किसी बात के करने पर विवश किया गया हो तो वह काफिर नहीं होगा, किंतु इस विवशता के कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित हैः

१- उस को सच में विवश किया गया हो, अतः जिसको विवश नहीं किया गया हो उसको इसमें से नहीं समझा जाएगा जैसे भयभीत या चापलूस।

२- जिसके करने पर बाधित किया गया हो उससे आगे न बढे, उदाहरणस्वरुप उसको केवल एक बात करने पर विवश किया गया था किंतु उसने एक से अधिक को अंजाम दिया तो ऐसा करने वाला काफिर है क्योंकि उसे केवल एक के लिए विवश किया गया था।

३- हरसंभव स्पष्ट रुप से ऐसा करने से बचे।

४- ऐसा केवल ज़ुबान से करे जब्कि उसका दिल ईमान से भरा हुआ हो।

५- जिस चीज के करने पर विवश किया गया हो उसका प्रभाव दूसरों पर न पड़ता हो और न ही उसका संबंध फसाद व लोगों की गुमराही से हो।

कुछ आवश्यक बातेः

पहली बातः लेखक महोदय का उद्देश्य इस पुस्तक के द्वारा लोगों को काफिर करार देना नहीं है, बल्कि इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों के ऊपर पुस्तिका इस लिए लिखी है कि लोग इसको जानें तथा ऐसा करने से बचें, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो और उनको कष्टदायक यातना से छुटकारा मिले, साथ ही साथ दूसरों को भी इनसे बचने के लिए कहें, क्योंकि यह अत्यंत भयंकर मामला है जिसको जानना तथा उससे बचना अति आवश्यक है।

दुसरी बातः शरई ज्ञान अर्जित करके ही शिर्क से बचना संभव है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» अल्लाह तआला जिसके संग भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है, अतः दीन की समझ अर्जित करना अति महत्वपूर्ण वाजिबात में से है, जिनके द्वारा मानव शिर्क (बहुदेववादिता), बिदअत (नवाचार) और गुनाहों (पापों) से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जितना अधिक व्यक्ति अपने रब के विषय में ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही वह अपने हाव-भाव और क्रियाकलाप तथा गतिविधि में अपने रब की निगरानी का ध्यान रखेगा, और जितना ज्यादा उसके ज्ञान में गहराई होगी उतना ही उसके दिल में अल्लाह के प्रति निष्ठा पैदा होगी तथा उसका ईमान पूर्ण होगा, कुछ उलेमा का कहना है किः "हमने सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए इल्म हासिल करना शुरू किया था किंतु अल्लाह ने उसमें इख़लास (निष्ठा) पैदा कर दिया"।

तीसरी बातः इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों में किसी बात का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति विशेष को काफिर कहना कदापि जायज़ नहीं जब तक कि हुज्जत क़ायम न हो जाए तथा काफिर करार देने वाली बातों में किसी प्रकार का कोई संदेह न हो, लेकिन इसके बावजूद किसी को व्यक्तिगत रूप से काफिर करार देने का अधिकार केवल मुस्लिम शासक या मुस्लिम क़ाज़ी को ही है न कि आम लोगों को।

चौथी बातः लेखक रहिमहुल्लाह ने इस पुस्तिका को इस दुआ के द्वारा समाप्त किया हैः (نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأَلِيمِ عِقَابِهِ) (हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक यातना से पनाह माँगते हैं)। जोकि पाठक के प्रति उनके करूणा तथा हितचिंतक होने को दर्शाता है, और उनका यही तरीका उनकी सभी पुस्तकों में मौजूद है, अल्लाह उनको माफ करे और बेहतर बदला दे।

आमीन

स्वयं को परखें

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखेः

१- उलेमा अपनी पुस्तकों का प्रारंभ बिस्मिल्लाह से क्यों करते हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

४- .....

२- इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें क्या हैं?

.....

.....

३- उलेमा इसे कभी नवाक़िज़ तो कभी मुफ्सिदात तो कभी मुबत़िलात -ए- इस्लाम क्यों लिखते हैं?

.....

.....

४- क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों पर सभी उलेमा सहमत हैं?

.....

.....

५- इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों की?

- गिनती संभव है - ये असंख्य हैं - संक्षिप्त रुप से गिनना संभव है, किंतु इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है।

६- लेखक महोदय ने दस ही का उल्लेख क्यों किया है?

.....

.....

७- जब हम क़ुरआन व ह़दीस में किसी अंक का उल्लेख हो तो इसका अर्थ है कि वही अंक अपेक्षित है यानी उस अंक पर कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जाएगा?

.....

.....

८- कभी-कभी अंक का उल्लेख क्यों किया जाता है जब्कि वह अपेक्षित नहीं होता है?

.....

.....

९- उदाहरणस्वरुप एक अंक का उल्लेख करें जो शरीअत में अपेक्षित हो।

.....

.....

१०- उदाहरणस्वरुप एक अंक का उल्लेख करें जो शरीअत में अपेक्षित न हो।

.....

.....

११- इस्लाम से निष्कासित करने वाली दस बातों के ऊपर वृद्धि करने के विषय में लेखक की क्या राय है?

.....

.....

१२- उनके द्वारा उल्लेखित किस वाक्य से यह मतलब निकलता है?

.....

.....

१३- क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का गिनना संभव है?

.....

.....

१४- निष्कासित करने वाली इन बातों को कैसे गिना जाएगा?

१-.....

२- .....

३- .....

४- .....

१५- इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातों का जानना क्यों आवश्यक है?

.....

.....

१६- निष्कासित करने वाली बातों से संबंधित किसी ने लेखक से पहले पुस्तक लिखी है?

.....

.....

१७- क्या इस्लाम से निष्कासित करने वाली इन बातों में क्रिया तथा कारक के मध्य अंतर किया जाएगा?

.....

.....

१८- अंतर करने का कारण क्या है?

.....

.....

१९- क्या लेखक रहिमहुल्लाह का अद्देश्य व्यक्ति विशेष को काफिर कहना है?

.....

.....

२०- इन बातों को जानने वाले का कर्तव्य क्या है?

.....

.....

२१- लेखक का आश्य किस प्रकार का शिर्क है?

.....

.....

२२- हम शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र में कैसे अंतर करेंगे?

.....

.....

२३- क्या शिर्क -ए- अकबर माफ हो जाता है? और यह कब माफ नहीं होता?

.....

.....

२४- शिर्क -ए- अस़ग़र और कबीरा गुनाह, दोनों में से बड़ा गुनाह कौनसा है?

.....

.....

२५- कबीरा गुनाह का मापदंड क्या है?

.....

.....

२६- क्या कबीरा गुनाह की कोई संख्या निर्धारित है?

.....

.....

२७- गुनाह -ए- कबीरा के दोषी का क्या हुक्म है? और उनसे प्रेम रखा जाएगा अथवा घृणा की जाएगी?

.....

.....

२८- क्या गुनाह -ए- कबीरा के दोषी के साथ संबंध रखा जाएगा?

.....

.....

२९- क्या गुनाह -ए- कबीरा की विभीन्न श्रेणियाँ हैं? इसकी क्या दलील है?

.....

.....

३०- कबीरा गुनाह के दोषी के लिए तौबा करना आवश्यक है? या यह सुकर्म करने से स्वतः समाप्त हो जाता है?

.....

.....

३१- मुहर्रमात (वर्जनाओं, हराम (निषिद्ध) की हुई वस्तु) के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

३२- शिर्क -ए- अकबर के कितने प्रकार हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

३३- ज़ब्ह़ के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

३४- ज़ब्ह़ करना शिर्क -ए- अकबर कब होगा?

.....

.....

३५- शिफाअत (सिफारिश) के कितने भेद हैं?

.....

.....

३६- तवक्कुल के कितने प्रकार हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

३८- क्या ये कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किय) सही है?

- सही है। – सही नहीं है।

३९- किस प्रकार कहना सही है?

.....

.....

४०- मुश्रिकीन के शिर्क की क्या दलील है? क्या इसमें अहल -ए- किताब (यहूदी व ईसाई) भी शामिल हैं?

.....

.....

४१- क्या इसका यह मतलब है कि हम उनके साथ वादा ख़िलाफी करें?

.....

.....

४२- मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के संग मामला रखने में लोगों के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

४३- अल्लाह की उतारी हुई शरीअत के विरुद्ध फैसला करने के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

४४- अल्लाह ही के लिए प्रेम रखने का क्या हुक्म है?

.....

.....

४५- अल्लाह ही के लिए किन चीजों से प्रेम रखना तथा किन चीजों से घृणा करना वाजिब है?

.....

.....

४६- इस्तिहज़ा करने (उपहास उड़ाने) वाला किस क़िस्म में गिना जाएगा?

.....

.....

४७- क्या उपहास उड़ाने वाले के लिए तौबा है? उसकी क्या शर्तें हैं?

१- .....

२- .....

३- .....

४८- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाले का क्या हुक्म है?

.....

.....

४९- जो गालियां (अपशब्द) सुन रहा हो उसका क्या हुक्म है? उसको क्या करना चाहिए?

.....

.....

५०- जादूगर के काफिर होना की क्या दलील है?

.....

.....

५१- जादूगर की क्या निशानियाँ एवं लक्षण हैं?

.....

.....

५२- जादूगर के पास जाने का क्या हुक्म है?

.....

.....

५३- जादूगर के पास जाने का क्या अर्थ है?

.....

.....

५४- नुशरह के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

५५- जादू का इलाज जादू से करने को जायज़ कहने वालों पर कैसे रद्द करेंगे?

१- .....

२- .....

३- .....

४- .....

५- .....

६- .....

७- .....

८- .....

५६- मुसलमानों कि विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता करने का क्या हुक्म है?

.....

.....

५७- क्या कोई ऐसा भी है जिसके लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीअत की पाबंदी अनिवार्य नहीं है?

.....

.....

५८- क्या ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के पाबंद नहीं थे?

.....

.....

५९- अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करने का क्या हुक्म है?

.....

.....

६०- लेखक महोदय के शब्दों में "भयभीत" का क्या अर्थ है? क्या इससे तात्पर्य वह व्यक्ति है जिस को विवश किया गया हो?

.....

.....

६१- विवशता की क्या शर्तें हैं?

.....

.....

६२- लेखक रहिमहुल्लाह ने इस पुस्तिका को दुआ के द्वारा क्यों समाप्त किया है?

.....

.....

६३- मुसलमान अपने आपको शिर्क से कैसे बचा कर रखें?

.....

.....

مترجم إلى اللغة الهندية





www.attasseel-alelmi.com



Attasseelalelmi1



Attassee.alelmi



Attasseel



Attasseelalelmi1



Attasseelalem



التَّقْسِيمُ وَالتَّقْعِيدُ لِلْقَوْلِ الْمُفِيدِ

अल-क़ौल अल-मुफ़ीद का
विभाजीय एवं नियमक रूपांतरण

लेखकः

शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान मस्जिद -ए- नबवी व महा प्रबंधक "अत्तासील अल-इल्मी डॉट कॉम"

http://attasseel-alelmi.com

हिंदी अनुवादः

साबिर हुसैन मुहम्मद मोजीबुर रहमान

[रिसर्च स्कॉलर, इस्लामिक यूनिवर्सिटि, मदीना मुनव्वरा]

प्रथम संस्करण

सभी अधिकार सुरक्षित हैं

मुफ्त वितरण के लिये लेखक के पुनरावलोकन पश्चात इसके अनुवाद अथवा मुद्रण की पूर्ण अनुमति है।

निम्नांकित ईमेल पर संपर्क करें :

islamtorrent@gmail.com

sabirhussainzamanwi@gmail.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إنَّ الحَمدَ لله نَحمَدُه و نستعينهُ ونَستغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادِيَ له، وأشهَد أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شَريك له، وأشهَد أنَّ محمَّدا عبدُه ورسولُه ﷺ، أمَّا بعد:

चंद सिद्धांत पुस्तक आरंभ करने के पूर्व जिनके बारे में जानना आवश्यक है।

(1) छात्रों को पठन आरंभ करने के पूर्व मत्न (मूल पुस्तक) को कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए, जैसाकि प्रचलित मुहावरा है: (कंठस्थ करो क्योंकि सभी इमाम एवं बड़े विद्वान कंठस्थ करने वाले थे)।

(2) प्रत्येक आयत से दलील पकड़ने की वजह जानना, तथा बाब (अध्याय) में उल्लेख करने का कारण जानना।

(3) प्रत्येक बाब (अध्याय) का किताबुत तौहीद से संबंध, तथा उस अध्याय में जिक्र करने का सबब जानना, ताकि उसका पुस्तक से संबंध मालूम हो।

(4) इस पुस्तक की व्याख्या करते समय इस पुस्तक की व्याख्या करने वाली पुस्तकों में से एक ही पुस्तक शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह द्वारा रचित "अल-क़ौल अल-मुफ़ीद" पर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे, और जब हम इससे फारिग़ हो जाएंगे तब दूसरी पुस्तकों का रुख़ करेंगे ताकि सभी जानकारियां एक-दूसरे में गडमड हो कर न रह जाए।

हम यह पुस्तक क्यों पढ़ें ?

(१) क्योंकि रब्बानी उलेमा ने इसे पढ़ने की नसीहत की है। (२) क्योंकि यह इस विषय में लिखी गई सबसे उत्तम पुस्तकों में से एक है। (३) क्योंकि लेखक रहिमहुल्लाह ने विरोधियों की हुज्जत का बड़ा सार्थक उत्तर दिया है और उनके संश्यों का रद्द दलीलों के साथ किया है। (४) अल्लाह तआला ने इस पुस्तक को बड़ी लोकप्रियता दी है। (५) उलेमा ने इसे कंठस्थ करने एवं समझने की नसीहत की है। (६) पुस्तक की उत्तम तरतीब व क्रम। (७) उलेमा का इस किताब के पठन में रुचि लेना तथा इसके व्याख्या की अधिकता। (८) क्योंकि इस पुस्तक में क़ुरआन व ह़दीस़ से दी गई दलीलों की भरमार है। (९) इसके वाक्यों की सरलता। (१०) उलेमा ने इस पुस्तक के लेखक के सही एतक़ाद (आस्था), प्रचंड ज्ञान एवं प्रबुद्धता की गवाही दी है। (११) क्योंकि इस पुस्क में तौहीद -ए- रुबूबियत एवं तौहीद -ए- असमा व सिफात के उल्लेख के साथ-साथ, तौहीद -ए- उबूदियत में सर्वाधिक दोष पाए जाने के कारण इस विषय का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। (१२) क्योंकि लेखक ने इस पुस्तक में सलफ़ का ढ़ंग अपनाया है, उन्होंने भी इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह की "स़ह़ीह़ बुख़ारी" की तरह अपनी ओर से इस पुस्तक में कुछ भी जिक्र नहीं किया है।

"किताबुत तौहीद" के अध्यायों का सारांश (६७ अध्याय)

किसी भी पुस्तक को आरंभ करने के पूर्व उसका प्राक्कथन एवं विषय सूची पढ़ लेना चाहिए ताकि पुस्तक का विषय, लेखनी का तरीका और पुस्तक का एक मुकम्मल ख़ाका दिमाग़ में आ जाए, हम इस पुस्तक को दस भागों में विभाजित कर सकते हैं।

पहला भाग: प्राक्कथन (५ अध्याय)

(१) (इस अध्याय के लिए कोई शीर्षक नहीं लगाया है जोकि तौहीद के वाजिब होने के अध्याय है)

इस अध्याय को यह बताने के लिए लाए हैं कि तौहीद सर्वोपरि तथा वाजिबात में सबसे बड़ा वाजिब है, क्योंकि नबियों की दावत यही रही है।

(२) तौहीद की प्रधानता और यह की वह पापों को मिटा देने का कारण है।

इस अध्याय को रुचि पैदा करने तथा यह बताने के लिए लाए हैं कि किसी अमल की फ़ज़ीलत का ज़िक्र करना उसके वाजिब न होने की दलील नहीं है, और इसलिए भी कि बहुत से लोग तौहीद के पठन-पाठन से लोगों को दूर करने में लगे हुए हैं।

(३) जो वास्तविक तौहीद अपनाएगा वह बिना हिसाब के जन्नत में प्रवेश पाएगा।

यह अध्याय शिर्क (अनेकेश्वरवाद), बिदअत (नवाचार) एवं गुनाहों (कुकर्मों) से तौहीद को विशुद्ध करने का है, अतः तौहीद के वाजिब होने और उसकी फ़ज़ीलत का उल्लेख करने के पश्चात इस अध्याय का लाना बिल्कुल उपयुक्त है।

(४) शिर्क (अनेकेश्वरवाद) से डरने का अध्याय

जो तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाना चाहता है उसके लिए अपरिहार्य है कि वह स्वंय के तथा दूसरो के शिर्क में पड़ जाने से डरता रहे, क्योंकि कभी-कभी इंसान सोचता है कि उसने तौहीद को वास्तविक रूप में अपना लिया है जब्कि ऐसा होता नहीं है, इस अध्याय के पश्चात जो भी अध्याय हैं वह इसी के पूरक हैं, उदाहरणस्वरूप शिर्क से डरने का अध्याय इसी तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने का एक भाग मात्र है।

(५) लाइलाहा इल्लल्लाह (अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं) की गवाही के लिए लोगों को दावत देना

1- इस अध्याय का उल्लेख -बाक़ी अल्लाह बेहतर जानता है- दो कारणों से किया है:
जो तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाना चाहता है उसके लिए अपरिहार्य है कि वह लोगों को उसकी दावत दे जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके पैरोकारों (अनुसरणकर्ताओं) ने किया है।

2- यह उन पर रद्द है जो कहते हैं कि सर्वप्रथम नमाज़ की दावत दी जाएगी।

दूसरा भाग: तौहीद की तफ्सीर एवं व्याख्या (९ अध्याय)

(६) तौहीद की तफ्सीर और लाइलाहा इल्लल्लाह की गवाही का अर्थ

तौहीद के वाजिब होने, उसमें रुचि पैदा करने, तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने, उसके उलट चीज़ों से डरने, उसकी ओर दावत देने का जब उल्लेख कर चुके तो मुनासिब यही था कि यहाँ से लेकर अंत तक तौहीद की तफ्सीर एवं व्याख्या की जाए।

(७) बला या मुसीबत दूर करने के लिए छल्ला या धागा इत्यादि पहनना शिर्क है।

यह तौहीद के उलट चीज़ों का ज्ञान अर्जित करने के द्वारा तौहीद की तफ्सीर एवं व्याख्या है।

(८) ताबीज़ों तथा मंत्रों का बयान

इसके द्वारा ताबीज़ों तथा मंत्रों की व्याख्या व तफ्सीर बयान की है जोकि तौहीद के विपरीत है।

(९) किसी पेड़ या पत्थर इत्यादि को मुबारक (शुभ व मंगलकारी) समझना

इसके द्वारा निषिद्ध तबर्रुक (किसी वस्तु को शुभ-मंगल समझना) की व्याख्या व तफ्सीर बयान की है जोकि तौहीद के उलट (विरुद्ध) चीज़ है।

(१०) ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का बयान

लेखक ने इसके द्वारा यह बताया है कि ग़ैरुल्लाह के लिए सप्रेम व उसकी महानता का बोध रखते हुए ज़ब्ह करना तौहीद के खिलाफ है।

(११) जहाँ ग़ैरुल्लाह के नाम पर पशु-वध होता हो वहाँ अल्लाह के नाम पर भी ज़ब्ह नहीं किया जाएगा।

लेखक ने इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया है कि कुछ नासमझ लोगों का मुश्रिकीन की उपासनाओं एवं त्योहारों की नकल करना तथा उसमें सम्मिलित होना तौहीद के खिलाफ है।

(१२) ग़ैरुल्लाह की नज़्र (व्रत, मन्नत) मानना शिर्क है।

इसके द्वारा निषिद्ध नज़्र की व्याख्या की है जोकि तौहीद के विरुद्ध है।

(१३) ग़ैरुल्लाह का इस्तेआज़ा (शरण मांगना) शिर्क है।

इसके द्वारा यह बताया है कि ऐसी चीजों में ग़ैरुल्लाह की शरण मांगना जिनका सामर्थ्य केवल अल्लाह ही के पास है शिर्क है।

(१४) ग़ैरुल्लाह से इस्तिग़ासा (फरियाद करना) या उन्हें पुकारना शिर्क है।

इसके द्वारा ग़ैरुल्लाह से इस्तिगासा (फरियाद) करना या उनसे ऐसी चीज़ें मांगना जिन का सामर्थ्य केवल अल्लाह ही के पास है, इत्यादि शिर्क वाले कर्मों को बयान किया है जो तौहीद के विरुद्ध है।

तीसरा भाग: अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करन बातिल है (४ अध्याय)

(१५) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा अल्लाह के सिवा सभी की इबादत को निषेध बताया है, चाहे वह नबी हो अथवा मूर्ति या कोई और चीज।

(१६) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा फरिश्तों की उपासना का इंकार किया है।

(१७) सिफारिश का बयान

इसके द्वारा काफिरों का अपने पूज्यों के प्रति सिफारिश की जो धारणा व आस्था है उसका खंडन किया है।

(१८) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा यह बताया है कि हिदायत (पथ-प्रदर्शन) वाली तौफ़ीक़ (अनुग्रह) केवल अल्लाह ही दे सकता है।

चौथा: मानव के कुफ्र का सबब (४ अध्याय)

तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या तथा अल्लाह के सिवा बाक़ी सभी की इबादतों का खंडन करने के पश्चात मुनासिब था कि कुफ्र में पड़ने का कारण बताया जाए ताकि हम इस से बच सकें।

(१९) मानव के कुफ्र में पड़ने तथा धर्म को छोड़ देने का मूल कारण धार्मिक लोगों के प्रति अतिवाद (ग़ुलू) का शिकार होना है।

इंसान के कुफ्र में पड़ने का यह सबसे खतरनाक कारण है, और इस धरती पर पनपने वाले सर्वप्रथम शिर्क का कारण भी यही है।

(२०) किसी बुजुर्ग (संत, महात्मा) की क़ब्र (समाधि) के पास बैठ कर अल्लाह तआला की उपासना करना नाजायज (निषेध) व संगीन जुर्म है, तो स्वयं उस क़ब्र वाले व्यक्ति की पूजा करना कितना बड़ा जुर्म होगा?

मूर्ति, चित्र तथा क़ब्रों को सज्दा करने (शीश झुकाने) का स्थान बना लेना शिर्क पनपने के कारणों में से है।

(२१) बुजुर्गों की क़ब्रों के बारे में अतिवाद (ग़ुलू) का अंजाम शिर्क -ए- अकबर है।

बुजुर्गों की क़ब्रों के बारे में ग़ुलू (अतिवाद) भी कुफ्र पनपने के कारणों में से एक कारण है।

(२२) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की पूर्णरुपेण सुरक्षा करना तथा शिर्क (अनेकेश्वरवाद) तक ले जाने वाले सभी द्वारों को बंद करना

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आस्था एवं कर्म में शिर्क तक ले जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है, और शीघ्र ही एक ऐसा अध्याय भी आएगा जिसमें वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिर्क तक ले जाने वाले कथन (बात, गुफ्तगू) के भी सभी मार्गों को बंद कर दिया है।

पाँचवा भाग: उन लोगों की दलीलों का खंडन जो कहते हैं कि इस उम्मत में या अरब द्वीप में शिर्क नहीं पनप सकता (एक अध्याय)

(२३) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के कुछ लोग मूर्ति पूजन करने लगेंगे।

छठा भाग: शैतानी आमाल व कर्मों का बयान (७ अध्याय)

(२४) जादू का बयान

इसके द्वारा यह बताया है कि कुफ्र किए बिना जादू संभव नहीं है, बल्कि यह लोगों के कुफ्र में ले जाने के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

(२५) जादू के कुछ प्रकार

इसके द्वारा हमें यह सीख दी है कि जादू के कई प्रकार हैं, एवं इन सभी से बचना वाजिब व अनिवार्य है।

(२६) ज्योतिष एवं अंतर्यामी होने का दावा करने वाले

इसके द्वारा ऐसे कर्मों की गंभीरता, ऐसे लोगों के पास जाने का हुक्म तथा उनके पास जाने के प्रारूप एवं तरीका तथा उसका हुक्म बयान किया है।

(२७) जादू-टोना के द्वारा उपचार करने का हुक्म

इसके द्वारा जादू के उपचार के लिए क्या जायज़ तरीका है एवं क्या नाजायज़ इसे बयान किया है।

(२८) अपशगुन लेने का बयान

इसके द्वारा जाहिलियत वाले युग में पाए जाने वाले अपशगुन के तरीकों का खंडन किया है।

(२९) ज्योतिष विद्या (ग्रहों से संबंधित ज्ञान) सीखने का हुक्म

इसके द्वारा ग्रहों से संबंधित ज्ञान (ज्योतिष विद्या) के कथित प्रभाव का खंडन किया है।

(३०) नक्षत्र अर्थात तारों के प्रभाव से पानी बरसने का अक़ीदा (आस्था) रखना

इसके द्वारा उन कारणों से संबंध जोड़ने का खंडन किया है जो शिर्क पर आधारित हों।

सातवाँ भाग: दिलों (हृदय) के आमाल एवं कर्म (९ अध्याय)

(३१) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा उनलोगों के मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होने का खंडन किया है जो किसी मख़लूक़ (प्राणी) से अल्लाह की तरह या उससे भी अधिक प्रेम रखते हैं।

(३२) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा उनलोगों के मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होने का खंडन किया है जो किसी मख़लूक़ (प्राणी) से अल्लाह की तरह या उससे भी अधिक डरते हैं।

(३३) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा उनलोगों के मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होने का खंडन किया है जो ग़ैरुल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करते हैं।

(३४) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा यह बताया है कि मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह से भय खाने तथा उससे उम्मीद लगाए रखने के मध्य रहे, अर्थात अल्लाह से डरता भी रहे और उससे उम्मीद व आस भी लगाए रहे।

(३५) अल्लाह तआला की लिखी हुई तक़दीर (भाग्य) पर सब्र करना (संयम रखना) ईमान का हिस्सा है।

इसके द्वारा यह बताया है कि आजमाइश के समय मोमिन को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।

(३६) रियाकारी (पाखंड) का बयान

इसके द्वारा मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) के ऊपर रियाकारी की संगीनी को बयान किया है, और ज्ञात रहे कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों पर सर्वाधिक भय इसी में पड़ जाने का रहता है।

(३७) इंसान का अपने कर्मों से सांसारिक लाभ चाहना भी एक प्रकार का शिर्क है (शिर्क -ए- असग़र)।

इसके द्वारा यह बताया है कि जो व्यक्ति आख़िरत (परलोक) से संबंध रखने वाले कर्मों के द्वारा सांसारिक लाभ पाना चाहता है वह शिर्क में पड़ जाता है, और इसका स्पष्टिकरण यह है कि वह सांसारिक लाभ के लिए ही प्रसन्न तथा अप्रसन्न होता हो।

(३८) अल्लाह की ह़लाल की हुई वस्तु को ह़राम तथा ह़राम की हुई वस्तु को ह़लाल करने में उलेमा तथा हुक्मरानों के आदेशों का पालन करना उन्हें रब का दर्जा देना है (आदेश पालन में साझी बनाना है)।

इसके द्वारा यह बयान किया है कि ग़ैरुल्लाह को हाकिम बनाना तौ़हीद को नष्ट कर देता है।

(३९) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ﴾ का अध्याय

इस अध्याय को इस लिए लाए हैं ताकि मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) को यह समझने में मदद मिले कि ताग़ूत के इंकार का क्या अर्थ है, और सच्चे व झूठे ईमान की व्याख्या व तफ्सीर मालूम हो।

आठवाँ भाग: तौहीद -ए- असमा व सिफात (एक अध्याय)

(४०) जिसने असमा व सिफात में से किसी एक का इंकार किया उसका हुक्म

इसके द्वारा उनलोगों के मोमिन होने का खंडन किया है जो असमा व सिफात में से किसी का इंकार करे।

नौवाँ भाग: निषिद्ध एवं शिर्क का भाव रखने वाले वाक्य (२९ अध्याय)

(४१) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿ يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा यह बयान किया है कि नेमत (अनुग्रह) के विषय में एक मुवह्हिद के ऊपर किया वाजिब व अनिवार्य है।

(४२) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा यह बयान किया है कि मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) केवल अल्लाह की क़सम (सौगंध) खाता है ग़ैरुल्लाह की नहीं, और अरबी भाषा के शब्द **واو** (वाव, -और-) तथा **ثم** (सुम्मा, -फिर-) के मध्य अंतर बताया है।

(४३) जो अल्लाह तआला की क़सम खाने पर राज़ी न हो उसका हुक्म

इसके द्वारा यह बयान किया है कि अल्लाह की क़सम खाते समय मुवह्हिद के दिल में अल्लाह की अज़मत व महानता का कितना अधिक भाव होता है।

(४४) "जो अल्लाह चाहे और आप चाहें", कहने का हुक्म

यह अध्याय इस लिए लाए हैं ताकि मुवह्हिद व एकेश्वरवादी को मशीयत व इच्छा में अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाने से डराएं।

(४५) ज़माना (युग, समय) को गाली देना अल्लाह को तकलीफ देने के समान है।

इसके द्वारा यह बताया है कि मुवह्हिद को डरते रहना चाहिए कि कहीं वह किसी चीज़ को गाली दे कर ऐसा न हो कि उसके अधिनायक व उसे ऐसा करने का आदेश देने वाले को गाली दे बैठे।

(४६) "काज़ी अल-क़ुज़ात" (सर्वोच्च न्यायाधीश) इत्यादि उपाधि का शरई हुक्म

इसके द्वारा मुवह्हिद को डराया है कि कहीं वह रूबूबियत (अल्लाह को पालनहार मानने का भाव) की हद् को न फलांग जाए।

(४७) अल्लाह के अच्छे नामों का आदर तथा इसके कारण किसी नाम को बदल देना

इसके द्वारा अल्लाह के नामों, सिफातों (गुणों), दीन व नबियों के प्रति एक मुवह्हिद का क्या आदर भाव होता है उस दशा को बताया है।

(४८) अल्लाह तआला, क़ुरआन तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उपहास उड़ाने वालों का हुक्म

इसके द्वारा यह बताया है कि इस प्रकार का उपहास उड़ाने वालों के अंदर से तौहीद बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और ऐसे लोगों के साथ हमें किस प्रकार से पेश आना चाहिए, तथा इन सब चीजों से ज़ुबान की रक्षा करना वाजिब व अपरिहार्य है।

(४९) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى﴾ का अध्याय

इसके द्वारा यह बताया है कि नेमत (अनुग्रह) के उतरने के पूर्व तथा नेमत के पश्चात मोमिन पर क्या वाजिब होता है।

(५०) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾ का अध्याय

इसके द्वारा नेमत के उतरते समय मोमोनों की कैफियत बयान की है, साथ ही यह भी कि अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है उनके नाम पर बच्चों का नामकरण करना हराम है।

(५१) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ का अध्याय

इसके द्वारा मुवह्हिद को अल्लाह तआला के नामों व गुणों में इल्हाद (हेर-फेर, इंकार) करने से डराया है।

(५२) "अस्सलामु अलल्लाह" (अल्लाह पर सलमती हो) कहना निषेध है।

इसके द्वारा मुवह्हिद को ऐसे शब्दों के प्रयोग से डराया है जिनसे अल्लाह के लिए अनादर का भाव उत्पन्न होता हो।

(५३) "ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे" कहने का हुक्म

इसके द्वारा दुआ करते समय मुवह्हिद को इस्तिस्ना (अपवाद, बहुत में किसी विशेष वस्तु को अलग कर देना, अर्थातः क्षमा मांगते समय इसे क़बूल करने अथवा रद्द करने का विकल्प अल्लाह पर छोड़ देने का भाव) का प्रयोग करने से डराया है, तथा उसे चाहिए कि वह अल्लाह के क़ादिर व संपूर्ण शक्तिमान होने का भाव रखे।

(५४) सेवक या सेविका को "अब्दी या अमती" (मेरा बंदा अथवा मेरी बंदी) कहने का हुक्म

इसके द्वारा बेहतर शब्दों के चयन की ओर मुवह्हिद का ध्यान आकर्षित किया है।

(५५) अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को ख़ाली हाथ न लौटाया जाए।

इसके द्वारा मुवह्हिद की हालत बयान की है कि जब उससे अल्लाह के नाम पर कोई कुछ मांगे तो अल्लाह की महानता का आदर करते हुए वह उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दे।

(५६) अल्लाह तआला का वास्ता देकर जन्नत के सिवा और कुछ न मांगा जाए।

इसके द्वारा मुवह्हिद का अल्लाह तआला के लिए ताज़ीम, महानता व आदर के भाव को बयान किया है।

(५७) "लौ, -अगर, मगर...-" शब्द के प्रयोग का हुक्म

इसके द्वारा मुवह्हिद का बेहतर शब्दों का चयन करने के शिष्टाचार तथा शरीअत पर एतराज या तक़दीर का शिकवा न करने की हालत को बयान किया है।

(५८) हवा, पवन तथा आँधी को गाली देने की निषिद्धता व मनाही

इसके द्वारा मुवह्हिद का मार्गदर्शन इस ओर किया है कि जब वह कोई अप्रिय चीज देखे तो उस अंदाज में बात करे जो उसके लिए लाभदायक हो।

(५९) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा मुवह्हिद को अल्लाह तआला के प्रति जाहिलीयत वाले युग के समान बदगुमानी व कुधारणा रखने से डराया है।

(६०) तक़दीर (भाग्य) का इंकार करने वालों का बयान

इसके द्वारा क़जा व क़दर (अल्लाह के फैसले व उसके द्वारा लिखा गया भाग्य) के संबंध में मुवह्हिद के ईमान की हालत को बयान किया है।

(६१) चित्र बनाने का हुक्म

इसके द्वारा मुवह्हिद को रुबूबियत की हद् फलांगने की संगीनी का एहसास दिलाया है।

(६२) बहुत ज़्यादा क़सम खाना

इसके द्वारा मुवह्हिद को अपने ईमान की सुरक्षा तथा लोगों से मामला करते समय अल्लाह की ताज़ीम, महानता व आदर भाव रखने की नसीहत की है।

(६३) शत्रु को अल्लाह का ज़िम्मा तथा अल्लाह की ज़मानत देने का हुक्म

इसके द्वारा यह बताया है कि ख़ुशी और ग़म दोनों हालतों में मुवह्हिद को अल्लाह का ज़िम्मा तथा उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ज़िम्मा देने के महत्व का ध्यान रहे।

(६४) अल्लाह तआला पर क़सम खाना

इसके द्वारा मुवह्हिद को डराया है कि बंदों से अल्लाह की रहमत व दया के द्वार बंद करने का प्रयास करके रूबूबियत की हद् फलांगने की कोशिश न करे।

(६५) अल्लाह तआला को उसकी सृष्टि (मख़लूक़) के समक्ष सिफारिशी के तौर पर पेश करना

इसके द्वारा मुवह्हिद को डराया है कि कहीं वह ख़ालिक़ (रचनाकार) का दर्जा मख़लूक़ (रचना) से आगे न बढ़ा दे।

(६६) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद के चमन की रक्षा करना तथा शिर्क के सभी चोर दरवाजों को बंद करना

इसके द्वारा प्रत्येक मुवह्हिद को आगाह व सावधान किया है कि उन्हें हर उस बात से बचना चाहिए जो उसे शिर्क तक ले जाए।

दसवाँ भाग: समाप्ति (एक अध्याय)

अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ﴾ का अध्याय

इसके द्वारा मुवह्हिद को यह बताया है कि वह मुश्रिकीन (बहुदेववादी) जिन्होंने अल्लाह की एकता का इक़रार नहीं किया दरअसल उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिए वैसा आदर नहीं किया, अतः हे मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) आपको उसका अनुसरण करने से बचना चाहिए।

पहला भाग: प्रस्तावना (५ अध्याय) किताबुत तौ़हीद

इस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख क्यों नहीं है?

(१) कुछ नासिख़ (लिपिकार, नक़लनवीस) से यह छूट गया है, क्योंकि कुछेक पाण्डुलिपियों (प्रतिलिपियों) में बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद व सलाम मौजूद है।

(२) केवल शीर्षक को ही पर्याप्त इसलिए समझा है कि पुस्तक का विषय ही तौ़हीद है।

(३) इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह की पैरवी व अनुगमन करते हुए क्योंकि उन्होंने भी अपनी किताब में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया है, और उनकी इच्छा यह थी की लोगों का सीधा व प्रत्यक्ष जुड़ाव क़ुरआन व हदीस से हो।

(४) पुस्तक के प्रारंभिक पाँच अध्याय प्रस्तावना के ही समान हैं।

तौहीद की परिभषा:

शब्दकोष के अनुसार: किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जिसकी उत्पत्ति मूल शब्द "وَحَّدَ يُوَحِّدُ वह्हदा युवह्हिदो" से हुई है।

शरीअत के अनुसार: अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओं: उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना।

(१) तौहीद –ए- रुबूबीयत

अल्लाह तआला को उनके समस्त क्रियाकलाप में अकेला मानना या अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में अकेला मानना।

(२) तौहीद –ए- उलूहियत

उपासना एवं आराधना योग्य होने में अल्लाह तआला को अकेला मानना।

(३) तौहीद -ए- असमा व सिफात

अल्लाह ने अपने क़ुरआन में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण , कैफियत एवं समानता के।

नेक आमाल (सदकर्म) तौ़हीद के बिना स्वीकार्य नहीं, और हमें तौ़हीद के लिए ही पैदा किया गया है, और याद रहे कि जन्नत में केवल मुवह्हिद ही प्रवेश पाएगा, यही नबियों की दावत रही है, और तौ़हीद को वास्तविक रूप में अपनाना शिर्क में पड़ने से रोकता है, जो नेकियों में बढ़ोतरी का कारण है।

इबादत (उपासना) दो चीजों को कहते हैं:

(१) आमिल (कर्म करने वाला): अल-तअब्बुद (इबादत व उपासना करना), अर्थात प्रेम व आदर के भाव से ओत-प्रोत होकर अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए तथा उसकी मना की गई चीजों से रुकते हुए अल्लाह के लिए ख़ाकसारी व विनम्रता धारण करना।

(२) अमल (कर्म): अल-मुतअब्बद बिही (की जाने वाली इबादत व उपासना) यह एक समग्र व व्यापक शब्द है जो हरेक उस चीज को समाहित है जिससे अल्लाह प्रेम रखता है व उससे प्रसन्न होता है चाहे वह स्पष्ट अथवा छिपे हुए कर्म हों या बात (वक्तव्य)।

([१] तौ़हीद के वाजिब व अपरिहार्य होने का अध्याय)

लेखक महोदय ने इस अध्याय का कोई शीर्षक नहीं रखा है ताकि लोगों का सीधा जुड़ाव क़ुरआन व सुन्नत से हो, परंतु उन्होंने जो दलीलें पेश की हैं वह तौ़हीद के वाजिब व अपरिहार्य होने की दलीलें हैं, अतः इसे हम तौ़हीद के वाजिब होने का अध्याय कह सकते हैं।

पहली दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (और मैंने जिन्नों (दानवों) तथा इंसानों (मानवों) को मात्र अपनी इबादत (उपासना) के लिए पैदा किया)।

- ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾: ताकि वो मुझे अकेला मानें, या फिर, मेरे आदेशों का पालन तथा मेरे द्वारा निषेध किए गए कर्मों को छोड़ कर मेरी आज्ञाकारिता करते हुए मेरे लिए विनम्रता अपनाएं। "क़ुरआन में जहाँ भी "इबादत" शब्द आया है उसका अर्थ "तौ़हीद" है, यह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कथन है"।
- **आयत का अर्थ यह है कि:** मैंने जिन्नों तथा इंसानों (मानवों तथा दानवों) को किसी और चीज के लिए नहीं वरन केवल अपनी इबादत (उपासना) के लिए सृजित व पैदा किया है।

दूसरी दलील:

२- अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

(निश्चय ही हम ने प्रत्येक समुदाय में दूत भेजा कि अल्लाह की इबादत (उपासना) करो और ताग़ूत (असुर, ग़ैरुल्लाह) की उपासना से बचो)।

- **इस आयत में ताकीद करने वाले तीन शब्दों के द्वारा ताकीद की गई है:** १- छिपी हुई क़सम (सौगंध), २- लाम (لام), ३- और क़द (قد)।
- इस आयत से यह सिद्ध होता है कि समस्त रसूलों व दूतों ने तौहीद (एकेश्वरवाद) की ही दावत दी थी और अल्लाह तआला ने उन्हें इसी कार्य के लिए भेजा था।

उम्मत शब्द का प्रयोग क़ुरआन में चार अर्थों में हुआ है:

१- समूह:	जैसा कि उपरोक्त आयत में है।
२- इमाम:	﴿إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا﴾ (बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा, अल्लाह तआला के आज्ञाकारी और पूरी तरह से अल्लाह के लिए मुख़लिस़ व निश्छल थे)।
३- मिल्लत व मज़हब:	﴿بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ﴾ (बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को एक मज़हब (मत) पर पाया)।
४- ज़माना (युग तथा मुद्दत)	﴿وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنۡهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعۡدَ أُمَّةٍ﴾ (उन दो क़ैदियों में से जो रिहा हुआ था उसे एक मुद्दत (युग) के बाद आ गया।

﴿وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ (और ताग़ूत से बचो): अर्थात तुम उससे इस प्रकार बच के रहो कि वह एक किनारे पर हो तो तुम दूसरे किनारे पर रहो।

- इसकी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने की है, कि: (**ताग़ूत हरेक वो चीज है जिसके कारण बंदा अपनी सीमा लांघ जाए, चाहे वो माबूद (उपास्य) हो, या पेशवा अथवा हाकिम**), और इससे तात्पर्य वो हैं जो अपनी इस इबादत व उपासना से प्रसन्न हों।

  १- **हाकिम**: जैसे ज्योतिषि, जादूगर अथवा बुरे उलेमा, २- **माबूद**: जैसे पत्थर की मूर्ति इत्यादि अथवा पेड़, ३- **पेशवा**: जैसे अल्लाह की अवज्ञा का आदेश देने वाले शासक।
- यह आयत तौहीद को इस प्रकार प्रमाणित करती है कि बुत उन ताग़ूतों में से है जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है।

- **<u>तौहीद दो रुक्न (स्तंभ) के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती जोकि इंकार करना तथा साबित करना है:</u>** क्योंकि केवल इंकार करना यह निरस्तिकरण है, और केवल साबित करना यह किसी और के उसमें साझी बनने को मना नहीं करता है, उदाहरणस्वरूप यदि हम कहें: (ज़ैद खड़ा है) तो, यह ज़ैद के खड़े होने को तो प्रमाणित करता है किंतु उसके अकेले खड़े होने को प्रमाणित नहीं करता है, और यदि हम कहें: (कोई भी खड़ा नहीं हुआ) तो यह केवल सभी के खड़े होने का इंकार करना भर है, किंतु जब हम कहें: (ज़ैद के सिवा कोई भी खड़ा नहीं हुआ) तो ऐसा कहना खड़े होने में उसकी विशिष्टता व अकेलेपन को दर्शाता है, क्योंक यह इंकार करने एवं प्रमाणित करने दोनों को सम्मिलित है।

रसूलों को भेजने की हिकमत व मंशा:

१- बंदों पर हुज्जत क़ायम करना: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ (हमने उन्हें रसूल बनाया है, शुभ-सूचना देने वाले तथा डराने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत तथा इल्ज़ाम रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह पर न रह जाए)।

२- रहम (करुणा, दया): ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ (और हमने आप को समस्त लोक के लिए रहमत बना कर भेजा है)।

३- अल्लाह तआला तक पहुँचने का रास्ता बताने के लिए।

३- अल्लाह तआला तक पहुँचने का रास्ता बताने के लिए।

तीसरी दलील:

३- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

(और तेरे रब ने साफ-साफ हुक्म दे दिया है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत व उपासना न करना, और माता-पिता के संग एहसान व भलाई करना, यदि तुम्हारे रहते हुए उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके सामने उफ्फ तक न कहना न उन्हें डाँटना, बल्कि उनके संग आदर भाव के साथ बात-चीत करना)।

- ﴿<u>أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ</u>﴾ (तुम उस के सिवा किसी और की इबादत व उपासना न करना): यही वह तौहीद है जो इंकार करने तथा साबित व प्रमाणित करने दोनों को सम्मिलित है।

अल्लाह तआला के क़ज़ा (फैसले) के दो प्रकार हैं:

१- कौनी क़जा (लौकिक फैसला):

- यह जिसे अल्लाह तआला पसंद करता है और जिसे पसंद नहीं करता है दोनों में होगा।
- इसका घटित होना निश्चित है:

﴿وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ (हमने बनी इस्राईल के लिए उनकी किताब में स्पष्ट फैसला कर दिया था कि तुम धरती पर फसाद फैलाओगे), फसाद फैलाने को न तो अल्लाह तआला ने शरीअत के तौर पर उतारा है और न ही इससे प्रेम रखता है।

२- शरई क़जा (शरई फैसला):

- यह उसी में होगा जिससे अल्लाह प्रेम रखता है।
- यह घटित हो भी सकता है और नहीं भी घट सकता है:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ (और तेरे रब ने साफ-साफ हुक्म दे दिया है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत व उपासना न करना), यहाँ क़ज़ा (फैसला) का अर्थ होगा कि शरीअत मुक़र्रर की या वसीयत की।

अल्लाह तआला उस चीज़ का फैसला कैसे कर देता है जिसे वह पसंद नहीं करता ?

कभी-कभी कोई चीज स्वयं तो लोगों के पास अप्रिय समझी जाती है, किंतु उसमें मौजूद हित व लाभ के कारण उसे प्रिय रखा जाता है, इस प्रकार वह चीज एक दिशा से प्रिय होती है तो दूसरी दिशा से उसे अप्रिय भी समझा जाता है।

इसको उदाहरणस्वरूप आप यूँ समझें कि: बनी इस्राईल का धरती में फसाद फैलाना के कार्य करना स्वयं अपने आप में अल्लाह के समीप अप्रिय है क्योंकि अल्लाह तआला न तो फसाद को पसंद करता है और न फसादी को, परंतु उसमें छिपे हुए किसी हिकमत के कारण दूसरे कोण से अल्लाह के समीप पसंदीदा भी है, और इसी प्रकार से अकाल, सुखाड़, रोग तथा निर्धनता भी है।

महबूब व प्रिय के दो प्रकार हैं:

१- जो स्वयं स्वाभाविक रूप से महबूब व प्रिय हो: और ऐसा केवल अल्लाह तआला है।

२- जो स्वयं स्वाभाविक रुप से महबूब व प्रिय न हो: जैसे औषधि के वह केवल उपचार हेतु प्रिय रखा जाता है।

उबूदियत (उपासना) के तीन प्रकार हैं:

सामान्य: यह रुबूबियत वाली उबूदियत व उपासना (क़हर - प्रभुत्व- वाली उबूदियत) है, यह प्रत्येक जीव के लिए है, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا﴾ (आकाश व पृथ्वी में जो कुछ भी है सभी अल्लाह के दास बन कर ही आने वाले हैं) और इसमें कुफ्फार भी शामिल हैं।

विशिष्ट: यह सामान्य आज्ञा पालन वाली इबादत व उपासना है, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا﴾، (रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो धरती पर विनम्रता के साथ चलते-फिरते हैं), और यह प्रत्येक उस व्यक्ति को आम है जो अल्लाह की शरीअत के अनुसार उसकी उपासना करता है।

अति विशिष्ट: यह रसूल अलैहिमुस्सलाम के द्वारा अंजाम दी जाने वाली इबादत व उपासना है (यह सर्वाधिक संपूर्ण इबादत है), अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ﴾ बहुत बरकत वाला है वह अल्लाह तआला जिसने अपने दास पर फुर्क़ान उतारा), क्योंकि उबूदियत व उपासना के मामले में रसूलों से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता।

चौथी दलील:

४- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾ (और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके संग किसी को साझी न बनाओ)।

- ﴿شَيۡـٔٗا﴾: यह नह्य (इंकार) के संदर्भ में नकरा (व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला अरबी शब्द) है, जो व्यापकता के अर्थ में है, अर्थात न कोई नबी, न वली, न फरिश्ता बल्कि दुनियाँ की कोई भी वस्तु हो उसको अल्लाह का साझी नहीं बनाया जा सकता है।

पाँचवीं दलील:

५- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾ (आप कहें कि आओ, तुम को वो चीजें पढ़ कर सुनाता हूँ जिन को तुम्हारे रब ने तुम पर ह़राम व निषेध किया है वह यह कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को साझी न बनाओ)।

छठी दलील:

६- ह़जरत अब्दुल बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: जो व्यक्ति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस वसीयत को देखना चाहता है जिस पर आपकी मुहर लगी है, वह अल्लाह तआला का यह फरमान पढ़े:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ (आप कहें कि आओ, तुम को वो चीजें पढ़ कर सुनाता हूँ जिन को तुम्हारे रब ने तुम पर ह़राम व निषेध किया है)। से ले कर ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (और यह कि यह दीन (धर्म) मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है सो इस पर चलो) यहाँ तक।

- सि़रात़ (रास्ता,राह) की इज़ाफत (संबंध) कभी:
  1. अल्लाह की तरफ होती है, क्योंकि यह अल्लाह तक पहुँचाने वाला है और क्योंकि अल्लाह ने ही इसे बंदों के लिए तैयार किया है: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾ (और यह दीन मेरा रास्ता है)।
  2. इस पर चलने वाले की तरफ होती है, क्योंकि वो इस पर चलते हैं, और संज्ञान रहे कि बचाव व निजात का रास्ता केवल एक है अनेक नहीं, इसके अतिरिक्त जो भी रास्ते हैं वह सीधा न हो कर अन्य रास्ते हैं:

     ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फ़रमाया)।

इस आयत में दस वसीयतें हैं:

पहली आयत (५ वसीयतें):

1- अल्लाह तआला की तौह़ीद।
2- माता-पिता के साथ भलाई करना।
3- हम अपनी संतानों को क़त्ल न करें।
4- हम व्यभिचार के समीप भी न जाएं।
5- मासूम को अकारण क़त्ल न किया जाए।

दूसरी आयत (४ वसीयतें):

6- हम यतीम (अनाथ) -जिसका पिता उसके व्यस्क होने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो- का धन बेहतर तरीके से प्रयोग करें।
7- हम न्यायपूर्ण बातें करें।
8- हम नाप-तौल में कमी ना करें।
9- हम अल्लाह तआला से किया हुआ वादा पूरा करें।

तीसरी आयत (एक वसीयत): १०- ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾ (और यह दीन मेरा रास्ता है), ह़दीस़ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और फरमाया: "**यह अल्लाह का रास्ता है**" तत्पश्चात आप ने उस के दाएं-बाएं अनेक लकीरें खींची और फरमाया: "**यह सुबुल -अर्थात अलग-अलग रास्ता- है और इस में से प्रत्योक रास्ते पर शैतान है जो लोगों को उस की ओर बुला रहा है**", फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उपरोक्त आयत की तिलावत फरमाई।

कुछ महत्वपूर्ण बातें:

वह जान जिसको क़त्ल करना अल्लाह ने ह़राम क़रार दिया है (मासूम)

1- मुस्लिम।
2- ज़िम्मी (जो इस्लामी मुल्क में रहता हो)।
3- मुआहद (हमारे और उनके मध्य लड़ाई न करने की संधि हो)।
4- मुस्तामिन (जिस को हमने शरण व अमान दे रखी हो)।

5-

वह जान जिसको क़त्ल करना अल्लाह ने ह़राम क़रार दिया है (मासूम)

6- मुस्लिम।
7- ज़िम्मी (जो इस्लामी मुल्क में रहता हो)।
8- मुआहद (हमारे और उनके मध्य लड़ाई न

﴿نَحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ﴾ (हम तुम्हें और उनको रिज़्क (जीविका) देते हैं), यहाँ माता-पिता की जीविका से प्रारंभ किया क्योंकि दोनों को इसकी आवश्यकता है, जब्कि सूरह इस्रा (बनी इस्राईल) में फरमाया:

﴿نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ﴾ (हम उन्हें और तुमको रिज़्क (जीविका) देते हैं), यहाँ माता-पिता की जीविका के पूर्व संतान के जीविका का उल्लेख किया है क्योंकि दोनों धनिक व मालदार हैं परंतु निर्धनता का भय खाते हैं।

﴿إِلَّا بِٱلۡحَقِّ﴾ (सिवाय ह़क़ के) अर्थात जिसको शरीअत ने साबित किया है:

1- जान के बदले जान।
2- विवाहित व्यभिचारी।
3- दीन को छोड़ कर समूह से अलग हो जाने वाला।

अशुद्द (أَشُدَّ) (जवानी की हद) को पहुँचना जिसके पश्चात इंसान इस्लामी अहकाम व आदेशों का पाबंद हो जाता है:

1- आयु के पंद्रह वर्ष मुकम्मल कर लेना।
2- या काँख का बाल निकलना।
3- या वीर्य स्खलन का पाया जाना।
   महिला के लिए एक और चीज का इज़ाफ़ा होगा जोकि ह़ैज़ (रज, मासिक रक्तरसाव) है।

वसीयत: अह्द लेने के अर्थ में हैं, और वसीयत अह्द लेने के अर्थ में उसी समय होगी जब कोई बहुत ही अहम मामला हो।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह क्यों कहा कि यह वसीयत है जब्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की ?

1- इसलिए कि यह अल्लाह की वसीयत है:

﴿ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ﴾ (अल्लाह तआला ने तुमको ताकीद के साथ हुक्म दिया है) और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाह की ओर से पहुँचाने वाले हैं।

2- इसलिए कि उनकी राय यह थी कि यह आयत दीन के समस्त बड़े व अहम मामले को समोए हुए है, और यह बड़ी महान आयत है।

सातवीं दलील:

मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग एक गधे पर सवार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे कहा: «**يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟**»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «**حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ: أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا**»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «**لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا**»، "**हे मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का अधिकार बंदों पर क्या है, तथा बंदों का दायित्व अल्लाह के प्रति क्या है ? मैंने कहा: अल्लाह तथा उसके रसूल अधिक जानते हैं। आपने फरमाया: अल्लाह का अधिकार बंदों पर यह है कि उसकी इबादत व उपासना करें, किसी को उसका साझी न बनाएं तथा बंदों के प्रति अल्लाह का दायित्व यह है कि वह उसे दण्ड न दे जो उसके साथ शिर्क न करे।** मैंने कहा: अल्लाह के रसूल मैं लोगों को यह शुभ-सूचना क्यों न सुना दूँ? आप ने कहा: **मत सुनाओ, ऐसा न हो कि लोग इसी पर भरोसा कर लें**"।

- « **أَتَدْرِي** » : यह दिलचस्पी पैदा करने के लिए और दिल को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है, तथा यह शिक्षा देने का अति उत्तम अंदाज़ है।
- « **حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ** » : बंदों ने अल्लाह पर कुछ भी वाजिब नहीं किया है बल्कि यह अल्लाह तआला ने बंदों पर कृपा करते हुए स्वयं अपने ऊपर वाजिब कर लिया है।
- « **أُبَشِّرُ** »: बशारत (शुभ-संदेश): कहते हैं ऐसी चीज के विषय में संदेश देना जिस को सुन कर इंसान (चित्त) प्रसन्न हो जाए, तथा यदा-कदा अप्रसन्न करने वाले संदेश के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- « **لَا تُبَشِّرْهُمْ** »: अर्थात उन्हें न बताओ।
- इस हदीस से तौहीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता प्रमाणित होती है और यह भी साबित होता है कि तौहीद अल्लाह के अज़ाब को रोकने का कारण है।

- यह भी प्रमाणित होता है कि जो अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक व साझी नहीं बनाएगा अल्लाह उसे अज़ाब व यातना नहीं देगा, और यह भी कि तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने से कुकर्म धुल जाते हैं व गुनाह माफ हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके विषय में बताने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं लोग इसी पर भरोसा करते हुए अन्य सुकर्म करना छोड़ न दें, क्योंकि तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने का अर्थ है लाज़िमी तौर पर गुनाहों से बचना, इसलिए कि गुनाह व कुकर्म ख़्वाहिशे नफ्स (कामनाओं की पूर्ति में लीन रहना) की पैरवी के कारण वजूद में आते हैं जोकि एक प्रकार का शिर्क ही है।

मसाइल:

(ये मसले किताबुत तौहीद में शामिल नहीं हैं, बल्कि लेखक महोदय रहिमहुल्लाह ने इसको व्याख्या के रूप में उल्लेखित किया है और उन से बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता था जो इन को बयान करे क्योंकि उन्हें इन से अभिप्राय चीजों का अधिक ज्ञान है, अतः इसका ध्यान रखना चाहिए)।

पहला: जिन्नों तथा इंसानों को पैदा करने व रचने में क्या हिकमत (तत्व दर्शिता) है (तौहीद का इक़रार व पालन करना है न कि केवल खाना-पीना और शादी विवाह करना इत्यादि)।

दूसरा: वास्तव में तौहीद (एक अल्लाह की उपासना) ही इबादत है, क्योंकि सारा झगड़ा इसी में है (अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा क़ुरैश के बीच, अतः हर वह उपासना जिसकी नींव तौहीद पर न हो वह बातिल तथा बेकार है)।

तीसरा: जिसने तौहीद (एक अल्लाह की इबादत) को नहीं अपनाया उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, इसी अर्थ में अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ﴾ (तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले जिसकी इबादत मैं करता हूँ)।

चौथा: रसूलों को भेजने की क्या हिकमत (तत्वदर्शिता) है (केवल एक अलालह की इबादत करना तथा ताग़ूत की इबादत से बचना)।

पाँचवाँ: प्रत्येक उम्मत में रसूल (ईशदूत) भेजे गए (उम्मत अर्थातः समुदाय व गिरोह)।

छठा: समस्त रसूलों (ईशदूतों) का दीन व धर्म एक ही है (दीन का आधार एक ही है, परंतु अमल व कर्म करने के हिसाब से भिन्न-भिन्न उम्मत, स्थान तथा समय के अनुसार व उस आधार पर शरीअत भिन्न है)।

छठा: एक महत्वपूर्ण बात यह भी पता चली कि ताग़ूत का इंकार किए बिना अल्लाह तआला की इबादत संभव नहीं, इसी अर्थ में अल्लाह तआला का यह कथन है: ﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ﴾ الآية। (जो ताग़ूत का इंकार करे -तथा अल्लाह तआला पर ईमान रखता है उसने मज़बूती से मज़बूत रस्सी को पकड़ लिया है-) (इसको बड़ा मसला व महत्वपूर्ण बात इसलिए कहा कि अधकांश लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं, हाँ यह भी याद रहे कि जिसने इन चीजों में से कुछ कर लिया तो आम अंदाज़ में उस पर शिर्क, कुफ्र का हुक्म लगाना या लानत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इन मामलों में या इन जैसे अन्य मामलों में कोई भी फैसला करने से पहले कारणों तथा बाधाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

आठवाँ: ताग़ूत एक व्यापक शब्द है जिसमें वे समस्त चीजें सम्मिलित हैं जिन की अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है।

नौवाँ: सूरह अनआम की तीन मुहकम व अटल आयतों की अहमियत व प्रधानता हमारे सलफ (पूर्वज) के निकट जिनमें दस विषय हैं और उनमें सबसे अहम व प्रधान शिर्क का निषेध है।

दसवाँ: सूरह इस्रा (बनी इस्राईल) की मुहकम (सुदृढ़ व अटल) आयतें जिनमें अट्ठारह विषय हैं, जिनका आरंभ अल्लाह तआला ने अपने इस कथन से किया है: ﴿لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا ٢٢﴾ (अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पूज्य न बनाओ कि धिक्कार एवं तिरस्कार के पात्र बन जाओ) तथा अंत इस कथन पर किया है: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا ٣٩﴾ (अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पूज्य न बनाओ अन्यथा निन्दित तथा अपमानित करके नरक में झोंक दिए जाओगे), तथा अल्लाह तआला ने इन विषयों कि अहमियत व प्रधानता का एहसास हमें अपने इस कथन से दिलाया है: ﴿ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ﴾ (यही वह हिकमत -तत्वदर्शिता- की बातें हैं जो अल्लाह ने आप की ओर वह्य -प्रकाशना- की हैं)।

ग्यारह्वाँ: सूरह निसा की वह आयत जिसको "दस हुक़ूक़ (दायित्वों)" वाली आयत कहा जाता है, उसका आरंभ अल्लाह तआला ने अपने इस कथन से किया है: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ﴾ (अल्लाह तआला की बंदगी व इबादत करो तथा उसके साथ किसी और को साझी न बनाओ) (अतः इससे पता चला कि तमाम हुक़ूक़ व दायित्वों में अल्लाह तआला का हक़ व दायित्व सर्वोपरि तथा सर्वप्रथम अदा करने योग्य है)।

बारह्वाँ: निधन के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत का वर्णन (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वास्तविक रूप से इस की वसीयत नहीं की थी, बल्कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ओर इशारा अवश्य फरमाया था कि यदि हम अल्लाह तआला की किताब (क़ुरआन) को मज़बूती के साथ थाम लें तो हम कभी गुमराह (दिग्भ्रमित) नहीं होंगे)।

तेरह्वाँ: बंदों पर अल्लाह तआला के हक़ का परिचय (कि हम उस की इबादत, उपासना व वंदना करें तथा उसके संग किसी और को उसका भागीदार न बनाएं)।

चौदह्वाँ: बंदों के लिए अल्लाह का हक़ क्या है जबकि वे अल्लाह तआला का हक़ अदा करें (यह हक़ कृपा व उपकार वाला हक़ है)।

पंद्रह्वाँ: इस मसला को अधिकतर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं जानते थे (क्योंकि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मृत्यु के समय इसकी सूचना इसलिए दे दी थी कि कहीं इल्म व ज्ञान छुपाने की जो सज़ा है वह उस के पात्र न बन जाएं, और उस समय तक अधिकांश सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम काल के गाल में समा चुके थे, अन्य सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस भय से नहीं दी थी कि कहीं वो इसी पर भरोसा कर के न बैठ जाएं, आपका कतई यह मक़सद नहीं था कि किसी को भी इस की भनक न लगे क्योंकि यदि आपका उद्देश्य यही होता तो फिर आप मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस विषय में कुछ न बताते)।

सोलह्वाँ: किसी मसलेहत व उचित औचित्य के कारण ज्ञान छिपाना जायज़ है (इस को व्यापक अर्थों में ले कर सभी स्थान पर इसे फिट नहीं किया जा सकता है)।

सत्रह्वाँ: मुसलमानों को ऐसी शुभ-सूचना देना मुस्तहब है जिस को सुन कर वह प्रसन्न हो जाए (यह अति उत्तम फायदों में से एक है)।

अट्ठारह्वाँ: अल्लाह तआला की असीम दया व कृपा पर भरोसा कर लेने से डरना चाहिए (इसी प्रकार उस की रहमत से मायूस हो जाना भी है, अर्थात उसकी रहमत व कृपा से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए)।

उन्नीसवाँ: जब किसी व्यक्ति से किसी ऐसी चीज के विषय में प्रश्न किया जाए जिसे वह नहीं जानता हो तो उसे कहना चाहिए कि: "अल्लाह तथा उसके रसूल बेहतर जानते हैं" (ध्यान रहे ऐसा केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में कहा जा सकता था, अथवा अब ऐसे शरई मामलों में कहा जाएगा जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिखलाए हैं)।

(और सामान्य परिस्थितियों में "वल्लाहु आलम (अल्लाह तआला बेहतर जानता है)" कहना चाहिए)।

बीसवाँ: किसी विशेष व्यक्ति को कोई बात बताना जब्कि दूसरों को वह बात न बताना, जायज़ है।

इक्कीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विनम्रता कि आप गधे पर सवार हुए इस पर तुर्रा यह कि आपने अपने पीछे एक दूसरे व्यक्ति को भी बैठा लिया।

बाईसवाँ: जानवर पर अपने पीछे किसी और को भी सवार कर लेना जायज़ है (इस शर्त के साथ कि ऐसा करने से जानवर को कोई दिक्कत न हो)।

तेईसवाँ: इस मसला (तौहीद) की महत्ता।

चौबीसवाँ: हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की फज़ीलत व श्रेष्ठता।

२- तौहीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता और यह कि वह पापों को मिटा देती है

रुचि बढ़ाने के लिए लेखक रहिमहुमुल्लाह यह अध्याय ले कर आए हैं उसके विपरीत जो शैतान लोगों के दिलों में डालता रहता है, और किसी चीज़ की फ़ज़ीलत व प्रधानता साबित करने का कतई यह अर्थ नहीं है कि वह वाजिब व अपरिहार्य नहीं है, बल्कि यह प्रधानता उस के प्रभाव व परिणाम में से है, जैसे जमात के साथ नमाज़ पढ़ना।

पहली दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ (जो लोग ईमान लाए तथा अपने ईमान में शिर्क (बहुदेववादिता) की मिलावट नहीं होने दी उन्हीं के लिए शान्ति है तथा वही सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हैं)।

- ﴿وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ﴾: अर्थात गड्ड-मड्ड व मिलावट नहीं किया।
- ﴿بِظُلۡمٍ﴾ : ज़ुल्म का प्रयोग यहाँ ईमान के विपरीत अर्थ में हुआ है जिससे अभिप्राय शिर्क है।
- ﴿مُّهۡتَدُونَ﴾ (हिदायत पाने वाले तथा सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हैं): १- **दुनियाँ मे**: ज्ञान व कर्म के द्वारा अल्लाह की शरीअत अपनाने के कारण। २- **आख़रित में (मरणोपरांत)**: जन्नत की ओर।
- तौहीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता में से यह भी है कि इस के द्वारा लोक तथा परलोक में शांति स्थापित होती है।

दूसरी दलील:

२- उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» "**जो इक़रार कर ले कि एक अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं, उसका कोई साझी नहीं, तथा यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे व उस के रसूल (दूत) हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे तथा उस के रसूल हैं और उसका कलेमा (वाक्य) हैं जिसे उस ने मरियम की ओर डाला था तथा उस की रूह (प्राण) हैं, स्वर्ग सत्य है एवं नरक भी सत्य है, (अल्लाह) उसे स्वर्ग में प्रवेश देगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों**"। बुख़ारी व मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।

तीसरी दलील:

बुख़ारी व मुस्लिम में इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ में है कि:

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ»،

"जिसने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए "लाइलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहा, अल्लाह उसे जहन्नम (नरक) पर ह़राम (वर्जित) कर देता है"।

- «شَهِدَ»: "शहादत": ज़ुबान से इक़रार, दिल से एतक़ाद व आस्था तथा शारीरिक अंगों के द्वारा उसकी तसदीक एवं पुष्टि करने का नाम है।
- «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»: हकीकी व असली इबादत एवं उपासना का पात्र अल्लाह तआला के सिवाय कोई नहीं है।
- «وَحْدَهُ»: इसमें पुष्टि करने की ताकीद है। «لَا شَرِيكَ لَهُ»: तथा इस में अल्लाह की विशेषताओं में किसी और को भागीदार बनाने का पुरज़ोर विरोध तथा ताकीद के साथ इंकार है।
- «وَأَنَّ مُحَمَّدًا»: आप अंतिम नबी मुहम्मद सुपुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मुत्तलिब अल-क़ुरशी अल-हाशमी हैं।
- «عَبْدُهُ»: अर्थातः १- आप अल्लाह के साझी व भागी नहीं हैं, २- आप अल्लाह तआला की सर्वाधिक इबादत व उपासना करने वाले हैं।
- «وَرَسُولُهُ»: अर्थातः आप पर वह्य (आकाशवाणी) के द्वारा सही में आप को ईशदूत बना कर भेजा गया है न कि आप झूठ बोल कर स्वयं को अल्लाह का नबी प्रमाणित कराना चाहते हैं, तथा इस शहादत व गवाही को स्वाभाविक रूप में अपनाने का विलोम हैः १- कुकर्म करना, २- तथा दीन में ऐसी बिदअतें (नवाचार) अविष्कार करना जो दीन का हिस्सा व अंग नहीं थीं।
- मआस़ी (गुनाह के काम): व्यापक अर्थों में शिर्क को भी कहा जाता है, तथा विशेष अर्थों में इस के प्रकार हैं: १- शिर्क -ए- अकबर। २- शिर्क -ए- अस़ग़र। ३- गुनाह -ए- स़ग़ीरा (छोटे गुनाह)। ४- गुनाह -ए- कबीरा (बड़े गुनाह)।
- «عِيسَى عَبْدُ اللهِ»: यह ईसाईयों पर रद्द है। «وَرَسُولُهُ»: यह यहूदियों पर रद्द है, हम उन के रसूल होने पर ईमान लाते हैं, और उन की लाई हुई शरीअत में से जो हमारी शरीअत के उलट हो उसकी पैरवी करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, और हम से पूर्व की जो शरीअतें हैं उनकी स्थिति हमारी शरीअत की तुलना में इस प्रकार हैः

  1- यदि वह हमारी शरीअत के विपरीत हो तो हमारा अमल अपनी शरीअत के अनुसार होगा।

2- यदि वह हमारी शरीअत के अनुकूल हो तो ऐसी दशा में भी हम अपनी शरीअत ही पर अमल करेंगे।

3- उस के विषय में हमारी शरीअत में कुछ न हो तो ऐसी दशा में वह हमारी शरीअत मानी जाएगी।

- ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आस्था रखने वाले लोग तीन प्रकार के हैं (अति व न्यून तथा इन दोनों के मध्य एतदाल व संतुलन बना कर चलने वाले अर्थात न कमी न अति करने वाले):

  1- **न्यून अर्थात आप के प्रति ज़ालिमाना रवैया रखने वाले:** जैसे यहूदी जिन्होंने आप को झुठलाया, आपके तथा आप की माता के ऊपर लांछन लगाए, आप के नबी होने का इंकार किया और आपका वध करने का प्रयास किया।

  2- **अति करने वाले:** जैसे ईसाई जिन्होंने कहा कि आप अल्लाह के बेटे व पुत्र हैं, आप तीन माबूदों में से एक हैं तथा आप की पूजा, वंदना व इबादत करने लगे।

  3- **आप के प्रति एतदाल (अति एवं न्यून के मध्य संतुलित) रवैया अपनाने वाले:** वह हम लोग हैं जो गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के बंदे तथा रसूल हैं, आप की माता सच्ची थीं, वह अपने जननांगों की रक्षा करने वाली कुँवारी थीं, आप का उदाहरण अल्लाह के निकट बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम के समान है कि अल्लाह तआला ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया तथा कहा: कुन (हो जा) तो वह वजूद में आ गए।

- «كَلِمَتُهُ»: क्योंकि आप कलमा -ए- "कुन (हो जा)" के द्वारा पैदा किए गए थे, इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमा हैं, क्योंकि कलाम करना अर्थात बात-चीत करना अल्लाह तआला की सिफत अर्थात गुण व विशेषता है।

- «رُوحٌ مِنْهُ»: अल्लाह तआला की रचनाओं में से एक रचना हैं, अल्लाह की ओर इस की इज़ाफत (संबंध, तत्पुरुष) इज्जत बढ़ाने तथा आदर-सत्कार के लिए किया गया है।

- « أَدْخَلَهُ اللهُ الْـجَنَّةَ »: जन्नत में प्रवेश कराने के दो प्रकार हैं:

  1- संपूर्ण रूप से, अर्थात बिना किसी प्रकार का अज़ाब (यातना) दिए जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश करा देना, यह उस के लिए होगा जिस के कर्म पूर्ण होंगे।

  2- अपूर्ण रूप से, अर्थात पहले अज़ाब (यातना) देने के बाद जन्नत में प्रवेश कराना, यह उस के लिए होगा जिसके कर्म अपूर्ण होंगे।

- «قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)»: इस के लिए इख़्लास (निष्कपटता) शर्त है, जिसका प्रमाण आप का यह कथन है: «يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» (जिसने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ऐसा कहा)।

- इस हदीस में दो मतों का खण्डन है:

  1. **मुर्जिआ पर:** जो कहते हैं कि केवल «لا إله إلَّا الله» "लाइलाहा इल्लल्लाह" कहना काफी है, कर्म तथा इख़्लास की आवश्यकता नहीं।

  2. **ख़्वारिज पर:** जो कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाला सदा के लिए जहन्नम में रहेगा।

जिसकी इज़ाफत (संबंध, जोड़, तत्पुरुष) अल्लाह तआला ने अपनी ओर की है:

इज़ाफत -ए- आअयान, अर्थात ऐसी वस्तु से संबंध जोड़ना जो स्व-स्थायी हो तथा इससे जुड़ी हुई वस्तु मख़लूक़ (जीव) होती है: जैसे ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ (अल्लाह की ऊँटनी) यह रचना का संबंध रचानाकार से जोड़ने के रूप में है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्व-स्थायी हो तथा अल्लाह से अलग हो वह मख़लूक़ (जनता) है।

इज़ाफत -ए- औसाफ (गुण), अर्थात ऐसी वस्तु से संबंध जोड़ना जो मख़लूक़ (जीव) न हो: जैसे ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया), यह सिफत का संबंध मौसूफ (गुण का गुणी) से जोड़ना है।

आम इज़ाफत: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ (निःसंदेह मेरी पृथ्वी बड़ी वृहद व विस्तृत है)।

सत्कार वाली इज़ाफत: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ (और उस की रूह हैं)।

चौथी तथा पाँचवीं दलील:

४- अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बयान करते हैं कि: «قَالَ مُوسَى عليه السلام: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هٰذا؟ قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَوْ أَنَّ السَّمٰوَات السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ – غَيْرِي – وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَ(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» – "**मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा: हे मेरे रब, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दे जिससे मैं तेरा स्मरण किया करूँ तथा तुझ से प्रार्थना करूँ। अल्लाह तआला ने फरमाया: हे मूसा "ला इलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा: यह तो तेरे सभी बंदे कहते हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया: हे मूसा, यदि मेरे सिवाय सातों आकाश तथा उनके निवासी एवं सातों धरती तराज़ू के एक पलड़े में हो तथा "ला इलाहा इल्लल्लाह" एक पलड़े में हो तो "ला इलाहा इल्लल्लाह" उन्हें ले कर झुक जाएगा**"। इसे इब्ने हिब्बान तथा हाकिम ने रिवायत किया है तथा इस हदीस को सही कहा है।

५- और तिर्मिज़ी में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जिसे उन्होंने हसन कहा है, वह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: «**قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً**»، "**अल्लाह तआला फरमाता है: हे आदम की संतान, यदि तेरा पाप धरती भर हो फिर तू**

मुझ से ऐसे मिले कि मेरे संग किसी को शरीक व साझी नहीं बनाया हो तो मैं धरती भर क्षमा के साथ तेरे सामने आऊँगा"।

١٣

- «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»: यह वाक्य "ज़िक्र" (स्मरण) है जो दुआ (प्रार्थना) को सम्मिलित है, क्योंकि ज़िक्र (स्मरण) करने वाला इस के द्वारा अल्लाह को प्रसन्न करना चाहता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसी चाभी से ताला खोलने का प्रयास करे जिसमें दाँत न हो तो ताला नहीं खुल सकता, इसी प्रकार "ला इलाहा इल्लल्लाह" की शर्तें ही उस के दाँत हैं।
- « بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً »: यह तौहीद की महानता है कि बंदा जब अल्लाह तआला से शिर्क व बहुदेववादिता की मिलावट से पाक-साफ होकर भेंट करता है तो वह उस के समस्त कबीरा गुनाहों को मिटा देता है, और मग़फिरत कहते हैः गुनाहों को ढ़ाँपना तथा उस की अनदेखी करना।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के फ़ज़्ल व कृपा का विस्तार।

दूसराः अल्लाह के पास तौहीद के प्रतिफल (पुण्य, सवाब) की अधिकता।

तीसराः इस के साथ ही इस तौहीद का पापों का मिटा देना।

चौथाः सूरह अल-अनआम की आयतः ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ (जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क से पाक रखते हैं) की तफ्सीर व व्याख्या।

पाँचवांः उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ में वर्णित पाँच बातों में गहन विचार विमर्श करना।

छठाः उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु और इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ को एकत्र करें तो «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, तथा जो लोग धोखे में पड़े हुए हैं उनकी कलई खुल कर सामने आ जाएगी (क्योंकि आवश्यक है कि वह इस के द्वारा अल्लाह तआला को प्रसन्न करना चाहता हो, और जिसका उद्देश्य यह होगा वह निश्चित ही सुकर्म व नेक आमाल करेगा)।

सातवाँः उस शर्त की चेतावनी एवं उस की ओर ध्यानाकर्षण करना जो इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ में है (केवल ज़ुबान से कहना पर्याप्त नहीं है)।

आठवाँः नबियों को भी "ला इलाहा इल्लल्लाह" की फज़ीलत व प्रधानता पर सचेत करने की आवश्यकता होती है (तो उनके अलावा दूसरे लोगों को तो इसकी और अधिक आवश्यकता है)।

नौवाँः यह चेतावनी की कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" समस्त सृष्टि से भारी है इसके बावजूद बहुत से लोग जो इसको बोलते हैं उनका तुला हलका होगा (कमी इस वाक्य में नहीं है बल्कि इस को कहने वाले में है या तो किसी शर्त में कमी के कारण या इस से रोकने वाली किसी वस्तु के मौजूद होने का कारण)।

दसवाँ: यह प्रमाण कि आकाश के समान धरती के भी सात परत हैं (यह समानता केवल संख्या में है)।
ग्यारह्वाँ: उन में आबादियाँ हैं (अर्थातः आकाश में, तथा उसकी आबादियाँ फरिश्ते हैं)।
बारह्वाँ: अल्लाह तआला के लिए सिफात (गुण, विशेषता) होने का प्रमाण, अशअरी (सम्प्रदाय) के विपरीत (इसी प्रकार मुअत्तला सम्प्रदाय के विपरीत भी, इस में अल्लाह तआला के लिए "वज्ह" (मुख, चेहरा) का प्रमाण है)।
तेरह्वाँ: जब आप ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ को जान लिया तो आप को यह भी ज्ञात हो गया होगा कि इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ जिस में आप ने फरमाया है:

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» "**कि अल्लाह तआला ने उस पर जहन्नम ह़राम कर दिया जिसने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए "ला इलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहा**", उस का अर्थ शिर्क व बहुदेववादिता का त्याग करना है न कि केवल मुख से बोल भर देना।
चौदह्वाँ: मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को एक साथ एक स्थान पर अल्लाह का बंदा तथा रसूल कहने पर गहन विचार करना।
पंद्रह्वाँ: ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के कलमा (वाक्य) होने की विशेषता को जानना (कि आप बिना पिता के पैदा किए गए हैं)।
सोलह्वाँ: विशेष रूप से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रूह (प्राण) होने को जानना (कि आप उन समस्त प्राणियों में से हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने पैदा किया है)।
सत्रह्वाँ: जन्नत तथा जहन्नम (स्वर्ग एवं नरक) पर ईमान रखने की फ़ज़ीलत व प्रधानता को जानना (कि यह जन्नत में प्रवेश पाने के कारणों में से है)।
अट्ठारह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» "**चाहे जैसा भी कर्म हो**" को समझना।
उन्नीसवाँ: इस बात का ज्ञान कि तराज़ू के दो पलड़े हैं।
बीसवाँ: अल्लाह तआला के "वज्ह" (मुख, चेहरा) का उल्लेख (जो कि अल्लाह तआला के सिफ़ात में से एक सिफ़त तथा गुणों में से एक गुण है)।

३- जो वास्तविक तौ़हीद अपनाएगा वो बिना हिसाब जन्नत में प्रवेश पाएगा

इस अध्याय को इसलिए लाए हैं ताकि हम सच्चे व वास्तविक मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) बन जाएं जो कि हमारे ऊपर वाजिब है और हम इस की ओर आकर्षित हों, तथा तौ़हीद को वास्तविक रूप में अपनाने का अर्थ यह है कि: इसे शिर्क (बहुदेववादिता), बिदअत (नवाचार) तथा गुनाहों (कुकर्मों) से बचा कर रखना, जोकि ज्ञान, आस्था तथा विनम्रता अपनाने के द्वारा होगा।

लेखक रहिमहुल्लाह के निकट, अध्याय का पठन करने के द्वारा वृहद रूप में वास्तविक तौ़हीद को अपनाना होगा, तथा संक्षिप्त में निम्नांकित के द्वारा होगा:

१- अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी के द्वारा। २- सादात औलिया (सहाबा) की पैरवी के द्वारा। ३- तौ़हीद पर टिके रहने के द्वारा गरचे आप अकेले ही क्यों न हों। ४- तवक्कुल (भरोसा) करने तथा झाड़-फूँक, दाग़ने एवं अपशकुन को छोड़ने के द्वारा।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

(निःसंदेह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के आज्ञाकारी, उस की ओर एकाग्रचित्त तथा एक उम्मत थे, तथा वह मुश्रिकों (बहुदेववादियों) में से नहीं थे)।

इस आयत में सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रशंसा है, अतः हमारे लिए अपरिहार्य व वाजिब है कि हम आप से प्रेम करें तथा आप का अनुसरण करें, हम जितना आप का अनुसरण करेंगे उतना ही हमें उस प्रशंसा से हिस्सा मिलेगा, वह इस प्रकार कि उन्होंने छः चीजों के द्वारा वास्तविक तौ़हीद को अपनाया था जिनका उल्लेख उपरोक्त आयत में है:

1. ﴿أُمَّةً﴾ : वह ऐसे इमाम थे जिन का अनुसरण, अल्लाह पर भरोसा करते हुए, उन के कर्म, कर्तव्य तथा जिहाद (इस मार्ग में भरसक प्रयास करने) में किया जाता है।
2. ﴿قَانِتًا﴾: सदा फरमाँबरदारी करने वाले, हर परिस्थित में उस पर टिके रहने वाले, अर्थात आप हर हाल में अल्लाह के आदेशों का अनुपालन करने वाले थे।
3. ﴿لِّلَّهِ﴾: यह आप के इख़्लास़ व निश्छल होने को इंगित करता है।
4. ﴿حَنِيفًا﴾: शिर्क से मुँह मोड़ कर अल्लाह की ओर ध्यान लगाने वाले, हरेक उस चीज़ को छोड़ देने वाले जो आज्ञापालन के प्रतिकूल हो।
5. ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾: शिर्क तथा मुश्रिकीन से बराअत (दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा)।
6. ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾ : क्योंकि नेमत (अनुग्रह) आज़माइश है जिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए।

लाभ:

1. :इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आज़र की मृत्यु शिर्क करते हुए हुई थी: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (फिर जब उन पर यह बात स्पष्ट हो गई कि वह अल्लाह का शत्रु है तो वह उससे विमुख हो गए)।
2. नूह अलैहिस्सलाम के माता-पिता मोमिन थे: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ﴾ (हे अल्लाह, तू मुझे तथा मेरे माता-पिता को क्षमा कर दे)।
3. इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फरमाते है: तीन चीजों का कोई आधार नहीं: मग़ाज़ी (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ज़वा से संबंधित ज्ञान), मलाहिम (आम लड़ाई के हालात), तफ्सीर, ये तीनों ही सामान्य रूप से बिना सनद (प्रमाण) के ही उल्लेख किए जाते हैं, अतः पिछली उम्मतों के विषय में अल्लाह के कथन व उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत अर्थात बिना वह्य (प्रकाशना) के जानना संभव नहीं है।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (जो अपने रब के संग किसी को साझी नहीं बनाते)।

- ﴿لَا يُشْرِكُونَ﴾: शिर्क यहाँ व्यापक अर्थों में है, क्योंकि वास्तविक तौहीद को अपनाना उस शिर्क से बचने के द्वारा ही होगी जो व्यापक अर्थ में हो, लेकिन इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि उन से कुकर्म नहीं होगा, क्योंकि आदम की प्रत्येक संतान गुनाहगार है मासूम नहीं, किंतु उनसे जब कोई पाप हो जाता है तो वह अपने रब के समक्ष तौबा करते हैं उसी गुनाह में सदा लिप्त नहीं रहते हैं।

तीसरी दलील:

हुसैन बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं सईद बिन जुबैर के पास था, तो उन्होंने कहा:

أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ؛ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»، قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «**عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ**

وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هٰذه أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِم رَسُولُ الله ﷺ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»

विगत् रात जो तारा टूटा उसे किसने देखा? मैंने उत्तर दिया: मैंने, फिर मैंने कहा: सुनो मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा था बल्कि मुझे किसी चीज़ ने डस लिया था। सईद बिन जुबैर ने पूछा: फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा: मैंने झाड़-फूँक (दम) किया, उन्होंने फिर पूछा: तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा: एक ह़दीस़ के कारण जो शअबी ने हम से बयान किया, फिर: पूछा: वह ह़दीस़ क्या है? मैंने कहा: हम से बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ बयान की, कहा कि: झाड़-फूँक बुरी नज़र लगने अथवा किसी विषैले जीव-जंतुओं के डस लेने ही में है, सईद बिन जुबैर ने कहा: जिसने सुन कर उस के अनुसार अमल किया उस ने बहुत अच्छा किया, परंतु मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ बताई कि आप ने फरमाया: "**मुझ पर बहुत सारी उम्मतें पेश की गईं तो मैंने किसी नबी को देखा कि उनके साथ एक समुदाय है, तो किसी नबी को देखा कि उनके साथ एक या दो आदमी ही है तथा ऐसा नबी भी देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था, कि अकस्मात मेरे सामने एक बड़ा समुदाय आया तो मैंने सोचा कि यह मेरी उम्मत है तो मुझ से कहा गया कि यह मूसा अलैहिस्सलाम तथा उनका समुदाय है, फिर मैंने देखा तो एक और बड़ा समूह था तो मुझ से कहा गया कि यह: आप की उम्मत है जिनके साथ सत्तर हज़ार ऐसे हैं जो बिना किसी हिसाब और अज़ाब (यातना) के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठ कर घर में चले गए, तो लोग उस के विषय में खोद-कुरेद करने लगे, कुछ ने कहा: संभवत: यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, तो कुछ ने कहा: संभवत: यह वो लोग हैं जो इस्लाम ही में पैदा हुए तथा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, उन्होंने कुछ अन्य चीज़ों का भी उल्लेख किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास आए तो उन्होंने आप को इस विषय में बताया, आप ने फरमाया: ये वो लोग होंगे जो झाड़-फूँक नहीं कराते, न अपशगुन लेते हैं और न ही आग से दागते हैं एवं अपने रब पर ही तवक्कुल व भरोसा करते हैं। फिर उक्काशा बिन मेह़सन खड़े हुए और कहा कि: आप अल्लाह से प्रार्थना करें कि मुझे उन लोगों में से कर दे, आप ने फरमाया: तू उन्हीं में से है, फिर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा: आप अल्लाह से प्रार्थना करें कि मुझे भी उन लोगों में से कर दे, तो आप ने फरमाया: इस में उक्काशा तुम पर बढ़त ले गए**"।

- «انْقَضَّ» : टूट कर गिरा। «ارْتَقَيْتُ» : मैंने झाड़-फूँक करवाया। «عَيْنٍ»: बुरी नज़र।
- «فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟»: इस से पता चलता है कि अदब के साथ दलील या हुज्जत (प्रमाण) माँगा जा सकता है।
- « لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ »: अर्थातः बुरी नज़र या विषैले जीव-जंतुओं के काटने में सशर्त शरई झाड़-फूँक से बढ़ कर लाभकारी कोई भी औषधि या उपचार नहीं है।
- «حُمَةٍ»: यह किसी भी विषैले जानवर के डंक मारने को कहते हैं, किंतु حُمَّة बुख़ार को कहते हैं।
- «رَهْط» : यह तीन से नौ तक के अंक पर बोला जाता है।
- «لَا يَسْتَرْقُونَ»: किसी से यह नहीं कहते कि दुआ पढ़ कर मेरे ऊपर दम कर दो, निम्नलिखित कारणों सेः

१- अल्लाह पर दृढ़ विश्वास के कारण। २- अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए तथा उसे ग़ैरुल्लाह के समक्ष तिरस्कार से बचाने हेतु। ३- इसमें एक प्रकार का ग़ैरुल्लाह से संबंध पाया जाता है।

- «لَا يَرْقُونَ»: (वह दम नहीं करते हैं), वाली रिवायत प्रमाणित नहीं है जैसा कि शैख़ुल इस्लाम ने कहा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं पर दम किया करते थे तथा जिब्रील अलैहिस्सलाम व आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप के ऊपर दम किया था, और इसी प्रकार सहाबा भी दम किया करते थे।
- दूसरों से झाड़-फूँक करवाने के विषय में लोगों के कई प्रकार हैं:
  1- किसी से कहे कि वह उस पर दम कर दे, इससे कमाल (विशिष्ट दर्जा) छिन गया (अर्थात वह सत्तर हज़ार लोगों से निकल गया)।
  2- कोई स्वतः आकर उस पर दम करे तो उस को न रोके, इससे कमाल (विशिष्ट दर्जा) नहीं छिना क्योंकि उस ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था कि कोई आकर उस पर दम कर दे।
  3- कोई स्वतः दम करने के लिए आए तो उसको रोके, यह सुन्नत के विरुद्ध है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने ऊपर दम करने से नहीं रोका था।
- «وَلَا يَكْتَوُونَ» : किसी अन्य को दागने के द्वारा उपचार करने को नहीं कहते हैं।
- «وَلَا يَتَطَيَّرُونَ»: ततय्युर, अरबी भाषा में अपशकुन लेने को कहते हैं, चाहे कोई दिखाई देने वाली (दृश्य), सुनाई देने वाली (श्रव्य), अथवा किसी विशेष स्थान या समय से अपशगुन लिया जाए। जहाँ तक ऐसा करने का हुक्म का प्रश्न है, तो ऐसा करनाः शिर्क -ए- अस़ग़र है।

- ह़दीस़ में उल्लेखित इन तीन विशेष गुणों से सुसज्जित लोगों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी जो औषधि इत्यादि का प्रयोग करते हैं वह भी जन्नत में बिना हिसाब के जा सकते हैं क्योंकि ह़दीस़ में उपचार का आदेश दिया गया है और कुछ औषधियों की प्रशंसा भी की गई है, जैसेः मधु तथा क्लोंजी इत्यादि।

उम्मत के प्रकारः

उम्मत -ए- इजाबाः जिसने अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को स्वीकार किया, अर्थात मोमिन लोग।

उम्मत -ए- दावतः इस में जिसने अल्लाह तथा उस के रसूल (दूत) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को स्वीकार किया तथा जिसने अस्वीकार किया देनों शामिल हैं।

मसाइलः

पहलाः तौह़ीद में लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं।

दूसराः तौह़ीद (एकेश्वरवाद) को वास्तविक रूप में अपनाने का क्या अर्थ है (उस को शिर्क (बहुदेववादिता), बिदअत (नवाचार), तथा गुनाहों (कुकर्मों) से बचा कर रखना)।

तीसराः अल्लाह तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रशंसा यूँ की है किः "वह मुश्रिकों में से नहीं थे"।

चौथाः अल्लाह तआला ने इस बात के लिए अपने सादात औलिया (पुनीत बंदों) की भी प्रशंसा की है कि वो शिर्क से बचने वाले थे।

पाँचवाँः मंत्र (झाड़-फूँक) तथा आग से दागने के द्वारा उपचार करने का त्याग ही तौह़ीद को वास्तविक रूप में अपनाना है (अर्थातः स्वयं किसी को दम करने या दागने के लिए न कहे)।

छठाः इन सभी स्वाभावों का संग्रह अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करना है (क्योंकि उसने इसको मज़बूत तवक्कुल व भरोसा के कारण ही छोड़ा है)।

सातवाँः स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज्ञान की गहनता कि उन्होंने यह अंदाज़ा लगा लिया कि उन्हें यह उच्च स्थान कोई कर्म करने के कारण ही मिला है (अर्थात ठोस कर्म)।

आठवाँः स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का भलाई के कामों में रुचि लेना (क्योंकि उन की चाहत यह थी कि वो उस नतीजा तक पहुँचे ताकि वो भी वही कर्म करें)।

नौवाँः मात्रा (संख्या) तथा स्थिति (कर्म) में इस उम्मत की श्रेष्ठा।

दसवाँः इस से मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों (पैरोकारों) की फ़ज़ीलत व प्रधानता भी साबित होती है।

ग्यारह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष समस्त उम्मतें पेश की गईं (१- आप के सांत्वना के लिए। २- आप के आदर-सत्कार तथा फ़ज़ीलत व प्रधानता बताने के लिए)।

बारह्वाँ: प्रत्येक उम्मत को अलग-अलग अपने नबियों के साथ उठाया जाएगा।

तेरह्वाँ: नबियों की दावत स्वीकार करने वाले आम तौर पर कम ही लोग थे।

चौदह्वाँ: जिस नबी की दावत को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया वह अकेले ही आएंगे।

पंद्रह्वाँ: इस ज्ञान का लाभ यह है कि संख्या बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए (१- कि कहीं हम भी उन्हीं के साथ नष्ट न हो जाएं), २- और संख्या कम होने पर चिंतित भी नहीं होना चाहिए (क्योंकि कभी-कभी कम होना अधिक होने से बेहतर होता है)।

सोलह्वाँ: बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के काट लेने (इत्यादि) में (शरई) झाड़-फूँक की अनुमती।

सत्रह्वाँ: सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह के कथनः (जिसने अपने ज्ञान के अनुसार अमल किया उसने अच्छा किया) से सलफ (पूर्वजों) के गहन व गूढ़ ज्ञान का पता चलता है, साथ ही साथ यह भी ज्ञात हुआ कि प्रथम ह़दीस़ द्वितीय ह़दीस़ की विरोधी नहीं है।

अट्ठारह्वाँ: सलफ (पूर्वजों) का अकारण किसी की प्रशंसा से बचना।

उन्नीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु से यह कहनाः (तुम उन्हीं में से हो), नबूवत के चिन्हों मे से एक चिन्ह है।

बीसवाँ: इससे उक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ज़ीलत व श्रेष्ठता भी सिद्ध हीती है (कि वह उन लोगों में से हैं जो बिना हिसाब व अज़ाब (यातना) जन्नत में जाएंगे)।

इक्कीसवाँ: इससे यह भी ज्ञात हुआ कि (आवश्यकतानुसार) संकेतों का प्रयोग करना जायज़ है (आप ने ऐसा इस लिए किया किः १- या तो वह व्यक्ति मुनाफ़िक़ (पाखण्डी) था, २- या फिर इस लिए कि कहीं ऐसा सिलसिला न चल निकले तथा इस बार वह भी प्रार्थना करने के लिए कहे जो इसका पात्र नहीं है)।

बाईसवाँ: इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शिष्टाचार व अच्छे व्यवहार का भी पता चलता है।

४- शिर्क (बहुदेववादिता) से डरने का बयान

वास्तविक तौहीद के उल्लेख वाले अध्याय के पश्चात इस का उल्लेख क्यों किया है?

क्योंकि, कभी-कभी इंसान को लगता है कि उसने तौहीद को उसके वास्तविक रूप में अपना लिया है जब्कि ऐसा होता नहीं, अतः किसी को भी इस धोखे में नहीं रहना चाहिए।

क्योंकि, वास्तविक तौहीद वाले अध्याय के पश्चात अब प्रत्येक अध्याय उसी से संबंधित है, अतः शिर्क से डरना, तौहीद की दावत देना इसी प्रकार से पुस्तक के अंत तक सभी वास्तविक तौहीद से ही संबंध रखता है।

पहली तथा दूसरी दलील:

१-अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ (निःसंदेह अल्लाह तआला शिर्क को क्षमा नहीं करेगा, इसके अतिरिक्त जिस पाप को चाहेगा क्षमा कर देगा)।

२- और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्रार्थना किया था: ﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ﴾ (हे मेरे रब (पालनहार), मुझे तथा मेरी संतान को मूर्ति पूजन से बचा के रखना)।

हम शिर्क (बहुदेववादिता) से कैसे बच सकते हैं?

तौहीद सीखने, उसके अनुसार कर्म करने, उसकी ओर दावत देने तथा उस पर सब्र (संयम) करने के द्वारा।

अल्लाह तआला से दुआ (प्रार्थना) तथा सहायता मांगने के द्वारा।

शिर्क तथा उसकी ओर ले जाने वाली चीजों का ज्ञान अर्जित करके, ताकि हम उससे बच सकें।

शिर्क तथा मुश्रिकीन से बराअत व दूरी अपना करके कि कहीं हम भी उन्हीं में से न हो जाएं।

- यदि किसी की मृत्यु शिर्क करते हुए होती है तो अल्लाह तआला ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि वह अल्लाह तआला के विशेषाधिकार तौहीद में कटौती करने का मुजरिम बनता है, अतः जिस व्यक्ति की मृत्यु शिर्क -ए- अकबर की हालत में हुई वह सदा नरक में रहेगा, और यदि शिर्क -ए- असगर करते हुए हुई हो तो वह अपने शिर्क के अनुसार नरक में रहेगा तत्पश्चात स्वर्ग में प्रवेश पाएगा, वह सदा नरक नहीं भोगेगा क्योंकि वह मोमिन है।

- ﴿وَٱجۡنُبۡنِي﴾: मुझे एक किनारे तथा मुर्तियों को पूजने वालों को दूसरे किनारे कर दे ताकि हमारे बीच उचित व अत्याधिक दूरी बनी रहे।
- ﴿ٱلۡأَصۡنَامَ﴾: सनम (प्रतिमा), ऐसी चीज़ को कहते हैं जो मानव इत्यादि की आकृती में बनाई गई हो तथा जिसको अल्लाह के सिवाय पूजा जाता हो, जब्कि "वसन" ऐसी किसी भी चीज़ को कहते हैं जिसकी अल्लाह के अलावा पूजा की जाती हो, अतः "वसन" सर्वव्यापक है "सनम" के विपरीत।
- जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम स्वयं के शिर्क में पड़ जाने का भय खा रहे हैं जोकि अल्लाह के मित्र तथा मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादियों) के इमाम व गुरू हैं, तो हमारी क्या दशा होनी चाहिए? अतः हम स्वयं को शिर्क से सुरक्षित न समझें तथा न ही निफ़ाक़ (पाखण्ड) से, क्योंकि स्वयं को निफ़ाक़ से सुरक्षित समझने वाला मुनाफ़िक़ (पाखण्डी) ही होता है।

तीसरी, चौथी व पाँचवीं दलील:

३- हदीस में आया है कि:«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: الرِّيَاءُ» : **"मुझे तुम्हारे ऊपर सर्वाधिक भय छोटे शिर्क का है, आप से इस के संबंध में पूछा गया तो आप ने फरमाया: रियाकारी (पाखण्ड)"।**

४- और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لله نِدًّا؛ دَخَلَ النَّارَ» **"जो इस स्थिति में मरे कि अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाता रहा वह नरक में जायेगा"**। इस हदीस को बुख़ारी ने रिवायत किया है।

५- तथा मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **"जो अल्लाह तआला से इस हाल में मिले कि उस के संग किसी को शरीक व साझीदार नहीं बनाया हो तो वह स्वर्ग में जायेगा, तथा जो इस हालत में मिला कि उस के साथ शिर्क किया हो तो वह नरक में जायेगा"**।

- **الرِّياء** (रियाकारी, पाखण्ड): यह है कि इंसान अल्लाह की इबादत (उपासना) इस लिए करे कि कोई उसे देखे या सुने तो ऐसा करने पर उस की प्रशंसा करे कि वह बड़ा उपासक व तपस्वी है, न कि उसकी उपासना ही लोगों के लिए हो अन्यथा यह शिर्क -ए- अकबर हो जाएगी, किंतु यदि उसकी इस उपासना का उद्देश्य यह हो कि उसकी देखा-देखी लोग भी इबादत करने लगें तो यह रियाकारी नहीं होगी बल्कि यह अल्लाह की ओर दावत देना समझा जायेगा, तथा रियाकारी (पाखण्ड) का उपचार निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है:

१- तौहीद का पाठ करना, क्योंकि इसके द्वारा हृदय में अल्लाह की महानता व उसके प्रभुत्वशाली होने का बोध होता है और बंदा अल्लाह के सिवाय किसी और की परवाह करना छोड़ देता है।

२- दुआ (प्रार्थना करना)।
३- इस बात का प्रयास करना कि सारे कर्म गुप्त रूप से बंदा तथा अल्लाह के मध्य ही रहें।
४- इस भय से कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए कि कहीं हम रियाकारी में न पड़ जाएं।
५- अधिकाधिक ऐसे नेक आमाल (सुकर्म) करना जो आख़िरत (परलोक) का स्मरण कराते हों, जैसे क़ब्रिस्तान (शमशान) का भ्रमण करना इसके भ्रमण की शर्तों का पालन करते हुए।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत पर मसीह दज्जाल से भी अधिक रियाकारी (पाखण्ड) का भय क्यों खाते थे?

क्योंकि दज्जाल का फित्ना (उपद्रव) सीमित समय के लिए (अंतिम युग में) होगा, जब्कि रियाकारी का फित्ना हर समय मौजूद है।

क्योंकि दज्जाल का फित्ना ज़ाहिर व स्पष्ट होगा जब्कि रियाकारी का फित्ना गुप्त होता है।

रियाकारी (पाखण्ड) के प्रकार:

मूल इबादत (उपासना) में होः अर्थात कोई रियाकारी व दिखावा के लिए ही इबादत कर रहा हो, तो ऐसी इबादत बातिल व व्यर्थ है।

वक़्ती (सामयिक) होः अर्थात मूलरूप से उपासना उसने अल्लाह के लिए ही आरंभ किया था किंतु बाद में उस में रियाकारी व दिखावा शामिल हो गया।

इबादत (उपासना) समाप्त हो जाने के पश्चात होः यह प्रभावित नहीं करेगा सिवाय इसके कि इसमें अत्याचार का समावेश हो, जैसे सदक़ा (दान) करने के पश्चात एहसान (उपकार) जतलाना व दुःख देना।

इसी में लगा रहेः इसमें तफ़्सील व विस्तार हैः

इसको दूर करेः यह हानि नहीं पहूँचाएगा क्योंकि उसने इसको दूर करने का प्रयास करके दूर किया, तथा उसकी इबादत सही है।

इबादत यदि ऐसी हो जिसके आरंभ का संबंध व जोड़ अंत से हो, जैसे नमाज़ः
तो सारी इबादत व्यर्थ एवं बातिल है।

इबादत यदि ऐसी हो जिसके प्रारंभ का संबंध व जोड़ अंत से न हो, जैसे ज़कातः तो केवल वह अंश व भाग बातिल एवं व्यर्थ होगा जिसमें रियाकारी व दिखावा था।

- «نِدًّا»: (अरबी भाषा का शब्दः "**निद्द**" का अर्थ होता हैः), मानिंद, समान तथा तुल्य।
- «دَخَلَ النَّارَ»: यह अल्लाह के लिए निद्द (साझी) बनाने की सज़ा (दण्ड) है।
- «شَيْئًا» (किसी को भी): इसमें हरेक प्रकार का शिर्क शामिल है, यहाँ तक कि यदि सर्वोत्तम इंसान (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी यदि अल्लाह का साझी बनाता है तो वह जहन्नम में जाएगा।
- «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» (जो इस दशा में अल्लाह से मिले कि वह उसके साथ किसी और को उसका साझी बनाता हो तो वह नरक भोगेगा): शिर्क (बहुदेववादिता) यदि अस़्ग़ार (छोटा) होगा तो वह सदा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, किंतु शिर्क (बहुदेववादिता) यदि अकबर (बड़ा) होगा तो फिर ऐसा करने वाला सदा के लिए नरक भोगेगा।
- शिर्क का मामला बड़ा कठिन है लेकिन अल्लाह तआला अपने बंदों के लिए इख़्लास (निष्ठा) को सरल बना देता है, और वह इस प्रकार कि बंदा अल्लाह को ही अपना लक्ष्य व ध्येय बना लेता है, अतः वह अपने कर्म के द्वारा केवल अल्लाह को ही प्रसन्न करना चाहता है न कि इंसानों को, और न ही वह लोगों की प्रशंसा करने अथवा निंदा करने की परवाह करता है, क्योंकि मानव कभी भी उसको कोई भी लाभ नहीं पहूँचा सकता है।
- इसी प्रकार यह बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंसान इस बात पर प्रसन्न न हो कि लोगों के बीच उस की बात इसलिए स्वीकार्य है कि वह उस के द्वारा कही गई बात है, बल्कि इस लिए प्रसन्न हो कि लोग उस की बात इस लिए स्वीकार करते हैं कि वह ह़क़ (सत्य) है न कि इसलिए कि वह उस की बात है या इस के विपरीत, क्योंकि इख़्लास़ (निष्ठा) की डगर बड़ी कठिन है, यह अलग बात है कि इंसान सच्चे तौर पर सीधे रास्ते पर चलते हुए अपना ध्येय केवल अल्लाह को प्रसन्न करना ही बनाए रखे तो ऐसी दशा में अल्लाह तआला भी उस की सहायता करता है और उस के लिए सुगमता एवं सरलता के उपाय कर देता

दुआ के दो प्रकार है:

दुआ -ए- मसअला (मांगी जाने वाली प्रार्थना):

और इसके भी दे प्रकार हैं:

दुआ -ए- इबादत (उपासना वाली दुआ): जैसे, कोई ग़ैरुल्लाह के लिए रोज़ा रखे (उपवास करे), नमाज़ पढ़े, या हज करे तो उसने कुफ्र किया।

जिस का सामर्थ्य (क़ुदरत व ताक़त) केवल अल्लाह के पास है: उस को ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अतिरिक्त कोई और) के लिए अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है, जैसे ग़ैरुल्लाह से संतान माँगना अथवा उससे पानी बरसाने की प्रार्थना करना।

जिस का सामर्थ्य (क़ुदरत व ताकत) मख़्लूक़ (बंदा) के पास भी है: यह चार शर्तों के साथ जायज़ है, कि जिससे मांगा जा रहा है, वह: जीवित हो, उपस्थित हो, समर्थ व सक्षम (क़ुदरत व ताकत रखता) हो और उससे केवल उसको एक कारण व सबब मान कर मांगा जा रहा हो।

शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र के मध्य अंतर:

शिर्क -ए- अकबर

- इस्लामिक सीमा से बाहर कर देता है।
- सारे आमाल को बर्बाद कर देता है।
- जान व माल को ह़लाल कर देता है, बशर्ते कि उसका कार्यान्वयन मुस्लिम शासक की ओर से हो।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण है।
- इसको शरीअत में शिर्क –ए- अकबर कहा गया हो।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (أل) हो।
- यह आस्था रखे कि ग़ैरुल्लाह ब्रह्माण्ड में गुप्त रूप से फेर-बदल करने का अधिकार रखता है।

शिर्क -ए- अस़ग़र

- इस्लामिक सीमा से बाहर नहीं करता है।
- सारे आमाल को बर्बाद नहीं करता है।
- जान व माल को ह़लाल नहीं करता है।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण नहीं बनता है।
- इसको शरीअत में शिर्क –ए- अस़ग़र कहा गया हो।
- प्रत्येक वह चीज जो शिर्क -ए- अकबर तक पहुँचने का कारण बने।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (أل) दाखिल न हो।

मसाइल:

पहला: शिर्क से भयभीत रहना चाहिए।

दूसरा: रियाकारी व दिखावा करना शिर्क है।

तीसरा: रियाकारी व दिखावा (पाखण्ड) करना शिर्क -ए- अस़्ग़र (छोटा शिर्क) है (अर्थात रियाकारी व दिखावा की थोड़ी सी मात्रा शिर्क -ए- अस़्ग़र है)।

चौथा: रियाकारी व दिखावा का भय सर्वाधिक नेक लोगों पर होता है (क्योंकि यह लोगों कि दिलों में ग़ैर इरादि तौर अर्थात अनेच्छिक रूप से तथा अवचेतन में घुस जाता है इस के गुप्त होने तथा लोगों का इस के लिए लालायित रहने के कारण, क्योंकि अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि इबादत व उपासना करने पर उस की प्रशंसा की जाए)।

पाँचवां: जन्नत और जहन्नम (स्वर्ग तथा नरक) का समीप होना।

छठा: दोनों की समीपता का एक ही ह़दीस़ में उल्लेख करना।

सातवां: जो शिर्क करते हुए मरेगा वह नरक में प्रवेश करेगा यद्यपि वह कितना बड़ा ही इबादत गुज़ार व उपासक तथा तपस्वी क्यों न हो (यदि यह शिर्क -ए- अकबर होगा तो वह कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, किंतु यदि यह शिर्क, अस़्ग़र (छोटा) हो तो अपने पापों के अनुसार यातना भुगतने के पश्चात जन्नत में प्रवेश करेगा)।

आठवां: सबसे बड़ी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्वयं तथा अपनी संतान के लिए शिर्क (बहुदेववादिता) से सुरक्षा की प्रार्थना करना है। (अतः हमें भी इसकी संगीनी नहीं भूलनी चाहिए)।

नौवां: इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (हे मेरे रब (पालनहार) इन मूर्तियों ने हम में से अधिकांश लोगों को गुमराह (पथभ्रष्ट) कर दिया है) कह कर अधिकतर लोगों की स्थिति से सीख ली है।

दसवां: इमाम बुख़ारी रह़िमहुल्लाह के कथन के अनुसार इस में "ला इलाहा इल्लल्लाह" की तफ़्सीर व व्याख्या है।

ग्यारह्वां: इस अध्याय के द्वारा शिर्क से बचने वालों की फ़ज़ीलत व प्रधानता भी प्रमाणित होती है (कि ऐसा करने वाला जन्नत में प्रवेश करेगा)।

५- "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के लिए आमंत्रण देने का अध्याय

लेखक रहिमहुल्लाह ने यह अध्याय क्यों बाँधा है?

१- जब व्यक्ति के स्वयं तौहीद पर अमल कर लेने का उल्लेख कर चुके तो अन्य को भी इसकी ओर आमंत्रण देने का उल्लेख किया है क्योंकि ईमान उसी समय पूर्ण हो सकता है जब वह दूसरों को भी तौहीद की दावत दे, अतः तौहीद पर स्वयं अमल करने के साथ-साथ दूसरों को भी इसकी दावत देना आवश्यक है ताकि ईमान पूर्ण हो अन्यथा ईमान अपूर्ण रहेगा।

२- यह उन लोगों का खंडन है जो कहते हैं कि सर्वप्रथम नमाज़ की दावत दी जाएगी न कि तौहीद की।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى﴾ (आप कह दिजीये, यही मेरा मार्ग है, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ, मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ तथा मेरे अनुयायी भी)।

- ﴿سَبِيلِىٓ﴾: मेरा तरीका, ढ़ंग एवं रास्ता: और इस में आप की लाई हुई शरीअत की प्रत्येक चीज़ सम्मिलित है, चाहे उसका संबंध इबादत एवं उपासना से हो अथवा अल्लाह की ओर दावत देने से।
- ﴿إِلَى ٱللَّهِ ۚ﴾: दाई (प्रचारक) के दो प्रकार हैं: १- अल्लाह की ओर दावत देने वाले। २- ग़ैरुल्लाह की ओर दावत देने वाले।
- ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾: इस में सम्मिलित है: १- शरीअत का इल्म व ज्ञान। २- दावत दिए जाने वाले लोगों की परिस्थिति का सटीक आकलन। ३- हिकमत (तत्वदर्शिता)।
- **अल्लाह की ओर दावत देने की शर्तें:**

१- इख़्लास़ (निष्ठा)। २- शरई इल्म। ३- हिकमत (तत्वदर्शिता)। ४- दावत दिए जाने वाले लोगों की हालत का ज्ञान। ५- सब्र एवं संयम।

दूसरी दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनसे कहा: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ،

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْـمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» "तुम एक ऐसे समुदाय के पास जा रहे हो जिनके पास आसमानी किताब है, अत: सर्वप्रथम उन्हें "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार करने की ओर बुलाना -तथा एक अन्य ह़दीस़ में है कि अल्लाह के एक अकेला (अद्वैत) होने की ओर बुलाना, यदि वो तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने तुम पर रात-दिन में पाँच नमाज़ें अनिवार्य कर दी हैं, यदि वो तुम्हारी यह बात भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने तुम पर सदका (दान) देना अनिवार्य कर दिया है जो उनके धनी लोगों से ले कर निर्धनों पर खर्च किया जाएगा, फिर यदि वो आपकी यह बात भी स्वीकार कर लें तो उनके उत्तम व अच्छे धन को ले लेने से बचना, तथा सताये हुए की हाय व बद्दुआ से बचना क्योंकि उसके तथा अललाह के बीच कोई आड़ नहीं होती"। इसे बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- **इस ह़दीस़ में:**

1- दाई को सिखलाने (शिक्षित करने) तथा उसे अल्लाह तआला की ओर दावत देने के लिए भेजने के मशरूअ (धर्मशास्त्र) होने का प्रमाण।

2- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने केवल एक व्यक्ति को भेजा था, जिस से ख़बर -ए- वाह़िद (एक अकेला की सूचना) को सच मानने एवं स्वीकार करने का प्रमाण मिलता है।

3- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोई समय सीमा तय नहीं की, ताकि उनकी आवश्यकतानुसार जब तक चाहें वह उन के पास ठहरे रहें।

4- विरोधियों को दावत देने का ढ़ंग भी ज्ञात हुआ, और सरलतम ढ़ंग यह है कि उन्हें तौह़ीद की ओर बुलाया जाए न कि मुनाज़िरह तथा वाद-विवाद की ओर।

5- सिर्फ इसलाम की दावत देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसलाम स्वीकार करने के पश्चात उन पर क्या-क्या अनिवार्य होगा उनके विषय में भी बताया जाए ताकि उनको संतुष्टि हो तथा वह उसके अनुसार कर्म करें, किंतु यह सब क्रमबद्ध रुप से होगा जैसाकि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ में वर्णित है।

तीसरी दलील:

बुख़ारी एवं मुस्लिम ही में सह्ल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कि रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ैबर के दिन फरमाया:

«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»،

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «**أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟**»، فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ؛ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «**انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ**». «**يَدُوكُونَ**»؛ أَيْ: يَخُوضُونَ،

"कल मैं एक ऐसे व्यक्ति को झण्डा दूँगा जो अल्लाह तआला तथा उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम करता है तथा अल्लाह तआला एवं उसके रसूल भी उस से प्रेम करते हैं, अल्लाह तआला उसके द्वारा विजय देगा, लोग (सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम) रात भर सोच-विचार करते रहे कि झण्डा किसे दिया जायेगा, तथा सवेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास इस आशा के साथ आए कि झंडा उसे ही दिया जाएगा, आपने प्रश्न किया: अली बिन अबू तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि उनकी आँखों में तक्लीफ है, उन्हें बुला कर लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी आँख में थूक लगाया और उनके लिए दुआ किया तो वह ऐसे स्वस्थ हो गए कि मानो उन्हें कोई पीड़ा थी ही नहीं, आप ने उन्हें झण्डा दिया तथा कहा: आराम से चले जाओ तथा जब उनके क्षेत्र में पहुँचो तो उन्हें इसलाम की ओर बुलाओ तथा उन पर अल्लाह का जो हक़ है वह बताओ, अल्लाह की सौगंध, यदि तुम्हारे द्वारा अल्लाह तआला ने एक व्यक्ति को भी हिदायत (मार्ग दर्शन) दे दिया तो तुम्हारे लिए यह लाल ऊँट से उत्तम है"।

«**يَدُوكُونَ**»: का अर्थ है: गहन सोच-विचार करना।

- अल्लाह तआला के लिए सिफत -ए- मुहब्बत (प्रेम करने की विशेषता एवं गुण) का प्रमाण कि अल्लाह तआला प्रेम करता है तथा उससे भी प्रेम किया जाता है किंतु उसका प्रेम करना मख़लूक़ (बंदा) के प्रेम करने के समान नहीं है।
- किसी विशेष फ़ज़ीलत एवं प्रधानता के साबित होने से किसी व्यक्ति के साधारणतः एवं व्यापक रूप से फ़ाज़िल एवं प्रधान होना साबित नहीं होता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के विषय में कहना कि: "वह इस उम्मत के अमीन अर्थात भरोसेमंद एवं धरोहर रक्षक हैं" इससे यह साबित नहीं होता है कि वह समस्त सहाबा से उत्तम हैं, इसी प्रकार मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला है।
- «**حُمْرِ النَّعَمِ**»: यह लाल ऊँट को कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि यह अरब के निकट बड़ी प्रिय वस्तु समझी जाती थी।

चमत्कार के चार प्रकार हैं: और चमत्कार कहते हैं सामान्य स्वाभाव से हटकर घटित होने वाली घटना, जैसे कोई हवा में उड़ने लगे अथवा पानी पर चलने लगेः

१- आयतः यह नबियों के लिए होती है और इसे मोजज़ा नहीं कहा जायेगा क्योंकि क़ुरआन में इसे आयत ही कहा गया है, क्योंकि मोजज़ा वह होता है जिसके करने से कुछ लोग आजिज़ (असमर्थ) हों तथा यह नबियों के अतिरिक्त किसी और के लिए भी हो सकता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात किसी आयत का दावा करना असंभव है।

२- करामतः यह अल्लाह तआला के उन वलियों तथा मित्रों के लिए होती है जिन्होंने ईमान तथा तक़वा (इंद्रियनिग्रह) को अपनाया, करामत के उदाहरणस्वरूप अस्हाब -ए- कहफ (गुफा वाले) का वृत्तांत (किस्सा, कथा) मौजूद है।

२- करामतः यह अल्लाह तआला के उन वलियों [illegible]

मोजज़ा अथवा फित्नाः यह शैतान के चेलों के लिए होता है, ऐसे लोगों को देख कर इसका अनुमान हम सरलता के साथ इस प्रकार के लोगों की दशा देख कर लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास न ईमान होता है न तक़वा, इसका उदाहरण वह है जो दज्जाल को प्राप्त होगा।

४- फजीहत (फजीता, अपयश): हरेक वह व्यक्ति जो अल्लाह पर झूठ बाँधता है अल्लाह तआला परलोक के पूर्व इस लोक में ही उस की फजीहत कर देता है, इसका उदाहरण वह है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब (अत्यंत झूठा) के साथ पेश आया था कि उसने एक व्यक्ति की आँख में फूँक मारा तो वह अंधा हो गया।

मसाईल

पहलाः अल्लाह की ओर बुलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायियों की रीति है (रसूलों तथा उनके पैरोकारों की)।

दूसराः इख़्लास़ (निष्ठा) पर सचेत करना, क्योंकि अधिकांश लोग यद्यपि हक़ व सत्य की दावत दे रहे होते हैं तथापि वह लोगों को स्वयं की ओर दावत दे रहे होते हैं।

तीसराः सूझ-बूझ के साथ दावत का कार्य करना अनिवार्य है (चूँकि दावत का कार्य करना फर्ज है, अतः उससे संबंधित ज्ञान अर्जित करना भी फर्ज होगा)।

चौथाः तौहीद की ख़ूबी एवं विशेषता यह है कि यह अल्लाह को हर प्रकार के दोष एवं त्रुटि से बरी व पाक मानती है।

पाँचवां: शिर्क की बुराई यह है कि यह अल्लाह को दूषित एवं त्रुटिपूर्ण बनाती है (और मुवह्हिद (एकेश्वरवादि) अल्लाह तआला को हर प्रकार के दोष से पाक मानता है)।

छठा: इस अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण एक मसला यह है कि मुसलमान को मुश्रिक से दूर रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि शिर्क न करने के बावजूद भी कहीं वह उन्हीं में से न हो जाए (क्योंकि उनके साथ रहने के कारण यद्यपि वह शिर्क न करता हो तथापि प्रथम दृष्टया में वह उन्हीं के साथ समझा जाएगा)।

सातवाँ: तौहीद (एकेश्वरवाद, अद्वैत)सर्वोपरि, प्रथम एवं परम कर्तव्य है।

आठवाँ: सर्वप्रथम यहाँ तक कि नमाज़ से भी पहले, इसी तौहीद की दावत दी जाएगी।

नौवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमानः «أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ» (कि वो अल्लाह तआला को एक अकेला मानें) तथा कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही, दोनों का अर्थ एक ही है।

दसवाँ: इंसान कभी अहले किताब (यहूदी एवं ईसाई) में से होते हुए भी किताब (अर्थात तौहीद) को तो अच्छी तरह नहीं जानता है या जानता है तो उसके अनुसार कर्म नहीं करता है।

ग्यारह्वाँ: धीरे-धीरे क्रमबद्ध ढ़ंग से शिक्षा देने की ओर ध्यानाकर्षण।

बारह्वाँ: सर्वप्रथम श्रेष्ठतम तत्पश्चात श्रेष्ठ (अति महत्वपूर्ण फिर महत्वपूर्ण) इस प्रकार आरंभ करना चाहिए (सर्वप्रथम तौहीद तत्पश्चात नमाज़ तदोपरांत ज़कात)।

तेरह्वाँ: ज़कात (देय दान) किसे देना चाहिए (उसके आठ प्रकार हैं)।

चौदह्वाँ: शिक्षक का शिक्षार्थी (छात्र) की शंकाओं का निवारण करना (उसे ज्ञान दे कर तथा उससे अज्ञानता को दूर करके)।

पंद्रह्वाँ: सर्वोत्तम व अच्छा धन लेना निषिद्ध एवं वर्जित है।

सोलह्वाँ: मज़लूम (पिड़ित, त्रस्त) की बद्दुआ (शाप, हाय) से बचना।

सत्रह्वाँ: इसकी सूचना कि मज़लूम की बद्दुआ रोकी नहीं जाती (अर्थात तरग़ीब व तरहीब -रुचि पैदा करना तथा भय दिलाना- दोनों का उल्लेख एक साथ किया है)।

अट्ठारह्वाँ: रसूलों के सरदार (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा वलियों के मुखिया (सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम) को जो दुःखों, भूख एवं रोगों का सामना करना पड़ा वह तौहीद के प्रमाण में से है (उदाहरणस्वरूप ख़ैबर की घटना को देखा जा सकता है)।

उन्नीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन किः "**कल मैं झण्डा ऐसे व्यक्ति को दूँगा...**" नबूवत के प्रमाणों में से एक प्रमाण है।

बीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख में थुकथुकाना (तथा उनका ठीक हो जाना) भी नबूवत के प्रमाणों में से एक प्रमाण है।

इक्कीसवाँ: इससे अली रज़ियल्लाहु अन्हु की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है (यह अमीरुल मोमिनीन -मोमिनों के मुखिया व सरदार- रज़ियल्लाहु अन्हु के मनकबत (फ़ज़ीलत) में से है)।

बाईसवाँ: इससे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है कि वह रात भर गहन सोच-विचार करते रहे यहाँ तक कि विजय की शुभ-सूचना भी भूल गए।

तेईसवाँ: तक़दीर (भाग्य) पर ईमान कि जिसने इसे पाने के लिए रात भर प्रयास किया उसे नहीं मिला तथा जिसने प्रयत्न नहीं किया उसे मिल गया।

चौबीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन "**शांति पूर्वक जाओ**" में (लड़ाई) का शिष्टाचार है (कि आपने जल्दी करने के स्थान पर शांति के साथ जाने का आदेश दिया)।

पच्चीसवाँ: युद्ध आरंभ करने के पूर्व इस्लाम की दावत देना।

छब्बीसवाँ: इसलाम का आमंत्रण देना चाहे इसके पूर्व उसे आमंत्रण दिया जा चुका हो तथा उनसे लड़ाई हो चुकी हो।

सत्ताईसवाँ: सूझ-बूझ से दावत देना क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**उनके ऊपर जो अनिवार्य होता है उन्हें बता देना**" (क्योंकि हो सकता है कि वह इसलाम पर अमल करें या न करें, अतः उनसे संधि लेना आवश्यक है ताकि वह मुर्तद -इसलाम से फिर जाना- न हो जाएं)।

अट्ठाईसवाँ: मुसलमान होकर इसलाम मे अल्लाह के हक़ (अधिकार) का ज्ञान।

उन्तीसवाँ: जिसके हाथ पर एक आदमी भी मुसलमान हो जाए उसका सवाब (फल) (कि यह संसार में सर्वोत्तम मानी जाने वाली वस्तुओं से भी बढ़ कर है)।

तीसवाँ: फत्वा (शास्त्रीय आदेश) पर सौगंध खाना (किसी लाभ या मसलेहत के बिना फत्वा पर सौगंध खाना मुनासिब नहीं है)।

(फत्वाः इसलाम से जुड़े किसी मसले पर क़ुरान और हदीस़ की रौशनी में जो हुक्म जारी किया जाता है वह फ़त्वा कहलाता है)।

पहले भाग से परीक्षा (५ अध्याय)

क्र. सं.	अध्याय का शीर्षक	लेखक का इस अध्याय में इसे उल्लेख करने का कारण
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....

द्वीतीय प्रश्न: उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ण करे:

1- हमें कई कारणों से किताबुत तौहीद का पठन करना चाहिए, जैसेः 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- .....

2- लेखक महोदय ने पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकिः 1- ..... २- ..... ३- .....

3- हम किताबुत तौहीद को इतने भागों में खण्डित कर सकते हैं: १-..... 2- ..... 3- .....4- ..... 5- .....6- .....7- ..... 8- ....9- ..... 10- .....

4- जो लोग कहते हैं कि कुताबुत तौहीद में केवल उलूहियत का उल्लेख है, हम उनका खंडन इन अध्यायों के द्वारा करेंगेः अध्याय ..... तथा अध्याय ..... तथा अध्याय .....

5- उबूदियत (उपासना) के प्रकार हैं: उबूदियत -ए- ..... तथा इसका अर्थ है ..... और इसका प्रमाण हैः .....

२- उबूदियत -ए- ..... जिसका अर्थ है ..... इसका प्रमाण हैः .....

३- उबूदियत -ए- ..... जिसका अर्थ है ..... इसका प्रमाण हैः .....

6- जिन प्राणों को क़त्ल करने से अल्लाह ने रोका है, वह चार हैं: ....., ..., ..., ...

7- इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत इस लिए कहा है किः .....

8- "उम्मत" शब्द के क़ुरआन में कई अर्थ हैं: ..... या ..... या ..... या .....

9- वास्तविक तौहीद अर्थातः उसको ..... तथा .....तथा .....

10- यह उम्मत दूसरी उम्मतों के विपरीत सर्वाधिक हैः ..... तथा .....

11- किसी विशेष प्रधानता के कारण ..... प्रधान होने को प्रमाणित नहीं करता है।

12- "**केवल बुरी नज़र में ही झाड़-फूँक किया जाएगा**" अर्थातः .....

13- किसी से झाड़-फूँक करवाने या दागने के द्वारा उपचार करने को निषेध करने का कदाचित यह अर्थ नहीं है कि डॉक्टरों के पास नहीं जाया जाए, क्योंकि .....

14- ﴿لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾: अर्थातः ..... ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾: अर्थातः .....

15- ﴿رُوحٌ مِنْـــــــهُ﴾ : अर्थातः ..... ﴿كَلِمَتُـــــــهُ﴾: अर्थातः .....

16- जिसका संबंध अल्लाह तआला ने स्वयं से जोड़ा है उसके दो प्रकार हैं: इज़ाफत -ए- ..... जोकि ..... २- इज़ाफत -ए- ..... जोकि .....

17- नबी का कथनः "**उक्काशा तुम पर बढ़त ले गया**" ताकि ..... या .....

18- ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوٓا﴾: अर्थातः ..... ﴿بِظُلْمٍ﴾: अर्थातः .....

19- शिर्क से हम कैसे बच सकते हैं: १- ..... २- .....

3- ..... 4- .....

20- "**इसके द्वारा अल्लाह तआला की प्रसन्नता चाहता हो**" अर्थातः ..... तथा इस में अल्लाह की एक सिफत (विशेषता, गुण) ..... का प्रमाण है।

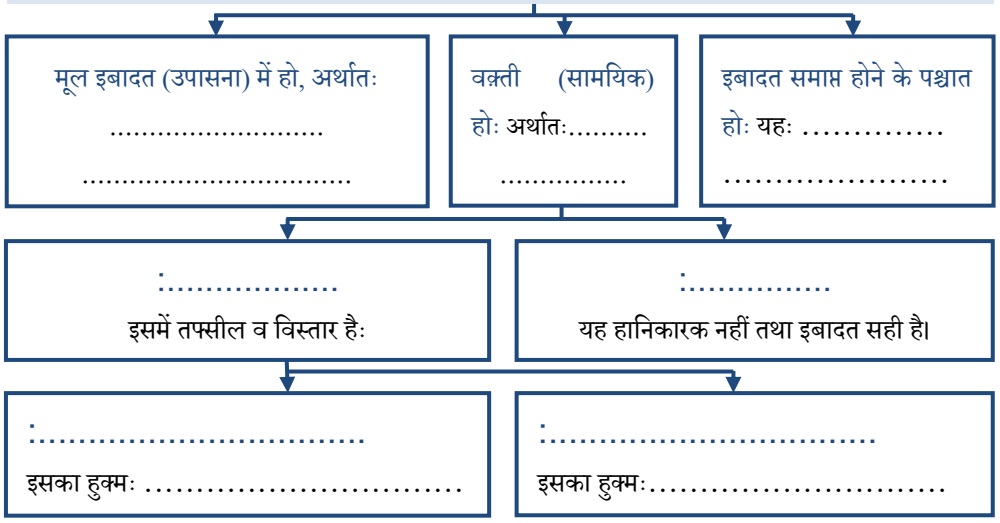
21- अल्लाह की ओर दावत देने की शर्तें: १- ..... २- .....

३- ..... ४- ..... ५- .....

22- चमत्कारः १- ..... तथा यह ..... २- ..... यह ..... ३- ..... यह ..... ४- ..... यह .....

23- लेखक रहिमहुल्लाह ने कहा है किः (झाड़-फूँक अथवा दागने के लिए किसी को कहने को छोड़ना वास्तविक तौहीद में से है) और अपशगुन का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अपशकुन लेनाः .....

तृतीय प्रश्नः निम्नांकित तालिका में रिया के प्रकार को भरें:



चतुर्थ प्रश्न: (☒) का चिह्न उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:	
1-	किताबुत तौहीद के लेखक हैं: ☐ इब्ने उसैमीन ☐ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब तमीमी।
2-	उलेमा ने नसीहत (सदुपदेश) की है: ☐ पठन प्रारंभ करने के पूर्व मुतून (पुस्तक का मूल लेख) कंठस्थ करना ☐ कंठस्थ करने का कोई लाभ नहीं है महत्वूर्ण यह है कि इसे समझा जाए।
3-	﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ﴾ (जिन्हें हमने किताब दी है तथा वो लोग उसे इस तरह पढ़ते रहते हैं जैसे पढ़न का हक़ है) इस आयत से पता चलता है कि छात्र किसी भी ज्ञान को उसे संपूर्ण रूप से अर्जित कर लेने के पूर्व न छोड़े: ☐ सत्य ☐ असत्य।
4-	उलेमा ने काफी प्रयास करने के बावजूद किताबुत तौहीद में कोई मुंकर हदीस नहीं पाई: ☐ सत्य ☐ असत्य।
5-	उलेमा चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाएं, वह मासूम नहीं हो सकते: ☐ सत्य ☐ असत्य।
6-	शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह द्वारा रचित पुस्तकें हैं: ☐ कश्फ अल-शुबुहात ☐ मसाइल अल-जाहिलिया ☐ मुख़्तसर अल-सीरत ☐ उसूल अल-ईमान ☐ उपरोक्त सभी।
7-	किताबुत तौहीद के अध्यायों की संख्या है: ☐ ६७ ☐ ७६ ☐ १०।
8-	आप जब कोई पुस्तक खरीदें तो उसे मोटे (सरसरी) तौर पर पढ़े बिना, अथवा कम से कम उसकी प्रस्तावना, विषय सूची तथा चुनिंदा स्थानों से पढ़े बिना अपनी पुस्तकालय में न रखे: ☐ सही ☐ गलत।
9-	किताबुत तौहीद को इतने भागों में विभाजित करना संभव है: ☐ ११ भाग ☐ ९ भाग ☐ १० भाग।
10-	सर्वाधिक लाभदायक पुस्तक वह है जो अहकाम की इल्लत (आदेश का कारण), मसाइल के इसरार (मसले के भेद) तथा इस्तिदलाल (प्रमाणों से मसला समझने की क्षमता) के अनुरूप तैयार की गई हो, जैसे कि किताबुत तौहीद: ☐ सही ☐ गलत।
11-	इल्म (ज्ञान) कहते हैं: जमा एवं विभाजित (जोड़-घटाव) करने को, आज़माने या समानता देखने तथा खण्डित करने को ☐ सही ☐ गलत।
12-	उलेमा द्वारा उल्लेखित परिभाषा, प्रकार तथा अंतर को अवश्य याद करना चाहिए: ☐ सही ☐ गलत।
13-	किताबुत तौहीद की पहली किस्म है: ☐ प्राक्कथन ☐ तौहीद की तफ्सीर तथा व्याख्या ☐ तौहीद के वाजिब एवं अनिवार्य होने का अध्याय।
14-	लेखक रहिमहुल्लाह ने प्राक्कथन तथा समाप्ति में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के ढ़ंग को अपनाया है: ☐ सही ☐ गलत।
15-	लेखक महोदय ने प्रथम अध्याय का कोई नामकरण नहीं किया है, किंतु संभव है कि हम उसे: प्रस्तावना के

	लिए आरक्षित अध्याय कह सकें: ☐ सही ☐ गलत।
16-	पुस्तक का पहला खण्ड आधारित है: ☐ ५ अध्याय पर ☐ ६ अध्याय पर ☐ ७ अध्याय पर।
17-	तौहीद के प्रकार हैं: ☐ रुबूबियत, उलूहियत तथा असमा व सिफात ☐ मारिफ़त व इस्बात तथा इरादा व क़स्द ☐ उपरोक्त सभी, इनमें कोई अंतर नहीं है।
18-	जिसने तौहीद के सभी प्रकारों को छोड़ कर केवल एक प्रकार को अपनाया वह मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) नहीं कहला सकता: ☐ सही ☐ गलत।
19-	तौहीद को कई भागों में विभाजित करना बिदअत (नवाचार) है,क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।
20-	तौहीद का ईमान से संबंध इस प्रकार है कि ईमान आम (व्यापक) है तथा तौहीद उसका एक अंश है: ☐ सही ☐ गलत।
21-	"ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के रुक्न (स्तंभ) हैं: ☐ दो ☐ आठ ☐ सात।
22-	अल्लाह तआला को ब्रह्माण्ड का प्रबंध करने तथा वर्षा कराने में अकेला मानना, यह तौहीद -ए-: ☐ उलूहियत है ☐ रुबूबियत है ☐ असमा व सिफात है।
23-	तौहीद की मूल भावना के विपरीत है: ☐ शिर्क -ए- अकबर ☐ शिर्क -ए- अस़्ग़र ☐ बिदअत।
24-	वाजिबात में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाजिब है मातृ-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करना: ☐ सही ☐ गलत।
25-	ह़राम कार्यों में सबसे संगीन ह़राम कार्य है व्यभिचार करना तथा उसे कत्ल करना जिसे मारना अल्लाह तआला ने वर्जित किया है: ☐ सही ☐ गलत।
26-	इबादत आधारित है: ☐ दो चीजों पर ☐ केवल एक चीज पर।
27-	(इबादत एक ऐसा व्यापक शब्द है जो ...) यह कथन है: ☐ इब्ने क़ैय्यिम का ☐ इब्ने तैमीय्या का।
28-	सही यह है कि: (बिना किसी ...) ☐ कैफियत एवं समानता के ☐ कैफियत एवं तुलना के ☐ सभी, इनमें कोई अंतर नहीं है।
29-	क़ुरआन की प्रत्येक आयत तौहीद पर आधारित है: ☐ सही ☐ गलत।
30-	इंसानों तथा जिन्नों (मानवों तथा दानवों) की रचना का भी वही उद्देश्य है जो पशु की रचना का उद्देश्य है: ☐ सही ☐ गलत।
31-	﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ﴾ इसमें अधिकतर कठिनाई होती है: ☐ समझने में ☐ कर्म करने में।
32-	जिन्न पाबंद हैं: ☐ ईमान लाने के ☐ ईमान लाने तथा शरीअत पर चलने के।
33-	उम्मत का अर्थ है: ☐ इमाम ☐ मिल्लत (समुदाय) ☐ युग ☐ जमात (गिरोह) ☐ उपरोक्त सभी।

34-	﴿بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾ (हमने प्रत्येक उम्मत में रसूल भेजा): (☐ आदम ☐ नूह) के युग से लेकर (☐ ईसा ☐ मुहम्मद) के युग तक, तथा उनको रसूल बनाकर भेजने की हिकमत थी: ☐ हुज्जत क़ायम करना ☐ रहमत ☐ अल्लाह के तरीक़ा को बयान करना ☐ उपरोक्त सभी।
35-	ये बुत (मूर्तियाँ) उन ताग़ूत में से हैं जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है: ☐ सही ☐ गलत।
36-	ताग़ूत में से हाकिम का उदाहरण वो शासक हैं जो अल्लाह की इबादत से बाहर हैं: ☐ सही ☐ गलत।
37-	जिसकी अल्लाह के सिवाय इबादत की जाए तथा वह उससे प्रसन्न न हो: ☐ वह ताग़ूत है ☐ वह ताग़ूत नहीं है।
38-	किताबुत तौहीद की दूसरी आयत इस इजमाअ (किसी मसले पर एक मत होना) को दर्शाती है कि सारे रसूल तौहीद की दावत देनेके लिए ही भेजे गए थे: ☐ सही ☐ गलत।
39-	लेखक महोदय के कथन: (आयत अथवा आयात) का अर्थ है: (आयत या आयात को पूर्ण करें): ☐ सही ☐ गलत।
40-	क़ज़ा (फैसला), हुक्म और इरादा के दो प्रकार हैं: कौनी और शरई: ☐ सही ☐ गलत।
41-	क़ज़ा -ए- (☐ कौनी ☐ शरई) में से है वह चीज जिसको अल्लाह एक ओर से पसंद करता है तो दूसरे छोर से नापसंद करता है।
42-	﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ यह क़ज़ा -ए- ☐ कौनी है ☐ शरई है।
43-	समस्त जानवर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं सिवाय छिपकली के: ☐ सही ☐ गलत।
44-	उबूदियत के प्रकार हैं: ☐ २ ☐ ३। पक्षियों का अल्लाह की तस्बीह बयान करना यह उबूदियत है: ☐ क़हर (प्रभुत्व) वाली ☐ फरमाँबरदारी वाली।
45-	मुश्रिकीन भी अल्लाह की थोड़ी सी उपासना करते हैं: ☐ सही ☐ गलत।
46-	इबादत (उपासना) केवल ज़ुबान व शारीरिक अंगों के द्वारा ही हो सकती है: ☐ सही ☐ गलत।
47-	﴿وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾ (उसके संग किसी को साझी न बनाओ) यह हरेक के लिए आम है चाहे वह नबी, फरिश्ता, वली (संत) हो बल्कि संसार की कोई भी चीज हो: ☐ सही ☐ गलत।
48-	बशारत उस सूचना को कहते हैं जो प्रसन्न करने वाली हो न कि अप्रसन्न करने वाली: ☐ सही ☐ गलत।
49-	वह जान जिसको क़त्ल करना अल्लाह तआला ने हराम (वर्जित) किया है वह निम्नांकित हैं: ☐ मुस्लिम ☐ ज़िम्मी ☐ मुआहद ☐ मुस्तामिन ☐ समस्त।
50-	क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वसीयत की थी? ☐ हाँ ☐ नहीं।
51-	इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन: (यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत है) क्योंकि: ☐ यह दीन के समस्त मामले को सम्मिलित है ☐ यह अल्लाह की वसीयत है ☐ उपरोक्त सभी।

52-	अल्लाह पर बंदों का हक़: ☐ बाजिब हक़ है ☐ यह अल्लाह की ओर से बंदों पर एहसान (अनुग्रह) है।
53-	(अल्लाह व उसके रसूल अधिक जानते हैं) ऐसा कहा जाएगा: ☐ जबतक आप जीवित थे ☐ किसी भी समय।
54-	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बशारत (शुभ सूचना) देने से इसलिए रोका था कि कहीं वो: ☐ एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता न करने लगें ☐ उसी पर भरोसा न करने लगें ☐ सभी, तथा मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका विरोध किया? ☐ हाँ ☐ नहीं, इसलिए कि किसी भी हाल में ज्ञान छुपाना जायेज़ नहीं: ☐ सही ☐ गलत।
55-	क्या यह हुक्म केवल मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ख़ास है? ☐ सही ☐ गलत।
56-	किसी चीज की फ़ज़ीलत (प्रधानता) प्रमाणित होने से यह लाज़िम नहीं आता है कि वह वाजिब न हो: ☐ सही ☐ गलत।
57-	﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴾ (जब अल्लाह अकेले का ज़िक्र किया जाए तो उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं जो आख़िरत (परलोक) पर यकीन नहीं रखते और जब उसके सिवाय (और का) ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल ख़ुश हो जाते हैं) यह अध्याय संख्या ... पर बिल्कुल फिट आता है: ☐ २ ☐ ५ ☐ ४।
58-	जिसका संबंध अल्लाह ने स्वयं से जोड़ा है उसके प्रकार हैं: ☐ दो ☐ तीन।
59-	सबसे बड़ा जुल्म किसी इंसान का दूसरे की जान, माल या इज्जत पर जुल्म करना है: ☐ सही ☐ गलत।
60-	उसका ठिकाना जो शिर्क के सिवाय अन्य गुनाहों पर हठ करते हुए मर जाए: ☐ अज़ाब है ☐ अल्लाह की मर्ज़ी पर है।
61-	"ला इलाहा इल्लल्लाह" ज़िक्र (स्मरण) है, दुआ (प्रार्थना) नही: ☐ सही ☐ गलत।
62-	ऐसे लोग भी पाए जाएंगे जो "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार तो करते हैं लेकिन अल्लाह के निकट उसका कोई मोल नहीं होगा: ☐ सही ☐ गलत।
63-	मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इस गवाही का विरोधी है: ☐ गुनाह ☐ बिदअत ☐ सभी।
64-	(ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं) यह यहूदियों का खंडन है, तथा (आप अल्लाह के रसूल हैं) यह ईसाइयों का खंडन है: ☐ सही ☐ गलत।
65-	﴿وَرُوحٌ مِّنۡهُ﴾ (और उसकी रूह हैं) यह इज़ाफत -ए-: ☐ आअयान है ☐ औसाफ है।
66-	अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा: ☐ पूर्ण रूप से ☐ अपूर्ण रूप से ☐ सभी।
67-	वास्तविक तौहीद का अर्थ है उसको बचाना: ☐ शिर्क से ☐ बिदअत से ☐ कुकर्मों से ☐ सभी।
68-	﴿ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ (इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे) अर्थात: ☐ प्रेरणास्रोत ☐ इमाम

☐ ख़ैर व भलाई के शिक्षक ☐ सभी।
69- शारीरिक एवं नैतिक रोगों में बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के डस लेने के सिवाय झाड़-फूँक नहीं करना चाहिए: ☐ सही ☐ गलत।
70- «لَا يَسْتَرْقُونَ»(वह किसी से झाड़-फूँक करने को नहीं कहते हैं), तथा मुस्लिम ने इसमें वृद्धि किया है इस शब्द «وَلَا يُرْقَوْنَ» (उन्हें झाड़ा-फूँका नहीं जाता है) का, तथा यह वृद्धि: ☐ सही है ☐ गलत है।
71- शिर्क -ए- अकबर धन तथा जान को (शासक) के लिए हलाल कर देता है जबतक वह ज़िम्मी अथवा मुआहद न हो: ☐ सही ☐ गलत।
72- राक़ी (बिना कहे स्वतः किसी पर दम करने वाला) और मुस्तरक़ी (किसी को दम करने के लिए कहने वाला) में अंतर यह है कि मुस्तरक़ी अपने दिल से ग़ैरुल्लाह से मांगने वाला तथा उसकी ओर आकर्षित होने वाला होता है जब्कि राक़ी मोहसिन एवं उपकार करने वाला होता है: ☐ सही ☐ गलत।
73- अल्लाह की विशेषताओं में किसी और को उसका साझी बनाना शिर्क -ए- ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।
74- जो मूर्ति के रूप में तराशा गया हो उसे कहते हैं: ☐ सनम ☐ वस़न ☐ समस्त।
75- कराइम -ए- अमवाल का अर्थ है: ☐ सर्वोत्तम ☐ मध्यम दर्जे का ☐ सबसे घटिया।
76- ज्ञान एवं कर्म के द्वारा बंदा स्वयं को पूर्ण करता है तथा दावत एवं सब्र के द्वारा अन्य को: ☐ सही ☐ गलत।
77- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत पर दज्जाल से भी अधिक रियाकारी (दिखावा, पाखण्ड) का भय खाते थे, क्योंकि रियाकारी शिर्क -ए- अस़ग़र है: ☐ सही ☐ गलत।
78- बंदा यदि अपनी आस्था में सच्चा हो तो आवश्यक है कि वह अन्य को भी इसका आमंत्रण दे: ☐ सही ☐ गलत।
79- बसीरत कहते हैं: ☐ शरई इल्म को ☐ ह़िकमत को ☐ दावत दिए जाने वाले लोगों की परिस्थिति का ध्यान रखने को ☐ उपरोक्त सभी।
80- दावत के शर्तों की संख्या है: ☐ पाँच ☐ चार ☐ तीन।
81- शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र के मध्य अंतर:
....
....
....
....
....

पंचम प्रश्न: तालिका (क) के उचित वाक्यों को तालिका (ख) के उचित वाक्यों से मिलाएं:			
	क		ख
1	حُمَة (हुमः)		प्रेम तथा आदर भाव से ओत-प्रोत होकर अल्लाह का आज्ञापालन तथा वर्जनाओं से बचते हुए विनम्रता तथा तुच्छता अपनाना।
2	उलूहियत		इससे अभिप्राय लाल ऊँट है, तथा इसका उल्लेख इसलिए किया गया है कि यह अरबों के समीप बड़ी प्रिय वस्तु थी।
3	इबादत		अपशकुन लेना चाहे वह दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली अथवा विशेष स्थान या समय से हो।
4	ताग़ूत		समान, तुल्य, मानिंद तथा तुलना
5	रियाकारी		जिसकी इंसान (प्रतिमा) इत्यादि की सूरत में पूजा की जाती हो।
6	अपशकुन		जिसकी किसी भी सूरत में अल्लाह के सिवाय पूजा की जाती हो।
7	निद्		जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा फलांग जाए चाहे वो माबूद हो, पेश्वा हो अथवा हाकिम।
8	सनम		अल्लाह की इबादत करे ताकि लोग देखें या सुने तो उसकी प्रशंसा करें।
9	तौहीद		यह अल्लाह तआला को पैदा (रचना) करने, बादशाहत तथा प्रबंध करने में अकेला मानना है।
10	इबादत		यह अल्लाह तआला को इबादत (उपासना) में या बंदों के कर्मों में अकेला मानना है।
11	ख़्वारिज		यह एक व्यापक शब्द है जो हरेक उस चीज को सम्मिलित है जिससे अल्लाह प्रेम करता है या प्रसन्न होता है, चाहे वह बाह्य अथवा आंतरिक कथन हो या कर्म।
12	वसन		जो कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाला काफिर तथा सदा का जहन्नमी है।
13	रुबूबियत		अल्लाह तआला को उसकी विशेषताओं रुबूबियत, उलूहियत तथा असमा व सिफात में अकेला मानना है।
14	حُمُرُ النَّعَمِ (हुम्र अल-नअम)		शिर्क से दूरी अपनाते हुए अल्लाह की ओर झुकना तथा इसके विपरीत वस्तुओं से स्वयं को दूर रखना।
15	حنيفا (हनीफा)		प्रत्येक विषैले जानवरों के डंक मारने को कहते हैं।

दूसरा भाग: तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या (९ अध्याय)

६- तौहीद व "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही की तफ्सीर एवं व्याख्या

आरंभ में जब तौहीद के संबंध में लिखा गया था तो मन में रुचि पैदा हो गई थी कि आख़िर तौहीद है क्या जिसके लिए यह अध्याय लाए गए हैं (वुजूब -अनिवार्यता-, फ़ज़ीलत -प्रधानता-, उसका वास्तविक रूप, उसके विपरीत से भय खाना, उसकी ओर दावत देना) इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय के द्वारा दिया गया है, अर्थात यहाँ से ले कर समाप्ति तक तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या ही है।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ﴾ الآيَة. (जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूँढ़ते हैं कि उनमें से कौन सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले)।

- ﴿يَدۡعُونَ﴾: ये लोग जिन्हें आवश्यकता पूर्ति के लिए पुकारते हैं वो स्वयं अपने रब का सामीप्य प्राप्त करने के लिए वसीला (साधन) ढूँढ़ते हैं कि कौन उनमें से सर्वाधिक निकटता प्राप्त कर ले, तो कैसे ये लोग उनको पुकारते हैं जो स्वयं मोहताज एवं असहाय हैं (यह दुआ एवं प्रार्थना में साझी बनाना है)।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ الآيَة. (और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता तथा समुदाय के लोगों से कहा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नही, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया)।

- ﴿إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ (सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया) यह इंकार करने तथा साबित करने के मध्य जमा करना व संतुलन बनाना है, और दो कारणों से (इल्लल्लाह) नहीं कहा:

1- अल्लाह तआला को इबादत एवं उपासना में एक अकेला करार देने की इल्लत (कारण) बयान करने के लिए, कि जिस प्रकार वह अकेला पैदा करने वाला है उसी प्रकार इबादत भी केवल एक उसी की हो।

2- मूर्तियों की उपासना करने को बातिल (मिथ्या) साबित करने के लिए कि चूँकि इन्होंने तुम लोगों

को पैदा नहीं किया है, अतः उनकी उपासना न करो।

- अल्लाह की इबादत करने के साथ-साथ ग़ैरुल्लाह की भी इबादत करते रहने से तौहीद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसको केवल अल्लाह के लिए ख़ालिस (निष्ठित) करना अपरिहार्य है, बड़े दुःख की बात है कि बहुतेरे ऐसे इस्लामी देश हैं जहाँ लोग नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज जैसी इबादतें करने के संग-संग क़ब्रों (समाधियों) को भी सज्दा करते (शीश झुकाते) हैं।

तीसरी व चौथी दलील:

३- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآيَة. (उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने उलेमा (विद्वानों) तथा इबादत गुज़ारों (साधू-संतों, तपस्वियों) को अपना रब बना लिया था)।

४- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ﴾ الآيَة. (और कुछ लोग ऐसे हैं जो ग़ैरुल्लाह को (अल्लाह का) साझी मानते हैं तथा वो उन से अल्लाह से प्रेम करने के समान ही प्रेम रखते हैं)।

- ﴿أَحۡبَارَهُمۡ﴾: अर्थात उनके उलेमा (विद्वान), और उनको बह्र (समुद्र) उनके ज्ञान की बहुलता के कारण कहा जाता है।
- «وَرُهۡبَٰنَهُمۡ»: अर्थात उनके इबादत गुज़ार एवं उपासक (साधु-संत, महात्मा, तपस्वी)।
- ﴿أَرۡبَابٗا﴾: उन्होंने अल्लाह की अवज्ञा में अपने उलेमा का आज्ञापालन किया तथा संतों की उपासना की (यह इताअत अर्थात आज्ञापालन में साझी बनाना है)।
- ﴿يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ﴾: अर्थात "निद्द" (ग़ैरुल्लाह) से ऐसा प्रेम करते हैं जो अल्लाह से प्रेम करने के समान है।

मोहब्बत (प्रेम) के प्रकार:

नैसर्गिक मोहब्बत:	अल्लाह से या अल्लाह के लिए मोहब्बत करना:	अल्लाह के साथ-साथ अन्य से भी मोहब्बत करना:
यह जायज़ है बशर्ते कि इसको अल्लाह की मोहब्बत पर प्राथमिकता न दी जाए, जैसे संतान अथवा पत्नी से मोहब्बत करना।	(यह वाजिब है) «أَوۡثَقُ عُرَى الۡإِيمَانِ الۡحُبُّ فِي اللهِ...» "ईमान का सर्वश्रेष्ठ दर्जा अल्लाह के लिए (किसी से) मोहब्बत करना है ..."	(यह शिर्क -ए- अकबर है) जो ग़ैरुल्लाह से मोहब्बत रखने को वर्जित करता है, जैसे ग़ैरुल्लाह से अल्लाह के समान या उससे भी अधिक मोहब्बत करना।

अल्लाह से मोहब्बत रखने के भी कई प्रकार हैं, जैसे: किसी कर्म, कर्म करने वाले, स्थान या समय से प्रेम रखना।

पाँचवीं दलील:

और सहीह (मुस्लिम) में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»:

«وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ﷻ» **"जिसने "ला इलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहा तथा अल्लाह के सिवाय सभी पूज्यों का इंकार किया उसका धन तथा रक्त अल्लाह ने ह़राम (निषेध) कर दिया तथा उसका ह़िसाब अल्लाह के ऊपर है"।**

आगामी अध्याय इसी शीर्षक की व्याख्या हैं।

- «وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ» **:** अल्लाह के सिवाय जिनकी पूजा की जाती है उनका इंकार करना अनिवार्य है, बल्कि हरेक कुफ़्र का इंकार अनिवार्य है, जो कलमा -ए- शहादत की गवाही देता हो तथा यह मानता हो कि यहूदी तथा ईसाई आज भी सही दीन (धर्म) पर हैं तो वह मुसलमान नहीं है, इसी प्रकार जो यह समझता हो कि दीन (धर्म) विचारों का एक पुष्पगुच्छ है उसमें से वह जो चाहे ले ले तथा जिसे चाहे छोड़ दे तो भी वह मुसलमान नहीं।

मसाइल:

1- इस में सबसे बड़ा तथा महत्वूर्ण विषय तौह़ीद तथा कलमा -ए- शहादत के इक़रार की तफ़्सीर एवं व्याख्या है, तथा उसे कुछ चीजों के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बयान किया है (कि इस में इक़रार करना तथा इंकार करना दोनों का पाया जाना अति आवश्यक है) जोकि निम्नलिखित हैं:

(क) एक तो सूरह इस्रा (बनी इस्राईल) की आयत जिसमें उन मुश्रिकों (बहुदेववादियों) का खंडन किया गया है जो धर्मात्माओं से प्रार्थना करते हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह शिर्क -ए- अकबर (महाशिर्क) है (दुआ व प्रार्थना में शिर्क करना है)।

(ख) तथा सूरह बराअः की आयत जिसमें है कि अहले किताब (पूर्व की किताबों के अनुपालकों) ने अपने विद्वानों तथा संतों को अल्लाह के सिवा रब (प्रभु) बना लिया था, जब्कि उन्हें मात्र एक पूज्य (अल्लाह तआला) की उपासना का आदेश दिया गया था, तथा इस की व्याख्या में यह बात स्पष्ट रूप से विदित है कि उन्हें रब एवं प्रभु बना लेने का अर्थ यह है कि वो (अल्लाह की) अवज्ञाकारिता में अपने ज्ञानियों तथा संतों का अनुसरण किया करते थे, इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि वो उनसे दुआ एवं प्रार्थना करते थे (यह फरमाँबरदारी तथा आज्ञापालन में शिर्क करना है)।

(झ) इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस कथन का उल्लेख जो उन्होंने काफिरों से कहा थाः إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي ﴾ (वस्तुतः मैं तुम्हारे उपास्यों से विलग हूँ। सिवाय उस (अल्लाह) के जिसने मुझे पैदा किया), तो इस प्रकार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समस्त उपास्यों से अपने रब को अलग कर दिया, तथा अलालह तआला ने बताया कि यही विलगाव तथा अल्लाह से मित्रता "ला इलाहा इल्लल्लाह" की व्याख्या है, तथा अल्लाह तआला ने फरमायाः ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴾ (और इब्राहीम इस सूत्र को अपनी संतान में छोड़ गए ताकि वह (उसकी ओर) लौट जाएं)।

(ञ) इसी में से सूरह बक़रः की आयत है जिस में काफिरों के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः ﴿ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (वह आग से नहीं निकल पाएंगे), अल्लाह तआला ने बताया कि वो अपने "निद्दों" (शरीकों) से अल्लाह के समान प्रेम रखते हैं, इस से ज्ञात हुआ कि वे अल्लाह तआला से अत्याधिक प्रेम करते हैं फिर भी वो मुस्लिमों में नहीं गिने गए तो वह कैसे मुसलमान हो सकता है जो अल्लाह से अधिक अपने शरीक ("निद्द") से प्रेम करता हो? तथा उसका क्या हाल होगा जो अल्लाह को छोड़ कर केवल शरीकों ("निद्द", ग़ैरुल्लाह) से ही प्रेम करता हो? (यह फरमाँबरदारी तथा आज्ञापालन में शरीक ठहराना एवं साझी बनाना है, तो इस तरह इसके चार प्रकार हैं:

1- अल्लाह तआला से अन्य के मुकाबले में अधिक प्रेम करे, और यही तौहीद है।

2- ग़ैरुल्लाह से अल्लाह के समान प्रेम करे, यह शिर्क है।

3- अल्लाह से प्रेम करने से भी अधिक ग़ैरुल्लाह से प्रेम करे, यह पहले वाले से अधिक संगीन है।

4- वह केवल ग़ैरुल्लाह से ही प्रेम करे तथा उसके हृदय में अल्लाह से प्रेम के लिए कोई स्थान न हो, यह सब से निकृष्ट (बुरा) तथा संगीन है।

(ट) इसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन भी है किः "**जिसने "ला इलाहा इल्लल्लाह"** -अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं- **कहा तथा अल्लाह के सिवाय सभी पूज्यों का इंकार किया उसका धन तथा रक्त अल्लाह ने हराम (निषेध) कर दिया तथा उसका हिसाब अल्लाह के ऊपर है**" तथा यह सबसे बढ़ कर "ला इलाहा इल्लल्लाह" के अर्थ को स्पष्ट करती है, क्योंकि अल्लाह तआला ने इसके उच्चारण भर को रक्त तथा धन का रक्षक नहीं बनाया है, न ही शब्द सहित इस के अर्थ जानने को, बल्कि मात्र अल्लाह को जो एक अकेला तथा बिना साझी के है उसे पुकारने को भी नहीं, बल्कि उसका रक्त तथा धन उस स्थिति में हराम व वर्जित होगा जब वह अल्लाह के सिवाय अन्य पूज्यों का इंकार करेगा, और यदि कोई शंका करे अथवा दुविधा में रहे तो उसका धन एवं रक्त हराम नहीं होगा, यह कितना बड़ा एवं कितना महत्वपूर्ण, किस कदर स्पष्ट वर्णन एवं बयान, तथा विरोधियों के झगड़े के उन्मूलन के लिए कितना सटीक तर्क है।

७- विपत्ति को रोकने अथवा दूर करने के लिए कड़ा एवं धागा आदि पहनना शिर्क है

- «مِنَ الشِّرْكِ»: अर्थातः शिर्क का अंश है, अब इसमें कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, इसी लिए इसको व्यापक रूप में प्रयोग किया है।
- «لرَفْعِ الْبَلَاءِ»: अर्थात उतरने के पश्चात। « أَوْ دَفْعِهِ »: अर्थात उतरने के पूर्व।

कड़ा और धागा इत्यादि पहनना शिर्क -ए- अकबर है अथवा शिर्क -ए- अस़ग़र ?

शिर्क -ए- अकबर है:
यदि यह आस्था रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी हैं, तथा यह स्वतः लाभ पहुँचाने और हानि दूर करने की क्षमता रखती हैं।

शिर्क -ए- अस़ग़ार है:
यदि यह आस्था रखे कि यह एक सबब एवं माध्यम है जब्कि अल्लाह तआला ने इसे न तो शरई तौर पर और न ही इंद्रीय तौर पर माध्यम बनाया है।

अस्बाब (माध्यम) के संबंध में एतेकाद़ (आस्था) रखने के विषय में लोगों के तीन प्रकार हैं:

सहीः ये वो लोग हैं जिनकी आस्था है कि केवल उन्हीं चीजों को सबब (माध्यम) बनाना सही है जिनको अल्लाह ने सबब एवं माध्यम बनाया है।

शिर्क -ए- अस़ग़ारः जिन चीजों को अल्लाह ने सबब व माध्यम नहीं बनाया है उनको सबब मानने की आस्था रखना, जैसे बुरी नज़र से बचने के लिए बैल की मुंडी लटकाना, जबकि यह कोई सबब है ही नहीं।

शिर्क -ए- अकबरः यदि यह आस्था रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी हैं, तथा यह स्वतः लाभ पहुँचाने और हानि दूर करने की क्षमता रखती हैं।

माध्यम को अपनाने में लोग अति, न्यून तथा इन दोनों के मध्य संतुलन बनाकर रखने वाले हैं:

जो असबाब (माध्यम) का इंकार करते हैं: वो अल्लाह की ह़िकमत (तत्वदर्शिता) का इंकार करते हैं, जैसे जबरिया तथा अशाइरा।

जो असबाब (माध्यम) को अपनाने में अति करते हैं: ऐसे लोग उसको भी माध्यम मान लेते हैं जो वास्तव में माध्यम है ही नहीं, जैसे सूफी लोग।

जो असबाब (माध्यम) अपनाने में अति एवं न्यून दोनों के मध्य संतुलन बनाकर रखते हैं: वो केवल शरई तथा इंद्रीय माध्यम को ही सबब व माध्यम मानते हैं इन दोनों के अतिरिक्त अन्य को नहीं।

धागा आदि लटकाने वाले के कई हालात एवं स्थितियाँ हैं:

वह इस के हुक्म से अंजान एवं अनभिज्ञ हो।	उसे सिखाया जाएगा।
यह आस्था (अक़ीदा) रखे कि यह माध्यम (सबब) है जब्कि अल्लाह ने उसे माध्यम (सबब) नहीं बनाया है।	यह शिर्क -ए- अस़ग़र है।
यह आस्था रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी है, तथा यह स्वतः लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता रखती है।	यह शिर्क -ए- अकबर है।
इस संबंध में उसका कोई विशेष अक़ीदा एवं आस्था न हो बल्कि इसे केवल शोभा एवं सज्जा के लिए बाँधता हो जैसाकि आज कल कुछ युवा ऐसा करते हैं -अल्लाह हमें तथा उन्हें हिदायत दे व सही मार्गदर्शन करे- तो जो भी उसे इस प्रकार से बाँधे हुए देखेगा वह समझेगा कि ऐसा करना जायज़ है और इस तरह वह दूसरों के लिए बुराई के द्वार खोलेगा, इसके अतिरिक्त इसमें महिलाओं तथा मुश्रिकीन की नकल भी है।	यह कबीरा गुनाह है।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ ﴾ الآيَة. (-हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवाय जिन्हें तुम पुकारते हो यदि अल्लाह मुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो क्या वो उसे दूर कर सकते हैं?)

- ये बुत (मूर्तियाँ) अपनी उपासना करने वालों को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकते तथा न ही उनसे हानि दूर कर सकते हैं, अतः यह लाभ-हानि के माध्यम कदापि नहीं हैं, अब इसी पर कयास (अनुमान, कल्पना) करते हुए हरेक वह चीज जो शरई अथवा इंद्रीय माध्यम नहीं है उसको माध्यम बनाना अल्लाह के साथ शरीक एवं साझी बनाना समझा जाएगा।
- ﴿قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ﴾ (आप कह दीजिए कि अल्लाह हमारे लिए काफी -पर्याप्त- है) इसमें मिथ्या एवं भ्रमात्मक माध्यमों को छोड़ कर "केवल अल्लाह ही हमारे लिए काफी है" यह मान लेना है।

दूसरी दलील:

इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «**مَا هٰذه؟**»، قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «**انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ**

وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»، **"नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति के हाथ में पीतल का कड़ा देखा तो प्रश्न किया: यह क्या है? उसने कहा: यह दुर्बलता (दूर करने) के लिए है, आपने कहा: इसे उतार दो, क्योंकि यह तुम्हारी दुर्बलता को और बढ़ाएगा ही, यदि तू इसे पहने हुए मर जायेगा तो कभी सफल नहीं होगा"।** इस हदीस़ को इमाम अहमद ने अच्छी सनद से रिवायत किया है।

- «حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ»: ताँबा इत्यादि का कड़ा, या फिर लोहा अथवा धागा ही क्यों न हो।
- «مَا هٰذِهِ؟»: (या क्या है) यह इंकार करने के पूर्व जाँच-पड़ताल कर लेना है कि कहीं ऐसी चीज़ को मुन्कर (आपत्तिजनक) न समझ ले जो वास्तव में मुन्कर नहीं है।
- «الْوَاهِنَةِ»: यह गठिया (रोमेटिज़्म) की तरह का एक प्रकार का रोग है जो हड्डियों में होता है, इसको पहनने का उनका उद्देश्य यह था कि यह कड़ा उस रोग को दूर कर देगा तथा उनकी रक्षा करेगा।
- «لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا»: अर्थात शरीर तथा अक़ीदा (आस्था) दोनों को (शक्ति देने के स्थान पर) कमज़ोर तथा दुर्बल कर देगा, क्योंकि वैसे भी जैसे को तैसा मिलता है।

तीसरी दलील:

मुसनद अहमद ही में, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». **"जिसने (रोग आदि से बचाव के लिए) कोई तावीज़ (यंत्र) लटकाया, अल्लाह उसके उद्देश्य को पूरा न करे, जिसने सीप लटकाया अल्लाह उसे भी आराम न दे"।** और एक अन्य रिवायत में है: **"जिसने -रोग आदि से बचाव के लिए- तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया"।**

- «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً»: जिसने तावीज़ लटकाया उसका दिल भी उसी से जुड़ व लटक गया, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने «تَعَلَّقَ» फरमाया: तथा «عَلَّقَ» नहीं कहा।
- «فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ»: यह उसके ऊपर या तो बद्दुआ है या यूँ हि केवल सूचना देना भर है।
- «وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً»: वदआ, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को कहते हैं, जैसे सीप।
- «فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»: अल्लाह तआला उसे आराम न लेने दे, अर्थात उसने जिस आराम व सुगमता के उद्देश्य से इसे पहना था उसके बिल्कुल विपरीत आराम न देकर उसको इसका बदला दिया गया।

- «فَقَدْ أَشْرَكَ»: **शिर्क -ए- अकबर है**, यदि इस एतक़ाद (आस्था) से पहने की यह स्वतः अल्लाह के आदेश के बिना भी अपने आप प्रभावी है, अन्यथा शिर्क -ए- अस़ग़र है।

चौथी दलील:

इब्ने अबू हातिम ने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के संबंध में बयान किया है कि: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ "उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में बुख़ार (ज्वार ताप) के कारण धागा बाँधे हुए देखा तो उसे काट दिया, तथा यह आयत पढ़ी: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ (उन में से बहुतेरे ईमान लाकर भी शिर्क करते हैं)"।

- «مِنَ الْحُمَّى»: अर्थात बुख़ार के कारण, ताकि यह ठण्डा हो जाए अथवा उसे इससे मुक्ति मिल जाए।
- «فَقَطَعَهُ»: मुन्कर (आपत्तिजनक कार्य) को यदि हाथ से रोकने की क्षमता हो तो हाथ से रोकना चाहिए, इससे मुन्कर को रोकने के विषय में सलफ की मज़बूत इच्छा शक्ति का भी पता चलता है।
- **लटकाने का हुक्म:** इस प्रकार का कुछ भी लटकाना ह़राम है, चाहे वह कड़ा, धागा, सीप, तावीज़, भेड़िया की आँख (चक्षु), खुड़, पुराना जूता, नीला पत्थर (मनका), हथेली, चक्षु (आँख), बैल का सींग व सिर, शेर की प्रतिमा, पेड़ का चित्र तथा चिथड़ा इत्यादि कुछ भी हो।

मसाइल:

पहला: (रोग से बचाव की नीयत से) कड़ा, धागा या डोर इत्यादि बाँधना कड़ाई के साथ वर्जित है।

दूसरा: स़हाबी रज़ियल्लाहु अन्हु यदि इसे बाँधे हुए वाली स्थिति में मर जाते तो सफल न होते, इसमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस कथन का प्रमाण है कि शिर्क -ए- अस़ग़र सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है (क्योंकि शिर्क यद्यपि छोटा ही क्यों न हो तथापि क्षमा नहीं किया जाएगा, कबीरा गुनाह का मामला इसके विपरीत है)।

तीसरा: जिहालत व अज्ञानता के कारण उसको विवश (क्षमा योग्य) नहीं समझा जाएगा (उसको इसके विषय में बता देने के बाद उसे विवश नहीं समझा जाएगा, तथा अज्ञानता के दो प्रकार हैं:

1- ऐसी अज्ञानता जिसमें उसे विवश (क्षमा योग्य) नहीं समझा जाएगा, वह यह है कि शिक्षा के लिए पर्याप्त संभवाना होने के बाद भी सुस्ती तथा आलस्य के कारण शिक्षित न हो कर अशिक्षित रह गया हो।

2- वह अज्ञानता जिसमें उसे विवश (क्षम्य) समझा जाएगा, यह वह है जो उपरोक्त के विपरीत हो, अर्थात उसे सीखने का कोई मौका नहीं मिला, उसके मन-मस्तिष्क में यह विचार कभी आया ही नहीं कि यह हराम है जिसको वह सीखे, न कि उसने आलस्य के कारण सीखना छोड़ा, ऐसे व्यक्ति को विवश समझा जाएगा, और यदि वह मुस्लिम है तो इससे उसे कोई हानि नहीं होगी, और यदि काफिर है तो दुनियाँ में उसे काफिर समझा जाएगा तथा आख़िरत में उसका मामला अल्लाह के हवाले है)।

चौथा: यह तावीज़ (यंत्र-तंत्र) इत्यादि संसार में लाभदायक नहीं वरन हानिकारक है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**यह तेरे रोग को बढ़ाने के सिवाय कुछ न करेगा**"।

पाँचवाँ: जो ऐसा करता हो उसका कड़ाई से इंकार किया जाए।

छठा: इसका स्पष्ट वर्णन कि जो व्यक्ति कुछ लटकाता है उसे उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है।

सातवाँ: इसका स्पष्ट वर्णन कि जिसने तावीज़ (यंत्र) लटकाया उसने शिर्क किया।

आठवाँ: बुख़ार (ज्वार) के कारण धागा बाँधना इसी (शिर्क) में से है।

नौवाँ: हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का उपरोक्त आयत की तिलावत करना इस बात का प्रमाण है कि सहाबा (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहचर) रज़ियल्लाहु अन्हुम शिर्क -ए- अकबर (महा शिर्क) की आयतों को शिर्क -ए- अस़ग़र के लिए तर्क के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह बक़रह की (मोहब्बत वाली) आयत में किया।

दसवाँ: बुरी नज़र आदि से बचने के लिए सीप इत्यादि का लटकाना भी इसी (शिर्क वाले तावीज़) में से है।

ग्यारह्वाँ: उसे श्राप देना जो तावीज़ (यंत्र) पहनता हो कि अल्लाह तआला उसे उसके उद्देश्य में सफल न करे, तथा जो सीप पहने अल्लाह तआला उसे आराम न दे, अर्थात अल्लाह तआला उसे विपत्ति में ही छोड़ दे (किसी तावीज़ व यंत्र धारण करने वाले को स्पष्ट रूप से हम यह तो नहीं कहेंगे कि: "अल्लाह तआला तुम्हारी मुराद पूरी न करे" क्योंकि ऐसा करना उसको घृणा दिलाने का कारण बन सकता है, परंतु हम उससे कहेंगे: "तावीज़ (यंत्र-तंत्र) तथा सीप इत्यादि धारण करना छोड़ दो" और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ पढ़ कर सुनाएंगे।

८- झाड़-फूँक और तावीज़ (यंत्र तथा मंत्र) का बयान

यह क्यों कहा कि: (इसका बयान) पिछले अध्याय की तरह यह क्यों नहीं कहा कि: (तंत्र-मंत्र करना शिर्क है)

1. क्योंकि झाड़-फूँक करने के दो प्रकार हैं, शरई तथा ग़ैर शरई।
2. हर प्रकार का तावीज़ लटकाना शिर्क है, किंतु यदि क़ुरआन में से कुछ लिख कर लटकाया जाए तो वह ह़राम है (शिर्क नहीं)।

पहली दलील:

सह़ीह़ (मुस्लिम) में अबू बशीर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग एक यात्रा में थे, «أَنْ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ – أَوْ: قِلَادَةٌ – إِلَّا قُطِعَتْ» तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को यह एलान करने के लिए भेजा कि: "**किसी ऊँट की गर्दन में ताँत का पट्टा न रहने दिया जाए – या केवल पट्टा ही कहा ताँत का शब्द प्रयोग नहीं किया- सब काट दिया जाए**"।

- «فَأَرْسَلَ» : शरीअत की मंशा के अनुसार उनका हाल-चाल पूछने के लिए।
- «قِلَادَةٌ» : (हार, पट्टी) वो ऐसी आस्था (अक़ीदा) रखते थे कि इसको लटकाने से ऊँट को बुरी नज़र नहीं लगती है, जब्कि ऐसी आस्था रखना फासिद व बेकार है।

दूसरी तथा तीसरी दलील:

२- इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» "**तंत्र-मंत्र (झाड़-फूँक), यंत्र (तावीज़) तथा (प्रेम अथवा घृणा के लिए किया जाने वाला) जादू, सब शिर्क हैं**"। अहमद तथा अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है।

३- तथा अब्दुल्लाह बिन ऊकैम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है कि: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» **"जिसने कोई चीज़ लटकाई उसे उसी के हवाले कर दिया जाता है"।** इसे अहमद तथा तिरमिज़ी ने रिवायत किया है।

- «إِنَّ الرُّقَى»: अर्थात शिर्क वाले वह तंत्र-मंत्र जो उनके निकट विदित एवं प्रसिद्ध थे, वह झाड़-फूँक नहीं जिसकी इजाज़त व मान्यता शरीअत ने दी है।
- «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (من علّق) नहीं फरमाया, क्योंकि उसने उसको लटकाया तथा दिल को उसी से लगा लिया, अब जो अल्लाह से आशा रखेगा अल्लाह उसके लिए काफी व पर्याप्त होगा, तथा जो ग़ैरुल्लाह से उम्मीद रखेगा वह अपमानित होगा।
- इंसान के लिए किसी भी स्थिति में उचित नहीं है कि वह माध्यम (सबब) से उम्मीद लगाए, बल्कि आशा केवल अल्लाह से रखनी चाहिए, अब जिसने मुसब्बिब (सबब बनाने वाला) अर्थात अल्लाह को छोड़ कर केवल उस वस्तु से दिल लगा लिया तो वह एक प्रकार के शिर्क में पड़ गया, अलबत्ता यदि यह अक़ीदा व आस्था हो कि वह जो कर रहा है उसे केवल एक सबब व माध्यम समझ कर रहा है तथा मुसब्बिब केवल अल्लाह है तो यह अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) करने के विरोधी नहीं है।

शरीअत के अनुसार झाड़-फूँक करने की शर्तें:

यह क़ुरआन व हदीस़ से हो, या अल्लाह के असमा व सिफात (नाम व गुण) के द्वारा दुआ करे।	यह ऐसी वाणी के द्वारा हो, जिसका भावार्थ स्पष्ट हो, सुना जा सकता हो, मालूम (ज्ञात) चीज़ के द्वारा हो तथा अरबी भाषा में हो।	यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि यह शरई सबब एवं माध्यम है जो अल्लाह के आदेश के बिना कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता।

इन शर्तों में से यदि कोई एक भी शर्त कम हो जाए तो उसे शरई झाड़-फूँक नहीं कहा जाएगा, और ज्ञात रहे कि अरबी भाषा को छोड़ कर किसी अन्य भाषा में शरई झाड़-फूँक नहीं हो सकता है, किंतु हाँ यदि दुआ कर रहा हो तो जायज़ है कि अरबी भाषा छोड़ कर अपनी भाषा में दुआ करे बशर्ते कि अल्लाह तआला के असमा -ए-हुस्ना (अच्छे -अच्छे नामों) को न बदले क्योंकि यह तौक़ीफी (अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता) हैं (और वैसे भी नाम प्रत्येक भाषा में वैसा ही बोला जाता है जैसा वह अपनी मूल भाषा में होता है)

التَّمَائِم: "अत-तमाइम", यह "तमीमा" का बहुवचन है, इससे अभिप्राय हरेक वह चीज़ है जो बुरी नज़र से बचने के लिए बच्चों के गले में बांधी, लटकाई या डाली जाए, क़ुरआन की आयत वाले तावीज़ (यंत्र) को कुछ उलेमा ने जायज़ और कुछ ने नाजायज़ कहा है, नाजायज़ कहने वालों में से एक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं।

الرُّقَى: "अल-रुक़ा" यह "अल-रुक़िया" का बहुवचन है, इसे "अल-अज़ाइम" भी कहा जाता है, तथा रुक़िया झाड़-फूँक करने को कहते हैं, यद्यपि ह़दीस़ में इसको शिर्क कहा गया है, किंतु अन्य दलीलों से साबित होता है कि जो झाड़-फूँक शिर्क से अलग रह कर किया जाए उसकी अनुमती बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के डस लेने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है।

التِّوَلَة: (अल-तेवलः) यह ऐसा अमल (तंत्र) है जिसको करने से अरब वासियों के गुमान के अनुसार पति के ह़दय में पत्नी के लिए तथा पत्नी के ह़दय में पति के लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है।

वेडिंग रिंग (शादी की अँगूठी) भी तेवलः में से है:

ह़राम (वर्जित) है
और यह इसका न्यूनतम दर्जा है, क्योंकि यह ईसाईयों के आदत व स्वाभाव में से है, क्योंकि इसके द्वारा वह अपना तस़्लीस़ (तीन ईश्वर) वाला अक़ीदा प्रकट करते हैं, और यदि यह सोने की हो तो पुरुषों के लिए इसमें हुरमत (वर्जना) का एक और कारण, उनके लिए इसका पहनना ह़राम होना है।

शिर्क -ए- अस़्ग़र है
यदि यह आस्था (अक़ीदा) रखे कि यह वैवाहिक जीवन को बरकरार एवं बहाल रखने का कारण है।

शिर्क -ए- अस़्ग़र है

शिर्क -ए- अकबर है
यदि यह आस्था (अक़ीदा) रखे कि यह स्वतः प्रभावी है, तथा यह अपने आप लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता रखती है।

चौथी दलीलः

इमाम अहमद रह़िमहुल्लाह ने रुवैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फरमायाः «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ بَرِيءٌ مِنْهُ»، **"हे रुवैफा, संभवतः तुम्हारी आयु मुझसे अधिक हो सकती है, अतः लोगों को बता देना कि जो अपनी दाढ़ी में गाँठ लगाए, अथवा गले में ताँत (गंडा) पहने, या जानवरों के गोबर अथवा हड्डी को इस्तिंजा (पेशाब-पैख़ाना को साफ करने) के लिए प्रयोग करे तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे बरी व अलग हैं"।**

- «أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ»: या तो तकब्बुर (घमंड) के कारण, या बुरी नज़र से बचने के लिए।
- «تَقَلَّدَ وَتَرًا»: "वतर" बकरी के पुट्ठा से बनाया गया एक प्रकार का ताँत (तंतु) है जो बुरी नज़रे से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- «أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ»: पेशाब अथवा पैख़ाना के पश्चात उस स्थान को पशुओं की लीद से साफ करना।
- «أَوْ عَظْمٍ»: (हड्डी), यह जिन्नों की ख़ुराक (भोजन) है, तथा लीद जिन्नों के पशुओं का चारा है।

पाँचवीं तथा छठी दलील:

५- सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» "जिसने किसी के गले से तावीज़ (जंतर) काट डाले तो मानो उसने एक प्राण मुक्त किया"। इसको वकीअ ने रिवायत किया है।

६- उन्होंने ही इब्राहीम नख़ई से रिवायत किया है कि: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا؛ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ» "लोग (अर्थात इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी) हर प्रकार के तावीज़ (जंतर) को अप्रिय समझते थे चाहे वह क़ुरआन से हो या उसके सिवा"।

- «كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»: क्योंकि उसने उसे शैतान की इबादत जोकि शिर्क है उससे आज़ाद किया, तथा यह इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ादी दिलाने से भी बेहतर है, किंतु हाँ, तावीज़ (जंतर) काटने का कार्य इस प्रकार करे कि इससे घृणा पैदा न हो।

हम क़ुरआन से लिखे हुए तावीज़ (जंतर) को ह़राम क्यों कहते हैं?

इसमें क़ुरान के साथ बेअदबी व असभ्यता है, संभव है कि वह उसको पहने हुए शौचालय चला जाए, या उसमें गंदगी लग जाए।

इसकी प्रबल संभावना है कि इससे बुराई का दरवाज़ा खुले, क्योंकि हो सकता है कि उसको पहने देख कर कोई यह सोचे कि हर प्रकार का तावीज़ तथा जंतर धारण करना जायज़ है फिर वह चाहे क़ुरआन के अतिरिक्त ही क्यों न हो।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (तंत्र-मंत्र, तावीज़ तथा प्रेम अथवा घृणा पैदा करने के लिए किया गया जादू, सभी शिर्क हैं) के उमूम (व्यापक अर्थों) में यह शामिल है।

कुछ सलफ (नेक पूर्वजों) ने इसे मकरूह कहा है, तथा सलफ के निकट मकरूह का अर्थ हराम ही होता था।

कुछ सलफ (नेक पर्वजों) ने इसे

मसाइलः

पहला: रुक़्या एवं तमीमा (तंत्र मंत्र) की व्याख्या।

दूसरा: तेवलः (तंत्र) की व्याख्या।

तीसरा: यह तीनों (रुक़्या, तमीमः तथा तेवलः) शिर्क हैं।

चौथा: बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के डस लेने पर बिना शिर्क वाले वाक्यों द्वारा उपचार करना वर्जित नहीं है (इन दोनों के अतिरिक्त और भी चीजें इसमें शामिल हैं, जैसे जादू)।

पाँचवां: तावीज़ (जंतर) यदि क़ुरआन के आयत से हो तो उलेमा (धर्मज्ञ) के बीच मतभेद है कि यह शर्क है अथवा नहीं (एहतियात एवं सतर्कता यही है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मतानुसार अमल किया जाए, क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो यह शरीअत से साबित नहीं है)।

छठा: बुरी नज़र से बचने के लिए चौपायों को ताँत पहनाना इसी (शिर्क) में से है।

सातवाँ: इसमें ताँत (तंतु) लटकाने वालों के लिए कड़ी चेतावनी है।

आठवाँ: किसी इंसान के गले में लटकाए हुए तावीज़ (जंतर) को काट कर फेंक देने की फ़ज़ीलत एवं प्रधानता भी पता चली।

नौवाँ: इब्राहीम नख़ई के कथन तथा उपरोक्त उलेमा के बीच मतभेद में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि इससे उनका अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी-संगति हैं (इससे उनका आश्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं हैं तथा न ही समस्त ताबईन -सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथी-संगती-)।

९- जो पेड़ अथवा पत्थर आदि को मुबारक (शुभ) समझता हो

तबर्रुक: बरकत चाहने को कहते हैं, और इसके प्रकार निम्नांकित हैं:

नाजायज़ तबर्रुक:
इसको परखने का नियम यह है कि प्रत्येक वह चीज़ जो शरीअत या इंद्रीय द्वारा प्रमाणित न हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुजरा (कमरा) को छूना।

जायज़ तबर्रुक:

इंद्रीय द्वारा प्रमाणित:
जैसे अहले सुन्नत वल जमात की पुस्तकों का अध्यन करना, उदाहरणस्वरूप शैख़ुल इस्लाम की पुस्तकें।

शरीअत द्वारा प्रमाणित:
जैसे मस्जिद -ए- हराम में नमाज़ पढ़ना, क़ुरआन का पाठ करना।

पहली तथा दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ﴾الآيات. (तुमने (कभी) लात, उज़्ज़ा और तीसरी (देवी) मनात के बारे में विचार-विमर्श किया है?)

२- तथा अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: (ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾﴾، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ**»

हम लोग रसूलुल्लाह के साथ हुनैन (स्थान का नाम) की ओर निकले, और अभी हम नए-नए मुसलमान हुए थे (रास्ते में) मुश्रिकीन का एक बैरी का पेड़ था वो (मंगल कामना करते हुए) वहां धूनी रमाए रहते थे तथा उस पर अपने हथियार लटकाते थे जिसका नाम "ज़ात -ए- अनवात़" था, और हम भी एक बैरी के पास पहुँचे तो हमने कहा: हे अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी एक "ज़ात -ए- अनवात़" बना दें जैसा उन लोगों के लिए "ज़ात -ए- अनवात़" है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: अल्लाहु अकबर (अल्लाह महान है), यही तो (गुमराही व पिछली उम्मतों) रास्ता है, तुमने वही बात कही जो बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (आप हमारे लिए उसी तरह से एक माबूद व देवता बना दें जैसा उन लोगों के पास माबूद व देवता

है, तो उन्होंने ने कहाः तुम मुर्ख लोग हो), और फिर आप ने फरमायाः तुम पिछली उम्मतों की रीतियों को अवश्य अपनाओगे"। इस ह़दीस़ को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है तथा सही कहा है।

- ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ﴾: हमें बताओ कि उन बुतों व मूर्तियों के संबंध में जिनका तुम आदर करते हो, तथा मेराज जैसी बड़ी निशानियों के मुकाबले में इनकी क्या हैसियत है, क्योंकि उनका अक़ीदा यह था कि ये मूर्तियां उन्हें लाभ तथा हानि पहुँचाने की क्षमता रखते हैं, इसी लिए वह उनके पास आकर उनसे प्रार्थना करते थे, उनके लिए वध करते थे तथा उनका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करते थे।
- ﴿ٱللَّٰتَ﴾: 1- "अल-लात" इसे "ता" के तश्दीद (ता का उच्चारण दो बार करने के साथ) पढ़ा गया है, जिसका अभिप्राय "लात" नामक एक भलामानस से है जो ह़ाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। २- तथा इसे "ता" के तख़फीफ (ता का उच्चारण एक बार ही करने के साथ) पढ़ा गया है, जिसका अर्थ है कि इस बुत (मूर्ति) का नाम अल्लाह के नामों में से एक नाम के यौगिक से "लात" रखा गया है।

- ﴿وَٱلْعُزَّىٰ﴾: यह अल्लाह के नाम अल-अज़ीज़ से मुश्तक़्क़ (यौगिक) है।
- ﴿وَمَنَوٰةَ﴾: यह यौगिक है, या तोः १- अल्लाह के नमा अल-मन्नान से, २- या मिना से, क्योंकि इस मूर्ति के समीप प्रचुर मात्रा में रक्त बहाया जाता था, और (मक्का के समीप एक स्थान) "मिना" को भी "मिना" इसीलिए कहा जाता है (कि ह़ज के समय यहाँ प्रचूर मात्रा में क़ुर्बानी के पशुओं का रक्त बहता है)।
- «حُدَثَاءُ»: अर्थात जो अभी नए-नए मुसलमान हुए हों, यहाँ इस शब्द को उनके प्रश्न के लिए क्षमा याचना के रूप में उल्लेखित किया गया है।
- «يَنُوطُونَ»: उससे बरकत पाने के लिए अपने हथियारों को उस पर लटकाया करते थे।
- «ذَاتُ أَنْوَاطٍ»: (लटकाया जाने वाला) क्योंकि उस पेड़ पर वो लोग अपने हथियार लटकाते थे।
- «اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ»: उनको यह बात मालूम थी कि इबादत तौक़ीफी हैं, जिसके लिए आज्ञा लेना आवश्यक है अर्थात इसमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़-घटाव नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आज्ञा मांगी, तो आपने उन्हें कड़ाई के साथ इस मामले की संगीनी को बताया, फलस्वरूप वह शिर्क करने से बच गए।
- «لَتَرْكَبُنَّ»: तुम उनकी तरह के कथन तथा कर्म अवश्य करोगे, इसमें सूचना देना भी है तथा भयभीत करना भी कि उनकी तरह न बन जाना।

मसाइलः

पहला: सूरह नज्म की आयत ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ﴾ की तफ़्सीर व व्याख्या।

दूसरा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की "ज़ात -ए- अनवात" मांगने की वास्तविकता को जानना (कि यह कुफ्फार के मुकाबले में था, न कि इसलिए कि वो उसकी इबादत करेंगे)।

तीसरा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने केवल इसकी कामना की थी ऐसा किया नहीं।

चौथा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का उद्देश्य इससे केवल इतना था कि वह इसके द्वारा अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करें, क्योंकि उनका गुमान था कि यह अल्लाह को प्रिय है।

पाँचवां: जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शिर्क के इस प्रकार व किस्म से अनभिज्ञ रहे तो औरों का इससे अनभिज्ञ रहना और अधिक संभव है (अतः हम, लोगों के अमल करने से धोखा न खाएं)।

छठा: (सदकर्म के बदले) नेकियों (पुण्य) तथा माफी व क्षमा का उनसे जो वादा किया गया है वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं है (अतः उन्हें हम जब भी याद करें भलाई के साथ ही याद करें, क्योंकि उन पर लांछन लगाना मानो अल्लाह, उसके रसूल (के साथ-साथ) तथा उन सहाबा सब पर लांछन लगाना है)।

सातवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें ऐसा करने पर क्षमा योग्य नहीं माना अपितु अपने कथनः अल्लाहु अकबर, यही तो (पिछली उम्मतों के) रास्ते हैं, तुम अवश्य पिछली उम्मतों की रीतियों का अनुसरण करोगे, अतः इन तीन बातों के द्वारा विषय की गंभीरता को बयान किया।

आठवाँ: सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो मूल उद्देश्य है, वह यह कि आपने उन्हें सूचित किया कि उनकी यह मांग बनी इस्राईल की मांग के समान है, जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा थाः ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا﴾ (आप हमारे लिए कोई देवता बना दें) (इसमें शब्दों में भी मुश्रिकीन की नकल करने से रोका गया है)।

नौवाँ: इस प्रकार के स्थान को पवित्र तथा मुबारक न समझना ("ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के अर्थों में से है, यह एक अति गुप्त बात है जो उनसे क्षिप्त व ओझल रहे (जिस प्रकार "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही का अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं, उसी प्रकार बरकत भी अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं हासिल की जा सकती)।

दसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फत्वा पर क़सम (सौगंध) खाई जबकि बिना किसी मसलेहत (अथवा बुराई को दूर करने) के क़सम खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदत न थी।

ग्यारह्वाँ: चूँकि सहाबा को इस मांग के कारण मुर्तद (अधर्मी) नहीं समझा गया, जिससे पता चलता है कि शिर्क अकबर (बड़ा) भी होता है तथा अस़्ग़र (छोटा) भी।

बारह्वाँ: अबू वाक़िद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कहना कि हम नए-नए मुसलमान हुए थे, इससे पता चलता है कि अन्य सहाबा इससे अंजान न थे (और उनको नए-नए मुसलमान होने के कारण इससे अज्ञानता के कारण क्षमा योग्य समझा जाएगा)।

तेरह्वाँ: इससे यह भी पता चलता है कि आशचर्य के समय अल्लाहु अकबर कहना जायज़ है, उनके विपरीत जो इसे अप्रिय सझते हैं।

चौदह्वाँ: (शिर्क व बिदअत के) साधनों एवं द्वारों (ज़रिया) को बंद करना (ज़रिया -साधन- कहते हैं किसी चीज़ तक पहुँचने के रास्ते को, तथा ज़रिया (साधन) के दो प्रकार हैं:

1- वांछित एवं रुचिकर चीज़ों तक पहुँचने का साधन (ज़रिया), इसे बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका द्वार खोला जाएगा तथा इसे तलाश किया जाएगा।

2- निंदनीय चीज़ों तक पहुँचने का साधन (ज़रिया), इसे बंद किया जाएगा, तथा लेखक रहिमहुल्लाह का आशय (मुराद) यही है।

पंद्रह्वाँ: इसमें जाहिलियत (अंधकार एवं अज्ञानता) वाले युग की नकल करने से रोका गया है (यह केवल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनाए जाने के पूर्व वाले युग के साथ खास नहीं है, बल्कि हरेक वह व्यक्ति जिसने हक़ (सत्य) को नहीं पहचाना तथा जाहिलों (अज्ञानियों) वाला कर्म किया, ये सभी जाहिलियत वाले ही माने जाएंगे)।

सोलह्वँ: शिक्षा देते समय (किसी कारणवश) शिक्षक का छात्र पर क्रोधित एवं खिन्न होना भी साबित होता है।

सत्रह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "إنها السنن, यह रीतियां हैं" कह कर एक सामान्य नियम बता दिया (और यह डराने के लिए है)।

अट्ठारह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह सूचना देना भी आप के नबी होने के चिह्नों में से एक चिह्न है, क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ।

उन्नीसवाँ: अल्लाह तआला ने क़ुरआन में जिन बातों पर यहूदी तथा ईसाईयों की निंदा की है वह दरअसल हमारी चेतावनी के लिए है (कि हम उससे बचें)।

बीसवाँ: यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि इबादतों का आधार आदेश पर है, अतः इसमें क़ब्र के प्रश्नों पर ध्यानाकर्षण करना है कि क़ब्र में प्रथम प्रश्न होगाः (مَنْ رَبُّكَ؟ तेरा रब कौन है?) यह तो स्पष्ट है, अलबत्ता द्वितीय प्रश्नः (مَنْ نَبِيُّكَ؟ तेरा नबी कौन है? तो यह आपके ग़ैब (परोक्ष) की सूचना देना है, तथा तृतीय प्रश्नः (مَا دِينُكَ؟ तुम्हारा धर्म क्या है?) तो यह उनके कथनः («اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا إِلَخ» आप हमारे लिए एक देवता बना दें) अंत तक में है।

इक्कीसवाँ: अहले किताब की रीतियां भी मुश्रिकों (बहुदेववादियों) की रीतियों के समान निंदनीय हैं।

बाईसवाँ: जो बातिल (असत्य) से हक़ (सत्य) की ओर आता है उसमें बातिल (असत्य) का कुछ आचरण शेष रह जाता है, जैसाकि अबू वाक़िद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहाः "हम अभी नये-नये मुसलमान हुए थे" (इसी लिए हिकमत (तत्वदर्शिता) का तकाज़ा यह है कि व्यभिचारी को कोड़ा मारने के पश्चात उस स्थान से तड़ीपार कर दिया जाए ताकि वह फिर से उस जुर्म की ओर पलट न जाए, अतः इंसान को चाहिए कि वह कुफ़्र, शिर्क तथा फ़िस्क़ के स्थानों से दूर रहे, और अहले सुन्नत का तरीका यह है कि वह रब्बानी (रब वाले नेक) उलेमा से ही शिक्षा-दीक्षा लेते है, तथा वह व्यक्ति जो पहले गुमराह (पथभ्रष्ट) था किंतु अब सुन्नत की ओर पलट चुका है तो उससे उस समय तक शिक्षा-दीक्षा नहीं ली जाएगी जब तक उलेमा उनके गुमराही वाले अक़ीदा व आस्था तथा कर्मों से पूरी तरह से पाक हो जाने की गवाही न दें।

१०- अल्लाह के सिवाय किसी अन्य के लिए बलि चढ़ाने के विषय में

यह क्यों कहा (इस विषय में जो आया है), यह क्यों नहीं कहा कि (ग़ैरुल्लाह के लिए बलि चढ़ाना शिर्क है)?

1. लेखक महोदय की इच्छा है कि छात्र दलील से स्वयं हुक्म निकालने का हुनर सीखें, तथा शैक्षिक प्रशिक्षण का यह भी एक ढ़ंग है।

2. या इसलिए कि ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने के दो प्रकार हैं: जायज़ और शिर्क -ए- अकबर।

पहली और दूसरी दलील:

1– अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ﴾ (कह दीजिए कि मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी (बलि) तथा मेरा जीवन-मरण सब सारे जहाँ (सर्वलोक) के रब (प्रभु) के लिए है जिसका कोई साझी नहीं)। الآيَة.

2– अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ (आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें तथा क़ुर्बानी (बलि) दें)। الآيَة.

- ﴿قُلۡ﴾: आप निश्छल तौहीद को अपनाते हुए इन मुश्रिकीन से डंके की चोट पर कहिए।
- ﴿صَلَاتِي﴾: मेरे समस्त शारीरिक कर्म जिनमें सर्वश्रेष्ठ नमाज़ है चाहे वह फर्ज़ हो अथवा नफ़्ल।
- ﴿وَنُسُكِي﴾: अर्थात मेरी क़ुर्बानी (बलि), मेरे समस्त वित्तीय कर्म जिनमें सर्वश्रेष्ठ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी करना (बलि चढ़ाना) है।
- ﴿وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي﴾: अर्थात मेरे अस्तित्व में हरेक प्रकार का अधिकार तथा मेरे जीवन-मरण से ले कर सभी प्रकार का मामला केवल अल्लाह के लिए है।
- ﴿أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾ (मैं सर्वप्रथम मुस्लिम हूँ): इसका अर्थ या तो यह है कि: १- मैं इस उम्मत का सबसे पहला मुसलमान हूँ।

२- या यह है कि: मैं सभी लोगों में सबसे बड़ा मुसलमान और अल्लाह का सबसे विनम्र व आज्ञाकारी बंदा हूँ।

- ﴿وَٱنۡحَرۡ﴾: जिस प्रकार नमाज़ आप केवल अल्लाह के लिए पढ़ते हैं उसी प्रकार आप अपनी क़ुर्बानी भी निश्छल भाव से केवल अल्लाह के लिए ही करें।

ज़ब्ह के प्रकार:

अल्लाह के लिए ज़ब्ह करना: जैसे हज, ईद अल-अज़्हा एवं सदका व ख़ैरात के लिए ज़ब्ह करना।	ऐसा जब्ह जो जायज़ हो: जैसे स्वयं खाने के लिए अथवा अतिथी सत्कार या व्यापार के लिए जब्ह करना।	अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सप्रेम एवं क़द्रदानी करते हुए ज़ब्ह करना: जैसे जिन्न तथा क़ब्र वालों के लिए जब्ह करना, यह शिर्क -ए- अकबर (बड़ा शिर्क) है।

तीसरी दलील:

अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चार बातें बयान कीं: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» **"जो ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करे (बलि चढ़ाए) उस पर अल्लाह की लानत (धिक्कार) हो, जिसने अपने माता-पिता को धिक्कारा उस पर अल्लाह की धिक्कार हो, जिसने किसी बिदअती (नवाचारी) को शरण दिया उसपर अल्लाह की धिक्कार हो, जिसने धरती की सीमा के चिन्ह को बदल दिया उसपर अल्लाह की धिक्कार हो"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- «لَعَنَ»: अल्लाह तआला की लानत (धिक्कार) का अर्थ, उसे अल्लाह की रहमत (कृपा) से दूर करना है, संभव है कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से केवल सूचना देना भर हो, तथा यह भी संभव है कि यह आपकी ओर से उस व्यक्ति पर बद्दुआ (शाप) हो कि: जो ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करे उस पर अल्लाह की लानत एवं धिक्कार है।

चौथी दलील:

तारिक़ बिन शिहाब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ»، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا؛ فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ ﷻ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ»،

"एक व्यक्ति मक्खी के कारण स्वर्ग में गया तो एक व्यक्ति मक्खी के कारण ही नरक में गया, सहाबा ने पूछा: वह कैसे ऐ अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया: दो व्यक्ति एक समुदाय के पास से गुज़रे जिनका एक देवता था, तथा वहाँ से कोई भी उस समय तक नहीं गुज़र सकता था जब तक वह उसके देवता के लिए कोई चढ़ावा न चढ़ा दे, उन्होंने एक से कहा: कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, उसने कहा: चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, उनलोगों ने उससे कहा: कुछ भी अवश्य चढ़ाओ चाहे एक मक्खी ही क्यों न हो, तो उसने एक मक्खी चढ़ा दिया, तो उसने उसका रास्ता छोड़ दिया, और (इस चढ़ावा के कारण) वह नरक में पहुँच गया, और उन्होंने दूसरे व्यक्ति से कहा: चढ़ावा चढ़ाओ, उसने कहा: मैं अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए कुछ भी नहीं चढ़ा सकता, तो उन्होंने उसकी गर्दन उतार दी, तो इसके कारण वह जन्नत में पहुँच गया"। इसे अहमद ने रिवायत किया है।

- «فِي ذُبَابٍ»: अरबी भाषा का शब्द "फी" यहाँ सबब व कारण के अर्थ में है, अर्थात मक्खी के कारण।

मसाइल:

पहला: अल्लाह तआला के फरमान: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ की तफ़्सीर व व्याख्या।

दूसरा: अल्लाह तआला के फरमान: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ की तफ़्सीर व व्याख्या।

तीसरा: सर्वप्रथम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़ब्ह करने वाले पर लानत (धिक्कार) भेजी (क्योंकि यह शिर्क है, तथा अल्लाह का हक़ (अधिकार) सारे हुक़ूक़ (अधिकारों) से बढ़ कर है)।

चौथा: अपने माता-पिता को धिक्कारने (लानत करने) वाला स्वयं धिक्कारित (लानती) है, तथा इसी में यह भी है कि आप किसी और के माता-पिता को धिक्कारो तो बदले में वह आपके माता-पिता को धिक्कारे (क्योंकि किसी चीज़ का कारण बनना मानो स्वयं वह कर्म करना है, या फिर वह प्रत्यक्ष रूप से वह माता-पिता को धिक्कारे)।

पाँचवां: जो व्यक्ति किसी बिदअती (मुजरिम) को शरण दे, वह मलऊन (धिक्कारा हुआ) है, बिदअती का तात्पर्य हरेक उस व्यक्ति से है जो किसी ऐसे जुर्म को अंजाम दिया हो जिसपर अल्लाह की तरफ से दण्ड निर्धारित हो तथा वह उससे बचने के लिए किसी की शरण खोजे (उसकी सहायता करने वाला, केवल उसकी हिमायत करने वाले के मुकाबले में बड़ा मुजरिम है, तथा बिदअत (नवाचार) के निम्नांकित प्रकार हैं:

1- दीन में बिदअत ईजाद करना, जैसाकि जहमीय्या, मोतज़ला तथा राफ़ज़ी इत्यादियों ने किया।
2- उम्मत से संबंधित मामले में अंजाम देना, जैसे जरायम (अपराध) तथा उस जैसी अन्य चीज़ें, उदाहरणस्वरूप किसी चोर अथवा डाकू को शरण देना।

छठा: जो भूमि के सीमा चिन्ह को बदल दे वह लानती (धिक्कारित) है, इससे अभिप्राय ऐसे चिन्ह हैं जो आप के तथा आपके पड़ोसी के अधिकार के मध्य अंतर करता हो, तथा इसको बदलने का उद्देश्य किसी का हक़ मारना हो।

सातवाँ: किसी निश्चित व्यक्ति पर तथा उमूमी रूप से (साधारण्यता) किसी पापी पर लानत करने में अंतर है (प्रथम वर्जित तथा द्वितीय जायज़ है, किसी निर्धारित व्यक्ति पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, तथा इस परिप्रेक्ष्य में मूल बात यही है कि व्यापक रूप में (मुतलकन) किसी पर लानत भेजना जायज़ नहीं है)।

आठवाँ: एक मक्खी के कारण नरक में जाने वाला वृत्तांत बड़ा महत्वपूर्ण है (यदि इस किस्सा को सही मान लिया जाए तब)।

नौवाँ: मक्खी चढ़ाने वाला नरक में गया, जब्कि ऐसा करने से उसका उद्देश्य शिर्क करना नहीं था, बल्कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था (क्योंकि पिछली उम्मतों में बाध्यता को भी क्षमा योग्य नहीं माना जाता था)।

दसवाँ: शिर्क मोमिन के दिल को कितना घृणित लगता है कि उसने क़त्ल होना सहन कर लिया किंतु उनकी माँग नहीं पूरी की, जब्कि वह लोग ऊपरी तौर पर ही सही यह काम कराना चाहते थे (यदि उसका समर्थन करने तथा सब्र (धैर्य) न करने से इसलाम को हानि पहुँचने का गुमान हो तो सब्र करे, और स्मरण (याद) रहे कि सब्र करना कभी-कभी वाजिब हो जाता है)।

ग्यारह्वाँ: नरक में जाने वाला व्यक्ति मुसलमान था क्योंकि यदि वह काफिर होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह नहीं कहते कि: "**मक्खी के कारण नरक में गया**" (अर्थात एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ाना ही उसके नरक में जाने का कारण बना)।

बारह्वाँ: इसमें उस दूसरी हदीस का भी समर्थन है जिसमें है कि: "**जन्नत और जहन्नम तुम्हारे जूते के फ़ीते से भी अधिक समीप है**" (तथा इसका उद्देश्य लोगों को भयभीत करना तथा रुचि दिलाना है)।

तेरह्वाँ: ज्ञात हो कि दिल से किया गया कर्म ही हरेक के समीप अति महत्वपूर्ण तथा महा उद्देश्य होता है यहाँ तक कि मूर्ति पूजकों के पास भी (दिल के रोगों का उपचार क़ुरआन एवं हदीस है, अतः दिल को सांसारिक मोह-माया से बचाकर रखें)।

जब किसी व्यक्ति को कुफ्र करने पर विवश किया जाए तो उसके लिए उचित क्या है? सब्र करे और क़त्ल हो जाए अथवा ऊपरी तौर पर उसका समर्थन करे तथा दिल में उसके लिए कोई तावील (तर्क) गढ़ ले?

1- आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप में उसका समर्थन करे, यह जायज़ नहीं है क्योंकि यह रिद्दत (इसलाम से फिर जाना) है।

2- ऊपरी रूप से उसका समर्थन करे आंतरिक रूप से नहीं, और उद्देश्य केवल इस विवशता से बचना हो, ऐसा करना जायज़ है।

3- न तो बाह्य रूप से और न ही आंतरिक रूप से उसका समर्थन करे, बल्कि क़त्ल हो जाने को प्राथमिकता दे, तो ऐसा करना जायज़ है और यह सब्र करने में दाख़िल है, तथा यह उस समय हो कि विवश करने पर उसका समर्थन करने से सामान्य लोगों के दीन (धर्म) को हानि पहुँचने का अंदेशा हो, अन्यथा ऊपरी तौर पर समर्थन कर दे आंतरिक तौर पर नहीं।

११- जिस स्थान में ग़ैरुल्लाह के लिए बलि दी जाती हो वहाँ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी न किया जाए

ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का हुक्म ज़िक्र करने के बाद ऐसे स्थान पर अल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का हुक्म ज़िक्र करना जहाँ ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह किया जाता हो, लेखक महोदय का बड़ा ही बेहतरीन अंदाज़ है, अर्थात कोई उस स्थान पर अल्लाह के लिए क़ुर्बानी करने का इरादा करे जहाँ बुतों (मूर्तियों) के लिए बलि चढ़ाई जाती हो, उसका क्या हुक्म होगा, तथा इस वर्जना की हिकमत (तत्वदर्शिता) निम्मांकित हैं:

1- यह कुफ्फार की नकल करने के समान है।
2- ऐसा करने में एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि इससे यह गुमान होगा कि मुश्रिकीन का अमल जायज़ है।
3- इसके द्वारा मुश्रिकीन के इस अमल को ताक़त मिलेगी, जब्कि यह वर्जित है और उसका खण्डन करना वांछित है।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ الآيَةَ. (आप कदापि -उस मस्जिद -ए- ज़िरार में नमाज़ के लिए- खड़े न होना)।

लेखक रहिमहुल्लाह का इस आयत को इस अध्याय में उल्लेख करने का उद्देश्य:

मस्जिद -ए- ज़िरार चूँकि कुकर्म करने, मुसलमानों के विरुद्ध इसका प्रयोग करने, मुसलमानों को हानि पहुँचाने तथा उनके मध्य अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी तो अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उसमें खड़े होने से रोक दिया, जब्कि उसमें भी नमाज़ केवल अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती, जो इस बात का प्रमाण है कि हरेक वह स्थान जहाँ अल्लाह की नाफरमानी (अवज्ञा) की जाती हो वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा यद्यपि अब उसे समाप्त ही क्यों न कर दिया गया हो, और जिस प्रकार नमाज़ इबादत है उसी प्रकार क़ुर्बानी करना भी इबादत है।

और इसी से मिलती-जुलती चीज़ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय नमाज़ पढ़ने से रोकना है, क्योंकि उस समय कुफ्फार सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं, यहाँ युग तथा समय के आधार पर निषेध किया गया है जब्कि उक्त हदीस में स्थान के आधार पर वर्जित किया गया है।

दूसरी दलील:

साबित बिन ज़हहाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने "बवाना" नामक स्थान पर ऊँट की बलि देने की नज्र (मनौती) मानी तो उसके संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया, तो आपने पूछा: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». **"क्या जाहिलियत (अज्ञानता, अंधकार, मुर्खता) वाले युग में वहाँ कोई मूर्ति थी जिसकी पूजा होती थी? लोगों ने कहा: नहीं, आपने फिर पूछा: क्या वहाँ उनका कोई पर्व होता**

था? लोगों ने कहा: नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: अपनी नज़्र (मन्नत) पूरी कर लो, (और ज्ञात रहे कि) अल्लाह की अवज्ञा में कोई मनौती नहीं तथा न ही उस चीज़ में जिसका इंसान मालिक न हो"। इसको अबूदाऊद ने रिवायत किया है तथा इसकी सनद दोनों (बुख़ारी एवं मुस्लिम) की शर्त पर पूरा उतरती है।

नज़्र (मनौती): शब्दकोष के अनुसार: अनिवार्य तथा अपरिहार्य करना, एवं शरीअत के अनुसार: बंदे का अपने ऊपर ग़ैर वाजिब (अनावश्यक) चीज़ को वाजिब (आवश्यक) कर लेना।

ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र मानना (शिर्क -ए- अकबर है):
जैसे कोई केवल शब्द उच्चारण करके ग़ैरुल्लाह की क़सम खाले, यह पूरा नहीं होगा (अर्थात इसको पूरा नहीं किया जाएगा और न ही इसमें कफ्फारा (प्रायश्चित) है, वह बस अल्लाह के सामने तौबा (पश्चाताप) करे)।

अल्लाह के लिए नज़्र मानना:

आम नज़्र: इसमें हरेक मुसलमान शामिल है ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (वह अपने नज़्र को पूरा करते हैं) क्योंकि प्रत्येक मुसलमान ने आज्ञापालन करने तथा अवज्ञा न करने की नज़्र मानी है।

ख़ास (विशेष) नज़्र:

उच्चारण करने के पूर्व: ऐसा करना ह़राम है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा करने से मना किया है, और इसमें यदि कुछ भी भलाई होती तो नबी ने भी इस प्रकार की नज़्र मानी होती।

इसका उच्चारण कर लेने के बाद:
या तो इसे पूरा करे या कफ्फारा दे।

आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) वाली नज़्र: इसको पूरी करना वाजिब है और यदि क़सम तोड़ दे तो कफ्फारा (प्रायश्चित) वाजिब है (इसका उदाहरण: नफ्ल नमाज़ की नज़्र मानना है)।

अवज्ञा (नाफरमानी) वाली नज़्र: इसको पूरी करना ह़राम (वर्जित) है और क़सम तोड़ कर कफ्फारा देना वाजिब है (इसका उदाहरण: किसी ह़राम कार्य जैसे चुग़ली (पिशुनता) करने की नज़्र मानना है)।

मुबाह़ और जायज़ नज़्र: उसको अधिकार दिया जाएगा कि वह नज़्र (मन्नत) पूरी करे -और यह परमोचित है- अथवा कफ्फारा दे (इसका उदाहरण: कोई विशेष वस्त्र धारण करने की नज़्र मानना)।

क्रोध में आकर मानी गई नज़्र: इसका हुक्म मुबाह व जायज़ नज़्र ही की तरह है जो क़सम (सौगंध) के अर्थ में माना जायेगा, (इसका उदाहरण है: नगर छोड़ने की नज़्र (मनौती) मानना)।

मकरूह (अप्रिय) नज़्र: इस नज़्र को पूरी करना मकरूह (अरूचिकर) है जब्कि इसको तोड़ कर कफ्फारा देना मुस्तह़ब (रूचिकर) है (इसका उदाहरण है: नमाज़ में इधर-उधर देखने की नज़्र मानना)।

मुतलक़ (बिना कुछ तय एवं निश्चित किए) नज़्र मानना: अर्थात वह बस यूँहि बिना कुछ तय किए नज़्र माने, इसमें कफ्फारा है, (इसका उदाहरण है: जैसे कोई कहे मैं अल्लाह के लिए नज़्र मानता हूँ, फिर चुप हो जाये)।

- नज़्र (मन्नत) यदि अल्लाह के लिए हो तो वह पूरी होगीः अब या तो उसको पूर्ण करे या फिर उसे तोड़ कर उसका कफ्फारा दे (प्रायश्चित करे)।
- नज़्र यदि ग़ैरुल्लाह के लिए हो तो वह पूरी नहीं होगीः अर्थात इसको पूर्ण नहीं किया जाएगा और न ही इसका कफ्फार दिया (प्रायश्चित किया) जायेगा, इस में केवल अल्लाह के सामने तौबा (पश्चाताप) किया जाएगा (और रही बात हुक्म की तो, यह शिर्क -ए- अकबर है)।

मसाइलः

पहला: अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ की तफ्सीर एवं व्याख्या (आप कभी उस -मस्जिद -ए- ज़िरार- में -इबादत एवं उपासना के लिए- खड़े न होना)।

दूसरा: फरमाँबरदारी एवं नाफरमानी (आज्ञाकारिता तथा अवज्ञा) का प्रभाव कभी-कभी भूखण्ड पर भी पड़ता है (चूँकि उस स्थान पर शिर्क (बहुदेववादिता) आधारित कर्मकांड किए जाते थे, अतः मुश्रिकीन (बहुदेववादियों) की नकल एवं एकरूपता से बचने के लिए ऐसे कर्म को ह़राम (निषेध) किया गया जिसमें शिर्क से समानता हो।

तीसरा: किसी कठिन एवं जटिल मसला को समझाने के लिए सरल एवं आसान मसले की ओर ले जाना ताकि किसी प्रकार की कोई जटिलता बाकी न रहे।

चौथा: आवश्यकतानुसार मुफ़्ती (धर्मशास्त्री) प्रश्नकर्ता से विवरण एवं तफ्सील माँग सकता है (या इसी प्रकार उत्तर देते समय विस्तार से काम ले सकता है)।

पाँचवां: किसी विशेष स्थान की नज़्र (मनौती) मानना में कोई हर्ज नहीं है बशर्ते कि कोई शरई रुकावट न हो (किंतु यदि यह भय हो कि अवाम यह समझने लगेगी कि इस स्थान की अपनी कोई विशेषता है तो फिर वर्जित होगा)।

छठा: जिस स्थान पर जाहिलियत (अंधकार, अज्ञानता) वाले युग में कोई वस़न (बुत, मूर्ति) रही हो यद्यपि अब उसे हटा दिया गया हो तथापि वहाँ की नज़्र (मन्नत) मानना अनुचित है।

सातवाँ: किसी ऐसे स्थान पर नज़्र (मन्नत) पूर्ण नहीं की जा सकती जहाँ मुश्रिकीन का कोई उत्सव, मेला या त्योहार होता था यद्यपि अब वहाँ कुछ न होता हो।

आठवाँ: यदि किसी ने मुश्रिकीन की मूर्ति या त्योहार वाले स्थान की नज़्र मानी हो तो उसे पूरा करना जायज़ नहीं (अनुचित) है क्योंकि यह अवज्ञा वाली नज़्र एवं मन्नत है।

नौवाँ: इससे यह ज्ञात हुआ कि त्योहारों में मुश्रिकीन की समानता एवं एकरूपता से बचना चाहिए, यद्यपि उसकी समानता करने का इरादा न भी हो तब भी (शैख़ुल इस्लाम रहिमहुल्लाह का कथन मौजूद है कि समानता के लिए निश्चय एवं इरादा का होना शर्त नहीं, परंतु ऐसा यदि इरादा के साथ किया जाए तो ज़्यादा गुनाहगार होगा)।

दसवाँ: अल्लाह की नाफरमानी (अवज्ञाकारिता) में नज़्र (मन्नत) नहीं होती (अर्थात इस प्रकार का नज़्र मान लेने का मतलब है कि यह अपने आप में नज़्र तो शुमार होगी, किंतु इसे पूर्ण नहीं किया जायेगा)।

ग्यारह्वाँ: इंसान जिस चीज़ का मालिक न हो उसकी नज़्र (मनौती) मांगना भी नाजायज़ एवं गलत है (अर्थात उसको पूरा नहीं किया जाएगा, और इंसान जिसका मालिक नहीं होता उसके दो प्रकार हैं:

1- शरई तौर पर उसका मालिक न हो: जैसे कोई कहे: मैं अल्लाह के लिए यह नज़्र (मन्नत) मानता हूँ कि अमूक व्यक्ति के दास (ग़ुलाम) को मैं आज़ाद कर दूँगा, ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि वह उसका मालिक नहीं है।

2- नैसर्गिक एवं फ़ितरी तौर पर उसका मालिक न हो: जैसे कोई कहे: मैं अल्लाह के लिए यह नज़्र (मन्नत) मानता हूँ कि मैं अपने हाथों से चिड़िया उड़ाउँगा, ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि वह उसका मालिक नहीं है।

अल्लाह के लिए नज़्र (मनौती) मानने का कफ्फारा (प्रायश्चित) वही है जो क़सम (सौगंध) का कफ्फारा है:

- उसको अधिकार दिया जायेगा कि या तो एक मुस्लिम दास (ग़ुलाम) आज़ाद करे, अथवा दस मिस्कीन (फ़क़ीर) को भोजन कराए, अथवा दस मिस्कीन को कपड़ा (वस्त्र) पहनाए।
- यदि ऐसा करने में असमर्थ एवं अक्षम हो तो निर्बाध (लगातार, मुसलसल) तीन दिन तक रोज़ा रखे।

१२- ग़ैरुल्लाह की नज़्र व नियाज़ (मनौती) मानना शिर्क है

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ये लोग नज़्र -मनौती- पूरी करते हैं)।

२- और अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ﴾ (तुम -अल्लाह के रास्ते में- जो भी धन ख़र्च करो अथवा नज़्र मानो अल्लाह उसे अवश्य जानता है)।

दोनों आयतों का अध्याय से संबंध इस प्रकार है कि नज़्र (मन्नत) उन असबाब (माध्यमों) में से है जिनके कारण नेक लोग जन्नत में जाएंगे, और चूँकि यह इबादत एवं उपासना है अतः इसको ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना शिर्क है, इसी प्रकार किसी चीज़ तथा उसके बदला को अल्लाह के इल्म व ज्ञान पर छोड़ देना है।

तीसरी दलील:

सहीह (बुख़ारी) में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» **"जो अल्लाह का आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) करने की नज़्र (मन्नत) माने वह अपनी मन्नत पूरी करे, तथा जो अल्लाह के अवज्ञा (नाफरमानी) की नज़्र माने वह अवज्ञा न करे"**।

आज्ञापालन, अवज्ञा तथा ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र मानने में अंतर:

अल्लाह के आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) की नज़्र (मन्नत) मानना: जैसे अल्लाह की क़सम (सौगंध) खाना, यह नज़्र शुमार होगी। (इसको पूरा किया जायेगा अथवा इसका कफ्फारा दिया (प्रायश्चित किया) जायेगा)। इसको पूरा करना वाजिब है।	अल्लाह की अवज्ञा (नाफरमानी) की नज़्र (मन्नत) मानना: जैसे अल्लाह की क़सम (सौगंध) खाना, यह नज़्र शुमार होगी, (इसको पूरा किया जायेगा अथवा इसका कफ्फारा दिया (प्रायश्चित किया) जायेगा)। इसको पूरा करना हराम है।	अल्लाह के सिवा अन्य (ग़ैरुल्लाह) की नज़्र मानना: जैसे ग़ैरुल्लाह की क़सम (सौगंध) खाना, यह नज़्र शुमार नहीं होगी, इसमें अल्लाह के समक्ष तौबा व इस्तिग़फार (पश्चाताप) करे। यह शिर्क -ए- अकबर है।

मसाइल:

पहला: नज़्र (मन्नत) पूरी करना वाजिब व अपरिहार्य है (किंतु स्मरण रहे कि केवल आज्ञापलन व फरमाँबरदारी वाली नज़्र जब्कि वह केवल अल्लाह के लिए मानी गई हो)।

दूसरा: जब यह प्रमाणित हो चुका कि नज़्र (मन्नत) मानना अल्लाह की इबादत व उपासना है तो अब इसे अल्लाह के सिवा किसी अन्य (ग़ैरुल्लाह) के लिए अंजाम देना शिर्क है।

तीसरा: इससे यह भी ज्ञात हुआ कि अवज्ञा एवं नाफरमानी वाली नज़्र (मन्नत) पूरी करना नाजायज़ एवं अनुचित है (और उसका कफ्फारा (प्रायश्चित) वही है जो क़सम (सौगंध) का कफ्फारा है)।

टिप्पणी:

नज़्र तथा क़सम के अह़काम (प्रावधान) लगभग समान ही हैं, और इसीलिए फ़ुक़हा (धर्मज्ञ, धर्मशास्त्री) दोनों को एक ही अध्याय "बाब -अल ऐमान व अल-नुज़ूर (सौगंध एवं मनौती से संबंधित अध्याय)" के तहत उल्लेख करते हैं।

१३- अल्लाह के सिवाय अन्य से इस्तेआज़ा (शरण माँगना) शिर्क है (अर्थात ऐसी चीज़ों में ग़ैरुल्लाह से शरण माँगना जिन की शक्ति, सामर्थ्य एवं ताकत केवल अल्लाह ही के पास है)।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (और यह कि कुछ लोग जिन्नात की शरण माँगा करते थे तो (इस प्रकार) उनका उपद्रव (सरकशी, विद्रोह) और बढ़ गया)।

- ﴿يَعُوذُونَ﴾: अर्थात उसकी शरण माँगते थे, अरबी शब्द "عياذ" "इयाज़" किसी चीज़ से डरते हुए शरण माँगना, तथा "لياذ" "लियाज़" कहते हैं किसी चीज़ को पाने की आशा रखते हुए शरण माँगना।
- ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾: अर्थात दिलों में डर व रोब डाल देते थे, बदन में डर समा जाने को "رهق" "रहक़" कहते हैं, ग़ैरुल्लाह की पनाह माँगना, पनाह माँगने वाले (शरणार्थी) को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाता है बल्कि उसे और अधिक भयभीत कर देता है, और चूँकि यह शिर्क -ए- अकबर है अतः उसे उसकी चाहत के विपरीत चीज़ के द्वारा सज़ा दी गई।

दूसरी दलील:

ख़ौला बिन्ते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» "**जो किसी स्थान पर उतरे तथा यह दुआ पढ़े: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) "(मैं अल्लाह के पूर्ण कलमों (शब्दों, वाणियों) के द्वारा उसकी रचित एवं पैदा की हुई सृष्टि की हरेक प्रकार की बुराई से पनाह माँगता हूँ), तो उसके वहाँ से प्रस्थान कर जाने तक कोई भी वस्तु उसे हानि नहीं पहुँचायेगी**"। इस हदीस़ को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।।

- «مَنْزِلًا»: किसी स्थान पर स्थाई रूप से ठहरने के लिए उतरे, या अस्थाई रूप से ही सही जैसे कश्ती - पानी जहाज़- में।
- «أَعُوذُ»: मैं अल्लाह तआला की शरण में आता हूँ।
- «بِكَلِمَاتِ اللهِ»: वह कलमा (वाणी) चाहे कौनी (कायनात से संबंधित) हों अथवा शरई।
- «التَّامَّاتِ»: (पूर्ण), का अर्थ है: १- सूचना देने में सच्चा होना। २- कानून (नियम) में न्यायोचित होना।
- «شَرِّ مَا خَلَقَ»: बुराई का संबंध अल्लाह से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने बुराई को भी किसी हिकमत (तत्वज्ञान) के तहत ही पैदा किया है, तथा ज्ञात रहे कि मख़लूक़ (रचना, सृष्टि) के कई प्रकार हैं:
  1- जिनमें केवल भलाई (कल्याण, हित) ही भलाई है, जैसे स्वर्ग, रसूल, तथा फरिश्ते।
  2- जिनमें केवल बुराई (अहित) ही बुराई है, जैसे नरक तथा इब्लीस (शैतान) अपने वजूद (अस्तित्व) के आधार पर, लेकिन चूँकि अल्लाह तआला ने इसे भी किसी हिकमत के तहत ही पैदा किया है अतः इसमें भी भलाई है।
  3- जिनमें भलाई तथा बुराई दोनों हैं, जैसे इंसान, जिन्नात (मानव एवं दानव) तथा हैवान (पशु-पक्षी)।
- «لَمْ يضره شَيْءٌ»: **(कोई भी वस्तु उसे हानि नहीं पहुँचायेगी)** यह ऐसी सूचना है जिसका असत्य होना असंभव है, अर्थात यह दुआ प्रभावी न हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सच्चे तथा जिनकी सच्चाई की गवाही समस्त संसार ने दी है उनका कथन है, किंतु यदि यह अप्रभावी हो जाये तो ऐसा किसी रुकावट एवं रोधक के कारण होगा, इसलिए नहीं कि यह सूचना असत्य है अथवा इस सबब (माध्यम) में ही कोई कमी है, इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ना रोग से मुक्ति का कारण है, लेकिन कभी-कभी इंसान सूरह फ़ातिहा पढ़ता तो है परंतु रोग से मुक्ति नही मिलती। (तो यह किसी रुकावट तथा रोधक के कारण होता है न कि सबब एवं माध्यम ही में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने के कारण)।

मसाइल:

पहला: सूरह जिन्न की आयतः ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: इससे यह भी साबित हुआ कि अल्लाह के सिवाय किसी अन्य (ग़ैरुल्लाह) से शरण माँगना शिर्क है (यहाँ शिर्क से तात्पर्य शिर्क -ए- अकबर है, अर्थात ऐसी चीज़ों में अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से पनाह माँगना जिसका सामर्थ्य एवं शक्ति केवल अल्लाह तआला के पास है)।

तीसरा: इस मसला पर उपरोक्त ह़दीस़ से दलील पकड़ी जाती है, क्योंकि उलेमा (विद्वानों) ने इससे यह दलील पकड़ी है कि अल्लाह तआला के कलेमात (वाणियों, शब्दों) मख़लूक़ (रचना, सृष्टि) नहीं हैं, क्योंकि मख़लूक़ से पनाह माँगना शिर्क है (अर्थात इस प्रकार के मामलों में शिर्क -ए- अकबर है, और यह कलेमात यदि मख़लूक़ होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसके द्वारा पनाह माँगने की ओर मार्गदर्शन नहीं करते)।

चौथा: इससे इस संक्षिप्त दुआ की फ़ज़ीलत एवं प्रधानता भी प्रमाणित होती है (क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है किः "जब तक उस स्थान पर रहोगे तुम्हें कोई भी चीज़ हानि नहीं पहुँचाएगी")।

पाँचवाँ: किसी वस्तु से सांसारिक लाभ होना, अर्थात किसी बुराई से बचाव अथवा किसी लाभ का मिलना, उसके शिर्क न होने का प्रमाण नहीं है (अतः किसी कार्य से लाभ पहुँचने का कदापि यह अर्थ नहीं है वह शिर्क नहीं है)।

अन्य फ़ायदेः

ह़दीस़ से साबित होता है कि इस्लामी शरीअत जब जाहिलियत (अंधकार, अज्ञानता) वाले युग के किसी कार्य को बातिल एवं वर्जित करती है तो उससे उत्कृष्ट एवं बेहतर उसका विकल्प भी उपलब्ध कराती है, उदाहरणस्वरूप यहाँ देखें कि वो लोग जाहिलीयत में जिन्नों से पनाह माँगा करते थे तो शरीअत ने उसको वर्जित करके उसे इन कलेमात (शब्दों) से बदल दिया।

और यह बड़ा उत्तम ढ़ंग है दीन की दावत देने का कार्य करने वालों को जिसका ध्यान रखना चाहिए कि जब वह अवाम में पाई जाने वाली किसी बुराई का द्वार बंद करें तो उससे उत्तम उसका कोई विकल्प भी उपलब्ध कराएं, और इस तरह के उदाहरण क़ुरआन एवं ह़दीस़ में बहुतेरे हैं।

१४- ग़ैरुल्लाह से इस्तेग़ासा (गुहार, फरियाद) करना अथवा दुआ करना शिर्क है

एक से पाँच तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾ الآيَة. (और तुम अल्लाह के सिवाय उसे न पुकारो जो तुमको लाभ या हानि पहुँचाने में असमर्थ हों, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम ज़ालिमों (अत्याचारियों) में से हो जाओगे, तथा यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाए तो उसके सिवा कोई और उसका निवारण नहीं कर सकता)।

२- तथा दुसरे स्थान पर फरमायाः ﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ﴾ الآيَة. (अल्लाह से ही रिज़्क़ – जीविका- माँगो और उसी की इबादत एवं बंदगी (पूजा-अर्चना) करो।

३- और फरमायाः ﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ الآيَتَيۡنِ. (और उससे बड़ा गुमराह -दिग्भ्रमित- कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़ कर उनको पुकारे जो क़यामत -महा प्रलय- तक उसका उत्तर न दे सके)।

४- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ الآيَة. (जब कोई व्याकुल एवं लाचार होकर पुकारता है तो कौन है जो उसकी पुकार को सुनता है तथा उसकी तक्लीफ एवं दुःख को दूर करता है?)।

५- और त़बरानी ने अपनी सनद से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में एक मुनाफ़िक़ (पाखण्डी, द्वयवादी) मुसलमानों को पीड़ा पहुँचाता था, तो कुछ लोगों ने कहाः चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस मुनाफ़िक़ के सम्बंध में इस्तेग़ासा (गुहार) करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ» "**इस्तेग़ासा (गुहार, फरियाद) मुझसे नहीं किया जाता, बल्कि इस्तेग़ासा केवल अल्लाह से किया जाता है**"।

- ﴿وَلَا تَدۡعُ﴾: इससे अभिप्राय, दुआ -ए- इबादत (इबादत वाली दुआ) तथा दुआ -ए- मसअला (माँगने वाली दुआ) है।
- ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾: जिसको बाद में होना चाहिए उसका उल्लेख पहले करना ह़स्र (सीमित करने) का अर्थ देता है, यानी रिज़्क़ (जीविका) केवल अल्लाह के पास ही तलाश करो क्योंकि यह केवल अल्लाह ही के पास है न कि उसके सिवाय किसी और के पास, और स्थिति यह है कि ये लोग बुतों (मूर्तियों) की उपासना करते हैं जब्कि वो उनकी जीविका के कदापि मालिक नहीं हैं।

- ﴿وَٱعۡبُدُوهُ﴾: यह इस बात को इंगित करता है कि जीविका ढूँढ़ने तथा जीविका के माध्यमों एवं असबाब में से यह है कि बंदा इबादत को उसके वास्तविक रूप में अंजाम दे।
- ﴿وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓ﴾: क्योंकि नेमत (अनुग्रह) एक प्रकार की आज़माइश (परिक्षण) है, अतः दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा उसका शुक्र अदा करना (धन्यवाद देना) चाहिए।
- ﴿مُجِيبٌ﴾: किसी ऐसे व्यक्ति से पीड़ा दूर करने तथा आवश्यकतापूर्ति करने के लिए दुआ एवं प्रार्थना नहीं की जाएगी जो उसका सामर्थ्य एवं शक्ति नहीं रखता है।
- ﴿مُنَافِقٌ﴾: मुनाफ़िक़ उसको कहते हैं जो कुफ़्र को छुपाए रख कर मुसलमान होने का छलावा एवं दिखावा करे, तथा मुसलमानों को दुःख देना इसकी दिनचर्या एवं आदत होती है।

रिज़्क़ (जीविका) के प्रकार:

आमः यह प्रत्येक मख़लूक़ (सृष्टि) के लिए आम है, चाहे वह ह़लाल हो अथवा ह़राम।	मोमिनों के साथ ख़ास़ः इससे अभिप्रायः ईमान, तक़वा (परहेज़गारी, इंद्रियनिग्रह) तथा नेक आमाल (सदकर्म) हैं।

मसाइलः

पहला: दुआ आम (सामान्य) है तथा इस्तेग़ासा (गुहार) ख़ास (विशेष), अतः इस्तेग़ासा के पश्चात दुआ की चर्चा करना, विशेष के बाद सामान्य एवं साधारण का उल्लेख करना है।

दूसरा: अल्लाह के कथनः ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

तीसरा: अल्लाह के सिवाय अन्य (ग़ैरुल्लाह) को पुकारना शिर्क -ए- अकबर (महा शिर्क) है।

चौथा: बेहद नेक एवं संत समान व्यक्ति भी यदि ऐसा कार्य अल्लाह के सिवाय अन्य को प्रसन्न करने के लिए करे तो वह ज़ालिमों (अत्याचारियों) में से होगा (इस नह्य एवं इंकार का संबोधन उन लोगों से है जिनकी हालत देखते हुए उनसे इस प्रकार का कार्य करना असंभव लगता है, तो जिनसे इस प्रकार के कार्य का क्रियान्वयन संभव प्रतीत होता हो वो तो इस इंकार के संबोधन के अधिक पात्र हैं)।

पाँचवां: इसके बाद वाली आयतः ﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾ की व्याख्या भी ज्ञात हुई, कि जब अल्लाह के सिवाय कोई अन्य दुःखों को हरने (दूर करने) वाला नहीं है तो इबादत (उपासना) उसी की हो और इस्तेग़ासा (फरियाद, गुहार) भी उसी से किया जाएगा।

छठा: पता चला कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना कुफ़्र (अधर्म) होने के साथ-साथ यह कोई सांसारिक लाभ भी नहीं पहूँचाता है (अतः ऐसा करने वाला लोक परलोक दोनों स्थान पर घाटा उठाता है)।

सातवाँ: तीसरी आयतः (﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

आठवाँ: अल्लाह तआला के सिवाय किसी और से रिज़्क़ (जीविका) नहीं माँगनी चाहिए, जैसे स्वर्ग (जन्नत) की प्रार्थना केवल उसी से की जाती है।

नौवाँ: इससे चौथी आयतः (﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या भी होती है।

दसवाँ: जो व्यक्ति अल्लाह को छोड़ कर अन्य को पुकारता है उससे बड़ा गुमराह (दिग्भ्रमित) कोई नहीं है (क्योंकि इस्तिफ़हाम -प्रश्नवाचक संज्ञा- यहाँ नफी -इंकार- के अर्थ में है)।

ग्यारह्वाँ: अल्लाह तआला के सिवाय जिन्हें पुकारा जाता है वह पुकारने वाले की पुकार से अनभिज्ञ होते हैं।

बारह्वाँ: अल्लाह तआला के सिवाय अन्य जिसको पुकारा जाता है वह इस पुकार के कारण पुकारने वाले का शत्रु होगा।

तेरह्वाँ: ग़ैरुल्लाह को पुकारना वास्तव में उसकी इबादत एवं उपासना करना है।

चौदह्वाँ: जिनको पुकारा जाता है वो क़्यामत के दिन इसका इंकार कर देंगे (उसका खण्डन करते हुए इंकार करेंगे)।

पंद्रह्वाँ: अल्लाह के सिवाय अन्य (ग़ैरुल्लाह) को पुकारने के कारण ही वह व्यक्ति सर्वाधिक गुमराह (दिग्भ्रमित) हुआ (१- क्योंकि वह उनको पुकार रहा है जो उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। २- जिनको वह पुकार रहा है वो उसकी पुकार से अनभिज्ञ हैं। ३- उनकी इबादत करने के कारण वह काफिर बन गया)।

सौलह्वाँ: इससे पाँचवी आयतः (﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या भी होती है।

सत्रह्वाँ: आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मूर्ति पूजक भी यह मानते हैं कि केवल अल्लाह ही व्याकुलों एवं लाचारों की गुहार सुनता है इसी कारण कड़े समय में वे मात्र अल्लाह को ही ख़ालिस एवं निश्छल हो कर पुकारते हैं।

अट्ठारह्वाँ: इससे प्रमाणित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद के उपवन की पूर्णरूपेण सुरक्षा कर दी और (उम्मत को) अल्लाह तआला के साथ बेहद आदर-सत्कार के साथ पेश आने की शिक्षा दी (चुनाँचे उम्मत को यह शिक्षा दी कि कड़े समय में केवल एक अल्लाह की शरण में जाएं तथा इस्तेग़ासा (गुहार, फरियाद) भी केवल उसी एक अल्लाह से करें)।

दूसरे भाग से परीक्षा (९ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: नज़्र (मन्नत) के निम्नांकित प्रकार के मध्य अंतर बताएं:

आज्ञापालन वाली नज़्र	अवज्ञा वाली नज़्र	ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

द्वितीय प्रश्न: निम्नांकित कर्मों का हुक्म दिए गए संख्याओं में से हरेक के लिए उचित संख्या का चयन करके बताएं:

जायज़ (१), मकरूह (२), सग़ीरा (३), कबीरा (४), शिर्क -ए- अस़ग़र (५), शिर्क -ए- अकबर (६), इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है (७), वाजिब (८), मुस्तहब (९)।

.....	नबी से प्रेम रखना	.....	पत्नी से प्रेम करना
.....	अहले किताब के कुफ़्र में शंका करना	.....	अल्लाह के साथ किसी अन्य से भी प्रेम करना
.....	ताँत लटकाने वाले पर बद्दुआ करना	.....	बुरी नज़र दूर करने के लिए क़ुरआन छूना
.....	वेडिंग रिंग पहनना	.....	किसी निश्चित व्यक्ति पर लानत करना
.....	नबी के हुजरा (कमरा) को छूना	.....	तावीज़ लटकाना
.....	नज़्र के लिए किसी स्थान को ख़ास करना	.....	हड्डी अथवा गोबर से इस्तिंजा करना
.....	कुफ्फार के त्योहारों में सम्मिलित होना	.....	क़ुरआन का पाठ करके तबर्रुक हासिल करना
.....	जिन्नात से भयभीत होना	.....	मख़लूक़ से गुहार करना
.....	क़ुरआन की आयात लटकाना	.....	ग़ैरुल्लाह की नज़्र मानना
.....	क़ुरआनी आयात का तावीज़ लटकाना	.....	अवज्ञा की नज़्र
.....	अरबी को छोड़ कर अन्य भाषा में झाड़-फूँक करना	.....	जूता या चीथड़ा लटकाना
.....	अल्लाह के नामों को ग़ैर अरबी भाषा में ज़िक्र करना	.....	शोभा के लिए धागा लटकाना
.....	स्वास्थय लाभ की नीयत से ज़मज़म पीना	.....	हजर -ए- असवद को छूना
.....	मस्जिद -ए- ज़िरार के स्थान का पता करना	.....	मसलेहत के कारण धन बर्बाद करना
		.....	"हम रसूल से इस्तेग़ासा करेंगे" कहना

तृतीय प्रश्न: ☒ का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1. तौ़हीद की तफ़्सीर है: ☐ पहले क़िस्म में ☐ छठे अध्याय में ☐ दोनों सही हैं।
2. इस शीर्षक की व्याख्या इस अध्याय से ले कर: ☐ पुस्तक की समाप्ति तक है ☐ इस क़िस्म की समाप्ति तक है।

3. लेखक ने तौहीद की व्याख्या की है: ☐ उसके विपरीत के द्वारा ☐ स्पष्ट चीज़ों के द्वारा ☐ समस्त।
4. पुस्तक की दूसरी क़िस्म कितने अध्यायों पर आधारित है: ☐ ५ ☐ ९ ☐ ७।
5. ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ अर्थात: .....
6. मोहब्बत के प्रकार: १- ..... उसका हुक्म .....
   २- ..... उसका हुक्म ..... ३- ..... उसका हुक्म .....
7. अल्लाह के लिए मोहब्बत इन चीज़ों से होगी: ..... और ..... और ..... और .....
8. क़ुरआन वाले तावीज़ के हराम होने के कारण: १- ..... २- .....
   ३- ..... ४- .....
9. जायज़ झाड़-फूँक की शर्तें: १- .....
   २- ..... ३- .....
10. आयत ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ का अध्याय (जहाँ ग़ैरुल्लाह के लिए बलि दी जाती हो वहाँ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी नहीं की जायेगी) में ज़िक्र करने का सबब: .....
11. आयत ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾ का अध्याय (ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र मानना शिर्क है) में उल्लेख का कारण: .....
12. नज़्र की शरई परिभाषा: .....
13. नज़्र शुमार होगी का अर्थ है: .....
14. «فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» अर्थात: .....
15. «بُوَانَةَ» (बुवाना): अर्थात: ..... «لَا يَجُوزُهُ» अर्थात: .....
16. मस्जिद -ए- ज़िरार कुफ़्र के लिए बनाई गई थी, और ..... और ..... और .....
17. जहाँ ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह होता हो वहाँ अल्लाह के लिए क्यों नहीं ज़ब्ह किया जायेगा: १- .....
   २- ..... ३- .....
18. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह क्यों फरमाया? «لَا يُسْتَغَاثُ بِي» .....
19. «آوَى» अर्थात: ..... «مُحْدِثًا» अर्थात: .....या .....
20. «لَعَنَ وَالِدَيْهِ» अर्थात: .....या .....
21. ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ अर्थात: .....या .....
22. ﴿أَفَرَءَيْتُمُ﴾ अर्थात: ..... ﴿ٱللَّاتَ﴾ अर्थात: .....
23. ﴿وَٱلْعُزَّىٰ﴾ अर्थात: ..... ﴿وَمَنَوٰةَ﴾ अर्थात: ..... अथवा: .....
24. «أَعُوذُ» अर्थात: ..... «بِكَلِمَاتِ اللهِ» अर्थात .....
25. तबर्रुक के प्रकार हैं: १- ..... २- .....
   तथा इन दोनों के मध्य अंतर इस प्रकार किया जायेगा: .....

26. जिहालत (अज्ञानता) के कारण क्षमा योग्य समझे जाने वाले लोगों के प्रकारः १- .....
..... २- .....

27. जो नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और ज़कात भी देता है, परंतु क़ब्रों पर जाकर सज्दा भी करता है, तो ऐसा करनाः
☐ कुफ़्र -ए- अकबर है ☐ कुफ़्र -ए- अस़्ग़र है ☐ कबीरा गुनाह है ☐ वह मुनाफ़िक़ है।

28. शिर्क -ए- अकबर के प्रकार हैं: ☐ ३ ☐ ४ ☐ २ प्रकार।

29. ज़ब्ह के प्रकार हैं: ☐ ३ प्रकार ☐ ४ प्रकार।

30. ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ۝٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ ☐ इसमें: "ला इलाहा इल्लल्लाह" का अर्थ निहित है ☐ पैदा करने वाला ही इबादत का पात्र है ☐ मूर्तियों की विवशता है ☐ उक्त समस्त।

31. ﴿أَحۡبَارَهُمۡ﴾: ☐ उनके उलेमा ☐ उनके इबादत गुज़ार (तपस्वी, संत)।

32. ﴿وَرُهۡبَٰنَهُمۡ﴾: ☐ उनके इबादत गुज़ार (तपस्वी, संत) ☐ उनके उलेमा।

33. ﴿أَرۡبَابٗا﴾: यहः ☐ मोहब्बत में ☐ आज्ञापालन में: साझी बनाना है।

34. अस्बाब (माध्यम) अपनाने में लोगों के प्रकार हैं: ☐ अति एवं न्यून तथा इन दोनों के मध्य सुंतलन बनाकर चलने वाले ☐ सही, शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़्ग़र है।

35. नह्र (क़ुर्बानी) शारीरिक इबादतों में सर्वोत्तम हैः ☐ सही ☐ गलत।

36. गुनाहगार पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, किंतु यदि उमूमी तौर पर (व्यापक रुप से) ऐसा किया जाए तो जायज़ हैः ☐ सही ☐ गलत।

37. मुसलमान को चाहिए कि अपनी ज़ुबान को लानत-मलामत से बचा कर रखे, और स्मरण रहे कि लानत उसी पर भेजी जायेगी जो उसका पात्र होगा, या तो नस़्स़ (दलील) से प्रमाणित हो ☐ आम दलील के द्वारा जैसे कुफ्फार ☐ या विशेष दलील के द्वारा जैसे सूदखोर, ☐ उक्त समस्त।

38. वह स्थान जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार की गई हों, वहाँ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, सिवाय मस्जिद केः ☐ सही ☐ गलत।

39. उन स्थानों को यदि आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) वाले स्थान से बदल देना संभव हो तो बदल दिया जायेगाः ☐ सही ☐ गलत।

40. मस्जिद -ए- क़ुबा में नमाज़ पढ़ने के लिए यात्रा करना सही हैः ☐ सही ☐ गलत।

41. वह स्थान जहाँ शिर्क किया जाता था, अब उस स्थान से शिर्क का प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात स्मरण के लिए जाना सही हैः ☐ सही ☐ गलत।

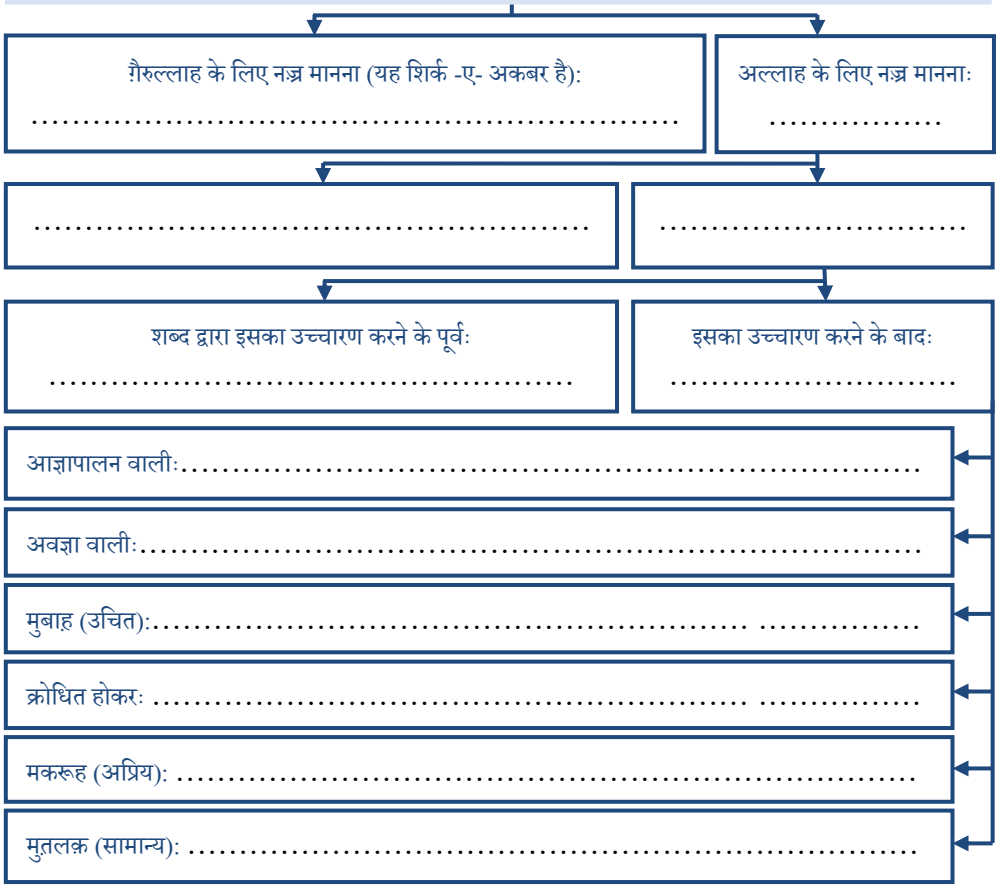
42. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत का ढ़ंग मालूम करने के लिए "ग़ार -ए- ह़िरा" जाना सही हैः ☐ सही ☐ गलत।

43. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक की यात्रा को "मेराज" कहते हैं: ☐ सही ☐ गलत।

44. जो रास्ते की उन निशानियों को मिटा दे जिनसे लोग रास्ता मालूम करते हैं तो वहः☐ मलऊन (शापित) है ☐ गुनाहगार है।

45. सालेहीन (धर्मात्मा, संत) का तिरस्कार एवं अपमान तथा उनकी फ़ज़ीलत (प्रधानता) एवं सदगुण का इंकार करते हैं: ☐ अति करने वाले ☐ न्यून वाले ☐ इन दोनों के मध्य संतुलन बनाकर चलने वाले।

चतुर्थ प्रश्नः नज़्र (मन्नत) का हुक्म विस्तार के साथ बयान करें:



पंचम प्रश्नः तालिका (क) के उचित वाक्यों को तालिका (ख) के उचित वाक्यों से मिलान करें:

क्र.	क		ख
1	नज़्र		इसको "अज़ाइम" भी कहा जाता है, जिसमें शिर्क का समागम न हो ऐसा करना शरीअत से साबित है।
2	मुनाफ़िक़		उनका गुमान था कि इससे पति-पत्नी के बीच प्रेम प्रगाढ़ होता है।
3	झाड़-फूँक		बुरी नज़र से बचने के लिए बच्चों के गले में लटकाया जाता है।
4	तिवलः		अल्लाह की ओर से इसके होने का अर्थ है: उसको अल्लाह की रहमत से दूर करना।
5	तावीज़		बंदा का अपने ऊपर ग़ैर वाजिब को वाजिब कर लेना।
6	लानत करना		जो कुफ़्र छुपाए हुए इसलाम का दिखावा करे, मुसलमानों को दुःख पहुँचाना इसकी दिनचर्या एवं आदत होती है।

तीसरा भाग: अल्लाह के सिवाय अन्य की इबादत बातिल है (४ अध्याय)

तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्य के पश्चात इन चार अध्यायों में उन दलीलों एवं प्रमाणों का उल्लेख किया है जो अल्लाह तआला के सिवा अन्य की इबादत एवं उपासना को बातिल तथा व्यर्थ साबित करते हैं:

- मूर्तियों, एवं अल्लाह तआला को छोड़ कर अन्य की उपासना करना यहाँ तक की नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत करना भी बातिल एवं व्यर्थ है।
- फरिश्तों की इबादत करना बातिल है, जब्कि वो इंसानों में से कुछ अति विशिष्ट लोगों को छोड़ कर अल्लाह तआला के सबसे अधिक निकट हैं।
- अल्लाह तआला के सिवाय किसी और से तौफ़ीक़ वाली हिदायत माँगना बातिल है, क्योंकि इसका अल्लाह के सिवाय कोई और मालिक नहीं है।

१५- अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ الآيَةَ (क्या वो उसे (अल्लाह तआला) का साझी बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे स्वयं पैदा किये गये हैं, और न ही उनकी सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं) का अध्याय

- अल्लाह तआला ने मूर्तियों की विवशता एवं असहायता का उल्लेख किया है, साथ ही यह भी कि निम्नांकित चार कारणों से ये उपास्य एवं पूज्य (माबूद) नहीं हो सकते:
  1- वह किसी भी वस्तु को पैदा करने में अक्षम हैं, और जो पैदा करने में अक्षम हो वह पूजे जाने योग्य नहीं हो सकता।
  2- वह अदम (अनस्तित्व, परलोक) से वजूद (अस्तित्व, लोक) में लाए गए तथा पैदा किए गए हैं।
  3- वह अपने पुकारने वालों की सहायता नहीं कर सकते।
  4- (बल्कि) वह स्वयं अपनी सहायता भी नहीं कर सकते।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ الآيَةَ.

(अल्लाह के सिवाय जिनको तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली में पड़े हुए छिलके के भी मालिक एवं स्वामी नहीं हैं)

- ﴿قِطْمِيرٍ﴾: (क़ितमीर) उस पतली झिल्ली को कहते हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर होती है।

- अल्लाह तआला ने अपने सिवाय अन्य की इबादत को चंद बातों के द्वारा बातिल (व्यर्थ) क़रार दिया है:
  1- वो किसी भी वस्तु के मालिक एवं स्वामी नहीं हैं।
  2- वो सुनते नहीं हैं।
  3- यदि हम यह मान भी लें (जोकि असंभव है) कि वो सुनते हैं तो भी वो उस पुकार का उत्तर तथा पुकारने वाले की आवश्यकतापूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो इसकी क्षमता नहीं रखते हैं।
  4- क़यामत (महा प्रलय) के दिन अल्लाह तआला उन लोगों को लेकर आएगा जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है तो वो अपनी पूजा करने वालों की पूजा का इंकार कर देंगे।

तीन से छः तक दलीलें:

३- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ﴾ الآيَةَ. (अल्लाह के सिवाय जिनको तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली में पड़े हुए छिलके के भी मालिक एवं स्वामी नहीं हैं)।

४- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि: «شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ» नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उहुद के दिन घायल एवं आहत हो गये तथा आप के अगले दो दाँत शहीद हो गये तो आपने फरमाया: «**كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟**» "वह क़ौम (समुदाय) कैसे सफल हो सकती है जिन्होंने अपने नबी को आहत कर दिया, तो यह आयत उतरी: ﴿**لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ**﴾ (इस विषय में आपको कुछ भी अधिकार नहीं)"।

५- और सही (बुख़ारी) ही में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुना कि, आप फज्र की नमाज़ की अंतिम रकअत में रुकूअ से सिर उठाया तो: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (जिसने अल्लाह की प्रशंसा की अल्लाह तआला ने उसे सुन लिया, हे हमारे रब व पालनहार हरेक प्रकार की प्रशंसा तेरे लिए ही है) कहने के पश्चात कहा: «**اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا**» हे अल्लाह अमूक तथा अमूक पर लानत फरमा (धिक्कार दे), तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: ﴿**لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ**﴾ (इस विषय में आपको कुछ भी अधिकार नहीं)"।

तथा एक रिवायत में है कि आप सफ़्वान बिन उमैय्या, सुहैल बिन अम्र एवं हारिस बिन हिशाम पर बद्दुआ कर (श्राप दे) रहे थे तब यह आयत उतरी: ﴿**لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ**﴾ (इस विषय में आपको कुछ भी अधिकार नहीं)"।

६- और एक स्थान पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम पर यह आयतः ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ (आप अपने निकटतम संबंधियों को डराईये) उतरी तो आप खड़े हुए तथा कहने लगेः हे क़ुरैश की जमात, या इस तरह का कोई और वाक्य कहा, अपने प्राणों को बेचो (अर्थात स्वयं को बचा लो) अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न आऊँगा, हे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मैं अल्लाह के यहाँ आपके कुछ भी काम नहीं आऊँगा, हे मेरी फूफी सफ़ीय्या, अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न आऊँगा, हे मेरी सुपुत्री फ़ातिमा मेरे धन में से जो चाहो मांग लो, किंतु अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न आऊँगा

- «شُجَّ»: (अल-शज्जा), विशेष रूप से सिर तथा मुख के घाव व ज़ख़्म को कहते हैं।
- «رَبَاعِيَتُهُ»: बीच वाले दोनों दाँतों को "सनाया" तथा उसके बाद वाले दोनों दाँतों को "रबाई" कहा जाता है।
- इससे यह प्रमाणित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बशर (इंसान, मानव) हैं और उनको भी उन्हीं सब (सुख दुःख) का सामना करना पड़ा जिनका सामना एक साधारण मनुष्य करता है, तथा इससे यह भी साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत करना बातिल है।
- इसमें यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शिक्षाप्रद है कि इंसान कितना गुनाहगार तथा पापी क्यों न हो उसके संबंध में अल्लाह के रहम एवं कृपा से नाउम्मीद तथा निराश नहीं होना चाहिए।
- «صَفْوَان بْن أُمَيَّةَ، وَسُهَيْل بْن عَمْرٍو، وَالْحَارِث بْن هِشَامٍ»: इन तीनों (सफ़वान बिन उमैय्या, सुहैल बिन अम्र एवं हारिस बिन हिशाम) ने इसलाम धर्म स्वीकार किया और बड़े अच्छे ढ़ंग से इसलाम को अंगीकार किया तथा उस पर जमे रहे, साथ ही साथ इसमें यह भी सोचने का विषय है कि कभी-कभी शत्रुता मित्रता में बदल जाती है।
- जिस (पर बद्दुआ करने, अर्थातः श्राप देने) से रोका गया है, वहः
  1- निश्चित रूप से किसी काफिर अर्थात उनका नाम ले कर उन पर लानत करना है, किंतु सामान्य रूप से उन पर लानत करने में कोई हर्ज नहीं है, इसी तरह से हमारा इस प्रकार काफिरों पर लानत करना कि हम कहें: ऐ अल्लाह, मुसलमानों को उन से राहत दे।
  2- उमूमी तौर पर (सामान्य रूप से) समस्त काफिरों के हिलाकत की बद्दुआ करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस प्रकार से कभी उन पर पर बद्दुआ नहीं की, और अल्लाह ने उनका बाकी रहना मुक़द्दर किया (भाग्य में लिख रखा) था। (तथा बाद में उन्हीं में से अधिकाधिक लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया)।

मसाइलः

पहला: दोनों आयतों की तफ़्सीर एवं व्याख्या (जिनमें मूर्तियों और ग़ैरुल्लाह की इबादतों एवं पूजा को बातिल एवं व्यर्थ क़रार दिया गया है)।

दूसरा: उहुद की लड़ाई का उल्लेख (जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत को बातिल क़रार दिया गया है, तो दूसरे इस के अधिक पात्र हैं कि उनकी इबादत न की जाए)।

तीसरा: सैय्यदुल मुरसलीन (रसूलों के सरदार) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नमाज़ में क़ुनूत -ए- नाज़िला पढ़ना और आप के पीछे सादात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का आमीन कहना साबित है (इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति नबी और सहाबा की तुलना में अल्लाह के निकटतम नहीं हो सकता, फिर भी वो लोग अल्लाह की ओर पलटते थे, तो अन्य इसके अधिक ज़रूरतमंद हैं कि वो अल्लाह की ओर पलटें)।

चौथा: जिनके लिए बद्दुआ की गई वो काफिर थे (और नबी ﷺ उनके किसी मामले का अधिकार नहीं रखते थे)।

पाँचवां: उन लोगों ने ऐसे-ऐसे कुकर्म किए जो अन्य काफिरों ने भी नहीं किया, जैसे अपने नबी को आहत करना, और आपका वध करने के लिए प्रयासरत रहना तथा उहुद के शहीदों का अंग-भंग (मुस़ला) करना हालांकि वो शहीद उनके सगे-संबंधी भी थे।

छठा: ऐसी बदसलूकी (दुर्व्यवहार) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बद्दुआ करने के मौके पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाईः ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (जिसका अर्थ है कि सभी मामले केवल अल्लाह के अधिकार में हैं)।

सातवाँ: अल्लाह तआला का यह फरमानाः ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (कि अल्लाह तआला उन काफिरों को या तो क्षमा कर देगा अथवा उन्हें अज़ाब (यातना) देगा क्योंकि वो लोग ज़ालिम हैं), और अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा वो ईमान ले आए।

आठवाँ: इससे आपदाओं के समय क़ुनूत -ए- नाज़िला पढ़ने का भी प्रमाण मिलता है (ज्ञात रहे कि उन्हीं मामलों में क़ुनूत -ए- नाज़िला पढ़ना मशरूअ -सुन्नत- है जो अल्लाह की तरफ से उतरी हों, जैसे भूकंप)।

नौवाँ: जिन पर बद्दुआ की जा रही (श्राप दिया जा रहा) है नमाज़ में उनका तथा उनके पूर्वजों का नाम लेना (जायज़ है)।

दसवाँ: क़ुनूत -ए- नाज़िला (आपदा के समय की जाने वाली दुआ अथवा बद्दुआ) में किसी निश्चित व्यक्ति का नाम लेकर लानत करना (शाप देना) (पहले जायज़ था फिर बाद में इसे वर्जित कर दिया गया)।

ग्यारह्वाँ: इस आयत ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ के उतरने के पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने संबंधियों को डराना (यह अल्लाह के आदेश का पालन एवं आत्मसात करना था)।

बारह्वाँ: जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद की दावत दी तो आप को दीवाना कहा गया, इसी प्रकार आज भी यदि कोई तौहीद की दावत का कार्य करेगा तो उसे भी इसी प्रकार के उपहास का सामना करना पड़ेगा (अतः हिकमत -तत्वज्ञान- के साथ (बिना किसी की परवाह किए) दावत -ए- दीन का कार्य करते रहना चाहिए)।

तेरह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने निकटतम तथा दूर के संबंधियों से कहना किः "**मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे किसी काम न आऊँगा**" यहाँ तक कि आपने अपनी सुपुत्री से भी यही बात कहीः "**हे मुहम्मद की पुत्री फ़ातिमा मैं अल्लाह के समक्ष तुम्हारे किसी काम न आऊँगा**", जब आपने -जोकि नबियों के सरदार थे- यह स्पष्ट कर दिया कि आप समस्त लोक की महिलाओं की सरदार के भी कुछ काम न आयेंगे जब्कि हमारा ईमान है कि आप जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं तो अब इसकी रौश्नी में आजकल के हालात देखिए कि इस रोग से आम लोग ही नहीं विशेष भी पीड़ित हैं, सोच-विचार करने के बाद तौहीद तथा दीन के अजनबी होने का स्पष्ट अनुभव आपको हो जायेगा (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निस्बत से हमें जो चीज़ लाभान्वित करेगी वह यह कि हम आप पर ईमान लाएं तथा आपकी पैरवी करें, फिर यह भी स्मरण रहे कि मोमिन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम करना सर्वविदित है जिसका इंकार असंभव है, लेकिन इसके बावजूद किसी के लिए उचित नहीं कि वह संबंध तथा लगाव के आधार पर निर्णय करे, बल्कि उसके लिए अपरिहार्य है कि वह उस चीज़ का अनुसरण करे जिस की ओर क़ुरआन व ह़दीस़ मार्गदर्शन करती है तथा जिसका समर्थन शुबुहात (संशय एवं शंका पैदा करने वाला) तथा शहवात (लालसा) से पाक स्पष्ट बुद्धी करती है)।

१६- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (यहाँ तक कि जब उनके दिलों से भय दूर कर दिया जाता है तो पूछते हैं कि तुम्हारे रब (प्रभु) ने क्या कहा है? वे कहते हैं कि उसने हक़ (सत्य) कहा है तथा वह सर्वोच्च व सबसे महान है) का अध्याय

- यह उन तर्कों एवं दलीलों में से है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इस योग्य नहीं कि उसको अल्लाह का साझी बनाया जाये, क्योंकि मानव जाती में कुछ अति विशिष्ट लोगों को छोड़ कर अल्लाह के सबसे निकटतम फरिश्ते हैं इसके बावजूद वो जब अल्लाह का कलाम (वाणी) सुनते हैं तो घबरा जाते हैं।

फरिश्तों पर ईमान लाने में क्या-क्या सम्मिलित है?

- फरिश्तों पर ईमान लाने में जो चीजें शामिल हैं वह यह ईमान रखना कि फरिशते ग़ैब की (अनदेखी दुनिया) दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वह अल्लाह के आज्ञापालन में लगे रहते हैं तथा उसकी अवज्ञा नहीं करते, उनके पास रूह (आत्मा) है, और शरीर भी, हृदय एवं बुद्धि भी, हम उन पर और उनके उन नामों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने हमें बता दिया है (जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील) उनके गुणों पर भी एवं उनके कार्यों पर (जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते) तथा उनके विषय में जो खबरें हम तक पहूँची हैं मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से, हम उन सब पर ईमान रखते हैं।
- ﴿فُزِّعَ﴾ उनके दिलों से बदहवास (उद्विग्न) कर देने वाला भय दूर कर दिया जाता है, ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ : अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह तआला के लिए साबित करते हैं: उलूव्वे ज़ात (सर्वोच्च व्यक्तित्व), उलूव्वे सिफात (सर्वोच्च गुण), तथा उलूव्वे क़हृ (सर्वोच्च प्रबल व प्रभुत्वशाली होने का भाव) समस्त मख़लूक़ (सृष्टि) पर।

आयत से संबंधित कुछ अन्य फायदे:

- फरिश्ते अल्लाह तआला से भय खाते हैं जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ (और अपने रब से जो उनके ऊपर है, कपकपाते रहते हैं)।
- इस आयत से साबित होता है कि फरिश्तों के पास दिल है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾ (यहाँ तक कि जब उनके दिलों से डर दूर कर दिया जाता है)।
- इससे यह भी साबित होता है कि वो केवल रूह भर न होकर सशरीर हैं, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ﴾(और दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पंखों वाले फरिश्तों को अपना दूत बनाने वाला है)।
- उनके पास अक़्ल (बुद्धि, विवेक) भी है क्योंकि दिल अक़्ल का ठिकाना है।

- अल्लाह तआला के एक गुण "क़ौल (बात करने)" का प्रमाण, और यह उसके इरादा से संबंधित है।
- इस बात का प्रमाण कि अल्लाह तआला की बात (क़ौल) बिल्कुल सच्ची है, तथा अल्लाह के कलाम (वाणी) के सच्चे होने का अर्थ है: १- सूचना देने में सच्चा होना। २- फैसला करने में न्यायोचित होना, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (और आपके रब का कलाम (वाणी) सच्चाई तथा न्याय के एतबार से बिल्कुल मुकम्मल है)।

उलूव्वे ज़ात (सर्वोच्च व्यक्तित्व) के प्रमाण संक्षिप्त रूप से पाँच हैं:

क़ुरआन | ह़दीस़ | इज्मा (सर्वसहमति) | अक़्ल (बुद्धि) | प्रकृति

दूसरी दलील:

सही (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ؛ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ؛ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ – وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ– فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ» "जब अल्लाह आकाश में कोई आदेश देता है तो फरिश्ते विनम्रता एवं आदर के कारण अपने पंख यूँ फड़फड़ाते हैं मानो चिकने पत्थर पर हल्के ज़ंजीर की ध्वनी हो, यहाँ तक कि जब उनका भय दूर कर दिया जाता है तो एक-दूसरे से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्या कहा: (तो अल्लाह के निकटतम फरिश्ते कहते हैं:) उसने जो कहा वह ह़क़ (सत्य) है तथा वह सर्वोच्च व महान है, तो शैतान उसे चोरी-छुपे सुन लेता है, और वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार होते हैं, सुफियान बिन उयैयना रह़िमहुल्लाह ने अपनी हथेली को थोड़ा टेढ़ा किया एवं उँगिलयों के मध्य अंतर रखा (और इस प्रकार शैतान के एक-दूसरे के ऊपर खड़े होने की स्थिति को बनाकर दिखाया), सबसे ऊपर वाला शैतान जब कोई बात सुन लेता है तो वह अपने नीचे वाले से बताता है और वह अपने नीचे वाले को अंतत: सबसे नीचे वाला शैतान यह बात जादूगर या ज्योतिषि को बता देता है, कभी ज्योतिषि तक वह बात पहुँचने के पूर्व ही शिहाब

(उल्का) उस (शैतान) को जला देता है, और कभी शिहाब उसे लगने के पूर्व वह ज्योतिषि को वह बात बता चुका होता है, अब वह ज्योतिषि उस बताई हुई बात के साथ सौ झूठ मिलाता है, (और यदि कोई घटना उसके बताए अनुसार घट जाए तो) लोग कहते हैं कि: अमूक दिन उस जादूगर अथवा ज्योतिषि ने ऐसा-ऐसा नहीं कहा था? अंततः उस एक बात के सच होने से जो आसमान से सुनी गई थी उस ज्योतिषि को सच्चा समझ लिया जाता है"।

- «صَفْوَانٍ»: ह़दीस़ में वर्णित शब्द (स़फ्वान) का अर्थ हैः ठोस चिकना पत्थर, और उस पर जब ज़ंजीर पड़ती है तो बड़ी भयानक एवं कर्कश ध्वनी निलकती है, इस उपमा (तश्बीह) का उद्देश्य भय की उस स्थिति को बताना है जो अल्लाह का कलाम (वाणी) सुनने के पश्चात फरिश्तों की होती है।
- «يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ»: यह ध्वनी प्रत्येक स्थान तक पहुँती है।

ह़दीस़ से चयनित कुछ फायदेः

- अल्लाह तआला की महानता तथा उसके एक गुण (स़िफ़त) "क़ौल (बात, गुफ्तगू)" का प्रमाण, और अल्लाह की ओर से जो भी घोषणा होती है वह सत्य पर आधारित ही होती है।
- फरिश्तों के लिए पंख, बात-चीत तथा विवेक का प्रमाण, और यह कि वो अल्लाह से डरते हैं और उसके समक्ष विनम्रता तथा आदर का भाव अपनाए रहते हैं।
- अल्लाह तआला ने लोगों की आज़माइश एवं परीक्षण के लिए इन जिन्नातों का आसमान तक पहुँचना संभव कर दिया है।
- जिन्नों की अधिकता, और उनका शरीर अत्यंत हलका होता है जिसके कारण वो पक्षियों के समान उड़ते फिरते हैं।
- ज्योतिषि सर्वाधिक झूठा व्यक्ति होता है इसीलिए वह जिन्नों से सुनी हुई बात में अपनी ओर से अधिकाधिक झूठ मिला देता है।
- जादूगर यदा-कदा जादू किये गये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) को अपने जादू के ज़ोर पर कल्पित तथा मिथ्या को सच के रूप में पेश कर देता है, अतः उसकी चाल तथा धूर्तता से बचना वाजिब एवं अनिवार्य है।
- चोरी-छुपे आसमान की बातें सुनने वाले शैतानों के निम्नलिखित प्रकार हैं:
  - नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूत बनाए जाने के पूर्व वो इस तरह की बातों को अधिकांश सुन लिया करते थे।
  - जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संदेष्टा बनाया गया तो आसमान पर पहरा लगाकर जिन्नों को चोरी-छुपे सुन्ने से रोक दिया गया।
  - नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्य के पश्चात चोरी-छुपे सुनने वाले जिन्न पुनः यह कार्य करने लगे किंतु पहले की तुलना में अब इसमें कमी आ गई।

तीसरी दलील:

नव्वास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمٰوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ – أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ – شَدِيدَةٌ، خَوْفًا مِنَ اللهِ ﷻ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمٰوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لله سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِائِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِائِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِائِيلُ: قَالَ الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِائِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِائِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ ﷻ».

"जब अल्लाह तआला किसी मामले की वह्य (आकाशवाणी) करना चाहता है तो वह्य के द्वारा बताता है जिसके भय से आकाशों में कंपन अथवा थरथराहट पैदा हो जाती है, तथा उसे जब आसमानों तथा ज़मीन के फरिश्ते (देव-दूत) सुनते हैं तो मूर्छित (बेहोश) होकर सज्दे में गिर पड़ते हैं, फिर सर्वप्रथम जिब्रील नामक फरिश्ता सिर उठाते हैं तो अल्लाह तआला वह्य के द्वारा अपनी इच्छानुसार उनसे बात करता है, तत्पश्चात जिब्रील फरिश्तों के पास से गुज़रते हैं, जिस-जिस आकाश से वह गुज़रते हैं उस आकाश के फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि हे जिब्रीलः हमारे रब (प्रभु) ने क्या फरमाया है? तो जिब्रील उत्तर देते हैं कि हक़ (सत्य) कहा और वह सर्वोपरि व महान है, तो सभी उसी प्रकार बोलते हैं जैसा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला होता है, अंततः उस वह्य को जहाँ अल्लाह तआला का आदेश होता है वहाँ पहुँचा देते हैं"।

हदीस़ से चयनीत कुछ फायदेः

- अल्लाह तआला के लिए इरादा का प्रमाण, और इसके दो प्रकार हैं:
  1- इरादा शरईया (शरीअत से संबंधित संकल्प व इरादा)।
  2- इरादा कौनिया (ब्रह्माण्ड -कायनात- से संबंधित संकल्प व इरादा)।
- मख़लूक़ यद्यपि निर्जीव वस्तु ही क्यों न हो तथापि वह अल्लाह की महानता का अनुभव करती है।
- आसमान के कई परत होने का प्रमाण, और उनमें से हरेक परत के लिए फरिश्ते तैनात हैं।
- जिब्रील अलैहिस्सलाम की फज़ीलत कि वह विश्वसनीय हैं तथा पूरी अमानतदारी के साथ वह्य को गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं।
- अल्लाह तआला के लिए "इज़्ज़त (शक्ति, सामर्थ्य)" तथा "जलाल (प्रताप, तेज)" का प्रमाण।

"उस वह्य को जहाँ अल्लाह का आदेश होता है वहाँ पहुँचा देते हैं":

«جَلَّ»: अरबी भाषा का शब्द "अल-जलाल" ऐसी सर्वोच्च महानता का बखान करने कि लए प्रयोग में लाया जाता है कि जिससे महान कोई न हो।

«عَزَّ»: अरबी भाषा का शब्द "अल-इज़्ज़त" शक्ति, सामर्थ्य तथा प्रभुत्व के अर्थों में प्रयोग होता है।

अज़ीज़ -ए- ग़ालिब एवं क़ाहिर, अर्थात प्रभुत्व तथा सभों पर नियंत्रण रखने वाला।

अज़ीज़ -ए- क़ादिर, अर्थात ऐसा सामर्थ्य एवं योग्यता जिसमें कोई उसका साझी नहीं है।

अज़ीज़ -ए- मुमतनअ, अर्थात जिसको कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।

मसाइल:

पहला: सूरह सबा की आयत (﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ﴾) की तफ्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: इस आयत में शिर्क के बातिल (असत्य) होने का प्रमाण है, विशेष रूप से ऐसा शिर्क जिसका संबंध सालेहीन (धर्मात्माओं) से है, तथा इस आयत के विषय में कहा गया है कि यह आयत दिल से शिर्क रूपी वृक्ष का समूल उन्मूलन कर देती है।

तीसरा: इससे अल्लाह तआला के फरमान: ﴿قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या भी होती है।

चौथा: फरिश्तों (देवदूतों) के प्रश्न करने का कारण भी इसमें उल्लेखित है (अत्यंत भयभीत होने के कारण ऐसा पूछते हैं)।

पाँचवाँ: फरिश्तों के प्रश्न करने पर जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह तआला का फरमान सुनाते हैं (कि अल्लाह तआला ने ऐसा ऐसा फरमाया है)।

छठा: इस बात का वर्णन कि जब समस्त फरिश्ते बेहोश (मूर्छित) हो जाते हैं तो सर्वप्रथम जिब्रील अपना सिर उठाते हैं (जिससे उनकी फ़ज़ीलत एवं प्रधानता साबित होती है)।

सातवाँ: चूँकि सभी फरिश्ते जिब्रील से पूछते हैं अतः वह सभी का उत्तर देते हैं (जो फरिश्तों के बीच जिब्रील अलैहिस्सलाम के महत्व तथा आदर को बताता है)।

आठवाँ: यह बेहोशी सामान्य रूप से समस्त आकाश वासियों के लिए होती है।

नौवाँ: अल्लाह तआला के कलाम (वाणी) से आकाश काँप उठता है (और ऐसा अल्लाह के आदर के कारण होता है)।

दसवाँ: जिब्रील अलैहिस्सलाम वह्य (आकाशवाणी) को गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं (क्योंकि वह अमानतदार एवं विश्वसनीय हैं)।

ग्यारह्वाँ: शैतान चोरी-छुपे अल्लाह तआला के कलाम को सुनने का प्रयास करते हैं।

बारह्वाँ: इस उद्देश्य के लिए वो एक-दूजे पर सवार हो जाते हैं।

तेरह्वाँ: उन पर शिहाब (उल्का) छोड़ा जाता है (जो चोरी-छुपे सुनने वाले शैतान को जला देती है)।

चौदह्वाँ: कभी बात ज्योतिषि तक पहुँचाने के पूर्व ही शिहाब उसको जला कर राख कर देता है और कभी शिहाब लगने से पहले ही शैतान अपने इंसानी मित्र को वह बात बता चुका होता है।

पंद्रह्वाँ: यदा-कदा ज्योतिषि की बात सच भी हो जाती है।

सोलह्वाँ: भविष्यवत्ता उस एक बात में सौ झूठ मिला देता है (-सौ झूठ- ऐसा अतिश्योक्ति के तौर पर कहा गया है, इसका अभिप्राय सटीक सौ की संख्या नही है)।

सत्रह्वाँ: लोग ज्योतिषियों की बात इसलिए मान लेते हैं कि उसने एक बात की सटीक भविष्यवाणी की थी जब्कि वह बात आसमान से चोरी छुपे सुनी गई थी।

अट्ठारह्वाँ: लोग बातिल एवं असत्य को अति शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं, कि वो एक बात जो सच थी उसको याद रखते हैं तथा अन्य सौ झूठ की परवाह नहीं करते।

उन्नीसवाँ: शैतान इस बात को एक दूसरे से सुन कर याद कर लेता है और उसे (अन्य झूठी बातों को सही बनाने के लिए) तर्क के तौर पर पेश करता है (क्योंकि इसी से उसका सारा गोरखधंधा चलता है, यदि उसका समस्त धंधा झूठ पर ही आधारित हो तब तो सारा धंधा मंदा हो जायेगा)।

बीसवाँ: अशअरिया तथा मुअत्तला (इसलाम धर्म में पाये जाने वाले दिग्भ्रमित मत) के विपरीत इससे अल्लाह तआला के सिफ़ात (गुणों) का भी प्रमाण मिलता है।

इक्कीसवाँ: आसमान में कंपन तथा मूर्छा अल्लाह के भय से होती है

बाईसवाँ: समस्त फरिश्ते अल्लाह के लिए सज्दे में गिर जाते हैं (अल्लाह की महानता का अनुभव करते हुए तथा जिससे वो भयभीत होते हैं उससे बचने के लिए)।

१७- शफ़ाअत (सिफारिश, अभिस्तावना) का अध्याय

लेखक रहिमहुल्लाह यह अध्याय क्यों लाए हैं?

- मूर्तियों के सिफारशी होने के गुमान को मिथ्या साबित करने के लिए, क्योंकि कुफ्फार यह आस्था रखते हैं कि यह मूर्तियां अल्लाह के निकट उनकी सिफारिश करेंगीं।
- क्योंकि अल्लाह तआला का इल्म (ज्ञान), क़ुदरत (शक्ति) तथा बादशाहत कामिल एवं पूर्ण है, अन्य सांसारिक बादशाहों की तरह नहीं अर्थात उसका ज्ञान, शक्ति एवं बादशाहत नाक़िस एवं अपूर्ण नहीं है कि उसे किसी सिफारिशी की आवश्यकता हो जो (मामले को संभालने में) उसकी सहायता करे यहाँ तक कि सिफारिश करने वालों को इतनी हिम्मत हो जाए कि वह अल्लाह की आज्ञा के बिना ही किसी के लिए सिफारिश करना आरंभ कर दें।

एक से पाँच तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ (और आप इस -क़ुरआन- के द्वारा उनको सचेत करें जो इस बात से डरते हैं कि अपने रब -प्रभु- के समक्ष ऐसी दशा में एकत्रित किये जायेंगे कि उनका अल्लाह के सिवाय कोई अन्य सहायक, समर्थक तथा सिफारिशी न हो)।

२- और अल्लाह का कथन है: ﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ﴾ (आप कह दीजिए कि हरेक प्रकार की सिफारिश का अधिकार केवल अल्लाह को है)।

३- तथा एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ﴾ (कौन है जो उसके सम्मुख उसकी अनुमति के बिना सिफ़ारिश कर सके?)।

४- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴾ (आसमानों में बहुतेरे फरिश्ते (देवदूत) हैं जिनकी सिफारिश कुछ काम न देगी परंतु इसके पश्चात कि अल्लाह जिसके लिए सिफारिश की अनुमति दे दे तथा उससे प्रसन्न हो)।

५- ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ﴾.

(-हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- आप इन बहुदेववादियों से कह दीजिए कि तुम अल्लाह के सिवाय जिनको माबूद (उपास्य) समझते हो, उन्हें पुकार कर देखो, वह आसमानों तथा ज़मीन में एक कण के भी मालिक नहीं, और न उनमें कोई अल्लाह का साझीदार है और न ही सहयोगी, और अल्लाह तआला के पास किसी की सिफारिश उस समय तक लाभदायक नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह तआला उसकी अनुमति न प्रदान कर दे)।

- ﴿وَأَنذِرْ بِهِ﴾: अरबी भाषा का शब्द "इंज़ार" कहते हैं ऐसी सूचना तथा डराने को जिसमें भय सम्मिलित हो, तथा यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि आप क़ुरआन के द्वारा उनको डराएं।
- ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ﴾: अर्थातः आकाश में फरिश्तों की बहुतायत होने के बावजूद उनकी सिफ़ारिश किसी को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकती, परंतु यदि अल्लाह तआला उन्हें सिफारिश की अनुमति दे दे तो बात दूसरी है, और ज्ञात हो कि सिफारिश करने वाले तथा जिसकी सिफारिश की जा रही है दोनों से अल्लाह तआला का प्रसन्न होना अति आवश्यक है।
- ﴿ٱدۡعُواْ﴾: यह उनकी असमर्थता जताने तथा चुनौती के तौर पर है इस अर्थ में किः उन्हें उपस्थित करो अथवा दुआ के प्रकारों में से एक माँगने वाली दुआ के द्वारा उन्हें पुकारो।
- ﴿مِن شِرۡكٖ﴾: अर्थात वो न तो अकेले इसमें समर्थ हैं और न ही संगठित हो कर।
- ﴿مِّن ظَهِيرٖ﴾: यहाँ इस बात को मिथ्या बताया गया है कि बुत (मूर्ति) अल्लाह के सहायक हैं, और अरबी भाषा का शब्द "ज़हीर" का अर्थ होता हैः सहायक एवं मददगार।

- इन मूर्तियों की ओर से हरेक उस चीज़ का इंकार किया है जिसकी आशा उनकी उपासने करने वाले रखते हैं, कि ये किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं न तो निजी रूप से, न संगठित रूप से और न ही सहायक के रूप में, क्योंकि कोई यदि किसी का सहायक हो यद्यपि वह साझीदार नहीं हो फिर भी वह उसका आभारी हो जाता है और उसका दिल रखने के लिए उसकी चाहत के अनुसार कार्य करने लगता है, अब जब इन तीनों चीज़ों का इंकार कर दिया गया तो अब केवल सिफारिश बचती है और अल्लाह तआला ने उसे भी बातिल क़रार दे दिया है, अंततः इनकी सिफारिश उन्हें कुछ भी लाभान्वित नहीं करेगी।
- यह आयत तथा इसके बाद वाली आयत के विषय में इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह का कथन है किः "यह वह आयत है जो हृदय से शिर्क रूपी पेड़ का समूल उन्मूलन कर देती है"।

शफ़ाअत (कहते है: लाभ पाने अथवा हानि दूर करने के लिए किसी को वास्ता एवं माध्यम बनान तथा इसके निम्नलिखित) प्रकार हैं:

जायज़ सिफारिश:

जिसको अल्लाह ने केवल अपने लिए प्रमाणित किया है तथा इन शर्तों के साथ यह अल्लाह से तलब की जायेगी:

- शफ़ाअत करने की अनुमति मिलना।
- शफ़ाअत करने वाले से अल्लाह का प्रसन्न होना।
- जिसकी शफाअत की जा रही है उस से अल्लाह का प्रसन्न होना।

नाजायज़ सिफारिश:

जिसको क़ुरआन ने नाजायज़ कहा है जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसको पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है।

यह बड़ा शिर्क है।

जिस को पूरा करने में कोई मनुष्य भी सक्षम हो

यह चार शर्तों के साथ सही है कि सिफारिश करने वाला:

- जीवित हो।
- योग्य (सक्षम) हो
- उपस्थित हो।
- सबब (माध्यम) मानना।

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾

(आसमानों में बहुतेरे फरिश्ते (देवदूत) हैं जिनकी सिफारिश कुछ काम न देगी परंतु इसके पश्चात कि अल्लाह तआला जिसके लिए सिफारिश की अनुमति दे दे तथा उससे प्रसन्न हो)।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विशेष सिफारिश (का प्रावधान) जिसमें कोई भी आपके संग साझी नहीं हो सकता:

१- सर्वोत्तम सिफारिश, और यही वह मक़ाम -ए-महमूद (प्रशंसनीय स्थान) है जिसका वादा अल्लाह तआला ने आप से फरमाया है।

२-नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए सिफारिश करना।

३- जन्नत का द्वार खुलवाने के लिए सिफारिश करना।

आम सिफारिश जो अन्य नबियों, रसूलों, फरिश्तों, मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) और शिशुओं के लिए होगी।

१- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) के पद में उन्नति के लिए सिफारिश।

२- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) में से जिनलोगों के लिए जहन्नम में जाने का आदेश जारी हो चुका होगा उनके लिए सिफारिश।

३- मुवह्हिदीन में से जो लोग जहन्नम में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए सिफारिश।

शैख़ुल इसलाम अबुल अब्बास रहिमहुल्लाह फरमाते हैं: "अल्लाह तआला ने अपने सिवाय समस्त मख़लूक़ (सृष्टि, रचना) से उन बातों को नकार दिया है जिनको मुश्रिकीन (बहुदेववादी) तर्क के रूप में पेश करते थे, उदाहरणस्वरूप इस बात का इंकार किया है कि आकाश तथा धरा में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से किसी भी प्रकार का अल्लाह के सिवा किसी को कोई अधिकार है या वह अल्लाह का सहायक है, अब सिफारिश ही शेष रह गई तो इसके संबंध में बताया कि यह उसी के लिए लाभदायक होगी जिसके लिए सिफारिश की अनुमति स्वयं अल्लाह तआला देंगे, जैसाकि फरमायाः ﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ (वे उसी के लिए सिफारिश करेंगे जिससे अल्लाह प्रसन्न होगा) तो वह सिफारिश जिसका गुमान बहुदेववादी रखते हैं क़्यामत के दिन नहीं होगी जैसाकि क़ुरआन ने इसका इंकार किया है। तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दी है किः "क़्यामत के दिन आप आएंगे और सिफारिश ही से आरंभ नहीं करेंगे अपितु आप पहले अल्लाह के समक्ष सज्दा करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके पश्चात आपसे कहा जाएगा किः आप अपना सिर उठाएं और बात करें, आप माँगें आपकी माँग पूरी की जाएगी, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश स्वीकार की जाएगी।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्रश्न कियाः (हे अल्लाह के रसूल,) आपकी सिफारिश का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा? आपने उत्तर दियाः "**जिसने इख़्लास़ के साथ निःकपट भाव से "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार किया होगा**" अतः प्रमाणित हुआ कि यह सिफारिश अल्लाह की अनुमति से ही शुद्ध एकेश्वरवादियों के लिए होगी उसके लिए नहीं जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा।

इसका अभिप्राय यह है कि अल्लाह तआला मुख़लिस़ (निश्छल) मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादियों) पर अपनी विशेष कृपा करेगा तथा जिन लोगों को सिफारिश की अनुमति देगा उनके द्वारा इन एकेश्वरवादियों को क्षमा कर देगा, ताकि इस प्रकार उनको सम्मानित करे तथा उन्हें मक़ाम -ए- महमूद (प्रशंसनीय स्थान) प्राप्त हो।

अतः क़ुरआन ने जिस सिफारिश का इंकार किया है यह वह सिफारिश है जिसमें शिर्क का समागम हो इसीलिए अनेक स्थानों पर अपनी अनुमति से सिफारश को साबित किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि सिफारिश केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी जिसने स्वच्छ मन से अल्लाह को माना तथा उसकी उपासना की", उनका कथन समाप्त हुआ।

मसाइल:

पहला: उन आयतों की तफ्सीर एवं व्याख्या (जिनकी संख्या पाँच है)।

दूसरा: जिस सिफारिश को नकारा गया है उसका स्पष्टिकरण (अर्थात जिसमें शिर्क की मिलावट हो)।

तीसरा: जिस सिफारिश को स्वीकारा गया है उसका स्पष्टिकरण (यह अहले तौहीद की सिफारिश है जो अल्लाह तआला की अनुमति से उस स्थिति में होगी जब अल्लाह तआला सिफारिश करने वाला तथा जिसके लिए सिफारिश की जा रही है दोनों से प्रसन्न होगा)।

चौथा: महा सिफारिश की चर्चा, जिसे मक़ाम -ए- महमूद भी कहते हैं (यह फैसले की प्रतीक्षा में खड़े लोगों का फैसला जल्दी करने के लिए होगी)।

पाँचवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफारिश करने का ढ़ंग कि आप जाते ही सिफारिश से आरंभ नहीं करेंगे अपितु आप पहले सज्दा करेंगे फिर अनुमति मिलने पर आप सिफारिश करेंगे (यह अल्लाह तआला की महानता तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदर को इंगित करता है)।

छठा: (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफारिश का सौभाग्य पाने वाले व्यक्ति का उल्लेख (कि वह अहले तौहीद तथा एहले इख़लास़ (निःकपट भाव से अल्लाह की उपासना करने वाले) होंगे।

सातवाँ: यह सिफारिश मुश्रिकीन को प्राप्त नहीं हो सकेगी।

आठवाँ: सिफारिश (अभिस्तावना) की हक़ीक़त (यथार्थता एवं वास्तविकता) का वर्णन (कि दरअसल अल्लाह तआला इसके द्वारा अहले इख़लास़ पर कृपा करेगा, अतः उनके गुनाहों (पापों) को उस व्यक्ति की दुआ के द्वारा क्षमा कर देगा जिसको वह सिफारिश की अनुमति देगा ताकि अल्लाह तआला उसका सम्मान करे और वह मक़ाम -ए- महमूद प्राप्त कर लें)।

९८- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية (आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते) का अध्याय

दूसरी दलील:

(لَـمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: «**يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ**»، فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، सही (बुख़ारी) में इब्ने मुसय्यिब ने अपने पिता से रिवायत किया है कि: जब अबू तालिब का अंतिम समय हुआ तो उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये और उनके पास अब्दुल्लाह पुत्र अबू उमैय्या तथा अबूजहल उपस्थित थे तो आपने फरमाया: हे चाचा, "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार कर लीजिए, यह ऐसा वाक्य है कि इसे मैं अल्लाह के पास आपके लिए दलील के तौर पर पेश करूँगा, वो दोनों बोले: क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के धर्म से विमुख हो जाओगे? तो आपने अपनी बात दुहराई तो उन दोनों ने भी पुनः वही बात कही, अंततः उसने जो सबसे अंतिम वाक्य कहा वह यह था कि: वह अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पर अडिग है, तथा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार करने से मना कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि: मैं आप के लिए क्षमा याचना करता रहूँगा जब तक कि मुझे इससे रोक न दिया जाये, तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ﴾ (नबी के लिए तथा ईमान वालों के लिए अनुचित है कि वो मुश्रिकों के लिए क्षमा याचना करें), तथा अल्लाह तआला ने अबू तालिब के संबंध में यह आयत नाज़िल की: ﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ﴾ (निश्चय ही आप उसे मार्गदर्शन नहीं दे सकते जिसे आप चाहें किंतु अल्लाह तआला जिसे चाहे मार्दशन देता है)।

हिदायत (मार्गदर्शन) के प्रकार:

हिदायत तौफ़ीक़ के अर्थ मे: **इसका अधिकार केवल अल्लाह के पास है:**

﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ﴾

(आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते)

हिदायत मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन के अर्थ मे: **इसका अधिकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भी है:**

﴿وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾

(आप सीधे व सटीक पथ की ओर मार्गदर्शन करते हैं)

- लेखक रहिमहुल्लाह इस अध्याय को यह बताने के लिए लाए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को "तौफ़ीक़ वाली हिदायत" नहीं दे सकता, अतः अल्लाह तआला ने उसे जो आदेश दिया है उसका पालन करता रहे।
- एक दुविधा हैः कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अबू तालिब से कैसे प्रेम कर सकते हैं जब्कि वह काफिर थे?

  समाधानः अनुमानित तथा संभावित वाक्य इस प्रकार हैः १- जिसके हिदायत पा लेने से आपको प्रेम है न कि आप स्वयं उस व्यक्त से प्रेम करते हैं (इस विषय में की गई यह सर्वोत्तम विवेचना है), २- या, आप जिससे नैसर्गिक रूप से प्रेम करते हैं, और ऐसा करना जायज़ है, ३- अथवा, काफिरों से प्रेम रखने को निषेध क़रार देने वाले हुक्म के उतरने से पूर्व वाला प्रेम जो आप उनसे रखते थे।
- «جَاءهُ رَسُولُ الله ﷺ»: इससे काफिरों का दर्शन करने एवं उनका हाल-चाल पूछने के लिए जाने का मुस्तहब (पुनीत) होना प्रमाणित होता है यदि उसके इसलाम धर्म स्वीकार करने की आशा हो।
- «يَا عَمِّ»: (हे मेरे चाचा) आपने यह उपाधि तथा वाक्य का प्रयोग इसलिए किया कि इससे प्रेम प्रकट होता है, तथा यह दावत देते समय हिकमत (तत्वदर्शिता) अपनाने को भी बताता है।
- इस हदीस़ तथा उलेमा का यह कथन किः "मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को "कहो अथवा पढ़ो" कह कर आदेश न दे कर कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए" के मध्य संतुलन कैसे बनाएंगे? इसका समाधान यूँ है कि अबू तालिब काफिर थे अतः जब उनसे कहा गया कि (कहो) और उन्होंने ऐसा कहने से इंकार कर दिया तो वह अपने कुफ्र पर ही अडिग रहे, अर्थात इस प्रकार प्रेरित करने के ढ़ंग से उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँची सका मुसलमानों के विपरीत, क्योंकि मुसलमानों का मामला संगीन है क्योंकि इस प्रकार आदेश देते हुए कहने का ढ़ंग उनके लिए हानिकारक बन सकता है (यदि किसी ने मृत्युशय्या पर पड़े हुए किसी मुसलमान को आदेश देते हुए कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" पढ़ने के लिए कहा तथा उसने मना कर दिया तब तो वह इस्लाम से कुफ्र में चला जायेगा)।
- «حَضَرَتْ»: अर्थात अभी मृत्यु का प्रभाव उन पर दिख रहा था परंतु मृत्यु हुई नहीं थी, ऐसी स्थिति में क्या उसकी तौबा (पश्चाताप) स्वीकार्य है? तो इस विषय में सटीक एवं सही बात यह है कि उसकी तौबा अस्वीकार्य है, १- क्योंकि आयत ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ (ऐसे लोगों के लिए तौबा नहीं जो कुकर्म किए चले जाएं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय नज़्दीक हो जाता है (-तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ-)) हदीस़ के अनुकूल है।

  2– नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «أُحَاجُّ لَكَ» "मैं इसे आपके लिए अल्लाह के समक्ष दलील के तौर पर पेश करूँगा" और ऐसा करने से अबू तालिब को इसका फायदा पहुँचेगा ही इसकी ज़मानत आपने नहीं ली।
- यह केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए आरक्षित है कि अपने चाचा के काफिर होने के बावजूद आप उनके लिए सिफारिश करेंगे।

- मुसय्यिब तथा अब्दुल्लाह बिन उमैय्या ने इस्लाम स्वीकार किया, अबू जहल तथा अबू तालिब के विपरीत।
- «هُوَ عَلَى مِلَّةِ»: सर्वनाम (मैं) के स्थान पर (वह) का प्रयोग दर्शाता है कि ह़दीस़ के रावी (वाचक) ने अपने तौह़ीद में किसी प्रकार के विकार से बचने के लिए यह ढ़ंग अपनाया है।

मसाइल:

पहला: आयत ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ الْآيَةَ की तफ्सीर।

दूसरा: आयत ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الْآيَةَ की तफ्सीर (उनकी मृत्यु पर ग़म करना तथा ताज़ियत के लिए जाना ह़राम है)।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (आप "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार कर लें) की व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें उन स्वघोषित ज्ञानियों पर कुठराघात है जो केवल ज़ुबान से कह देने भर को पर्याप्त समझते हैं (अर्थात केवल ज़ुबान से कह भर देना काफी नहीं है बल्कि इक़रार एवं पालन भी ज़रूरी है और इसी कारणवश अबू तालिब ने ऐसा कहने से इंकार कर दिया)।

चौथा: जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चाचा से "ला इलाहा इल्लल्लाह" पढ़ने को कहा तो इसका अभिप्राय अबू जहल व उसके साथी समझते थे, अल्लाह उन स्वघोषितों का बुरा करे जिनसे अधिक अबू जहल इस्लाम के मूल स्वभाव को समझता था।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चाचा को मुसलमान बनाने के लिए कठोर परिश्रम तथा अथक प्रयास किया (१- निकटतम संबंधी होने के कारण, २- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा इसलाम के प्रति जो उपकार उन्होंने किया उस आधार पर वह धन्यवाद के पात्र हैं, यद्यपि कुफ़्र की स्थिति में मृत्यु पाने के कारण गुनाहगार एवं दोषी हैं)।

छठा: इसमें उन लोगों का खंडन है जो अब्दुल मुत्तलिब तथा उनके पूवर्जों को मुसलमान समझते हैं (उनका धर्म कुफ़्र का पालन करना था)

सातवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू तालिब के लिए क्षमा की दुआ की फिर भी उनको माफ नहीं किया गया बल्कि आपको भी दुआ करने से रोक दिया गया (अर्थात सभी मामलों का अधिकार केवल अल्लाह के पास है)।

आठवाँ: यह भी प्रमाणित होता है कि इंसान को बुरे लोगों की संगति में रहने का नुक़सान उठाना पड़ता है।

नौवाँ: पूर्वजों के आदर में (अतिश्योक्ति करने में) हानि है (जब वह बातिल पर (अधर्मी) हों)।

दसवाँ: मिथ्यावादियों को इस विषय में भ्रम अबू जहल का इसको तर्क बनाने के कारण हुआ।

ग्यारह्वाँ: नजात (मोक्ष) का आधार बिल्कुल अंतिम समय में किया गया कर्म है, क्योंकि अबू तालिब यदि मृत्यु के समय इस कलमा का इक़रार कर लेते तो यह उन्हें लाभ पहुँचाता।

बारह्वाँ: गुमराह (दिग्भ्रमित) लोगों के दिलों में पड़े उस बड़ी शंका के विषय में सोच-विचार करना चाहिए, इसलिए कि अबू तालिब की कथा में स्पष्ट है कि मक्का के सरदार इसी शंका के कारण अबू तालिब से झगड़ते रहे जब्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बड़ा प्रयास किया तथा बारंबार अपना उपदेश पहुँचाया फिर भी इसकी महानता तथा स्पष्टता के कारण इसी पर अडिग रहे (जोकि पूर्वजों तथा महात्माओं के आदर की शंका है)।

तीसरे भाग से परीक्षा (४ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: इस पाठ के समस्त अध्यायों के नाम तथा लेखक का उस अध्याय में उसे उल्लेख करने का कारण व सबब भी बताएं:

क्र.	शीर्षक	लेखक का उस अध्याय में लाने का उद्देश्य
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....

द्वितीय प्रश्न: निम्नांकित कृत्य का हुक्म बताएं:

जायज़ (१) नाजायज़ (२) शिर्क -ए- अकबर (३) मुस्तहब/सुन्नत (४)

.....	नबी की प्रतिष्ठा का वसीला पकड़ना	.....	मुर्दों से शफाअत तलब करना
.....	मरनासन्न को कलमा कहने के लिए प्रेरित करना	.....	मुश्रिक रोगी का हाल-चाल पूछना
.....	सामान्य रूप से काफिरों पर लानत करना	.....	निश्चित व्यक्ति पर लानत करना

तृतीय प्रश्न: ☒ का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा रिक्त स्थानों को भरें:

1. किताबुत तौहीद में तीसरा पाठ (क़िस्म) है: ☐ तौहीद की तफ़्सीर ☐ अल्लाह के सिवा अन्य की उपासना करना बातिल तथा व्यर्थ है।
2. तीसरे पाठ मे: ☐ चार अध्याय हैं ☐ छः अध्याय हैं ☐ पाँच अध्याय हैं।
3. आयत ﴿أَتُشْرِكُونَ﴾ में इस्तिफ्हाम (प्रश्नवाचक संज्ञा) इंकार तथा चेतावनी के लिए है: ☐ सही ☐ गलत।
4. अल्लाह तआला ने आयत ﴿أَتُشْرِكُونَ﴾ में मूर्तियों की इबादत व उपासना को बातिल तथा उसकी असमर्थता को कितने प्रकार से बताया है: ☐ ३ ☐ 4।
5. ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ﴾ यहाँ दुआ का भावार्थ है: ☐ इबादत वाली ☐ माँगने वाली ☐ दोनों।
6. कोई भी व्यक्ति यद्यपि वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो हमें उसके विषय में अल्लाह की रहमत व कृपा से मायूस नहीं होना चाहिए, सिवाय कुफ्फार के सरदारों के: ☐ सही ☐ गलत।
7. लेखक रहिमहुल्लाह का कथन कि जिन पर बद्दुआ की गई वो कुफ्फार थे का भावार्थ उनके कुफ्र के संबंध में सूचना देना है: ☐ सही ☐ गलत।

8. लेखक महोदय का कथनः (सैयिदुल मुरसलीन (रसूलों के सरदार) का क़ुनूत पढ़ना) का अभिप्राय हैः ☐ क़ुनूत पढ़ना जायज़ है ☐ इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तुलना में अल्लाह के अधिक निकट नहीं हो सकता इसके बावजूद वो लोग अल्लाह की ओर पलटते थे।
9. काफिरों पर लानत भेजने का ढ़ंगः .....
10. ﴿فُزِّعَ﴾: (☐ बेसुध करने देने वाला डर ☐ स्थिर डर) उनके दिलों से दूर कर दिया जाता है।
11. (كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَـةَ كَذْبَـةٍ) (फिर वह उसमें सौ झूठ मिला देता है), नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ऐसा फरमानाः ☐ अतिश्योक्ति के रूप में है ☐ एक निश्चित एवं सीमित संख्या बताना है।
12. ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ इस आयत में सिफ़ारिश के तीनों शर्तों का उल्लेख हैः ☐ सही ☐ गलत।
13. हरेक वह सिफारिश जिसमे शिर्क का समागम हो ऐसी सिफारिशः ☐ नाजायज़ है ☐ शिर्क है ☐ समस्त।
14. सिफारिश करने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि, जिस के बारे में सिफारिश की जा रही है उसमें अल्लाह की सहायता करना है, यह वर्जित हैः (☐ सही ☐) गलत, बल्कि इसका अर्थ हैः (☐ सिफारिश करने वाले का सम्मान ☐ जिसकी सिफारिश की जा रही है उसको लाभ पहुँचाना, ☐ सभी)।
15. वह कौनसी आयत है जिसके विषय में कहा गया है कि वह शिर्क रूपी पेड़ की जड़ों का समूल उन्मूलन कर देती हैः
.....
16. प्रमाणित हिदायतः ..... अप्रमाणित हिदयातः .....
17. आयत ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ का भावार्थ हैः ☐ जिसकी हिदायत आप चाहते हैं ☐ उससे नैसर्गिक प्रेम करते हैं ☐ यह कुफ्फार से प्रेम रखने को निषेध करार देने के पूर्व का मामला है ☐ समस्त।
18. «حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ» (अबू तालिब की मृत्यु का समय समीप हुआ) अर्थातः .....
..... अथवा .....
19. अब्दुल मुत्तलिब का धर्म हैः ☐ शिर्क तथा मूर्तियों को पूजना ☐ ईसाईयत ☐ मजूसियत।
20. «أُحَاجُّ» अर्थातः ☐ अल्लाह के पास इसे दलील के तौर पर पेश करूँगा ☐ आपके लिए अल्लाह से लड़ूँगा।
21. मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने के लिए (कहो, अथवा पढ़ो) द्वारा बोल कर कहना सुन्नत है तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने चाचा के संग किया गया अमल हैः ☐ सही ☐ गलत, इसके तथा उलेमा के इस कथन किः (कहो अथवा पढ़ो) बोले बिना मरनासन्न व्यक्ति को कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, के मध्य संतुलन कैसे बनाएंगे: .....
.....
22. रावी (वाचक) ने यह क्यों कहा किः (वह अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पर है) और (मैं अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पर हूँ) क्यों नहीं कहा? .....

23. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने चाचा को इसलाम स्वीकार करवाने के लिए प्रयासरत रहने का कारण है: ☐ निकटतम संबंधी होना ☐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा इसलाम के प्रति किया गया उनका उपकार ☐ सभी।

24. पूर्वजों तथा बड़ों का आदर करना निंदनीय है: ☐ आम तौर पर ☐ जब वो अधर्मी हों।

चतुर्थ प्रश्न: शफ़ाअत (सिफारिश) की क़िस्मों को पूर्ण करें:

……: कुछ शर्तों के साथ सही है:	……: यही है जिसका इंकार कुरआन ने किया है, और यह …… और इसका हुक्म यह है कि यह: …… ……	……: इसको अल्लाह ने केवल अपने लिए आरक्षित किया है, तथा निम्नांकित शर्तों के साथ यह अल्लाह से माँगी जायेगी:
1- …… 2- …… 3- ……		1- …… 2- …… 3- ……

यहा आम है ……इनमें से कुछ यह हैं:	यह केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए आरक्षित है, इनमें से कुछ यह हैं:
1. …… 2. …… 3. ……	1. …… 2. …… 3. ……

चौथा भाग: मानव जाति में कुफ़्र पनपने का कारण (४ अध्याय)

- इस अध्याय को कुफ़्र पनपने का कारण बताने के लिए लाये हैं ताकि हम (उसको जान कर) उससे बच सकें, तथा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कुछ उम्मतें (समुदाय) कुफ़्र में क्यों पड़ गईं, प्रारंभिक तीन अध्यायों में इसी का उत्तर दिया है तथा चौथे अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिर्क तक जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है।

१९- मानव जाति में कुफ़्र पनपने एवं धर्म त्यागने का कारण नेक लोगों (साधु-संतों) के संबंध में अतिश्योक्ति (ग़ुलू) से काम लेना है

- यह सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक संगीन कारण है, तथा इस धरती पर पनपने वाले सर्वप्रथम शिर्क का कारण इन लोगों के विषय में अतिश्योक्ति से काम लेना था।

पहली व दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾ (हे अहले किताब (यहूदी व ईसाई) अपने धर्म में अतिश्योक्ति न करो)।

२- सही (बुख़ारी) में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह तआला के इस कथन: ﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا﴾ (उन्होंने कहा कि अपने पूज्यों को न छोड़ना और न वद्द और सुवाअ तथा यग़ूस एवं यऊक़ और नस्र को (छोड़ना)), के विषय में कहते हैं कि: (هٰذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ؛ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ)، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: (قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ)، यह नूह अलैहिस्सलाम की समुदाय के नेक तथा सदाचारी लोग थे जब उनकी मृत्यु हो गई तो शैतान ने उनके समुदाय के लोगों के दिलों में यह बात डाली कि उनके आसनों के स्थान में उनकी मूर्तियों को लगाओ तथा उन्हीं के नाम पर उनका नामकरण कर दो तो उन्होंने ऐसा ही किया, किंतु उनकी पूजा नहीं की, यहाँ तक कि जब ये लोग मर गये तथा ज्ञान जाता रहा तो उनकी पूजा होने लगी।

तथा इब्ने क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: अनेक सलफ (पूनीत पूर्वज) ने कहा है कि जब वे मर गये तो उनकी समाधियों पर धूनी रमाने लगे तत्पश्चात उनकी प्रतिमायें बना ली फिर कालांतर में उनकी पूजा होने लगी।

- ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾: अहले किताब से अभिप्राय यहूदी हैं जिनकी आसमानी किताब तौरात है, तथा ईसाई हैं जिनकी आसमानी किताब इंजील है।
- ﴿لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾: अर्थात अपनी हद से आगे न बढ़ो चाहे वह प्रशंसा में हो अथवा निंदा में, ईसाईयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की प्रशंसा में अतिश्योक्ति से काम लेते हुए आप को अल्लाह का पुत्र तथा तीन पूज्यों में से एक बना दिया, जब्कि यहूदियों ने आपकी निंदा करने में सारी हदें फलांग दी।
- «هَلَكُوا» : (हलाक हो गए) अर्थात उनकी मृत्यु हो गई।
- «أَوْحَى الشَّيْطَانُ»: (शाब्दिक अर्थ वह्य), भावार्थः शैतान ने उनके दिलों में वसवसा (भ्रम) पैदा किया।
- «أَنِ انْصِبُوا»: इससे तात्पर्य है हरेक वह चीज़ जिसे गाड़ा जाये, शैतान ने उनको भरमाते हुए कहा किः जब तुम उनको देखोगे तो तुम्हारे अंदर उपासना करने का और अधिक भाव उत्पन्न होगा, किंतु उन लोगों ने ऐसा करके वास्तव में शरीअत के तरीके का विरोध किया, अतः ज्ञात हुआ कि केवल नीयत का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है।
- «حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ»: अर्थात वो लोग जिन्होंने मूर्ति बनाया तथा उसे स्थापित किया था, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए।
- नूह अलैहिस्सलाम से पूर्व के समुदाय ने तीन कार्य किये थेः
  - «صَوَّرُوا»: मूर्ति बनाई तथा उसे स्थापित किया।
  - «عَكَفُوا»: उसके पास धूनी रमाने लगे।
  - «طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ»: ज्यों-ज्यों नबूवत काल दूर होता गया, ज्ञान क्षीण होता गया तो फलस्वरूप शिर्क -ए- अकबर अस्तित्व में आया चुनाँचे उन्होंने ग़ैरुल्लाह की पूजा आरंभ कर दी, अतः मानव को चाहिये कि वह अपने ज्ञान एवं कर्म का जायज़ा लेता रहे ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

ग़ुलू (अतिश्योक्ति) के घातक प्रभावः

- जिसके संबंध में ग़ुलू किया जा रहा है यदि ऐसा उसकी प्रशंसा में है तो यह उसको उसके उचित स्थान से बढ़ावा देना है तथा यदि उसकी निंदा में ऐसा किया जा रहा है तो यह उसको उसके उचित स्थान से कम करना एवं गिराना है।
- जिसके विषय में ग़ुलू किया जा रहा है अंततः लोग उसकी पूजा करने लगते हैं।
- यह अल्लाह के उचित आदर में रुकावट बनता है, क्योंकि नफ़्स (इंद्रीय) या तो हक़ (सत्य) में लीन होगा अथवा बातिल (असत्य) में।
- जिसके संबंध में ग़ुलू किया जा रहा है यदि वह जीवित है तो यह उसके लिए हानिकारक बन जाता है, क्योंकि यदि ऐसा प्रशंसा में हो तो उसके अंदर अहंकार पैदा करता है तथा यदि निंदा में हो तो शत्रुता एवं परेशानियां पैदा करता है।

नेक लोगों (साधु-संतों) के बारे में लोगों के प्रकार:

जो उनकी प्रशंसा में ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करते हैं:	जो उनकी निंदा में ग़ुलू करते हैं:	जो इन दोनों के बीच संतुलन बना कर चलते हैं:
जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के संग ईसाईयों का बर्ताव।	जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के संग यहूदियों का बर्ताव।	ना अतिश्योक्ति करते हैं तथा ना ही उचित स्थान से कम आंकते हैं, और ऐसा अहले सुन्नत करते हैं।

तीन से पाँच तक दलीलें:

३- उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» "**तुम मेरी प्रशंसा में मुझे उस प्रकार से ना बढ़ाना जिस प्रकार से ईसाइयों ने मरियम के पुत्र (ईसा) की प्रशंसा में किया था, मैं अल्लाह का बंदा (दास) हूँ अत: मुझे अल्लाह का बंदा तथा उसका रसूल कहो**"।

४- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ» "**ग़ुलू (अतिश्योक्ति) से बचो क्योंकि पहले लोगों का सर्वनाश इसी ग़ुलू ने किया**"।

५- सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «هَلَكَ الْـمُتَنَطِّعُونَ» "**अतिश्योक्ति करने वालों का नाश हो**", आपने ऐसा तीन बार फरमाया।

- «لَا تُطْرُونِي»: अरबी शब्द "अल-इत्तरा" का अर्थ है किसी की प्रशंसा करने में अतिश्योक्ति करना, अर्थात ऐसी अतिश्योक्ति जो ईसाईयों के अतिश्योक्ति के समान हो या उससे कम हो।
- «عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»: (अल्लाह के बंदे तथा उसके रसूल): यह दोनों गुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में अति उत्तम रूप में विद्यमान हैं जो आपके लिए सम्मान की बात है।
- «الْغُلُوُّ»: "ग़ुलू" किसी की प्रशंसा, उपासना अथवा किसी कार्य में हद से बढ़ जाने को कहते हैं।
- ग़ूलू ने उनका नाश कैसे किया? ग़ुलू ने नाश किया: १- उनके दीन का, २- तथा उनके शरीर का।

- ग़ुलू (अतिश्योक्ति) के बहुतेरे प्रकार हैं: अक़ीदा (श्रद्धा), (इबादत) उपासना, मामला तथा आचरण में ग़ुलू करना, जब्कि अल्लाह का दीन (धर्म) अति एवं न्यून के मध्य बिल्कुल संतुलित दीन है।
- «الْـمُتَطَعِّـونَ»: "मुतनत्तेअ": कृत्य अथवा बात-चीत में बनावट, तकल्लुफ़ तथा पाखंड करने वाले व्यक्ति को कहते हैं क्योंकि यह अहंकार तथा आत्ममुग्धता पर आधारित होता है, तथा दीन में इस प्रकार का कृत्य ग़ुलू करने के समान है, और सर्वनाश के कारणों में से एक कारण है।

मसाइल:

पहला: जो व्यक्ति इस अध्याय तथा इसके बाद के दो अध्याय को समझ जायेगा उसे इस्लाम के अपरिचित होने का अनुभव हो जायेगा तथा उसे अल्लाह के सामर्थ्य एवं दिलों के फेर देने के आश्चर्यजनक करिश्मे दृष्टिगोचर होंगे।

दूसरा: इस धरती पर पनपने वाले सर्वप्रथम शिर्क (बहुदेववादिता) का कारण नेक लोगों (साधु-संतों, महात्माओं) के संबंध में अति प्रेम तथा उनके आदर में अतिश्योक्ति करना था।

तीसरा: नबियों के दीन-धर्म में सर्वप्रथम जिस चीज़ के द्वारा बदलाव आया उसका ज्ञान मिला (वह शिर्क था) और उसका कारण क्या था (सालेहीन अर्थात नेक लोगों के संबंध में ग़ुलू करना) यह ज्ञात होने के बाद भी कि अल्लाह ने ही उन्हें अपना दूत बना कर भेजा था।

चौथा: लोग बिदअत (नवाचार) को अति शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं जब्कि शरीअत (धर्मविधान) एवं प्रकृति उसे नकारती है।

पाँचवां: शिर्क प्रारंभ होने का मूल कारण ह़क़ (सत्य) तथा बातिल (असत्य) को आपस में गड्ड-मड्ड कर देना था, जिसके दो स्पष्ट कारण थेः प्रथमः सदाचारियों के संग अत्याधिक प्रेम तथा द्वितीयः धर्मशास्त्रियों (उलेमा) ने कुछ कार्य अच्छे इरादे से किये थे किंतु बाद के लोगों ने यह समझ लिया कि उनका आशय कुछ और था (जो व्यक्ति दीन को बिदअत (नवाचार) के द्वारा सशक्त करना चाहता है उसे याद रखना चाहिए कि इसकी हानि लाभ से कहीं अधिक है)।

छठा: सूरह नूह के आयत की तफ़्सीर (जिसमें है कि वो लोग एक-दूजे को बातिल की वसीयत करते थे)।

सातवाँ: नैसर्गिक रूप से मानव प्रकृति ही ऐसी है कि उसके हृदय में ह़क़ (सत्य, धीरे-धीरे) कम जब्कि बातिल (असत्य) बढ़ता रहता है (सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की विशेष कृपा हो)।

आठवाँ: इससे सलफ (पुनीत पूर्वजों) के उस कथन को बल मिलता है कि बिदअतें (नवाचार) कुफ़्र (अधर्म) का कारण बनती हैं (और यह कारण कभी एक से अधिक भी हो सकते हैं)।

नौवाँ: शैतान बिदअत के परिणाम से भलि-भांति परिचित है (कि यह किस प्रकार से मानव जाति का नाश करती है) यद्यपि इसके कर्ता का इरादा नेक हो।

दसवाँ: इससे एक आम नियम का ज्ञान होता है कि ग़ुलू (अतिश्योक्ति) से बचना है (क्योंकि इसका परिणाम दुखद होता है) और जो ग़ुलू की ओर प्रोत्साहित करे उसका भी ज्ञान होना चाहिए।

ग्यारह्वाँ: क़ब्र (साधि) पर किसी नेक अमल (सदकर्म) की नीयत से पड़े रहना हानिकारक है (यह उनकी उपासना एवं पूजे जाने का कारण बनता है)।

बारह्वाँ: प्रतिमायें बनाने से रोकना तथा इसको मिटा देने की हिकमत (तत्वदर्शिता) का पता चलता है (कि यह शिर्क तक पहुँचने के रास्ते को रोकने के लिए है)।

तेरह्वाँ: इस वृत्तांत से जहां (शिर्क पनपने का) गंभीर किस्सा मालूम होता है, वहीं इसका भी पता चलता है कि इसका जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु अधिकांश मुसलमान इससे अचेत हैं।

चौदह्वाँ: अति विचित्र बात यह है कि लोग इस वृत्तांत को तफ़्सीर एवं ह़दीस़ की किताबों में पढ़ते हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं, किंतु अल्लाह तआला ने उनकी समझ ऐसी फेर दी है कि वो यह समझते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय का यह कृत्य (क़बर पूजना, नेक लोगों के आदर में अति करना इत्यादि) सर्वश्रेष्ठ इबादत है, और यह भी आस्था रखते हैं कि जिस बात से अल्लाह एवं उसके रसूल ने रोका है वह ऐसा कुफ़्र है जिससे धन तथा प्राण ह़लाल हो जाता है।

पंद्रह्वाँ: इसमें यह भी स्पष्ट है कि इन (मूर्तियों की पूजा करने वालों) का इरादा केवल यह था कि यह सदाचारी हमारे सिफारिशी हैं (इसके बावजूद वो लोग शिर्क में पड़ गये)।

सोलह्वाँ: बाद वाले लोगों ने यह गुमान किया कि उनके जिन पूर्वजों ने यह प्रतिमायें बनाई थीं उसके पीछे एक विशेष कारण था (कि वो उनकी सिफारिश करेंगे जब्कि ऐसा गुमान करना मिथ्य तथा व्यर्थ था)।

सत्रह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» (मुझे ऐसे न बढ़ाना जैसे ईसाईयों ने मरियम के पुत्र (ईसा अलैहिस्सलाम) को बढ़ा दिया था" इसमें मुसलमानों के लिए स्पष्ट बयान है, अल्लाह तआला की असीम कृपा तथा शांति बरसे आप पर कि आपने पूर्णरूपेण धर्मप्रचार का ह़क़ अदा कर दिया (आपने प्रशंसा करने में अतिश्योक्ति से काम लेने से रोका था और स्थिति यह है कि इस उम्मत के कुछ लोग इसी में पड़ गये, बल्कि मामला इससे भी अधिक संगीन है)।

अट्ठारह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह शिक्षा दी है कि तकल्लुफ़ करने तथा हद से बढ़ने वालों का सदैव नाश होता है (और आपने ऐसा करने से डराने के लिए इस तरह फरमाया)।

उन्नीसवाँ: इससे ज्ञान का महत्व तथा उसके न होने की हानि का भी आभास होता है कि नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय के लोगों ने ज्ञान समाप्त हो जाने के पश्चात ही मूर्तियों की पूजा आरंभ की थी।

बीसवाँ: उलेमा का मर जाना ज्ञान समाप्त हो जाने का कारण है (यह सबसे बड़ा कारण है, इसी प्रकार से इस के प्रति उदासीनता, सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाना तथा ज्ञान अर्जित करने से लापरवाह हो जाना)।

२०- जब किसी नेक आदमी की क़ब्र (समाधि) के पास अल्लाह की इबादत करना घोर पाप है तो स्वयं उस व्यक्ति विशेष की पूजा करना किता बड़ा महा पाप होगा ?

दीन का अपरिचित होना, लोगों की तौहीद से दूरी तथा क़ब्रों के पास अल्लाह की उपासना करने की जो वर्जना आई है ताकि यह शिर्क का कारण ना बने, यही सब बताने के लिए लेखक महोदय यह अध्याय लाये हैं।

पहली दलील:

सही (बुख़ारी व मुस्लिम) में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष एक गिरजा तथा उसमें विद्यमान चित्रों एवं प्रतिमाओं की चर्चा की जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था, तो आपने फरमायाः «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ»، فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةَ الْقُبور، وَفِتْنَةَ التَّمَاثِيلِ "**यह ऐसे लोग हैं कि इनमें जब कोई नेक व्यक्ति (धर्मात्मा) मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते तथा उसमें इस प्रकार की प्रतिमायें बना देते, ये लोग अल्लाह के पास सर्वाधिक बुरे लोग हैं**", तो इनलोगों ने दो फित्नों को एक साथ एकत्रित कियाः क़ब्र (को पूजा स्थल बनाने) का फितना तथा (उसमें) चित्रों एवं प्रतिमाओं का फितना।

- «فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ» (इनलोगों ने दो फित्नों को एकत्रित किया), यह इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह का कथन है, इसको फितना इसलिए कहा गया है कि यह लोगों को दीन से रोकने का कारण व सबब है।
- क़ब्रिस्तान के बारे में मूल बात यह है कि इसे आबादी से बाहर बनाना चाहिए ताकि यह शिर्क तक पहुँचने का ज़रिया न बने।
- क़ब्रों का फित्ना, मूर्तियों तथा प्रतिमाओं के फित्ने से भी गंभीर है, निम्नांकित कारणों सेः
  - क़ब्र (तथा क़ब्रिस्तान) प्रत्येक स्थान पर होते हैं प्रतिमाओं के विपरीत।
  - क़ब्रों के पास ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो दूसरे स्थान पर नहीं होतीं, जैसे (दिल में) डर पैदा हो जाना।

दूसरी व तीसरी दलील:

२- और सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) ही में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब आपके प्राण पखेरू उड़ने का समय आया तो आप अपने मुख मंडल पर चादर डाल लेते तथा जब दम घुटने (श्वास रोध होने) लगता तो चादर हटा देते, तथा आपने इसी स्थिति में फरमाया: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» **"यहूदियों तथा ईसाईयों पर अल्लाह की (लानत) धिक्कार हो उन्होंने अपने अम्बिया की समाधियों को इबादत का स्थान बना लिया"**, ऐसा करने से आप अपनी उम्मत को डरा रहे थे, यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र को सज्दा का स्थान बना लेने का भय न होता तो आप की क़ब्र भी (सामान्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की क़ब्रों की भांति) खुली हुई होती।

३- तथा मुस्लिम में जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है वह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी मृत्यु के पाँच दिन पूर्व फरमाते हुए सुना: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبور مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» **"मैं अल्लाह के समक्ष इस बात से अलगाव ज़ाहिर करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा ख़लील (मित्र) हो, क्योंकि अल्लाह तआला ने मुझे अपना ख़लील बना लिया है जिस प्रकार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना ख़लील बनाया था, और यदि मैं किसी को अपना ख़लील बनाता तो अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपना ख़लील बनाता, सावधान, तुमसे पूर्व के लोग अपने अम्बिया की क़ब्रों एवं समाधियों को मस्जिद (पूजा स्थल) बना लेते थे, सावधान, तुम समाधियों को पूजा स्थल न बना लेना मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकता हूँ"।**

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस कृत्य से अपने जीवन के अंतिम समय में रोका, पुनः आपने -जब आप मरनासन्न थे तो- ऐसा करने वाले पर लानत (धिक्कार) भेजी, (पता चला कि) क़ब्र के ऊपर मस्जिद ना भी बनी हो तब भी क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ना मना है, यही आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कथन: «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا (इसका डर था कि आपकी क़ब्र को सज्दा करने का स्थान ना बना लिया जाए), सहाबा से यह उम्मीद नहीं थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के ऊपर मस्जिद बनायेंगे।

तथा प्रत्येक स्थान जहाँ नमाज़ पढ़ने का इरादा हो वह मस्जिद ही है, बल्कि हरेक वह स्थान जहाँ नमाज़ अदा की जाये वह मस्जिद ही है, जैसाकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» **"मेरे लिए भूमि को मस्जिद तथा पवित्र करने वाला बना दिया गया है"।**

- «لَـمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ الله ﷺ»: इससे अभिप्राय मलकुल मौत (मौत का फ़रिश्ता) हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्राण हरने के लिए उतरे थे।
- «خَمِيصَة»: "ख़मीसा" चादर अथवा धारीदार कपड़े को कहते हैं।
- «لَعْنَةُ الله»: अर्थात अल्लाह की ओर से उस पर धिक्कार तथा वह अल्लाह की रहमत (कृपा) से दूर हो, इस आधार पर यह अल्लाह की ओर से सूचना देना है, और यह भी संभव है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके ऊपर बद्दुआ किया (श्राप दिया) हो।
- «اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: या तो उस पर सज्दा करके अथवा विधिवत उसपर मस्जिद बना कर।
- «لأُبْرِزَ قَبْرُهُ»: अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र प्रकट होती और अपने हुजरा से बाहर कहीं और, जैसे बक़ीअ में दफन किये जाते।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुजरा (कमरा) के भीतर क्यों दफन किया गया जहाँ क़ब्र की मिट्टी तो दूर कोई आपके हुजरा को भी नहीं देख पाता?

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारणः «مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ» (जहाँ नबी के प्राण पखेरू उड़ते हैं वहीं उनकी क़ब्र (समाधि) बनती है)।
- «خَشِيَ»: अरबी भाषा की वर्णमाला के एक व्यंजन "ख़" पर ज़बर के साथ अर्थ होगाः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम डरते थे कि कहीं आप की क़ब्र को वसन (उपास्य) न बना लिया जाए।
- «خُشِيَ»: अरबी भाषा की वर्णमाला के एक व्यंजन "ख़" पर पेश के साथ अर्थ होगाः सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम डरते थे कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र को वसन (पूज्य) न बना लिया जाये, और उनका ऐसा करने का कारण स्वाभाविक तौहीद की रक्षा करना था।

उनका खण्डन कैसे करेंगे जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र मस्जिद के भीतर है?

क- **संक्षिप्त खंडनः** यह मुतशाबेह (मिलती-जुलती, दुविधा में डालने वाली) में से है, और हमारे लिए वाजिब एवं अपरिहार्य क़ुरआन व हदीस के मुहकमात (बिल्कुल स्पष्ट) पर अमल करना है तथा आप मुहकमात को छोड़ कर मुतशाबेह के पीछे पड़े हुए हैं अतः हम आपकी बात नहीं मानेंगे।

ख- **विस्तृत खंडनः**

1- मस्जिद क़ब्र के ऊपर नहीं बनाई गई अपितु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में ही बन चुकी थी।

2- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मस्जिद में दफन नहीं किया गया बल्कि आप को अपने घर में दफन किया गया जो मस्जिद से बाहर था।

3- हुजरात (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों के कमरे) को मस्जिद में दाख़िल करने का कार्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इत्तेफ़ाक़ (एकमत) से नहीं किया गया था, अपितु ऐसा उनमें से अधिकांश के मृत्यु पा जाने के पश्चात हुआ था, और जो लोग जीवित थे उन्होंने इसका विरोध किया था जैसाकि सईद बिन मुसैयिब रहिमहुल्लाह से इसका विरोध करने के साक्ष्य मोजूद हैं।

4- क़ब्र मस्जिद के अंदर नहीं है बल्कि एक अलग कमरे में है, और मस्जिद उस हुजरे के ऊपर नहीं बनाई गई है, इसके अतिरिक्त उस क़ब्र को तीन दीवारों से घेर दिया गया है और वह दीवारें क़िबला से बिल्कुल तिरछे कोण में बनाई गई हैं ताकि नमाज़ पढ़ते समय वह नमाज़ी के बिल्कुल सामने ना हो।

5- मस्जिद -ए- नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अपनी अलग विशेषता है जैसे इसके लिए यात्रा करना जायज़ है तथा इसमें एक नमाज़ का सवाब एक हज़ार नमाज़ के समान है।

चेतावनी: ख़ुल्लत (मित्र -ख़लील- बनाना) प्रेम का सर्वश्रेष्ठ दर्जा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसे अल्लाह तआला ने अब तक केवल दो महानुभावों के लिए साबित किया है तथा वो दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, यह स्पष्ट हो जाने के बाद आप उन लोगों की महा अज्ञानता का बख़ूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कहते हैं कि: इब्राहीम ख़लीलुल्लाह हैं और मुहम्मद हबीबुल्लाह हैं (यह समझते हुए कि हबीब, ख़लील से ऊँचा दर्जा है, जब्कि) दरअसल यह आप का अनादर करना है क्योंकि ऐसे लोगों ने आपका दर्जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नीचे कर दिया, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आम लोगों के मध्य कोई अंतर नहीं किया क्योंकि अल्लाह तआला एहसान (उपकार) करने वालों से भी मोहब्बत करता है, अतः जो यह कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हबीब हैं वह गलत करता है।

(हबीब तथा मोहब्बत की उत्पत्ति एक ही शब्द "हुब्ब" से हुई है, कहने का अर्थ यह है कि जिससे मोहब्बत की जाये उसे ही हबीब कहा जाता है)

चौथी दलील:

मुसनद अहमद में अच्छे व जैय्यिद सनद के साथ इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि:

«إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

"सबसे बदतरीन वो लोग होंगे जिन के जीवनकाल में क़यामत आयेगी और वह भी (सर्वाधिक बुरे हैं) जो क़ब्रों को मस्जिद का दर्जा देते हैं"। इसे अबू हातिम (इब्ने हिब्बान) ने अपनी सही में रिवायत किया है।

- «شِرَارِ النَّاسِ»: इससे प्रमाणित होता है कि बुराई में भी लोगों की श्रेणियां हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुरे होते हैं।

अध्याय का सारांश:

शिर्क तथा वहाँ तक ले जाने वाले सभी साधनों से दूर रहना वाजिब व अपरिहार्य है, और जो व्यक्ति किसी नेक आदमी (सदाचारी, साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के पास अल्लाह की इबादत व उपासना करना, जैसे नमाज़ आदि पढ़ना चाहे तो ऐसे लोगों से कठोरता के साथ निपटा जायेगा, और जो यह अक़ीदा(आस्था, श्रद्धा) रखे कि इस क़ब्र वाले के पास सदक़ा (दान-पुण्य) करना दूसरे स्थान के मुक़ाबले में अधिक बेहतर एवं फलकारी है तो वह भी उसी के समान है जिसने क़ब्र को मस्जिद बना लिया।

मसाइल:

पहला: किसी बुज़ुर्ग (साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के निकट अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद बनाने वाले को कठोरता के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोका है, यद्यपि मस्जिद बनाने वाले की नीयत व विचार सही ही हो (यह ऐसा कृत्य है जिसमें नीयत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका संबंध केवल उस कार्य भर से है, तथा इसमें मुश्रिकीन की नक़ल करना भी है)।

दूसरा: चित्र एवं प्रतिमायें बनाने को वर्जित करना तथा कड़ाई से इसका संज्ञान लेना (विशेष रूप से जब यह चित्र ऐसे लोगों का हो जिनका आदर किया जाता है चाहे आदतानुसार जैसे माता-पिता अथवा शरीअतानुसार जैसे औलिया व सालेहीन (साधु-संत, धर्मात्मा, महात्मा)।

तीसरा: इस कृत्य की भर्तसना करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अतिश्योक्ति से काम लेने पर विचार करना चाहिए कि आपने इस कृत्य से पहले भी रोका था, पुनः अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में मृत्यु से पाँच दिन पूर्व भी इस पर चेताया, और जब आप मृत्यु शय्या पर थे तो पुनः एक बार फिर ऐसा करने से रोका और पहले वर्णन पर ही बस नहीं किया।

चौथा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़ब्र के अस्तित्व में आने के पूर्व ही अपनी क़ब्र के पास ऐसा करने से रोक दिया।

पाँचवां: अम्बिया की क़ब्रों पर मस्जिद बनाकर उसमें इबादत करना यहूदियों एवं ईसाईयों की रीति है।

छठा: ऐसा करने के कारण आप ने यहूदी एवं ईसाई पर लानत की (धिक्कारा) है।

सातवाँ: यहूदियों तथा ईसाईयों के ऐसा करने पर धिक्कारने का उद्देश्य वास्तव में हमें आपकी क़ब्र के पास ऐसा करने से डराना था।

आठवाँ: आपकी क़ब्र को प्रकट न करने का कारण (कि कहीं आपकी उपासना न होने लगे इसका भय, तथा नबी जहाँ मरते हैं वहीं उनकी समाधि भी बनती है)।

नौवाँ: क़ब्रों को मस्जिद बना लेने का क्या अर्थ है इसको स्पष्ट रूप से बताना (उस पर मस्जिद बनाना तथा उसे नमाज़ पढ़ने का स्थान बना लेना)।

दसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्र पर मस्जिद बनाने वाले तथा जिन पर प्रलय आयेगा दोनों का एक साथ उल्लेख किया है, मानो आपने कुफ़्र या शिर्क के पनपने के पूर्व ही उसका कारण तथा परिणाम बता दिया है।

ग्यारह्वाँ: अपने निधन के पाँच दिन पूर्व इसकी चर्चा करना उन दो सम्प्रदाय पर कुठराघात है जो बिदअतियों में सबसे बुरे हैं, बल्कि कुछ उलेमा (धर्मज्ञों) ने उन्हें मुसलमानों के बहत्तर (७२) फिरक़ों (सम्प्रदाय) से ही अलग कर दिया है तथा यह राफ़ज़ी एवं जहमीय्या हैं, राफ़ज़ियों के कारण ही शिर्क तथा समाधियों की पूजा पनपी और उन्होंने ही सर्व प्रथम क़ब्रों पर मस्जिदें बनाईं।

बारह्वाँ: प्राण निकलते समय आप को बड़े दुःख का सामना करना पड़ा।

तेरह्वाँ: अल्लाह का ख़लील (मित्र) बनाए जाने के द्वारा आप का सम्मान किया गया।

चौदह्वाँ: इसका वर्णन कि यह मोहब्बत से उत्तम दर्जा है।

पंद्रह्वाँ: इसका स्पष्ट वर्णन कि अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) सर्वश्रेष्ठ सहाबी हैं (ईमान तथा सदकर्मों के द्वारा पाई गई श्रेष्ठता वंश की श्रेष्ठता से बढ़ कर है, इसी कारण अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर प्राथमिकता दी गई)।

सोलह्वाँ: इसमें अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त (प्रतिनिधित्व) की ओर भी संकेत है।

२१- नेक लोगों की क़ब्रों के संबंध में अतिश्योक्ति उन्हें अल्लाह के सिवाय पूजा जाना वाला वस़न (मूर्ति) बना देती है

- शिर्क पनपने का यह तीसरा कारण है, ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करने का परिणाम यह निकलता है कि लोग क़ब्र की अथवा क़ब्र वाले की पूजा करना आरंभ कर देते हैं, और अरबी शब्द ग़ुलू का अर्थ है: किसी की प्रशंसा अथवा निंदा में हद से बढ़ जाना।
- क़ब्र के संबंध में लोगों के तीन प्रकार हैं: अतिश्योक्ति करने वाले, अपमान करने वाले तथा संतुलित। अति करने वालों ने उसकी उपासना तथा उस पर भवन बनाकर उसके संबंध में ग़ुलू से काम लिया, अपमान करने वालों ने उस पर बैठने के द्वारा उसका आवश्यक आदर न कर के तथा मुर्दों को क़ब्रों से निकाल कर उनका अनादर किया, तथा बीच का संतुलित एवं सही रास्ता यह है कि उसके मर्यादा की रक्षा की जाये और उसके विषय में इस क़दर अतिश्योक्ति न की जाये कि उसकी पूजा ही होने लगे।

एक से चार तक दलीलें:

१- इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने मुवत़्ता में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» "**हे अल्लाह, मेरी क़ब्र (समाधि) को वस़न (मूर्ति) न बनाना जिसकी पूजा की जाने लगे, अल्लाह का घोर प्रकोप उस समुदाय पर हो जिसने अपने नबियों की समाधियों को मस्जिद (पूजा स्थल) बना लिया**"।

२- इब्ने जरीर रहिमहुल्लाह ने आयत (श्लोक) ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ﴾ की तफ़्सीर में अपनी सनद से सुफियान से, उनहोंने मन्सूर तथा उन्होंने मुजाहिद से रिवायत किया है कि: "लात" हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था, जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोग उसकी क़ब्र पर मुजाविर बन गये (अर्थात धूनी रमाने लगे)।

३- तथा अबुल जौज़ा ने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि: "लात" हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाता था।

४- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْـمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْـمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) के लिए जाने वाली महिलाओं पर लानत भेजी (धिक्कारा) है, तथा उन लोगों को भी धिक्कारा है जो क़ब्रों पर मस्जिद बनाते तथा दीप जलाते हैं। इस ह़दीस़ को अहले सुनन ने रिवायत किया है।

- «اشْتَدَّ غَضَبُ الله»: "ग़ज़ब (प्रकोप, क्रोध)" यह अल्लाह तआला के लिए प्रमाणित स्वाभाविक एवं ह़क़ीक़ी सिफत (गुण) है, किंतु अल्लाह का ग़ज़ब मख़लूक़ (जीव) के ग़ज़ब के समान नहीं है।
- «اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: (उन्होंने ने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया था) या तो उस पर सज्दा कर के या फिर बाक़ायदा उस पर मस्जिद की इमारत बना ली थी।
- क्या अल्लाह तआला ने आप की यह दुआ क़बूल (स्वीकार) कर ली थी कि आपकी क़ब्र को ऐसा वसन (मूर्ति) न बनने दे जिसको अल्लाह के सिवा पूजा जाने लगे, या अल्लाह कि हिकमत इसके विपरीत थी? इब्ने क़ैयिम रह़िमहुल्लाह कहते हैं किः अल्लाह तआला ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, अतः ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी क़ब्र (समाधि) को वसन (बुत) बना लिया गया और उसकी पूजा होने लगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समाधि को तीन दीवरों के द्वारा घेर दिया गया, इसी भावार्थ को उन्होंने निम्नांकित पंक्ति में उल्लेखित किया हैः

فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ

وَأَحَـــــاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ

अल्लाह ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया
और आपकी क़ब्र को तीन दीवारों से घेर दिया

हाँ यह बात सही है कि कुछ लोग आप की क़ब्र के संबंध में ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करते हैं किंतु मामला इस हद तक नहीं पहुँचा कि आपकी क़ब्र को वसन (बुत) बना कर उसकी पूजा होने लगे।

- ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ﴾: इन मूर्तियों का उन बड़ी निशानियों से क्या संबंध हो सकता है जो आपने मेराज की रात देखा था।
- «السَّوِيقَ»: अल-सवीक़ः जौ को भून कर या सूखा कर, फिर उसको पीस कर तत्पश्चात खजूर के संग मिला कर जो चीज़ बनती है उसे "सवीक़ (सत्तू)" कहते हैं, जो वह हाजियों को पेश करते थे।
- «السُّرُجَ»: (दीप जलाना): अल-सुरुज, अल-सिराज का बहुवचन है, दिवा-रात्रि उस पर दीप प्रज्वलित किया जाता है और ऐसा उसके आदर तथा उसके बारे में ग़ुलू करते हुए किया जाता है।
- नारियों का क़ब्रों पर जाना कबीरा गुनाहों में से है, इसी प्रकार क़ब्रों को मस्जिद बना लेना और उस पर दीप प्रज्वलित करना भी क्योंकि ऐसा करने वाले पर लानत (धिक्कार) भेजी गई है।
- **क़ब्रों (समाधियों) की ज़ियारत (दर्शन) करने के प्रकार:** १- शरईः इसके लिए यात्रा नहीं की जायेगी, और इसके दर्शन का उद्देश्य आख़िरत (परलोक) का स्मरण और अपने तथा मृतकों के लिए दुआ करने की नीयत हो, २- यदि मूर्दों से दुआ मांगने की नीयत हो तो यह ज़ियारत शिर्किया कहलायेगी, ३- और नीयत यदि इन क़ब्रों के पास जा कर अल्लाह से दुआ मांगने की हो तो यह ज़ियारत बिदई (बिदअत पर आधारित) कहलायेगी।

मसाइल:

पहला: औसान (प्रतिमायें) की व्याख्या (कि प्रत्येक वह चीज़ वसन है जिसकी अल्लाह के सिवाय पूजा की जाती है चाहे वह मूर्ति हो, क़ब्र (समाधि) हो अथवा कुछ और)।

दूसरा: इबादत (उपासना) की तफ्सीर एवं उसकी व्याख्या (इबादत कहते हैं: माबूद (उपास्य) के समक्ष विनम्रता अपनाना तथा झुकना, उसका आदर करते हुए तथा प्रेम रखते हुए, उसके यातना से भयभीत होते हुए तथा उसके नेमतों (अनुग्रहों) की आशा रखते हुए)।

तीसरा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने केवल उसी चीज़ से पनाह माँगी जिसके होने का आपको अंदेशा था।

चौथा: आपने जहाँ यह दुआ की: "हे अल्लाह मेरी क़ब्र को वसन न बनाना जिसकी पूजा होने लगे" वहीं आपने यह भी बताया कि: "पहले लोगों ने अपने नबियों की क़ब्रों को पूज स्थल बना लिया था"।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया कि ऐसा करने वाले अल्लाह के घंघोर क्रोध के पात्र हैं।

छठा: एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि "लात" जो अरब का सबसे बड़ा देवता था उसकी पूजा कैसे आरंभ हुई।

सातवाँ: यह बात पता चली कि "लात" एक सदाचारी व्यक्ति की समाधि (क़ब्र) थी।

आठवाँ: "लात" क़ब्र वाले का नाम था तथा उसके नामकरण का कारण भी उल्लेखित है।

नौवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन महिलाओं पर लानत भेजी है जो क़ब्रों की ज़ियारत एवं दर्शने के लिए जाती हैं।

दसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों (समाधियों) पर दीप प्रज्वलित करने वालों पर भी लानत भेजी तथा धिक्कारा है।

- एक अति महत्वपूर्ण मसला: बुज़ुर्गों एवं नेक लोगों (साधु-संतों, महात्माओं, धर्मात्माओं) की समाधि के संबंध में ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करना उसको वसन (बुत) बना देता है जैसाकि "लात" की समाधि के साथ मामला हुआ।
- मसला: महिला जब मस्जिद -ए- नबवी में "रौज़ा शरीफ़" में नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र समीप ही होती है अत: वहाँ खड़े हो कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद व सलाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है, हाँ बेहतर यह है कि वह भीड़-भाड़ तथा मर्दों के साथ मेल-मिलाप से दूर रहे और इसलिए भी कि कोई उसको देख कर यह न समझ ले कि महिलाओं के लिए सुनियोजित ढ़ंग से सउद्देश्य क़ब्रों की ज़ियारत एवं दर्शन के लिए जाना जायज़ है।

२२- नबी -ए- मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौ़हीद की चहारदीवारी की रक्षा तथा शिर्क तक पहुँचने के मार्ग को बंद करना

इस अध्याय को यह बताने के लिए लाए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चमन -ए- तौ़हीद के ठोस बचाव के लिए एक ओट लगा दी है, और कोई भी ऐसा द्वार खुला नहीं छोड़ा है जिससे कोई शिर्क तक पहुँच जाए, बल्कि आपने शिर्क तक जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ الآيَة. (तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आए हैं, तुम्हारा दुःख जिनके अत्यंत कठिन है)।

२- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ» "**अपने घरों को क़ब्रिस्तान (शमशान) न बनाओ और न मेरी क़ब्र (समाधि) को उत्सव स्थल बनाओ, और तुम जहाँ भी रहो मुझ पर दरूद भेजते रहो, तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँच जाएगा**"। इस ह़दीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है तथा इसके रावी (वर्णनकर्ता) स़िक़ा (विश्वसनीय) हैं।

- ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ﴾: तीन ताकीद के द्वारा इसे बयान किया गया है: छिपा हुआ क़सम, लाम, तथा क़द।
- ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾: अर्थात: १- तुम्हारे ही समुदाय में से एक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे ऊपर प्रधानता वह्य (आकाशवाणी) के कारण दी गयी है।

  २- एक क़िराअत में: «مِنْ أَنْفَسِكُمْ» अरबी वर्णमाला के एक शब्द "फा" के ज़बर के साथ भी इसका उच्चारण किया गया है, ऐसी स्थिति में आयत का अर्थ होगा: वह तुम लोगों में सर्वाधिक कुलीन तथा मुत्तक़ी (संयमी) व्यक्ति हैं।
- ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾: जो तुम्हारे लिए कठिन हो वह उन्हें विचलित कर देती है, इसी लिए उन्हें सरल व नम्र धर्म दीन -ए- ह़नीफ देकर अवतरित किया (भेजा) गया है।
- ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾: तुम्हारे हित के लिए वो अंथक प्रयास करने वाले हैं।
- ﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾:जिसका उल्लेख बाद में होना चाहिए था उसका पहले उल्लेख

करना एक विशेष अर्थ उत्पन्न करता है, अर्थातः ग़ैर मोमिनों के लिए आप कठोर हैं: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ (मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के लिए कठोर तथा आपस में नम्र हैं)।

- ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾: यदि वो इससे विमुखता प्रकट करें, यह नहीं कहाः فإن توليتم (यदि तुम इसकी उपेक्षा करो): १- क्योंकि इस प्रकार बयान कर देने के पश्चात उपेक्षा करना मकरूह (अप्रिय) है, २- पाठक को सावधान करने के लिए ज़मीर (सर्वनाम) को बदल दिया ताकि पाठक सावधान हो जाये।
- ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ﴾: अर्थात उनकी उपेक्षा करना आपको व्याकुल न करे, बस आप अपनी ज़ुबान और दिल से यह कहते रहें: ﴿حَسْبِيَ ٱللَّهُ﴾ (अल्लाह मेरे लिए काफी है)।
- ﴿«بُيُوتَكُمْ قُبورا»: अर्थातः १- उसमें नमाज़ पढ़ना न छोड़ो, २- उसमें मुर्दों को दफन न करो।
- «عِيدًا»: अर्थातः मेरी क़ब्र पर बार-बार आना अपनी दिनचर्या न बना लो यद्यपि यह आदत वार्षिक, मासिक अथवा साप्ताहिक ही क्यों न हो, बल्कि नबी के क़ब्र की ज़ियारत किसी कारणवश की जाये, उदाहरणस्वरूप कोई यात्रा से लौट कर आए अथवा आख़िरत (परलोक) का स्मरण करने के लिए हो।
- «وَصَلُّوا عَلَيَّ»: अल्लाह तआला की ओर से अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर सलात (दरूद) भेजने का अर्थ हैः अति उत्तम फरिश्तों के मध्य आपकी प्रशंसा करना।
- «تَبْلُغُنِي»: क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दूसरे स्थान पर फरमाया हैः «إِنَّ للهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلامَ» "अल्लाह के कुछ अति विशिष्ट फरिशेत (देवदूत) धरती पर घूमते रहते हैं जो मुझ तक मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं", अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र -ए- मुबारक के पास भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तीसरी दलील:

ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रहिमहुल्लाह ने एक व्यक्ति को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समाधि स्थल (क़ब्र) के इर्द-गिर्द बनी दीवार के एक छिद्र से आता तथा भीतर जा कर क़ब्र के पास दुआ करते हुए देखा तो उसे रोका और कहाः तुम्हें एक हदीस न सुनाऊँ जो मेरे पिता (हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मेरे दादा (अली रज़ियल्लाहु अन्हु) से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फरमायाः «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبورا؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ» "**तुम मेरी समाधि को उत्सव (स्थल) न बना लेना तथा न ही अपने घरों को क़ब्रिस्तान बना लेना, (और मुझ पर कहीं से भी दरूद भेजते रहना) क्योंकि तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँचेगा तुम जहाँ कहीं भी रहो**"। इसे (ज़ियाउद्दीन अल मक़दिसी ने) अल-मुख़तारह में ज़िक्र किया है।

- «فَيَدْعُو»: उनका यह गुमान करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास दुआ करने का अपना एक महत्व है, यह शिर्क के द्वार को खोलना और उस तक पहुँचने का एक वसीला एवं माध्यम बन सकता है।
- «أَيْنَ كُنْتُمْ»: इसका भावार्थ है किः तुम जहाँ कहीं भी रहो मेरे ऊपर दरूद व सलाम भेजते रहो, मेरी क़ब्र के पास आकर ही दरूद व सलाम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मसाइल:

पहला: सूरह बराअत (तौबा) की आयत ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपनी उम्मत को शिर्क की सीमा से बहुत दूर रहने की हिदायत एवं आदेश (अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ...)।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हम (अपनी उम्मत) पर अति दयालु तथा हमारे मार्गदर्शन के लिए सदा प्रयासरत रहने का उल्लेख (सूरा बराअत वाली आयत)।

चौथा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने विशेष रूप से अपने क़ब्र (समाधि) की ज़ियारत (दर्शन) करने से रोका है जब्कि आपके क़ब्र की ज़ियारत करना अति उत्तम कार्य है (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की ज़ियारत के समय आपको सलाम किया जाता है, तथा आपका हक़ (अधिकार) अन्य की तुलना में अधिक बड़ा है)।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की बारंबार ज़ियारत करने से रोका गया है।

छठा: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नफ्ल नमाज़ घर में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।

सातवाँ: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के निकट यह बात सुनिश्चित थी कि क़ब्रिस्तान (शमशान) में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है।

आठवाँ: दरूद व सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह कारण बताया कि व्यक्ति का दरूद व सलाम उन तक पहुँच जाता है यद्यपि वह दूर ही क्यों न हो, अतः पास जाकर दरूद व सलाम भेजने का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है (ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रहिमहुल्लाह ने फरमायाः तुझमें और जो अंदलुस (स्पेन) में है उसमें कोई अंतर नहीं है)।

नौवाँ: इसमें यह भी बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बर्ज़ख़ में हैं तथा उम्मत के कर्मों में से दरूद व सलाम आप के समक्ष पेश किया जाता है।

पाँचवां भाग: उन लोगों की दलीलों का खण्डन जो कहते हैं कि इस उम्मत अथवा अरब द्वीप में शिर्क नहीं पनप सकता (एक अध्याय)

२३- इस उम्मत के कुछ लोग वसन (मूर्ति) की पूजा करेंगे

- इस अध्याय के द्वारा उन लोगों के दलीलों का खंडन किया है जो कहते हैं कि: उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में शिर्क नहीं पनप सकता, क्योंकि यह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» "**शैतान इस बात से निराश हो चुका है कि अरब द्वीप में नमाज़ पढ़ने वाले लोग उसकी इबादत व उपासना करेंगे**" के कारण मासूम व निष्पाप हो चुकी है।
- उनके इस शुब्हा (दुविधा, शंका) का मुजमल (संक्षिप्त) उत्तर यह है कि: यह मुहकम (स्पष्ट) को छोड़ कर मुतशाबेह (मिलती-जुलती, दुविधा में डालने वाली चीज़) का अनुसरण करना है। तथा इसका मुफ़स्सल (विस्तृत) उत्तर निम्नांकित है:
  1. शैतान के निराश हो जाने की सूचना देना, शिर्क के न पाये जाने का प्रमाण नहीं है।
  2. शैतान नमाज़ियों से निराश हो चुका है ग़ैर नमाज़ियों से नहीं, और नमाज़ी व्यक्ति (साधारण्यता) मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होता है।
  3. यह समझ क़ुरआन व ह़दीस़ के अन्य बहुतेरे नुसूस (दलीलें, प्रमाण, साक्ष्य) के विपरीत है।
  4. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अरब द्वीप में मुर्तद (विधर्मी) लोगों से उनके शिर्क के कारण युद्ध किया।
  5. वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है, अतः -उदाहरण स्वरूप- आप अरब द्वीप में भी बहुतेरे लोगों को ग़ैरुल्लाह के नाम पर बलि चढ़ाते हुए देखेंगे।
  6. यह बात शैतान के दिल में आई, किंतु इसके बावजूद उसने आदम की संतान को दिग्भ्रमित करना नहीं छोड़ा।
  7. जब विजय पताका फहराने लगा तथा झुंड के झुंड इसलाम स्वीकार करने करने लगे तब यह बात सामने आई।
  8. उलेमा ने बहुतेरे ऐसी बातों का वर्णन किया है जिनके आधार पर बहुत सारे लोग मुर्तद हैं यद्यपि वह अरब द्वीप ही में क्यों न रहते हों।
- जिसने यह दावा किया कि (अत्यंत झूठा व्यक्ति) मुसैलमा नबी है वह काफिर है और कलमा -ए- शहादत उसके लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है, तो जो तीजानी (और उन जैसे लोगों) को अल्लाह के समान माने, क्या वह काफिर नहीं है? यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है!!

  लेखक रह़िमहुल्लाह ने इन आयात का उल्लेख इस अध्याय में क्यों किया है जब्कि सामान्यतः इसका अध्याय से स्पष्ट संबंध दिखाई नहीं देता?
- लेखक महोदय का आशय अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ से स्पष्ट होता है, अतः ये आयात अध्याय के बिल्कुल अनुकूल हैं।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ अंश मिला है? जो जिब्त (मूर्ति) तथा ताग़ूत (बातिल) पर ईमान रखते हैं)।

२- तथा अल्लाह तआला का कथन है: ﴿قُلۡ هَلۡ أُنَبِّئُكُم بِشَرّٖ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيۡهِ وَجَعَلَ مِنۡهُمُ ٱلۡقِرَدَةَ وَٱلۡخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَۚ﴾ (कह दीजिये कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ? कि उससे भी अधिक बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के निकट कौन है? वह जिस पर अल्लाह तआला ने लानत भेजी तथा उस पर क्रोधित हुआ एवं उनमें से कुछ को बंदर तथा सूअर बना दिया और जिन्होंने ताग़ूत की उपासना की)।

- ﴿أَلَمۡ تَرَ﴾: यह इस्तिफ़हाम (प्रश्नवाचक संज्ञा) साबित करने तथा आश्चर्य प्रकट करने के लिए है, उस व्यक्ति के लिए जिसको इसके द्वारा संबोधित करना सही है।
- ﴿أُوتُواْ﴾: यह أُعطوا (दिया गया) के अर्थ में है, उन्हें सम्पूर्ण पुस्तक नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके पापों के कारण उन्हे इससे वंचित कर दिया गया था।
- ﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾: उन पर ईमान लाने का अर्थ है कि वो उनको सत्य मानते हैं तथा उनका इंकार करने के स्थान पर उनको प्रमाणित करते हैं।

प्रथम आयत (श्लोक) से चयनित कुछ फायदे:

1. बड़ा आश्चर्यजनक है कि किसी व्यक्ति को किताब का कुछ अंश दिया जाये इसके बावजूद वह मूर्ति तथा बातिल (मिथ्य) माबूदों (उपास्यों) पर ईमान रखे।
2. ज्ञान का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह ज्ञान उस ज्ञानी को कुकर्मों से बचा कर रखेगा।
3. बुत (मूर्ति) तथा बातिल (मिथ्या) माबूदों (पूज्यों) का इंकार वाजिब व अपरिहार्य है, किसी भी स्थिति में उनका इक़रार करना व उन्हें प्रमाणित करना जायज़ नहीं है।
4. इस उम्मत के भी कुछ लोग जिब्त और ताग़ूत पर ईमान लायेंगे जैसाकि बनी इस्राईल में हुआ।

- ﴿قُلۡ هَلۡ أُنَبِّئُكُم﴾: यह संबोधन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है उन यहूदियों पर रद्द करने के लिए जिन्होंने इस्लाम धर्म को उपहास तथा खेल-कूद का मुद्दा बना लिया था, तथा इस्तिफ़हाम यहाँ साबित करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए है।

द्वीतिय आयत (श्लोक) से चयनित कुछ फायदे:

1- विरोधियों को चित करने के लिए ऐसे प्रमाण लाना जिसका इंकार करना उनके लिए असंभव हो, चूँकि यहूदी जानते थे कि उनके अंदर एक ऐसा समुदाय था जो अल्लाह के कोप भाजन बने थे तथा अल्लाह ने उन्हें धिक्कारा था और उनमें से कुछ को बंदर तथा सूअर बना दिया था, जब वह इस बात को मानते हैं और इसके बावजूद मुसलमानों का उपहास उड़ाते हैं तो हम उनसे कहेंगे कि: जिन पर अल्लाह का प्रकोप उतरा (अर्थात यहूद) वह उपहास के अधिक पात्र हैं।

2- अल्लाह के निकट लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं उनके ईमान में ज़्यादती अथवा कमी एवं उस पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर।

3- यहूदियों की दुर्दशा का वर्णन कि वह ऐसा समुदाय है जिन्हें अल्लाह ने दंड स्वरूप धिक्कारा, उनका रूप बदल दिया, और यह कि उन्होंने ताग़ूत (मिथ्य उपास्यों) की उपासना की।

4- अल्लाह तआला के लिए ऐच्छिक कार्यों (इख़्त्यारी अफ़आल) का वर्णन, जैसे धिक्कारना, क्रोधित होना, तथा क़ुदरत एवं अधिकार वाला होना, और वह जो चाहता है करता है।

5- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا» "**प्रत्येक वह (उम्मत व समुदाय) जिसका रूप बदल दिया गया, अल्लाह तआला ने ना तो उसके संतान बनाए और ना ही उनका वंश बाकी रहा**", अर्थात अभी जो बंदर हम देखते हैं वह उनके वंश से नहीं हैं बल्कि ये उससे पहले से मौजूद हैं।

6- दंड का आधार होता है जैसे को तैसा, क्योंकि यहूदियों ने ऐसा कृत्य किया था जो ऊपरी तौर पर तो जायज़ दिखाई देता था जब्कि वास्तव में वह ह़राम एवं वर्जित था।

तीसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾(जो लोग उन पर प्रभुत्व पा गये उन्होंने कहा हम उनके ऊपर मस्जिद बनायेंगे)

- ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟﴾: शासकों ने यह बात प्रतिज्ञा करते हुए ताकीदी तौर पर कही थी।

1. अस़हाबे कहफ़ (गुफा वाले) की कथा में अल्लाह तआला के सम्पूर्ण क़ुदरत (अधिकार) को प्रमाणित करने वाली बहुतेरी आयात (निशानियाँ) तथा चिन्ह हैं।
2. क़ब्रों पर मस्जिद बनाने के कारणों में से एक कारण क़ब्र वालों के प्रति ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करना भी है।
3. क़ब्रों के प्रति ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करना यद्यपि उसकी मात्रा कम ही क्यों न हो तथापि यदा-कदा उससे बड़ी व संगीन चीज़ों तक पहुँचा देता है।

चौथी व पाँचवीं दलील:

४- अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، "**तुम पहले लोगों का अनुसरण करते हुए वैसे ही हो जाओगे जैसे एक तीर दूसरे तीर के समान होता है, यहाँ तक कि अगर वो गोह (सान्डहा) के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी उसके बिल में घुसोगे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा: अल्लाह के रसूल क्या आपका अभिप्राय यहूदी व ईसाई हैं? तो आपने फरमाया: फिर और कौन।**"। बुख़ारी तथा मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।

५- सही मुस्लिम मे स़ौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» "**अल्लाह तआला ने मेरे लिए धरती को समेट दिया यहाँ तक कि मैंने उसके पूर्व तथा पश्चिम को देखा, और मेरी उम्मत का शासन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक की धरती मेरे लिए समेटी गई थी, तथा मुझे दो ख़ज़ाने (कोष) दिये गये, लाल और सफेद, एवं मैंने अपने रब (प्रभू) से अपनी उम्मत के लिए दुआ माँगी कि: उसे आम भूख-मरी (सुखाड़) से नाश न करे, तथा उसके सिवाय उस पर किसी ऐसे शत्रु का प्रभुत्व न दे जो उसका सफाया कर दे, तो मेरे रब (पालनहार) ने कहा: हे मुहम्मद, जब मैं कोई निर्णय ले लेता हूँ तो वह बदलती नहीं है, मैं आपकी उम्मत के लिए यह वचन देता हूँ कि आम भूख-मरी से उसका नाश नहीं करूँगा, तथा उन पर उनके सिवाय किसी ऐसे शत्रु को प्रभुत्व नहीं दूँगा जो उसका सर्वनाश कर दे यद्यपि समस्त संसार मिल कर ही क्यों न ऐसा करना चाहे, यहाँ तक कि वो स्वयं एक-दूसरे का नाश करेंगे तथा एक-दूजे को बंदी बनायेंगे**"।

तथा इसे ह़ाफ़िज़ बुर्क़ानी ने अपनी पुस्तक (अल-सहीह) में रिवायत किया है एवं निम्नांकित वाक्यों की बढ़ोतरी की है:

«وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْـمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْـحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْـمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي،

وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْـحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» "मैं अपनी उम्मत पर गुमराह करने वाले इमामों (शासकों एवं बुद्धिजीवियों) से डरता हूँ, और जब उनके बीच एक बार तलवार निकल पड़ेगी तो क़्यामत (महा प्रलय) तक यह मियान के अंदर नही जायेगी, और क़्यामत उस समय तक नहीं आयेगी जब तक मेरी उम्मत का एक समूह मुश्रिकों से न मिल जाये और मेरी उम्मत के बहुत से गिरोह मूर्तियाँ न पूजने लगें, तथा निश्चय ही मेरी उम्मत में तीस महा झूठे पैदा होंगे सब के सब नबी होने का दावा करेंगे, और मैं अंतिम नबी (संदेष्टा) हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आयेगा, और मेरी उम्मत में से एक समूह सर्वदा सत्य पर स्थिर तथा विजयी रहेगा (अल्लाह की ओर से उनकी सहायता होती रहेगी) और उन्हें छोड़ कर जाने वाले उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का आदेश (महा प्रलय) आ जायेगा"।

- «سَنَنَ»: अरबी वर्णमाला के एक व्यंजन "सीन" के ज़बर के साथ अर्थ होगाः मार्ग एवं पथ, और "सीन" के पेश के साथ अर्थ होगाः तरीक़ा एवं ढ़ंग।
- «حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ»: अरबी भाषा के शब्द "अल-क़ुज़्जा" का अर्थ होता हैः तीर का पर, अत्याधिक रूप से समानता पाये जाने के कारण इससे उपमा दी गई हैः

  1- इस उम्मत के कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करेंगे क्योंकि यह हमसे पहले के लोगों का मार्ग है, और हम उनके मार्ग का पूर्णरूपेण अनुसरण करेंगे।

  2- पिछले समुदायों के उन तरीकों का ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है जिनसे बचना वाजिब है ताकि उनसे बचा जा सके, और उनमें से अधिकांश चीज़ें क़ुरआन व ह़दीस़ में उपलब्ध हैं, अतः अल्लाह की अवज्ञा में हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे।

  3- सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए यह बात अचंभित करने वाली थी हम (उनके बाद के लोग) हिदायत आ जाने के बाद भी अपने से पहले लोगों के तरीक़ों का अनुसरण करेंगे।

  4- ज्यों-ज्यों लोगों और रिसालत (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल बनाने का युग) की अवधि के मध्य दूरी बढ़ती जायेगी त्यों-त्यों ज़माना ह़क़ (सत्य) से दूर होता चला जायेगा।
- «زَوَى»: संग्रहित किया तथा समेट दिया।
- «الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ»: सोना एवं चाँदी, इससे अभिप्राय क़ैसर व किसरा के ख़ज़ाने (कोष) हैं।
- «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तीन चीज़ों की दुआ मांगी थी जिनमें से दो आपको दिया गया तथा तीसरे से रोक दिया गयाः

1- आपकी उम्मत को आम भूख-मरी के द्वारा नाश न करे, अतः अल्लाह तआला समस्त उम्मत पर सामान्य रूप से सुखाड़ एवं क़हत नाज़िल नहीं फरमायेगा।

2- कुफ्फार को सारी उम्मते इस्लामिया पर व्यापक रूप से प्रभुत्व नहीं दिया जायेगा।

3- यह उम्मत गृह-युद्ध का शिकार न हो, इस अंतिम प्रार्थना को अल्लाह तआला ने अस्वीकार कर दिया।

- «الأَئِمَّة الْـمُضِلِّين»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने भय एवं डर का केंद्र-बिंदु गुमराह करने वाले इमामों को क़रार दिया है, और इमाम (अगुवा) या तोः

1. ख़ैर भलाई एवं पुनीत कार्यों में होगाः ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (और जब उन लोगों ने सब्र किया (धैर्य रखा) तो हमने उनमें ऐसे पेशवा (अगुवा, मुखिया) बनाए जो हमारे आदेश से लोगों का मार्गदर्शन करते थे, और वह हमारी आयतों (श्लोकों) पर यक़ीन एवं विश्वास रखते थे)।

2. अथवा बुराई एवं कुकर्मों में होगाः ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ﴾ (और हमने उनको (गुमराहों) का पेशवा बनाया कि (लोगों को) नरक की ओर बुलाते हैं, और क़यामत के दिन (ऐसे निःसहाय होंगे कि) उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जायेगी)।

- «وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ»: उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद से आज तक यही मामला चला आ रहा है।
- «وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ»: यहाँ तक कि मेरी उम्मत का एक समूह मूर्तियों की पूजा करने लगे।
- «كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ»: यह या तो बाहुल्यता बताने के लिए है अथवा सीमित करने के अर्थ में है (अर्थात इससे आपका अभिप्राय या तो यह था कि ऐसे बहुत ज़्यादा झूठे लोग होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे या फिर यह था कि वो तीस ही की संख्या में होंगे न उससे कम न उससे अधिक)।

मसाइल:

पहला: सूरह निसा की आयत (﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरह माइदा की आयत (﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: सूरह कहफ की आयत ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ की तफ़्सीर (चूँकि पिछली उम्मतों ने मूर्तियों एवं वल्सन की उपासना की अतः इस उम्मत मे भी ऐसे लोग पाये जायेंगे जो मूर्तियों और वल्सन की उपासना करेंगे)।

चौथा: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिब्त (बुत) और ताग़ूत (शैतान) पर ईमान लाने का क्या अर्थ है?

क्या इसका अर्थ दिल से इसको मानना है अथवा इससे घृणा रखते हुए उसको असत्य मानते हुए दिखावे के तौर पर उसका साथ देना है (१- यदि उसको सही मानते हुए उसका समर्थन करेगा तो काफिर होगा। २- और यदि उसको सही न मानते हुए उसका समर्थन करेगा तो काफिर नहीं होगा)।

पाँचवां: उन (यहूदियों) का यह कथन भी पता चला कि अपने कुफ्र से भली-भांति परिचित कुफ्फार, ईमान वालों से ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं (अर्थात ऐसा कहना कुफ्र व रिद्दत (विधर्म) है, ईमान पर कुफ्र को प्राथमिकता देने के कारण)।

छठा: एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसला जो इस अध्याय का शीर्षक एवं अभिप्राय है, कि ऐसा समूह हरेक युग में मौजूद रहेगा जैसाकि अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में इसका स्पष्ट वर्णन विद्यमान है (अतः इससे डरते रहना चाहिए)।

सातवाँ: इस बात का स्पष्टीकरण कि इस उम्मत के बहुत से समूह मूर्तियों की पूजा करेंगे।

आठवाँ: सबसे विचित्र बात ऐसे व्यक्ति का निकलना है जो नबूवत का दावा करेगा, जैसे मुख़तार हालाँकि वह तौहीद व रिसालत का इक़रार करता था और इस उम्मत में से होने का दावा करता था और यह भी मानता था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे हैं और क़ुरआन सच्ची किताब है और उस क़ुरआन में यह भी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अंतिम नबी हैं, उसकी बातों में इतना विरोधाभास होने के बावजूद लोग उसको सच्चा मानते थे, वह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अंतिम युग में प्रकट हुआ और बहुत से समूहों ने उसका अनुकरण किया (मुख़तार से अभिप्रायः मुख़तार बिन अबी उबैद सक़फी है)।

नौवाँ: यह शुभ-सूचना कि सत्य पूर्णतः समाप्त नहीं होगा जैसा पहले युगों में हुआ, बल्कि एक गिरोह सदा उस सत्य पर क़ायम रहेगा (अर्थात इस उम्मत में एक समूह होगा जिसकी क़यामत तक सहायता की जायेगी)।

दसवाँ: हक़ (सत्य) पर रहने वालों की एक बड़ी निशानी यह है कि उनको छोड़ कर जाने वालों से उन्हें कोई फर्क़ नहीं पड़ेगा और उसके विरोधी उसका कुछ भी हानि नहीं कर पायंगे।

ग्यारह्वाँ: अहले हक़ का अस्तित्व क़यामत (के निकट होने) तक रहेगा।

बारह्वाँ: उपरोक्त हदीस में निम्नांकित बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह सूचना देना कि अल्लाह तआला ने आपके लिए पूर्व तथा पश्चिम को समेट दिया और आपने जैसी सूचना दी थी शब्दशः वैसा ही हुआ, उत्तर एवं दक्षिण के विपरीत (कि आपने इसके संबंध में कुछ नहीं बताया था)। आपका यह बताना के उम्मत के विषय में आपकी दो दुआ स्वीकार कर ली गई हैं। तथा आपका यह फरमाना कि आपकी तीसरी दुआ अस्वीकार हो गई। आपका यह सूचना देना कि मेरी उम्मत में यदि तलवार निकल जायेगी तो क़यामत तक नहीं रुकेगी। आपका यह सूचना देना कि वे एक-दूसरे से मार-काट करेंगे। आपका यह बताना कि वे एक-दूसरे को बंदी बनायेंगे। आपका अपनी उम्मत पर गुमराह इमामों से भय खाना। आपका यह सूचना देना कि इस उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार पैदा होंगे। आपका यह सूचना देना कि इस उम्मत में एक विजयी गिरोह सदा मौजूद रहेगा। और यह सभी भविष्यवाणियां शब्दशः सच्ची साबित हुईं; हालांकि बोद्धिक रूप से इन सभी का ज्यों का त्यों घटित होना बड़ा कठिन एवं असंभव सा प्रतीत होता है।

तेरह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मात्र उम्मत के गुमराह पेशवाओं से डर महसूस किया।

चौदह्वाँ: मूर्ति पूजा के सही अर्थों की ओर ध्यानाकर्षण किया है (कि यह केवल मूर्तियों के लिए रुकू एवं सज्दा करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु गुमराह लोगों का अनुसरण करना भी इसमें दाख़िल है)।

चौथे तथा पाँचवें भाग से परीक्षा (५ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: इन दोनों पाठों के हरेक अध्याय का किताब से संबंध स्पष्ट करें:		
क्र.	अध्याय का शीर्षक	लेखक का इस अध्याय में उल्लेख करने का कारण
1-	.....	.....
2-	.....	.....
3-	.....	.....
4-	.....	.....
5-	.....	.....

द्वितीय प्रश्न: (☒) का चिह्न उचित स्थान पर लगायें अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1- भूत काल से लेकर वर्तमान काल तक शिर्क का मूल कारण नेक लोगों के संबंध में ग़ुलू करना है: ☐ सही ☐ गलत।

2- ग़ुलू कहते हैं: ..... और इसके नकारात्मक प्रभाव में से है: .....

3- क़ब्र का फित्ना बुत के फित्ना की तरह है, बल्कि उससे भी संगीन है: ☐ सही ☐ गलत।

4- क़ब्रों की साज-सज्जा करना, उस पर दीप प्रज्वलित करना, उसको चूना करना, उस पर शिलालेख लगाना, उसकी चौहद्दी करना, उसके दर्शन के लिए आने वालों की आव-भगत करना, और मुजाविरीन (धूनी रमाने वालों) को नक़्दी उपहार आदि देना: ☐ वाजिब है ☐ ह़राम (वर्जित) है।

5- लेखक ने कहा है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की ज़ियारत करना सर्वोत्तम कर्मों में से है: ☐ सही ☐ गलत।

6- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबंधित भग्नावशेषों की खोज-बीन करना: ☐ मुसतहब है ☐ इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है ☐ ह़राम एवं वर्जित है।

7- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत पर भय को इस चीज़ में सीमित कर दिया है:

.....

8- लेखक रह़िमहुल्लाह का तीन आयतों को "इस उम्मत के कुछ लोग बुतों की इबादत करेंगे" के तहत उल्लेख करने का कारण: ☐ इसका अध्याय से कोई संबंध नहीं है ☐ ह़दीस़ से इसका स्पष्टीकरण होता है ☐ यह कुछ लिपिकार की गलती है।

9- नेक लोगों के बारे में लोगों के प्रकार: ☐ अति, न्यून एवं संतुलित ☐ ग़ुलू एवं अपमान करने वाले।

10- नेक लोगों से प्रेम दिखलाने का तरीका है, उनके लिए दुआ, उनका बचाव करना तथा उनसे ज्ञान अर्जित करना:

☐ सही ☐ गलत।

11- नेक लोगों के बारे में ग़ुलू करना ही केवल कुफ़्र का सबब नहीं है लेकिन यह सबसे संगीन है: ☐ सही ☐ गलत।

12- क्या इबादत में ग़ुलू समा सकता है? ☐ हाँ ☐ नहीं।

13- बंदा यदि नेक लोगों को देखने के बाद ही अल्लाह का स्मरण करे तो ऐसी इबादत या तो अपूर्ण है अथवा व्यर्थ है: ☐ सही ☐ गलत।

14- «عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सबसे सटीक एवं सम्मान सूचक गुण है: ☐ सही ☐ गलत।

15- الإطراء (अल-इतरा, ग़ुलू) कहते हैं: ..... इसका उदाहरण है: .....

16- «لَا تُطْرُونِي» इसमें ईसाई की तरह अतिश्योक्ति या उससे कम सभी समाहित हैं: ☐ सही ☐ गलत।

17- ग़ुलू होता है: ☐ प्रशंसा में ☐ इबादत में ☐ कर्म में ☐ उक्त सभी।

18- «الْـــــمُتَنَطِّعُونَ» कौन हैं? .....

.....

19- «أَهْلَكَ» से अभिप्राय है: ☐ दीन का नाश ☐ शरीर का नाश ☐ उक्त सभी।

20- अल्लाह का दीन ग़ुलू एवं हीनता से पाक है: ☐ सही ☐ गलत।

21- تنطع (तनत्तुअ) होता है: ☐ बात-चीत में ☐ वाणी में ☐ उक्त सभी।

22- उम्मत एकमत है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सिर था जब्कि वास्तव में उनके पाँच सिर थे: ☐ सही ☐ गलत।

23- इस धरा पर पाया जाने वाला सर्वप्रथम शिर्क ☐ आदम ☐ नूह ☐ इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम ☐ के समुदाय में पाया गया।

24- नबियों के दीन को सर्वप्रथम जिस चीज़ के द्वारा बदल दिया गया वह शिर्क था और इसका कारण नेक लोगों (साधु-संतों) के बारे में अतिश्योक्ति का शिकार होना था: ☐ सही ☐ गलत।

25- दीन को बिदअत के द्वारा सशक्त करने के प्रयास से होने वाली हानि उसके लाभ से कहीं अधिक है: ☐ सही ☐ गलत।

26- हरेक वह चीज़ जिसको उत्सव बना लिया जाये इस तौर पर कि प्रत्येक वर्ष अथवा सप्ताह उसको दोहराया जाये, तो ऐसा करना: ☐ बिदअत है ☐ जायज़ है ☐ सुन्नत है।

27- बिदअत, कुफ़्र का सबब है: ☐ सही है ☐ गलत है क्योंकि अल्लाह के साथ कुफ़्र करने के अनेक कारण हैं।

28- इल्म के गुम हो जाने का कारण है: ☐ उलेमा की मृत्यु ☐ उससे विमुखता प्रकट करना ☐ सांसारिक मोह-

माया ☐ उक्त सभी।

29- क़ब्रों की ज़ियारत करना: ☐ शिर्क है ☐ बिदअत है ☐ शरीअत से प्रमाणित है ☐ उक्त सभी।

30- ऐसी ज़ियारत जिसका उद्देश्य मुर्दों को लाभ पहुँचाना और इबरत पकड़ना हो तो: (☐ सही है ☐ गलत है), और ऐसी ज़ियारत जिसका उद्देश्य शरई तौर पर मूर्दों से लाभ लेना हो तो: (☐ सही है ☐ गलत है)।

31- हरेक वह चीज़ जो इंसान को दीन से रोकने का सबब बने वह: ☐ बिदअत है ☐ फित्ना है ☐ ख़ुराफात है।

32- «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ»: ☐ यह उन पर बद्दुआ है ☐ यह अल्लाह के लानत की सूचना देना है ☐ दोनों संभव है।

33- क़ब्रों को मस्जिद बनाना: ☐ उस पर सज्दा करके ☐ उस पर मस्जिद तामीर करके ☐ उक्त सभी।

34- «خُشِيَ» पेश के साथ पढ़ने का अर्थ होगा कि डरने वाले: ☐ नबी थे ☐ सहाबा थे।

35- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र इसलिए प्रकट नहीं की गई कि: ☐خُشِيَ ☐خَشِيَ ☐ नबी जहाँ मरते हैं वहीं उनकी समाधि बनती है ☐ उक्त सभी।

36- आपकी क़ब्र प्रकट की गयी का अर्थ है: .....

37- यह कहना कि नबी "ख़बीबुल्लाह" हैं: ☐ जायज़ है ☐ यह आपकी शान कम करके आँकना है: ☐ मुस्तहब है।

38- यह कहना कि: इब्राहीम अलैहिस्सलाम "ख़लीलुल्लाह" हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम "ख़बीबुल्लाह" हैं: ☐ जायज़ है ☐ मुस्तहब है ☐ नाजायज़ है।

39- "ख़ुल्लत (ख़लील -मित्र- होना)" साबित है केवल: ☐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ☐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दोनों के लिए ☐ इन दोनों के लिए तथा इनके अतिरिक्त अन्य के लिए भी।

40- किसी ने क़ब्र पर मस्जिद बना ली तो: ☐ क़ब्र को उखाड़ दिया जायेगा ☐ मस्जिद गिरा दी जायेगी जब्कि क़ब्र बाकी रहेगी।

41- नमाज़ जायज़ नहीं है क़ब्र: ☐ की तरफ ☐ पर ☐ में ☐ उक्त सभी।

42- लोगों के दर्जा में विभिन्नता होती है: ☐ भलाई में ☐ बुराई में ☐ उक्त सभी।

43- सर्वाधिक बुरे वो लोग हैं: ☐ जिनके समय क़यमत आयेगी ☐ जो क़ब्रों को मस्जिद बनाते हैं ☐ सभी।

44- दूर रहना वाजिब है: ☐ शिर्क से ☐ उसके कारणों से ☐ उक्त सभी।

45- क़ब्र के पास सदक़ा करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि वहाँ पर केवल नमाज़ पढ़ने से रोका गया है: ☐ सही ☐ गलत।

46- मुश्रिकीन की नकल करना उसी समय कबीरा गुनाह माना जायेगा जब: ☐ नकल करना उद्देश्य हो ☐ ऐसा चाहे सउद्देश्य किया गया हो या यूँही दोनों में कोई अंतर नहीं है।

47- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को मस्जिद बनाने से रोका था: ☐ अपने जीवन काल में ही ☐ अपनी मृत्यु से पाँच दिन पूर्व ☐ मृत्यु शय्या पर ☐ उक्त सभी।

48- ईमान तथा सदकर्म की श्रेष्ठता समस्त श्रेष्ठताओं से बढ़ कर है: ☐ सही ☐ गलत।

49- «لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا»: ☐ नबी की यह दुआ स्वीकृत हुई ☐ अल्लाह की हिकमत इसके विपरीत थी।

50- महिलाओं का कब्रों की ज़ियारत करना कबीरा गुनाहों में से है: ☐ सही ☐ गलत।

51- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने: ☐ चमन -ए- तौहीद की रक्षा की ☐ हरेक उस द्वार को बंद कर दिया जो उस तक जाता हो ☐ उक्त सभी।

52- «بُيُوتَكُمْ قُبُورًا» अर्थात: ☐ उसमें मृतकों को दफन न करो ☐ उसमें नमाज़ पढ़ना न छोड़ो ☐ उक्त सभी।

53- हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए न तो यात्रा करें और न ही बारंबार आपकी क़ब्र पर आयें: ☐ सही ☐ गलत।

54- नबी पर दरूद व सलाम भेजा जायेगा: ☐ आपकी क़ब्र के पास, अतः मदीना आने वाले प्रत्येक यात्री को आपकी कब्र के पास उसकी ओर से दरूद व सलाम भेजने के लिए कहा जायेगा ☐ किसी भी स्थान से (तुम और स्पेन में रहने वाले दोनों समान हैं)।

55- «قَبْرِي عِيدًا» अर्थात: .....

56- इस उम्मत में शिर्क का पाया जाना असंभव है क्योंकि यह उम्मत इससे महफूज़ है: ☐ सही ☐ गलत।

57- उन्हें सम्पूर्ण किताब नहीं दी गई बल्कि उनके कुकर्मों के कारण इससे वंचित कर दिया गया: ☐ सही ☐ गलत।

58- ज्ञान, ज्ञानी को कुकर्म करने से नहीं रोकता है: ☐सही ☐ गलत।

59- क्या ये बंदर तथा सूअर उसी समूदाय से हैं जिसका रूप बदल दिया गया था? ☐ सही ☐ गलत।

60- क़ब्रों के प्रति अतिश्योक्ति करने की मात्रा यद्यपि कम ही क्यों न हो, अधिकतर संगीन मामलों तक पहुँचा देता है: ☐ सही ☐ गलत।

61- इस उम्मत में पाये जाने वाले कुकर्मों का सिरा पिछली उम्मतों से जा मिलता है: ☐ सही ☐ गलत।

62- उम्मत जब बंट गई तथा एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने उन पर शत्रुओं को प्रभुत्व दे दिया: ☐ सही ☐ गलत।

63- इमाम या तो: ☐ केवल भलाई में होगा ☐ भलाई एवं बुराई दोनों में।

64- इस उम्मत पर सर्वाधिक डरा जाता है: ☐ बुरे इमाम से ☐ यहूदी व ईसाई के अनुसरण से।

65- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह दो प्रार्थनायें स्वीकृत हुई : .....और यह तीसरी नहीं हुई: .....

छठा भाग: शैतानी कृत्य (७ अध्याय)

२४- जादू का बयान

- बिना शिर्क किये जादू अंसभव है, क्योंकि शैतान मानव जाति की सेवा किसी कारणवश ही करता है, और वह कारण है मानव को बहकाना और उसे शिर्क एवं कुकर्मों के दलदल में धकेल देना।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (निश्चय ही उन्हें ज्ञान हो चुका कि जिसने जादू सीखा उसका आख़िरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं)।

2- तथा फरमाया: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (वो जिब्त एवं ताग़ूत पर ईमान रखते हैं), قَالَ عُمَرُ: (الجبتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ)، (الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ) आदरणीय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि:"जिब्त जादू को, तथा ताग़ूत शैतान को कहते हैं", तथा आदरणीय जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: "ताग़ूत वो काहिन (ज्योतिषि) हैं जिन पर शैतान उतरता था, और हरेक मोहल्ले का अलग-अलग काहिन होता था"।

- ﴿اشْتَرَاهُ﴾: (ख़रीदा था) अर्थात सीखा था।
- «الطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ»: यह उदाहरण के द्वारा तफ़्सीर करना है, क्योंकि ताग़ूत शैतान से आम है।

क्या पूर्णरूपेण नसीब (भाग्य) का इंकार किया गया है?

प्रथम कथन: हम वईद वाले नुसूस को मग़फिरत वाले नुसूस के संग एकत्रित करेंगे, इस आधार पर नसीब (भाग्य, हिस्सा) के इंकार में तफ़्सील एवं विस्तार है:

- सम्पूर्ण इंकार होगा: यदि जादू करने के लिए शैतान का सहारा लिया जाये।
- कुछ का इंकार होगा: यदि जादू करने के लिए औषधि एवं जड़ी-बूटी का सहारा लिया जाये।

द्वितीय कथन: वईद (दंड-त्रासन) वाली आयतों को जैसे आया है वैसे ही ग़ुज़ार दिया जायेगा, तथा मग़फिरत (क्षमा) वाली आयतों के संग इसको एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा ताकि इसका महत्व कम ना हो, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ (कि हम तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियां भेजते हैं) क्योंकि अल्लाह ने इसे भेजने का उद्देश्य डराना एवं धमकाना बताया है।

तीसरी दलील:

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाय: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْـمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْـحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ»

"सात विनाशकारी चीज़ों से बचो, लोगों ने कहा: अल्लाह के रसूल वो क्या हैं? आपने फरमाया: अल्लाह का शरीक (साझी) बनाना, जादू करना, अवैध किसी को क़त्ल करना, सूद खाना, अनाथ का धन खाना तथा लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा कर भाग खड़ा होना तथा भोली-भाली पवित्र मुसलमान स्त्रियों पर (व्यभिचार का) आरोप लगाना"।

- «اجْتَنِبُوا» : अर्थात उससे इस प्रकार दूरी बनाये रखो कि तुम एक किनारे हो और वह दूसरे किनारे।
- «السَّبْعَ»: केवल सात ही में सीमित करना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी विनाशकारी पाप हैं।
- «وَأَكْلُ الرِّبَا» : सूद खाने का भावार्थ है सूद लेना, चाहे वह खाने के रूप में हो अथवा बिस्तर इत्यादी के रूप में, और "रिबा (सूद)" कहते हैं: अनुबंध करते समय किसी ऐसी चीज़ में बढ़ा कर लेना जिसमें बराबर-बराबर लेना वाजिब है, तथा जिस चीज़ में वस्तु को अतिशीघ्र अपने क़ब्जे में लेना आवश्यक है उसको लेने में देर करना, इसके दो प्रकार हैं: १- रिबा फ़ज़्ल (अधिकता) २- रिबा नसीआ (देर करना)।
- «وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ» : यतीम (अनाथ) कहते हैं जिसका पिता उसके व्यस्क होने के पूर्व ही मर गया हो।
- «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» : अर्थात जब युद्ध के लिए पंक्ति लग चुकी हो तब वहाँ से भाग खड़ा होना।
- «وَقَذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ» : स्वतंत्र मोमिन महिलाओं पर व्यभिचार का आक्षेप

«وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ» (जिसको क़त्ल करना अवैध है) और यह चार हैं:

मोमिन:	ज़िम्मी:	मुआहद:	मुस्तामन:
अपने ईमान के कारण।	जिज़्या देने के कारण वह मुसलमानों की ज़िम्मेदारी में हो।	मुसलमान तथा उनके मध्य संधि हो कि न हम तुमसे लड़ेंगे और न तुम हम से।	हमारे तथा उनके मध्य अमन मुआहदा हो, व्यापार के उद्देश्य से अथवा इस्लाम सीखने के उद्देशय से।

«إِلَّا بِالْـحَقِّ» (सिवाय हक़ के) और यह तीन हैं:

दीन को छोड़ कर जमात से अलग हो जाने वाला	विवाहेत्तर संबंध	जान के बदले जान

तीन स्थितियों में मैदान छोड़ कर भागना जायज़ है:

जब कुफ्फार मुसलमानों के मुक़ाबले में दुगने से अधिक हों: उस समय मैदान छोड़ कर भागना जायज़ है।

﴿مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ (अपने समूह की ओर शरण लेने आता हो): आवश्यकतानुसार दूसरे समूह से मिल जाये बशर्ते कि इससे लश्कर को कोई हानि न पहुँचे।

﴿مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ (लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने की खातिर): जैसे कोई इस लिये पलटे कि अपनी दशा ठीक करे और हथियार तैयार करे, या फिर इस लिए कि दूसरी ओर से हमला करेगा।

चार से सात तक दलीलें:

४- जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है: "**जादूगर का दंड यह है कि उसे तलवार से क़त्ल कर दिया जाये**"। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा कहा है कि सही बात यह है कि यह मौक़ूफ (सहाबी का कथन) है।

५- सहीह बुख़ारी में बजाला बिन अबदा से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह परवाना जारी किया कि: "प्रत्येक जादूगर एवं जादूगरनी को मार डालो, तो हमने तीन जादूगरनियों को क़त्ल किया"।

६- और हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से सही सनद से प्रमाणित है कि उन्होंने अपनी एक दासी को जिसने उन पर जादू कर दिया था, मार डालने का आदेश दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया।

७- इसी प्रकार जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस प्रकार की एक घटना साबित है, इमाम अहमद कहते हैं: (तीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जादूगर का वध करना साबित है)।

जादूगर का क्या हुक्म है?

द्वितीय कथन: (इमाम शाफई रहिमहुल्लाह का):

और इसी को शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने राजेह कहा (प्राथमिकता दी) है।

शैतान की सहायता से जादू करना:
ऐसा करने वाला मुर्तद (विधर्मी) है उसको तौबा करने के लिए कहा जायेगा, यदि तौबा करले तो फिर उसे हद के तौर पर क़त्ल किया जायेगा क्योंकि वह मुस्लिम है, और यदि तौबा न करे तो इसलिए क़त्ल करेंगे कि वह काफिर व मुर्तद (विधर्मी) है।

दवाई तथा जड़ी-बूटियों की सहायता से जादू करना:
ऐसा करने वाले का हुक्म विद्रोही तथा दूसरों पर अत्याचार करने वाले के समान होगा, और उसे मुस्लिम होने के कारण क़त्ल किया जायेगा।

प्रथम कथन: (मोहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह का):
हरेक प्रकार का जादू कुफ्र है, और जादूगर को बिना तौबा का मौक़ा दिये क़त्ल किया जायेगा।
और उसकी तौबा का मामला अल्लाह के सुपुर्द है।

मसाइल:

पहला: सूरह बक़रह की आयत ﴿وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ﴾ की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरह निसा की आयत ﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾ की तफ़्सीर।

तीसरा: जिब्त तथा ताग़ूत का अर्थ और उन दोनों के मध्य अंतर (**जिब्त कहते हैं:** प्रत्येक उस चीज़ को जिसमें किसी प्रकार की कोई ख़ैर व भलाई (कुशल-मंगल) न हो जैसे जादू इत्यादि, **ताग़ूत कहते हैं:** प्रत्येक उस चीज़ को जिसके द्वारा बंदा अपनी हद फलांग जाये चाहे वो माबूद (उपास्य, पूज्य) हो अथवा पेशवा अथवा हाकिम (शासक))।

चौथा: यह भी प्रमाणित हुआ कि ताग़ूत जिन्न भी होते हैं और इंसान भी (मानव तथा दानव दोनों) (ताग़ूत जब सामान्य रूप में अपने व्यापक अर्थों में बोला जाये तो उससे अभिप्राय जिन्नाती शैतान होते हैं, और जब काहिन (ज्योतिषि) को बोला जाये तो उससे अभिप्राय इंसानी शैतान होते हैं)।

पाँचवां: इससे उन सात कृत्यों का भी पता चला जो अति विनाशकारी तथा विशेष रूप से वर्जित हैं।

छठा: जादूगर (तांत्रिक) काफिर (अधर्मी) है।

सातवाँ: जादूगर को तौबा करने का मौक़ा दिये बिना क़त्ल कर दिया जाये (हद्द, जब इमाम (वर्तमान शासक) तक पहुँच जाये तो फिर मामला धारी (जादूगर) से तौबा नहीं करायी जायेगी बल्कि हर हाल में उसे क़त्ल किया जायेगा, लेकिन जहाँ तक काफिर का मामला है तो उसे तौबा करने के लिए कहा जायेगा)।

(हद्द कहते हैं: उस निश्चित दंड को जो किसी निश्चित अपराध पर दिया जाता है)।

आठवाँ: जादूगर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के युग में मौजूद थे तो उनके बाद के युग में तो और क्या हाल हुआ होगा (इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है)?!

शासक द्वारा जादूगर को क़त्ल करने का फत्वा शरई क़वायद (सिद्धांत) के बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि वह ज़मीन में उपद्रव मचाना चाहता है, बल्कि उसका यह कृत्य फसाद (उपद्रव) का सबसे घृणित रूप है, अतः इमाम के ऊपर उसका क़त्ल करना वाजिब व अपरिहार्य है, और इमाम के लिए किसी भी तरह से जायज़ नहीं है कि वह उसके क़त्ल करने में आना-कानी करे, क्योंकि ऐसे लोग यदि यूँही छोड़ दिये गये तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि उनका फसाद सरहदों को फलांगते हुए फैलता चला जायेगा, और यदि क़त्ल कर दिये गये तो लोग उनकी बुराई से बच जायेंगे, तथा लोगों के दिलों में जादू सीखने के प्रति भय व ख़ौफ़ भी पैदा होगा।

२५- जादू के कुछ भेदों का वर्णन

जादू का उल्लेख करने के पश्चात उसके कुछ भेदों का वर्णन कर रहे हैं ताकि आप को पता चले कि इसके भी कई प्रकार होते हैं, और आप उसको जान कर उससे बचें।

एक से पाँच तक दलीलें:

१- इमाम अहमद कहते हैं कि मुझसे मुहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे औफ़, उनसे हय्यान बिन अलअला, उनसे क़तन बिन क़बीसा ने, उनसे उनके पिता ने बयान किया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुनाः «إِنَّ الْعِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطِّيَرَةَ؛ مِنَ الْجِبْتِ» "**पक्षियों को उड़ाकर शगुन-अपशगुन लेना, रेखा खींचना तथा किसी वस्तु को देख कर उससे अपशगुन लेना, यह सब जादू में से है**", औफ़ कहते हैं: (الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ) "अयाफ़ाः पक्षियों को उड़ा कर अपशगुन लेना, तथाः तर्क़ः ज़मीन पर लकीर खींचना (इल्म -ए- रमल, रेखा शास्त्र) है", وَالْجِبْتُ –قَالَ الْحَسَنُ–: (رَنَّةُ الشَّيْطَانِ) तथा हसन बसरी कहते हैं: "शैतानी चीख़ व पुकार तथा उसका रूदन करना जिब्त है"। इसकी सनद उम्दा है, और इसे अबू दाऊद, नसाई और इब्ने हिब्बान ने अपनी "सहीह" में रिवायत किया है (अर्थातः हसन बसरी का कथन, जब्कि औफ का कथन केवल मुसनद अहमद में है)।

२- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ» "**जिसने तारों के ज्ञान (ज्योतिष विद्या) का कुछ अंश सीखा उसने जादू का कुछ अंश सीखा, जितना अधिक सीखा उतना अधिक उसके गुनाह में बढ़ोतरी होगी**"। इसको अबू दाऊद ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

३- तथा सुनन नसाई में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है किः «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» "जिसने गाँठ लगाकर उसमें फूँका उसने जादू किया और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया, तथा जिसने (बुरी नज़र आदि से बचाव के लिए) कुछ लटकाया उसे उसी के हवाले कर दिया गया"।

४- एवं अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» "**क्या मैं तुझे अल-अज़्ह के विषय में न बताऊँ?** फरमायाः यह चुग़ली करना है, जिससे लोगों के बीच लड़ाई हो जाये"। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है।।

५- बुख़ारी एवं मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» "**कुछ बयान (वक्तव्य में) जादू (जैसा प्रभाव) होता है**"।

- «الْعِيَافَة»: शगुन अथवा अपशगुन लेने के लिए पक्षियों को उड़ाना।
- «وَالطَّرْق»: जादू या ज्योतिष गणना के लिए मिट्टी अथवा बालू पर रेखा खींचना।
- «الطِّيَرَة»: किसी ज्ञात चीज़ के द्वारा अपशकुन लेने को कहते हैं, चाहे उसका संबंध देखने से हो या सुनने से, समय से हो अथवा स्थान से।
- «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ»: अर्थातः शैतानी वसवसा, यह शैतानी विचार एवं उसकी बातें होती हैं।
- «الْعَضْهُ»: यह शब्द काटने एवं जुदाई डालने के अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जादू के अध्याय में इसे उल्लेखित करने का क्या कारण है? उद्देश्य यह बताना है किः फूट डालना ही चुग़लख़ोर और जादूगर का लक्ष्य होता है, यह अलग बात है कि जादूगर की तुलना में चुग़लख़ोर अधिक उपद्रव मचाता है।

इल्म -ए- नुजूम (ज्योतिषशास्त्र) के दो प्रकार हैं:

इल्म -ए- तसयीरः

सितारों की चाल के द्वारा दिशा, समय तथा क़िब्ला के दिशा का निर्धारण करनाः

- **वाजिब हैः** जिसके द्वारा वाजिब परिपूर्ण होता है उसका सीखना भी वाजिब होता है, जैसे कोई सहरा या चटियल मैदान में हो और क़िबला के दिशा का निर्धारण करना चाहता हो।
- **जायज़ हैः** यदि इसका प्रयोग समय एवं स्थान के निर्धारण के लिए हो, ﴿وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (और भी बहुत सारी निशानियाँ बनायीं, और सितारों से भी लोग मार्गदर्शन पाते हैं)।

इल्म -ए- ताऩीरः

सितारों की चाल के द्वारा ज़मीनी घटनाओं का निर्धारण करनाः

- **शिर्क -ए- अकबर हैः** यदि यह अक़ीदा (श्रद्धा) रखे कि सितारे स्वतः अपने आप प्रभावी होते हैं, और यह लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता रखते हैं।
- **शिर्क -ए- अस़्ग़ार हैः** यदि यह अक़ीदा (श्रद्धा) रखे कि सितारे सबब व माध्यम हैं, जब्कि अल्लाह तआला ने उसे ग़ैब के भेद जानने का सबब व माध्यम नहीं बनाया है।

- «الْبَيَان»: मुकम्मल फ़साहत, भाषा पर मज़बूत पकड़, बोल-चाल में स्वाभाविकता तथा प्रवाहशीलता तथा अपनी बात को ऐसे सुंदर एवं मनोहर रूप में प्रस्तुत करने की कला कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाये, उसका दिल बोलने वाले का क़ैदी हो जाये, उसके विचार तक बदल जायें, इसे ही अरबी भाषा में "बयान" कहते हैं, इसके प्रकार निम्नांकित हैं:
  1. प्रशंसनीय हैः यदि इसके द्वारा सच्चाई एवं ह़क़ को साबित किया जाये तथा बातिल (असत्य) का रद्द एवं खण्डन किया जाये।
  2. निंदनीय हैः यदि इसके द्वारा बातिल तथा असत्य को सच बना कर पेश किया जाये तथा सच्चाई एवं ह़क़ का रद्द एवं खण्डन किया जाये।
- **बयान (बखान) का जादू से क्या संबंध है?** क्योंकि बातिल एवं निंदनीय बयान तथा जादू दोनों ही का मुख्य लक्ष्य, सच्चाई को उलट देना होता है।

मसाइल:

पहला: अयाफा (पक्षी उड़ा कर अपशगुन लेना), त़रक़ (रेखाशास्त्र) तथा त़ियरा (सामान्य रूप से भी अपशकुन लेना), जिब्त (जादू) में से है।

दूसरा: इन तीनों की सम्पूर्ण व्याख्या सामने आ चुकी है।

तीसरा: इल्म -ए- नुजूम (ज्योतिषशास्त्र) भी एक प्रकार का जादू ही है।

चौथा: गाँठ (गिरह) लगाना और फूँक मारना भी एक प्रकार का जादू है।

पाँचवां: चुग़ली (पिशुनता) भी जादू का एक प्रकार है (क्योंकि यह भी जादू की भांति ही लोगों के मध्य फूट डालने का काम करता है)।

छठा: कुछ लोगों का ओजस्वी भाषण भी जादू की ही तरह प्रभावी होता है (क्योंकि ओजस्वी वक्ता यदा-कदा लोगों को किसी कार्य के लिए उकसा कर आमादा एवं तत्पर कर देता है, तो वहीं किसी कार्य को अंजाम देने से रोक भी देता है)।

२६- काहिन (भविष्यवक्ता) आदि के विषय में

क्या ही ख़ूब व बेहतर अंदाज़ में लेखक महोदय ने समस्त अध्यायों को क्रमानुसार सजाया है कि जादू तथा उसके कुछ भेदों के उल्लेख के पश्चात, अब काहिन, रम्माल (रेखाशास्त्री) एवं नुजूमी (ज्योतिषी) का उल्लेख कर रहें हैं, और उनके पास जाने की कैफियत, ढ़ंग एवं जाने का हुक्म बयान कर रहे हैं।

एक से चार तक दलीलें:

१- इमाम मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी धर्मपत्नी से रिवायत किया है कि: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» **"जो किसी अर्राफ के पास जाकर कुछ पूछे तथा उसे सत्य मान ले तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ स्वीकार नहीं की जाती"**।

२- और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» **"जो किसी काहिन (भविष्यवक्ता) के पास जाए तथा उसकी बातों को सच्चा माने तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो (शरीअत) उतारी गई उसका इंकार कर दिया"**। इस ह़दीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

३- चारों सुनन वालों एवं ह़ाकिम ने रिवायत किया है (और हाकिम ने कहा है कि इसकी सनद बुख़ारी एवं मुस्लिम के शर्त के अनुसार है): «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» **"जो किसी अर्राफ (अंतर्यामी होने का दावा करने वाला), या काहिन (भविष्यवक्ता) के पास आये तथा उसकी बातों को सच मान ले तो उसने उस (धर्म) को अस्वीकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारा गया है"**।

४- अबू याला ने अपनी मुसनद में उत्तम सनद के साथ इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका कथन इसी प्रकार रिवायत किया है।

- «مَنْ أَتَى»: उसके पास जाने का अर्थ यह है कि वह उसके पास बैठे, या फोन पर संबंध जोड़े, या किसी और को उसके पास भेजे या उससे पत्राचार करे, या ऐसे चैनल, वेबसाइट देखे और पत्रिका पढे, जिसमें विशेष रूप से राशिफल के विषय में लिखा गया हो या उसकी बातों को सुने, इसकी बुराई एवं फसाद बड़ा संगीन एवं खतरनाक है।
- «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ»: नमाज़ का स़वाब (पुण्य) उस बुराई (पाप) के तुल्य हो गया, अर्थात उस पाप ने नमाज़ का स़वाब समाप्त कर दिया (और यह केवल उसके पास जाने भर का दंड है, उसको सच्चा मानने का दंड इससे भी भयानक है)।

- «فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»: अर्थात क़ुरआन का और जो कुछ उसमें है सबका इंकार कर दिया, ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ (कह दीजिये कि आकाश तथा धरती पर रहने वालों में से अल्लाह के सिवाय कोई ग़ैब नहीं जानता) अतः जो अंतर्यामी होने का दावा करने वाले काहिन को सच्चा माने यह जानते हुए भी कि अल्लाह के सिवाय कोई और ग़ैब नहीं जानता, तो वह कुफ्र -ए- अकबर का अपराध करने वाला काफिर है, और यदि वह अज्ञानी हो तथा यह श्रद्धा नहीं रखता हो कि क़ुरआन में झूठ का मिश्रण है तो वह कुफ्र -ए- असग़र का अपराधी माना जायेगा, और कभी-कभी वह शीघ्र ही उसकी बातों को सच नहीं मान लेता बल्कि उसकी कही कोई बात जब ऊपरी तौर पर सच लगती है तो फिर वह उसको सच्चा मान लेता है।
- «عَرَّافًا»: "अर्राफ़" सामान्य रूप से, अंतर्यामी होने का दावा करने वाला, ज्योतिषी तथा रेखाशास्त्री आदि जो भी किसी विशेष भाव-भंगिमाओं तथा पद्धति के द्वारा ग़ैब की बातें जानने का दावा करे सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह शब्द इस प्रकार का दावा करने वाले सभी लोगों को सम्मिलित है।

पाँचवीं दलील:

और इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» **"वह हम में से नहीं जो शगुन ले या जिसके लिए शगुन लिया जाये, या कहानत करे अथवा उसके लिए कहानत किया जाये, या जादू करे अथवा उसके लिये जादू किया जाये, और जो किसी काहिन के पास जाकर उसकी बातों को सच माने तो उसने उस (दीन) को नकार दिया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारा गया"**। इसको बज़्ज़ार ने उत्तम सनद के साथ रिवायत किया है।

छठी दलील:

यही ह़दीस़ इमाम त़बरानी ने "अल-मोजम अल-औसत़" में उत्तम सनद से रिवायत किया है, किंतु उसमें «وَمَنْ أَتَى ...» से अंत तक के शब्द नहीं हैं।

इमाम बग़वी रह़िमहुल्लाह ने कहा है कि: "अर्राफ़ वह है जो अनुमानों द्वारा छिपी बातों (ग़ैब) को बताने का दावा करे जैसे चोरी तथा खोई वस्तु का पता बताये आदि", यह भी कहा गया है कि: अर्राफ़ काहिन है और काहिन वह है जो भविष्य की बातें बताता है, यह भी कहा गया है कि: (काहिन वह है) जो अंतर्यामी होने का दावा करता है और दिल की बातें बताता है।

और अबुल अब्बास इब्ने तैमिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: "अर्राफ़, एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग काहिन, नुजूमी, रम्माल तथा इस प्रकार के अन्य लोगों के लिये किया जाता है जो इन विद्याओं द्वारा छिप्त बातों को जानने का दावा करते हैं"।

- «مَنْ تَطَيَّرَ»: जो स्वयं के लिए अपशगुन ले अथवा दूसरों के लिए ले, इसमें सभी शामिल हैं।
- «أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ»: अर्थातः इस बात का आदेश दे कि उसके लिये अपशगुन लिया जाये, या इस बात से सहमत हो कि उसके लिए अपशगुन लिया जाये।
- «سُحِرَ لَهُ» (जिसके लिए जादू किया जाये): क्योंकि इस प्रकार का कृत्य करने वाले कुछ लोगों के पास जब कोई पति अपनी पत्नी अथवा पत्नी अपने पति की शिकायत (परिवाद) ले कर आती है तो वह कहता है: जो करूँगा मैं करूँगा आप को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे शिकायत लेकर आने वाला व्यक्ति समझता है कि उसके ऊपर इससे कोई पाप नहीं चढ़ेगा।

सातवीं दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं: "जो लोग अबा जाद (अक्षरों की संख्या) लिख कर हिसाब निकालते हैं एवं ज्योतिष विद्या सीखते हैं, मेरे विचार से ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है"।

अबा जाद, सीखने के दे प्रकार हैं:

1. **जायज़:** यदि इसको हम सामान्य गणित तथा इस जैसे अन्य कार्यों के लिए सीखें, और स्मरण रहे कि सदा से उलेमा इसका प्रयोग करते हुये दिनांक इत्यादि लिखते हुये आ रहे हैं।
2. **हराम एवं निषेध:** यदि इसका सीखना सितारों की चाल, उसकी भाव-भंगिमा, तथा उदय एवं अस्त मालूम करने से संबंधित हो।

अर्राफ़ इत्यादि से पूछने का हुक्म:

केवल पूछना भर:	पूछना एवं सच्चा मानना:	जाँचने के लिए पूछना:	उसको झूठा बताने तथा विवशता दिखलाने के लिए पूछना:
कबीरा गुनाह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान: «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» (चालीस दिन तक उसकी नमाज़ स्वीकार नहीं की जाती) के कारण।	कुफ्र -ए- अकबर है, क्योंकि इससे क़ुरआन को झूठा मानना साबित होता है।	जायज़ है, ताकि उसके झूठ में से सच का पता लगाये, ना कि इसलिए कि उसकी बातों को सीख कर स्वयं यही सब करने लग जाये।	यह वांछनीय (मतलूब) अथवा आवश्यक (वाजिब) है बशर्ते कि वह अपने अंदर इसकी क्षमता रखता हो।

जादूगर की निशानियां एवं लक्षण:

1- शरई झाड़-फूँक के शर्तों का विरोध करना।

2- गिरह (गाँठ) लगाकर उसमें फूँक मारना।

3- अधूरे शब्द तथा निरर्थक वाक्य लिखना।

4- दिलों को फेरने या जोड़ने के लिए अमल (तंत्र-मंत्र) करना।

5- सितारों की चाल (इल्म -ए- तासीर) के द्वारा राशिफल एवं क़िस्मत का हाल बतलाना।

6- हाथ की रेखाएं और प्याली पढ़कर किस्मत का हाल बताना।

7- माँ का नाम पता करना।

8- ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने एवं भविष्य बताने) का दावा करना।

9- रोगी को शरीअत के विरुद्ध कोई कार्य करने की आज्ञा देना, जैसे ह़राम कार्य करने, या नमाज़ छोड़ने अथवा बिना बिस्मिल्लाह किए जानवर ज़ब्ह करने के लिए कहना।

10- रोगी का संबंध अल्लाह से जोड़ने के स्थान पर स्वयं से जोड़ना।

11- वह शैतान (दानव, राक्षस) का मित्र होता है।

मसाइल:

पहला: क़ुरआन पर ईमान लाना तथा काहिन की पुष्टि करना, ये दोनों बातें एक साथ एक दिल में एकत्र नहीं हो सकतीं (क्योंकि यह कुफ्र का सबसे बुरा एवं घृणित रूप है)।

दूसरा: इस बात का स्पष्ट वर्णन कि काहिन की पुष्टि करना कुफ्र (अधर्म) है।

तीसरा: जिसके लिए कहानत की जाये उसकी चर्चा (अर्थातः वह भी काहिन के ही समान है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दोनों से बराअत व अलगाव प्रकट किया है)।

चौथा: जिसके लिए अपशकुन लिया जाये उसकी चर्चा।

पाँचवां: जिसके लिए जादू (तंत्र-मंत्र) किया जाए उसकी चर्चा (जो स्वयं अपने लिए ऐसा करवाए, वह भी उतना ही दंड का भागी होगा जितना करने वाला)।

छठा: अबा जाद (संख्या की गणना द्वारा हिसाब निकालने) वाले का हुक्म (इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है)।

सातवाँ: काहिन एवं अर्राफ के मध्य अंतर का वर्णन।

२७- जादू-टोना के द्वारा जादू का उपचार

(मसला बयान करने के लिए) यह अति उत्तम तरतीब व क्रम है, कि जादू का उल्लेख करने के पश्चात अब उसके उपचार के ढ़ंग का उल्लेख कर रहे हैं, और इसमें कोई संशय नहीं कि यदि अल्लाह को प्रसन्न करने की नीयत से जादू किये हुये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) से जादू को शरई ढ़ंग से दूर कर दिया जाये तो यह बड़ी फ़ज़ीलत की बात है।

पहली दलील:

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नुशरा (जादू का इलाज जादू के द्वारा करने) के संबंध में पूछा गया तो आपने फरमाया: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» "**यह शैतानी कार्य है**"। इसको अहमद ने -उत्तम सनद के साथ- और अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

दूसरी दलील:

इमाम अहमद से इस विषय में पूछा गया तो आपने फरमाया: "इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इसे मकरूह (अप्रिय) समझते थे"।

- «النُّشْرَةِ»: अर्थात वह "नुशरा" जो जाहिलीयत वाले युग में प्रसिद्ध एवं प्रचलित था, जिसका प्रयोग वह लोग उस समय करते थे (अर्थात: जादू का उपचार जादू -तंत्र मंत्र- के ही द्वारा करना)।
- «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»: शैतान की ओर इसकी निस्बत करने का उद्देश्य इस की कड़ी निंदा व भर्तसना करना तथा इससे अति घृणा दिलाना है।
- «يَكْرَهُ هٰذا»: पूर्व के उलेमा जब किसी चीज़ को मकरूह कहते थे तो उसका भावार्थ ह़राम (वर्जित) होता था (मकरूह शब्द आज जिन अर्थों में प्रयोग हो रहा है उन अर्थों में नहीं, कि आज कल इस शब्द का प्रयोग अप्रिय के अर्थों में होता है, अर्थात आज कल यह ह़राम से नीचे के दर्जा को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है)।
- «يَكْرَهُ هٰذا كُلَّهُ»: इससे अभिप्राय वह नुशरा है जो शैतानी कृत्य है, अर्थात जादू का उपचार जादू एवं तंत्र-मंत्र से करना।

तीसरी दलील:

बुख़ारी की रिवायत है, क़तादा ने इब्ने मुसय्यिब रहिमहुल्लाह से पूछा कि: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: (لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ) انْتَهَى. यदि किसी पर जादू किया गया हो या ऐसा टोना किया गया हो जिसके कारण वह अपनी पत्नी के पास न जा सकता हो, तो कैसे उसका समाधान करे, क्या नुशरा करे? तो उन्होंने कहा: इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य सुधार करना होता है, लाभदायक चीजों से (शरीअत में) रोका नहीं गया है। उनकी बात समाप्त हो गई।

- «طِبٌّ»: "तिब्ब" अर्थात जादू, यह सर्वविदित है कि "तिब्ब" रोग का उपचार करने को कहते हैं, लेकिन जादू को "तिब्ब" नेक फाल (शगुन) लेते हुए कहा गया है, जैसे "लदीग़" (विषैले सांप के डसे हुए को) "सलीम" (स्वस्थ) और "कसीर" (हड्डी टूटे हुए को) "जबीर" (जिसकी हड्डी जुड़ गई हो) कहा जाता है।
- «يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ»: अर्थात उसको इस प्रकार से रोक दिया जाए कि अपनी पत्नी से सहवास करने में असमर्थ हो, और ऐसा किसी रोग के कारण नहीं हो बल्कि एक प्रकार के जादू के कारण हुआ हो।

चौथी दलील:

हसन बसरी रहिमहुल्लाह से वर्णित है वह कहते हैं कि: (لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ) "जादू को जादूगर ही उतार सकता है"।

इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: जादू किये हुये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) से जादू उतारना "नुशरा" कहलाता है, इसके दो प्रकार हैं:

1- जादू को जादू (तंत्र-मंत्र) से ही दूर करने का प्रयास किया जाये, यह शैतानी कृत्य एवं नाजायज़ है, इस स्थिति में जादू दूर करने वाला तथा जिस पर जादू किया गया है दोनों ही शैतान का सामीप्य प्राप्त करने के लिए उसके कहे अनुसार उसका मनचाहा कार्य करते हैं तथा ऐसे कृत्य अंजाम देते हैं जिनसे प्रसन्न हो कर शैतान जादू किये हुये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) से अपना प्रभाव हटा लेता है। हसन बसरी का कथन इसी पर फिट किया जायेगा।

2- दूसरी क़िस्म यह है कि (शरई) दम -झाड़-फूँक, तअव्वुज़ात (ऐसी दुआएं जिनमें अल्लाह से शरण व पनाह माँगी गई हो) जायज़ औषधियां तथा दुआओं के द्वारा जादू का उपचार किया जाये, यह जायज़ है।

जादू का इलाज जादू से करने को जायज़ कहने वालों पर रद्द:

१- जादू का इलाज जादू से करना, कुरआन व ह़दीस़, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और सलफ रहिमहुमुल्लाह के तरीकों के विरुद्ध है।

२- इसमें क़ुरआन करीम और साबित दुआओं के द्वार उपचार करने की महत्ता को कम करना है।

३- इसमें जादू व जादूगरों का प्रोत्साहन तथा लोगों की दृष्टि में उसे प्रतिष्ठित बनाना है।

४- इसमें क़ुरआन और साबित दुआओं के द्वारा सुनिश्चित उपचार से, जादू जैसे संभावित उपचार की ओर फेरना है।

५- जादू का उपचार जादू से करने के लिए आवश्यक है कि जादूगर तथा रोगी (मोहित) दोनों शैतान का सामीप्य उसकी मनपसंद वस्तुओं के द्वारा हासिल करें, ताकि वह रोगी से जादू के प्रभाव को समाप्त कर दे।

६- जादू का रोगी (मोहित) यदि सब्र करे तो उसके लिए जन्नत है जैसाकि यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है।

७- जादू का उपचार जादू से करने में मोहित के ऊपर फिर से जादू का बोझ डालना है।

८- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, किंतु आपने उसका उपचार जादू से करने की जगह शरई झाड़-फूँक से किया।

मसाइल:

पहला: जादू का उपचार जादू एवं तंत्र-मंत्र से करना वर्जित है।

दूसरा: ह़राम (वर्जित) तथा जायज़ (वैध) उपचार के बीच अंतर को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि समस्त दुविधाओं का निवारण हो जाता है।

(जिन्होंने जादू का इलाज करने की अनुमति दी है उनका तात्पर्य शरई झाड़-फूँक (दम, रुक़्या), अल्लाह तआला से माँगी जाने वाली दुआएं, वैध औषधियां तथा दुआओं के द्वारा उपचार करना है, और जिन लोगों ने जादू का इलाज करने की अनुमति नहीं दी है उनका तात्पर्य जादू का उपचार जादू एवं तंत्र-मंत्र के द्वारा करना है, यह दोनों कथनों के बीच अति उत्तम संतुलित मार्ग है, व्लल्लाहु आलम (अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है)।

२८- अपशगुन लेने के विषय में

- अपशगुन लेना तौहीद के विरुद्ध है: १- क्योंकि अपशगुन लेने वाला अपना तवक्कुल व भरोसा अल्लाह से तोड़ कर ग़ैरुल्लाह पर करने लगता है।
  २- क्योंकि उसने ऐसी चीज़ से अपना संबंध जोड़ा जो वास्तविक न हो कर मिथ्या एवं भ्रमात्मक है, जब्कि तौहीद इबादत व इस्तेआनत (मदद माँगने) का नाम है।
- «التَّطَيُّر» **(अल-ततय्युर) शरीअत के अनुसार कहते है:** किसी चीज़ से अपशगुन लेना, चाहे वह दिखाई देने वाली (दृश्य) हो या सुनाई देने वाली (श्रव्य), या एक निश्चित समय या स्थान से लिया जाये।
  1. दिखाई देने वाली: जैसे किसी ने काला या बिदका हुआ पक्षि देख लिया तो उसे अपशगुन समझा।
  2. सुनाई देने वाली: जैसे किसी ने किसी काम का इरादा बनाया, किंतु किसी को यह कहते हुए सुन लिया: तेरा घाटा हो, तो अब इसे अपशगुन समझ कर उस काम को टाल दिया।
  3. निश्चित समय या स्थान: जैसे किसी निश्चित दिन, मास, वर्ष अथवा स्थान को मन्हूस (अपशगुन) समझना।

पहली व दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (सावधान, उसका अपशगुन (नहूसत) तो वास्तव में अल्लाह के पास है, किंतु उनमें से अधिकतर अनभिज्ञ हैं)।

२- और अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قَالُواْ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ﴾ .الآية। (रसूलों (ईशदूतों) ने कहा: तुम्हारा अपशकुन (मन्हूसियत) तो तुम्हारे साथ लगा हुआ है)।

- ﴿طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾: अर्थात जिस भूख-मरी एवं सुखाड़ का वो सामना करते हैं वो उनके लिए अल्लाह तआला की ओर से भाग्य में लिख दिया गया है, इसका मूसा अलैहिस्सलाम और उनके समुदाय के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, अपितु वास्तविकता तो यह है कि उनका अस्तित्व ख़ैर व भलाई का कारण है।
- ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ﴾: अर्थात वह तुम्हारे साथ लगी हुई हैं, तुम्हें जो कष्ट एवं विपत्ती का सामना करना पड़ रहा है वह तुम्हारे स्वयं के कारण तथा तुम्हारे कर्मों के कारण है, अतः इसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो।

- **दोनों आयतों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है:** पहली आयत यह दर्शाती है कि इन चीज़ों को तक़दीर में लिखने वाला अल्लाह तआला ही है, और दूसरी आयत का अर्थ यह है कि इसका कारण तुम स्वयं हो कोई और नहीं, दरअसल उनका अपशगुन तथा मन्हूसियत उन्हीं के साथ है, अर्थात उनके साथ लगी हुई एवं चिमटी हुई है।

तीसरी व चौथी दलील:

३- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:«لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ»، أَخْرَجَاهُ، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ» **"रोग में छूआ-छूत नहीं होता, अपशगुन की कोई वास्तविकता नहीं, न उल्लू (के बोलने) का कुप्रभाव होता है और न ही सफर (मास, अपशगुन वाला) है"**। इसको बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है, और मुस्लिम में ये इज़ाफा है: **"नक्षत्र और भूतों का भी कोई अस्तित्व नहीं है"**

४- तथा बुख़ारी एवं मुस्लिम ने ही अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» **"छूत से रोग नहीं होता, न अपशगुन कोई चीज़ है, और मुझे नेक फाल (शुभ-शगुन) लेना प्रिय है, लोगों ने कहा: नेक फाल (शगुन) क्या है? आपने फरमाया: अच्छी व भली बात"**।

- «لَا عَدْوَى»: इसका उद्देश्य जाहिलीयत युग वाले उस अक़ीदा (आस्था) का खंडन करना है कि महामारी स्वतः प्रभावी एवं संक्रामक होती है, या फिर ह़दीस़ का अर्थ यह है कि: संक्रामक रोग स्वतः एक से दूसरे में नहीं फैलती है बल्कि यह अल्लाह के आदेश से ही दूसरों को लगती है।
- «وَلَا هَامَةَ»: "हामा" एक प्रकार का पक्षी है जो उल्लू के समान होता है, या फिर उल्लू को ही "हामा" कहते हैं जिससे वो लोग अपशगुन लेते थे।
- «وَلَا صَفَرَ»: इससे अभिप्राय, या तो:

1- स़फर मास है, क्योंकि अरब इस महीना को अशुभ समझते थे विशेष कर शादी-विवाह के मामले में।
2- या फिर ऊँट के पेट में होने वाला एक रोग है जो एक ऊँट से दूसरे ऊँट मे फैल जाता था।
3- या फिर "नसीअ" (विलंब) है, क्योंकि वो लोग हुरमत वाले (मर्यादित) महीना को विलंब करते हुए बदल कर स़फ़र मास तक ले जाते थे ताकि मुहर्रम में यह लोग युद्ध कर सकें।

- «وَلَا نَوْءَ»: चाँद की मंज़िलों को "नौअ" कहा जाता है, हरेक मंज़िल का अपना एक विशेष तारा होता है, अरब इससे अपशगुन लेते हुए कहते थे: यह तारा अशुभ है, इसमें कोई भलाई नहीं है, इसके विपरीत किसी तारा के बारे में कहते थे: यह शुभ तथा ख़ैर व भलाई वाला तारा है।

- «وَلَا غُولَ»: अरब जब यात्रा करने का इरादा करते तो शैतान उनके सामने रंग बदल-बदल कर आता और उनके दिलों में रोब डाल देता तो वह परेशान होकर जिधर जाने का इरादा होता उसको छोड़ कर बैठ जाते।
- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके प्रभावी होने का खंडन किया है स्वयं उसके अस्तित्व का इंकार नहीं किया है, मोमिन बंदा का हाल यह होता है कि वह यदि कहीं जाने का इरादा करता है तो अल्लाह पर एतमाद व भरोसा करते हुए निश्चिंत भाव के साथ निकल पड़ता है, वह अल्लाह से बदगुमान नहीं होता।
- इन नूसूस (दलीलों) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ...» (यदि कोई चीज़ अशुभ होती तो ...) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकिः

1. यह ह़दीस़ मुताशाबेहात (दुविधा में डालने वाली) में से है, जब्कि अपशगुन लेने की निंदा तथा उसके शिर्क होने को प्रमाणित करने वाली ह़दीस़ मुहकमात (स्पष्ट रूप से बताने वाली) में से है।
2. अपशगुन लेने के जितने भी प्रकार हैं सभी निंदनीय हैं, लाभ पहुँचाने तथा हानि दूर करने का अधिकार केवल अल्लाह तआला के पास है।
3. असबाब (माध्यम) अपनाते हुए एक तक़दीर से भाग कर दूसरी तक़दीर की ओर जाना मशरूअ (जायज़) है, जब्कि अपशगुन लेने का मामला ऐसा नहीं है।
4. इस ह़दीस़ में उल्लेखित मनहूसियत का अर्थ यह है किः यह उस व्यक्ति को लगेगी जो अपशगुन लेगा, लेकिन जो अल्लाह पर आसरा व भरोसा रखे तथा अपशगुन न ले उसे कुछ नहीं होगा।
5. जो अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से किसी चीज़ में डरता है तो उस पर वही चीज़ लाद दी जाती है, जैसे जो व्यक्ति अल्लाह के साथ-साथ ग़ैरुल्लाह से भी मोहब्बत रखता है तो उसे उसी के द्वारा यातना दी जायेगी, और जो अल्लाह के सिवाय किसी और से आशा रखता है वह उसी की ओर से अपमानित किया जाता है। (इसका उल्लेख इब्ने क़ैयिम रह़िमहुल्लाह ने किया है)।

पाँचवीं दलील:

सुनन अबू दाऊद में सही सनद के साथ ऊक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रलूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष अपशगुन की चर्चा चली तो आपने फरमायाः «أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ». **"सबसे बेहतर तो नेक फाल (शगुन) लेना है, और यह किसी मुस्लिम को (उसके उद्देश्य से) रोक नहीं सकता, चुनाँचे जब कोई अप्रिय बात देखे तो उसे यह कहना चाहिये: हे अल्लाह, भलाईयां लाने वाला तू ही है तथा बुराईयां तू ही दूर करता है, तेरी ही सहायता से कार्य शक्ति तथा शारीरिक बल हैं"।**

शगुन एवं	अपशगुन के मध्य अंतर
हरेक दिखने वाली अथवा सुनाई देने वाली वह चीज़ जो इंसान को प्रशंसनीय कथन अथवा कर्तव्य के लिए प्रोत्साहित करे।	दिखने वाली या सुनाई देने वाली या निश्चित समय अथवा स्थान से अपशगुन लेना।
तवक्कुल एवं भरोसा मज़बूत करता है।	तवक्कुल एवं भरोसा को कमज़ोर करता है।
इसका हुक्मः यह मुस्तहब है।	१- यदि यह अक़ीदा रखे कि यह माध्यम है तो शिर्क -ए- अस़्ग़र है। २- यदि यह अक़ीदा रखे कि यह स्वयं प्रभावी है तो शिर्क -ए- अकबर है।
इसमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है।	इसमें अल्लाह से बुरा गुमान रखना है।
वास्तविक मुवह्हिद की यही स्थिति होती है।	यह स्थिति काफिर व मुनाफ़िक़ की होती है।
यह बिना बनवाट (तकल्लुफ़) व बिना इरादा होता है।	यह कभी सउद्देश्य होता है जैसे पक्षी उड़ा कर अपशगुन लेना।
जो आप देखते अथवा सुनते हैं वह आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित अथवा कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित न करे, बल्कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास का अनुभव करें।	जो आप देखते अथवा सुनते हैं वह आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित अथवा कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित करे, बल्कि यह उसका कारण बने।
अल्लाह से संबंध को वाजिब व अपरिहार्य करता है।	अपशगुन लेने वाली चीज़ से संबंध को वाजिब करता है।

- उदाहरण१: किसी ने विवाह का इरादा किया और लड़की का नाम पूछा तो कहा गयाः "हना" (मुबारक, शुभ), तो वह विवाह के लिए राज़ी हो गया, और किसी दूसरे ने पूछा तो पता चलाः "सख़रा" (कठोर), तो उसने इंकार कर दिया, यह दोनों ही अपशगुन लेने में शामिल हैं, क्योंकि अपशगुन कहते हैं उस चीज़ को जो आप को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे अथवा कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित करे।
- उदाहरण२: किसी ने विवाह हो जाने के पश्चात लड़की का नाम पूछा तो पता चलाः "सुआद" (भाग्यवान) तो उसने इसको अच्छा समझा ऐसा करना नेक फाल (शगुन) लेने में से है, क्योंकि इसने उसको न तो कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया और न ही कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित किया, बल्कि उसने सारा मामला तय हो जाने के बाद इसको बशारत तथा नेक फाल (शगुन) के तौर पर लिया।
- कुछ लोग शगुन लेने के लिए क़ुरआन खोल कर देखते हैं, दृष्टि यदि जहन्नम वाली आयत पर पड़ी तो अपशगुन लेते हैं, और दृष्टि यदि जन्नत वाली आयत पर पड़ी तो कहते हैं: यह नेक फाल (शगुन) है, ऐसा करना ठीक वैसे ही है जैसे जाहिलीयत वाले युग में लोग अज़लाम (तीर) के साथ अपशगुन लेते थे।
- «عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ»: सही, उरवा बिन आमिर है।
- «وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا»: इससे यह पता चलता है कि जिसे अपशगुन अपनी आवश्यकतापूर्ति से रोक दे वह मुस्लिम नहीं है।
- «وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»: अरबी भाषा का एक शब्द "बा" यहाँ: १- "फी" (मैं) के अर्थ में है, २- इस्तेआनत (मदद माँगने) अर्थ में है, ३- "सबबीयत" (कारण और वजह बताने) के लिए है।

फाल (शगुन) के विषय में लोगों का आचरण

यह उनको अपनी आवश्यकतापूर्ति से नहीं रोकती है, बल्कि वह अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करते हुए जो करना चाहते हैं, कर डालते हैं: अल्लाह तआला पर भरोसा करने वाले मुवह्हिद का यही हाल होता है, और यही मूल एवं बुनियादी चीज़ है।	वह ठिठक जाता है तथा अपशगुन लेते हुए अपने कार्य को पूर्ण करने से रुक जाता है: यह शिर्क -ए- अस़ग़र है यदि यह अक़ीदा (श्रद्धा) रखता हो कि यह केवल माध्यम भर है, और शिर्क -ए- अकबर है यदि यह आस्था रखता हो कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी है।	वह जो करना चाह रहा होता है कर डालता है, किंतु उसे एक प्रकार की बेचैनी, दुःख तथा व्याकुलता रहती है, वह डरता रहता है कि कहीं उस पर यह अपशगुन अपना प्रभाव न डाल दे: ऐसा व्यक्ति गुनाहगार (पापी) है।

छः से आठ तक दलीलें:

६- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» **"अपशगुन लेना शिर्क है, अपशगुन लेना शिर्क है, और हम में से कोई नहीं है (जिसे मानव होने के नाते ऐसा वहम नहीं होता है) मगर अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा उसे दूर कर देता है"**। इस ह़दीस़ को इमाम अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी ने सही कहा है और अंतिम वाक्य को इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन क़रार दिया है।

७- मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ» **"जिसे अपशगुन ने उसके कार्य से रोक दिया उसने शिर्क किया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा: इसका कफ्फारा (प्रायश्चित) क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: इसका कफ्फारा (प्रायश्चित) यह दुआ पढ़ना है:** «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.» **हे अल्लाह, तेरी भलाई (कल्याण) के सिवा कोई भलाई नहीं है, तथा तेरे शगुन के सिवा कोई शगुन नहीं है, और तेरे सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नहीं"**।

८- तथा मुसनद अहमद ही में फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि: **"अपशगुन वह है जो आप को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे या कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित करे"**।

- «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: हम में से प्रत्येक व्यक्ति (के दिल में अपशगुन का विचार आता है) मगरः इससे प्रमाणित होता है कि जिस शब्द का प्रयोग क़बीह (निकृष्ट, बुरा) हो उसे छोड़ दिया जाए, साथ ही साथ शिर्क आधारित शब्दों से दूरी रखना और शब्दों के चयन में भी वास्तविक तौहीद का ध्यान रखना चाहिए, जब्कि कुफ़्र को नक़ल करना कुफ़्र नहीं होता।
- «التَّوَكُّل»: लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने के लिए जायज़ असबाब (माध्यम) अपनाते हुए केवल अल्लाह तआला पर ही एतमाद एवं दृढ़ विश्वास रखना।

अपशगुन का उपचार कैसे संभव है?

1. तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने के द्वाराः क्योंकि अल्लाह तआला तवक्कुल (भरोसा) के कारण दिल में पनपने वाले अपशगुन वाले विचार को दूर कर देता है, और व्यक्ति निश्चित होकर अपना काम करता है।
2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित इस दुआ «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ...»को पढ़ने के द्वारा।
3. ख़ैर व भलाई (कुशल-मंगल) का फाल (शगुन) ले, तथा अपशगुन लेने से बचे, और सदा भरसक प्रयास करे कि अपशगुन वाले विचार अपने मस्तिष्क में आने ही ना दे।
4. किसी कार्य में कोई संभावित हित निहित दिखाई दे तो पहले ही प्रयास में असफल हो जाने पर थक-हार कर नही बैठना चाहिए, अपितु लगातार प्रयास करते रहना चाहिए यहाँ तक कि अल्लाह तआला उस कार्य को सरल कर दे तथा उसे सफलता मिल जाए।

क़ुरआ (कुरा) अंदाज़ी और	अज़लाम (बाण) के द्वारा शगुन लेने में अंतर
इसका हुक्मः यह जायज़ है।	कबीरा गुनाह है और "मैसर" में शामिल है।
इसके द्वारा शरीअत का उद्देश्य पूर्ण होता है।	इसके द्वारा शरीअत का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।
इसका प्रयोग उन दो झगड़ा करने वालों के अधिकार निर्धारण के लिए होता है जिनका किसी वस्तु पर समान रूप से अधिकार हो।	इसका प्रयोग बुराई से भलाई के निर्धारण के लिए होता है, तथा यह रेखा खींच कर ग़ैब जानने का दावा करने के समान है।
ऐसा मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) करते हैं।	ऐसा मुश्रिकीन (अनेकेश्वरवादी) करते हैं।
उदाहरणः अज्ञान तथा प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने के लिए क़ुरआ डालना।	उदाहरणः सिक्का फेंकने अथवा गिनने दोनों में से किसी एक के चयन का अधिकार देना।
इससे वास्तविक अधिकारी की पहचान होती है, और इसका विभाजन संभव नहीं होता।	इसमें योग्य तथा अयोग्य दोनों समान हैं, तथा इसका विभाजन करना संभव होता है।

मसाइल:

पहला: इसमें आयत ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ को इस आयत ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ﴾ के साथ मिला कर समझा जाये (दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है)।

दूसरा: इसमें रोग के संक्रामक होने का इंकार है (अर्थात स्वयं अपने आप बिना अल्लाह की इच्छा के प्रभावी होने का इंकार है, इस बात का इंकार नहीं है कि यह प्रभावित करने का कारण एवं माध्यम है) (अर्थात अल्लाह की इच्छा हो तभी संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है अन्यथा नहीं)।

तीसरा: अपशगुन का भी इसमें इंकार है (उसके प्रभावी होने का इंकार है, उसके अस्तित्व का इंकार नहीं है)।

चौथा: "हामा" की बोली से अपशगुन लेने का इंकार ("हामा" उल्लू या उल्लू के समान एक पक्षी को कहते हैं)।

पाँचवां: सफर मास को अपशगुन समझने वाले आस्था का भी इसमें इंकार है (समय एवं युग का अल्लाह की तक़दीर में कोई रोल नहीं और न ही यह स्वयं प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, सफर महीना भी अन्य महीनों के समान एक महीना है, इसमें भी दूसरे महीनों की तरह भलाई और बुराई दोनों होती हैं, कुछ (मुस्लिम) लेखकों की आदत होती है कि जब वह कुछ लिखने से फ़ारिग़ होते हैं तो अंत में यूँ लिखते हैं: यह ख़ैर व भलाई वाले मास सफर में पूर्ण हुआ, ऐसा करना वास्तव में बिदअत का उपचार बिदअत से करने और अज्ञानता का इलाज अज्ञानता से करने के समान है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि यह महीना न तो भलाई वाला है और न ही बुराई वाला)।

छठा: शगुन (नेक फाल) लेना वर्जित नहीं अपितु मुसतहब (पुनीत) है।

सातवाँ: इसमें नेक फाल (शुभ शगुन) के सही अर्थों की व्याख्या है (फाल (शुभ शगुन) हरेक उस चीज़ को कहते हैं जो व्यक्ति को प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रेरित करे)।

आठवाँ: यदि न चाहते हुए भी अपशगुन वाले विचार मस्तिष्क में आ जाए तो वह हानिकारक नहीं, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करने के कारण यह दूर हो जाता है।

नौवाँ: जिसके दिल में अपशगुन वाला विचार आजाए तो उसको दूर करने के लिए उपरोक्त अध्याय में उक्त दुआ (اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ....) को पढ़े।

दसवाँ: इसका स्पष्ट उल्लेख कि अपशगुन लेना शिर्क है (इस विषय में वर्णित तफ़्सील एवं विस्तार को याद रखते हुए: यदि यह श्रद्धा रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी है तो शिर्क -ए- अकबर है, और यदि यह श्रद्धा रखे कि यह एक माध्यम मात्र है तो शिर्क -ए- अस़्ग़र है)।

ग्यारह्वाँ: अपशगुन की व्याख्या (जो किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे अथवा न करने के लिए हतोत्साहित करे)।

२९- ज्योतिष विद्या के विषय में

- यह नहीं कहा कि यह शिर्क है क्योंकि इसमें तफ़्सील है: इल्म -ए- ताश़ीर एवं इल्म -ए- तसयीर, पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है।

एक से तीन तक दलीलें:

१- इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह ने अपनी "सही" में क़तादा का यह कथन नक़ल किया है कि: (خَلَقَ اللهُ هٰذه النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ) انْتَهَى. "अल्लाह तआला ने इन तारों को तीन कार्यों के लिए बनाया है: आकाश की शोभा के लिए, शैतानों को मारने के लिए तथा मार्ग एवं दिशा निर्धारित करने के लिए, तो जिसने इन बातो के अतिरिक्त कुछ और समझा उसने गलती की तथा (हरेक प्रकार की भलाई से) अपना हिस्सा बर्बाद कर लिया तथा ऐसे कार्य का आडंबर रचा जिसका उसे ज्ञान नहीं था"। उनका कथन समाप्त हुआ। ये दोनों रिवायतें उनसे हर्ब ने बयान की हैं।

२- तथा क़तादा ने चाँद की मंज़िलों (बुर्जों) से संबंधित ज्ञान अर्जित करने को अप्रिय समझा, एवं इब्ने उयैना ने भी इसकी अनुमति नहीं दी है।

३- इमाम अहमद और इस्हाक़ रहिमहल्लाह ने इस (चाँद के बुर्जों से संबंधित) ज्ञान को अर्जित करने की अनुमति दी है।

- जिन नेक पूर्वजों (सलफ) ने तारों के बुर्जों से संबंधित ज्ञान सीखने को हराम कहा है, इससे उनका आश्य "इल्म -ए- ताश़ीर" समझा जायेगा।
- जिन नेक पूर्वजों (सलफ) ने तारों के बुर्जों से संबंधित ज्ञान सीखने की अनुमति दी है, इससे उनका आश्य "इल्म -ए- तसयीर" समझा जायेगा। (पूर्व में दोनों के बीच अंतर का उल्लेख किया जा चुका है)।

चौथी दलील:

अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ» **"तीन प्रकार के लोग जन्नत में नहीं जायेंगे: मदिरा में धुत रहने वाला, सम्बंध तोड़ने वाला तथा जादू पर विश्वास रखने वाला"।**

- «لَا يَدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ»: यह ह़दीस़ उन वईद (धमकी, चेतावनी) वाली ह़दीस़ों में से है जिनको वैसे ही गुज़ार दिया जायेगा जैसा वर्णित हुआ है, और दूसरे (मग़फिरत का वादा वाले) ह़दीस़ों के वरोधी मान कर दोनों के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास नहीं किया जायेगा, ताकि इसके कारण लोगों के मन में भय बना रहे।
- «مُدْمِنُ الْـخَمْرِ»: जो सदा मदिरा पीकर धुत रहता हो, और ख़म्र (मदिरा, शराब) हरेक उस चीज़ को कहते हैं जो नशा एवं आनंद उत्पन्न करते हुए अक़्ल (मन-मस्तिष्क) पर पर्दा डाल दे।
- «وَقَاطِعُ الرَّحِمِ»: "रह़िम" सगे-संबंधी को कहते हैं, चूँकि शरीअत में संबंधों को जोड़ने की बात कही गई है और जिन संबंधों का निर्धारण शरीअत में नहीं किया गया है उसका निर्धारण समाज में प्रचलन के आधार पर होगा, जबतक यह शरीअत विरोधी न हो।
- «وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»: इस ह़दीस़ का साक्ष्य स्थान वास्तव में यही वाक्य है, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि ज्योतिष विद्या एक प्रकार का जादू ही है।

कबीरा (बड़े) गुनाहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें:

- कबीरा गुनाह की परिभाषाः शैख़ुल इस्लाम ने इसको यूँ परिभाषित किया हैः (हरेक वह पाप जिस पर विशेष दंड निर्धारित किया गया हो) जैसे, अल्लाह की लानत एवं प्रकोप का भागी ठहराया गया हो, या अल्लाह की रह़मत (कृपा) से दूरी अथवा ऐसा करने से बराअत (अलगाव) प्रकट किया गया हो, अथवा यह कहा गया हो कि ऐसा करने वाला कुफ्फार (अधर्मी) या मुश्रिकीन (बहुदेववादियों) में से है, अथवा वह मोमिनों में से नहीं, अथवा अति घृणित पशु से उसे उपमा दी गई हो ... ।
- इसको अंजाम देने वाले का हुक्मः वह अपने ईमान के कारण मोमिन तथा गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देने के कारण फास़िक़ (दुराचारी) है, और उसका मामला अल्लाह की मशीअत (चाहत, इच्छा) के मातहत है, चाहे तो अज़ाब (यातना) दे और चाहे तो क्षमा कर दे।
- गुनाह -ए- कबीरा की संख्या गिन्ने योग्य है अथवा सीमित? उक्त परिभाषा के आधार पर सीमित तो है किंतु अनगिनत है।
- गुनाह -ए- कबीरा बड़ा है अथवा शिर्क -ए- अस़्ग़र? गुनाहों तथा पापों की गिनती निम्नांकित क्रमानुसार आरंभ होती हैं: सर्वप्रथम गुनाह -ए- स़ग़ीरा, तत्पश्चात गुनाह -ए- कबीरा, तत्पश्चात शिर्क -ए- अस़्ग़र और सबसे अंतिम एवं संगीन शिर्क -ए- अकबर है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ (अल्लाह तआला शिर्क को कदापि क्षमा नहीं करेगा तथा शिर्क के अतिरिक्त अन्य गुनाहों को चाहेगा तो क्षमा कर देगा), और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन हैः "मैं अल्लाह की झूठी सौगंध उठा लूँ यह मेरे लिए ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाने से बेहतर है", क्योंकि अल्लाह की झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है जब्कि ग़ैरुल्लाह की सच्ची सौगंध उठाना भी शिर्क -ए- अस़्ग़र है।

- कबीरा गुनाह नेक आमाल (सदकर्म) करने से माफ़ हो जाते हैं अथवा इसके लिए तौबा (पश्चाताप) आवश्यक है? गुनाह -ए- कबीरा की माफी के लिए तौबा करना आवश्यक है जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: «النَّائِحَةُ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا...» "**मृतकों पर रुदन-क्रंदन (नौहा) एवं स्यापा करने वाली महिलाएं यदि अपनी मृत्यु के पूर्व तौबा न करें** ..."। तथा एक अन्य स्थान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «... إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ...» " ... **जब तक कबीरा गुनाहों से बचती रहें** ..."।
- क्या कुछ गुनाहों को छोड़ कर कुछ अन्य गुनाहों से तौबा करना सही है? हाँ, कुछ गुनाहों को छोड़ कुछ दूसरे गुनाहों से तौबा करना सही है बशर्ते कि समस्त गुनाहों को छोड़ देने का दृढ़ संकल्प ले ले।
- कबीरा गुनाह अंजाम देने वाले से प्रेम रखा जायेगा अथवा घृणा की जायेगी? उसके ईमान के अनुपात में उससे प्रेम रखा जायेगा तथा उसके गुनाह के अनुपात में उससे घृणा की जायेगी, और गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देते समय उसकी संगत में नहीं रहा जायेगा।
- क्या गुनाह -ए- कबीरा की विभिन्न श्रेणियां हैं? हाँ, इसकी अलग-अलग श्रेणियां हैं, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: «أَلَا أُدُلُّكُمْ عَلَى أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» "**क्या बड़े-बड़े गुनाहों की ओर मैं तुम्हारा मार्दशन न कर दूँ**"।
- गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देने वाले को हम क्या कहेंगे? वो अपने ईमान के कारण मोमिन हैं तथा कबीरा गुनाह अंजाम देने के कारण फ़ासिक़ है, वो अपूर्ण ईमान वाले मोमिन हैं, न तो हम उन्हें मुरजिआ की तरह "पूर्ण ईमान वाला मोमिन" कहेंगे और न ही ख़्वारिज की तरह उन्हें "काफिर" कहंगे।

मसाइल:

पहला: तारों को पैदा करने की हिकमत (तत्वदर्शिता) (यह आकाश की शोभा बढ़ाने, शैतानों को मारने व भगाने तथा मार्गदर्शन एवं पथ निर्धारण करने के लिए रचे गये हैं)।

दूसरा: इसके अतिरिक्त कुछ और (इल्म -ए- तासीर) समझने वालों का खंडन।

तीसरा: चाँद की मंज़िलों (राशि चक्र) का ज्ञान अर्जित करने के विषय में उलेमा के बीच मतभेद है।

चौथा: जादू में विश्वास करने वालों को धमकी व चेतावनी, यद्यपि वो उसे असत्य मानते हुए ही उसमें विश्वास रखते हों।

३०- नक्षत्रों से वर्षा होने की आस्था रखना

1. शिर्क -ए- अकबर है: यदि नक्षत्रों से वर्षा के लिए कहे, या यह अक़ीदा रखे कि वह आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं।
2. शिर्क -ए- अस़्ग़र है: यदि यह आस्था रखे कि यह माध्यम भर हैं और वास्तविक वर्षा करने वाला केवल अल्लाह तआला है।

पहली तथा दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (और तुम अपना हिस्सा यही बनाते हो कि झुठलाते फिरो)।

2- अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْـجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» **"मेरी उम्मत में जाहिलीयत -अंधकार- युग की चार बातें ऐसी हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ेंगे, वंश एवं कुल पर गर्व करना, दूसरों के गोत्र में लांछन लगाना, नक्षत्रों से वर्षा की प्रार्थना तथा मृतकों पर रुदन-क्रंदन तथा विलाप करना, और यदि विलाप करने वाली स्त्री ने अपनी मृत्यु के पूर्व तौबा नहीं की तो क़्यामत के दिन उसे तारकोल का कुर्ता तथा खुजली वाली ओढ़नी ओढ़ाई जायेगी"**। इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।

- ﴿وَتَجْعَلُونَ﴾: इसे तुम झुठलाते हो कि यह अल्लाह की ओर से है, क्योंकि इसकी निस्बत तुम किसी और से जोड़ते हो।
- «أَرْبَعٌ»: इन चार चीज़ों का वर्णन इस उद्देश्य से नहीं किया गया है कि इस प्रकार के कार्य केवल यही चार हैं, क्योंकि इसी वर्ग से और भी चीज़ें हैं (जिनका उल्लेख इस ह़दीस़ में नहीं है), यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किसी विषय से संबंधित ज्ञान को एक ही स्थान पर एकत्रित करने तथा विभाजन एवं अंक के आधार पर उल्लेख करने की पद्धति का प्रयोग किया है, क्योंकि इससे उल्लेखित बात मन-मस्तिष्क में अच्छे ढ़ंग से बैठ जाती है तथा सहजता के साथ कंठस्थ भी हो जाती है।

- «الْـجَاهِلِيَّةِ»: जाहिलीयत से अभिप्राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रसूल बनाये जाने के पहले का युग है, तथा इसका उद्देश्य उस युग की बुराई तथा उससे घृणा दिलाना है, और यह समस्त कार्य जहालत (अज्ञानता) के कारणवश उत्पन्न होते हैं तथा बेहद बुरे हैं।
- «لَا يَتْرُكُونَهُنَّ»: इससे अभिप्राय इसकी सूचना देना तथा ऐसा करने से डराना है न कि इसको जायज़ क़रार देना।
- «الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ»: अर्थात अपनी सरदारी और वंश तथा उच्च कुल पर घमण्ड तथा इसका महिमामंडन करेंगे, जब्कि वास्तव में गर्व करने वाली चीज़ तो अल्लाह का तक़वा एवं डर है जो मानव को घमण्डी एवं अभिमानी बनने से रोकता है, और ज्यों-ज्यों बंदों पर अल्लाह तआला की नेमतों (अनुग्रहों) में बढ़ोतरी होती है त्यों-त्यों वह हक़ (सत्य) तथा मानव जाति के प्रति विनीत एवं विनम्र बनता चला जाता है।
- «وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ»: इंसान के मूल तथा उदगम स्थान पर लांछन लगाया जाये, जैसे कोई किसी को (हीनता बोध कराने के लिए) कहेः तू दब्बाग़ (चमड़िया, चमड़ा से संबंधित उद्योग-धंधे से जुड़ा हुआ व्यक्ति) का बेटा है।
- «وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ»: इस हदीस़ का साक्ष्य स्थान वास्तव में यही वाक्य है, और इसका अभिप्राय है कि ये लोग वर्षा का संबंध नक्षत्रों से जोड़ देंगे (अर्थात कहेंगे किः अमूक नक्षत्र जैसे हथिया के कारण बारिश हुई है)।
- «وَالنِّيَاحَةُ»: जान-बूझ कर रूदन-क्रंदन तथा विलाप करते हुए मृतक पर ज़ोर-ज़ोर से रोना।
- «تُقَامُ»:अर्थातः अपनी क़ब्र (समाधि) में।
- «سِرْبَالٌ» सम्पूर्ण वस्त्र।
- «قَطِرَانٍ»:तारकोल अथवा पिघला हुआ ताँबा।
- «جَرَبٍ»: अर्थात उसके पूरे शरीर में यूँ खुजली होगी जैसे कोई वस्त्र धारण किये हुये हो, और जब खुजली और गंधक एक संग एकत्र हो जायें तो कष्ट और बढ़ जाता है, और इसकी हिकमत यह है कि चूँकि उसने दुःख पर सब्र एवं धैर्य से काम नहीं लिया अतः "अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल (जैसे को तैसा)" के नियम पर अमल करेत हुए उसे यह दंड दिया गया।

क़यामत को क़यामत कहते हैं:

उस दिन लोगों के क़याम करने (खड़े होने) के कारण: ﴿يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (जिस दिन सारे लोग समस्त संसार के रब के समक्ष खड़े होंगे)।	गवाही देने वालों के क़याम (खड़े होने) के कारण: ﴿وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ﴾ (और उस दिन भी जब लोग गवाही देने के लिए खड़े होंगे)।	मीज़ान (तुला, तराज़ू) के क़ायम (स्थापित) किये जाने के कारण: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ (क़यामत के दिन हम बीच में ला कर रख देंगे ठीक-ठीक तराज़ू)।

तीसरी और चौथी दलील:

३- सही बुख़ारी व मुस्लिम में ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फज्र (भोर) की नमाज़ हुदैबिया नामक स्थान पर पढ़ाई, जब आपने सलाम फेरा तो लोगों की ओर घूम गये तथा संबोधित करते हुये फरमाया: «**هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟**» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «**أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ**» **"क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब (पालनहार) ने क्या कहा? लोगों ने कहा: अल्लाह व उसके रसूल अधिक जानते हैं, आपने फरमया: अल्लाह तआला ने फरमाया कि: मेरे बंदों में से कुछ मोमिन हो गये और कुछ काफिर, जिसने कहा: हम पर अल्लाह के फ़ज़्ल व रहमत (दया व कृपा) से वर्षा हुई है वह मुझ पर ईमान लाया, और जिसने कहा: कि अमूक अमूक नक्षत्रों के कारण वर्षा हुई उसने मेरा इंकार कर दिया और तारों (के स्वयं प्रभावी होने) पर ईमान लाया"।**

४- तथा सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी इसी प्रकार की एक रिवायत है, जिसमें यह है कि कुछ ने कहा: अमूक अमूक नक्षत्र सच्चा (लाभदायक) साबित हुआ, तो उनके खंडन के लिए अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: ﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ﴾(मैं तारों के मंज़िलों की शपथ लेता हूँ) से ले कर ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ (तुम उसे झुठलाते हो) तक।

- ﴿فَلَآ﴾: अरबी भाषा का शब्द "ला" यहाँ सावधान करने के लिए है कि सचेत और सावधान हो जाओ, मैं सितारों के गिरने (के स्थान) की क़सम खा रहा हूँ।
- अल्लाह तआला के शपथ लेने का लाभ, जब्कि वह सच्चा है और उसे किसी प्रकार के क़सम खाने की आवश्यकता नहीं थीः

1. यह अरबी भाषा की अपनी एक शैली है ताकि शपथ के द्वारा कही गई बात में वज़न पैदा हो।
2. इससे मोमिन के ईमान व यक़ीन में बढ़ोतरी होती है, और ताकीद में वद्धि करने से यदि मोमिन की श्रद्धा और अटूट हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
3. अल्लाह तआला बड़े-बड़े मामलों की शपथ लेता है जो उसके सम्पूर्ण सामर्थ्य, महानता एवं महाज्ञानी होने को प्रमाणित करता है।
4. शपथ लेने वाले की महानता की ओर चेताना कि वह (अल्लाह) बड़े-बड़े मामलों की ही शपथ लेता है।
5. जिसके ऊपर क़सम खाई गई है उसकी ओर ध्यानाकर्षण कि वह इस योग्य है कि उसका एहतेमाम किया जाये और ध्यान रखा जाये।

- ﴿كَرِيمٌ﴾: का अर्थ हैः १- सुंदर एवं उत्तम, और क़ुरआन से सुंदर एवं उत्तम कुछ भी नहीं है। २- अत्याधिक दान-पुण्य करने वाला, और क़ुरआन अपने मानने एवं पढ़ने वाले को धार्मिक, सांसारिक, शारीरिक एवं हृदय से संबंधित हरेक प्रकार के ख़ैर व भलाई से नवाज़ता (कृपादृष्टि रखता) है।
- ﴿فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ﴾: इससे अभिप्राय या तो लौह -ए- महफ़ूज़ है अथवा वह क़ुरआन जो फरिश्तों के पास है।
- ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾: अर्थात पाक फरिश्ते ही इसको छू सकते हैं, इसमें इस बात की ओर भी इशारा है कि जो अपने हृदय को पाक और पवित्र करले उसे क़ुरआन समझने में अधिक आसानी होती है।
- ﴿تَنزِيلٞ﴾: इससे प्रमाणित होता है किः

1- क़ुरआन सभी मख़लूक़ (जीव) के लिए उतरा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व्यापक रूप से समस्त संसार के लिए रसूल बनाये गये हैं।
2- इस (क़ुरआन) को रब (प्रभु) की ओर से उतारा गया है, और बात जब ऐसी है तो स्वाभाविक रूप से यह लोगों के मध्य न्यायाधीश एवं उनके समस्त विवाद-ग्रस्त मामलों में फैसला करने वाला है।
3- क़ुरआन का उतारना अल्लाह के पूर्णरूपेण रब (प्रभु) होने का प्रमाण है, और यह भी कि यह क़ुरआन बंदों के लिये रहमत (अनुकंपा) है।
4- क़ुरआन अल्लाह तआला की ओर से उतारा हुआ उसका कलाम (वाणी) और ग़ैर मख़लूक़ है।

- ﴿مُدۡهِنُونَ﴾: डरते हो, जब्कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसके पास क़ुरआन हो उसे चाहिए

कि वह हक़ (सत्य) की ओर आकर्षित हो तथा खुल्लम-खुल्ला उसका बखान करे।

- ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾: उसका धन्यवाद ज्ञापन करने के स्थान पर उसे झुठलाते हो जो कि निरी मूर्खता है।

मसाईल:

पहला: सूरह वाक़िआ की आयत ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: उन चार कृत्यों की चर्चा जो जाहिलीयत युग के रस्मों में से हैं (वंश एवं कुल पर गर्व करना, दूसरों के गोत्र में लांछन लगाना, नक्षत्रों से वर्षा होने की आस्था रखना तथा मृतकों पर रुदन-क्रंदन एवं विलाप करना)।

तीसरा: इनमें कुछ कुफ्र (अधर्म) हैं (नक्षत्रों से वर्षा करने की प्रार्थना करना, किसी के नसब (वंश) के कारण उसको ताना देना, मृतकों पर विलाप करना)।

चौथा: कुछ कुफ्र ऐसे भी हैं जिनके कारण इंसान इस्लाम से निष्कासित नहीं होता (यहाँ इससे अभिप्राय तारों एवं नक्षत्रों के द्वारा बारिश तलब करना है, कि उनमें से कुछ इस्लाम से निष्कासित कर देता है तो कुछ कुफ्र दूना कुफ्र (कुफ्र -ए- अस़ग़र) होते हैं (जो इस्लामी सीमा से बाहर नहीं करते)।

पाँचवां: अल्लाह तआला का फरमानः «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» (मेरे बंदों में से कुछ मोमिन हो गये तो कुछ काफिर हो गये) का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग नेमत (अनुग्रह) मिलने के कारण भी काफिर हो जाते हैं (व्यक्ति को जब कोई नेमत मिले तो उस पर वाजिब है कि वह उस नेमत की निस्बत (संबंध) अल्लाह की ओर करे न कि प्राप्त होने वाली नेमत के माध्यम की ओर)।

छठा: इस स्थान पर ईमान की वास्तविकता पर गहन सोच-विचार करना चाहिए (कि उसका संबंध अल्लाह की दया एवं कृपा से जोड़ा जाये)।

सातवाँ: इस स्थान पर कुफ्र की वास्तविकता पर गहन सोच-विचार करना चाहिए (कि बारिश का संबंध अल्लाह से जोड़ने के स्थान पर नक्षत्रों की ओर करने से इंसान काफिर हो जाता है)।

आठवाँ: इस प्रकार कहनाः «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا» (अमूक-अमूक) नक्षत्र सच्चा एवं लाभदायक साबित हुआ, इस पर भी गहन विचार करना चाहिए (कि क्या वास्तव में उसका वादा सच्चा है और वह इसका क्रियांव्यन करने में समर्थ है)।

नौवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमानः «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» (तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा?) से प्रमाणित होता है कि किसी बात को छात्र के मन-मस्तिष्क में अच्छे ढ़ंग से बैठाने के लिए शिक्षक एवं ज्ञानी का किसी बात को प्रश्न के अंदाज़ में बताना जायज़ है (ऐसा अंदाज़ श्रोता को पूरी तरह से सावधान कर देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह अंदाज़ अपनाना शिक्षा देने के लिये अति उत्तम पद्धति प्रयोग करने का प्रमाण है)।

दसवाँ: विलाप करने वाली महिलाओं के लिये निर्धारित धमकी एवं अज़ाब का ज्ञान (سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ, उसे ताँबा या गंधक तथा खुजली का वस्त्र धारण कराया जायेगा)।

छठे भाग से परीक्षा (७ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: निम्नांकित के मध्य क्या अंतर है?

क्र.	(शुभ) शगुन	अपशगुन
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
	क़ुरआ अंदाज़ी (क़ुरा)	अज़लाम (बाण से क़िस्मत का हाल पता करना)
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

द्वितीय प्रश्न: (☒) का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1– जादूगर (तांत्रिक) की निशानियां एवं लक्षणः १- ..... 2- .....
..... ३- ..... 4– ..... 5- .....

2– आदरणीय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का "ताग़ूत" की व्याख्या शैतान से करना, उदाहरण के द्वारा व्याख्या करने का एक नमूना हैः ☐ सही ☐ गलत।

3– ﴿أَشْرَبَهُ﴾ अर्थातः ..... ﴿مِنْ خَلَقٍ﴾ अर्थातः .....

4– ﴿اجْتَنِبُوا﴾ यह «اتْرُكُوا» से अधिक प्रभावी है, क्योंकि "اجتناب" (इज्तेनाब) का अर्थ है उससे पूर्णरूपेण दूरी रखते हुए छोड़ देनाः ☐ सही ☐ गलत।

5– «السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» यहाँ अंक का उल्लेख (☐ सीमित ☐ असीमित) के अर्थ को दर्शाने के लिए है।

6– नुसूस (क़ुरआन एवं ह़दीस़) में अवतरित अंक का कोई मतलब एवं उद्देश्य होता है अथवा नहीं: .....

7– जब इसका कोई मतलब एवं उद्देश्य नहीं है तो फिर क्यों उल्लेखित किया जाता है? .....
.....

8– जिन लोगों को क़त्ल करना ह़राम एवं अवैध है उनकी संख्या हैः (☐ ३ ☐ ४), ह़राम एवं निषेध हैः ((☐ सूद खाना ☐ सूद (ब्याज) केवल खाने तक सीमित नहीं है (मूल चीज़ ब्याज लेना है चाहे वह किसी भी रूप में लिया जाये)।

9– यतीम (अनाथ) कहते हैं, जिसके ((☐ माता ☐ पिता) की मृत्यु हो गई हो, चाहे वह नर हो अथवा नारी, व्यस्क होने के (☐ पूर्व ☐ पश्चात)।

10- محصنات (मुहसनात) से अभिप्राय है: ☐ स्वतंत्र महिलायें ☐ व्यभिचार से पाक व पवित्र महिलायें।

11- शासक एवं हाकिम का जादूगर (तांत्रिक) की हत्या करवाना वाजिब है: ☐ तौबा (पश्चाताप) कराये बिना ☐ तौबा करवाने के बाद।

12- الجبت। (अल-जिब्त) से अभिप्राय है: ☐ जादू व तंत्र-मंत्र ☐ प्रत्येक वह चीज़ जिसमें कोई ख़ैर, भलाई एवं कल्याण न हो।

13- الطَّاغوت। (ताग़ूत) कहते हैं: ☐ शैतान को ☐ हरेक वह चीज़ जिसके द्वारा मानव अपनी हद लाँघ जाये, चाहे वो माबूद हो अथवा पेशवा अथवा हाकिम।

14- العيافة। (अल-इयाफा) अपशगुन लेने की पद्धति है: ☐ सही ☐ गलत।

15- जिसने ज्योतिष विद्या का कुछ अंश सीखा उसने जादू का कुछ अंश सीखा: ☐ सही ☐ गलत।

16- खगोलीय हल-चल का धरती पर घटने वाली घटना से कोई संबंध नहीं होता: ☐ सही ☐ गलत।

17- ज्येतिष विद्या के प्रकार: १- ..... इसका हुक्म: .....
२- ..... इसका हुक्म: .....

18- जादू के अध्याय में चुग़लख़ोरी (पिशुनता) का उल्लेख: ☐ लिपिकार की गलती है ☐ ताकि इन दोनों के मध्य अंतर को उजागर किया जाये।

19- «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» यह ☐ सराहना के लिये है ☐ निंदा के लिये है ☐ इसकी वास्तविकता बताने के लिये है तथा उसके प्रभाव को देख कर निर्णय लिया जायेगा।

20- العرَّاف। (अल-अर्राफ़) कहते हैं: ☐ काहिन (अंतर्यामी होने का दावा करने वाले) को ☐ एक आम संज्ञा है।

21- काहिन एवं कहानत (तांत्रिक एवं तंत्र-मंत्र) का अध्याय यह बताने के लिये लाये हैं कि: ☐ काहिन कौन लोग हैं ☐ उनके पास जाने की कैफियत बयान करें ☐ उसका हुक्म बयान करें ☐ उक्त सभी।

22- अबा जाद सीखने के प्रकार हैं: ☐ दो प्रकार ☐ एक ही प्रकार है जैसाकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है।

23- जो व्यक्ति यह मानता हो कि अल्लाह तआला के सिवाय कोई अन्य ग़ैब नहीं जानता इसके बावजूद काहिन को सच्चा माने, तो वह काफिर है और उसका कुफ्र: ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

24- एक महिला ने दूसरी महिला से कहा: मैं तुम्हारे पति को वश में करने के लिये तंत्र-मंत्र का प्रयोग करूँगी, और इस (गुनाह) का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा: ☐ दोनों ही उस तंत्र-मंत्र में भागीदार समझी जायेंगी ☐ दूसरी महिला को कोई गुनाह नहीं होगा।

25- किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाये: उस व्यक्ति पर "त़िब्ब" का प्रभाव है: ☐ ऐसा जादू के बारे में (शुभ) शगुन लेते हुये कहा जाता है ☐ यह शब्द रोग के उपचार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

26- क़ुरआन व हदीस़ तथा सलफ़ के कथन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि: जादू का उपचार जादू से करना: ☐ हलाल नहीं है ☐ हलाल है।

27- जादू का उपचार किया जायेगाः ☐ पछना लगवा कर ☐ आयत अल-कुर्सी पढ़ कर ☐ प्रमाणित दुआओं के माध्यम से जैसे यह दुआ «رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ...» (रब्बन नास अज़हिबिल बास ...) ☐ उक्त सभी।

28- नुशरा के प्रकार हैं: १- ..... २- .....

29- फ़िरऔन के वंशज के अपशगुन लेने वाली आस्था को किस आयत के द्वारा बातिल एवं मिथ क़रार दिया गयाः ☐ ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ ☐ ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ﴾.

30- अपशगुन लेना तौहीद के विरुद्ध इसलिए है कि, अपशगुन लेने वालाः ☐ अल्लाह से संबंध तोड़ कर ग़ैरुल्लाह पर तवक्कुल एवं भरोसा करता है ☐ ऐसी चीज़ से अपना संबंध जोड़ता है जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है ☐ उक्त सभी।

31- ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ﴾ इसके कहने वाले हैं: ☐ नगर वासी ☐ रसूल अलैहिमुस्सलाम।

32- ﴿طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ अर्थातः ..... ﴿مَّعَكُمۡۚ﴾ ﴿طَٰٓئِرُكُم﴾ अर्थातः .....

33- अल्लाह की अनुमति से रोग संक्रामक होता हैः ☐ केवल शारीरिक रोग ☐ नैतिक रोग ☐ उक्त सभी।

34- «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ» इसमें इंकार हैः ☐ इसके अस्तित्व का ☐ इसके प्रभाव का।

35- अर्थातः ..... और क्या यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथनः «لَا عَدْوَى» के विरोधी हैः .....

36- ह़दीस़ «لَا طِيَرَةَ» और «لَا شُؤْمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» के मध्य किस प्रकार संतुलन बनाया जायेगाः .....

37- «لَا هَامَةَ» अर्थातः ....., «لَا صَفَرَ» अर्थातः .....

38- «وَمَا مِنَّا إِلَّا» अर्थातः ..... , और इसमें प्रमाण हैः .....

39- «لَا نَوْءَ» अर्थातः ....., «لَا غُولَ» अर्थातः .....

40- सफ़र अल-ख़ैर (ख़ैर व भलाई वाला महीना सफर) कहनाः ☐ जायज़ है ☐ (शुभ) शगुन लेना है ☐ यह बिदअत का इलाज बिदअत से करना है।

41- ह़दीस़ में अवतरित शब्दः ज़ज्र अल-तैर का अर्थ हैः पक्षियों को उड़ा उन्हें कष्ट देनाः ☐ सही ☐ गलत।

42- अरबों ने अपने अंदर बहुतेरे मिथ एवं भ्रमात्मक ज्ञान पाल रखे थे, जैसे अल-तियरा, अल-ज़ज्र तथा अल-इयाफा (ये सभी पक्षियों को उड़ा कर अपशगुन लेने की क़िस्में हैं), अल-रुक़ा (तंत्र-मंत्र), और इसके संबंध में लोगों के बीच अफवाह फैला रखा था, इसी के अंतर्गत उनका यह तथाकथित दावा भी आता है कि यात्रा के दौरान उसके

समक्ष भूत प्रकट हुआ, और मक़तूल (वधित) व्यक्ति के रक्त से एक पक्षी जन्म लेता है जिसे हामा (उल्लू) कहा जाता है, कुछ लोगों ने तो यह भी दावा कर दिया था कि उन्होंने जिन्न से वार्तालाप भी किया है: ☐ सही ☐ गलत।

43- कुत्ता के भौंकने अथवा गधा के रेंकने के समय यह वाक्य (خيرًا إن شاء الله) (अगर अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा) कहना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

44- किसी तारा के विषय में कहना: (هذا نجم سعد السُّعود) (यह भाग्यशाली तारा है): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

45- (शुभ) शगुन कहते हैं: ☐ केवल अच्छी बात को ☐ प्रत्येक सराहनीय चीज़ जो व्यक्ति को चुस्त, स्फूर्त तथा किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय एवं प्रेरित करे, अब चाहे वो कथन हो, कृत्य हो, अथवा दिखने या सुनाई देने वाली कोई वस्तु।

46- किसी ने अपशगुन लिया तथा भयाक्रांत एवं व्याकुल होते हुए और अपशगुन के प्रभावी होने से डरते हुए भी वह कार्य सम्पन्न कर लिया, ऐसा करना: (☐ जायज़ है ☐ शिर्क -ए- अस़ग़ार है ☐ गुनाह है), किसी ने अपशगुन लिया और फलस्वरूप अपने कार्य को स्थगित कर दिया, ऐसा करना: (☐ शिर्क -ए- अस़ग़ार है ☐ गुनाह -ए- कबीरा है।)

47- (الطِّيرة المذمومة) (निंदनीय शगुन) कहना दर्शाता है कि कुछ शगुन सराहनीय भी होते हैं: ☐ सही ☐ गलत।

48- किसी विशेष अंक, स्थान य पद्धति से घृणा करना: ☐ मुबाह (उचित) है ☐ अपशगुन लेने का एक प्रकार है।

49- किसी ने विवाह का इरादा किया और इसका निर्णय करने के लिये गुलाब का फूल लिया और उसकी पंखुरियों को एक-एक करके इस प्रकार अलग करे कि कहे: विवाह करूँगा, फिर अगली पंखुरी को अलग करे और कहे: विवाह नहीं करूँगा, और ऐसा करते हुए अंतिम पंखुरी तक पहुँच जाए, ऐसा करना: ☐ शुभ शगुन लेना है ☐ अपशगुन लेने में शामिल है।

50- कोई आदमी यात्रा करने को लेकर दुविधा में तथा अतएव उसने क़ुरआन खोल कर देखा और रहमत वाली आयत दृष्टिगोचर हुई तो यात्रा के लिए निकल पड़ा, ऐसा करना: ☐ (शुभ) शगुन लेना है ☐ अपशगुन लेना है।

51- एक व्यक्ति ने यात्रा का दृढ़ निश्चय किया और मार्ग में किसी को कहते हुए सुन लिया: अल्लाह आप को तौफ़ीक़ (सामर्थ्य, देवानुग्रह) दे, यह सुन कर उसके अंदर और अधिक स्फूर्ति उत्पन्न हो गई, ऐसा करना: ☐ (शुभ) शगुन लेना है ☐ अपशगुन लेना है।

52- किसी के दिल में अपशकुन लेने वाला विचार आया परंतु उस अपशकुन के विचार ने उसे अपने कार्य करने से नहीं रोका और न ही वह भयाकुल हुआ, तो वह: ☐ गुनाहगार है ☐ उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है।

53- किसी के मन में अपशगुन लेने का विचार आया परंतु वह उसकी ओर ध्यान न देते हुए अपने इरादे पर अडिग रहा, तो उसने: ☐ शिर्क किया ☐ शिर्क नहीं किया।

54- अल्लाह तआला ने कुछ रोगों को संक्रामक तथा छूत से फैलने वाला बनाया है: ☐ सही ☐ गलत।

55- जो ग़ैरुल्लाह से किसी विषय में डरता रहता है वह चीज़ उस पर लाद दी जाती है, यह अपशगुन लेने वाले का दंड है: ☐ सही ☐ गलत।

56- अत्याधिक हंसने के पश्चात यह कहना: (الله يكفينا شرَّ الضَّحك) (अल्लाह तआला हमें हंसने की बुराई से बचाने के लिये काफी है): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

57- किसी ने इस्तेख़ारा किया और सो गया, और सपना में भयभीत करने वाली कोई चीज़ देख ली अतएव जिस कार्य के लिये इस्तेख़ारा किया था उसे स्थगित कर दिया: ☐ यह अपशगुन लेने में शामिल है ☐ यह इस्तेख़ारा का नतीजा है।

58- दो चीज़ों के बीच दुविधा में फंसा हुआ व्यक्ति: ☐ दुआ करे ☐ विचार-विमर्श करे ☐ इस्तेख़ारा करे ☐ कुरआ अंदाज़ी कर ले ☐ प्रथम एवं द्वितीय, और जब किसी कार्य का इरादा करे तो इस्तेख़ारा करे ☐ उक्त सभी।

59- किसी ने इस्तेख़ारा करने के पश्चात यात्रा आरंभ की और यात्रा के दौरान उसका कपड़ा फट गया तो उसने यात्रा स्थगित कर दिया, ऐसा करना: ☐ अपशगुन लेना है ☐ यह इस्तेख़ारा का परिणाम है।

60- किसी एक निश्चित कार्य का इरादा कर लेने के पश्चात इस्तेख़ारा होगा, इस कथन: «فِي هَذَا الْأَمْرِ» (इस मामले में) के आधार पर ☐ सही ☐ गलत।

61- जिस कार्य के लिए इस्तेख़ारा किया था वह केवल शरई अथवा इंद्रीय कारण में हो: ☐ सही ☐ गलत।

62- यह आस्था रखना कि नक्षत्र वर्षा होने का कारण है और वास्तविक रूप में वर्षा कराने वाला केवल अल्लाह तआला ही है: ☐ सही है ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है।

63- जाहिलीयत वाले नक्षत्रों से संबंधित आस्था का स्थान अब मौसम विज्ञान ने ले लिया है: ☐ सही ☐ गलत।

64- सूर्य को संबोधित करते हुए यह कहना: (मेरी यह आयु लेकर विवाह वाली आयु वापिस कर दे) ☐ जायज़ है ☐ शिर्क है।

65- चाँद के मंज़िलों (ग्रहों) के विषय में उलेमा के विभिन्न संतुलित राय बनाना उसी तरह से संभव है जिस प्रकार हमने नुशरा के अध्याय में एक बीच की राह निकाली थी: ☐ सही ☐ गलत।

66- चिन्ह एवं प्रतीक जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है: ☐ ज़मीनी होती हैं ☐ आसमानी होती हैं ☐ सही ☐ उक्त सभी।

67- الرَّحِم (अल-रहिम) कहते हैं: ☐ सगे-संबंधी को ☐ पति-पत्नी के संबंधियों को।

68- जादू देखने वालों को इस प्रकार मोहपाश में बांध लेता है कि लकड़ी पर सोना का आभास होने लगता है: ☐ सही ☐ गलत।

69- वईद (अज़ाब से संबंधित धमकी) वाली ह़दीसें जैसे अवतरित हुई हैं उन्हें वैसे ही साबित करना चाहिए, न कि उसको दूसरे नुसूस (मग़फिरत का वादा वाले) से विरोधी मान कर दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में इसका भय बना रहे: ☐ सही ☐ गलत।

70- यदा-कदा शरीअत के नुसूस में अंक को विभाजन एवं जोड़ तथा ज्ञान को एकत्रित करके बयान करने के ढ़ंग पर

बयान किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से समझना एवं याद रखना सरल हो जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

71- जाहिलियत वाले युग से संबंध जोड़ने का उद्देश्य होता है: ☐ उससे घृणा उत्पन्न करना ☐ यह अज्ञानता एवं मुर्खता पूर्ण कृत्य है ☐ उक्त सभी।

72- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी-कभी ऐसी चीज़ों के विषय में सूचना देते हैं जिनका अस्तित्व में आना अवश्यंभावी है, किंतु इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम उनको अपना लें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन: «لَا يَتْرُكُونَهُنَّ...» (वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे): ☐ सही ☐ गलत।

73- कबीरा गुनाह नेक अमल करने भर से माफ नहीं होता अपितु इसके लिए तौबा करना अपरिहार्य है: ☐ सही ☐ गलत।

74- क़ुरआन के "करीम" होने का अर्थ यह है कि वह: ☐ अत्याधिक दान करने वाला है ☐ सुंदर एवं उत्तम है ☐ उक्त सभी।

75- (अल-मुतह्हरून) का अर्थ है: ☐ फरिश्ते ☐ क़ुरआन को केवल पवित्र व्यक्ति ही छूए।

तृतीय प्रश्न: समहू (क) के उचित वाक्य का मिलान समूह (ख) के उचित वाक्य से करें:			
क्र.	**क**		**ख**
1-	मुआहद		हमारे और उनके मध्य व्यापार अथवा इस्लाम सीखने के उद्देश्य से संधि हो।
2-	ज़िम्मी		जादू एवं तंत्र-मंत्र सिद्धि के उद्देश्य से भूमि पर रेखा खींचे।
3-	जिब्त		हमारे और उनके मध्य आपस में न लड़ने की संधि हो।
4-	मुस्तामिन		जो जिज़या देने के कारण हमारे संरक्षण में हो।
5-	तियरा		बाँटना और अलग-अलग करना।
6-	अल-अज़्ह		अपनी बात को ऐसे सुंदर एवं मनोहर रूप में प्रस्तुत करने की कला कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाये, तथा उसके विचार तक बदल जायें।
7-	कबीरा		यह काहिन, नुजूमी तथा रम्माल समस्त के लिए एक आम संज्ञा है।
8-	बयान		हरेक वह चीज़ जिस पर निश्चित दंड निर्धारित हो।
9-	तर्क़		शगुन अथवा अपशगुन लेने के लिए पक्षी को उड़ाना।
10-	अर्राफ़		दिखने अथवा सुनाई दी जाने वाली, तथा समय अथवा स्थान से अपशकुन लेना।
11-	इयाफ़ा		प्रत्येक वह चीज़ जिसमें कोई भलाई न हो।

सातवाँ भाग: दिलों के आमाल (९ अध्याय)

३१- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ الآيَة (कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को अल्लाह का साझी बनाते हैं और उनसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से करना चाहिए) का अध्याय

मोहब्बत के प्रकार:

- अल्लाह के साथ-साथ किसी और से मोहब्बत करना: (शिर्क -ए- अकबर है)।
- अल्लाह के लिये मोहब्बत करना: (वाजिब है) यह अल्लाह पर ईमान रखने का सर्वाधिक शक्तिशाली बंधन है:
  - उस कर्म से मोहब्बत रखना जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, और यह हरेक वह चीज़ है जिसको लेकर शरीअत आई है।
  - उस कर्म को अंगीकार करने वालों से मोहब्बत, जैसे अम्बिया, रुसुल, फरिश्ते, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तथा सभी मुवह्हिदीन।
  - उस समय तथा युग से मोहब्बत रखना जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है, जैसे लैलतुल क़द्र तथा रात का अंतिम तीसरा पहर।
  - उस स्थान से मोहब्बत रखना जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है, जैसे मक्का तथा मदीना।
- नैसर्गिक एवं प्राकृतिक मोहब्बत: (जायज़ है) जैसे संतान से मोहब्बत करना।

दूसरी और तीसरी दलील:

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ﴾ (आप कह दीजिये कि यदि तुम्हारे पिता और पुत्र) से लेकर .الآيَة। ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ (अल्लाह और उसके रसूल की तुलना में अधिक प्रिय हैं) तक।

३- अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» **"तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह मुझे अपनी संतान, (माता) पिता एवं समस्त लोगों की तुलना में अधिक प्रिय न समझे"**। इसको बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- ﴿... وَأَبۡنَآؤُكُمۡ ءَابَآؤُكُمۡ﴾: इन लोगों की मोहब्बत इबादत वाली मोहब्बत नहीं है किंतु फिर भी उनकी मोहब्बत यदि अल्लाह की मोहब्बत पर भारी पड़ जाये तो दंड का कारण बन जाता है।
- «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»: यहाँ मुकम्मल एवं पूर्ण ईमान को नकारा गया है (मूल ईमान को नहीं) सिवाय इसके कि कोई ऐसा भी आदमी हो जिसके दिल में नबी ﷺ की मोहब्बत रत्ती भर भी न हो।

किसी चीज़ के इंकार की स्थिति:

अस्तित्व का इंकार:
किसी चीज़ के इंकार का मूल अर्थ यही होता है, उदाहरणस्वरूपः «لا إيمان لعابد صنمٍ» (मूर्तिपूजक का कोई ईमान नहीं) यदि इस अर्थ में निर्धारण असंभव हो तो इसको हम इस अर्थ में लेंगेः

उसके सही होने का इंकार:
जैसे «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ» (पवित्रता के बिना नमाज़ सही नहीं) और यदि इस अर्थ में भी निर्धारण संभव न हो तो इसे इस अर्थ में लेंगेः

उसके पूर्ण व मुकम्मल होने का इंकार:
जैसे «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (खाना सामने रहते हुए नमाज़ नहीं)।

- ह़दीस़ का संबंध स्पष्ट है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत रखने का मतलब अल्लाह से मोहब्ब रखना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से निम्नांकित कारणों से मोहब्बत रखी जायेगीः

1- क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं, और यदि आपके समीप सबसे प्रिय अल्लाह तआला है तो उसका रसूल भी आपके नज़्दीक समस्त जीव से बढ़कर प्रिय होना चाहिए।

2- क्योंकि आप ने अल्लाह की उपासना अति उत्तम ढ़ंग से की और उसकी रिसालत को लोगों तक पहुँचाया।

3- क्योंकि अल्लाह ने आपको उच्च शिष्टाचार, सत्व गुण तथा सदकर्म के सर्वोच्च स्थान पर पदासीन किया है।

4- क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आपके मार्गदर्शन, शिक्षा-दीक्षा तथा हिदायत का कारण हैं।

5- क्योंकि आप ने अल्लाह के संदेश को लोगों तक पहुँचाने के दौरान लोगों की ओर से मिलने वाले कष्ट पर सब्र एवं धैर्य से काम लिया।

6- क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के कलमा एवं दीन को फैलाने के लिए अपनी जान, माल को क़ुर्बान कर दिया तथा इसके लिये हरेक प्रकार के जतन किये।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मृत्यु पश्चात किस प्रकार आप से मोहब्बत रखी जायेगी?

आपकी सुन्नतों को सीख कर, उनके अनुसार कर्म करके, उनकी ओर आमंत्रण देकर, उनकी रक्षा करके, आपके आदेश को समस्त लोगों के आदेश पर वरीयता प्रदान करके और आपके तरीकों का अनुसरण करके।

अल्लाह तआला से प्रेम रखने के संबंध में लोगों के चार प्रकार हैं:

जो केवल अल्लाह से प्रेम रखते हैं और अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से प्रेम नहीं रखते, और इसी का नाम इख़लास है।	जो अंदाद (ग़ैरुल्लाह) से अल्लाह के समान ही प्रेम रखते हैं, यह शिर्क -ए- अकबर है।	जो अंदाद (ग़ैरुल्लाह) से अल्लाह से भी बढ़ कर प्रेम रखते हैं, यह शिर्क -ए- अकबर है।	जो केवल अंदाद (ग़ैरुल्लाह) से ही प्रेम रखते हैं और अल्लाह से तनिक भी प्रेम नहीं रखते, यह शिर्क का सबसे बुरा रूप है।

चार से छः तक दलीलें:

४- बुख़ारी तथा मुस्लिम में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवयात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ؛ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» **"तीन गुण ऐसे हैं कि जिसमें वो पाये जायें उनके कारण उसे ईमान की मिठास का अनुभव प्राप्त होगा, वह अल्लाह एवं उसके रसूल को सर्वाधिक प्रिय रखे, किसी से प्रेम करे तो अल्लाह के लिये करे तथा जब अल्लाह तआला ने उसे कुफ्र से बचा लिया है तो फिर पुनः उसकी ओर लौट जाने से ऐसे ही घृणा करे जैसे वह अग्नि में डाले जाने को अप्रिय समझता है"**। और एक रिवायत में इस प्रकार हैः «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى...» **"कोई भी व्यक्ति ईमान की मिठास का अनुभव उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि वह ..."**।

५- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं: "जो (किसी से) अल्लाह के लिए प्रेम करे, अल्लाह के लिए घृणा करे, अल्लाह के लिए मित्रता करे तथा अल्लाह के लिए ही शत्रुता करे (तो ज्ञात रहे कि) इन्हीं कर्मों के द्वारा अल्लाह की विलायत और मित्रता प्राप्त हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति इन कर्मों को किए बिना कदापि ईमान का स्वाद और उसकी मिठास नहीं पा सकता, यद्यपि अधिकाधिक नमाज़ पढ़ने वाला तथा रोज़ा रखने वाला हो, आज साधारणतः लोगों की मित्रता सांसारिक लोभ के लिए होती है, जब्कि यह उन्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुँचायेगी"। इसको इब्ने जरीर ने रिवायत किया है।

६- और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आयत ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ (क़यामत के दिन सारे माध्यम गौण हो जायेंगे) की तफ़्सीर में फरमाया कि इससे अभिप्राय हैः «الْمَوَدَّةُ» "मित्रता, प्रेम एवं आपसी संबंध"।

इबादत पर आधारित मोहब्बत:

वह मोहब्बत जो स्वयं इबादत नहीं है:

- अल्लाह के लिए मोहब्बत करना: जैसे नबियों एवं रसूलों से मोहब्बत करना।
- दयाभाव एवं कृपा वाली मोहब्बत: जैसे संतान तथा छोटे बच्चों से मोहब्बत ... ।
- आदर एवं सत्कार वाली मोहब्बत: जैसे पिता तथा शिक्षक से मोहब्बत करना ...।
- नैसर्गिक मोहब्बत: जैसे खान-पान से मोहबब्त ... ।

वह मोहब्बत जो स्वयं इबादत है:

इस प्रकार की इबादत वाली मोहब्बत केवल अल्लाह तआला के लिए होगी, जो ऐसी विनम्रता तथा आदर को अपरिहार्य करती है कि जिसके कारण अल्लाह के आदेशों का पालन किया जाए तथा अवज्ञा से बचा जाए।

- इनमें सर्वोत्तम सबसे पहला है, तथा अन्य मुबाह एवं जायज़ हैं, किंतु यदि इसके संग ऐसी चीज़ शामिल हो जाये जो उपासना के समानार्थी हो तो फिर यह उपासना के वर्ग में चली जायेगी।
- «حَلَاوَةَ الإِيمَانِ»: (ईमान की मिठास) इससे अभिप्राय है: संतुष्टि, विश्वास, शांति एवं संतोष का वह भाव जो व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करता है।
- «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ»: जिससे अल्लाह घृणा करता वह भी उससे घृणा करता है, और जिससे अल्लाह प्रेम करता है वह भी उससे प्रेम करता है।
- ﴿وَتَقَطَّعَتْ﴾: वो समस्त माध्यम कट गये जिनसे मुश्रिकीन अपना संबंध जोड़ते थे, और जिस प्रेम का इज़्हार वो मूर्तियों से करते थे।

विलायत (मित्रता):

बंदों की ओर से अल्लाह के लिए:

शरीअत के अनुसार ऐसा करना वाजिब है, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ (जो अल्लाह और उसके रसूल से मित्रता करेगा)।

अल्लाह की ओर से बंदों के लिए:

ख़ास (विशेष) कृपा, तौफ़ीक़ (देवानुग्रह) तथा हिदायत (मार्दशन) वाली विलायत, ये मोमिनों के लिये आरक्षित है।

आम (सामान्य) तदबीर एवं फेर-बदल के अधिकार वाली विलायत, यह मोमिन एवं काफिर सभी को सम्मिलित है।

मसाइल:

पहला: सूरा बक़रा की आयत (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा बराअत (तौबा) की आयत (﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: अपनी जान, माल तथा सगे-संबंधियों की मोहब्बत की तुलना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मोहब्बत (को प्राथमिकता देना) वाजिब है।

चौथा: किसी कारणवश ईमान का इंकार करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह व्यक्ति इस्लाम से बाहर हो गया (सिवाय इसके कि किसी का हृदय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मोहब्बत से बिल्कुल ख़ाली हो, तो ऐसी दशा में कोई संशय नहीं कि यह उसके मूल ईमान का इंकार होगा)।

पाँचवां: ईमान का अपना एक स्वाद होता है जिसका कभी अनुभव होता है और कभी नहीं।

छठा: चार ऐसे हार्दिक कर्म हैं जिनके बिना इंसान अल्लाह की मित्रता नहीं प्राप्त कर सकता और न उनके सिवा ईमान का स्वाद ले सकता है (अल्लाह के लिये मित्रता करे, अल्लाह के लिये शत्रुता करे, अल्लाह के लिये प्रेम रखे तथा अल्लाह ही के लिये घृणा करे)।

सातवाँ: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वास्तविकता की कसौटी पर इसे परख लिया था कि साधारणतः आम लोगों कि मित्रता एवं मेल-मिलाप सांसारिक लोभ के कारण होते हैं (यह स्थिति उनके युग में थी तो हमारे युग में मामला कितना बुरा हो चुका होगा सहजता के साथ इसकी कल्पना की जा सकती है)।

आठवाँ: आयत ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ की तफ़्सीर (उदाहरणस्वरूपः प्रेम रखने जैसे सबब व माध्यम)।

नौवाँ: कुछ मुश्रिकीन (बहुदेववादी) ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह से घंघोर प्रेम करते हैं (किंतु मोमिनों को उन पर इस अर्थ में प्राथमिकता एवं वरीयता प्राप्त है कि उनका अल्लाह तआला से प्रेम मुश्रिकीन के अपने मूर्तियों से प्रेम करने की तुलना में कहीं अधिक है)।

दसवाँ: आयत में उल्लेखित आठ चीज़ें, जिसको अपने धर्म से अधिक प्रिय हों उसके लिये भयंकर चेतावनी एवं धमकी।

ग्यारह्वाँ: किसी का अपने मिथ उपास्य से अल्लाह के समान प्रेम करना शिर्क -ए- अकबर है।

३२- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ الآيَةَ (वस्तुत: यह शैतान है जो अपने मित्रों से डराता है, अत: यदि तुम मोमिन हो तो उनसे न डरो, मुझ से ही डरो) का अध्याय

लेखक महोदय मोहब्बत के बयान के पश्चात ख़ौफ का बयान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत दो चीज़ों पर टिकी हुई हैं:

मोहब्बत: इसी के कारण आज्ञापालन होता है। **ख़ौफ**: इसी के कारण अवज्ञा से बचा जाता है।

भय एवं डर के प्रकार:

नैसर्गिक एवं प्राकृतिक भय (जायज़):

﴿فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفٗا يَتَرَقَّبُ﴾(जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भयभीत होकर देखते-भालते निकल गये) भय का यह प्रकार यदि वाजिब छोड़ने अथवा हराम कार्य करने के लिये प्रेरित करे तो ह़राम है।

इबादत, विनम्रता, आदर तथा समर्पन का भाव लिये हुए (छिपा हुआ) भय:

इसको अल्लाह के सिवाय अन्य के लिये अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है, और इसमें लोग अति, न्यून तथा संतुलित तीन प्रकार के हैं।

- ﴿يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ﴾: शैतान हरेक उस व्यक्ति को डराता है जो वाजिब अदा करने का इरादा करता है।
- ﴿فَلَا تَخَافُوهُمۡ﴾: (उनसे डरो नहीं) बल्कि तुम्हें जो करने का आदेश मैंने दिया है उसे कर डालो, और जो जिहाद मैंने वाजिब क़रार दिया है उस पर अमलकरो, उन लोगों से डरो नहीं, और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाये उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَ﴾ الآيَةَ. (अल्लाह की मस्जिदें वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह तथा आख़िरत पर ईमान लाये तथा नमाज़ अदा किया और ज़कात दिया और मात्र अल्लाह तआला से डरे)।

- ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ : बहुतेरे स्थान पर अल्लाह तआला ने अल्लाह पर ईमान रखने तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखने का एक साथ उल्लेख किया है, क्योंकिः अल्लाह पर ईमान रखना उम्मीद और आशा उत्पन्न करता है, जब्कि आख़िरत पर ईमान रखना अल्लाह तआला से डर उत्पन्न करता है।
- ﴿وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾: (नमाज़ स्थापित करता है) अर्थातः उसको पूर्णरूपेण अदा करता है ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाये, और नमाज़ स्थापित (अदा) करने के दो रूप हैं:
  1- **वाजबी रूपः** शर्त, अरकान (स्तंभ) और वाजिबात (अपरिहार्य) चीज़ों पर ही अमल करना।
  2- **मुस्तहब रूपः** वाजिब पर वृद्धि करना, अतः वाजिब के साथ-साथ मुस्तहब का भी ध्यान रखना।
- ﴿وَلَمْ يَخْشَ﴾: अरबी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द "ख़शीयत" उस भय एवं डर को कहते हैं जो भयभीत करने वाले के वयक्तित्व की महानता एवं पूर्णरूपेण समर्थ होने के ज्ञान के पश्चात उपजा हो, तथा अरबी भाषा ही के लगभग समानार्थी शब्द "ख़शीयत" एवं "ख़ौफ" के मध्य सूक्षम अंतर निम्नांकित हैः
  1- भयभीत करने वाले व्यक्तित्व के विषय में ज्ञान होने तथा उसके असल स्थिति (सर्वशक्तिमान होने) का बोध करते हुए डरना "ख़शीयत" कहलाता है जब्कि "ख़ौफ" एक अबोध एवं अज्ञान की ओर से भी हो सकता है।
  2- जिस से डरा जा रहा है यदि इस डर का कारण उस व्यक्तित्व की महानता एवं आदर के कारण हो तो यह "ख़शीयत" कहलाता है, जब्कि डरने वाले के अंदर व्याप्त दुर्बलता के कारण प्रकट होने वाले डर को "ख़ौफ" कहते हैं।
- ﴿فَعَسَىٰٓ﴾: (संभतः) अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं किः "अल्लाह तआला की तरफ से इस शब्द के प्रयोग -जोकि सामान्य तौर पर किसी संभावित घटना के बारे में आंकलन करने के लिये होता है- का अर्थ है कि यह चीज़ निश्चित रूप से घटित हो कर रहेगी, एवं तरज्जी (आस एवं आशा का बोध कराने वाली एक परिभाषा) का प्रयोग इसलिये किया गया है ताकि इंसान घमंड न करने लगे कि इस गुण से सुसज्जित होने का उसे निश्चित प्रमाण-पत्र मिल गया है"।

मस्जिद की तामीर (आबाद) करने के रूप, और ध्यान रहे कि तामीर का विलोम तख़रीब (वीरान करना) है ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ﴾ (उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है जो अल्लाह तआला की मस्जिदों में लोगों को अल्लाह का ज़िक्र एवं स्मरण करने से रोके और उनको ध्वस्त करने का प्रयास करे)

अदृश्य रूप से आबाद करना: नमाज़, ज़िक्र (स्मरण) तथा क़ुरआन का पाठ करने के द्वारा, और इसका विलोम अदृश्य विनाश होगा जैसे मस्जिद को शिर्क व बिदअत का अड्डा बना देना।

दृश्य रूप से आबाद करना: भवन निर्माण के द्वारा, फर्श बिछाकर, स्वच्छता का ध्यान रखकर तथा मरम्मत इत्यादि करा कर, जब्कि इसका विलोम दृश्य वीरान (विनाश) करना होगा: उसके भवन को ध्वस्त तथा ख़राब कर के।

तीसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ﴾ الآيَة. (कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाये लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में पीड़ा दी जाये तो लोगों से मिलने वाली पीड़ी को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझते हैं)।

- यह सर्वविदित है कि इंसान अल्लाह के अज़ाब (यातना) से भागता है अतः वह अल्लाह तआला का आज्ञापालन करता है, और ऐसे इंसान को जब व्यक्ति विशेष की ओर से कोई कष्ट पहुँचता है तो वह उसे अल्लाह के अज़ाब की तरह समझता है अंततः लोगों के भय से उसके इच्छानुसार कार्य करना आरंभ कर देता है मानो वह उसे अज़ाब के समान समझ लेता है और कभी-कभी तो वह उससे वैसे ही डरता है जैसे वह अल्लाह से डरता है वह इस प्रकार कि वह मानव की ओर से मिलने वाली यातना को अल्लाह तआला के अज़ाब के समान समझ लेता है और फलस्वरूप उससे बचने के लिये उसके उचित एवं अनुचित सभी प्रकार की बातों का समर्थन करने लगता है।
- आयत में इस बात से डराया गया है कि इंसान वह न कहे जो उसके दिल में न हो (अर्थात मूँह में कुछ और ज़ुबान पर कुछ और)।

चौथी दलील:

अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ» **"ईमान एवं विश्वास की दुर्बलता यह है कि तुम अल्लाह को अप्रसन्न करके लोगों को प्रसन्न करो तथा अल्लाह के दिये हुये रिज़्क़ (जीविका) पर लोगों की प्रशंसा करो और यदि अल्लाह तुम्हें न दे इस पर लोगों की निंदा करो, याद रहे, अल्लाह के रिज़्क़ को किसी लोभी का लोभ नहीं खींच सकता और न ही किसी घृणा करने वाले की घृणा उसे रोक सकती है"।**

- «أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ»: अर्थातः अल्लाह से अधिक तुम लोगों से डरने लगो और उनको नसीहत (सदुपदेश, हितोपदेश) करना छोड़ दो।
- «وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ»: अर्थातः तुम आकंठ उसकी प्रशंसा में डूब जाते हो और यह भूल जाते हो कि मुसब्बिब (कारण एवं माध्यम बनाने वाला) तो केवल अल्लाह है।
- «وَأَنْ تَذُمَّهُمْ»: अर्थातः यदि अल्लाह ने इसे तुम्हारे भाग्य में लिखा होता तो उसके लिये कोई न कोई माध्यम अवश्य बना देता, अतः हरेक परिस्थिति में अल्लाह से प्रसन्न रहना ज़रूरी है।

पाँचवीं दलील:

आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» **"जो लोगों को अप्रसन्न करके अल्लाह को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो अल्लाह उससे प्रसन्न हो जाता है तथा लोगों को भी उससे प्रसन्न कर देता है, और जो लोगों को प्रसन्न करने के लिये अल्लाह को अप्रसन्न करता है तो अल्लाह भी उससे अप्रसन्न होता है और लोगों को भी उससे खिन्न कर देता है"।** इस हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी "सहीह" में रिवायत किया है।

- «مَنِ الْتَمَسَ»: लोगों के भय से उनको प्रसन्न करने के लिये प्रयासरत रहे, और ऐसा करके उसने अल्लाह के डर पर लोगों के डर को प्राथमिकता एवं वरीयता दी।

ह़दीस़ से चयनित फायदे:

1. ऐसी चीज़ों के लिये प्रयासरत रहना चाहिये जिससे अल्लाह प्रसन्न हो यद्यपि इंसान उससे अप्रसन्न होता हो तो हो, क्योंकि लाभ-हानि का मालिक व स्वामी केवल अल्लाह ही है।
2. लोगों को प्रसन्न करने के लिये अल्लाह को अप्रसन्न करने वाले कार्य करना नाजायज़ (अनुचित) है, चाहे वह व्यक्ति कितने ही बड़े पद का अधिकारी क्यों न हो।
3. अल्लाह तआला के लिये "रेज़ा (प्रसन्नता)" तथा "सख़्त (अप्रसन्नता)" दोनों वास्तविक गुणों का प्रमाण, किंतु अल्लाह के ये दोनों गुण मख़लूक़ (जीव) के समान नहीं है।

मसाईल:

पहला: सूरा आले-इमरान के आयत (﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा बराअत (तौबा) के आयत (﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: सूरा अन्कबूत के आयत (﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर।

चौथा: ईमान कभी मज़बूत (दृढ़) और कभी कमज़ोर (क्षीण) होता है।

पाँचवां: ईमान की कमज़ोरी की निशानियों में से यह तीन भी हैं (अल्लाह को अप्रसन्न करके लोगों को प्रसन्न करना, अल्लाह तआला के दिये हुये रिज़्क़ (आजीविका) पर लोगों की प्रशंसा करना, तथा अल्लाह ने जो भाग्य में नहीं लिखा है उस पर लोगों की निंदा करना)।

छठा: मात्र अल्लाह से ही डरना, दीन के अनिवार्य कार्यों में से है।

सातवाँ: जिसने ऐसा किया उसका सवाब (पुण्य) (अल्लाह उससे प्रसन्न हो जाता है और लोगों को भी उससे प्रसन्न कर देता है)।

आठवाँ: जिसने ऐसा नहीं किया उसकी सज़ा व दण्ड (अल्लाह उससे अप्रसन्न होता है और लोगों को भी उससे अप्रसन्न कर देता है)।

३३- अल्लाह तआला के फरमान ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ (यदि तुम ईमान वाले हो तो केवल अल्लाह पर ही तवक्कुल व भरोसा करो) का अध्याय

- मोहब्बत तथा ख़ौफ का उल्लेख करने के पश्चात लेखक रहिमहुल्लाह ने यहाँ यह बयान किया है कि वांछनीय एवं रुचिकर चीज़ों को प्राप्त करने तथा अप्रिय एवं अरुचिकर चीज़ों से दूरी अपनाने का एकमात्र साधन अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करना है, और तवक्कुल के बिना तौहीद को उसके वास्तविक रूप में अपनाना भी असंभव है यह (तवक्कुल) बड़ा उच्च स्थान व अति श्रेष्ठ दर्जा है अतः इंसान पर वाजिब है कि वह अपने प्रत्येक मामले में उस (अल्लाह) को अपना मित्र बनाये रखे और उसका साथ न छोड़े।
- ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ﴾: मामूल (कर्म कारक) का उल्लेख पहले करना सीमित एवं निश्चित करने का अर्थ देता है, जो दर्शाता है कि तवक्कुल का इंकार कामिल ईमान का इंकार है, परंतु यदि ऐसा हो कि किसी व्यक्ति का पूर्ण भरेसा ग़ैरुल्लाह पर ही हो तो उस स्थिति में यह शिर्क -ए- अकबर माना जायेगा।

तवक्कुल कहते हैं: अल्लाह पर भरोसा करते हुये और जायज़ माध्यम अपनाते हुये उसी पर दृढ़ विश्वास रखना, अतः अल्लाह पर सच्चा विश्वास रखना तथा उपलब्ध जायज़ माध्यम अपनाना अति आवश्यक है, और इसके निम्नलिखित प्रकार हैं:

वकील बनाना: ऐसा कहना कि: (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) सही नहीं है, क्योंकि यह हार्दिक कार्य है जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसे कहे: (मैंने अमूक व्यक्ति को अपना वकील बनाया, अर्थात अपना मामला उसके हवाले कर दिया) याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ सहाबा को अपने आम और निजी मामलों का वकील बनाया है।

यदि आवश्यकता पूर्ति का भाव रखते हुए किसी जीवित पर भरोसा किया जाए, तो यह शिर्क -ए- अस़ग़र है, जैसे आजीविका की आशा में किसी जीवित को सबब (माध्यम) से भी ऊपर मान कर उस पर भरोसा करना।

सारा मामला पूर्णरूपेण अल्लाह को ही सौंप देना और यह आस्था रखना कि लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने का सामर्थ्य केवल अल्लाह के पास है।
इसको ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है।

दूसरी व तीसरी दलीलें:

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (ईमान वाले ऐसे होते हैं कि जब उनके समक्ष अल्लाह तआला का ज़िक्र आता है तो उनके हृदय काँप जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें (श्लोक) उनको पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और बढ़ा देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल व भरोसा करते हैं, ये लोग नियमति रूप से नमाज़ अदा करते हैं तथा जो कुछ धन हमने उन्हें दिया है उनमें से ख़र्च करते हैं)।

३- एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (हे नबी, (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप के लिये अल्लाह काफी व पर्याप्त है और उन मोमिनों को भी जो आपका अनुसरण कर रहे हैं)।

- यदा-कदा उपरोक्त गुणों से सुशोभित नहीं होने के बावजूद इंसान मोमिन होता है किंतु उसके साथ मुतलक़ (मूल किंतु अपूर्ण) ईमान होता है (अर्थात मूल बातों पर ईमान रखने के कारण वह मोमिन तो होता है किंतु कामिल व पूर्ण ईमान वाला नहीं होता, दूसरे शब्दों में कहें तो: वह ईमान रखने के कारण मोमिन होता है किंतु पाप एवं कुकर्म करने के कारण पूर्ण एवं मुकम्मल ईमान वाला मोमिन नहीं कहा जा सकता, और इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसके मोमिन होने का ही इंकार कर दिया जाये)
- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾: हे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप के लिये अल्लाह ही काफी व पर्याप्त है, और आपकी पैरवी करने वाले मोमिनों के लिये भी अल्लाह काफी व पर्याप्त है, अतः आप और आप का अनुसरण करने वाले मोमिन केवल अल्लाह पर ही तवक्कुल भरोसा एवं आसरा रखें।

अल्लाह तआला ने इस आयत तथा इसके बाद वाली आयत में पूर्ण व मुकम्मल ईमान के लिये पाँच गुणों का उल्लेख किया है

﴿إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾	अर्थातः आयतों के अल्लाह की महानता एवं आदर पर आधारित होने के कारण उनके हृदय काँप जाते हैं, अतः ईमान की निशानी यह है कि जब अल्लाह का ज़िक्र एवं स्मरण हो तो डरे।
﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾	अर्थातः उसको सच्चा मानते हुये और अपनाते हुये, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इंसान कभी-कभी स्वयं क़ुरआन पढ़ने की तुलना में दूसरों को पढ़ते हुये सुन कर अधिक लाभांवित होता है।
﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾	अर्थातः वह केवल अल्लाह तआला पर ही आसरा व भरोसा रखते हैं न की अल्लाह के सिवाय अन्य पर, इसके बावजूद वो लोग असबाब व माध्यम अपनाते हैं, और यही इस आयत का इस अध्याय से संबंध सिद्ध करता है।
﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾	अर्थातः नमाज़ को पूर्णरूपेण एवं उसके मूल रूप में उसको अदा करते हैं, और अरबी भाषा का शब्द "अल-सलात" (अर्थात नमाज़) इस्म -ए- जिंस (जातिवाचक संज्ञा) है, जो सभी प्रकार की नमाज़ अर्थात फ़र्ज़, नफ़्ल सभी को सम्मिलित है।
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾	अर्थातः यह प्रशंसा एवं सराहना पूरा ख़र्च (व्यय) करने वाले तथा कम ख़र्च करने वाले दोनों के लिये है, जो पूरा ख़र्च करता है वह इस सराहना में उसी स्थिति में सम्मिलित हो सकता है जब्कि उसका तवक्कुल व भरोसा केवल अल्लाह पर ही हो।

चौथी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾ (जो कोई अल्लाह तआला पर तवक्कुल व भरोसा करेगा तो अल्लाह तआला उसके लिये काफी व पर्याप्त होगा)।

- अर्थात उसके समस्त महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन सभी मामलों के लिये अल्लाह काफी होगा, एवं उसके मामले को सहज कर देगा, यद्यपि उसे कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है किंतु अल्लाह उसके लिये काफी होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सैयिदुल मुतवक्किलीन (समस्त भरोसा करने वालों के सरदार) थे फिर भी आपको दुःखों एवं कष्टों का सामना करना पड़ा किंतु आपको कोई हानि नहीं हुई।
- आयत का (विपरीत) अर्थ यह भी है कि जो ग़ैरुल्लाह पर भरोसा करता है अपमानित होता है, और अल्लाह तआला उसे छोड़ देता है।

पाँचवीं दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं किः "इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने कहाः «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾» (अल्लाह हमारे लिय काफी है, और इसी प्रकार से जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि (ये लोग आपके विरुद्ध इकत्र हो गये हैं अतः इनसे डरें, तो उनका ईमान और बढ़ गया और इन लोगों ने कहाः अल्लाह हमारे लिये बस है और अति उत्तम कारसाज़ (युक्तिपूर्वक काम करने वाला है)"।

यह कथा क़ुरआन में मौजूद है कि, अबू सुफियान जब उहुद से वापस आया तो उसने अपने गुमान के अनुसार सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके अनुयायियों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर पलटवार करके उनका मामला ही निपटा दे, रास्ते में कुछ सवारों से भेंट हुई तो उनसे कहाः तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उनलोगों ने उत्तर दिया किः हम मदीना जा रहे हैं, तो उसने उन सवारों से कहाः मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा उनके साथियों को यह बता देना कि हम उनकी ओर पलट कर आ रहें हैं ताकि उनका काम तमाम कर दें, जब ये सवार मदीना पहुँचे तो सारा वृत्तांत कह सुनाया, यह सुन कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा उनके साथियों ने कहाः ﴿حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ (अल्लाह हमारे लिये काफी है और वह बहुत अच्छा कारसाज़ है) मुसलमान सत्तर (७०) की संख्या में निकले यहाँ तक कि हमराअ असद नामक स्थान पर पहुँचे, फिर अबू सुफियान ने अपना विचार त्याग दिया और मक्का लौट गया, यह अल्लाह का अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा मोमिनों के लिये काफी होना है जब उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा किया।

चेतावनी:

विशेषज्ञ उलेमा के समीप यह बात प्रचलित है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस्राईलीयात नक़ल करते हैं, जब्कि यह बात आलोच्य (समीक्षा किये जाने योग्य है) क्योंकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन लोगों में से हैं जो बनी इस्राईल से नक़ल करने से रोकते थे।

बनी इस्राईल से वर्णित सूचना (इस्राईलीयात) को हम सच्चा मानें अथवा झूठा?

1. यदि हमारी शरीअत में आया हो कि यह सच है तो हम उसको सच्चा मानेंगे।
2. यदि हमारी शरीअत में आया हो कि यह झूठ है तो हम उसको झूठा मानेंगे।
3. यदि हमारी शरीअत में इसके सच्चा अथवा झूठा होने के संबंध कोई सूचना उपलब्ध न हो तो हम चुप्पी साध लेंगे।

मसाइल:

पहला: अल्लाह तआला पर तवक्कुल व भरोसा करना धार्मिक कर्तव्य है (क्योंकि अल्लाह तआला ने ईमान का आधार इसी को क़रार दिया है)।

दूसरा: तवक्कुल करना ईमान की शर्तों में से है।

तीसरा: सूरा अंफाल की आयत (﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾) की तफ़्सीर।

चौथा: सूरा अंफाल की आयत के अंतमि वाक्य (﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ﴾)की तफ़्सीर।

पाँचवां: सूरा त़लाक़ (﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾) की आयत की तफ़्सीर।

छठा: इससे इस वाक्य की महानता एवं महत्पूर्ण होने का आभास होता है कि अल्लाह के दो ख़लीलों (मित्रों) इब्राहीम अलैहिस्सलाम तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घोर कष्ट एवं त्रासदी के समय यह कलमा (वाक्य) पढ़ा था (इस अध्याय से जो प्रमाणित होता है वह यह हैं: ईमान में बढ़ोतरी, आपत्ति एवं कष्ट के समय इंसान को माध्यम एवं सबब अपनाते हुये अल्लाह पर ही तवक्कुल व भरोसा करना चाहिये, और यह भी कि अल्लाह तआला पर ईमान लाने के साथ-साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करना भी बंदों के लिये अल्लाह के काफी व पर्याप्त होने का कारण है)।

३४- अल्लाह तआला के फरमान ﴿أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ (क्या ये लोग अल्लाह के उपाय से निर्भय हो गये हैं, अल्लाह के दाव से वही लोग निर्भीक होते हैं जो घाटा उठाने वाले हों) का अध्याय

- **यह अध्याय आधारित है:** अल्लाह के दाव से निर्भय हो जाने तथा अल्लाह की रहमत से निराश हो जाने के बयान पर, ये दोनों एक-दूजे के विलोम हैं, लेखक महोदय की इच्छा वास्तव में यह बयान करना है कि मुसलमान को चाहिये कि वह आशा तथा भय के बीच रहे,
- आयत से चयनित लाभः

1. अल्लाह की ओर से मिलने वाले अनुग्रहों पर बंदे को डरते रहना चाहिये कि यह कहीं ढ़ील न हो।
2. स्वयं को अल्लाह की पकड़ एवं दाव से सुरक्षित समझना हराम एवं वर्जित है।

दूसरी दलीलः

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ﴾ (और गुमराह एवं दिगभ्रमित लोग ही अल्लाह की रहमत से निराश होते हैं)।

- आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह की रहमत (कृपा) से वही निराश होता है जिसे हिदायत (मार्गदर्शन) न मिली हो और यूँ भटक रहा हो कि जिसे मालूम ही न हो कि अल्लाह के लिये क्या वाजिब है, जब्कि अल्लाह तआला अति निकट है, और अल्लाह की रहमत से निराश होना जायज़ नहीं है क्योंकि यह अल्लाह से बुरा गुमान रखना है, क्योंकिः

1. यह अल्लाह तआला की क़ुदरत (सामर्थ्य) में ताना देना है, क्योंकि जिसको यह ज्ञात हो जाये कि अल्लाह तआला हरेक चीज़ करने पर क़ादिर एवं समर्थ है तो वह कोई भी कार्य अल्लाह के लिये असंभव नहीं समझेगा।
2. यह अल्लाह तआला की रहमत (कृपा, दयालुता) में ताना देना है, क्योंकि जो यह जान ले कि अल्लाह तआला रहीम (कृपालु, दयालु) है वह इसको कदापि असंभ नहीं समझेगा कि अल्लाह तआला उस पर रहम ना करे।

तीसरी और चौथी दलीलः

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कबीरा गुनाह (महापाप) के विषय में पूछा गया (कि वो क्या-क्या है)? तो आपने फरमायाः «الشِّرْكُ بِاللهِ،

«وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ» "**अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, अल्लाह की रहमत (कृपा) से निराश हो जाना तथा अल्लाह की तदबीर एवं दाव से निर्भय हो जाना**"।

४- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमायाः «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» "**सबसे बड़े गुनाह (महापाप) ये हैं: किसी को अल्लाह के समतुल्य करार देना, अल्लाह के उपाय एवं दाव से स्वयं को सुरक्षित समझना तथा अल्लाह की दया से निराश हो जाना**"। इस हदीस़ को अबदुर्रज़्ज़ाक़ ने रिवायत किया है।

- «الشِّرْكُ بِاللهِ»: इससे अभिप्राय शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़्ग़र दोनों हैं, और शिर्क -ए- अस़्ग़र भी कबीरा गुनाहों से बड़ा एवं अधिक संगीन है।
- «وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ»: नेमत मिलने के बाद भी अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करता रहे।
- «وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ»: अल्लाह के रहम व कृपा तथा वांछित चीज़ों की प्राप्ति को असंभव समझे।
- «وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ»: मकरूह एवं अवांछनीय चीज़ों के दूर होने को असंभव समझे।

सारांश:

अल्लाह तआला के पथ पर चलने वाले पथिक को दो ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो उसे अपने रब से रोकती हैं, और वो दो चीज़ें हैं: अल्लाह के उपाय एवं दाव से निर्भय हो जाना तथा अल्लाह की रहमत व कृपा से निराश हो जाना, जब उसको कोई कष्ट पहुँचता है या कोई वांछनीय चीज़ नहीं मिल पाती है और यदि उसका रब इसका निवारण नहीं कर देता तो उसके ऊपर निराशा एवं मायूसी छा जाती है, वह दुःख दूर होने को असंभव समझने लगता है और उसे दूर करने वाले माध्यमों को अपनाने का प्रयास नहीं करता, और जहाँ तक बात है अल्लाह के उपाय से निर्भय हो जाने की तो हम देखते हैं कि मानव अनुग्रहों (नेमत) की बहुलता के बावजूद पापों में आकंठ डूबा रहता है और इसी कल्पना में आसक्त रहता है कि चूँकि वह सत्य का पालन कर रहा है इसी कारणवश उसे ये नेमतें मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में कोई संशय बाक़ी नहीं रहता कि यह अल्लाह तआला की ओर से इस्तिदराज (ढ़ील देना) है।

मसाईल:

पहला: सूरा आराफ के आयत (﴿أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा हिज्र के आयत (﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: अल्लाह के उपाय एवं तदबीर से निर्भीक हो जाने पर कड़ी चेतावनी है (कि वह कबीरा गुनाह है)।

चौथा: अल्लाह की दया से निराश हो जाने पर भी कड़ी धमकी व चेतावनी है।

३५- अल्लाह की लिखी हुई तक़दीर पर संतोष करना ईमान का अंश है

सब्र के तीन भेद हैं:

- नेक कामों (सदकर्मों) पर सब्र करना यहाँ तक कि अदा कर दिया जाये, यह अल्लाह के आदेशों का पालन करना है, जैसे नमाज़ व रोज़ा।
- गुनाह के काम (कुकर्म) न करने पर सब्र करना, यहाँ तक कि बच जाये, जैसे शिर्क तथा अन्य ह़राम व वर्जित कार्यों से बचना।
- भाग्य में लिखे हुये दुःखों पर सब्र व धैर्य रखना: जैसे मृत्यु निकट देख कर उस पर सब्र करना।

नेक कामों का सर्वप्रथम उल्लेख इसलिये किया गया है कि अवश्यंभावी है तथा इसका संबंध करने से है, तत्पश्चात गुनाह के कामों से सब्र का उल्लेख किया है क्योंकि इसका संबंध न करने से है, जहाँ तक तक़दीर पर सब्र करने का प्रश्न है तो यह बंदा के बस से बाहर की चीज़ है, यह अलग बात है कि जिस (व्यक्ति) से यह संबंधित होती है उस आधार पर कभी-कभी किसी के लिये गुनाह के कामों से सब्र करना नेक कामों पर सब्र करने की तुलना में अधिक दुष्कर होता है।

पीड़ा एवं त्रासदी के समय लोगों के प्रकार:

- शुक्र अदा करने वाले (यह सर्वोत्तम दर्जा है): ऐसे लोगों का मानना होता है कि यह कष्ट उनके गुनाहों का निवारण तथा ईमान एवं नेकियों में बढ़ोतरी का कारण है, और इसके सिवा भी बड़-बड़े दुःख हैं (जिससे वह सुरक्षित है)।
- राज़ी व सहमत होने वाले (यह मुस्तह़ब - उचित- है): अपने रब व प्रभु से पूर्णरूपेण राज़ी व संतुष्ट रहने के कारण, ऐसे लोगों के निकट नेमत तथा कष्ट समान होते हैं, इसके प्रति उसका दृष्टिकोण यह होता है कि यह उसके रब का निर्णय है जिसे अंगिकार किया जाना चाहिये।
- सब्र करने वाले: (उलेमा का इज्मा (एकमत) है कि यह वाजिब है): दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा, यद्यपि यह उसके लिए कठिन एवं अप्रिय अवश्य होता है तथापि वह सब्र एवं धैर्य से काम लेता है।
- नाराज़ एवं क्रोधित होने वाले (यह कबीरा गुनाह है और कभी-कभी कुफ्र तक पहुँचा देता है): दिल से (रुष्ट व नाराज़ होते हैं) ज़ुबान से (बकवास तथा विनाश एवं बर्बादी की प्रार्थना करते हैं) तथा शारीरिक अंगों से (मुँह पीटते, गिरेबान फाड़ते तथा बाल नोचते हैं)।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ (जो अल्लाह पर ईमान लायेगा वह उसके दिल को हिदायत व मार्गदर्शन देगा), अलक़मा रहिमहुल्लाह कहते हैं: قَالَ عَلْقَمَةُ: (هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْـمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ) "इससे अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसे विपदा पहुँचे तो यह समझे कि यह अल्लाह की ओर से है, चुनाँचे वह उस पर प्रसन्न होता है तथा सहृदय उसे स्वीकार करता है"।

- ﴿يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾: अल्लाह तआला उसे संतोष एवं संतुष्टि देता है, और जब दिल को हिदायत व मार्गदर्शन मिल जाये तो शारीरिक अंगों को भी हिदायत मिल जाती है।

दूसरी दलील:

सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत हैकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْـمَيِّتِ» **"लोगों में दो बाते कुफ्र (अधर्म) की हैं: जाति में व्यंग करना तथा मरे हुये पर विलाप करना"।**

- «الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ»: वंश एवं जात-पात में लांछन लगाना अथवा उसका इंकार करना, यह काफिराना अमल है।
- «وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْـمَيِّتِ»: इसी वाक्य का असल संबंध इस अध्याय से है, अतः रुदन-क्रंदन एवं विलाप करना नाराज़गी एवं अप्रसन्नता की दलील है।

तीसरी दलील:

सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है कि: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْـخُدُودَ، وَشَقَّ الْـجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْـجَاهِلِيَّةِ» **"वह हम में से नहीं जो (दुःख एवं कष्ट के समय) गाल पीटे, कपड़े फाड़े तथा जाहिलीयत एवं मुर्खता की बातें करे"।**

चौथी दलील:

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْـخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» "**अल्लाह तआला जब अपने किसी बंदा के साथ भलाई करना चाहता है तो उसके पापों का दंड उसे शीघ्र ही इसी संसार में दे देता है, और जब अपने किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा करता है तो उसके पाप के दंड को रोक लेता है ताकि क़यामत के दिन उसका पूरा-पूरा दंड देगा**"।

- «بِدَعْوَى الْـجَاهِلِيَّةِ»: हरेक वह चीज़ जिसका सिरा जाहिलीयत वाले युग से जा मिलता हो, जैसे घरों को ध्वस्त करना, बर्तनों को पटकना, खाना बर्बाद कर देना, या इस प्रकार के कृत्य करना, जैसाकि कुछ लोग विपत्ति के समय करते हैं।
- «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ»: स्वयं बुराई मात्र कदापि अल्लाह तआला का इरादा नहीं होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारणः «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» "**बुराई तेरी ओर से नहीं है**", अल्लाह तआला किसी हिकमत (तत्वदर्शिता) के अंतर्गत इस (बुराई) का इरादा फरमाता है, ऐसी स्थिति में किसी हिकमत पर आधारित होने के कारण वह बुराई भी दूसरे अर्थों में भलाई ही होती है।
- हदीस़ का उद्देश्य पीड़ित एवं दुःखी को तसल्ली एवं सांत्वना देना है ताकि वह व्याकुलता एवं अधीरता का प्रदर्शन न करे, क्योंकि संभव है कि यह कष्ट उसके लिये भलाई का माध्यम हो, और ज्ञात रहे कि किसी भी स्थिति में आख़िरत के अज़ाब की तुलना में दुनिया का अज़ाब हल्का है, अतः उसे चाहिये कि अल्लाह की प्रशंसा व सराहना करे कि उसने इस दंड को आख़िरत के लिये बचा कर नहीं रखा अपितु दुनिया ही में उसे दंड मिल गया।

पाँचवीं दलील:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّ عِظَمَ الْـجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» "**बड़ी प्रताड़ना का बदला भी बड़ा होता है, अल्लाह तआला जब किसी समुदाय से प्रेम करता है तो उसकी परीक्षा लेता है, और जो इस पर प्रसन्न हो अल्लाह तआला उससे प्रसन्न हो जाता है और जो इस पर अप्रसन्न हो उससे अल्लाह अप्रसन्न हो जाता है**"।

- हदीस़ से चयनित कुछ फायदेः

1. परीक्षा जितनी कठिन होगी और इंसान उस पर सब्र करे तो उसका प्रतिफल भी उतना ही विशाल होगा।
2. अल्लाह तआला जब किसी समुदाय से प्रेम करता है तो उसे शरई एवं ब्रह्मांडीय रूप में लिखी हुई तक़दीर के द्वारा जाँचता एवं आज़माता है।
3. अल्लाह तआला के लिये, "मोहब्बत", "सख़्त (अप्रसन्नता)" तथा "रज़ा (प्रसन्नता)" जैसे गुणों को साबित करना, बिना समानता एवं कैफियत बयान किये हुये।

मसाइल:

पहला: सूरा तग़ाबुन की आयत (﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: (अल्लाह तआला के निर्णय अर्थात भाग में लिखे हुये पर सब्र एवं संतोष करना भी) अल्लाह तआला पर ईमान रखने का एक हिस्सा है।

तीसरा: किसी के वंश या जात-पात पर व्यंग कसना (उसमें कीड़ा निकालना अथवा उसको नकारना कुफ़्र -ए-अस़्ग़र है)।

चौथा: गाल पीटना, गिरेबान फाड़ना तथा जाहिलीयत एवं मुर्खता के बोल बोलने वाले के लिये कड़ी चेतावनी है (क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा करने वालों से बराअत एवं अलगाव ज़ाहिर किया है)।

पाँचवाँ: अल्लाह तआला अपने बंदे से भलाई चाहता है इसकी क्या निशानी है (कि अल्लाह तआला ऐसे बंदों को संसार ही में दंड दे देता है)।

छठा: और जिसके साथ बुराई चाहता है उसका चिन्ह क्या है (कि अल्लाह तआला ऐसे बंदों के दंड को आख़िरत एवं परलोक के लिये बचा कर रख लेता है)।

सातवाँ: जिस बंदे से अल्लाह तआला प्रेम करता है उसकी निशानी (अर्थातः उसकी परीक्षा लेता है)।

आठवाँ: अल्लाह तआला के निर्णय एवं भाग्य पर अप्रसन्नता प्रकट करना ह़राम एवं निषेध है (अर्थातः उन चीज़ों पर जिनके द्वारा बंदों की परीक्षा होती है)।

नौवाँ: जाँच एवं विपदा पर प्रसन्न रहने का सवाब व प्रतिकार (अर्थातः अल्लाह तआला ऐसे बंदों से प्रसन्न हो जाता है)।

३६- रियाकारी (पाखण्ड) की निंदा

एक से तीन तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ الآيَة. (आप कह दीजिये कि मैं तुम्हारे समान एक इंसान हूँ, (अलबत्ता) मेरी ओर वह्य (प्रकाशना) की जाती है कि तुम सबका माबूद व पूज्य एक ही माबूद है)।

२- और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है कि: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» **"अल्लाह तआला फरमाता है: मैं सभी साझियों से बढ़ कर शिर्क से बेनियाज़ (नि:स्पृह) हूँ, जो कोई ऐसा कर्म करे जिसमें वह मेरे साथ किसी और को भी साझी बनाये तो मैं उसे और उसके शिर्क दोनों को छोड़ देता हूँ"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

३- तथा अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है कि: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ» **"क्या मैं तुम्हें वह बात न बताऊँ जिसका भय मुझे तुम पर काने दज्जाल से भी अधिक है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा: क्यों नहीं हे अल्लाह के रसूल अवश्य बतायें, आपने फरमाया: शिर्क -ए- ख़फी (छिपा हुआ शिर्क), (और वह इस प्रकार कि) कोई व्यक्ति नमाज़ के लिये खड़ा हो तथा ख़ूब अच्छे ढ़ंग से इसलिये नमाज़ पढ़े कि कोई उसे देख रहा है"**। इसे अहमद ने रिवायत किया है।

- ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ﴾: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस बात का आदेश दिया गया है कि वह लोगों को बतायें कि वह एक इंसान हैं, तथा आपके इंसान होने की और अधिक ताकीद इस वाक्य के द्वारा की है: ﴿مِّثْلُكُمْ﴾ (तुम्हारे समान – ही मानव जाति से संबंध रखता हूँ-), हाँ अंतर यह है कि उनकी ओर वह्य (प्रकाशना) की जाती है, अतः उनका आज्ञापालन आवश्यक है, लेकिन उनकी इबादत करना ह़राम है।
- ﴿لِقَآءَ رَبِّهِۦ﴾: प्रसन्नता तथा नेमत (अनुग्रह) आधारित भेंट केवल मोमिनों के लिये आरक्षित है, और इसी में आख़िरत (परलोक) में अल्लाह का दीदार भी सम्मिलित है।
- ﴿عَمَلًا صَٰلِحًا﴾: ख़ालिस़ व दुरुस्त (इख़लास़, निश्छलता) एवं अनुसरण)।
- «أَنَا أَغْنَى»: इसके दो अर्थ हैं:

1. ऐसा अमल (कर्म) बातिल एवं बेकार है जिसमें रिया (पाखंड, दिखावा) समाहित हो, और रियाकारी करना हराम है।

2. अल्लाह तआला की बेनियाज़ी (निःस्पृहता) एवं उसके अधिकार के महत्व का बयान, और किसी के लिये भी जायज़ नहीं है कि वह अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाये।

- «الْـمَسِيحِ الدَّجَّالِ»: उसकी दाहिनी आँख ममसूह अर्थात पोंछी एवं धंसी हुई होगी।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत पर काने दज्जाल से भी अधिक रियाकारी (पाखण्ड) का भय क्यों खाते थे?

1. क्योंकि दज्जाल का फित्ना स्पष्ट होगा जब्कि रियाकारी का फित्ना छिप्त होता है, और स्वयं को रियाकारी से बचाना बड़ा कठिन है।

2. क्योंकि दज्जाल का फित्ना अंतिम युग में सीमित है जब्कि रियाकारी का फित्ना हरेक स्थान तथा हरेक समय विद्यमान है।

शिर्क के दो भेद हैं:

1. ख़फी (छिप्त): जिसका संबंध हृदय से हो जैसे रियाकारी, और इसको शिर्क अल-सराइर (छिप्त शिर्क) भी कहा जाता है।

2. जली (स्पष्ट): जिसका संबंध वाणी एवं वक्तव्य से हो जैसे, ग़ैरुल्लाह की सौगंध लेना, अथवा कर्म से हो जैसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के आगे झुकना व शीश नवाना।

रिया कहते हैं: कोई कर्म इसलिये करना कि लोग उसे देखें अथवा सुनें, यह मुनाफिक़ों का स्वाभाव था।

इबादत समाप्ति के पश्चात हो:
इसका इबादत पर कुछ भी प्रभावी नहीं पड़ता है सिवाय इसके कि इसमें ज़ुल्म व अत्याचार विद्यमान हो, जैसे सदक़ा (दान) देने के पश्चात दुःख देना एवं उपकार जताना।

क्षणिक एवं सामयिक हो:
इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है:

मूल इबादत में हो:
यह इबादत को बातिल एवं बर्बाद कर देता है।

उसी में लगा रहे:
इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है:

इसका भुक्तभोगी इसको दूर करने का प्रयास करे:
ऐसा करना उसपर वाजिब है और उसकी इबादत व उपासना सही है।

इबादत का प्रारंभ उसके अंत से अलग हो:
जैसे ज़कात, ऐसी स्थिति में केवल वह भाग बातिल व बेकार होगा जिसमें रियाकारी समाहित हो।

इबादत के प्रारंभ का संबंध अंत से हो:
जैसे नमाज़, ऐसी स्थिति में पूरी इबादत बातिल व बेकार होगी।

रियाकारी (पाखण्ड) का इलाज व उपचार क्या है?

1- तौहीद सीख कर एवं उसको अंगीकार करके अल्लाह का आदर करना, क्योंकि इंसान यदि पूर्णरूपेण अल्लाह की ताज़ीम व आदर करने लगे तो फिर वह किसी अन्य की परवाह नहीं करेगा।

2- रियाकारी में पड़ जाने के डर से अमल (सदकर्म) करना नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि शैतान या तो आपको रियाकारी व दिखावा कराने का प्रयास करेगा अथवा अल्लाह के सिवाय अन्य से भयभीत कराने का प्रयास करेगा।

3- दुआ व प्रार्थना करना।

4- रियाकारी में पड़ जाने के डर से अपने अमल को छिप्र व गुप्त रूप में अंजाम देना।

5- शरीअत के निर्देशानुसार क़ब्रिस्तान की ज़ियारत व दर्शन करना, क्योंकि यह आख़िरत (परलोक) का स्मरण कराता है, और रियाकारी का संबंध सांसारिक मोहमाया से है।

मसाईल:

पहला: सूरा कहफ़ की आयत (﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: नेक अमल (सदकर्म) में यदि थोड़ा सा भी ग़ैरुल्लाह का अंश मिल जाये तो वह व्यर्थ एंव अस्वीकार्य है।

तीसरा: किसी सदकर्म में यदि ग़ैरुल्लाह को सम्मिलित कर लिया जाये तो उसके व्यर्थ होने का मूल कारण यह है कि अल्लाह इससे अत्यंत निःस्पृह (बेनियाज़) है।

चौथा: इस प्रकार के कृत्य के व्यर्थ होने के कारणों में से एक कारण यह भी है कि अल्लाह तआला अपने साझी बनाये जाने वालों में से सर्वोच्च एवं महान है।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने सहाबा (सहचरों) रज़ियल्लाहु अन्हुम के विषय में रियाकारी व पाखण्ड का भय था (तो उनके बाद के लोगों पर यह भय और अधिक बढ़ जाता है)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रियाकारी को इस प्रकार परिभाषित किया कि कोई व्यक्ति नमाज़ जैसे कर्म को अल्लाह के लिये अदा करता हो किंतु उसको उत्तम ढ़ंग से शोभनीय बनाकर इसलिये पढ़ता है कि कोई उसे देख रहा है (इसी प्रकार वाणी एवं वक्तव्य में भी दिखावा करना रियाकारी है)।

३७- इंसान का अपने कर्म से सांसारिक लाभ चाहना शिर्क है

- यह अध्याय उन लोगों के लिये है जो अपनी इबादत व उपासना पर किसी की सराहना नहीं चाहते, पाखण्ड नही करते, बल्कि वह पूरी श्रद्धा एवं निश्छल भाव से केवल अल्लाह की ही उपासना करते हैं, किंतु इस उपासना के बदले में सांसारिक लाभ चाहते हैं, जैसे धन-दौलत, पद व उच्च श्रेणी, स्वास्थ्य आदि, तो ऐसा व्यक्ति परलोक के सवाब एवं पुण्य को भुलाकर मात्र सांसारिक लाभ कमाने के लिये इबादत कर रहा है।
- इसमें कोई हर्ज नहीं कि इंसान नमाज़ में दुआ करे तथा अल्लाह तआला से धन-दौलत मांगे, किंतु इसी उद्देश्य से नमाज़ न पढ़े, यह बड़ी घटिया बात है कि आख़िरत में लाभांवित करने वाले कर्मों के द्वारा इंसान सांसारिक क्षणिक लाभ मांगे।
- **चेतावनी:** कुछ लोग जब इबादत व उपासना के विषय में कोई बात करते हैं तो इसे सांसारिक लाभ से जोड़ देते हैं, जब्कि होना तो यह चाहिये कि हम सांसारिक लाभ को ही मूल न मान लें।
- यह मामला रियाकारी के मामला से अधिक संगीन है, क्योंकि संभव है कि रिया केवल एक नमाज़ में हो, जब्कि आख़िरत(परलोक) वाले कर्म के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना एक ऐसा खतरा है जो सभी इबादतों पर मंडराता रहता है।

इस अध्याय के आधार पर लोग पाँच प्रकार के होते हैं:

सांसारिक कर्म के द्वारा सांसारिक लाभ चाहनाः	जायज़ है, जैसे कोई घर ख़रीदने के उद्देश्य से व्यापार करे।
सांसारिक कर्म के द्वारा आख़िरत में लाभ चाहनाः	यह मुस्तहब है, जैसे कोई इसलिये खेती करे कि इसको सदका (दान) करेगा।
आख़िरत वाले कर्म के द्वारा आख़िरत चाहनाः	यह सर्वोत्तम है तथा ऐसे व्यक्ति के लिये ख़ुशख़बरी है।
आख़िरत वाले कर्म के द्वारा आख़िरत एवं दुनिया दोनों चाहनाः	इस शर्त के साथ जायज़ है कि आख़िरत वाले पहलू को प्राथमिकता दे ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ﴾ (हे हमारे रब, हमें इस लोक में नेकी दे तथा परलोक में भी भलाई दे)।
आख़िरत वाले अमल के ज़रिये दुनियावी फायदा चाहनाः	यह शिर्क -ए- अस़ग़र है, जैसे धन अर्जित करने के लिये नमाज़ पढ़ना।

- **कैसे पहचाना जायेगा कि उद्देश्य आख़िरत कमाना है अथवा सांसारिक लाभ?** «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ» (यदि उसको दिया जाये तो प्रसन्न रहता है और यदि नहीं दिया जाये तो अप्रसन्न हो जाता है)।
- टिप्पणी: कुछ लोग परीक्षा के समय अत्याधिक आस्था के साथ इबादत करते हैं, परंतु जब परीक्षाफल घोषित हो जाता है तो इबदत करना छोड़ देते हैं।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا﴾ الآيَتَيْنِ. (जो सांसारिक जीवन तथा उसकी शोभा चाहते हैं हम उसके कर्मों का फल संसार में ही दे देतें है)।

इसको सूरह इसरा (बनी इस्राईल) की आयत से ख़ास एवं सीमित कर दिया गया है ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا﴾ (जिसका इरादा केवल इस जल्दी वाली दुनिया का ही हो, उसे यहाँ हम जितना और जिसके लिये चाहें दे देते हैं, और अंततोगत्वा उसके लिये हम जहन्नम निर्धारित कर देते हैं जहाँ वह दुर्दशा में दुत्कारा हुआ प्रवेश करेगा), अतः मामला अल्लाह तआला की मंशा के अंतर्गत है कि वह किसे और कितना देगा।

दूसरी दलील:

सहीह (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ» **"दीनार के भक्त का नाश हो, दिरहम के भक्त का नाश हो, और चादर तथा कम्बल के भक्त का नाश हो, यदि उसे दिया गया तो प्रसन्न और नहीं दिया गया तो खिन्न हो जाता है, वह बर्बाद तथा औंधा हो जाये, और यदि उसे काँटा चुभे तो न निकाला जा सके, और धन्य है वह बंदा जो अल्लाह के मार्ग में अपने घोड़े की लगाम थामे हुवा है, बाल बिखरे हुये पाँव पर धूल, यदि वह पहरे पर है तो उसी में लगा हुआ है, यदि सेना के पिछले भाग में है तो उसी में है, यदि अनुमति माँगे तो न मिले, और यदि सिफारिश करे तो अस्वीकार हो जाये"।**

- «تَعِسَ»: नुकसान व घाटा उठाने वाला। «عَبْدُ الدِّينَارِ»: नक़दी सोना, उसको दीनार का भक्त इसलिये कहा गया है कि उससे उसका संबंध वैसे ही होता है जैसे बंदे व भक्त का अपने रब व प्रभु से होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य केवल रूपया पैसा कमाना ही होता है और इसको अपने रब की बंदगी करने पर भी प्राथमिकता देता है।
- «الدِّرْهَمِ»: नक़दी चाँदी।
- «عَبْدُ الْخَمِيصَةِ»:, «عَبْدُ الْخَمِيلَةِ»: जो बाहरी चीज़ों एवं साज-सज्जा के सामान की फिक्र में लगा रहता है।
- «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ»: उसका प्रसन्न एवं अप्रसन्न होना केवल धन मात्र के लिये होता है, इसी लिये उसे इसका भक्त कहा गया है।
- «وَانْتَكَسَ»: उसकी चाहत के विपरीत मामला उलट जाता है इस अर्थ में कि वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता है।
- «وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ»: जब उसे कोई काँटा चुभ जाये तो वह उसे निकालने की भी शक्ति नहीं रखता है।
- ये तीनों वाक्य या तो केवल सूचना भर हैं या फिर उसके ऊपर बद्दुआ हैं।
- «طُوبَى»: अरबी भाषा का शब्द "तूबा" एक व्यक्ति की जो संभावित सर्वोत्तम स्थिति हो सकती है उसको बताने के लिये प्रयोग किया जाता है, यह भी कहा गया है कि यह जन्नत में एक पेड़ का नाम है, किंतु पहला अर्थ अधिक उपयुक्त एवं आम है।
- «فِي سَبِيلِ اللهِ»: इसका नियम यह है कि युद्ध केवल अल्लाह तआला के कलमा (दीन) को बुलंद करने के लिये करे ना कि स्वाभिमान एवं पक्षपात लेने के लिये।
- «أَشْعَثَ رَأْسُهُ»: अल्लाह तआला के रास्ते में पड़ने वाले धूल के कारण, अल्लाह के आज्ञापालन के मार्ग में अपने शरीर पर पड़ने वाले धूल से अपने शरीर की सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रखता, उसके पाँव अल्लाह के रास्ते में निकलने के कारण धूल-धूसरित हो जाते हैं, और ज्ञात रहे कि बिना किसी बनावट के यदि बंदे के शरीर पर अल्लाह की इबादत का प्रभाव प्रकट हो तो बंदा को उसके कारण अज्र व बदला दिया जायेगा, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**रोज़ेदार के मुँह की दुर्गंध**"।
- «السَّاقَةِ»:(सेना की अंतिम पंक्ति में होता है) ह़दीस़ के इस वाक्य के दो संभावित भावार्थ हैं:
  1- वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसे कहाँ रखा जा रहा है, वह सर्वोच्च पद के लिये लालायित नहीं रहता, उदाहरणस्वरूप वह यह नहीं कहता कि मुझे सबसे अगली पंक्ति में स्थान दो।
  2- यदि वह पहरेदारी में होता है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढ़ंग से करता है, इसी प्रकार यदि सेना की अंतिम पंक्ति में रहे तो वहाँ भी अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढ़ंग से करता है।

- «إِنِ اسْتَأْذَنَ»: लोगों के समीप उसकी कोई कद्र, आदर-सम्मान, सत्कार नहीं होता, किंतु अल्लाह के समीप (उसका अपना एक विशिष्ट स्थान) होता है।
- इस ह़दीस़ का भावार्थ यह है कि कुछ लोग दुनिया के उपासक होते हैं, उसी के लिये प्रसन्न तथा अप्रसन्न होते हैं, और ह़दीस़ ने लोगों को निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित कर दिया है:

1. जिसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया कमाना होता है कि धन संचय करके अपनी स्थिति सुधारे, उसका दिल इसी संसार का भक्त हो जाता है जो उसे अल्लाह का स्मरण व ज़िक्र करने से संज्ञाहीन एवं ग़ाफिल कर देता है, और अब होता यह है कि मामला उसके ऊपर उलट जाता है, और वह छोटे से छोटे कष्ट से छुटकारा पाने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं पाता।
2. उसका मूल उद्देश्य आख़िरत व परलोक होता है, वह उसके लिये बड़ी से बड़ी कठिनाईयां अर्थात अल्लाह के मार्ग में युद्ध लड़ने जैसे कठिन कार्य करता है, इस सब के बावजूद अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी अच्छे ढ़ंग से करता है, और चूँकि उसका उद्देश्य लोगों को लाभांवित करना होता है, अतः लोगों की सिफारिश भी करता है।

मसाइल:

पहला: इंसान का आख़िरत वाले कर्म के बदले दुनिया कमाने की चाहत करना (निंदनीय है)।

दूसरा: सूरा हूद की आयत (﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: (सांसारिक सुख-सुविधा के लिये लालायित रहने वाले) मुसलमान को (عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْخَمِيصَةِ) अर्थात दिरहम व दीनार का भक्त कहा गया है।

चौथा: दिरहम, दीनार, चादर एवं कपड़े के भक्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यदि उसे दिया जाये तो प्रसन्न हो जाता है अन्यथा अप्रसन्न।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान «تَعِسَ وَانْتَكَسَ» का भाष्य एवं व्याख्या (संभव है कि यह सूचना मात्र हो तथा यह भी संभव है कि यह आप की ओर बद्दुआ एवं शाप हो)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान «وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ» का भाष्य एवं व्याख्या (संभव है कि यह सूचना मात्र हो तथा यह भी संभव है कि यह आप की ओर से बद्दुआ एवं शाप हो)।

सातवाँ: ह़दीस़ में वर्णित गुणों से सुसज्जित मुजाहिदों की प्रशंसा (वास्तव में यही लोग प्रशंसनीय हैं न कि दिरहम, दीनार, कपड़ा तथा सांसारिक पदों की चाहत रखने वाले)।

३८- अल्लाह के ह़राम किये हुये को ह़लाल तथा ह़लाल किये हुये को ह़राम करने में जिसने विद्वानों एवं प्रशासकों का आज्ञापालन किया उसने अल्लाह को छोड़ कर उसे अपना रब बना लिया

अल्लाह तआला की अवज्ञा में उलेमा या शासक के आज्ञापालन की परिस्थिति:

अज्ञानतावश यह समझते हुये उसका अनुसरण करे कि यही अल्लाह का आदेश है, तो इसमें तफ्सील एवं विस्तार है:

१- उसके लिये स्वयं ह़क़ व सत्य को जानना सरल हो, ऐसी स्थिति में वह कोताही करने वाला माना जायेगा और गुनाहगार होगा।

२- न तो वह ज्ञानी हो और न ही उसके लिये सीखना व ज्ञान अर्जित करना संभव हो, और वह उसकी तक़लीद (अनुकरण) यह समझते हुये कर रहा हो कि यही ह़क़ है, तो उस पर कोई हर्ज नहीं, वह विवश एवं असमर्थ माना जायेगा।

कुफ्र -ए- अस़ग़र व बड़ा विध्वंसक एवं संगीन है, और संभव है कि ऐसा करने वाला कुफ्र -ए- अकबर में पड़ जाये:

अल्लाह तआला के आदेश से सहमत होते हुये और यह जानते हुये कि अल्लाह का आदेश ही बंदों तथा देशों के सबसे उचित व मुनासिब है, किंतु वह उनकी बात अपनी किसी कामना की पूर्ति के लोभ में माने, जैसे उसका उद्देश्य नौकरी हासिल करना हो, और यदि इसके कारण किसी मुस्लिम का हक मारा जाता है तो ज़ालिम (भी) माना जायेगा।

कुफ्र -ए- अकबर है:

उसकी बात से सहमत होते हुये और उसी को प्राथमिकता देते हुये तथा अल्लाह तआला के आदेश से असहमति जताते हुये उसकी बात माने, क्योंकि जिसने भी अल्लाह के उतारे हुये को अप्रिय समझा वह काफिर है, इसी प्रकार से वह भी जो यह समझे कि उनका आदेश अल्लाह के आदेश के समान अथवा उससे भी बेहतर है।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ﷺ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ!» "(यदि तुम्हारा यही हाल रहा तो) निकट भविष्य में तुम पर आकाश से पत्थर की वर्षा हो सकती है, मैं कहता हूँ कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, और तुम कहते हो: अबू बकर तथा उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने (ऐसा) कहा"।

दूसरी दलील:

और अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ने फरमायाः «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ؛ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ الشِّرْكُ؛ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ» "मुझे उन लोगों पर बड़ा अचरज होता है जो ह़दीस़ की सनद तथा उसके सही होने का ज्ञान होने के बाद भी सुफयान रहिमहुल्लाह के विचार को मानते हैं, जब्कि अल्लाह तआला फरमाता हैः (जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों का विरोध करते हैं उन्हें डरना चाहिये कि कहीं उन पर कोई फित्ना या भयंकर आपदा न आ जाये), (और फिर पूछा) जानते हो फित्ना क्या है? इससे अभिप्राय शिर्क है, संभव है कि इंसान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी बात का उल्लंघन करे तो उसके दिल में टेढ़ापन (वक्रता) आ जाये और अंततोगोत्वा उसका नाश हो जाये"।

- «قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ!»: आदरणीय अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के संबंध में यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने अपनी राय को क़ुरआन व ह़दीस़ पर प्राथमिकता दी हो।
- ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ﴾: अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश से बेपरवाही तथा उस पर ध्यान न देते हुये उससे विमुखता प्रकट करना।

तक़लीद के संबंध में तीन विभिन्न मत हैं:

जायज़ (सबसे प्रबल एवं सर्वोत्तम यही है)	बिल्कुल ह़राम है	तक़लीद वाजिब है
आवश्यकता के समय तथा स्वयं किसी मामले का सटीक ज्ञान अर्जित करने में अक्षम होने की स्थिति में, उसे जिसके दीन व ज्ञान पर अधिक भरोसा हो उसकी तक़लीद समस्त मसले में करे, तथा आसानियां न ढूँढ़ता रहे।	क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की बात को मान लेना है जिसकी बात हुज्जत एवं दलील नहीं है।	क्योंकि चारों प्रसिद्ध इमामों के मृत्यु पश्चात अब इज्तेहाद का दरवाज़ा बंद हो चुका है।

तीसरी दलील:

अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस आयत का पाठ करते हुये सुनाः ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآيَة،

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟»، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ» (उन्होंने अपने पादरियों तथा संतों को अल्लाह तआला के सिवा अपना रब व प्रभु बना लिया), तो वह कहते हैं कि मैंने आप से कहाः हम उनकी पूजा नहीं करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**जिस चीज़ को अल्लाह ने ह़लाल किया है तुम उनके ह़राम करने से क्या उसे ह़राम नहीं मान लेते थे, और जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने ह़राम क़रार दिया है उनके द्वारा उसे ह़लाल क़रार देने में क्या तुम उनका अनुसरण नहीं करते थे, तो मैंने कहाः हाँ, तो आपने फरमायाः यही तो उनकी पूजा करना है**"। इसे इमाम अहमद तथा तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा इस ह़दीस़ को ह़सन (उत्तम) कहा है।

- ﴿أَحْبَارَهُمْ﴾: अत्याधिक ज्ञान रखने वाला प्रकांड विद्वान।
- ﴿وَرُهْبَانَهُمْ﴾: तपस्वी एवं साधक तथा इबादतगुज़ार।
- «إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ»: अर्थातः हम उनके लिये रुकू व सज्दा तथा ज़ब्ह (बलि) एवं मन्नत नहीं मांगते थे, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें समझाया कि यहाँ इबादत व साधना से अभिप्राय उनका आज्ञापालन करना है, अर्थात यह सीमित रूप में उनकी साधना करना ही है।

मसाइल:

पहला: सूरा नूर की आयत ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा बराअत की आयत ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ की तफ़्सीर।

तीसरा: इबादत (वंदना) के उस अर्थ का वर्णन जिसका अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंकार किया था (कि यहाँ इससे अभिप्राय आज्ञापालन करके उनकी इबादत करना है)।

चौथा: अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा तथा इमाम अहमद ने इमाम सुफ़यान स़ौरी रह़िमहुल्लाह का नाम पेश करने पर इंकार किया (जिससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश के समक्ष किसी की बात स्वीकार्य नहीं)।

पाँचवां: अब तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी कि अधिकतर अवाम के निकट संतों एवं धर्मगुरूओं की वंदना ही उत्तम कर्म समझा जाने लगा तथा इसे विलायत का नाम दिया जाने लगा, इसी प्रकार ज्ञान तथा धर्मबोध के नाम पर बुद्धिजीवियों की भी उपासना होने लगी, फिर स्थिति में यहाँ तक परिवर्तन हुआ कि अल्लाह के सिवाय उन लोगों की भी इबादत होने लगी जो नेक व धर्माचारी नहीं थे, यदि दूसरे अर्थों में कहें तो उनकी भी वंदना होने लगी जो ज्ञानी न होकर निरे मूर्ख थे (अतः हमें डरते रहना चाहिये, और हम भली भांति यह जान लें कि अल्लाह की शरीअत ही ऐसी चीज़ है जिसकी रक्षा करना और उसे अन्य चीज़ों के मिश्रण से बचाना हमारे ऊपर वाजिब है, साथ ही साथ यह भी कि अल्लाह की ह़राम की हुई चीज़ों को ह़लाल करने तथा अल्लाह की ह़लाल की हुई चीज़ों को ह़राम करने में किसी भी स्थिति में किसी की बात स्वीकार्य नहीं है)।

३९- अल्लाह तआला के फरमान ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾ الآيَاتِ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो यह दावा तो करते हैं कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया उस पर उनका ईमान है, किंतु वो अपने फैसले ताग़ूत (ग़ैरुल्लाह) के पास ले जाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें आदेश दिया गया है कि उसका इंकार करें, शैतान तो यही चाहता है कि उन्हें सुदूर बहका कर डाल दे) का अध्याय

- इस अध्याय का पिछले अध्याय से बड़ा मज़बूत संबंध है, क्योंकि पिछले अध्याय में अल्लाह की ह़राम की हुई चीज़ों को ह़लाल करने तथा ह़लाल की हुई चीज़ों को ह़राम करने में बुद्धिजीवी तथा प्रशासक के आज्ञापालन का हुक्म बयान किया गया था, जब्कि इस अध्याय में उन लोगों का इंकार है जो अल्लाह को छोड़ कर ग़ैरों के पास जाकर फैसला करवाने की इच्छा रखते हैं।
- ﴿أَلَمۡ تَرَ﴾: यह प्रश्न है जिसका उद्देश्य उन लोगों की स्थिति को साबित करना और उन पर आश्चर्य प्रकट करना है, और संबोधन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है।
- ﴿يَزۡعُمُونَ﴾: (जो गुमान रखते हैं) यह नहीं फरमायाः (الَّذين آمنوا) (जो लोग ईमान लाये) क्योंकि वो लोग ईमान नहीं लाये थे बल्कि वो लोग ऐसा झूठा गुमान करते थे।
- ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ﴾: शैतान, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, जो इंसानी तथा जिन्नाती (मानवी एवं दानवी) दोनों प्रकार के शैतानों को सम्मिलित है।
- ﴿أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾: धीरे-धीरे ह़क़ (सत्य) से दूर करते हुये उसे बहुत दूर पहँचा देता है।
- ﴿رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ﴾: ज़मीर (सर्वनाम) के स्थान पर इज़हार (संज्ञा) प्रयोग करने के तीन लाभ हैं:
  1. ये लोग जो मोमिन होने का गुमान रखते थे वास्तव में मुनाफ़िक़ थे।
  2. ऐसे कर्म केवल मुनाफ़िक़ ही कर सकता है, क्योंकि मोमिन किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रोक-टोक के आज्ञापालन करता है।
- चेतावनी देना, क्योंकि वाक्य की बणत यदि एक ही ढ़ंग पर हो तो इंसान कभी-कभी असावधान हो जाता है, लेकिन वाक्य का अंदाज़ जब बदल जाये तो इंसान सतर्क हो जाता है।

- **शैख़ुल इस्लाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं:** अल्लाह तआला की विशेषताओं में हेर-फेर तथा तावील करने वालों के लिये यह आयत बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यह लोग कहते हैं: हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि: अल्लाह तआला के अपने रसूल पर उतारे हुये शरीअत की ओर आओ तो विमुखता प्रकट करने लगते हैं तथा मना करते हुये कहते हैं: हम अमूक-अमूक व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, और जब इसका विरोध किया जाता है तो कहते हैं: हम तौफ़ीक़ और एहसान चाहते हैं, तथा हम सुने हुये प्रमाण तथा बुद्धी द्वारा प्रमाणित चीजों के मध्य संतुलन बनाना चाहते हैं।

दो से चार तक दलीलें:

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (जब उनसे कहा जाता है धरती में उपद्रव न करो तो कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करते हैं)।

३- एवं उसका कथन है: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (धरती में सुधार के पश्चात अब फिर से बिगाड़ न उत्पन्न करो)।

४- एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ الآية. (तो क्या फिर ये अंधकार युग का विधान चाहते हैं)।

- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾: धरती पर फसाद एवं उपद्रव फैलाने के दो रूप हैं:
  1. **इंद्रीय तथा दृष्टिगोचर होने वाला फसाद:** जैसे घरों को ध्वस्त करना तथा मार्गों को ख़राब करना।
  2. **नैतिक फसाद:** कुकर्मों के द्वारा, यह धरती के सबसे संगीन फसादों में से है।
- ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾: यह सबसे बोगस दावों में से एक है, और अल्लाह तआला ने इसका मुकाबला इससे भी बड़ी चीज़ से किया है, कि ये लोग जो सुधार के नाम पर धरती में फसाद फैला रहे हैं वास्तव में यही लोग सबसे बड़े फसादी व उपद्रवी हैं न कि कोई और।
- ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾: अर्थात मुसलेहीन (सुधारकों) द्वारा किये गये सुधार के पश्चात, और इसी वर्ग में आयेगा, ज्ञानियों के आमंत्रण, सलफ की दावत तथा जो लोग शरीअत का चलन एवं कार्यान्वयन करते हैं उनके विरोध करना तथा उसके विरुद्ध उठ खड़ा होना।

- ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾: इस्तिफ़्हाम (प्रश्नवाचक संज्ञा) यहाँ डाँटने-फटकारने के लिये है, कि क्या ये लोग अंधकार युग वाले निर्णय ही की तलाश में नहीं रहते हैं।
- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا﴾: उससे बेहतर निर्णय किसी का नहीं हो सकता, यहाँ वाक्य की यह बणत चैलेंज तथा चुनौती के अर्थ में है।

पाँचवीं दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» तुम में से कोई उस समय तक (पक्का) मोमिन नहीं हो सकता जबतक उसकी इच्छाएं मेरे आदेशों के अधीन न हो जायें। अल्लामा नौवी ने कहा है किः यह ह़दीस़ सही है, और इसको मैंने अपनी पुस्तक (अल-हुज्जा) में सही सनद के साथ रिवायत किया है।

छठी दलील:

शाअबी रह़िमहुल्लाह कहते हैं कि एक मुनाफ़िक़ (द्वयवादी) तथा एक यहूदी के बीच झगड़ा हो गया, चूँकि यहूदी जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रिश्वत नहीं लेते (तथा निर्णय में पक्षपात नहीं करते) अतः उसने कहा कि मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निर्णय करा लेते हैं, तथा मुनाफ़िक़ ने कहा कि यहूद के पास चलें क्योंकि वह जानता था कि यहूद घूस लेते हैं, अंततः दोनों इस बात पर सहमत हो गये कि बनू जुहैना के एक काहिन से निर्णय करा लेते हैं, तो इस पर यह आयत उतरीः ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो यह दावा तो करते हैं कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया उस पर उनका ईमान है)।

कुछ उलेमा ने कहा है कि यह आयत उन दो व्यक्तियों के संबंध में उतरही है जिनका आपस में विवाद हो गया था, तो एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास इस मामला को लेकर चलते हैं, दूसरे ने कहा नहीः काब बिन अशरफ़ के पास चलते हैं, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गये तथा पूरा वृत्तांत सुनाया तो जो रसूलुल्लाह के पास नहीं जाना चाहा था, उससे पूछाः क्या ऐसी ही बात है, उसने कहाः हाँ, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार से उसकी हत्या कर दी।

- «لَا يُؤْمِنُ»: अर्थातः पूर्ण ईमान, सिवाय इसके कि वह पूरी तरह इससे विमुख हो तो (मूल) ईमान का इंकार होगा।
- इस ह़दीस़ को उलेमा के एक समूह ने ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहा है, किंतु अर्थ सही है।
- «مِنَ الْمُنَافِقِينَ»: मुनाफ़िक़ कहते हैं जो, कुफ़्र छुपाये रखे तथा इसलाम का दिखावा करे।
- «الْيَهُودِ»: मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म का अनुसरण करने वालों को यहूद कहा जाता है, और इस नामकरण के पीछे दो कारण हैः
  1. क्योंकि उन्होंने कहाः (إنَّا هدنا إليك) (हम आपकी ओर पलट आये)।
  2. या अपने पूर्वज यहूज़ा की ओर निस्बत व संबंध जोड़ते हुये।
- «إِلَى مُحَمَّدٍ»: आपको रिसालत वाले गुण से सुसज्जित नहीं किया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं रखते थे।

मसाइल:

पहला: सूरा निसा के आयत की तफ़्सीर तथा त़ाग़ूत के अर्थ की व्याख्या है। (﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ﴾).

दूसरा: सूरा बक़रा की आयत ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ की तफ़्सीर (इसमें इस बात का प्रमाण है कि निफ़ाक़ धरती में फसाद फैलाने का एक रूप है क्योंकि यह आयत मुनाफ़िक़ीन ही से संबंधित है, और फसाद हरेक प्रकार के गुनाह को कहते हैं)।

तीसरा: सूरा बक़रा की आयत ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ की तफ़्सीर।

चौथा: सूरा बक़रा की आयत ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ﴾ की तफ़्सीर (जाहिलीयत हरेक उस चीज़ को कहते हैं जो शरीअत के विरुद्ध हो, जाहिलीयत से उसका संबंध जोड़ने का उद्देश्य इससे घृणा उत्पन्न करना तथा उसकी बुराई बयान करना है, और यह जहालत (अज्ञानता) तथा गुमराही पर आधारित होता है)।

पाँचवां: पहली आयत की तफ़्सीर में शाअबी के कथन की व्याख्या।

छठा: सच्चे तथा झूठे ईमान का वर्णन (सच्चा ईमान अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों को पूर्णरूपेण स्वीकार करने, उसके आगे नतमस्तक होने तथा विनम्रता अपनाने का नाम है जब्कि झूठा ईमान इसके विपरीत है)।

सातवाँ: मुनाफ़िक़ के संग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बर्ताव।

आठवाँ: किसी भी व्यक्ति को उस समय तक पूर्ण ईमान की प्राप्ति नहीं हो सकती जबतक उसकी समस्त इच्छायें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों के अधीन न हों।

सातवें भाग से परीक्षा (९ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: (☒) का चिन्ह उचित स्थान पर लगायें अथवा रिक्त स्थान पूर्ण करें:

1- सातवें पाठ में पहले अध्याय का नाम "मोहब्बत से संबंधित विषय" का अध्याय है: ☐ सही ☐ गलत।

2- कुछ इबादत करने वाले चंद क़ब्रों का ऐसा आदर और सम्मान करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत रखने के समान होता है, अथवा उससे भी अधिक: ☐ सही ☐ गलत।

3- यदि किसी का दिल पूर्णरूपेण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रेम से ख़ाली हो तो वह: ☐ कमज़ोर ईमान वाला है ☐ उसके अंदर ईमान है ही नहीं।

4- संतान, माता-पित तथा समस्त लोगों से बढ़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत होनी चाहिये: ☐ सही ☐ गलत।

5- ईमान की मिठास का अनुभव करने के कारणों में से एक कारण है, मोहब्बत रखना: ☐ अल्लाह के लिये ☐ सगे-संबिधियों के लिये।

6- नह्य (इंकार) को सर्वप्रथम इस अर्थ में लिया जायेगा: ..... अथवा .... अथवा .....

7- वईद (धमकी) वाले नुसूस (दलील) के संबंध में अहले सुन्नत का कहना है कि: ....

और क्या इसका यह अर्थ है कि हम क़ुरआन व ह़दीस़ नहीं समझते: ☐ हाँ ☐ नहीं।

8- जिनका विचार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आ जाने के बाद भी यहूदी व ईसाई अल्लाह के समीप प्रिय अथवा स्वीकार्य दीन पर हैं, तो वह क़ुरआन को झुठलाने वाला इस्लाम से ख़ारिज है: ☐ सही ☐ गलत।

9- मुसलमान काफिर को धोखा नहीं देता वरन वह उसको नसीहत करता एवं समझाता है कि मूसा और ईसा अलैहिमस्सलाम ने जो आदेश दिया था उसके विपरीत वह लोग दिगभ्रमित हैं: ☐ सही ☐ गलत।

10- अल्लाह के शत्रुओं से घृणा का कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम उनसे किये हुये वादा को तोड़ दें : ☐ सही ☐ गलत।

11- (जब मैं किसी ईसाई को देखता हूँ तो अपनी आँखें भींच लेता हूँ,क्योंकि मुझे यह अप्रिय है कि मैं अपने चक्षु से अल्लाह के शत्रु को देखूँ) यह कथन है: ☐ इमाम अहदमद का ☐ इब्ने तैमिया।

12- (जो मोमिन मुत्तक़ी (परहेज़गार, निग्रही) होगा वो अल्लाह का मित्र होगा), यह कथन है: ☐ इब्ने तैमिया का ☐ इब्नुल क़ैयिम का।

13- अल्लाह की ओर से बंदों के आम विलायत (मित्रता) मोमिन, काफिर तथा समस्त जीव को सम्मिलित है: ☐

सही ☐ गलत।

14- कोई व्यक्ति नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, परंतु अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती रखता हो तो वह अल्लाह की विलायत व दोस्ती का पात्र नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

15- लेखक रहिमहुल्लाह ने मोहब्बत के पश्चात ख़ौफ का उल्लेख किया है क्योंकि इबादत इन्हीं दो आधारों पर की जाती है: ☐ सही ☐ गलत।

16- अल्लाह तआला से डरने के विषय में लोग अति, न्यून तथा संतुलित तीन प्रकार के हैं : ☐ सही ☐ गलत।

17- उचित व संतुलित भय वह है जो केवल अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से दूर कर दे, यदि इससे अधिक हो तो यह अल्लाह से निराश हो जाने की ओर ले जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

18- प्रत्येक व्यक्ति जो अश्लीलता तथा बुराई के प्रचार-प्रसार में भाग लेता है वह शैतान के दोस्तों में से है: ☐ सही ☐ गलत।

19- जो अल्लाह से डरता है उससे सारी चीज़ें डरती हैं और जो अल्लाह से बचता है उससे सारी चीज़ें बचती हैं और जो ग़ैरुल्लाह से डरता है वह सारी चीज़ों से डरता है: ☐ सही ☐ गलत।

20- मस्जिद को आबाद करने का अभिप्राय उसको आबाद करना है: ☐ भौतिक रूप से (भवन निर्माण करके) ☐ नैतिक रूप से (उसमें उपासना करके) ☐ उक्त सभी।

21- अल्लाह तआला ने अनेकों स्थान पर अल्लाह पर ईमान तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखने का एक साथ उल्लेख किया है क्योंकि यह आज्ञापालन के लिये प्रेरित करता है: ☐ सही ☐ गलत।

22- हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम क्यों करें? १- ..... २- ..... ३- ..... ४- .....

23- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मृत्यु पश्चात आपसे प्रेम रखा जायेगा: १- ..... २- .....

24- (أقام الصَّلاة) से आशय है: ☐ वाजिबी तौर पर अदा करना ☐ मुस्तहब तौर पर अदा करना ☐ उक्त सभी।

25- तवक्कुल आधा दीन है: ☐ सही ☐ गलत, यह कहना सही है: ☐ मैंने आप पर तवक्कुल किया ☐ मैंने आप को अपना वकील बनाया ☐ मैंने अल्लाह पर तत्पश्चात आप पर तवक्कुल किया ☐ प्रथम के अतिरिक्त सभी।

26- तवक्कुल कहते हैं : ..... और इसके भेद हैं : ☐ ३ ☐ ४ ☐ ५।

27- मृतक अथवा अनुपस्थित नेक लोगों पर भरोसा करना, शिर्क: ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

28- आवश्यकतापूर्ति का भाव रखते हुये किसी पर जीविका के संबंध में भरोसा करना: ☐ सही है ☐ शिर्क -ए-अस़ग़र है।

29- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भरोसा करने वालों के सरदार हैं इसके बावजूद आपको दुःख (☐ झेलना पड़ा ☐ नहीं झेलना पड़ा), किंतु कोई हानि (☐ नहीं हुई ☐ हुई), क्योंकि अल्लाह तआला आपके लिये काफी था।

30- कष्ट एवं पीड़ा के समय क्या कहा जायेगा? .....

31- इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन लोगों में से हैं जो बनी इस्राईल की रिवायतः ☐ लेते हैं ☐ नहीं लेते हैं।

32- अल्लाह की रहमत (कृपा) से निराश होता हैः ☐ गुमराह ☐ जिसे हिदायत न मिली हो ☐ ऐसे ही भटकने वाला जिसे कुछ पता नहीं हो ☐ उक्त सभी।

33- अल्लाह के दाव एवं उपाय से निर्भीक होने का अर्थ (☐ भय ☐ आशा) में बाधा उत्पन्न होना है, और अल्लाह के रहम से निराश होने का अर्थ (☐ भय ☐ आशा) में विकार आना है।

34- गुनाह -ए- कबीराः (☐ गण्य, गिनने योग्य हैं ☐ सीमित है), और यह सभी एक ही दर्जा में हैं : (☐ सही ☐ गलत) तथा शिर्क -ए- अस़ग़र इसमें सबसे बड़ा हैः (☐ सही ☐ गलत), और कबीरा गुनाह के अपराधी का हुक्मः (☐ कमज़ोर ईमान वाला मोमिन है ☐ अपने ईमान के कारण मोमिन है तथा कबीरा गुनाह के कारण फ़ासिक़ है ☐ मोमिन है ☐ काफिर है ☐ पहला व दूसरा) और गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देने वाले सेः (☐ प्रेम रखा जायेगा ☐ घृणा किया जायेगा ☐ उसके ईमान के बराबर उससे मोहब्बत रखी जायेगी तथा उसके फ़िस्क़ के समान उससे घृणा किया जायेगा), क्या गुनाहे कबीरा नेक अमल (सदकर्म) से माफ हो जाते हैं? (☐ हाँ ☐ नहीं), क्या गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देते समय उसके समीप बैठा जायेगा? ((☐ हाँ ☐ नहीं), और कुछ कबीरा गुनाहों से तौबा करना सही हैः ((☐ हाँ ☐ नहीं)।

35- सब्र के भेद हैं : ☐ ३ ☐ ४ ☐ ५, बंदे से अल्लाह के प्रेम की निशानी उसकी परीक्षा लेना हैः ☐ सही ☐ गलत।

36- सब्र का सर्वोच्च दर्जा अल्लाह के अवज्ञा से सब्र करना हैः ☐ सही ☐ गलत।

37- सब्र वाले अध्याय को याद करने का एक लाभ दुःख एवं पीड़ा के समय तथा दुखित एवं पीड़ित पर इसको पढ़ना भी हैः ☐ सही ☐ गलत।

38- कुफ्र के दुर्गुणों में से दो दुर्गुणों का किसी मोमिन में पाये जाने का अर्थ है कि वह काफिर हैः ☐ सही ☐ गलत।

39- ईमान के गुणों में से दो गुण जैसे लज्जा का किसी काफिर में पाये जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह मोमिन हैः ☐ सही ☐ गलत।

40- कलमा एवं वाक्य (कुफ्र) को नकरा (अनिश्चयवाचक सर्वनाम) का प्रयोग (☐ प्रमाण है ☐ प्रमाण नहीं है) इस्लाम से ख़ारिज हो जाने पर।

41- विपत्ति के समय लोगों के प्रकार होते हैं : ☐ ५ ☐ ४ ☐ ३।

42- अल्लाह तआला से रुष्ट (नाराज़) होना कुफ्र तक पहुँचा देता हैः ☐ सही ☐ गलत।

43- नाराज़गी होती हैः ☐ दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों से ☐ ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों से।

44- सब्र करने, निर्णय पर संतोष करने तथा दुःख के बोझ के मध्य अंतर है: ☐ सही ☐ गलत।

45- कभी-कभी विपत्ति के कारण बंदे के ईमान में वृद्धि होती है: ☐ सही ☐ गलत।

46- बुराई का इरादा अल्लाह तआला किसी हिकमत के अंतर्गत करता है, तथा वह बुराई भी हिकमत आधारित होने के कारण एक प्रकार से भलाई ही होती है: ☐ सही ☐ गलत।

47- क़्यामत को क़्यामत कहते हैं : ☐ लोगों के अपने समाधियों से क़्याम (उठ खड़े होने) के कारण ☐ गवाही क़ायम (दिये जाने) के कारण ☐ न्याय क़ायम होने के कारण ☐ उक्त सभी।

48- शीघ्र ही दुनिया ही में दंड मिल जाना उसको आख़िरत तक बचा कर रखने से बेहतर है: ☐ सही ☐ गलत।

49- काँटा चुभने का बदला हड्डी टूटने के बदला के समान है: ☐ सही ☐ गलत।

50- (अल्लाह तआला के) समस्त विशेषताओं में ☐ उसको प्रमाणित करना आवश्यक है ☐ समानता अथवा कैफियत बयान करने से बचना अपरिहार्य है ☐ उक्त सभी।

51- वंश-गोत्र, तथा जात-पात में व्यंग करने का अर्थ है: ☐ उस पर लांछन लगाना ☐ उसका इंकार करना ☐ उक्त सभी।

52- रियाकारी (पाखण्ड) करना, शिर्क -ए- ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है, किंतु यदा-कदा कुफ़्र -ए- अकबर तक पहुँच जाता है, तथा रियाकारी (दिखावा) कहते हैं उस कृत्य को जो लोगों को दिखाने के लिये किया जाये, परंतु लोगों को सुनाने के लिये किया जाने वाला कृत्य रियाकारी नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

53- रियाकारी के उपचार का एक तरीका मौत तथा मरनासन्न वाली स्थिति का स्मरण करना है: ☐ सही ☐ गलत।

54- किसी का अपनी इबादत के विषय में लोगों को पता चल जाने के बाद प्रसन्न होना: ☐ रियाकारी है ☐ रियाकारी नहीं है।

55- अल्लाह के आदेशों का पालन करने के बाद लोगों का प्रसन्न होना: ☐ रियाकारी है ☐ रियाकारी नहीं है।

56- किसी व्यक्ति ने केवल अल्लाह को प्रसन्न करने के लिये निःकपट भाव से किसी को सदका (दान) दिया, फिर अल्लाह तआला ने मोमिनों के हृदय में उसके लिये प्रेम तथा प्रशंसा का भाव उत्पन्न कर दिया, ऐसा व्यक्ति: ☐ रियाकारी है ☐ रियाकार नहीं है।

57- धन वृद्धि की आशा रखते हुये दान-पुण्य करना, मानो: ☐ आख़िरत वाले कर्मों के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना है ☐ आख़िरत वाले कर्मों के द्वारा आख़िरत ही चाहना है।

58- मुसलमान को जब पाखण्ड का अंदेशा हो तो उसे कर्म करना त्याग देना चाहिये, ऐसा करना: ☐ जायज़ है ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है।

59- दीनार का भक्त कहा गया है: ☐ उसकी उपासना के कारण ☐ उसी के लिये प्रसन्न तथा अप्रसन्न होने के कारण, अर्थात जैसी स्थिति एक उपासक की होती है वैसी ही स्थिति उसकी होती है।

60- «طُوبَى» अर्थातः ☐ एक व्यक्ति की जो सबसे उत्तम स्थिति हो सकती है ☐ स्वर्ग में एक पेड़ का नाम।

61- बंदे का अपने (आख़िरत वाले) कर्म के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना रियाकारी से अधिक संगीन हैः ☐ सही ☐ गलत।

62- झगड़ा करने वाले दो समूहों में से एक समूह का न्यायाधीश को कुछ देनाः ☐ यह कर्मियों को उपहार देने के समान है ☐ यह रिश्वत एवं घूस है ☐ उक्त सभी।

63- "ला इलाहा इल्लल्लाह" के इक़रार में दिखावा करना तथा दान देने में दिखावा करना दोनों समान हैं : ☐ सही ☐ गलत।

64- दिरहम कहते हैं नक़दीः ☐ चाँदी को ☐ सोना को।

65- सराहनीय दौलतमंद तथा उच्च पदों वाले हैं : ☐ सही ☐ गलत।

66- यदि किसी को कुछ दे दिया जाये तो प्रसन्न हो जाये तथा न दिया जाये तो अप्रसन्न हो जाये, ऐसे स्वाभाव का व्यक्ति दुनिया का ही भक्त होता हैः ☐ सही ☐ गलत।

67- उलेमा कहते हैं : (☐ कार्यान्वयन तथा लागू करने का अधिकार रखने वाले को ☐ मार्गदर्शन करने वाले को) तथा शासक इसके अतिरिक्त होते हैं।

68- आदरणीय अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के विषय में यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने मात्र अपनी राय के द्वारा क़ुरआन व ह़दीस़ का विरोध किया होः ☐ सही ☐ गलत।

69- अल्लाह तआला की अवज्ञा में बुद्धिजीवी तथा शासकों के आज्ञापालने के रूप हैं : १- ..... इसका हुक्मः ..... २- ..... इसका हुक्मः ..... ३- ..... इसका हुक्मः .....

70- धार्मिक कट्टरपन तथा अंध अनुसरण (तक़लीद) : ☐ प्रशंसनीय है ☐ निंदनीय है।

71- राहिब कहते हैं (☐ प्रकांड विद्वान को ☐ संत एवं तपस्वी को), तथा ह़ब्र दूसरे को कहते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

72- अदी बिन ह़ातिम रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ में ह़लाल के ह़राम किये जाने को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह ह़राम को ह़लाल क़रार देने से ज़्यादा संगीन है, जब्कि ह़राम एवं वर्जित दोनों ही हैं : ☐ सही ☐ गलत, तथा अल्लाह तआला की शरीअत की (☐ सहमति में ☐ विरोध में ☐ दोनों में) अनुसरण करना वास्तव में उन्हें रब व प्रभु बना लेना है।

73- जिसने अल्लाह की उतारी हुयी शरीअत को नापसंद किया वह काफिर है तथा उसका कुफ्रः ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

74- अल्लाह तआला की उतारी हुई शरीअत के विरुद्ध जाकर निर्णय लेने को जायज़ होने का अक़ीदा रखना, कुफ्रः ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

75- यह अक़ीदा रखना कि ग़ैरुल्लाह का हुक्म अल्लाह के हुक्म के समान या उससे भी उत्तम है, कुफ्रेः ☐ अकबर है

☐ अस़ग़र है।

76- कोई यह आस्था रखे कि अल्लाह का हुक्म सभी हुक्मों से उत्तम एवं बढ़कर है, किंतु मुद्दालय के विरुद्ध द्वेष ने उसे अल्लाह तआला की उतारी हुई शरीअत विरुद्ध जाकर निर्णय करने पर विवश कर दिया तो वहः ☐ काफिर है ☐ अत्याचारी है ☐ फ़ासिक़ है।

77- ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ﴾ " शैतान " यहाँ जाति वाचक संज्ञा है जो, सम्मिलित हैः ☐ मानवी शैतान को ☐ दानवी शैतान को ☐ उक्त सभी।

78- वह गुमान करते हैं : ☐ मोमिन होने का जब्कि वो झूठे हैं ☐ उनके कार्यकलाप उनके वक्तव्य का खण्डन करते हैं ☐ उक्त सभी।

79- मुसीबतः ☐ शरई होती है ☐ सांसारिक होती है ☐ उक्त सभी।

80- जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के आदेशों के समक्ष नतमस्तक न हो तथा उसमें बाधा उत्पन्न करेः ☐ वह मोमिन है ☐ वह मुनाफ़िक़ है।

81- धरती का सबसे बड़ा फ़सादः ☐ भौतिक फ़साद है ☐ नैतिक फ़साद है।

82- सुधार के पश्चात फ़साद फैलाना, सुधार के पूर्व फ़साद फ़ैलाने की तुलना में अधिक संगीन है, और विशेष रूप से उस समय जब उद्देश्य ही सुधार के पश्चात फ़साद फैलाना होः ☐ सही ☐ गलत।

83- जाहिलीयत (अंधकार युग) : ☐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूत बनाये जाने के पूर्व का युग है ☐ वह जहालत तथा अज्ञानता है जिसका आधार ज्ञान न हो ☐ उक्त सभी।

84- रिश्वत और घूस ह़राम है यद्यपि उसे अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया हो, और उस अधिकार को केवल रिश्वत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हो, अथवा बुराई को दूर करने के उद्देश्य से ही क्यों न घूस दिया जा रहा होः ☐ सही ☐ गलत।

आठवाँ भाग: तौ़हीद -ए- असमा व सिफात (एक अध्याय)

४०- जो अल्लाह के किसी नाम या उसकी किसी विशेषता का इंकार करे

अरबी शब्द "जुहूद" इंकार को कहते हैं, और इंकार की दो क़िस्में हैं :

तावील (अर्थातः किसी शब्द की मनमानी व्याख्या करना) करते हुये इंकार करनाः उसका इंकार तो नहीं करे किंतु उसकी तावील ऐसे अर्थों द्वारा करे जो उसके विपरीत होः

जिसकी गुंजाइश शब्दकोष में हो, वह काफिर तो नहीं लेकिन बड़े भयंकर एवं संगीन मोड़ पर ऐसा व्यक्ति खड़ा है, और हम उसका खंडन करेंगेः

जैसे कोई अल्लाह तआला के इस कथनः ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (बल्कि अल्लाह तआला के दोनों हाथ खुले हुये हैं) के विषय में कहे कि "यद" (हाथ) से अभिप्राय नेमत (अनुग्रह) है, तो वह काफिर नहीं होगा क्योंकि शब्दकोष में "यद" का प्रयोग "नेमत" (अनुग्रह) के अर्थों में होता है, किंतु हम उसका खण्डन निम्मांकित तरीकों से करेंगेः

जिसकी गुंजाइश शब्दकोष में नहीं हो, यह भी काफिर हैः

जैसे कोई अल्लाह तआला के "यद" (हाथ) से अभिप्राय आकाश है तो वह काफिर है क्योंकि शब्दकोष में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, न ही इसका शरीअत की वास्तविकता से कोई लेना देना है, अतः वह इंकार तथा झुठलाने वाला माना जायेगा।

झुठलाते हुये इंकार करना (यह बिना संदेह शिर्क है)

जिसने क़ुरआन व ह़दीस़ से साबित अल्लाह तआला के नाम अथवा विशेषताओं में से किसी नाम या विशेषता का इंकार किया तो इस बात पर उलेमा एकमत (इज्मा) हैं कि वह काफिर है, क्योंकि अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाने वाला काफिर है उलेमा इस पर एकमत हैं।

1. यह क़ुरआन व ह़दीस़ की स्पष्ट दलीलों के विरुद्ध है, और इसका कोई प्रमाण नहीं है।
2. "यद" (हाथ) के लिये ऐसी विशेषताओं का प्रयोग हुआ है जिनका प्रयोग नेमत या क़ूवत (सामर्थ्य) की विशेषता के रूप में करना असंभ है, जैसे द्विवचन, बहुवचन, पकड़ना, फैलाना, ये विशेषताएं नेमत (अनुग्रह) अथवा शक्ति की नहीं हो सकती।
3. अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम पर इस प्रकार उपकार किया कि उन्हें अपने हाथ से रचा व पैदा किया तो "यद" (हाथ) यदि क़ूवत (शक्ति) अथवा नेमत के अर्थ में लें तो फिर समस्त जीव पर आदम अलैहिस्सलाम कि विशेष प्राथमिकता नहीं बचती है।

तौहीद -ए- असमा व सिफात: अल्लाह ने अपने क़ुरान में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के।

बिना किसी (तहरीफ़ अर्थात हेर-फेर) के क्यों कहा, और (बिना तावील अर्थात मनमानी व्याख्या करना) क्यों नहीं कहा?

1. क्योंकि क़ुरआन में ऐसे ही आया है, अतः हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते।
2. क्योंकि यही न्यायोचित है, क्योंकि यह तहरीफ़ करने वाले हैं न कि तावील करने वाले।
3. ऐसा करने वालों के प्रति लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि तहरीफ़ करने वालों को यदि तावील करने वाला कहा जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं।
4. हरेक प्रकार की तावील निंदनीय नहीं है, जिसके लिए प्रमाण उपलब्ध हो वह सही एवं स्वीकार्य है, और जिसका कोई साक्ष्य नहीं हो वह फासिद बेकार तथा अस्वीकार्य है, जब्कि सभी प्रकार की तहरीफ़ निंदनीय है।

तमसील (बिल्कुल हूबहू मानना) का इंकार क्यों किया गया जब्कि तश्बीह (उपमा) का इंकार क्यों नहीं किया गया?

1. क्योंकि तमसील क़ुरआन में अवतरित हुआ है तथा तश्बीह के विपरीत व्यापक एवं आम रूप से इसका इंकार नहीं किया गया है।
2. क्योंकि तश्बीह का व्यापक रूप से इंकार करना सही नहीं है, क्योंकि दो मौजूद चीज़ों के मध्य समानता पाया जाना अवश्यंभावी है जिसमें वो दोनों एक-दूजे के समान हों, तथा हरेक अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ता है।
3. तश्बीह के नामकरण में भी मतभेद है, कुछ लोगों ने (अल्लाह तआला के) गुणों एवं विशेषताओं के साबित करने को तश्बीह का नाम दिया है।

الاسم (अल-इस्म, नाम) का यौगिक (इश्तेक़ाक़) या, तोः

1. سُمُوّ (सुमूव्व) से है, जो बुलंदी तथा ऊँचाई के अर्थ में है, क्योंकि नामित अपने नाम के द्वारा दूसरों से अलग एवं बुलंद होता है।
2. سمت (सिम्त) से जो चिन्ह तथा निशानी के अर्थ में है, क्योंकि नामित के लिए यह नाम एक चिन्ह के समान है।

इस्म (नाम) तथा सिफ़त (गुण) के बीच अंतरः

- जिनके द्वारा अल्लाह का नामकरण हुआ है वो इस्म (नाम) हैं तथा जिन गुणों एवं विशेषताओं से अल्लाह तआला सुसज्जित है वो सिफात (गुण) हैं।

हम तौहीद -ए- असमा व सिफ़ात का पठन-पाठन क्यों करें?

1. ताकि हम तौहीद को उसके वास्तविक रूप में अपना सकें, बल्कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह तौहीद के तीनों भेद में अल्लाह तआला को अकेला न माने।
2. क्योंकि इसमें दिलों का जीवन विद्यमान है, और इस जीवन के लिये सर्वोत्तम ज्ञान तथा सर्वोच्च चीज़ अल्लाह तआला के संबंध में ज्ञान अर्जित करना है।
3. यह जन्नत में प्रवेश पाने का कारण है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» **"अल्लाह तआला के निन्यानवे नाम हैं, जिसने इन नामों का स्मरण एवं कंठस्थ किया वह जन्नत में प्रवेश पाएगा"**।
4. क्योंकि यही वह मूल एवं आधार स्तंभ है जिस पर सलफ़ (नेक पूर्वज) अमल करते थे।
5. ताकि हम निरस्तिकरण तथा समानता के फेर में न पड़ जाएं जैसे कि कुछ दिगभ्रमित समूह पड़ गए।
6. ताकि हम इसके द्वारा अल्लाह तआला को पुकारें एवं उसका स्मरण करें जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ (अल्लाह के बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं अतः इन नामों के द्वारा अल्लाह तआला से दुआ करे)।

तहरीफ़ः जिसे अल्लाह के लिये साबित करना है उसको बदल देनाः

शाब्दिकः जैसे अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (और अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वार्तालाप किया) में शब्द (اللهُ, अल्लाहु) को (اللهَ, अल्लाहा) से बदल देना, उन लोगों के अपने गुमान के अनुसार उन्होंने अल्लाह तआला के सिफ़त -ए- कलाम (बात करने की विशेषता) का यह कहते हुये इंकार किया कि यह वार्तालाप केवल मूसा अलैहिस्सलाम की ओर से था, और उनका खंडन हम उनसे यह पूछते हुये करेंगे कि फिर अल्लाह तआला के कथनः ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (तथा उनसे उनके रब ने बात किया) का क्या अभिप्राय है, तो वो निरुत्तर हो जायेंगे तथा उनसे कोई जवाब नहीं बन पायेगा।

अर्थगतः जैसे कहना कि "यद" (हाथ) से अभिप्राय नेमत है।

ताऱ्तीलः अल्लाह तआला के लिये वाजिब नामों तथा विशेषताओं का इंकार करनाः

कुल्ली तातील (पूर्णरूपेण इंकार) : जैसे जहमिया करते हैं कि अल्लाह तआला को तमाम विशेषताओं से ख़ाली (निर्गुण) क़रार देते हैं।

जुज़्वी तातील (आंशिक इंकार) : जैसे अशाइरा करते हैं कि अल्लाह तआला की कुछ विशेषताओं को मानते हैं तथा कुछ का इंकार करते हैं।

तकयीफ़ः शब्द " कैफ़ " (كيف، कैसे) के द्वारा अल्लाह तआला के संबंध में प्रश्न किया जाए, और यह होगाः

ज़ुबान से उच्चारण करते हुएः
जैसे अपनी ज़ुबान द्वारा किसी चीज़ से समानता बताए।

उँगलियों द्वारा लिखते हुएः
जैसे अपनी उँगलियों द्वारा अल्लाह तआला के विषय में इस प्रकार का कुछ लिखे।

छिप्र रूप से अंतर्मन मेः
जैसे अपने मन में इस प्रकार की कोई कल्पना करे।

इस्म (संज्ञा) के दलालात (संकेत, भावार्थ) :

दलालत -ए- मुताबक़तः
पूर्णरूपेण उसका अहाता करते हुए उसके सम्पूर्ण अर्थों पर दलालत करना।

दलालत -ए- तज़म्मुनः
संज्ञा के कुछ अर्थों पर दलालत करना।

दलालत -ए- इल्तेज़ामः
यह अनिवार्य रूप से किसी बाहरी अर्थ पर दलालत करता है।

इसका उदाहरणः शब्द "ख़ालिक़" अल्लाह तआला के अकेले होने पर बतौर मुताबक़त दलालत कर रहा है, और "ख़ल्क़ (पैदा करने)" की विशेषता पर बतौर तज़म्मुन दलालत कर रहा है, जब्कि इल्म (ज्ञान) और क़ुदरत (सामर्थ्य) पर बतौर इल्तेज़ाम दलालत करता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عِلۡمَۢا ﴾ (अल्लाह वह है जिसने सात आसमान बनाए और इसी के समान ज़मीन भी, उसका आदेश इनके बीच उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर (सामर्थ्य) है और निःसंदेह अल्लाह अपने इल्म से हरेक चीज़ पर हावी है)।

हम असमा व सिफात का पठन-पाठन कैसे करें?

1. इल्म (ज्ञान) इबादत है, अतः हमें भी उसी ढ़ंग पर चलना चाहिए जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम चलते थे।

2. इस पठन-पाठन का उद्देश्य केवल अल्लाह तआला का आदर हो, और इसीलिये जब इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से अल्लाह तआला के इस्तिवा (अर्श पर बैठे होने की स्थिति) के विषय में प्रश्न किया गया तो उन्होंने अपने सिर को झुका लिया और उस पर पसीना की बूँदें दृष्टिगोचर होने लगीं (क्योंकि अति गंभीर विषय के संबंध में प्रश्न था)।

3. हम ऐसी चीज़ों के विषय में प्रश्न न करें जिनके विषय में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने प्रश्न नहीं किया था।

4. सर्वप्रथम दलील का उल्लेख तत्पश्चात उसका अक़ीदा रखना, जब्कि अहले सुन्नत के विरोधियों की हालत इसके विपरीत है वह पहले किसी चीज़ का अक़ीदा रखते हैं फिर उसके लिये दलीलें ढूँढ़ते हैं और जब कोई दलील नहीं मिलती है तो अंड-बंड एवं ऊलजलूल बकते हैं और बिदअत में पड़ जाते हैं।

5. इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह के ढ़ंग को अंगीकार करें (آمِنْ تَهْتَدِ) (ईमान ले आओ हिदायत पा जाओगे), अतः हम अल्लाह तआला पर और जो कुछ अल्लाह की ओर से अवतरित हुआ है उस पर अल्लाह की मुराद के अनुसार ईमान ले आयें,तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो कुछ उनकी ओर से आया है उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुराद के अनुसार ईमान ले आयें।

असमा व सिफात से संबंधित कुछ बातें:

1. **अल्लाह तआला के नाम किसी निश्चित संख्या में सीमित नहीं है:** और इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है: «أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» (और जो कुछ तूने अपने पास इल्मे ग़ैब में रखा है), रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान की कि: «إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا» (अल्लाह तआला के निन्यानवे नाम हैं) तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्लाह तआला के केवल यही निन्यानवे नाम हैं, बल्कि यह ऐसे ही है जैसे कोई कहे: मेरे पास सौ घोड़े हैं जो मैंने दान करने के लिये रखा है (इसका यह अर्थ नहीं निकलता है कि उसके इस सौ के अतिरिक्त घोड़े नहीं हैं)।

2. **अल्लाह तआला के नाम, नाम भी हैं तथा उस नाम से संबंधित विशेषता का भी वास्तविक अर्थ अपने अंदर रखते हैं :** यह केवल नाम भर नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तआला के अस्तित्व पर दलालत करने के आधार पर नाम तो हैं ही किंतु उस नाम से जुड़े गुण पर दलालत करने के आधार पर विशेषण अर्थात सिफ़त भी हैं, हमारे नामों के विपरीत क्योंकि ऐसा संभव है कि हम में से किसी का नाम " अली " (उच्च पद एवं गुण वाला) हो और वास्तविक स्थिति यह हो कि यह नामधारी व्यक्ति महा घटिया तथा दुर्गुण इंसान हो।

3. **अल्लाह तआला के नाम समानार्थी भी हैं और विपरितार्थी भी:** यह अल्लाह तआला के अस्तित्व पर दलालत करने के कारण समानार्थी हैं क्योंकि ये सभी एक मुसम्मा (नामित) पर दलालत करते हैं, उदाहरण स्वरूप अल-समीअ, अल-बसीर, अल-हकीम, ये सभी एक ही नामित पर दलालत करती हैं, किंतु विपरीतार्थी अपने अर्थ के आधार पर हैं क्योंकि अल-हकीम का अर्थ अल-समीअ से भिन्न है।
4. **अल्लाह तआला के नाम अस्तित्व (ज़ात) तथा अर्थ दोनों पर दलालत करते हैं:** अतः हमारे लिये अपरिहार्य है कि हम इस्म (नाम, संज्ञा) पर ईमान लायें, तथा वह इस्म जिस विशेषता से संबद्ध है उस पर भी ईमान रखें, और यदि वह इस्म मुतअद्दी (सकर्मक) हो तो जिस प्रभाव तथा हुक्म पर वह सिफत (विशेषता) दलालत करती है उस पर ईमान लाएं, उदाहरण स्वरूप अल-समीअ (सुनने वाला) को लेते हैं, हम इस पर ईमान रखें कि अल्लाह तआला समीअ (सुनने वाला है), और यह अल-सम्अ (सुनने की योग्यता) विशेषता पर भी दलालत करता है, और इस सम्अ का अपना हुक्म और प्रभाव यह है कि वह इसके द्वारा सुनता है, लेकिन इस्म (नाम, संज्ञा) यदि मुतअद्दी (सकर्मक) न हो तो जैसे अल-अज़ीम, अल-ह़ैय्य, अल-जलील तो हम केवल इस्म और सिफत को साबित करेंगे, कोई हुक्म उसकी ओर मुतअद्दी नहीं होगा।
5. **स़िफात के अंदर अस्मा (नाम) की तुलना में अधिक विस्तार एवं फैलाव है:** क्योंकि हरेक इस्म, सिफ़त को सम्मिलित है, जब्कि हरेक सिफ़त, इस्म को सम्मिलित नहीं है, तो इस से यह स्पष्ट हुआ कि अल्लाह तआला को कलाम तथा इरादा के गुण से सुसज्जित तो माना जायेगा किंतु इसके आधार पर उसका नाम मुतकल्लिम और मुरीद नहीं रखा जायेगा।
6. हरेक वह गुण जिससे अल्लाह तआला ने स्वयं को सुसज्जित किया है उसे वास्तविक माना जायेगा किंतु उसे समानता तथा उसकी कैफियत बयान करने से पाक समझा जायेगा।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ (और वो लोग रहमान का इंकार करते हैं)।

- क़ुफ्फार -ए- क़ुरैश उस नाम का इंकार करते थे नामित का नहीं, क्योंकि वह उसका इक़रार करते थे।
- इससे प्रमाणित होता है कि कोई यदि अल्लाह के नामों में से किसी नाम का इंकार करता है तो वह काफिर है।

दूसरी दलील:

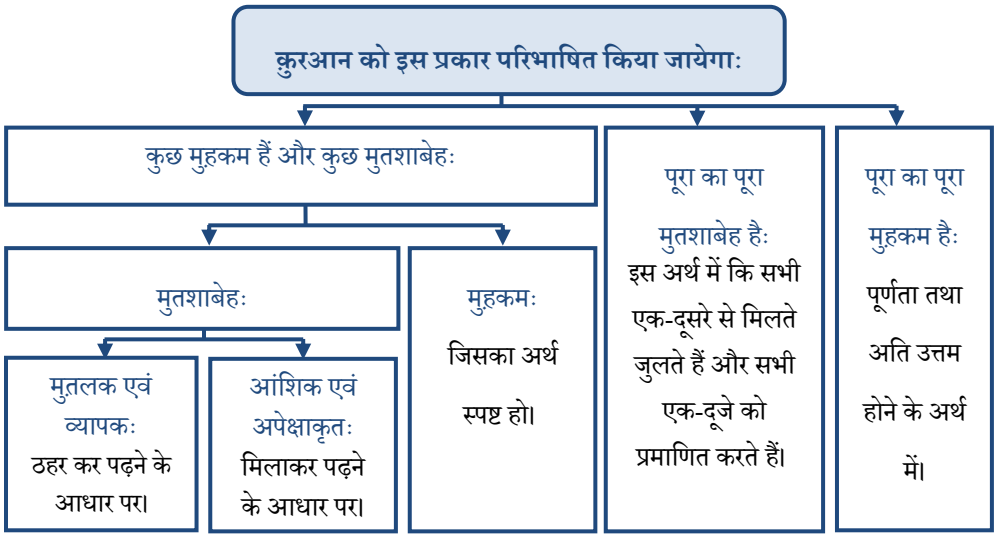
सही बुख़ारी में आदरणीय अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है कि: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!» "लोगों से उनकी बुद्धि एवं ज्ञान के अनुसार बातें करो, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तआला तथा उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को झुठलाया जाये?"।

- दाई (दावत का कार्य करने वाले) के ऊपर वाजिब है कि वह दावत दिए जाने वाले लोगों की बुद्धि एवं समझ का ध्यान रखे, प्रत्येक व्यक्ति को उसके सही स्थान पर रखे, और लोगों से ऐसे अंदाज़ में वार्तालाप करे जो उनकी बुद्धि में समा सके, और इसका तरीका यह है कि वह धीरे-धीरे दावत का कार्य करे यहाँ तक कि जिनको दावत दिया जा रहा है जब वो आश्वस्त हो जायें तथा बातों को स्वीकार करने लग जायें, और हाँ, ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज़ों की दावत न दे जो उनकी बुद्धि में समा न सके जो उनकी समझ से बाहर हो।

तीसरी दलील:

अबदुर्रज़्ज़ाक़ ने मामर से, उन्होंने इब्ने ताऊस से, उन्होंने अपने पिता ताऊस और उन्होंने आदरणीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक व्यक्ति को देखा कि जब उसने अल्लाह के गुणों पर आधारित हदीस़ सुनी तो काँप गया मानो उसे यह हदीस़ अच्छी न लगी हो, यह दृश्य देख कर उन्होंने फरमाया: «مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ» انْتَهَى. "इनके भय का कारण क्या है? मुहकम (दृढ़ आयतों) पर काँप जाते हैं तथा मुतशाबेह (अस्पष्ट) आयतों को सुन कर (तथा न मान कर) हलाक होते हैं"। (उनका कथन समाप्त हो गया।

- «مَا فَرَقُ»: अर्थात इनके पास जब अल्लाह तआला के गुणों एवं विशेषताओं से परिपूर्ण आयतें तिलावत की जाती हैं तथा उनका पाठ किया जाता है तो ये भयभीत क्यों होते हैं? क्यों नहीं ये लोग इन गुणों तथा विशेषताओं को उसी प्रकार से प्रमाणित करते हैं जिस प्रकार से अल्लाह तआला ने अपने लिये तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला के लिए प्रमाणित किया है।



1. क़ुरआन को इस ढ़ंग से परिभाषित करना कि वह पूरा का पूरा मुहकम है, मुतशाबेह का उल्लेख किये बिना, इसका अर्थ होगा किः इसमें कोई ख़लल कोई कमी नहीं है, उसकी दी हुई सूचनाएं झूठी नहीं हैं, उसकी बातों तथा आदेशों में कोई अत्याचार नहीं है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ﴾ (आपके रब -प्रभु- का कलाम -वाणी- सच्चाई और न्याय के आधार पर बिल्कुल कामिल व पूर्ण है)।

2. क़ुरआन को इस ढ़ंग से परिभाषित करना कि वह पूरा का पूरा मुतशाबेह है, मुहकम का उल्लेख किये बिना, इसका अर्थ होगा किः कामिल व पूर्ण तथा सुंदर होने के आधार पर सभी एक दूसरे के समान हैं, और उसका एक भाग दूसरे भाग को प्रमाणित करता है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, चुनाँचे अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا﴾ (अल्लाह तआला ने सर्वोत्तम कलाम अवतरित किया है, वह ऐसी किताब है कि आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है)।

3. क़ुरआन को इस प्रकार परिभाषित करना कि इसमें मुहकम व मुतशाबेह दोनों हैं, ऐसी दशा में मुहकम का अर्थ होगा किः जिसका अर्थ स्पष्ट एवं खुला हुआ हो, और मुतशाबेह का अर्थ होगाः जिसका अर्थ अस्पष्ट तथा छिप्त हो, और इसके दो भेद हैं : मुतलक (व्यापक) तथा निस्बी (अपेक्षाकृत अथवा आंशिक) अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ﴾ (उसके वास्तविक अर्थ को अल्लाह तआला के सिवाय कोई नहीं जानता) में मिला कर पढ़ने तथा ठहर कर पढ़ने की स्थिति में जो अर्थ बनेगा वह इसी पर आधारित होगाः

- **मुतलक़ (व्यापक एवं आम):** जिसको अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, जैसे सिफ़ात (विशेषताओं) की कैफियत तथा जन्नत में जो कुछ है उसकी वास्तविकता।
- **निस्बी (अपेक्षाकृत अथवा आंशिक):** जिसको प्रकांड विद्वान जानते हैं, जब्कि अन्य के निकट वह मुतशाबेह होता है।

क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सभी लोगों के लिए समग्र रूप से अर्थ के आधार पर मुतशाबेह हो, हाँ समझने में त्रुटि हो जाना संभव है, इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा थाः "मैं उन दृढ़ ज्ञानी तथा प्रकांड विद्वानों में से हूँ जिन्हें तावील का ज्ञान दिया गया है", उन्होंने यह बात केवल अपनी प्रशंसा के लिये नहीं कही था बल्कि उद्देश्य यह था कि क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका अर्थ पता करना असंभव हो, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है कि यह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ले कर अब तक क़ुरआन के अर्थ को पूरी तरह ना समझ सकी हो और वो सिफ़ात (गुणों) वाली आयतों को बिना समझे यों ही रट्टू तोते की तरह केवल क़िरात (पाठ) करती रही हो।

चौथी दलीलः

और जब क़ुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, (अल्लाह के नामों में से एक नाम) रहमान (दयानिधि) की चर्चा करते हुए सुना तो इसका इंकार किया, तो इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारीः ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ (वो रहमान का इंकार करते हैं)।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के किसी नाम अथवा सिफ़त का इंकार करने से ईमान चला जाता है (अर्थात ऐसा करने से ईमान का इंकार होता है)।

दूसराः सूरा रअद की आयत ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ की तफ़सीर।

तीसराः श्रोता जिस बात को समझनें में असमर्थ हो उसे छोड़ देना चाहिये (हम उनसे ऐसी बातें करें जो उनकी समझ तथा बुद्धि के अनुकूल हो)।

चौथाः उस कारण का उल्लेख जिससे अल्लाह तआला तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाया जाता है यद्यपि इंकार करने वाले का उद्देश्य उसको झुठलाना न हो।

पाँचवांः इससे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का यह कथन भी ज्ञात हुआ कि जिसने अल्लाह तआला के नामों अथवा गुणों से किसी एक का भी इंकार कर दिया वह उसके कारण नाश बर्बाद हुआ।

आठवें भाग से परीक्षा (एक अध्याय)

प्रथम प्रश्न: (☒) चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1- अस्मा व सिफ़ात (नाम तथा गुण) के इंकार के प्रकार हैं : ☐ दो ☐ तीन, इस्म और सिफ़त के बीच अंतर यह है कि इस्म वह है जिसके द्वारा अललाह का नाम रखा जाए तथा सिफ़त वह है जिसके द्वारा अल्लाह के गुण का पता चले।

2- क़ुरआन व ह़दीस़ में अवतरित किसी इस्म या सिफ़त का इंकार करना कुफ़्रे ☐ अकबर हैं ☐ अस़ग़र है।

3- इस्म मुश्तक़्क़ (यौगिक) है: ☐ सुमूव तथा बुलंदी से ☐ सिम्त तथा चिन्ह से ☐ उक्त सभी।

4- अल्लाह तआला के नाम: ☐ आलाम (नाम) हैं ☐ औस़ाफ़ (गुण) हैं ☐ नाम तथा गुण दोनों हैं।

5- बंदों के नाम: ☐ आलाम (नाम) हैं ☐ औस़ाफ़ (गुण) हैं ☐ नाम तथा गुण दोनों हैं।

6- इस्म (नाम) के दलालात: ☐ दलालते मुताबकत ☐ दलालते तज़म्मुन ☐ दलालते इल्तेज़ाम ☐ उक्त सभी।

7- अल्लाह तआला का नाम: ☐ समानार्थी हैं ☐ विपरीतार्थी हैं ☐ समानार्थी एवं विपरीतार्थी दोनों हैं।

8- अल्लाह तआला के नाम: (☐ निश्चित तथा सीमित हैं ☐ अनिश्चित तथा असीमित हैं) किसी निश्चित संख्या में।

9- सिफ़ात (गुणों) की संख्या अस्मा (नाम) से अधिक है क्योंकि हरेक इस्म सिफ़त को सम्मिलित है: ☐ सही ☐ गलत।

10- बहुतेरे ऐसे सिफात हैं जिनका प्रयोग अल्लाह तआला के लिये किया जाता है किंतु वो अल्लाह के अस्मा में से नहीं हैं : ☐ सही ☐ गलत।

11- तमस़ील का इंकार करने से बेहतर तश्बीह का इंकार कहना है: ☐ सही ☐ गलत।

12- अस्मा व सिफ़ात के पठन-पाठन के कारण: १- ..... २- .....
३- ..... ४- ..... ५- .....

13- पठन-पाठन का ढ़ंग: १- ..... २- .....
३- ..... ४- .....

14- हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो लोगों की समझ से बाहर हो यद्यपि लोगों को इसकी आवश्यकता ही क्यों न हो: ☐ सही ☐ गलत।

15- ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ अर्थात: .....

16- सिफ़ात (विशेषताओं) वाले नुसूस (दलीलें) इस अर्थ में मुहकम (दृढ़) हैं कि उनका अर्थ स्पष्ट है, और मुतलक़ (व्यापक) तौर पर मुतशाबेह इसलिये हैं कि उनकी कैफियत अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को मालूम नहीः ☐ सही ☐ गलत।

17- मुहकम का अर्थ होगा जब उसका वर्णन अकेले किया जायेः ☐ जिसका अर्थ स्पष्ट हो ☐ जिसमें कोई त्रुटि व ख़लल न हो।

18- मुतशाबेह का अर्थ जब उसका उल्लेख अकेले किया जाये किः कामिल व पूर्ण होने तथा सुंदर एवं अति उत्तम होने के आधार पर सभी एक दूसरे के समान हैं : ☐ सही ☐ गलत।

19- तशाबुह निस्बी (अपेक्षाकृत अस्पष्ट) हरेक के लिये अस्पष्ट होता है, जब्कि मुतलक़ तशाबुह (व्यापक रूप से अस्पष्ट) किसी के लिये अस्पष्ट होता है किसी के लिये नहीः ☐ सही ☐ गलत।

20- क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अर्थ को समझना असंभव होः ☐ सही ☐ गलत।

21- दावत देने का कार्य करने वाले को चाहिये कि दावत दिये जाने वाले लोगों की समझ तथा बुद्धि का ध्यान रखे और लोगों को उनका उचित स्थान देः ☐ सही ☐ गलत।

22- क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अर्थगत रूप से हरेक के लिये मुतशाबेह (अस्पष्ट) होः (☐ सही ☐ गलत), और जहाँ तक ह़क़ाइक़ (वास्तविकता) का प्रश्न है तो ग़ैबी मामलों के संबंध में अल्लाह तआला ने जो सूचना दी हैं वो मुतशाबेह (अस्पष्ट) हैं (☐ कुछ ☐ समस्त) लोगों पर।

23- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने यह क्यों कहा किः मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें तावील का इल्म दिया गया हैः .....

24- बिदअतियों (नवाचारियों) की सर्वाधिक बुरी बातों में से एक यह भी कहना है किः (सिफ़ात (गुणों) वाली आयतों का अर्थ नहीं समझा जा सकता), क्योंकि इस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को अज्ञानी मानना, क़ुरआन को झुठलाना एवं फलसफियों (दार्शनिकों) की बातों को प्रसिद्धता प्रदान करना अनिवार्य हो जाता हैः ☐ सही ☐ गलत।

25- बातिल परस्तों की एक पहचान यह भी है कि वो मुहकम को स्वीकार करते हैं किंतु मुतशाबेह का इंकार करते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

26- अस्मा व सिफात के कुछ नियमों का उल्लेख करें : १- .....
२- ..... ३- .....

द्वितीय प्रश्न: तालिका (क) के उचित वाक्यों को तालिका (ख) के उचित वाक्यों से मिलाएं:			
क्र.	क		ख
1	तह़रीफ़		यह इंकार को कहते हैं ओर इसके दो प्रकार हैं : झुठलाना और तावील करना।
2	तावील		ज़ुबान से बोल कर, उँगलियों से लिख कर तथा दिल से सोच कर होगा।
3	ताऱील		कामिल व पूर्ण होने तथा उत्तमता एवं सुंदरता में एक-दूजे के समान है और एक-दूसरे को प्रमाणित करता है।
4	मुहकम		जिसको अल्लाह के लिये साबित करना है उसको बदल डालना चाहे वह शाब्दिक हो अथवा अर्थगत।
5	मुतशाबेह		जिन नामों तथा गुणों को अल्लाह तआला के लिए प्रमाणित करना वाजिब है उनका इंकार करना (पूर्णरूपेण अथवा आंशिक)।
6	तकयीफ़		इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसकी सूचनाओं में कोई झूठ नहीं, और इसके अहकाम तथा आदेश में कोई ज़ुल्म एवं अत्याचार नहीं।
7	जुहूद (इंकार)		जिसकी दलील मौजूद हो वह स्वीकार्य तथा जिसकी दलील मौजूद न हो वह अस्वीकार्य है।

नौवां भाग: वर्जित व शिर्क आधारित शब्द तथा वक्तव्य (२६ अध्याय)

- पुस्तक का यह सबसे लंबा अध्याय है, क्योंकि लेखक रहिमहुल्लाह का यह स्वाभाव है पहले संक्षिप्त वर्णन करते हैं तत्पश्चात विस्तार से बताते हैं।
- इस पाठ में वर्जित शब्द, शिर्क आधारित वक्तव्य तथा कुछ शिर्किया कृत्यों का वर्णन किया है, तथा शिर्क -ए- अस़्ग़र को विस्तारित रूप में वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यह छिप्त होता है, और इसी प्रकार कुफ्रान -ए- नेअमत (ईश्वर के प्रति अकृतज्ञता, अल्लाह तआला के अनुग्रहों की अवहेलना) का विस्तारित उल्लेख पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यह बाहुल्यता के साथ पाया जाता है।

४१- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآيَةَ

(ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हुए भी इंकार करते हैं) का अध्याय

(अल्लाह की नेमतों (नियामतों, अनुग्रहों) का इंकार करना शिर्क है)

(इस आयत की तफ़्सीर में) मुजाहिद रहिमहुल्लाह ने कहा है कि: "इसका अर्थ यह है कि जो इंसान कहता है कि यह मेरा धन है मैं अपने बाप-दादा से इसका उत्तराधिकारी हुआ हूँ", तथा औन बिन अब्दुल्लाह ने कहा: "लोग कहते हैं कि यदि अमूक न होता तो ऐसा न होता", तथा इब्ने कुतैबा ने कहा कि: "लोग कहते हैं कि यह हमारे देवताओं की सिफारिश से हुआ है",

- नेमत, आज़माइश (परीक्षण) है जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةً﴾ (हम आज़माइश की ग़रज़ से तुम में से हरेक को बुराई व भलाई में मुब्तला करते हैं)।
- ख़ालिक़ और पैदा करने वाले की नियामत का संबंध किसी और से जोड़ना ख़लल व त्रुटि है, तौहीद -ए-: १- **रुबूबियत में** : क्योंकि इसमें सबब एवं माध्यम को ही कारक एवं प्रभावी समझना है। २- **इबादत में** : क्योंकि उसने शुक्र नहीं अदा किया।
- «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا» "लोगों का इस प्रकार बोलना कि: यदि अमूक न होता तो ऐसा नहीं होता": यदि इससे अभिप्राय सच्ची एवं वास्तविक घटना को बताना तथा घटना का सटीक चित्रण करना हो तो इस प्रकार कहने में कोई हर्ज नहीं है।

नियामत जब आज़माईश (परीक्षा) है तो फिर हम इससे कैसे बचें ?

नियामत मिलने के पूर्वः

आवश्यक है कि यह केवल अल्लाह से ही माँगी जाये और इस संबंध में हार्दिक संबंध केवल अल्लाह से ही हो, कुछ लोगों का यह प्रयास रहता है कि उसको मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पहचाने तथा उसको उपहार स्वरूप कुछ दे, जब्कि होना यह चाहिये कि जिस प्रकार से जन्नत केवल अल्लाह तआला से ही माँगी जाती है उसी प्रकार से रिज़्क (जीविका) भी केवल अल्लाह तआला से ही माँगना चाहिये।

नियामत मिलने के पश्चातः

आवश्यक है कि कृपा तथा एहसान करने वाले का दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा शुक्र अदा करे।

नियामत के संबंध किसी से जोड़ने के मामले में लोगों के प्रकारः

शिर्क -ए- अकबरः ऐसा छिप्त कारण हो जिसका कहीं कोई प्रभाव नहीं हो।

शिर्क -ए- अस़्ग़ारः उसका संबंध किसी प्रकट एवं ज़ाहिरी चीज़ से जोड़े, किंतु शरई या इंद्रीय तौर पर उसका सबब व माध्यम होना साबित न होः

सहीः इस तौर पर कि शरीअत अथवा इंद्रीय द्वारा प्रमाणित किसी सही सबब व माध्यम से उसका संबंध जोड़े, यह दो शर्तों के साथ जायज़ हैः

- इनाम करने वाले (अल्लाह तआला) का शुक्र अदा करना न भूले।
- यह अक़ीदा न रखे कि यह सबब एवं माध्यम स्वयं अपने आप प्रभावी है।

दूसरी दलीलः

शैख़ुल इस्लाम अबुल अब्बास रहिमहुल्लाह ने ज़ैद बिन ख़ालिद की ह़दीस़ के बाद कहा है जिसमें यह है कि (अल्लाह तआला फरमाता है): «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ...» (आज मेरे कुछ बंदों ने मोमिन हो कर तो कुछ ने काफिर हो कर सुबह की) -पूर्व में इस ह़दीस़ का वर्णन हो चुका है- : "क़ुरआन व ह़दीस़ में यह बात कई बार आई है कि अल्लाह तआला उन लोगों कि निंदा करता है जो उसके नियामत एवं प्रदानों को कुछ सलफ़ (नेक पूर्वज) कहते हैं किः "यह ऐसे ही जैसे कुछ लोग कह देते हैं: वायु बहुत अच्छी

मांझी (मल्लाह) दक्ष था, या इसी प्रकार की बातें जो बहुत से लोग बोलते रहते हैं"।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला की नियामतों को पहचानने के बाद उसका इंकार करने की व्याख्या (अर्थात अपने इंद्रीय द्वारा पहचान तो लेते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है, लेकिन उसका इंकार इस अर्थ में करते हैं कि उसका संबंध किसी और से जोड़ देते हैं)।

दूसराः यह भी स्मरण रहे कि अल्लाह तआला के नियामतों के इंकार के ये रूप लोगों की ज़ुबान पर रहते हैं अर्थात वो इस प्रकार की बातें बोलते रहते हैं (उदाहरणस्वरूपः हवाई जहाज़ के लैण्डिंग के समय भी लोग ऐसा करते हैं)।

तीसराः ऐसी बातें करना अल्लाह तआला की नियामतों का इंकार करना है (वह इसके द्वारा अल्लाह के एहसान व उपकार का इंकार करते हैं उसके अस्तित्व का इंकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह उसे पहचानते हैं तथा उसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं)।

चौथाः एक ही हृदय में दो प्रतिकूल तथा विरोधाभास का एकत्र होना (अल्लाह तआला की नियामतों को पहचानना किंतु किसी और से इसका संबंध जोड़ कर इसका इंकार करना)।

४२- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (अत: तुम जानबूझकर किसी को अल्लाह तआला का साझी न बनाओ) का अध्याय

- जब तुम जानते हो कि रुबूबियत में उसके कोई समतुल्य तथा साझी नहीं है तो फिर इबादत में क्यों उसका निद् और शरीक ठहराते हो, यह आयत क़ुरआन की पहली आयत है जिसमें तौहीद का हुक्म (आदेश) और निदा (पुकार) है इसी प्रकार शिर्क से रोकने वाली भी यह क़ुरआन की पहली आयत है।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस आयत की तफ़्सीर में फरमाया कि: (निद् से अभिप्राय शिर्क है जो अँधेरी रात में काले पत्थर पर चींटी की चाल से अधिक हल्की एवं छिप्त है, शिर्क यह होता है कि तुम इस प्रकार कहो: (وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلَانَةُ), अल्लाह की क़सम और तेरी ज़िंदगी की क़सम), या यह कहना (وَحَيَاتِي, मेरी जान की क़सम), या इस प्रकार कहना: (لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لأَتَانَا اللُّصُوصُ , यदि यह कुतिया न होती तो हमारे यहाँ चोर आ जाते) या इस प्रकार कहना: لَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لأَتَى اللُّصُوصُ , यदि घर में बत्तख़ न होती तो हमारे घर में चोर घुस जाते) या किसी का अपने साथी से इस प्रकार कहना: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ , जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो) या इस प्रकार कहना: (لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ , अल्लाह तथा अमूक आदमी न होता ...) तुम इस प्रकार के कामों में अल्लाह तआला के संग किसी और को सम्मिलित रखो, यह सब अल्लाह के साथ शिर्क करना है)। इसको इब्ने अबू हातिम ने रिवायत किया है।

- «أَخْفَى مِنْ...»: किसी वस्तु के छिपाव एवं गुप्तता को बताने के लिये यह अति उत्तम वाक्य है, जब मानव जाति के हृदय में शिर्क इस से भी अधिक गुप्त है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इससे बचने में हमारी सहायता करे।

दूसरी दलील:

उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» **"जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ ली उसने कुफ़्र अथवा शिर्क किया"**। इस हदीस़ को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा हसन कहा है और इमाम हाकिम ने इसे सही कहा है।

तीसरी दलील:

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : (لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا) "मैं अल्लाह की झूठी शपथ लूँ यह मुझे इससे अधिक प्रिय लगता है कि मैं ग़ैरुल्लाह की सच्ची शपथ लूँ"।

- «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»: यदि यह अक़ीदा रखे कि मह़लूफ बिहि (जिसकी शपथ ली जा रही है) वह महानता तथा आदर में अल्लाह तआला के समान है तो शिर्क -ए- अकबर है अन्यथा शिर्क -ए- अस़ग़र है।
- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को न तो ग़ैरुल्लाह की सच्ची शपथ लेना पसंद था और न ही अल्लाह की झूठी क़सम खाना, बल्कि यह बताना उद्देश्य था कि शिर्क की बुराई झूठ की बुराई से गंभीर एवं संगीन है, क्योंकि शिर्क कभी माफ़ नहीं किया जायेगा।

चौथी दलील:

हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ» **" जो अल्लाह चाहे तथा अमूक व्यक्ति चाहे, ऐसा न बोलो, बल्कि इस प्रकार बोलो: जो अल्लाह चाहे तत्पश्चात जो अमूक व्यक्ति चाहे "**। अबू दाऊद ने इसको सही सनद के साथ रिवायत किया है।

पाँचवीं दलील:

इब्राहीम नख़ई का कथन है कि:(أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ, मैं अल्लाह की तथा तेरी शरण चाहता हूँ) कहना अप्रिय तथा नाजायज़ है, परंतु (بِاللهِ ثُمَّ بِكَ, मैं अल्लाह की तत्पश्चात तेरी शरण चाहता हूँ) कहना जायज़ है, इसी प्रकार (لَوْلَا اللهُ ثُمَّ فُلَانٌ, यदि अल्लाह फिर अमूक व्यक्ति न होता तो ...) कह सकते हैं किंतु (لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ, यदि अल्लाह तथा अमूक व्यक्ति न होता तो ...) कहना सही नहीं है।

- «وَلَكِنْ قُولُوا»: इस्लामी शरीअत जब ह़राम का दरवाज़ा बंद करती है तो उसी के समतुल्य जायज़ वाला दरवाज़ा भी खोलती है ताकि ह़राम को छोड़ना आसान हो जाये, और हमें शरीअत की महानता तथा सरलता का आभास हो।

मसाइलः

पहलाः अन्दाद (अल्लाह के समान समझे जाने वालों) से सम्बन्धित सूरा बक़रा के आयत (३२) की तफ़्सीर।

दूसराः सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शिर्क -ए- अकबर (महा शिर्क) के संबंध में उतरी आयतों की व्याख्या इस प्रकार करते थे कि वह शिर्क -ए- अस़्ग़र (छोटा शिर्क) को भी अपने समाहित कर लेती थीं (क्योंकि निद्दः समानता, समतुल्य तथा समकक्ष होने के अर्थ में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक तौर पर शामिल है)।

तीसराः अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ लेना शिर्क है (जैसे इस प्रकार कहनाः तेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे ज़िम्मा (उत्तरदायित्व) की शपथ, मेरे ज़िम्मा (उत्तरदायित्व) की शपथ, मेरी गर्दन की क़सम, मेरी दाढ़ी की क़सम, मेरे मुख की सौगंध, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़सम, मेरी इज़्ज़त की क़सम, काबा की क़सम, तेरी नमाज़ की क़सम, तेरे रोज़े की क़सम, तेरी आयु की सौगंध, तेरी सहायता की सौगंध, (मिट्टी की सौगंध) या फिर अपनी क़सम में इस प्रकार कहेः यदि वह ऐसा करे तो वह यहूदी या ईसाई या काफिर है)।

चौथाः ग़ैरुल्लाह के नाम की सच्ची शपथ, यमीन -ए- ग़मूस से बड़ा पाप है (और यमीन -ए- ग़मूस यह है कि इंसान अल्लाह तआला की झूठी क़सम इस लिये खाये कि इसके द्वारा किसी मुसलान का धन छीन ले)।

पाँचवांः अरबी वर्णमाला के एक व्यंजन "و , वाव " (अर्थातः और, -एवं, तथा-) तथा " सुम्मा " (**अर्थातः** तत्पश्चात, फिर) में अर्थगत अंतर है (क्योंकि " वाव " समानता एवं बराबरी को दर्शाता है अतः यह शिर्क हो जाता है, जब्कि " सुम्मा " क्रम-सूचक है अर्थात यह पूर्व उल्लेखित के समक्ष तुच्छता को दर्शाता है अतः यह शिर्क नहीं होता, जैसे कोई कहेः अल्लाह की मेरी और तुम्हारी क़सम, मैं अल्लाह के तथा तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे लिये केवल अल्लाह तथा आप हैं, मैं अल्लाह तआला पर और आप पर तवक्कुल व भरोसा करता हूँ, यह अल्लाह की ओर से तथा आपकी ओर से है, मेरे लिए आसमान में अल्लाह तआला तथा ज़मीन पर आप हैं, मैं अल्लाह तआला के समक्ष तथा आप के समक्ष तौबा करता हूँ)।

४३- जो अल्लाह के नाम की क़सम खाये जाने पर संतुष्ट न हो

क़सम खाने वाले ने जिस चीज़ पर क़सम खाई है उसको और अधिक प्रासंगिक तथा सार्थक बनाने के लिये ऐसी चीज़ की क़सम खाता है जिसका वह अत्याधिक आदर करता है, अतः अल्लाह के नाम की क़सम खाये जाने पर भी संतुष्ट न होना दर्शाता है कि उसके निकट अल्लाह तआला के लिये आदर-भाव में कमी है, जो कमाल -ए- तौहीद (तौहीद का उच्चतम एवं पूर्ण रूप) के विपरीत है।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»، **"अपने पूर्वजों की सौगंध न खाओ, जो व्यक्ति अल्लाह की क़सम खाये वह सच बोले तथा जिसके लिये अल्लाह के नाम की क़सम खाई जाये वह मान ले तथा जो न माने उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं"**। इसे इब्ने माजा ने हसन सनद से रिवायत किया है।

अल्लाह के नाम की क़सम पर संतुष्ट होने के प्रकार:

इंद्रीय: जिसके लिये क़सम खाई जा रही है उसकी पाँच स्थिति हो सकती है:

1. उसका झूठ होना विदित हो, तो उसके प्रमाणत्व की आवश्यकता नहीं है।
2. उसके झूठे होना के अधिक गुमान हो, तो उसके प्रमाणत्व की आवश्यकता नहीं है।
3. दोनों गुमान समान हों, तो उसको सच्चा मानना आवश्यक है।
4. उसके सच्चा होने का अधिक गुमान हो, तो उसको सच्चा मानना आवश्यक है।
5. उसका सच्चा होना विदित हो, तो उसको सच्चा मानना आवश्यक है।

शरई: जब मुद्दालय को क़सम खाने के लिये कहा जाये और वह शरीअत के तकाज़ा के अनुसार अल्लाह की क़सम खाये तो उस क़सम से राज़ी व संतुष्ट होना वाजिब व अनिवार्य है।

मसाइल:

पहला: पूर्वजों के नाम की सौगंध की नह्य (वर्जना) (और यह नह्य हराम -निषेध- क़रार देने के लिये है)।

दूसरा: जिसके लिये अल्लाह के नाम की क़सम खाई जाये उसे उसको मान लेने का आदेश।

तीसरा: जो अल्लाह के नाम की क़सम पर संतुष्ट न हो उसके लिये धमकी व चेतावनी।

(**चौथा:** शपथ लेने वाले को सच बोलने का आदेश, क्योंकि सामान्य रूप में भी जब क़सम की स्थिति न हो तब भी सच बोलने का आदेश है तो क़सम खाते समय यह और प्रासंगिक हो जाता है।)

४४- (जो अल्लाह चाहे तथा जो आप चाहें) बोलने का हुक्म

पहली दलील:

क़ुतैला रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि एक यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर कहने लगा: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ "तुम (मुसलमान) लोग शिर्क करते हो जब तुम यों कहते हो: जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो, तथा जब यों कहते हो: काबा की क़सम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को आदेश दिया कि: **शपथ लेना हो तो काबा के स्थान पर काबा के रब की कसम खाओ तथा जो अल्लाह चाहे और आप चाहें कहने के स्थान पर, जो अल्लाह चाहे तत्पश्चात आप चाहें, कहो**"। इसे नसाई ने रिवायत किया है तथा सही कहा है।

दूसरी दलील:

सुनन नसाई ही में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟! مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»، "जो अल्लाह चाहे तथा आप चाहें, तो आप ने फरमाया: तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, इस प्रकार कहो: जो केवल अकेला अल्लाह चहे।

- **यहूदी को यहूदी क्यों कहते हैं ?**

1. क्योंकि उन लोगों ने कहा: (هدنا إليك) (हम अल्लाह की ओर लौटने वाले हैं)।
2. क्योंकि उनके पूर्वज का नाम यहूज़ा पुत्र याक़ूब था।

- **प्रथम ह़दीस़ के कुछ फायदे निम्नलिखित हैं :**

1. यद्यपि यहूदी का उद्देश्य निंदा करना था तथापि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसका इंकार नहीं किया, क्योंकि उसने बात बिल्कुल सही कही थी।
2. ह़क़ (सत्य) को स्वीकार करने का मशरूअ (शरीअत से साबित) होना, यद्यपि ह़क़ की ओर ध्यानाकर्षण कराने वाला स्वयं ह़क़ पर चलने वाला न हो।
3. किसी चीज़ को बदलते समय इसका ध्यान रखा जाये कि उसे किसी मिलती जुलती (जायज़) चीज़ की ओर फेर दिया जाये।

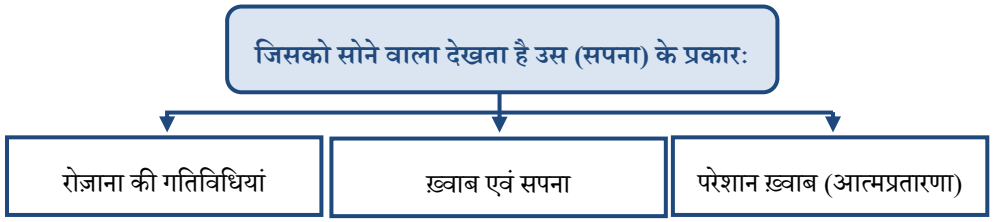
- इस अमल की ओर यहूदी ने ही क्यों ध्यानाकर्षण कराया ? इसमें ह़िकमत उन यहूदियों का परीक्षण व आज़माइश है जो स्वयं तो शिर्क -ए- अकबर में लिप्त थे, किंतु मुसलमानों की आलोचना करते थे और अपना दोष उन्हें दिखाई नहीं देता था।

- «مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका मार्गदर्शन ऐसी चीज़ की ओर किया जो शिर्क से पूर्णरूपेण दूर कर दे, आपने उनका मार्गदर्शन यह कहने की ओर (ما شاء الله ثمَّ شئت , कि जो अल्लाह चाहे तत्पश्चात आप चाहें) कहने की ओर इस लिए नहीं किया ताकि शिर्क तक पहुँचने का हर चोर दरवाज़ा बंद हो जाये, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चमन -ए- तौहीद की रक्षा तथा अल्लाह तआला के आदर का ध्यान रखते हुए किया।

तीसरी दलील:

इब्ने माजा में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सौतेले भाई तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सपना देखा कि मैं कुछ यहूदियों के पास से गुज़रा तो मैंने कहा: तुम अच्छे लोग हो यदि उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पुत्र न कहो, तो उन्होंने भी कहा: तुम लोग भी अच्छे हो यदि (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ, जो अल्लाह चाहे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहें न कहो, उसके बाद मैं ईसाईयों के निकट से गुज़रा तो मैंने कहा: तुम श्रेष्ठ लोग हो यदि (ईसा) मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा न कहो, तो उन्होंने भी कहा: तुम लोग भी अच्छे हो यदि (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ, जो अल्लाह चाहे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)) चाहें न कहो, जब सवेरा हुआ तो कुछ लोगों को मैंने अपना यह स्वप्न सुनाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया तथा आप को इस के संबंध में सूचना दी तो आपने फरमाया: क्या किसी को इस के विषय में कुछ बताया है ? मैंने कहा: हाँ, वह कहते हैं फिर (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुत्बा -भाषण- देने के लिये खड़े हुये) अल्लाह तआला कि प्रशंसा करने के पश्चात फरमाया: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أُنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» " **तुफ़ैल ने एक सपना देखा जिसके बारे में तुम लोगों को सूचित किया, और हाँ, तुम लोग कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हो जिससे अमूक-अमूक बातों ने मुझे तुमको मना करने से रोक दिया था, अत: (अब) यह न कहो कि: जो अल्लाह तआला तथा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहें, बल्कि इस प्रकार कहो: जो अकेला अल्लाह चाहे** "।

- «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا»: (अमूक-अमूक बातों ने मुझे तुमको मना करने से रोक दिया): लज्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लोगों को इस प्रकार बोलने से मना करने से रोकती थी किंतु यह बातिल का इंकार करने के वर्ग से नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इससे मना करने से जो चीज़ रोकती थी वह यह था कि अभी अल्लाह की ओर से इस संबंध में कोई आदेश अवतरित नहीं हुआ था, मदिरा (शराब) के समान यहाँ भी आप मौन धारण किये रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने इसे हराम (निषेध) घोषित कर दिया।



मसाइल:

पहला: यहूदी शिर्क -ए- अस़ग़र से भली-भांति परिचित थे।

दूसरा: इंसान की इच्छा हो तो वह सत्य असत्य की खोजबीन करता है।

तीसरा: (आगंतुक ने जबः जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, कहा तो) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः («أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟!» तुमने मुझे अल्लाह का साझी बना दिया) तो उसको क्या कहा जायेगा जिसने यों कहाः (... مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ, हे अल्लाह के रसूल आप के सिवाय कोई नहीं मैं जिसकी शरण में जाऊँ) तथा इसके बाद की दो अतिरिक्त पंक्तियाँ, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है? (यह कुफ्र तथा अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा है)।

चौथा: (जो अल्लाह तआला चाहे और आप चाहें), इन जैसे वाक्य शिर्क -ए- अकबर नहीं हैं (अन्यथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इससे रोक देते) और यों नहीं कहतेः («يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» तुम्हें इससे रोकने में मुझे हिचकिचाहट थी)।

पाँचवां : अच्छा ख़्वाब भी वह्य (प्रकाशना) की एक क़िस्म है (शूभ सपना भी एक प्रकार की प्रकाशना है)।

छठा: अच्छा सपना कभी-कभी किसी धार्मिक विधि (अहकाम) के निर्धारण का कारण हो जाता है (और ऐसा होना केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में आपके जीवित रहने तक ही संभव था)।

४५- समय एवं युग को अपशब्द कहना दरअसल अल्लाह को पीड़ा देना है (घटना का संबंध किसी काल से जोड़ देना)

- «فَقَدْ آذَى اللهَ» : पीड़ा देने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि उसको हानि भी हो, इंसान कभी-कभी बुरी बातों को सुन कर भी पीड़ा का अनुभव करता है किंतु इससे उसको कोई हानि नहीं होती, इसीलिये अल्लाह तआला ने क़ुरआन में अपने लिये पीड़ा को तो साबित किया है किंतु इसका इंकार किया है कि कोई चीज़ उसको हानि पहुँचा सकती है।

ज़माना को अपशब्द कहने के प्रकार:

जायज़ है: यदि इसके द्वारा उद्देश्य केवल सूचना देना भर हो निंदा करना नहीं, जैसे कोई कहे: हम आज तेज़ गर्मी से परेशान हो गये, और इसी अर्थ में अल्लाह का यह फरमान है: ﴿هَٰذَا يَوۡمٌ عَصِيبٞ﴾ (आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है)।

हराम (निषेध) है: यदि ज़माना को अपशब्द तो कहे परंतु यह आस्था न हो कि वास्तविक कारक वही है, बल्कि यह आस्था रखते हुए कि वास्तविक कारक (करने वाला) तो केवल अल्लाह ही है, परंतु ज़माना को अपशब्द इसलिये कहे कि इसमें अप्रिय घटना घटी है।

शिर्क -ए- अकबर है: यदि इस आधार पर ज़माना को गाली दे कि वही वास्तविक कारक एवं इसको करने वाला है, जैसे यह आस्था रखे कि मामलों को बुराई एवं भलाई की ओर पलटने वाला स्वयं ज़माना ही है।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: الآيَة ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ﴾

(उन्होंने कहा कि हमारा सांसारिक जीवन ही एकमात्र जीवन है, हम जीते हैं तथा मरते हैं और ज़माना ही हमारा नाश करता है)।

२- और सहीह (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ: أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

"अल्लाह तआला फरमाता है: आदम का पुत्र ज़माना को अपशब्द कह कर मुझे पीड़ा देता है, क्योंकि मैं ही ज़माना हूँ : दिन तथा रात को मैं ही बदलता हूँ"।

और एक रिवायत में इस प्रकार है: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ» **"ज़माना एवं काल को अपशब्द न कहो इसलिये कि अल्लाह तआला ही ज़माना है"।**

- ﴿حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا﴾: अर्थात अस्तित्व तथा जीवन जो कुछ है सब यही है, आख़िरत कोई चीज़ नहीं है।
- ﴿وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ﴾: अर्थात हमारा नाश अल्लाह के आदेश और उसकी क़ुदरत से नहीं होता, बल्कि जिसकी आयु अधिक हो जाये उसकी मृत्यु अधिक आयु हो जाने के कारण होती है तथा जिसकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाये उसकी मृत्यु, रोग, दुःख तथा शोक के कारण होती है, सारांश यह है कि उनका मानना यह था कि उनका नाश करने वाला ज़माना एवं काल ही होता है।
- «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ»: अर्थात अल्लाह तआला को पीड़ा होती है, और अल्लाह के लिए पीड़ा का सबूत मौजूद है, अतः हमारे लिये वाजिब व अपरिहार्य है कि हम उस चीज़ (पीड़ा) को अल्लाह के लिए प्रमाणित करें जो अल्लाह तआला ने अपने लिए प्रमाणित किया है क्योंकि हम अल्लाह तआला के विषय में अल्लाह तआला से अधिक नहीं जानते हैं, किंतु यह पीड़ा मख़लूक़ (जीव) की पीड़ा के समान नहीं होती।
- «يَسُبُّ الدَّهْرَ»: अर्थात उसको गाली देता है, अपशब्द एवं बुरा-भला कहता है, और लानत-मलामत करता है, और दह्र युग, काल, ज़माना तथा समय को कहते हैं।
- «وَأَنَا الدَّهْرُ»: "मैं ही ज़माना हूँ" का अर्थ है, ज़माना की तदबीर, उपाय एवं देख-भाल करने वाला, उसको उलटने-पुलटने वाला और उसे आदेश देने वाला अल्लाह तआला ही है, जैसे हवा (वायु) इत्यादि।

क्या "दह्र" (دهر, ज़माना) अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है ?

"दह्र" अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम नहीं है, निम्निलिखित कारणों से:

1. जिस प्रसंग में यह आयत है वह इसका खंडन करता है, क्योंकि "दह्र" यदि अल्लाह तआला का नाम होता अहले जाहिलयत का इस प्रकार का अक़ीदा रखना सही होता।
2. ह़दीस़ जिस संदर्भ में है उससे भी इसका खंडन होता है।
3. जिसने कहा कि "दह्र" ही अल्लाह है उसने मख़लूक़ (रचना) को ही ख़ालिक़ (रचनाकार) मान लिया।
4. अल्लाह तआला के समस्त नाम हुस्ना (अच्छे तथा सुंदर) हैं जो सुंदरता एवं परिपूर्णता में अपनी अंतिम हद को पहुँचे हुए हैं, जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता है, जब्कि "दह्र" में कोई सुंदरता कोई अच्छाई नहीं है।
5. अल्लाह तआला के सभी नाम मुश्तक़ (यौगिक) हैं, जब्कि "दह्र" इस्मे जामिद (रूढ़ि) है।
6. पशुओं, वायु तथा बुख़ार (ज्वार) को भी (ज़माने ही की तरह) गाली देने से रोका गया है।

मसाइलः

पहलाः ज़माना को गाली देने को वर्जित क़रार देना (जैसे यह कहनाः हाय ज़माने के दुःख, अथवाः ज़माना बुरा है, अथवाः ज़माना ग़द्दार है)।

दूसराः ज़माना को बुराःभला कहने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला का पीड़ा पहुँचाने का नाम दिया है।

तीसराः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमानः «فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ» (अल्लाह तआला ही ज़माना है) में गहन सोच विचार करना चाहिए (अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि अल्लाह तआला ही ज़माना में हेर-फेर करने वाला इसको उलटने-पुलटने वाला तथा इसकी तदबीर एवं उपाय करने वाला है)।

चौथाः इंसान कभी-कभी गाली बोल बैठता है यद्यपि दिल से इसका इरादा नहीं होता है।

(**पाँचवां** : सूरा जासिया की आयत ﴿وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ﴾ की तफ़्सीर।)

४६- काज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) आदि नाम रखना

- अर्थात कोई अपना यह नाम रखले, अथवा कोई दूसरा उसे इस नाम से पुकारे तो उसे प्रसन्नता हो।

काज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) की उपाधि धारण करने का हुक्म ?

- गुनाह -ए- कबीरा है, यदि उसका उद्देश्य केवल यह उपाधि धारण करना मात्र हो।
- शिर्क -ए- अकबर है, यदि यह आस्था रखे कि वह तमाम न्यायकारियों से उच्च यहाँ तक कि अल्लाह तआला से भी बढ़ कर क़ाज़ी (न्यायाधीश) है।
- जायज़ है, यदि इसको किसी विशेष समूह, देश अथवा समय के साथ सीमित कर दिया जाये, किंतु बेहतर यही है कि इस प्रकार की उपाधि धारण करने से बचे।

पहली दलील:

सही (मुस्लिम) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ» "**अल्लाह के निकट सबसे घटिया व पतित नाम वह है कि कोई अपने आपको राजाओं का राजा (महाराजा) कहलाये, अल्लाह तआला के सिवा कोई अधिपति (महाराजा) नहीं**"। सुफयान रहिमहुल्लाह ने ह़दीस़ में अवतरित शब्द मलिकुल अमलाक का अनुवाद (शाहों के शाह) शहंशाह से किया है। और एक रिवायत में यह भी आया है किः «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ» "**क़यामत के दिन अल्लाह के समीप सर्वाधिक क्रोध का पात्र तथा पतित पुरूष वह होगा जो अपने आपको महाराजा कहलवाये**"। और ह़दीस़ में अवतरित अरबी शब्द («أَخْنَعُ» अख़नअ का अर्थ हैः महा घटिया)।

- «أَخْنَعَ»: उसकी इच्छा (स्वयं को सम्मानित करवाने) के विपरीत (उसको अपनामित करने) के द्वारा उसको दंडित किया गया, और इसी वर्जित वर्ग में वह समस्त चीज़ें आ जायेंगी जो ताक़त, ग़लबा (प्रभुत्व) तथा आदर का अर्थ अपने अंदर रखती हों।
- «أَغْيَظُ»: इसमें अल्लाह तआला की एक विशेषता ग़ैज़ (क्रोध, प्रकोप) का प्रमाण है और यह विशेषता अल्लाह तआला के लिये उसी रूप में हम प्रमाणित करते हैं जो अल्लाह की महानता के अनुरूप हो, और स्पष्टतया यह शब्द «أَغْيَظُ» "अग़यज़ू" अत्याधिक क्रोध तथा नाराज़गी को दर्शाता है।

मसाइल:

पहला: किसी को राजाओं का राजा (महाराजा) कहने की वर्जना।

दूसरा: जो भी नाम इस अर्थ में हों वो इसी प्रकार अवैध हैं, जैसाकि सुफियान रहिमहुल्लाह ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है (जैसे क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश), हाकिम अल-हुक्काम (महा हाकिम), सुलतान अल-सलातीन (महा शासक) आदि उपाधि धारण करना)।

तीसरा: इन जैसे शब्दों के अप्रिय होने में गहन सोच-विचार करना चाहिए, यद्यपि दिल में इन शब्दों को इनके वास्तविक अर्थों में प्रयोग करने का इरादा ना हो तब भी।

चौथा: यह भी समझना चाहिए कि ऐसी उपाधियों को केवल अल्लाह तआला की महानता एवं आदर का ध्यान रखते हुये निषेध किया गया है।

४७- अल्लाह तआला के नामों का आदर तथा इसके कारण नामों को बदल देना

अल्लाह तआला के नामों के प्रकार:

विशेष (आरक्षित): जो केवल अल्लाह के लिए ही सही है, इसके द्वारा अल्लाह के सिवा किसी और का नाम नहीं रखा जायेगा और यदि रख दिया जाये तो उसको बदलना वाजिब है, जैसेः अल्लाह, अल-रहमान, रब्बुल आलमीन, तथा इन जैसे अन्य नाम।

सामान्य (अनारक्षित): जिससे अल्लाह के सिवा अन्य का नाम रखना भी सही हो, जैसेः अल-रहीम, अल-समीअ, अल-बसीर, यदि इसमें विशेषता एवं गुण पाये जाने की शंका हो तो वर्जित होगा, और यदि विशेषता पाये जाने का संदेह न हो तो इस के द्वारा नाम रखना इस आधार पर जायज़ होगा कि यह केवल अलम (संज्ञा) मात्र हैं।

पहली दलील:

अबु शुरैह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उनकी कुन्नीयत (उपाधि) अबू हकम थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» "हकम (शासक) तो केवल अल्लाह तआला है तथा हुक्म (शासन) भी केवल उसी का चलता है, उन्होंने कहा: मेरी जाति के लोगों के बीच जब किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके मध्य निर्णय कर देता हूँ जिस पर दोनों पक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: यह तो बड़ी अच्छी बात है, फिर पूछा: तुम्हारा कोई पुत्र है ? मैंने कहा: (हाँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं) शुरैह, मुस्लिम तथा अब्दुल्लाह, आपने पूछा: इनमें सबसे बड़ा कौन है ? मैनें कहा: शुरैह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (फिर तो आज से) तुम अबू शुरैह हो"।

कुन्नीयत (उपाधि, उपनाम) उस को कहते हैं जिसके पहले अब (पिता) अथवा उम्म (माता) अथवा अम्म (चाचा) अथवा ख़ाल (मामूँ) लगा हुआ हो, और चूँकि उस सहाबी के नाम में अल्लाह की एक विशेषता जो कि "ह़कम" है उसका संदेह हो रहा था इस आधार पर यह अल्लाह तआला के नाम के समान एवं समकक्ष हो रहा था, और यह केवल अलम (संज्ञा) भर होने के कारण नहीं था बल्कि वह संज्ञा जिस विशेषता वाले अर्थ को अपने अंदर समाहित किए हुई थी इस कारण था, तो इस तरह यह एक प्रकार से अल्लाह तआला के साथ समानता थी, इसी लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये एक उचित उपाधि का चयन किया और इसे धारण करने के लिये कहा, और हाँ आपने उनको फिर से अक़ीक़ा करने का आदेश नहीं दिया।

मसाइल:

पहला: अल्लाह तआला के नामों तथा विशेषताओं का संपूर्ण आदर यद्यपि दूसरों के लिये इसे प्रयोग करते समय इसका अर्थ अभिप्रेत न हो (अर्थातः वह नाम जो अल्लाह तआला के लिए आरक्षित हैं या जिनमें विशेषता में समानता व समतुल्यता पाए जाने का संदेह हो)।

दूसरा: अल्लाह तआला के नामों का आदर करते हुए (शिर्क आधारित तथा ग़लत) नामों को बदल देना (इसी प्रकार यदि नाम का अर्थ भी अनुचित हो तो उसको बदल देना चाहिए)।

तीसरा: कुनियत तथा उपाधि धारण करते समय सबसे ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर उपाधि धारण करना चाहिए (कुनियत रखना जायज़ तथा मुबाह़ है, और हाँ, ज्ञात रहे कि मुश्रिक के नाम पर उपाधि नहीं रखी जायेगी)।

४८- अल्लाह तआला, क़ुरआन तथा रसूलुल्लाह का उपहास उड़ाने वाले का हुक्म

- जो अल्लाह तआला का अथवा उसके शरई या ब्रह्मांडीय आयतों (श्लोकों, निशानियों) या उसके रसूल का उपहास करे वह कुफ्र -ए- अकबर का अपराधि काफिर है, क्योंकि उपहास उड़ाने वाले के ईमान का इंकार किया गया है, और कुफ्र के दो भेद हैं :

मुआरज़ा (विरोध) आधारित कुफ्रः यह सबसे गंभीर तथा संगीन है, जैसे अबू जहल एवं अबू लहब का कुफ्र।

ऐअराज़ (विमुखता) आधारित कुफ्रः न तो अल्लाह के दीन में सम्मिलित हो और न ही मुसलमानों के विरुद्ध षडयंत्र करे या युद्ध लड़े।

- उपहास उड़ाने वाला कुफ्र -ए- मुआरज़ा का अपराधि है, यह उससे अधिक बुरा है जो केवल मूर्ति को पूजता है, यह मसला बड़ा गंभीर है, कलमा का इक़रार करने वाले कुछ मुसलमान बिना किसी विवेक के ऐसा वाक्य बोल जाते हैं जिसके कारण वह विपत्ति में पड़ जाता है बल्कि स्वयं का नाश कर लेता है, इंसान कभी-कभी बिना परवाह किये अल्लाह को क्रोधित करने वाले वाक्य बोल जाता है और जहन्नम का भागी हो जाता है।

  जिसने नमाज़ का -यद्यपि नफ़्ल नमाज़ ही क्यों न हो- या ज़कात का, या रोज़ा का, या हज का उपहास उड़ाया तो उलेमा का इस बात पर इज्मा (एकमत) है कि वह काफिर है, इसी प्रकार जिसने अल्लाह तआला की निशानियों का मज़ाक़ बनाया जैसे कहेः गर्मी के मौसम में ठंड का पाया जाना मुर्खता है, या यों कहेः जाड़े के मौसम में गर्मी का होना मुर्खता है, तो इस्लाम से ख़ारिज काफिर है, क्योंकि अल्लाह तआला के सभी निर्णय हिकमत (तत्वदर्शिता) पर आधारित होते हैं, हम उसकी हिकमत का कदापि कोई अंदाजा एवं अनुमान नहीं लगा सकते हैं।

- जो अल्लाह अथवा उसके रसूल या उसकी किताब को अपशब्द कहे, उसकी तौबा (पश्चाताप) स्वीकार्य है या नहीं इस संबंध में उलेमा के दो मत हैं:

कुछ शर्तों के साथ स्वीकार्य हैः

१- उसकी तौबा की सच्चाई पता चल जाये। २- अल्लाह तआला की प्रशंसा करे। ३- अपनी कही हुई बात से बराअत व अलगाव प्रकट करे।

लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाले की तौबा स्वीकार की जायेगी तथा तत्कालीन शासक के ऊपर वाजिब है कि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हक़ की खातिर क़त्ल करे, और क़त्ल के बाद उसको नहला कर, कफन पहना कर तथा उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ कर मुसलमानों के साथ दफन किया जायेगा।

उसकी तौबा अस्वीकार्य है, तथा तत्कालीन शासक उसे क़त्ल करेगाः

न उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जायेगी, न रहमत की दुआ की जायेगी, उसको मुसलमानों के क़ब्रिस्तान से दूर दफन किया जायेगा, यद्यपि वह यह दावा ही क्यों न करे कि उसने तौबा कर ली है, क्योंकि इर्तिदाद (विधर्मी हो जाना) अत्यंत संगीन मामला है कि इसमें तौबा भी कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकती है।

पहली व दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ الآيَة (और यदि आप उनसे पूछें तो साफ कहेंगे कि हम तो यों ही आपस में हंस-बोल रहे थे)।

२- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मुहम्मद बिन काब, ज़ैद बिन असलम तथा क़तादा रहिमहुमुल्लाह से वर्णित है -इनकी रिवायात आपस में मिल गई हैं- (इनके शब्द थोड़े-थोड़े भिन्न हैं किंतु भावार्थ यह है कि): "तबूक के ग़ज़वा (युद्ध) में एक मुनाफ़िक़ ने कहा: مَا رَأَيْنا مِثْلَ قُرَّائِنا هَؤلاءِ أرغَبَ بُطونًا، ولا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، ولا أَجْبَنَ عندَ اللِّقاءِ – يَعني الرَّسُولَ ﷺ وأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ –، فقالَ له عَوْفُ بنُ مالكٍ: كَذَبْتَ؛ ولَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، فَذَهبَ عوْفٌ إلى رَسُولِ الله ﷺ لِيُخْبِرَهُ، فَوجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلَكَ الرَّجُلُ إلى رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ ارْتَحَلَ، وَرَكِبَ ناقَتَهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله! إنَّما كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ ونَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقِ، قَالَ ابْنُ عُمَر: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ متعلِّقًا بِنِسْعَةِ ناقَةِ رَسولِ الله ﷺ، وإِنَّ الحِجَارةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ، فيقولُ لَهُ رسولُ الله ﷺ: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾، مَا يَلْتَفِتُ إِليهِ، ومَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ हमने पेट के पुजारी, ज़ुबान के झूठे तथा युद्ध के समय कायरता दिखाने वाले इन ज्ञानियों से बढ़ कर नहीं देखा, उसका आश्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से था, तो औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा: तुम झूठे हो बल्कि वास्तविकता तो यह है कि तुम मुनाफ़िक़ (द्वयवादी) हो, मैं इसकी सूचना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवश्य दूँगा, तदोपरांत औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी सूचना देने के लिये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए तो देखा कि आप पर वह्य (प्रकाशना, आकाशवाणी) उतर चुकी थी, वह व्यक्ति आप के पास आया जब्कि आप ऊँटनी पर सवार हो चुके थे और कहने लगा: अल्लाह के रसूल हम तो मन बहला रहे थे तथा सवारों जैसी बातें कर रहे थे ताकि रास्ते की थकान दूर हो जाये, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: मानो मैं साक्षात देख रहा हूँ कि वह आपकी ऊँटनी के पालान की रस्सी के साथ चिमटा हुआ है तथा पत्थर उसके पाँव को रोक रहे हैं और वह कह रहा है: हम तो बस दिल्लगी तथा योंही वार्तालाप कर रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमा रहे हैं : (क्या तुम अल्लाह तथा उसकी आयतों एवं उसके रसूलों के साथ परिहास कर रहे थे) आप न तो उसकी ओर देख रहे थे और न ही इससे अधिक कुछ बोल रहे थे"।

- «قُرَّائِنَا»: इससे अभिप्राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, और अल्लाह की क़सम वह झूठा था।
- «وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ»: इससे पता चला कि जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली दे अपशब्द कहे वह काफिर है, क्योंकि उन पर लांछन लगाना मानो अल्लाह, उसके दीन एवं उसके रसूल पर पर लांछन लगाना है।
- «بِنِسْعَةِ»: यह उस बेल्ट तथा रस्सी को कहा जाता है जिससे पालान को बाँधा जाता है।
- «تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ»: उसका पाँव घिसट रहा था।
- **ह़दीस़ के फायदे:**

1- भविष्य में क्या होगा इसका ज्ञान केवल अल्लाह को है, जो हो चुका तथा जो भविष्य में होने वाला हो सभी का ज्ञान केवल अल्लाह के पास है।

2- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह द्वारा अवतरित की गई शरीअत के अनुसार निर्णय करते थे।

3- अल्लाह का, उसकी आयतों का तथा उसके रसूल का उपहास उड़ाना बड़े कुफ़्र में से है।

4- अल्लाह तआला का उपहास उड़ाने वाला काफिर है।

5- स्थिति के अनुसार कड़ाई से भी पेश आना चाहिए।

6- परिहास करने वाले की तौबा सशर्त स्वीकार्य की जायेगी।

चेतावनियाँ:

१- जो ऐसे स्थान पर उस्थित हो जहाँ अल्लाह तआला या उसके दीन या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली दी जा रही हो अथवा अपशब्द कहा जा रहा हो तो वह या तो उसका खंडन करे अथवा उस स्थान से निकल जाये, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ﴾ (और अल्लाह तआला तुम्हारे पास अपनी किताब में यह आदेश उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस (संगोष्ठी) वालों को अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ़्र करते तथा परिहास करते हुए सुनो तो उस मजमा (संगोष्ठी) में उस समय तक न बैठो जब तक वह इसके अतिरिक्त कोई और बात न करने लगें)।

२- लोगों को हंसाने के उद्देश्य से क़ुरआन व ह़दीस़ का उल्लेख करने से आवश्यक रूप से बचना चाहिये और इन दोनों के उल्लेख के समय भयभीत होना चाहिए।

३- वाणी तथा वक्तव्य में यदि गाली एवं अपशब्द का संदेह हो तो कहने वाले को इस ओर ध्यान दिलाया जायेगा, यदि वह तौबा करले तो ठीक है अन्यथा वह उपहास उड़ाने वाला माना जाएगा।

४- आत्ममुग्धता तथा घमण्ड से बचना चाहिये, क्योंकि जहाँ नेकी जन्नत में ले जाने का सबब है वहीं बुराई जहन्नम में डाले जाने का कारण, यह आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग तबूक (युद्ध लड़ने) के लिये निकला किंतु अंततोगोत्वा परिणाम क्या निकला यह ह़दीस़ से स्पष्ट है।

मसाइल:

पहला: इस अध्याय से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसला यह साबित हुआ कि जो व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का उपहास करे वह काफिर है (अर्थातः वह अल्लाह तआला, उसकी आयतों तथा उसके रसूल का इंकारी है)।

दूसरा: जो भी ऐसा करे, चाहे वह कोई भी हो, इस आयत के आधार पर उस पर हुक्म लगाया जाएगा (कि वह मुनाफ़िक़ है अथवा ग़ैर मुनाफ़िक़)।

तीसरा: चुग़ली (पिशुनता) और अल्लाह तआला तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए नसीहत, ख़ैरख़्वाही तथा शुभचिंता में अंतर है (क्योंकि नसीहत तथा शुभचिंता का उद्देश्य अल्लाह तआला के शआइर (अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार, रस्मो रिवाज) का आदर करना होता है)।

चौथा: क्षमा करने का वह रूप जिसे अल्लाह तआला पसंद करता है (वह है जिसका उद्देश्य इस़लाह व सुधार हो) तथा अल्लाह के शत्रुओं के साथ कड़ाई के साथ पेश आने में अंतर है (किंतु यदि दावत के कार्य तथा तालीफ -ए- क़ल्ब (सहानुभूती तथा दिल जोड़ने) के उद्देश्य से नम्रता अपनाई जाये तो बेहतर है)।

पाँचवां: कुछ तर्क ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता (जब यह ज्ञात हो कि यह तर्क मिथ्या एवं बनावटी तथा गढ़ा हुआ है)।

४९- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾ الآيَةَ (और यदि दु:ख के पश्चात हम उसे अपनी दया का अनुभव कराते हैं तो वह कहता है कि यह मेरे लिये है) का अध्याय

मुजाहिद रहिमहुल्लाह ने इसकी तफ़्सीर में कहा है कि: «هٰذا بِعَمَلِي، وأَنا مَحْقوقٌ بِهِ» (यह धन-दौलत तो मेरे परिश्रम तथा कर्म के कारण है तथा मैं इसके योग्य हूँ)। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि: «يريدُ من عِنْدي» (इसका अर्थ यह है कि वह कहता है: यह मेरे पास से है)।

इंसान जब नियामत की निस्बत अपनी कमाई तथा कर्म की ओर करता है तो इससे तौहीद -ए- रुबूबियत में एक प्रकार से साझी होने का भाव उत्पन्न होता है, और जब नियामत का संबंध तो अल्लाह से ही जोड़ता है परंतु यह गुमान रखता है कि वह इसके योग्य तथा अल्लाह तआला ने उसे जो कुछ दिया है वह केवल उसकी कृपा मात्र नहीं है वरन वह उसकी योग्यता रखता है तो ऐसी स्थिति में उबूदियत व उपासना की ओर से एक प्रकार की विमुखता, अपने आपको बड़ा समझने, अहंकार तथा घमण्ड का भाव प्रकट होता है।

दूसरी व तीसरी दलील:

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ﴾ (वह -क़ारून- कहता है कि: मुझे अपने ज्ञान के कारण यह मिला है), इस आयत की तफ़्सीर में क़तादा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं: «عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْـمَكَاسِبِ» (वह कहता है कि: कमाई का ढ़ंग जानने तथा ज्ञानी होने के कारण मिला है), कुछ दूसरे उलेमा ने यों कहा है: «عَلى عِلْمٍ مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ» (अल्लाह के यह जानने के कारण मुझ मिला है कि मैं इसके योग्य हूँ) और मुजाहिद रहिमहुल्लाह के कथन का भी यही आश्य है कि: «أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ» (यह धन-दौलत मुझे मेरे कुलीन होने तथा मेरी मर्यादा के कारण मिला है)।

३- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: "**बनी इस्राईल में तीन आदमी थे, जिनमें एक सफेद दाग वाला, दूसरा गंजा तथा तीसरा अंधा था। अल्लाह तआला ने उनकी परीक्षा लेना चाहा तो उनकी ओर एक फरिश्ता भेजा। वह फरिश्ता सफेद दाग वाले के पास आया और उससे पूछा: तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे प्रिय है ? उसने**

कहा: सुंदर रंग तथा सुंदर चमड़ी, तथा मुझसे यह रोग दूर हो जाये जिसके कारण लोग मुझसे घिन कर रहे हैं, आप ने फरमाया: तदोपरांत फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया तथा उसका रंग एवं चमड़ी सुंदर हो गई, फरिश्ते ने पुन: प्रश्न किया: तुम्हें किस प्रकार का धन सबसे प्रिय है ? उसने कहा ऊँट अथवा गाय – ह़दीस़ के रावी एवं वाचक इस्ह़ाक रह़िमहुल्लाह को दोनों शब्दों के निर्धारण में संशय हो गया – तो उसे दस महीने की गाभिन ऊँटनी दी गई, और फरिश्ते ने दुआ देते हुए कहा: अल्लाह तेरे लिए इसमें बरकत दे।

आप ने फरमाया: फिर वह फरिश्ता गंजे के पास आया तथा कहा: तुम्हें सबसे प्रिय क्या लगता है ? उसने कहा: सुंदर बाल तथा मुझसे यह रोग दूर हो जाये जिसके कारण लोग मुझ से घृणा कर रहे हैं, तो फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा जिससे उसका रोग दूर हो गया तथा उसे सुंदर बाल प्रदान कर दिया गया, फिर फरिश्ते ने पूछा: तुम्हें किस प्रकार का धन सबसे अधिक प्रिय है ? उसने कहा: गाय, तो उसे एक गाभिन गाय दे दी गई, फरिश्ते ने उसके लिये दुआ करते हुए कहा: अल्लाह तआला तुझे इसमें बरकत दे। "।

फरिश्त फिर अंधा के पासा आया और पूछा: तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या चीज़ लगती है ? उसने कहा: अल्लाह तआला मेरी आँख मुझे लौटा दे और मैं इससे लोगों को देखने लगूँ। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तथा उसकी आँख उसको मिल गई, फरिश्ते ने पुन: प्रश्न किया: तुम्हारा सबसे प्रिय धन कौन सा है ? उसने कहा: बकरी, तो उसे एक गाभिन बकरी दे दी गई, कुछ समय बीता और ऊँटनी, गाय तथा बकरी सभी ने बच्चा दिया, और अब इसके पास एक वादी व तराई ऊँटों से भर गई, तो दूसरे की गाय से और तीसरे की भी एक वादी बकरियों से भर गई।

आप ने फरमाया: फिर (वही फरिश्ता) अपने उसी रूप तथा वेश-भूषा में सफेद दाग वाले के पास आया और कहा: मैं एक ग़रीब आदमी हूँ, मेरी यात्रा का साधन समाप्त हो गया है और मैं आज अल्लाह की फिर उसके बाद तेरी सहायता के बिना अपने गंतव्य को नहीं पहूँच सकता, तुमसे मैं उस अल्लाह का वास्ता देकर माँगता हूँ जिसने तुझे सुंदर रंग तथा सुंदर चमड़ी एवं धन दिया कि मुझे एक ऊँट दे दो जिस पर यात्रा कर सकूँ। उसने कहा: मेरी अपनी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, तो इस पर फरिश्ते ने कहा: ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम सफेद दाग वाले नहीं थे ? तुमसे लोग घिन करते थे, तुम निर्धन थे तो अल्लाह तआला ने तुम्हें धनवान बना दिया, इस पर उसने कहा: मैं अपने वंश एवं पूर्वजों से इस धन का उत्तराधिकारी बना हूँ। फरिश्ते ने कहा: यदि तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे तेरी पहली दशा पर लौटा दे। आपने फरमाया: कि फिर वह फरिश्ता गंजे के पास आया उसी रूप में आया और उससे वैसा ही कहा जो उसने सफेद दाग वाले से कहा था और उसने वैसा ही उत्तर दिया जैसा उस सफेद दाग वाले ने दिया था। तो फरिश्ते ने उससे कहा: अल्लाह तआला तुझे तेरी पहली दशा पर वापस लौटा दे। आपने फरमाया: फिर वह फरिश्ता अंधे के पास उसी रूप तथा वेश-भूषा में आया और कहा कि मैं एक ग़रीब यात्री हूँ, मेरी यात्रा का साधन समाप्त हो गया है, और अपने गंतव्य तक पहूँचने के लिये मेरा सहारा केवल अल्लाह तथा उसके बाद तुम हो, मैं तुमसे उस अल्लाह को माध्यम बना कर जिसने तुमको पुन: आँखे दी हैं

निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बकरी दे दो जिससे मैं अपनी यात्रा पूरी कर लूँ, उसने कहा: (हाँ) मैं नेत्रहीन था तो अल्लाह ने मेरी दृष्टि मुझे लौटा दी, तुम जो चाहो ले लो जो चाहो छोड़ दो, अल्लाह की क़सम आज अल्लाह के नाम पर तू जो कुछ ले जाए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तो फरिश्ते ने कहा: तुम अपना धन अपने पास रखो, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी तो अल्लाह तुमसे प्रसन्न हो गया तथा तुम्हारे अन्य दोनों साथियों से अप्रसन्न हुआ। इस ह़दीस़ को इमाम बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- इस ह़दीस़ में अनेकों सदुपदेश हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

१- क़ुरआन व ह़दीस़ में वर्णित कथाओं का उद्देश्य लोगों को नसीहत तथा उपदेश देना होता है।

२- अल्लाह तआला की क़ुदरत एवं सामर्थ्य का बखान कि, मात्र फरिश्ते के छूने भर से कोढ़ी, गंजा तथा अंधा तीनों ठीक हो गये।

३- फरिश्ते यदा-कदा मानव रूप भी धारण कर लेते हैं किंतु ऐसा अल्लाह की आज्ञा से होता है।

४- फरिश्ते बाक़ायदा शरीर रखते हैं, वह केवल प्राण, शक्ति या मात्र एक अर्थ भर नहीं है।

५- रावी (वाचक) का ह़दीस़ के शब्दों को ज्यों का त्यों बयान करने का ध्यान रखना।

६- इंसान का, लिये जा चुके निर्णय से सहमत होना आवश्यक नहीं है, किंतु वह क़ज़ा एवं निर्णय जो अल्लाह का अमल (कर्म) है उससे प्रसन्न होना आवश्यक है, अल्लाह तआला के अमल तथा लिये जा चुके निर्णय के मध्य अंतर है, मक़ज़ी (किया जा चुका फ़ैसला) के दो प्रकार हैं : दुःख एवं विपत्ति जिससे प्रसन्न होना आवश्यक नहीं है, तथा शरई अहकाम व आदेश जिससे प्रसन्न एवं सहमत होना अपरिहार्य है।

७- किसी चीज़ को किसी अन्य पर आधारित करते हुये दुआ करना जायज़ है।

८- झगड़ा करने वाला जो किसी बात को नहीं मान रहा हो उसका मुँह बंद करने तथा निरुत्तर करने के लिये थोड़ा नीचे हो जाना जायज़ है।

९- अल्लाह तआला की बरकत की कोई सीमा नहीं है, इसी कारण उसके ऊँटों से तराई एवं वादी भर गई।

१०- अल्लाह तआला की नियामतों का शुक्रिया उसकी महानता के समान ही अदा किया जायेगा।

११- अपने असली रूप के विपरीत स्वयं को किसी और रूप में दिखलाना (भेष धरना) जायज़ है।

१२- परीक्षण कभी खुले आम तथा प्रकट रूप से होता है, इन लोगों का क़िस्सा प्रसिद्ध है।

१३- वरअ (धार्मिकता) एवं ज़ुह्द (वैराग्य) की फ़ज़ीलत व प्रधानता, कि यह अपने अपनाने वाले को अच्छे अंजाम तक ले जाता है।

१४- पिछली उम्मतों में भी विरासत (उत्तराधिकार) का प्रमाण।

१५- रज़ा (प्रसन्नता) तथा सख़्त (अप्रसन्नता) अल्लाह तआला की दो विशेषताएं हैं, तो हम इसे अल्लाह तआला के लिये वैसे ही साबित करें जो उसकी वैभव के योग्य हो।

१६- सोहबत (संगत) शब्द का प्रयोग कभी-कभी किसी चीज़ में समानता पाए जाने के कारण भी किया जाता है, इसके लिये शारीरिक रूप से साथ होना आवश्यक नहीं है।

१७- अल्लाह तआला बंदों को नियामत देकर फिर उसे आज़माता है।

१८- स्मरण कराना अथवा याद दिलाना कभी वाणी के द्वारा होता है, कभी कर्म के द्वारा और कभी हरकत (हाव भाव) के द्वारा।

मसाइल:

पहला: सूरा फुस्सिलत की आयत (﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: ﴿لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾ का क्या अर्थ है (अर्थात: मैं इसके योग्य हूँ)।

तीसरा: ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ﴾ का क्या अर्थ है।

चौथा: इन तीन लोगों के किस्से में जो शिक्षायें हैं उनकी ओर इशारा (जैसे: कोढ़ी, गंजे तथा अंधे में अंतर कि कोढ़ी और गंजे ने अल्लाह की नियामत मिलने के बाद उस नियामत का अल्लाह की ओर से होने का इंकार कर दिया, तथा नियामत मिलने से पहले की स्थिति में अपना संबंध अल्लाह से नहीं जोड़ा, जब्कि अंधे ने पहले की स्थिति तथा बाद की नियामत दोनों का संबंध अल्लाह से जोड़ा, इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं : "कोई व्यक्ति घमण्ड एवं अहंकार करते हुए यह न कहे कि: (मैं ऐसा हूँ, यह मेरा है, मेरे पास यह चीज़ें हैं,, इन वाक्यों के द्वारा इब्लीस, फ़िरऔन तथा क़ारून को आज़माया गया था, तो इब्लीस ने कहा: ﴿أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ (मैं उससे बेहतर हूँ) और फ़िरऔन ने कहा: ﴿لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ (मिस्र मेरा ही है) और क़ारून ने कहा: ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ﴾ (मुझे यह मेरे ज्ञानी होने के कारण दिया गया है) (أنا अना अर्थात मैं) का सर्वोत्तम प्रयोग गुनाहगार, पापी तथा उस अपराधी के लिये होता है जो अपने जुर्म को स्वीकार करता हो, जब्कि (لي ली, मेरा) का सर्वोत्तम प्रयोग इन वाक्यों में हो सकता है: मेरा गुनाह, मेरा पाप, मेरा जुर्म, मेरा दीन एवं निर्धन होना, मेरी असहायता और विनम्रता, तथा (عندي इंदी, मेरे पास, का सर्वोत्तम प्रयोग यह कहना है:(«اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي» (हे अल्लाह, तू मेरे सोच-विचार कर किये गये गुनाह तथा बिना सोचे-विचारे किये गये गुनाह, मेरे जानबूझकर तथा अंजाने में किये गये गुनाह, सबको माफ करदे, ये सब मेरी ओर से हैं)"।

५०- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ﴾ الآيَةَ (जब अल्लाह तआला ने उन्हें स्वस्थ शिशु दिया तो उन्होंने इस कृपा में दूसरों को अल्लाह का शरीक (साझी) बना दिया) का अध्याय

आयत में उल्लेखित शिर्क के प्रकार:

शिर्क -ए- अकबर: यदि यह अक़ीदा रखे कि अमूक पीर या संत ने मुझे यह बच्चा दिया या इसी प्रकार का कोई और अक़ीदा रखे, क्योंकि तब उसने पैदा करने वाला अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को समझा।

शिर्क -ए- अस़ग़र: यदि शिशु के स्वस्थ तथा निरोग होने का संबंध डॉक्टरों से जोड़े, क्योंकि उसने नियामत की निस्बत कारण बनाने वाले (मुसब्बिब) को छोड़ कर कारण (सबब) की ओर कर दिया।

शिर्क -ए- अस़ग़र: उबूदियत (साधना) में, वह इस प्रकार कि उस शिशु की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर भारी हो जाये और उसे इबादत से दूर कर दे, यह कैसे संभव है कि हम इस शिशू को मोहब्बत में अल्लाह के समकक्ष बना दें।

दूसरी दलील:

इब्ने ह़ज़्म रह़िमहुल्लाह ने कहा है: "मुसलमानों का इस बात पर इज्मा (एकमत) है कि जिस नाम में अल्लाह के सिवाय अन्य की दासिता का भाव हो वह ह़राम व वर्जित है, जैसे अब्दे अम्र (अम्र का दास) अब्दे काबा (काबा का दास) तथा जो इसके समान हो, अब्दुल मुत्तलिब (मुत्तलिब का दास) इससे अलग है (क्योंकि इसका अर्थ दास अर्थात ग़ुलाम है, यहाँ यह शब्द उन अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है जिससे अभिप्राय अल्लाह की बंदगी होती है)।"।

- अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी अन्य के लिये दासिता और बंदगी सूचक नामों का प्रयोग नाजायज़ है, और जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» (मैं मुत्तलिब के दास का पुत्र हूँ) से दलील लेने की कोशिश की है हम उसका खंडन निम्नांकित विधियों से करेंगे:

  1- यह मुतशाबेह ह़दीसों में से है जब्कि हमारे पास इसके विरूद्ध स्पष्ट एवं मुह़कम नुसूस (प्रमाण) उपलब्ध हैं जो इसका खंडन करते हैं।

  2- यह ह़दीस़ सूचना देने के वर्ग से है इसका इक़रार करने और मान लेने के वर्ग से नहीं है।

3- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस नाम से किसी का नामकरण नहीं किया, और न अपने सहाबा में किसी को ऐसा नाम रखने की अनुमति प्रदान की और न इसका इक़रार किया।

4- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसी नाम से प्रसिद्ध थे, यदि आप यों कहतेः (इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह का पुत्र) तो लोग आपको पहचान नहीं पाते।

5- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसी चीज़ के संबंध में बता रहें हैं जो पूर्व में घटित हो चुकी, गुज़र कर समाप्त हो चुकी, क्योंकि अबदुल मुत्तलिब की मृत्यु हो चुकी थी।

6- अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम नहीं वरन उपाधि (लक़ब) है, उनका नाम शैबा अल-हम्द था, उनके पिता का नाम हाशिम था, हाशिम ने उनको अपने मामूँ बनू नज्जार के पास बाल्यावस्था में मदीना भेज दिया था ताकि वहीं आयु बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त करें, जब उनके चाचा मुत्तलिब मदीना आए तो अपने साथ शैबा अल-हम्द को भी अपने साथ लेते हुए आगए, जब वह मक्का पहुँचे तो लम्बी यात्रा के कारण उनका रंग बदल चुका था, लोगों ने यह देख कर पूछाः यह अब्द (गुलाम, दास) कौन है ? तो उत्तर मिला किः अब्दुल मत्तलिब (मुत्तलिब का दास) (और ज्ञात रहे कि गुलामी वाली दासिता में कोई दुविधा नहीं है), अतः यह उपाधि उनसे चिमट कर रह गया, और इस प्रकार सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।

तीसरी दलीलः

«لَـمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْـجَنَّةِ؛ لَتُطِيعُنِّي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقَّهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ؛ يُخَوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ عَبْدَ الْـحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْـحَارِثِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾»

(जब आदम तथा हव्वा (अलैहिमस्सलाम) आपस में मिले तो हव्वा को गर्भ ठहर गया) की तफ़्सीर में कहा है किः उन दोनों के पास इब्लीस आया तथा कहा कि मैं तुम्हारा वही साथी हूँ जिसने तुम दोनों को स्वर्ग से निकलवाया था, मेरी बात मानो अन्यथा मैं इसके सिर पर दो सींग बना दूँगा और वह तुम्हारे पेट को चीर कर बाहर निकलेगा,

और मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, इस प्रकार की बातें करके उन दोनों को ख़ूब डराया धमकाया और कहा किः इसका नाम अब्दुल ह़ारिस़ रख दो, उन दोनों ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया और बच्चा मृत पैदा हुआ, फिर गर्भ ठहरा तो इब्लीस उनके पास आकर वैसी ही बातें करने लगा और उन दोनों ने फिर इंकार कर दिया, फिर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, पुनः एक बार फिर उन्होने गर्भधारण किया तो इब्लीस फिर आकर वैसी ही बातें करने लगा तो इस बार शिशु प्रेम उनके ऊपर विजयी हुआ और उन्होंने उस शिशु का नाम अब्दुल ह़ारिस़ रख दिया, यही इस आयत का अर्थ है, इसे इब्ने अबि हातिम ने रिवायत किया है"।

तथा इब्ने अबि हातिम ही ने सही सनद से क़तादा से उनका कथन रिवायत किया है किः "उन्होंने इताअत (अनुपालन) में साझी बनाया इबादत (उपासना) में नहीं"।

एवं उन्होंने ही मुजाहिद से अल्लाह तआला के फरमानः ﴿لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا﴾ के संबंध में उनका कथन नक़ल किया है किः "उन दोनों को यह भय था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा बच्चा इंसान न हो"।

इसी से मिलता-जुलता कथन ह़सन तथा सईद आदि से भी नक़ल किया गया है।

- «قَرْنَيْ أَيِّلٍ» : अरबी भाषा में "अय्यिल" पहाड़ी बकरा को कहते हैं।
- «عَبْدَ الْحَارِثِ» **:** चूँकि शैतान का नाम ह़ारिस़ है, इसीलिए उसने इस नाम का चयन किया, और उद्देश्य यह था कि उन दोनों से अपनी उपासना करवाए।
- **यह किस्सा कई कारणों से मिथ्या एवं आधारहीन है:**

1. इस विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई सही ह़दीस़ साबित नहीं है, तथा इस किस्से के संबंध में इब्न ह़ज़्म कहते हैं किः "यह किस्सा झूठा मनगढ़त है"।
2. यह बात किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं कि अल्लाह तआला उनके गुनाह का तो उल्लेख करे किंतु तौबा का उल्लेख न करे।
3. इस बात पर उलेमा एकमत (मुत्तफ़िक़) हैं कि अम्बिया शिर्क से पाक एवं पवित्र हैं।
4. क्यामत के दिन लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आयेंगे तो वह वर्जित पेड़ से खा लेने वाले अपने गुनाह को याद करके अपनी विवशता प्रकट करेंगे, यदि उनसे शिर्क हुआ होता तो उस समय अपने इस गुनाह को याद करके माज़ेरत चाहना अधिक मुनासिब एवं उचित था।
5. शैतान ने उन दोनों से कहाः «إِنِّي صَاحِبُكُمَا» (मैं तुम्हारा वही साथी हूँ जिसने तुम्हें जन्नत से निकलवाया था) जब्कि कोई यदि किसी को बहकाना चाहे तो इस प्रकार का आचरण कभी नहीं करेगा।

6. यह संभव नहीं है कि वो दोनों शैतान की इस बात को सच मान लें कि वह उनके पेट में पहाड़ी बकरे के दो सींग उगादेगा, क्योंकि यह रुबूबियत में शिर्क करना है।
7. आयत में (يُشركون) (वो लोग शिर्क करते हैं) बहुवचन है, इस आयत का संबोधन यदि आदम एवं हव्वा अलैहिमस्सलाम से होता तो आयत (يشركان)(वो दोनों शिर्क करते हैं) द्विवचन के साथ अवतरित होती।
8. इस आधार पर इस आयत का संबोधन आदम की वो संतान हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में शिर्क को अंजाम दिया, क्योंकि उनमें कुछ मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होते हैं तो कुछ मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी)।

मसाइल:

पहला: हरेक वह नाम जिसमें अल्लाह के सिवा किसी अन्य की दासिता का भाव एवं अर्थ हो वह ह़राम एवं अवैध है (यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब भी)।

दूसरा: सूरा आराफ की आयत (﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: उपरोक्त कथा में जिस शिर्क का उल्लेख है वह केवल नाम रखने की हद तक था, वास्तविक शिर्क -ए- अस़ग़ार न था (बल्कि सही बात यह है कि यह शिर्क वास्तविक था तथा आदम अलैहिस्सलाम की संतान में से किसी ने किया था, आदम तथा हव्वा अलैहिमस्सलाम ने नहीं)।

चौथा: किसी के यहाँ स्वस्थ पुत्री का जन्म लेना यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत व कृपा है (क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि लड़का पैदा होना सज़ा एवं दंड की निशानी है, जब्कि पुत्र एवं पुत्री दोनों ही इस आधार पर बराबर हैं कि दोनों ही अल्लाह तआला की नियामत एवं कृपा हैं)।

पाँचवां: सलफ़ (नेक पूर्वज) इबादत (उपासना) में शिर्क करने तथा इताअत (अनुपालन) में शिर्क करने के बीच अंतर करते थे (क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तथा हव्वा अलैहस्सलाम ने शैतान की केवल इताअत (अनुपालन) की थी उसकी इबादत (उपासना) नहीं की थी, और यह भी उस समय जब हम यह मान लें कि यह किस्सा सही है -जब्कि यह किस्सा झूठा एवं मनगढ़त है-)।

५१- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟﴾ ﴿ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ﴾ الآيَة (और अल्लाह तआला के अच्छे-अच्छे व शुभ नाम हैं, अत: तुम उसे उन्हीं नामों के द्वारा पुकारो तथा उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद (कजी, नास्तिकता) करते हैं) का अध्याय

इब्ने अबी हातिम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि: आयत ﴿يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ﴾ में इल्हाद का अर्थ शिर्क है। तथा उन्हीं का कथन है कि: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ» "मुश्रिकीन ने "इलाह" से लात तथा "अल-अज़ीज़" से अल-उज़्ज़ा बनाया है"। और आमश रहिमहुल्लाह का कथन है कि:«يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا» (उसमें वो ऐसे नामों को भी दाख़िल कर देते हैं जो उसके हैं ही नहीं)।

- इस अध्याय में उनलोगों का खंडन है जो कहते हैं कि: "किताबुत तौहीद" में केवल तौहीद -ए- उलूहियत का ही वर्णन है।
- ﴿وَلِلَّهِ﴾: तौहीद का तरीका यहाँ ख़बर को पहले ज़िक्र करना है, क्योंकि जिसको बाद में ज़िक्र करना चाहिये उसको पहले ज़िक्र करना सीमित करने (हस्र) का अर्थ देता है।
- ﴿ٱلْحُسْنَىٰ﴾: अर्थात: सुंदरता, उत्तमता तथा अच्छाई की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ, हर ओर से कामिल व पूर्ण, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
- ﴿فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾: अल्लाह तआला का नाम लेकर उससे दुआ करने के दो अर्थ हैं:

दुआ -ए- मसअला (मांगने वाली प्रार्थना): उन नामों का वसीला एवं वास्ता पकड़ते हुए अपनी आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखे, जैसे कहे: (فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنَّك أنت الغفور الرَّحيم) (अपनी ओर से माफी देते हुए मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम फरमा तू अत्याधिक माफ करने वाला रहम करने वाला है)।

दुआ -ए- इबादत (उपासना वाली प्रार्थना): उन नामों के भावों का ध्यान रखते हुए अल्लाह की इबादत करे, जैसे अल्लाह तआला "बसीर" (देखने वाला) है तो उसकी बसारत (चक्षु) का ध्यान रखते हुये इबादत की जाये कि वह आपको कोई ऐसा कृत्य करते हुये न देखे जिसको वह नापसंद करता हो।

इलहादः जिस चीज़ का अक़ीदा रखना वाजिब है उसको छोड़ कर कहीं दूसरी ओर मुड़ जाना, और इलहाद के दो प्रकार हैं:

आयतों में इलहाद करनाः

चाहे वह आयतेः

१- शरई हों: जैसे कोई कहेः क़ुरआन मख़लूक़ है।

२- कौनी (ब्रह्मांडीय) हों: जैसे कोई कहेः प्रकृति ही चीज़ों को पैदा करती है।

आयतों में इलहाद करनाः

असमा व सिफ़ात में इलहाद करनाः इसके कई भेद हैं:

१- समस्त अथवा कुछ असमा (नामों) का इंकार करे, जैसे जहमीया करते हैं।

२- इस्म (नाम) को साबित करे तथा सिफ़त (विशेषता) का इंकार करे, जैसे कहे वह समीअ (सुनने वाला) तो होता है किंतु सुनता नहीं है।

३- उनको समानता का भाव उत्पन्न करने वाला समझे जैसे मुशब्बिहा करते हैं।

४- अल्लाह के नामों को लेकर उससे बुतों का नामकरण करे, जैसे "अल-अज़ीज़" से उज़्ज़ा बना दे।

५- अल्लाह तआला का ऐसा नाम रखे जो स्वयं उसने अपना नाम नहीं रखा है, जैसे कहेः अल्लाह तीन (उपास्यों) में से एक (उपास्य) है, या वह अविष्कार करने में सक्षम है।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के लिये नाम होने का प्रमाण (जहमीया तथा कट्टर मोअतज़िला के विपरीत)।

दूसराः अल्लाह तआला के सभी नाम अच्छे एवं शुभ हैं (अर्थातः कामिल व पूर्ण हैं तथा उत्तमता एवं सुंदरता की पराकाष्ठा को पहुँचे हुये हैं)।

तीसराः अल्लाह तआला के अस्मा -ए- हुस्ना (अच्छे व प्यारे नाम) के द्वारा दुआ मांगने का हुक्म (दुआ -ए- इबादत एवं दुआ -ए- मसअला दोनों, और दोनों ही के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि अल्लाह तआला से उन्हीं नामों के द्वारा दुआ मांगी जाये)।

चौथाः जो मूर्ख तथा नास्तिक उनका इंकार करें उनसे वाद-विवाद न किया जाये (अर्थात हम उसके पीछे न पड़े रहें, किंतु इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम उनको दावत न दें, उनके समक्ष इसका बखान न करें, और इस आयत में धमकी एवं चुनौती भी है)।

पाँचवां: अल्लाह तआला के नामों में इलहाद करने का क्या अर्थ है।

छठाः इलहाद करने वालों के लिये धमकी एवं चेतावनी।

नौवें भाग से प्रथम परीक्षा (११) अध्याय

प्रथम प्रश्न:(☒) चिन्ह को उचित स्थान पर लगायें अथवा रिक्त स्थान पूर्ण करें:

1- नौवां पाठ पुस्तक का सबसे लंबा पाठ है: ☐ सही ☐ गलत।

2- लेखक रहिमहुल्लाह ने शिर्क -ए- अस़ग़र पर अधिक ध्यान इसलिये केंद्रित किया है क्योंकि यह छिप्र एवं गुप्त होता है: ☐ सही ☐ गलत।

3- ﴿نِعۡمَتَ ٱللَّهِ﴾ ☐ एकवचन है किंतु इससे अभिप्राय बहुवचन है ☐ एक वचन है।

4- नेमत (नियामत) होती है: ☐ मनपसंद चीज़ें दे कर ☐ नापसंद चीज़ें दूर करके ☐ उक्त सभी के द्वारा।

5- ﴿ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ ☐ उसके अस्तित्व का इंकार करके ☐ उसका संबंध अल्लाह से जोड़ने का इंकार कर के।

6- फलाइट लैंडिंग के समय ताली बजा कर पायलट को धन्यवाद देना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

7- नियामत का संबंध ग़ैरुल्लाह से जोड़ना शिर्क -ए- : ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

8- शिर्क मानव जाति के दिलों में : ☐ अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूँटी की चाल से भी अधिक छिप्र एवं गुप्त है ☐ स्पष्ट एवं प्रकट है।

9- अल्लाह की झूठी क़सम खाना: ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है ☐ गुनाह -कबीरा है ☐ ह़राम है ☐ इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है।

10- ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाना: ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है ☐ गुनाह -कबीरा है ☐ ह़राम है ☐ इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है।

11- शिर्क को अल्लाह तआला कभी माफ नहीं करेगा यद्यपि शिर्क -ए- अस़ग़र ही क्यों न हो: ☐ सही ☐ गलत।

12- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिये अल्लाह की झूठी क़सम खाना ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाने की तुलना में अधिक आसान है (☐ सही ☐ गलत), और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु न तो इसे पसंद करते थे और न उसे (☐ सही ☐ गलत)।

13- यह कहना कि: मैं तुम्हारे लिये किस चीज़ की सौगंध उठाऊँ कि तुम मुझे सच्चा समझो: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

14- (ما شاء الله وشاء فلانٌ, जो अल्लाह चाहे तथा आप चाहें) कहने वाला यदि यह आस्था रखता हो कि अमूक व्यक्ति ख़ालिक़ (अल्लाह) से अधिक महान या आदर के योग्य है अथवा अल्लाह के समान है तो यह शिर्क -ए- : (☐ शिर्क -ए- अकबर है ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है) और यदि यह आस्था रखे कि अल्लाह से कम है तो यह

शिर्क -ए- : (☐ शिर्क -ए- अकबर ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है)।

15- (तेरे अमान की क़सम) या (अमानतदारी की क़सम) कहना: ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है ☐ गुनाह -ए- कबीरा है ☐ जायज़ है।

16- शिर्क के विषय में ज्ञान अर्जित करना वाजिब है ताकि इंसान इसमें पड़ने से बचे: ☐ सही ☐ गलत।

17- शिर्क -ए- अकबर के विषय में अवतरित आयतों की सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसी व्याख्या करते थे कि यह शिर्क -ए- अस़ग़र को भी समाहित हो जाती थी: ☐ सही ☐ गलत।

18- यमीन -ए- ग़मूस कहते हैं कि अल्लाह की क़सम खाये: ☐ झूठी ☐ ताकि इसके द्वारा किसी मुस्लिम का धन हड़प ले।

19- "واو" "वाव" चाहता है: (☐ तरतीब -क्रमवार- को ☐ बराबरी एवं समानता को) अतः यह (☐ शिर्क होगा ☐ जायज़ होगा)।

20- यदि अल्लाह के नाम की क़सम खाने वाला सच्चा तथा विश्वास पात्र न हो तो: (☐ आपको अधिकार है ☐ आपको अधिकार नहीं है) कि उसकी क़सम से सहमत होने से इंकार कर दें।

21- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की, या माता के जीवन की, या ज़िम्मेदारी की, या अपने गर्दन की, या अपने आदर अथवा तेज की क़सम खाना: ☐ उन चीज़ों मे से हैं जिनमें लोग सामान्य रूप से लिप्त हैं ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है।

22- «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» अर्थात: .....

23- इस क़सम पर केवल यहूदी ने ही क्यों ध्यानाकर्षण करवाया ? .....

24- यहूदी कहते हैं जो (☐ ईसा अलैहिस्सलाम ☐ मूसा अलैहिस्सलाम) की शरीअत से संबंध रखता हो, तथा इस नामकरण का सबब है: (☐ उनका यह कथन ﴿إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ﴾ ☐ क्योंकि उनके पूर्वजों का नाम यहूज़ा था ☐ उक्त सभी)।

25- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने इस कथन «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا» में शिर्क -ए- अस़ग़र पर शिर्क -ए- अकबर के द्वारा दलील लेना: (☐ सही है ☐ गलत है), और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका मार्गदर्शन ऐसी चीज़ की ओर किया जो: (☐ उनसे शिर्क के हरेक साधनों का काट दे चाहे वो दूर का ही क्यों न हो ☐ शिर्क छुड़ा दे)।

26- जब कोई व्यक्ति सलाम करते हुए आप के लिए झुके: (उसका इंकार किया जाये ☐ इसमें कोई हर्ज नहीं है ☐ यदि इससे मना करने से लज्जा बाधा बने तो कोई हर्ज नहीं), और यदि आप इसको नकारते नहीं हैं तो आप: (☐ त़ाग़ूत हैं ☐ मुवह्हिद हैं)।

27- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा ऐसे शब्दों के द्वारा करना जो उनके अल्लाह तआला के समान होने का भाव रखते हों: ☐ शिर्क -ए- अकबर ☐ इसका आधार नीयत पर है, यदि इससे अभिप्राय आदर एवं सम्मान देना है तो फिर कोई हर्ज नहीं।

28- यहूदी के कुकर्म तो बहुतेरे हैं किंतु उनका ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ (उज़ैर अल्लाह के पुत्र हैं) कहने को इसलिये विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है क्योंकि यह उनके निकट सबसे प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक संगीन था: ☐ सही ☐ गलत।

29- «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» : ☐ लज्जा बातिल का इंकार करने में बाधा थी ☐ अल्लाह के आदेश के बिना उससे रोकने से।

30- सही यह है: ☐ सर्वप्रथम इस्तिदलाल (दलील मालूम करना) तत्पश्चात एतक़ाद (उसकी आस्था रखना) ☐ सर्वप्रथम एतक़ाद रखना तत्तपश्चात दलील मालूम करना।

31- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये आदर एवं सम्मान की बात है कि आप: ☐ अल्लाह के बंदे तथा रसूल हैं ☐ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं।

32- अच्छा सपना कहते हैं : ☐ जो सुधार आधारित हो ☐ जो व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे ☐ उक्त सभी।

33- सपना यदि अव्यवस्थित है तो यह उलझनों वाला परेशान ख़्वाब है: ☐ सही ☐ गलत।

34- दुःस्वप्न शैतान की ओर से होते हैं : (☐ सही ☐ गलत) और सुन्नत यह है कि इसे: (☐ ताबीर बताने वाले के पास बयान करे ☐ अपनी बाईं और तीन बार थूके तथा शैतान से अल्लाह की शरण मांगे)।

35- यदि यह अनुमान हो कि सपना शरीअत विरोधी है तो: ☐ इसको आधार बनाया जायेगा ☐ इसका कोई एतबार नहीं।

36- अपनी पत्नी से यों कहना: (मेरे जीवन का सबसे काला दिन मेरे विवाह का दिन है): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

37- सही यह है कि: ☐ पीड़ा से हानि होना ज़रूरी नहीं है ☐ पीड़ा से हानि होना आवश्यक है।

38- अल्लाह तआला के समस्त नाम अच्छे तथा शुभ हैं जब्कि "दह्र (ज़माना)" इस्म जामिद (रूढ़ि) है जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि यह समय एवं काल का एक नाम है: ☐ सही ☐ गलत, तथा "**मैं ही दह्र (ज़माना) हूँ**" अर्थात: .....

39- (ज़माना ग़द्दार है) कहना: ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है क्योंकि यह केवल सूचना देना भर है।

40- (अमूक व्यक्ति सुखाड़ वाले वर्ष में पैदा हुआ) कहना: ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है क्योंकि यह केवल सूचना देना भर है।

41- (हे धरती, अपने ऊपर के वासियों की रक्षा करना) कहना: ☐ यह ग़ैरुल्लाह से दुआ करना (शिर्क) है ☐ जायज़ है।

42- ज़माना को गाली देने के प्रकार: १- ..... इसका हुक्म: .....
२- ..... इसका हुक्म: ..... ३- ..... इसका हुक्म: .....

43- (प्रकृति बड़ी आश्चर्यजनक तथा रहस्यमयी है) कहना, या (यह प्रकृति का काम है) कहना: ☐ सही है ☐ गलत

है।

44- क़ाज़ी (न्यायाधीश) लाज़िम करने तथा फ़त्वा देने के बीच संतुलन बनाते हुए चलेगाः ☐ सही ☐ गलत।

45- (सातवीं शताब्दी के सर्वोच्च न्यायाधीश) कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ऐसा न बोलना बेहतर है।

46- शैख़ुल इस्लाम अर्थातः ☐ वह शैख़ तथा ज्ञानि जो इस्लाम का आश्रय है ☐ मुजद्दिद -ए- दीन तथा जिन्होंने इस्लाम की रक्षा में महत्वपूर्ण किरदार अदा किया।

47- (☐ उचित है ☐ अनुचित है) कि किसी विशेष उपाधि से सम्मानित आत्ममुग्धता तथा अहंकार में पड़ जाये।

48- अल्लाह तआला के निकट सबसे प्रिय नाम वह है जो विनम्रता तथा कमतर होने का भाव रखता हो, जैसेः (☐ शहंशा ☐ अब्दुर्रहमान) और अल्लाह के निकट सबसे घटिया एवं पतित नाम वह है जोः (☐ शक्ति ☐ अहंकार ☐ महानता ☐ सभी) का भाव प्रकट करता हो, और इसीलिये उसकी इच्छा के उलट उसका अपमान करके उसको दंड दिया गया (☐ सही ☐ गलत)।

49- मलिक अल-अमलाक (महाराजा) तथा क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) नाम रखनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है ☐ गुनाह -ए- कबीरा है।

50- कुनियत (उपाधि) वह है जिसके पहलेः (अब, पिता) या (उम्म, माता) या (अख़, भाई) या (अम्म, चाचा) या (ख़ाल, मामूँ) लगा हुआ हो, और यह होता हैः ☐ सराहना के लिये ☐ निंदा के लिये ☐ किसी चीज़ की अनिवार्यता तथा पूरक होने को बताने के लिये ☐ अलम (संज्ञा) के लिये ☐ उक्त सभी।

51- ऐसे भी सहाबी थे जिनका नाम ह़कीम या ह़कम था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको नहीं बदला, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल संज्ञा मात्र थाः (☐ सही ☐ गलत) अल्लाह तआला के ऐसे नामों के द्वारा नामकरण करना वर्जित है जो (☐ उसी के लिये आरक्षित हो ☐ जिसमें विशेषता का भाव एवं अर्थ अभिप्रेत हो ☐ उक्त सभी)।

52- कुनियत रखने का हुक्मः ☐ मुबाह है ☐ मुस्तहब है।

53- (जिसने किसी ऐसी चीज़ का उपहास उड़ाया जिसमें अल्लाह का या क़ुरआन का या रसूल का ज़िक्र हो) और रसूल से अभिप्राय हैं : ☐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ☐ समस्त रसूल गण।

54- उपहास करने वाले के ईमान को नकारना बड़ा संगीन इंकार है, और यह कल्पना नहीं की जा सकती कि एक मुसलमान इसकी गंभीरता को न जानता होः ☐ सही ☐ गलत।

55- उपहास करने वाले की तौबा की शर्तें : १- .....

२- ..... ३- .....

56- उपहास के अध्याय में दृढ़ता एवं जानबूझकर ऐसा किया गया हो इसका पाया जाना आवश्यक हैः ☐ सही ☐ गलत।

57- कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को गाली देने वालो का समर्थन करते हैं किंतु जब उसकी अपनी माता को गाली दी जाये तो उसके अंदर आत्मसम्मान का भाव जाग जाता हैः ☐ सही ☐ गलत।

58- आवश्यक है कि लोगों के सामने यह स्पष्ट किया जाये कि यह इस्लाम से ख़ारिज कर देने वाला कुफ्र है और हम इस प्रतिक्षा में न रहें कि जब लोग गाली देने लगेंगे तब हम उसको बताएंगेः ☐ सही ☐ गलत।

59- कुछ लोग कहते हैं किः हम गाली देने वाले और उपहास करने वाले से पूछेंगे कि उसका उद्देश्य गाली देना था या नहीं, उनका ऐसा कहनाः ☐ सही है ☐ बकवास है।

60- ख़ालिक़ पर मख़लूक़ के हक़ व अधिकार के आदर की दलील यह कहना है कि गाली देने वाले को क्रोध के कारण विवश समझा जायेगा, जब्कि राष्ट्र अध्यक्ष अथवा बाप को गाली देने या नोट फाड़ देने के समय उसे विवश नहीं समझा जायेगाः ☐ सही ☐ गलत।

61- कुछ देशों में गाली देने पर कड़े प्रतिबंध लगाना फलित हुआ जब्कि कुछ दूसरे देशों में इसमें सुस्ती करने का परिणाम यह निकला कि बड़े-छोटे सभी निडर होकर गाली देने लगेः ☐ सही ☐ गलत।

62- उपहास करने वाला, मूर्ति को सज्दा करने वाले से अधिक बुरा हैः ☐ सही ☐ गलत।

63- ऐसा बहुत संभव है कि आप यहूदि अथवा ईसाई को नहीं सुनेंगे कि वह रब अथवा मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम को या धर्म को अपशब्द कहता हो, लेकिन जो दीन (-ए- इस्लाम) के दावेदार हैं उनको आप अपशब्द कहते हुये सुनेंगेः ☐ सही ☐ गलत।

64- वास्तविक मोमिन के सामने जब क़ुरआन व हदीस़ का ज़िक्र होता है तो वह डरता है और उसके ईमान में वृद्धि होती है, जब्कि मुनाफ़िक़ हंसी ठठ्ठा खेल-कूद तथा उपहास करता है और लोगों को हंसाने वाली बातें करता हैः ☐ सही ☐ गलत।

65- ऐसी वीडियो जिसमें आपकी माता जी को अपशब्द कहे गये हों, क्या आप उसको सुनेंगे अथवा शेयर करेंगे ? तो फिर आप कैसे उस वीडियो को फैलाएंगे जिसमें तमाम मोमिनों की माता को गाली दी गई हो? ☐ हाँ ☐ नहीं।

66- जिसके पास ऐसी ऑडियो या वीडियो हो जिसमें गाली गलोच हो, उस पर वाजिब हैः ☐ सुनना और शेयर करना ☐ फौरन उसी समय डिलीट कर देना।

67- ऐसी फाइलें जमा करना जिनमें गाली तथा उपहास सामग्री हो, यह तरीका हैः ☐ सलफ़ का ☐ मुनाफ़िक़ो का।

68- गाली अथवा उपहास करके मुर्तद हो जाना बड़ा संगीन मामला है, कुछ उलेमा ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति की तौबा स्वीकार्य नहीं और अपरिहार्य है कि तत्कालीन शासक उसका सिर धड़ से अलग कर दे, और उसकी न तो जनाज़ा पढ़ी जायेगी, न उसके लिये रहमत की दुआ की जायेगी और न ही उसको मुसलमानों के साथ दफ़न किया जायेगाः ☐ सही ☐ गलत।

69- गाली देने वाला यदि कहे कि उसने तौबा कर ली है तथा फिर गाली दे तो यह उसके झूठा होना का प्रमाण हैः ☐ सही ☐ गलत।

70- मुनाफ़िक़ जब गाली देता है तो कहता है कि मेरा यह उद्देश्य नहीं था, यह तो बस एक ज़ुबानी वक्तव्य थाः ☐ सही ☐ गलत।

71- उपहास करने वाले के सच्ची तौबा की दलील यह कहना है किः गाली देना और उपहास करना कुफ्र है, और ऐसा करने वाले से बराअत व अलगाव ज़ाहिर करेः ☐ सही ☐ गलत।

72- जो गाली या उपहास का इंकार न करे या वहाँ से उठ कर न चला जाये तो उसका हुक्म उपहास करने वाले के समान हैः ☐ सही ☐ गलत।

73- शैतान कभी-कभी लोगों को कुफ्र में डालने के लिये भलाई का दरवाज़ा खोलता है, जैसे यह आदमी तबूक में शामिल थाः ☐ सही ☐ गलत।

74- इस्तिहज़ा (उपहास) वाली ह़दीस़ से पता चलता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली देने वाला काफिर है (☐ सही ☐ गलत) क्योंकि उन पर लांछन लगाना मानो (☐ अल्लाह ☐ रसूल ☐ दीन ☐ सहाबा ☐ उक्त सभी) पर लांछन लगाना है।

75- जिसके क्षमा कर देने का उद्देश्य सुधार के स्थान पर बिगाड़ उत्पन्न करना हो वह अपने इस क्षमा के कारणः (☐ गुनाहगार होगा ☐ गुनाहगार नहीं होगा)।

76- इंसान जब नियामत का संबंध अपने ज्ञान अथवा कमाई से जोड़े तो यह (☐ रुबूबियत में ☐ उबूदियत में) शिर्क करना है, और जब उसका संबंध अल्लाह से तो जोड़े किंतु यह गुमान रखे कि वह उसके योग्य है तो इसमें एक प्रकार का अहंकार, बड़प्पन तथा आत्ममुग्धता का भाव पाया जाता हैः (☐ सही ☐ गलत)।

77- वह क़ज़ा (फैसला) जो अल्लाह का अमल (कर्म) है उससे राज़ी रहना (☐ वाजिब है ☐ वाजिब नहीं है) और मक़ज़ी (जिसका निर्णय हो चुका है) यदि मुसीबत हो तो उससे राज़ी होना लाज़िम नहीं हैः (☐ सही ☐ गलत)।

78- अंधा, गंजा तथा कोढ़ी का फरिश्ते से मांगने में कोई अंतर नहीं थाः☐ सही ☐ गलत।

79- अब्दुल मुत्तलिब नाम रखनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

80- फूल की एक प्रजाति का नाम अब्बादुश शम्स (सूर्य का भक्त) रखनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

81- जो नाम रखना सही है उसके आस-पास गोल घेरा ○ बनायें : (अब्दुल मुत्तलिब – अब्दुल काबा – अब्दे मुनाफ़ – अब्दुल हुसैन – अब्दुंनबी – अब्दुल ह़ारिस़ – फ़िरऔन – ख़िन्ज़िब – आस़िया (अवज्ञाकारी के अर्थ में) – शासकों का शासक महा शासक – सैयेदुन्नास (लोगों का सरदार) – ग़ुलाम अली – रब्बुल आलिमीन – अर्रहमान – अल-ख़ालिक़ – अब्दुस सत्तार – अब्दुन्नूर – पोतरस (बुतरस) – जॉर्ज – सैयिदुस्सादात (सरदारों का सरदार महा सरदार) – सित्तुंनिसा – अब्दुन्नासिर)।

82- राफ़िज़ियों के ग़ुलू (अतिश्योक्ति) में से जो चीज़ें मुसलमानों में आ गई हैं उनका एक उदाहरण बंदगी प्रकट करते हुये अपने बच्चे का नाम (ग़ुलाम अली) अर्थात (अली का बंदा) रखना है, यह ग़ैरुल्लाह के लिये बंदगी प्रकट करना है जो शिर्क हैः ☐ सही ☐ गलत।

83- जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन में उपभोग का अधिकार नहीं रखता हो, उसका यह कहनाः (मैं हुक्म का ग़ुलाम हूँ): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

84- आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम का क़िस्साः ☐ सही है ☐ बातिल व बकवास है।

85- शैतान ने अब्दुल ह़ारिस़ नाम का चयन इसलिये किया किः ☐ यह उसका नाम है ☐ यह सही नहीं है क्योंकि "ह़ारिस़" सबसे सच्चा नाम है।

86- "ह़ारिस़" नाम रखनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

87- उलेमा इस बात पर मुत्तफ़िक (एकमत) हैं कि अम्बिया शिर्क से पाक व पवित्र हैं, और जो व्यक्ति उनके विषय में अनाप-शनाप बोले या उनसे होने वाली बातों को तलाश करे, तो वहः ☐ मुनाफ़िक़ है ☐ मुवह्हिद है।

88- अल्लाह के नामों से दुआ करना, दुआ -ए- : ☐ इबादत है ☐ मसअला है ☐ उक्त सभी।

89- "किताबुत तौह़ीद" ☐ तौह़ीद के तीनों भेदों को अपने अंदर समाहित किये हुई है ☐ इसमें केवल तौह़ीद -ए- इबादत का उल्लेख है।

90- (अल्लाह के नाम) असमा में इलह़ाद (नास्तिकता, कजी) के प्रकार हैं : ☐ दो ☐ पाँच।

91- अर्थातः ☐ हम न तो उसको दावत देंगे और न ही उनके सामने कुछ बयान करेंगे ☐ उनके पीछे नहीं पड़ेंगे।

92- असमा व सिफ़ात में इलह़ाद (नास्तिकता, कजी) के प्रकार हैं : १- .....

२- ..... ३- .....

४- ..... ५ - .....

५२- "अस्सलामु अलल्लाह" नहीं कहा जायेगा (ऐसा कहना ह़राम है)

क्यों ?

क्योंकि इस प्रकार से दुआ करना यह भ्रम उत्पन्न करता है कि उसके अंदर कोई कमी या त्रुटि है, क्योंकि किसी के लिये सलामती, शांति तथा सुरक्षा के लिये उसी समय दुआ की जायेगी जब वह उसका ज़रूरतमंद होगा, जब्कि अल्लाह तआला हरेक प्रकार के दोष, कमी तथा त्रुटि से दोषमुक्त, पवित्र एवं पाक है।

क्योंकि यह वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है, अल्लाह तआला के लिये दुआ करने के स्थान पर अल्लाह तआला से दुआ मांगी जायेगी, वह हम से बेनियाज़ (निःस्पृह) है, किंतु सिफ़त -ए- कमाल (पूर्ण सदगुणों) के द्वारा उसकी प्रशंसा एवं सराहना की जायेगी।

पहली दलील:

सही (बुख़ारी) में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह कहते हैं कि जब हम नमाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ होते थे तो हम कहते थे: (السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ) "अल्लाह तआला पर उसके बंदों की ओर से सलाम हो, अमूक-अमूक व्यक्ति पर सलाम हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ». **"अल्लाह पर सलामती हो न कहा करो, क्योंकि अल्लाह तआला तो स्वयं "अल-सलाम" (सलामती वाला) है"।**

- **अस्सलाम**, स़बूती सलबी संज्ञा है, सलबी इस अर्थ में है कि अल्लाह की ओर से हरेक उस दोष, कमी तथा त्रुटि को नकारा जायेगा जिसकी कल्पना मस्तिष्क में की जा सकती है या बुद्धि द्वारा विचार किया जा सकता है, अल्लाह तआला को उसकी ज़ात (अस्तित्व) सिफ़ात (विशेषताओं) या अफ़आल (कर्म) या अह़काम (आदेश) में किसी प्रकार का कोई दोष छू भी नहीं सकता। और स़बूती इस अर्थ में है कि इससे अभिप्राय अल्लाह के लिये इस नाम को साबित करना है और इस नाम से संबंधित सभी विशेषताओं को भी अर्थात "अस्सलामा" (सलामती, शांति, सुरक्षा आदि)।
- **और अल-सलाम के कई अर्थ हैं:**

"अस्सलाम" अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है।

दोष, कमी, त्रुटि तथा विपत्ति से संरक्षण की दुआ, जैसे हमारा कहना: (السَّلَام عليك أَيُّها النَّبِيُّ) (हे नबी, आप पर सलामती हो)।

"अल-तह़ीया" (सलाम), जैसे किसी को कहा जाता है कि: अमूक व्यक्ति को सलाम करो।

मसाइल:

पहला: अल-सलाम, की व्याख्या (कि यह अल्लाह तआला का एक नाम है जिसका अर्थ है: हरेक प्रकार के दोष, कमी एवं त्रुटि से दोषमुक्त, पवित्र एवं पाक)।

दूसरा: यह कलमा (सलाम) मुसलमानों का एक-दूजे के लिये उपहार है।

तीसरा: इस शब्द (सलाम) का प्रयोग अल्लाह तआला के लिए करना उचित नहीं है (और जब यह अल्लाह तआला के लिए प्रयोग करना अनुचित है तो इसका मतलब है कि यह ह़राम है)।

चौथा: अल्लाह तआला के लिये इस शब्द के प्रयोग न करने का कारण व सबब पता चला (वह यह है कि अल्लाह तआला स्वयं "अल-सलाम" (सलामती वाला) है)।

पाँचवां: उस तह़ीया (अभिवादन) की शिक्षा जो अल्लाह तआला के लिये उचित व मुनासिब है (अर्थात: तशह्हुद मे: अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु ... कहना, अत: मख़लूक़ (जीव) के लिये "तह़ीय्याती" नहीं कहा जायेगा)।

५३- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ) (हे अल्लाह यदि तू चाहे तो मुझे क्षमा कर दे) कहने का हुक्म (इस प्रकार से अल्लाह की इच्छा पर छोड़ते हुये दुआ करना ह़राम है)

यह अध्याय अल्लाह तआला के पूर्ण शासन और उसके कृपा व एहसान का बखान करता है, और उपरोक्त वाक्य का प्रयोग करने पर जो विचार मन में उभरता है वह यह किः

इससे यह आभास होता है कि अल्लाह तआला पर कोई दबाव डालने वाला है जब्कि ऐसी कोई बात नहीं है।

इससे यह आभास होता है कि यह मामला अल्लाह तआला के लिए बहुत बड़ा है जो उसको विवश तथा असहाय कर देने वाला है जब्कि ऐसी कोई बात नहीं है।

इससे यह आभास होता है कि इंसान अल्लाह तआला से बेनियाज़ (निःस्पृह) है, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है और यह शिष्टाचार के भी विरुद्ध है।

पहली दलीलः

सही (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ» **"कोई यह न कहे किः हे अल्लाह, यदि तू चाहे तो मुझे क्षमा कर दे, हे अल्लाह, यदि तू चाहे तो मुझ पर दया कर, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ अल्लाह तआला से दुआ करे क्योंकि कोई अल्लाह तआला को विवश करने वाला या दबाव डालने वाला नहीं है"।**

और मुस्लिम की रिवायत है किः «وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» **"और चाहिये कि बड़ी-बड़ी कामनाएं करे क्योंकि अल्लाह तआला के लिये कुछ भी प्रदान करना कोई बड़ी बात नहीं है"।**

दुआ -ए- इस्तिख़ारा में अल्लाह की इच्छा पर जो निर्भरता जताई गई है वह निर्भरता अल्लाह की मशीअत व चाहत से संबंधित नहीं है बल्कि वह हमारे निकट अस्पष्ट तथा अनभिज्ञ चीज़ से संबंधित है, हम नहीं जानते कि हमारे लिये क्या बेहतर है ? और इसी प्रकार से इस ह़दीसः «أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي» (जब तक जीवित रहना मेरे लिये बेहतर हो मुझे जीवित रख) का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है

मसाइल:

पहला: दुआ करते समय मामला को अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देने की निषिद्धता (अर्थातः इस प्रकार नहीं कहना चाहिये किः हे अल्लाह, यदि तू चाहता है तो मुझे माफ़ कर दे)।

दूसरा: अल्लाह तआला की इच्छा पर निर्भरता की वर्जना का कारण भी बताया गया है।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान किः «لِيَعْزِمِ الْـمَسْأَلَةَ» "**अल्लाह तआला से पूर्ण विश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ मांगो तथा दुआ करो**" (अर्थातः जब अल्लाह तआला से दुआ करे तो दिल में बिना किसी हिचकिचाहट के इस विश्वास से दुआ करे कि अल्लाह तआला उसकी दुआ व प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगा)।

चौथा: अल्लाह तआला के समक्ष बड़ी-बड़ी कामनाएं की जाये (अर्थात जो भी मांगना हो अल्लाह तआला से मांगे क्योंकि किसी भी मांग को पूरा करना अल्लाह के लिये तनिक भी कठिन या असंभव नहीं है)।

पाँचावां: अल्लाह तआला के समक्ष बड़ी-बड़ी अभिलाषाएं तथा कामनाएं करने के आदेश का कारण भी पता चला (१- शरीअत की बुलंदी एवं सर्वोच्चता बताने के लिये। २- इंसान को और अधिक निश्चिंत करने के लिये। ३- जब अहकाम से संबंधित कोई मसला पेश आजाए तो क़्यास को साबित व प्रमाणित करने के लिये)।

५४- अब्दी व अमती कहने की वर्जना

अब्दी (मेरा भक्त, दास) व अमती (मेरी भक्तिनी, दासी) कहने का हुक्मः

इसकी निस्बत किसी दूसरे की ओर करेः जैसे कहेः (अमूक व्यक्ति का -अब्द- दास) या (अमूक व्यक्ति की -अमता- दासी) यह जायज़ है।

इसकी निस्बत स्वयं अपनी ओर करेः इसके दो प्रकार हैं :

यह निदा (पुकार) के द्वारा होः जैसे कहेः (हे मेरे अब्द -दास-) तो यह वर्जित है।

यह ख़बर (सूचना) के द्वारा होः जैसे कहेः (मैंने अपने अब्द -दास- को खाना खिलाया) या (मैंने अपने अब्द -दास- को आज़ाद व स्वतंत्र कर दिया) इसमें विस्तार व तफ़्सील हैः

यदी इस शब्द का प्रयोग अब्द या अमः (दास या दासी) की उपस्थिति में कहे तो देखा जायेगा कि क्या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्या ? जिसका संबंध दास या दासी से है, यदि इसका कोई बुरा प्रभाव दिखाई दे तो वर्जित होगा अन्यथा जायज़ होगा।

यदि यह शब्द अब्द या अमः (दास या दासी) की अनुपस्थिति में कहे तो जायज है।

पहली दलीलः

सही (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ ربَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاي، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وفَتَاتِي وَغُلَامِي» **"तुम में से कोई यह न कहे कि अपने रब (पोषक) को भोजन करा दो, अपने रब (पोषक) को वुज़ू करा दो, उसे मेरा सैय्यिद (स्वामी) तथा मेरा मौला (रक्षक, आक़ा) कहना चाहिये, तथा कोई मेरा अब्द (भक्त, दास) तथा मेरी अमः (भक्तिनी, दासी) न कहे बल्कि मेरा सेवक तथा सेविका कहना चाहिये"।**

- «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ ربَّكَ»: क्योंकि इसमें एक प्रकार से रुबूबियत वाली सीमा को लांघ जाने का अर्थ पाया जाता है।

- «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاي»: यह संबोधन अब्द (दास, सेवक) को है, और यह वुजूब (अपरिहार्य होने) के लिये नहीं है, बल्कि यह मुबाह (जायज़) तरीके की ओर मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उलेमा कहते हैं कि: अम्र (आदेश, हुक्म) जब किसी वर्जित चीज़ की तुलना में उसके विरुद्ध आये तो वह इबाहत (जायज़ क़रार देने) के लिये होता है, जैसे अल्लाह तआला के इस फरमान में है: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (और जब तुम (हज के कार्यों को अंजाम दे कर) हलाल हो जाओ तो शिकार करो)।
- «وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُم»: नह्य (वर्जना) या तो तहरीम (निषेध क़रार देने) के लिये है अथवा कराहत (अप्रिय बताने) के लिये, ताकि यह भ्रम पैदा न हो कि यहाँ वही उबूदियत, बंदगी और भक्ति अभिप्रेत है जो अल्लाह तआला के लिये विशेष एवं आरक्षित है। «عَبْدِي»: (मेरा बंदा, दास, भक्तनी) युवक एवं सेवक के लिये। «وَأَمَتِي»: (मेरी बंदी, दासी, भक्तनी) युवती तथा सेविका के लिये।
- «وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وفَتَاتِي وَغُلَامِي»: यह संबोधन स्वामी तथा आक़ा को, इससे यह प्रमाणित होता है कि शरीअत जब हराम चीज़ों का दरवाज़ा बंद करती है तो उसकी तुलना में जायज़ चीज़ों का भी दरवाज़ा खोलती है, इसमें शब्दों के चयन में भी तौहीद के वास्तविक रूप का ध्यान रखने की ओर चेताया गया है।

मसाइल:

पहला: (عَبْدِي وَأَمَتِي) मेरा भक्त (दास) व मेरी भक्तनी (दासी) जैसे शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है।

दूसरा: कोई सेवक अपने स्वामी को (رَبِّي) (मेरा प्रभु) न कहे, और न किसी सेवक को इस प्रकार से संबोधित किया जाये कि: (أَطْعِمْ رَبَّكَ) (अपने प्रभु को भोजन कराओ)।

तीसरा: मालिक व स्वामी को यह शिक्षा दी गई है कि वह (عَبْدِي وَأَمَتِي) (मेरा भक्त, मेरी भक्तनी) कहने के स्थान पर (فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي) (मेरा सेवक, मेरी सेविका, मेरा ग़ुलाम) जैसे शब्दों का प्रयोग करे।

चौथा: सेवक को यह शिक्षा दी गई है कि वह अपने स्वामी को (سَيِّدِي وَمَوْلَايَ) (मेरा सरदार, मेरा आक़ा) जैसे शब्दों से संबोधित करे।

पाँचवां: इसका मूल उद्देश्य यह है कि तौहीद का अक़ीदा बिल्कुल पक्का हो यहाँ तक कि शब्दों के चयन में भी तौहीद का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिये।

५५- अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को ख़ाली हाथ न लौटाया जाए (यह तहरीम या कराहत के लिए है)

अल्लाह के नाम पर मांगने के प्रकार:

बजाये "अल्लाह" शब्द का प्रयोग करते हुए मांगे: जैसे कोई कहे: मैं अल्लाह के नाम का वास्ता दे कर आप से माँगता हूँ।

अल्लाह तआला की अवतरित की हुई शरीअत के अंतर्गत मांगने का कार्य करे: अर्थात उस ढ़ंग से मांगे जिसको शरीअत ने जायज़ क़रार दिया है, जैसे फ़क़ीर (निर्धन, भिक्षुक) सदक़ा (दान, भिक्षा) मांगे।

क्या किसी इंसान के लिये अल्लाह का नाम ले कर मांगना जायज़ है

बिना किसी आवश्यकता व ज़रूरत के मांगना स्वयं अपने आप में हराम या मकरूह है, इसीलिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बैअत (संकल्प) किया था कि वह किसी इंसान से कुछ नहीं मांगेंगे, अब जहाँ तक प्रश्न है मांगने वाले की आवश्यकतापूर्ति का तो मांगने वाले (भिक्षुक) की निम्नांकित दो स्थितियां हो सकती हैं:

अल्लाह का नाम लेकर मांगना: तो उसे दिया जायेगा क्योंकि यद्यपि वह उसके योग्य नहीं भी होगा फिर भी, चूँकि उसने सर्वोच्च महान व्यक्तित्व का नाम लेकर मांगा है, अतः उस व्यक्तित्व का आदर करते हुए उसकी मांग पूरी की जायेगी, किंतु यह मांग यदि किसी गुनाह का हो अथवा मांग पूरी करने में, मांग पूरी करने वाले को हानि होने का अंदेशा हो तो फिर उसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी।

सवाल मात्र हो: जैसे कहे: (हे अमूक मुझे कुछ दे) यदि उसने ऐसी चीज़ का प्रश्न किया है जिसे शरीअत ने जायज़ क़रार दिया है तो उसकी मांग पूरी कर दे।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» "**जो अल्लाह के नाम पर शरण मांगे उसे शरण दो, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसकी माँग पूरी करो, और कोई तुम्हें न्योता दे तो उसे स्वीकार करो, जो तुम्हारे साथ उपकार करे तुम भी उसके बदले उपकार करो, और यदि बदला चुकाने के लिये तुम्हें कुछ न मिले तो उसके लिये इतनी दुआ करो कि तुम्हें यक़ीन हो जाये कि तुमने उसका बदला चुका दिया**"। इस हदीस को अबू दाऊद तथा नसाई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

- « فَأَعِيذُوهُ » : यदि किसी ऐसी चीज़ के संबंध में शरण मांगे जो उस पर वाजिब है, अथवा गुनाह या उपद्रव के लिये पनाह मांगे तो पनाह नहीं दी जायेगी।

- न्योता स्वीकार करना अल्लाह के अधिकार के कारण है या मानव के? यह आदमी का हक़ व अधिकार है, इसीलिये यदि मेज़बान (अतिथेय) से खाने और क़ैलूला (दिन के खाने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम) की अनुमति मांगे और वह अनुमति देदे तो वहाँ क़ैलूला करने में कोई गुनाह नहीं है, किंतु यह अल्लाह के आदेश के कारण वाजिब है, परंतु मेज़बान यदि लोकलाज के डर से खिलाने तथा क़ैलूला करवाने से मना न कर सके बल्कि यों ही दावत देदे तो ऐसी परिस्थिति में उसकी दावत खाना अनुचित है।

- «فَأَجِيبُوهُ» : इससे अभिप्राय वह दावत है जो आदर-सत्कार के लिये हो दिखावा के लिये नहीं, जम्हूर (अधिकांश) उलेमा का कहना है कि न्योता स्वीकार करना मुस्तहब है, सिवाय वलीमा के न्योता के, वलीमा की दावत को स्वीकार करना छः शर्तों के साथ वाजिब है:

  1. दावत देने वाला व्यक्ति ऐसा न हो जिससे दूर रहना वाजिब या सुन्नत हो।
  2. दावत वाले स्थान पर मुन्कर (वर्जित कार्य) न किया जा रहा हो, किंतु यदि वहाँ मुन्कर किया जा रहा हो और यह व्यक्ति उस मुन्कर को रोकने में सक्षम हो तो दावत स्वीकार करने तथा मुन्कर को रोकने के लिये वहाँ उपस्थित होना वाजिब है।
  3. न्योता देने वाला मुसलमान हो, अन्यथा दावत स्वीकार करना वाजिब नहीं होगा (अर्थात यदि वह इस दावत को अस्वीकार करता है तो उसे गुनाह नहीं होगा)।
  4. मेज़बान (अतिथेय) की कमाई हराम व अवैध न हो।
  5. न्योता स्वीकार करना किसी वाजिब कार्य से रोक देने का कारण न बने, या किसी ऐसी चीज़ से रोकने का कारण न बने जो दावत से भी बढ़ कर वाजिब है।
  6. न्योता स्वीकार करने के कारण उसे कोई हानि होने का अंदेशा न हो, जैसे सुदूर यात्रा करके जाना पड़े, या उसके घरवाले जिन्हें उसकी आवश्यकता है उनको छोड़ कर जाना पड़े।

- क्या बांटा जाने वाला आमंत्रण पत्र आमने सामने न्योता देने के समान है? यदि यह विदित हो अथवा यह गुमान हो कि जिसने यह आमंत्रण पत्र भेजा है उसका उद्देश्य वही है जो सामने आकर न्योता देने वाले का होता है तो इसका हुक्म सामने आकर न्योता देने वाले के समान होगा।

- «فَكَافِئُوهُ» : बदला चुकाने के दो लाभ हैं :

  1. भलाई करने वाले (परोपकारी) को और अधिक परोपकार करने के लिये प्रेरित करना।
  2. इसके द्वारा इंसान लज्जा की उस रेखा को लांघता है जिससे उसके साथ किसी के परोपकार करने के पश्चात उसे जूझना पड़ता है।

मसाइल:

पहला: जो कोई अल्लाह का नाम ले कर शरण माँगे उसे शरण दिया जाये (जो व्यक्ति अल्लाह का नाम लेकर पनाह माँगे उसको पनाह देना वाजिब है, यह अलग बात है कि यदि वह ऐसी चीज़ से पनाह माँगे जिसका करना या न करना वाजिब हो, ऐसी स्थिति में उसे पनाह नहीं दी जायेगी)।

दूसरा: जो अल्लाह तआला का नाम ले कर माँगे उसे कुछ न कुछ देना चाहिये।

तीसरा: न्योता स्वीकार करने का हुक्म।

चौथा: किसी के उपकार का बदला चुका देना चाहिये (अर्थातः जो आप के साथ भलाई व उपकार करे आप भी उसके साथ भलाई व उपकार करें)।

पाँचवां: जो उपकार का बदला चुकाने में अक्षम हो वह उपकार करने वाले के लिये दुआ करे (क्योंकि ऐसी स्थिति में यही उपकार का बदला चुकाना है, तथा ऐसी चीज़ों में किये गये उपकार का भी जिनका आदतानुसार किसी सामान के द्वारा बदला नहीं चुकाया जाता)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान कि: «حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» "**उपकार करने वाले के लिये इतनी दुआ करना कि यह आभास होने लगे कि अब उसका बदला चुका दिया**" (उपकार करने वाले के लिये दुआ करने में कमी न करे बल्कि उस समय तक दुआ करता रहे जबतक यह यक़ीन हो जाये या यह गुमान होने लगे कि अब उसने बदला चुका दिया है)।

५६- अल्लाह का वास्ता देकर केवल जन्नत माँगी जाये

अध्याय के शीर्षक का अर्थ:

अर्थात: किसी मख़लूक़ (जीव) से जन्नत न मांगो, क्योंकि जन्नत देना मख़लूक़ के सामर्थ्य से बाहर है।

अथवा: अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह तआला से जब भी कुछ मांगो तो जन्नत ही मांगो, सांसारिक लाभ की वस्तुएं न मांगो।

इसमें अल्लाह के वज्ह (मुख, चेहरा) का आदर है कि उसके वज्ह -ए- करीम का वास्ता देकर केवल जन्नत ही मांगी जाये अथवा वह चीज़ जो जन्नत तक ले जाने वाली हो।

पहली दलील:

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْـجَنَّةُ» **"अल्लाह तआला का वास्ता देकर केवल जन्नत के सिवाय कुछ और न माँगा जाए"**। इस ह़दीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

- «بِوَجْهِ اللهِ»: इसमें अल्लाह तआला के लिये वज्ह (मुख) का प्रमाण है, और यह क़ुरआन, ह़दीस़ तथा इज्मा (सर्वमत) से प्रमाणित है, अल्लाह के पास वास्तविक मुख है जो मख़लूक़ के समान नहीं है।

मसाइल:

पहला: अल्लाह तआला का वास्ता देकर सबसे बड़े लक्ष्य एवं महानतम उद्देश्य (जन्नत) के अतिरिक्त कुछ और न माँगा जाये (अदब का तक़ाज़ा यह है कि अल्लाह का वास्ता देकर वही चीज़ माँगी जाए जिसका संबंध आख़िरत (परलोक) से हो जैसे जन्नत में प्रवेश अथवा जहन्नम से बचाव)।

दूसरा: अल्लाह तआला के लिये "वज्ह" (मुख, चेहरा) का प्रमाण है।

दुआ -ए- स़िफ़त का हुक्म:

दुआ -ए- स़िफ़त जायज़ नहीं है, जैसे कहना: (يا رحمة الله، يا وجه الله، يا عزَّة الله) या रह़मतल्लाह, या वज्हल्लाह, या इज़्ज़तल्लाह, ये सब बनाई हुई दुआ (बिदअत) है, जिसका न तो क़ुरआन व ह़दीस़ में कोई उल्लेख है और न ही सलफ़ से साबित है, और शैख़ुल इस्लाम रह़िमहुल्लाह कहते हैं : (ऐसा कहना कुफ़्र है)।

५७- "लौ" (यदि, अगर) कहने का हुक्म (इसमें तफ़्सील है)

"लौ" (यदि, अगर) शब्द प्रयोग करने के प्रकार मय हुक्म:

हराम है और कभी-कभी कुफ्र तक जा पहुँचता है: यदि इसका प्रयोग शरीअत पर आपत्ति जताने के लिये किया जाये।	﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا﴾: मुनाफ़िक़ों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि: यदि यह लोग हमारी बात मान लेते और हमारी तरह वापस लौट जाते तो क़त्ल नहीं होते, अर्थात हमारा मत व विचार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से बेहतर है।
हराम है: यदि इसका प्रयोग तक़दीर (भाग्य) पर आपत्ति जताने के लिये किया जाये।	﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟﴾: (वो लोग यदि हमारी बात मान लेते तो क़त्ल न किए जाते), इस प्रकार उन्होंने अल्लाह की तक़दीर पर आपत्ति जताया।
हराम है: यदि इसका प्रयोग निराशा तथा अफ़सोस प्रकट करने के लिये हो।	"**यदि मैं यों करता तो ऐसा-ऐसा हो जाता**": क्योंकि अफसोस, दुःख एवं कचोट का कारण है, जब्कि अल्लाह तआला चाहता है कि हम निश्चिंत रहें।
हराम है: यदि इसका प्रयोग किसी कुकर्म को जायज़ ठहराने के लिये भाग्य को हुज्जत बनाने की ख़ातिर हो।	﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا﴾: यह बातिल है, और तक़दीर से हुज्जत पकड़ना जायज़ है यदि यह केवल विपत्ति बताने के लिये हो उसको दोषयुक्त करने के लिये नहीं, और इसकी पहचान यह है बंदा गुनाह से रुक जाये तथा तौबा व पशचात्ताप करे।
यदि यह ख़ैर व भलाई के लिये हो तो बेहतर है और यदि शर्र व बुराई के लिये हो तो बुरा है: अगर इसका प्रयोग तमन्ना व अभिलाषा के लिये हो।	"यदि मेरे पास धन होता तो मैं ऐसा-वैसा करता" यह ख़ैर व भलाई की आरज़ू है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**वह अपनी नीयत पर है, और दोनों का अज्र (पुण्य) समान है**", और जिसने बुराई की आरज़ू की उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**वह अपनी नीयत पर है, और दोनों का गुनाह (पाप) समान है**"
जायज़ है: यदि इस का प्रयोग मात्र सूचना देने भर के लिये हो।	"**जो बात मुझे अब ज्ञात हुई है यदि पहले से पता होती तो मैं क़ुर्बानी के पशु साथ न लाता**" यह सूचना मात्र है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी ऐसी चीज़ की आरज़ू नहीं कर सकते जो अल्लाह की तक़दीर के विरुद्ध हो, यह ऐसे ही है जैसे कोई कहे: यदि मैं पाठ में उपस्थित रहता तो लाभांवित होता।

एक से तीन तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٞ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَا﴾ الآيَة

(ये लोग कहते हैं यदि हमारे बस में कुछ होता तो हम यहाँ मारे नहीं जाते)।

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ﴾ الآيَة

(ये वो लोग हैं जो स्वयं भी बैठे रहे तथा अपने भाइयों के संबंध में कहा कि यदि वो हमारी बात मान लेते तो क़त्ल नहीं किये जाते)।

३- तथा सही (मुस्लिम) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» **"लाभदायक चीज़ों के लिये लालायित रहा करो, तथा केवल अल्लाह तआला से सहायता माँगो, और विवश हो कर न बैठ जाओ, और यदि तुम्हें कोई दुःख व विपत्ति पहुँचे तो यों न कहो: यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा-वैसा हो जाता, बल्कि इस प्रकार कहो: अल्लाह का फैसला है उसने जो चाहा सो किया, क्योंकि "लौ (यदि, अगर, मगर आदि)" का प्रयोग करना शैतानी कर्म के द्वार खोलता है"**।

- ﴿يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٞ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَا﴾: यह मुनाफ़िक़ों की ओर से शरीअत पर आपत्ति जताना था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस बात के लिये अप्रसन्नता जताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी सहमति लिए बिना ही लड़ाई के लिये निकल पड़े।
- संभवतः यह तक़दीर पर भी आपत्ति हो सकती है इस अर्थ में कि: (हम मारे जाने के लिये नहीं निकले हैं)।
- ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ﴾: इसमें मोमिनों पर, अल्लाह के फैसले पर तथा तक़दीर पर आपत्ति जताना है, और जिहाद से बुज़दिली दिखाना है।
- जिसने तक़दीर (भाग्य) पर आपत्ति जताया तथा उससे अप्रसन्नता प्रकट किया वह अल्लाह तआला को अपना रब (प्रभु, पालनहार) मानने पर संतुष्ट व सहमत नहीं हुआ और न ही उसने तौहीद -ए- रुबूबियत को मुहक़्क़क़ किया अर्थात उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं अपनाया।

- इस ह़दीस़ से साबित होता है कि:

१- लाभदायक चीज़ों के लिये प्रयासरत रहना और हानिकारक चीज़ों से दूर रहना चाहिये। २- अल्लाह तआला की सहायता माँगना। ३- किसी चीज़ को पाने के लिये अनवरत प्रयासरत रहना तथा विवश हो कर बैठ नहीं जाना चाहिये, और इसके भी कई दर्जे हैं। ४- यदि कोई चीज़ ऐसी पेश आ जाये जो आपकी मंशा के विपरीत हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं यह अल्लाह की ओर से लिखा हुआ भाग्य है, अतः मामला अल्लाह तआला को सोंप दें।

मसाइल:

पहला: सूरा आल -ए- इमरान की दो आयतों की तफ़्सीर (पहली आयत में शरीअत पर आपत्ति का वर्णन है जब्कि दूसरी आयत में तक़दीर पर आपत्ति जताने का उल्लेख है)।

दूसरा: किसी विपत्ति और दुःख के समय (यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा-वैसा हो जाता ...) कहने की वर्जना।

तीसरा: "लौ" ("अगर, यदि") कहने का निषिद्ध होने के कारण का उल्लेख कि इससे शैतानी कर्म का द्वार खुलता है (जिससे इंसान को निराशा एवं अफसोस के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता)।

चौथा: अच्छी बात व वक्तव्य («قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ») (कि अल्लाह तआला ने जो चाहा -अच्छा ही- किया) की ओर मार्गदर्शन

पाँचवां: लाभदायक चीज़ों की लालसा व अभिलाषा तथा उसको पाने के लिये अल्लाह तआला से सहायता मांगने का आदेश।

छठा: इसके विपरीत विवश होकर बैठ जाने की वर्जना (अर्थात किसी कार्य से सुस्ती, आलस्य, तथा शिथिलता प्रकट करना, क्योंकि इंसान के वश में बस इतना ही है कि वह प्रयासरत रहे)।

५८- वायु एवं आंधी को गाली देने की निषिद्धता (भाग्य से संतुष्ट रहना)

पहली दलील:

उबइ बिन काअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ» **"हवा को गाली न दो तथा जब ऐसी बात देखो जो तुमको बुरी लगे तो कहो: हे अल्लाह, हम इस वायु की भलाई तथा जो उसके भीतर है उसकी भलाई, तथा जिस भलाई का इसे आदेश दिया गया है उस भलाई की तुझसे माँग करते हैं, और तुझसे इस वायु की बुराई तथा जो इसके भीतर है उसकी बुराई से एवं जिस बुराई का इसे आदेश दिया गया है उसकी बुराई से तेरी शरण चाहते हैं"**। इस हदीस़ को तिर्मिज़ी ने सही कहा है।

- वायु तथा आंधी को गाली देने का वही हुक्म है जो पूर्व में ज़माना एवं काल को गाली देने से संबंधित अध्याय में विस्तार से वर्णन किया जा चुका, लेखक महोदय ने समाज में बहुलता के साथ इस कृत्य के पाए जाने के कारण इसे अलग से उल्लेखित किया है, वैसे सामान्य रूप से भी लानत-मलामत करने तथा अपशब्द कहने की वर्जना इसलाम में मौजूद है, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ» **"मोमिन कटाक्ष करने वाला, लानत करने (धिक्कारने) वाला, अश्लील तथा अशिष्ट नहीं होता"**, इसके अतिरिक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान भी है: «لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» **"लानत करने वाला क़यामत के दिन न तो सिफ़ारिशी होगा और न गवाही देने वाला"**।
- और मोमिन को गाली देने के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» **"मोमिन को गाली देना फ़िस्क़ (दुराचार) है और उनसे युद्ध लड़ना कुफ़्र है"**।
- तथा मृतकों को गाली देने के विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» **"मुर्दों को गाली न दो, उन्होंने जो किया उसका बदला उन्हें मिल चुका"**।

- तथा पशुओं को गाली देने के संबंध में आप का कथन है कि: «لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ» "**हमारे साथ ऐसी ऊँटनी नहीं रहेगी जिसपर लानत भेजी गयी हो**"।
- और बुख़ार (ज्वार-ताप) को गाली देने के संबंध में फरमाया: «لَا تَسُبُّوا الْحُمَّى» "**बुख़ार को गाली न दो**"।

मसाइल:

पहला: हवा को गाली देने की निषिद्धता (यह ह़राम है क्योंकि हवा और आंधी को गाली देना दरअसल उसके पैदा करने वाले तथा उसे भेजने वाले को गाली देना है)।

दूसरा: इसमें इस बात की ओर मार्गदर्शन किया गया है कि इंसान जब कोई अप्रिय चीज़ देखे तो लाभदायक बात बोले या कर्म करे (जैस कहे: ऐ अल्लाह, मैं तुझसे माँगता हूँ ..., तथा इंद्रीय माध्यम अपनाये, जैसे आंधी के वेग एवं बुराई से बचने के लिये दीवार का सहारा ले)।

तीसरा: इसमें यह उपदेश भी है कि हवा अपने आप नहीं चलती बल्कि यह अल्लाह तआला के आदेशाधीन है।

चौथा: इसमें यह भी वर्णन है कि कभी उसे भलाई का आदेश होता है और कभी बुराई का।

(सारांश यह है कि इंसान पर वाजिब व अनिवार्य है कि वह अल्लाह के फ़ैसले और तक़दीर पर आपत्ति न जताए, और न ही उसे गाली दे व अपशब्द कहे बल्कि जिस तरह से वह अल्लाह तआला के शरई फ़ैसलों को बिना किसी आपत्ति के मान लेता है वैसे ही अल्लाह तआला के कौनी (ब्रह्मांडीय) फैसलों को भी बिना आपत्ति के मान लेना चाहिए, क्योंकि यह मख़लूक़ (जीव) स्वयं अपने आप कुछ भी करने में असमर्थ है सिवाय इसके कि जिस चीज़ का अल्लाह तआला उसे हुक्म दे)।

५९- अल्लाह तआला के फरमान ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ﴾

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ﴾ الآيَةَ (वो

अल्लाह तआला के बारे में जाहिलीयत युग के समान मिथ्या धारणा रखते हैं, और कहते हैं क्या हमें भी किसी चीज़ का अधिकार है, आप कह दीजिये हरेक प्रकार का अधिकार केवल अल्लाह के पास है) का अध्याय

- ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ﴾: (अर्थातः मुनाफ़िक़ीन) यह जाहिलीयत के समुदायों के समान गुमान है जिसमें गुमान करने वाला अल्लाह की महानता से भलि-भांति परीचित नहीं होता, अतः अज्ञानता आधारित बातिल गुमान है, और अल्लाह तआला से गुमान रखने के दो रूप हैं :

1) **अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे,** और इससे संबंधित दो चीज़ें हैं**:**

क- जो वह इस कायनात में कर रहा है उससे संबंधितः इस के विषय में अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना वाजिब है।

ख- जो वह विशेष रूप से कर रहा है उससे संबंधितः इस विषय में अल्लाह तआला से सबसे अच्छा गुमान रखना वाजिब है बशर्ते कि आप के पास वह चीज़ हो जो इस हुस्न -ए- ज़न्न (अच्छे गुमान को वाजिब करे जो अल्लाह तआला के लिये इख़लास़ (निःकपटता) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण है।

2) **अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखे**: जैसे उसके किसी कृत्य को मुर्खता, या अत्याचार या इसके समान किसी और चीज़ पर आधारित समझे यह ह़राम कार्यों में सर्वाधिक बुरा तथा गुनाहों में सबसे संगीन है, जैसाकि मुनाफ़िक़ नाहक इस तरह का गुमान रखते थे।

पहली दलीलः

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ﴾ الآيَةَ। (जो लोग अल्लाह तआला के बारे में बुरा गुमान रखेत थे वो स्वयं बुराई के फेरे में आ गये)।

- इससे अभिप्रेत मुनाफ़िक़ और मुश्रिक लोग हैं कि बुराई उन्हें चारों ओर से घेरे हुई है।

इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं (उपरोक्त आयत में जिस अंधकार युग वाले मिथ्या गुमान का वर्णन है वह यह है कि) वो यह गुमान करने लगे थे कि अल्लाह तआला अपने रसूल की सहायता नहीं करेगा तथा उसकी दावत शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी, और वो लोग यह गुमान करने लगे थे कि मुसलमानों पर जो विपत्ति आई है वह अल्लाह की तक़दीर तथा हिकमत के अंतर्गत नहीं थी, इस प्रकार भी वर्णन किया गया है कि ये लोग अल्लाह की तक़दीर, हिकमत (दूरदर्शिता) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सफलता का इंकार करते हैं और यह गुमान करते हैं कि यह (इस्लाम) धर्म समस्त धर्मों पर विजयी नहीं होगा। मुनाफ़िक़ों एवं मुश्रिकीन का यही वह बुरा गुमान है जिसका उल्लेख सूरा फ़त्ह की आयत में हुआ है, क्योंकि यह ऐसा गुमान है जो अल्लाह तआला की महानता एवं शान के विरुद्ध है, अतः जो यह गुमान करे कि अल्लाह तआला बातिल (असत्य) को हक़ (सत्य) पर स्थायी प्रभुत्व देगा जिसके कारण सत्य मिट जायेगा, या जो यह गुमान करे कि यह निर्णय अल्लाह के क़ज़ा व क़दर से नहीं हुआ, या जो यह गुमान करे कि अल्लाह तआला की तक़दीर सराहनीय सम्पूर्ण हिकमत (तत्वदर्शिता) पर आधारित नहीं है बल्कि यह गुमान करे कि यह मात्र उसकी मशीयत व चाहत से हुआ, यही काफिरों का गुमान है और उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, और बहुतेरे लोग अपने तथा अन्य लोगों से संबंधित कार्यों में अल्लाह तआला के बारे में बुरा गुमान रखते हैं, इस बुरे गुमान से केवल वही लोग सुरक्षित हैं जो अल्लाह तआला, उसके असमा व सिफ़ात तथा उसकी हिकमत एवं प्रशंसा के कारणों की पहचान रखते हों। अतः प्रत्येक बुद्धिजीवी जो स्वयं का शुभचिंतक हो उसे चाहिये कि वह उपरोक्त समस्त बातों का ध्यान रखे, अल्लाह से क्षमा याचना करे, और उसके समक्ष अपने इस बुरे गुमान के लिये पश्चात्ताप करे, और यदि आप लोगों की बातों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि अधिकांश लोग तक़दीर के विषय में शिकायत का पहलू अपनाए हुए हैं, और भाग्य का रोना रोते हुए कहते हैं कि यह कार्य ऐसे सम्पन्न होना चाहिए तो अमूक कार्य वैसे, स्वयं को मिलने वाली चीज़ों को कुछ लोग कम समझते हैं तो कुछ ज़्यादा, आप भी अपने अंतर्मन में झांकें कि क्या आप इससे बचे हुए हैं अथवा आप भी इसी में लिप्त हैं ?

«(فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا)»

यदि आप इससे सुरक्षित हैं तो एक बड़ी बात से सुरक्षित हैं अन्यथा मैं आप को सुरक्षित नहीं समझता।

- यह बात इमाम इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक "ज़ाद अल-मआद" में उहुद युद्ध के वर्णन के पश्चात, इसमें छिप्त हिकमतें (तत्वदर्शिता, दूरदर्शिता) तथा उद्देश्य, शीर्षक के अंतर्गत किया है, बुरा गुमान रखने के विषय में उन्होंने जो बातें कही हैं उनका सारांश यह है कि:

  1- यह गुमान रखे कि अल्लाह तआला बातिल (असत्य) को हक़ (सत्य) पर ऐसा प्रभुत्व देगा कि जिसके कारण हक़ समाप्त हो जायेगा।

2- जो हुआ वह अल्लाह तआला के क़ज़ा व क़दर से हुआ इसका इंकार करे, उसके स्वामित्व में कोई घटना कैसे घट सकती है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो!।

3- इसका इंकार करे कि अल्लाह तआला की तक़दीर प्रशंसनीय मुकम्मल व पूर्ण हिकमत पर आधारित है।

- बुरा गुमान रखने के संबंध में उन्होंने जो उपचार बताया है कि उसका सारांश निम्नांकित है:

1. अल्लाह तआला के असमा व सिफ़ात की वास्तविक पहचान, तहरीफ़ (हेर-फेर), तावील (अपनी ओर से मंगढ़त व्याख्या करना) आधारित पहचान नहीं।
2. बुद्धिजीवी उपरोक्त बातों का ध्यान रखे ताकि यह उसे अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखने के लिये प्रेरित करे, बुरा गुमान या जाहिलीयत (अंधकार) युग वाला गुमान नहीं।
3. अल्लाह के समक्ष अपने गुनाहों से तौबा करते हुये अल्लाह की ओर पलट कर आजाये, और तौबा व इस्तिग़फार करे।
4. आप स्वयं अपने बारे में बुरा गुमान रखें (यह अल्लाह से बुरा गुमान रखने की तुलना में बेहतर है) क्योंकि मानव भूल-चूक, बुराई तथा त्रुटि का पुतला है।

मसाइल:

पहला: सूरा आले इमरान की (﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ﴾ और इसमें ज़मीर (सर्वनाम) मुनाफ़िक़ों के लिये है) आयत की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा फ़त्ह की आयत (﴿ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ﴾ और इसमें ज़मीर (सर्वनाम) मुनाफ़िक़ों के लिये है) की तफ़्सीर।

तीसरा: इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बदगुमानी के बहुतेरे प्रकार हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती (और इसका नियम यह है कि अल्लाह तआला से ऐसा गुमान रखना जो उसकी महानता तथा आदर भाव के विरुद्ध हो)।

चौथा: इस बदगुमानी से वही सुरक्षित रह सकता है जो अल्लाह तआला के असमा व सिफ़ात की पहचान के साथ-साथ स्वयं को भी पहचानने का गुण रखता हो (उसके विषय में गहन सोच-विचार करे, वास्तविकता तो यह है कि इंसान कमियों और बुराइयों का पुतला है, जब्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हरेक प्रकार की पूर्णता एवं कमाल से सुसज्जित है जिसको किसी भी प्रकार की कमी व त्रुटि छू भी नहीं सकती)।

६०- तक़दीर का इंकार करने वालों का हुक्म (कुफ्र -ए- अकबर है)

- **तक़दीर**: यह अल्लाह तआला का उसकी मख़लूक़ में एक भेद और राज़ है, हम इसको घटित हो जाने के बाद ही जान पाते हैं, इसका संबंध तौहीद -ए- असमा व सिफात से है और विशेष रूप से तौहीद -ए- रुबूबियत से है, तक़दीर पर ईमान रखने के संबंध में लोगों के तीन प्रकार हैं :

1) **जबरीया**: तक़दीर को साबित करने में अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा कर दी यहाँ तक कि बंदे से उसकी शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार ही छीन लिया और कहा कि: इंसान के पास कोई अधिकार, शक्ति व सामर्थ्य नहीं।

2) **क़दरीया और मोअतज़िला**: बंदे की शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार को साबित करने में अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा कर दी, और यहाँ तक कह दिया कि: बंदे के कर्म में अल्लाह तआला की मशीयत (चाहत) अथवा ख़ल्क़ (पैदा करने) की कोई भूमिका नहीं है।

3) **तीसरा समूह अहले सुन्नत वल जमात का है**: जिन्होंने सभी दलीलों को एक स्थान पर एकत्र किया तथा उनके बीच संतुलन बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ मिल्लत (संप्रदाय) वाला रास्ता अपनाया, अतः उन्होंने अल्लाह तआला की क़ज़ा व क़दर (फ़ैसला एवं भाग्य) पर भी ईमान रखा, और बंदे के लिये भी अल्लाह की मशीयत (चाहत) के अंतर्गत आने वाली मशीयत को साबित किया।

क़जा व क़दर (निर्णय एवं भाग्य) पर ईमान रखने के बड़े लाभ हैं, जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं:

1- यह तौहीद -ए- रुबूबित को मुकम्मल व पूर्ण करने में से है।

2- यह अल्लाह तआला पर सच्चे एतमाद व भरोसे को वाजिब करता है।

3- यह दिल में इत्मीनान एवं संतुष्टि को वाजिब करता है, जब आपको यह विश्वास हो जाये कि जो (दुःख इत्यादि) आपको पहुँचा वह टल नहीं सकता था और जो आप तक नहीं आया वह कभी आप तक पहुँच नहीं सकता था, तो लाभदायक माध्यमों को अपना लेने के पश्चात आप को जो मिलेगा आप उस पर संतुष्ट रहेंगे।

4- सराहनीय कार्य करने के पश्चात इंसान को अहंकार में पड़ जाने से रोकना कि वास्तव में अल्लाह ही है जिसने उस पर यह कृपा की है।

5- जो दुःख एवं विपत्ति उस पर आयेगी उसका शोक न मनाना कि जब यह अल्लाह तआला की ओर से है तो निश्चित रूप से रहमत, कृपा, तथा हिकमत आधारित ही होगा।

6- इंसान असबाब (माध्यम) अपनाता है क्योंकि वह अल्लाह तआला की हिकमत पर ईमान रखता है और वह किसी चीज़ की तक़दीर का आधार उससे संबंधित माध्यमों पर रखता है।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं : "उस की क़सम जिसके हाथ में इब्ने उमर की जान है, यदि किसी के पास उहुद पहाड़ के तुल्य सोना हो और वह उसे अल्लाह के मार्ग में ख़र्च (व्यय) करे तो उसका यह कृत्य अल्लाह के समीप उस समय तक स्वीकार्य नहीं जब तक वह तक़दीर पर ईमान न रखे। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन को प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किया: «الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» "**ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखो, तथा उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आख़िरत के दिन (अंत दिवस) एवं तक़दीर के अच्छे व बुरे होने पर ईमान लाओ**""। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

ईमान: ज़ुबान से इक़रार करना (कथन), दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से उसके अनुसार कर्म करना, ईमान सुकर्म से बढ़ता है और कुकर्म से घटता है। और इसके छः अरकान (स्तंभ) हैं, ईमान रखना:

- अल्लाह पर
- फरिश्तों पर
- किताबों पर
- रसूलों पर
- आख़िरत के दिन पर
- तक़दीर के अच्छे और बुरे होने पर

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ»: अल्लाह पर ईमान लाने से निम्नांकित चीज़े लाज़िम आती हैं:

- तौहीद -ए- असमा व सिफात
- तौहीद -ए- उलूहियत
- तौहीद -ए- रुबूबियत
- अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान, और यह प्रमाणित होगा निम्नांकित चीज़ों के द्वारा:

अक़्ल (बुद्धि) द्वारा

बुद्धि कभी भी यह नहीं मान सकती कि सृष्टि कर्ता के बिना सृष्टि की रचना हो जाए, ﴿أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ﴾ (क्या वे बिना किसी खालिक़ के पैदा हो गए हैं या वे स्वयं ख़ालिक़ हैं)।

इंद्रीय द्वारा

जब आप किसी तक्लीफ या पीड़ा में होते हैं तो हाथों को आकाश की ओर उठाकर कहते है: हे मेरे रब, तब अल्लाह की आज्ञा से यह पीड़ा दूर हो जाती है। जैसे उहुद के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ की थी।

प्रकृति द्वारा

नबी ﷺ ने फरमाया: «كل مولود يولد على الفطرة» (प्रत्येक बच्चा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से इस्लाम पर पैदा होता है), फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।

शरीअत द्वारा

इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि कुरआन में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह के एक व अकेला होने की दलील मौजूद न हो।

- «وَمَلَائِكَتِهِ»: फरिशते ग़ैब की (अनदेखी दुनिया) दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वह अल्लाह के आज्ञापालन में लगे रहते हैं तथा उसकी अवज्ञा नहीं करते, उनके पास रूह (आत्मा) है, ﴿رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ और शरीर भी ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ﴾ हृदय एवं बुद्धि भी ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ हम उन पर और उनके उन नामों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने हमें बता दिया है (जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील) उनके गुणों पर भी ﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ एवं उनके कार्यों पर (जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते) तथा उनके विषय में जो खबरें हम तक पहूँची हैं मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से, हम सबपर ईमान रखते हैं।
- «وَكُتُبِهِ»: यह ईमान रखना वाजिब है कि कुरआन अल्लाह का वास्तविक कलाम (कथन) है, तथा अल्लाह की ओर से उतारा गया है, पैदा नहीं किया गया, और प्रत्येक रसूल के साथ अल्लाह ने एक किताब उतारी, हम उन किताबों पर तथा अल्लाह तआला ने उनमें से जिनके नाम बताए हैं और जो ख़बरें उन में हैं तथा उनमें गैर मन्सूख़ (प्रचलित) जो अहकाम हैं सब पर ईमान रखते हैं (मोटे तौर पर भी तथा विस्तृत रूपसे भी), यह भी ईमान रखते हैं कि कुरआन ने पूर्व की तमाम किताबों को मंसूख (रद्द) कर दिया है जो कि यह हैः तौरात, इंजील, ज़बूर तथा इब्राहीम व मूसा -अलैहिमस्सलाम- के सहीफे।
- «وَرُسُلِهِ»: इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि तमाम रसूल इंसान हैं, उनमें रुबूबियत का कोई भी गुण नहीं है, वो सभी बंदे हैं उनकी इबादत (उपासना) नहीं की जा सकती, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा और उनकी ओर वह्य (प्रकाशना) उतारी तथा निशानियों एवं मोअजिज़ा (चमत्कारों) के द्वारा उनकी मदद की, वे अमानत को पूर्णरूपेण अदा कर चुके, उम्मत की खैरख्वाही (हितचिंता) की और दीन पहूँचा दिया तथा अल्लाह के रास्ते में जिहाद का हक़ अदा कर दिया, हम उन पर तथा जो कुछ भी अल्लाह ने हमें उनके नामों, गुणों व हालतों के विषय में मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से बताया हैं हम उन सब पर ईमान रखते हैं, और यह भी की पहले नबी आदम عليه السلام हैं, पहले रसूल नूह عليه السلام तथा अंतिम नबी मोहम्मद ﷺ हैं, यह भी कि पूर्व की तमाम शरीअतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के द्वारा मंसूख़ (समाप्त) कर दी गई हैं तथा अज्म वाले रसूल पाँच हैं जिनका उल्लेख सूरः शूरा तथा अह़ज़ाब में हुआ है और वह यह हैः (मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नूह, इब्राहीम, मूसा तथा ईसा अलैहिमुस्सलाम)।
- «وَاليَومِ الآخِرِ»: इसमें हर उस चीज पर ईमान लाना शामिल है जिसके विषय में नबी सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने खबर दी है कि वह मृत्यु पश्चात होने वाली है, जैसेः क़ब्र का फितना, सूर फूँका जाना, लोगों का कब्रों से उठ खड़ा होना, मीज़ान, आमाल नामा, कौसर नामक हौज, शफाअत, जन्नत, जहन्नम, मोमिनों का क़्यामत के दिन व जन्नत में अपने रब का दीदार करना तथा इसके अलावा अन्य ग़ैबी चीजें।

- «وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ»: यहाँ फेअल (क्रिया) (تُؤْمِنَ) की पुनरावृत्ति की है क्योंकि तक़दीर पर ईमान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसकी चार श्रेणियां हैं :

(عِلْمٌ، كِتَابَةُ مَولَانَا، مَشِيْئَتُه *** وَخَلْقُهُ وَهُو إِيْجَادٌ وَتَكْوِيْنُ)

इल्म (ज्ञान), किताबत (लिखना), उसकी मशीयत और पैदा करना जोकि अविष्कार तथा बनाने के अर्थ में है।

इल्म (ज्ञान)

इस पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु को पूर्व से ही संक्षिप्त एवं विस्तृत तौर पर जानता है। जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾(वह जानता है जो कुछ उनके आगे तथा जो कुछ उनके पीछे है)।

किताबत (लिखना)

यह ईमान रखना कि क्यामत तक घटित होने वाली सभी चीजों की तक़दीर अल्लाह ने लिख दी है। जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ (आसमान व ज़मीन में कोई पोशीदा (छिप्त, गुप्त) चीज़ ऐसी नहीं जो रौशन और खुली (स्पष्ट) किताब में न हो)।

मशीयत (चाह)

यह ईमान रखना कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता है वह नहीं होता है, और बंदे का भी इरादा होता है किंतु वह अल्लाह तआला के इरादे के अधीन है। जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ (और तुम नहीं चाह सकते मगर यह कि अल्लाह तआला चाहे)।

ख़ल्क़ (पैदा करना)

यह ईमान रखना कि बंदा तथा उसके समस्त क्रियाकलाप अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड भी, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (अल्लाह तआला प्रत्येक चीज को पैदा करने वाला है) ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (अल्लाह ने तुम्हें तथा तुम्हारे कर्मों को पैदा किया है)।

दो से चार तक दलीलें:

२- उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा: يَا بُنَيَّ؛ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «**إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ**»، يا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «**مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي**» "हे मेरे पुत्र, तुम ईमान का स्वाद तब तक नहीं पाओगे जब तक यह विश्वास न रखो कि जो (दुःख) तुमको पहुँचा वह तुमसे चूक नहीं सकता था तथा जो तुमसे चूक गया वह कभी तुम तक पहुँच नहीं सकता था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि: **अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम क़लम को पैदा किया तथा उसे लिखने का आदेश दिया, उसने कहा: हे मेरे रब, मैं क्या लिखूँ ? अल्लाह तआला ने फरमाया: क़यामत तक घटित होने वाली सभी चीज़ों की तक़दीर लिख।** हे मेरे पुत्र, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना कि: **जो इसके अतिरिक्त किसी अन्य अक़ीदा पर मरा वह मेरी उम्मत में से नहीं**"। और अहमद की एक रिवायत में इस प्रकार है: «**إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ**» "**सर्वप्रथम अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा किया और उसे लिखने का आदेश दिया, तो उसने उसी क्षण क़यामत तक घटित होने वाली हरेक बात लिख दी**"।

३- तथा इब्ने वहब की रिवायत के शब्द हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «**فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وشرِّهِ؛ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ**» "**जो व्यक्ति भाग्य के अच्छे व बुरे होने पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह तआला उसे नरक की अग्नि में जलायेगा**"।

४- एवं "मुसनद" तथा "सुनन" में इब्ने दैलमी की रिवायत है वह कहते हैं कि: ... فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ "मैं आदरणीय उबैय बिन काब के पास आया और कहा: मेरे मन में तक़दीर के संबंध में कुछ शंका है, आप कोई हदीस़ बयान करें जिससे संभवतः अल्लाह तआला मेरे दिल से उस शंका का निवारण कर दे। तो उबैय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: यदि तुम उहुद पहाड़ के समान भी सोना दान करो तो तुम्हारी ओर से अल्लाह तआला इसे उस समय तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम यह यक़ीन न रखो कि जो विपत्ति तुम पर आई वह तुमसे टल नहीं सकती थी, और जो नहीं आई वह कभी तुम तक पहुँच नहीं सकती थी। यदि तुम्हारी आस्था (अक़ीदा) इसके विरुद्ध हुई तो और तुम इसी पर मर गये तो तुम जहन्नमी हो गये"। इब्ने दैलमी कहते हैं इसके पश्चात मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हुज़ैफ़ा बिन यमान तथा ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास गया (और उनको अपनी शंका से अवगत कराया) तो उन्होंने भी इसी के समान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस़ बयान की। यह हदीस़ सही है, इसे हाकिम ने अपनी सही में रिवायत किया है।

- «حَتَّى تَعْلَمَ»: अल्लाह तआला ने अपने इस कथन में इसी अर्थ को दर्शाया है: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾﴾ (न कोई मुसीबत दुनियाँ में आती है न (विशेष) तुम्हारी जानों में मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें वह एक विशेष किताब में लिखित है, यह (कार्य) अल्लाह तआला पर (बिल्कुल) आसान है। ताकि तुमसे जो चीज़ चूक गई उसपर शोक न मनाओ और ना ही मिली हुई चीज़ पर इतराओ, और इतराने एवं डींग हांकने वालों को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता है)।
- «يَا بُنَيَّ»: इसमें उपदेश देते समय संतानों के संग नम्रता एवं कोमलता से पेश आने का प्रमाण है, और बच्चों को अह़काम (इसलाम धर्म से संबंधित आदेश) को प्रमाण सहित बताना चाहिए: १- ताकि बच्चे दलीलों का अनुसरण करने के अभ्यस्त हों। २- ताकि बच्चों की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत करने पर हो।
- «فِي نَفْسِي شَيْءٌ»: दैलमी के दिल में जो शंकाएं उत्पन्न हुई थीं वो उन बिदअतियों के संग बैठने का भयंकर परिणाम हैं जो तक़दीर में शक किया करते थे, और शुबहा (शंका) का समाधान नुसूस (क़ुरआन व ह़दीस़) के द्वारा किया जायेगा ताकि यह पूर्णरूपेण समाप्त हो जाये।
- «القَلَمُ»: इसमें "पेश" और "ज़बर" के साथ दो रिवायतें हैं :

1- "पेश" के साथ: अर्थ होगा कि जिन मख़लूक़ात (जीव) का हम अवलोकन करते हैं जैसे आसमान तथा ज़मीन उसकी तुलना में अल्लाह तआला सर्वप्रथम क़लम को पैदा फरमाया, तो यह प्राथमिकता तुलनात्मक है, इब्ने क़ैयिम रह़िमहुल्लाह फरमाते हैं :

وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي كُتِبَ الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ الدَّيَّانِ
هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ قَوْلَانِ عِنْدَ أَبِي الْعَلَا الْهَمَذَانِي
وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَرْشَ قَبْلُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ

क़लम जिसके द्वारा अल्लाह की ओर से फैसले लिखे गये उसके संबंध में लोगों में मतभेद है कि वह अर्श (सिंहासन) से पहले पैदा हुआ या बाद में, अबुल अला अल-हमदानी से दोनों प्रकार के कथन नक़ल किये गये हैं, किंतु सही बात यह है कि अर्श, किताबत से पहले ही स्तंभों वाला मौजूद था।

2- "ज़बर" के साथ: अर्थ होगा कि अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा करते ही सर्वप्रथम लिखने का आदेश दिया।

मसाइल:

पहला: तक़दीर पर ईमान लाना फर्ज़ है।

दूसरा: तक़दीर पर ईमान लाने की कैफियत का वर्णन (कि हम ईमान की चारों श्रेणियों पर ईमान रखें)।

तीसरा: तक़दीर पर ईमान न रखने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्म बर्बाद हो जाते हैं (क्योंकि वह कुफ्र -ए- अकबर को अंजाम देने वाला अपराधी है)।

चौथा: जिस व्यक्ति का तक़दीर पर ईमान न हो, वह ईमान का स्वाद नहीं ले सकता।

पाँचवां: उस चीज़ का वर्णन जिसे अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम पैदा किया (इसमें कोई संशय नहीं कि क़लम को अर्श के बाद पैदा किया गया, किंतु जिन चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं उनकी तुलना में क़लम सबसे पहले पैदा किया गया, अर्थात उसकी प्राथमिकता तुलनात्मक है)।

छठा: इसका वर्णन कि क़लम ने उसी क्षण क़यामत तक घटित होने वाली सभी घटनाओं को लिख दिया (इसमें निर्जीव वस्तुओं से भी अल्लाह तआला के वार्तालाप करने का प्रमाण है, और यह भी कि वह अल्लाह के आदेश को समझती हैं, क्योंकि अल्लाह तआला ने क़लम को जब आदेश दिया तो उसने उसे समझा और आज्ञापालन किया)।

सातवाँ: तक़दीर पर ईमान न रखने वालों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विमुखता प्रकट करना (वह ऐसे कुफ्र का अपराधी है जो इस्लामी मिल्लत से निष्कासित कर देता है)।

आठवाँ: इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि शंका के निवारण के लिये सलफ़ (नेक पूर्वज) उलेमा एवं धर्मशास्त्रियों से उसके संबंध में पूछा करते थे (इसमें अनेक उलेमा से पूछने के जायज़ होने का भी प्रमाण है किंतु यह और अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की नीयत से हो न कि आसानी खोजने के लिये)।

नौवाँ: उलेमा ने हरेक प्रकार के शुबहों का उत्तर देकर उसका निवारण कर दिया है और अपनी दलीलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जोड़ दिया है (इसके द्वारा शंकाओं का पूर्णरूपेण निवारण हो जाता है, और इसमें कोई हर्ज नहीं कि विरोधी संतुष्ट करने तथा समर्थक के अतिरक्त निश्चित्ता के लिये इसके सिवा भी अन्य बोद्धिक तथा इंद्रीय दलीलों का प्रयोग करे, और इसके अतिरिकत एक चौथी दलील और भी है जो कि "नैसर्गिक एवं प्राकृतिक दलील" है।

६१- चित्रकारों के संबंध में (कड़ी चेतावनी)

1– चूँकि चित्र बनाने में भी एक प्रकार से रचना एवं सृजनता होती है, अतः इस दृष्टिकोण से देखें तो चित्रकार अल्लाह तआला का मुक़ाबला करने का प्रयास करता है।

2– इस भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम शिर्क का कारण चित्रकारी तथा मूर्तिकारी ही थी।

एक से पाँच तक दलीलें:

१- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» **"अल्लाह तआला फरमाता है: उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो मेरी रचना के समान (कुछ) रचने का प्रयास करता है, यह लोग एक कण अथवा एक दाना अथवा एक जौ ही बनाकर दिखाएं"**। इस ह़दीस़ को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

२- तथा बुख़ारी व मुस्लिम ही में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ» "क़यामत के दिन सबसे बड़ी यातना उन लोगों को होगी जो पैदा करने तथा बनाने में अल्लाह तआला का मुक़ाबला करने का प्रयास करते हैं"।

३- और सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाता हुए सुनाः «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ؛ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ» **"प्रत्येक चित्रकार (एवं मूर्तिकार) जहन्नम में जाएगा, उसकी बनाई हुई हरेक आकृति के बदले एक आकृति बनाई जायेगी जिससे उस को नरक में दंड दिया जायेगा"**।

४- सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» **"जो संसार में कोई चित्र (अथवा प्रतिमा) बनाएगा क़यामत के दिन उस पर भार डाला जाएगा कि वह उसमें प्राण डाले, परंतु वह उसमें प्राण डालने में असमर्थ होगा"**।

५- तथा मुस्लिम में अबुल हैयाज की रिवायत है कि आदरणीय अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझ से कहाः (أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟: «أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ») क्या मैं तुझे उस कार्य के लिये न भेजूँ जिसके लिये मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भेजा था: **"कि त जो भी चित्र देखे उसे मिटा दे तथा जो भी उँची कब्र देखे उसे समतल कर दे"**।

- **चित्रकार (और मूर्तिकार) का दंड:** १- उसे सर्वाधिक कष्टदायक दंड दिया जाएगा, या वह सर्वाधिक कष्टदायक यातना झेलने वालों में से होगा। २- वह मलऊन (धिक्कृत) है। ३- अल्लाह तआला प्रत्येक चित्र के बदले एक जान बनाएगा जिसके द्वारा उसे अज़ाब (यातना) देगा। ४- वह नरक की अग्नि में जलेगा। ५- उसको बाध्य किया जाएगा कि वह उसमें प्राण डाले जिसमें वह असमर्थ होगा। ६- इस वर्ग में उससे बड़ा ज़ालिम व अत्याचारी कोई नहीं अथवा वह अत्याचार की पराकाष्ठा पर है।
- «طَمَسْتَهَا»: यदि वह रंगीन हो तो उस पर दूसरा रंग फेर कर उसकी निशानियों को मिटा दिया जायेगा, यदि प्रतिमा हो तो उसका सिर अलग कर दिया जाएगा, यदि गड्ढा हो तो उस पर मिट्टी डाल कर उसको भर दिया जाएगा ताकि उसका निशान समाप्त हो जाए, अर्थात उसको मिटाने के भिन्न रूप हो सकते हैं, और हदीस़ का ज़ाहिरी अर्थ यह है कि यद्यपि उसकी पूजा हो रही हो अथवा नहीं सब समान हैं।
- «سَوَّيْتَهُ»: बुलंद, ऊँची। «مُشْرِفًا»: इसके दो अर्थ हैं :

  1- शरीअत की मंशा के अनुसार उसको बेहतर कर दिया जाये। २- उसके आस-पास की क़ब्र को बराबर कर दिया जाए।

चित्र एकत्र करने के उद्देश्य एवं रूप:

1- **चित्र में विद्यमान व्यक्ति का आदर करने के लिये:** यह बिना किसी संशय के ह़राम है, क्योंकि शक्ति एवं शासन रखने वाले लोगों का आदर करने के लिये उनके चित्रों को एकत्र करना तौह़ीद -ए- रुबूबियत में विकार का घोतक है, जब्कि पूज्य के चित्रों को एकत्र करने के द्वारा उनका आदर करना तौह़ीद -ए- उलूहियत में विकार का घोतक है।

2- **उसकी ओर देख-देख कर आनंद लेने के लिये:** इसमें फितना का डर होने के कारण ह़राम है।

3- **मोहब्बत एवं प्रेम की स्मृति के रूप में:** जैसे वो लोग जो बच्चों के चित्र बनाते हैं, यह ह़राम है।

4- **जिन चित्रों को एकत्र करना विवशता हो:** जैसे नोट और कार्ड इत्यादि पर विद्यमान चित्र, इसमें कोई गुनाह नहीं है क्योंकि इससे बचना असंभव है।

5- **ऐसे चित्र जो किसी और चीज़ से संबंधित हों:** जैसे पत्रिकाओं एवं अख़बारों में मौजूद चित्र, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु बिना किसी कष्ट के यदि इसको मिटाना संभव हो तो बेहतर है कि इसे मिटा दे।

6- **अपमानित करने के लिये हो:** जैसे वह चित्र जो डस्टबिन में हो, या बिछाने अथवा रौंदने के स्थान पर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु वह वस्त्र जिसमें चित्र हो उसका हुक्म इससे भिन्न व अलग है।

मसाइल:

पहला: चित्रकारों के लिये कड़ी चेतावनी एवं धमकी है।

दूसरा: इसका कारण यह है कि यह अल्लाह तआला के साथ अशिष्टता एवं बेअदबी है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है जो मेरी रचना के समान रचने का प्रयास करे) (वह वैसे ही अल्लाह के साथ अशिष्टता कर रहा होता है जैसे कोई उसकी उतारी हुई शरीअत में उससे प्रतियोगिता करने लगे, अतः उससे बड़ा अत्याचारी और कोई नहीं है)।

तीसरा: इसमें अल्लाह तआला की क़ुदरत एवं सामर्थ्य तथा मख़लूक़ की असमर्थता का वर्णन है कि: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً» (ये लोग, एक कण, एक दाना अथवा एक जौ ही बना कर दिखाएं) (क्योंकि अल्लाह तआला ने इससे भी बड़ी एवं महान चीज़ें पैदी की हैं जब्कि ये लोग एक कण अथवा जौ भी पैदा कर सकने में असमर्थ हैं)।

चौथा: इसका स्पष्ट वर्णन कि चित्रकार को कठोरतम दंड दिया जाएगा।

पाँचवां: अल्लाह तआला उसके बनाए हुए हरेक चित्र के बदले एक जान पैदा करेगा जिसके द्वारा चित्रकार को नरक में दंडित किया जायेगा।

छठा: चित्रकार के द्वारा बनाए हुए चित्र में प्राण फूँकने के लिये उसे बाध्य किया जायेगा (यह कठोरतम दंडों में से एक होगा)।

सातवाँ: इसमें यह भी बयान है कि चित्र जहाँ भी मिले उसे मिटा दिया जाए (इसमें तमाऱ्सील -मूर्ति एवं प्रतिमा- तथा क़ब्र के फित्ना को एक साथ उल्लेख किया गया है क्योंकि इनमें से हरेक शिर्क तक पहुँचने का कारण है, इसमें क़यामत के दिन दंड दिये जाने का प्रमाण है, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि: الجزاء من جنس العمل (अल जज़ाउ मिन जिंसिल अमल (जैसे को तैसा मिलता है)) होता है, साथ-साथ यह भी प्रमाणित होता है कि आख़िरत में दंड देने का एक रूप यह भी है कि उसे ऐसा कार्य करने को बाध्य किया जाएगा जिसको करने में वह असमर्थ होगा)।

६२- अत्याधिक क़सम खाना (अल्लाह के आदर के कारण इस पर चेतावनी है)

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ﴾ (और तुम अपनी क़समों की रक्षा करो)।

सौगंध की रक्षा करने की श्रेणियाँ:

आरंभ में ही इसकी सुरक्षा करना:	मध्य में इसकी सुरक्षा करना:	अंत में इसकी सुरक्षा करना:	ग़ैरुल्लाह की क़सम न खाना।
अत्याधिक क़सम न खाकर।	क़सम को न तोड़ कर, सिवाय उसके जिसको इससे अलग किया गया हो।	क़सम तोड़ देने के बाद इसका कफ्फारा (प्रायश्चित्त) अदा करना।	

दो से छ: तक दलीलें:

२- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» "**क़सम से सौदा बिकता तो है परंतु उसकी बरकत चली जाती है**"। इस हदीस़ को बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

३- सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ» "**तीन प्रकार के लोग हैं जिनसे अल्लाह तआला न तो बात करेगा और न उन्हें पवित्र करेगा, तथा उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक यातना है: बूढ़ा व्यभिचारी, अहंकारी फ़क़ीर (भिक्षुक) तथा वह व्यक्ति जिसने अल्लाह को ही अपनी पूँजी बनाया हुआ है कि क़सम से ही क्रय करता (ख़रीदता) है तथा क़सम से ही विक्रय करता (बेचता) है**"। इस हदीस़ को त़बरानी ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

४- और सही (मुस्लिम) में इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» – قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا! –، «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» "**मेरी उम्मत का श्रेष्ठतम युग मेरा युग है, तत्पश्चात जो मेरे बाद होगा, तत्पश्चात उसके बाद,** -इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते: मैं नहीं जानता कि आप ने अपने युग के पश्चात दो युगों का उल्लेख किया अथवा तीन युगों का- **फिर उसके बाद**

ऐसे लोग होंगे जो बिना मांगे गवाही देंगे, विश्वासघात करेंगे तथा अमानतदार (विश्वस्त) नहीं होंगे, मन्नत मानेंगे तो पूरी नहीं करेंगे तथा उनमें मोटापा होगा"।

५- सही मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» **"श्रेष्ठतम लोग मेरे युग के हैं, फिर जो उनके बाद होंगे, तत्पश्चात जो उनके बाद होंगे, उसके बाद ऐसे लोग आएंगे कि उनकी गवाही शपथ से पहले तथा शपथ गवाही के पहले होगी**"।

६- इब्राहीम नख़ई रहिमहुल्लाह कहते हैं: "बाल्यावस्था में हमें हमारे बुज़ुर्ग गवाही देने तथा वचन देने पर मारा करते थे"।

- «مَنْفَقَةٌ»: अर्थातः सौदा को चलन में लाने का कारण है। «مَمْحَقَةٌ»: अर्थातः कमाई योंही बेकार चली जाती है (और बरकत ख़तम हो जाती है)।
- «وَلَا يُزَكِّيهِمْ»: क़यामत के दिन न तो उसकी पुष्टि करेगा, न समता करेगा और न ही उसके ईमान की गवाही देगा।
- «أُشَيْمِطٌ»: अत्याधिक आयु हो जाने के कारण काले केश सफेद होने लगे हों, तथा वासना एवं कामावेग ठंडा पड़ चुका हो। «عَائِلٌ»: फ़क़ीर एवं निर्धन। «مُسْتَكْبِرٌ»: हक़ (सत्य) से (मुँह मोड़ कर) तथा जीव के सामने अहंकार दिखाता है।
- «لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ»: यों अधिकता के साथ क़सम खाना उसके समीप क़सम के अनादर तथा उसे हलका समझने का प्रमाण है।
- «وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»: या तो गवाही देने में जल्दबाज़ी (आतुरता) करते हैं अथवा झूठी गवाही देते हैं।
- «تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ»: १- लोगों के उस पर कम भरोसा करने के कारण वो क़सम खा कर गवाही देंगे।

  २- अथवा यह इस बात का संकेत है कि ये लोग क़सम खाने और गवाही देने की कोई परवाह नहीं करेंगे।

मसाइल:

पहला: सौगंधों की रक्षा करने पर बल दिया गया है।

दूसरा: यह सूचना है कि सौगंध खाने से सौदा बिकता तो है किंतु उसकी बरकत (विभूति) चली जाती है।

तीसरा: जो व्यक्ति माल बेचते और ख़रीदते समय ख़ामख़ाह क़सम खाये उसके लिए कड़ी चेतावनी है।

चौथा: इसमें यह भी चेतावनी है कि गुनाह के कारण यद्यपि छोटे हों किंतु अकारण इसको अंजाम देना उसे बड़ा बना देता है।

पाँचवां: इसमें उन लोगों की निंदा है जो बिना माँगे ही क़सम खाने लगते हैं (यदि आवश्यकता हो अथवा किसी हित के अंतर्गत क़सम खाई जाए तो कोई हर्ज नहीं)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन अथवा चार युगों (शताब्दियों) की प्रशंसा तथा इसके बाद जो घटित होगा उसकी भविष्वाणी की।

सातवाँ: इसमें उन लोगों कि निंदा है जो गवाही माँगे बिना गवाही देने के लिये तैयार हो जाते हैं (और विश्वासघात करतें हैं, और अमानतदार नहीं होते, और मन्नत माँगते हैं तो उसे पूरा नहीं करते, और जो मोटापा बढ़ाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तथा ईमान व इल्म (ज्ञान) से दूर हो कर दिल के मोटा हो जाने से निश्चित एवं असवाधान हो जाते हैं)।

- **आठवाँ:** सलफ़ अपने बच्चों को गवाही तथा वचन देने पर मारा करते थे (वचन निभाने तथा गवाही देने की महत्ता को बताने के लिये जो इस बात का प्रमाण है कि वो अपने बच्चों के पालन-पोषण एवं प्रशिक्षण का कितना ध्यान रखते थे, बच्चों को मारना जायज़ है किंतु कुछ शर्तों के साथ:

1. वह बच्चा अदब सिखाए जाने के योग्य हो, जो छोटा बच्चा मारने का अर्थ एवं उद्देश्य न समझता हो उसे मारा नहीं जायेगा।
2. अदब सिखाने के लिय मारने का यह कार्य उनकी ओर से हो जो उसका अभिभावक हो।
3. मारने की मात्रा, कैफियत, प्रकार या स्थान में अति करने से बचे।
4. बच्चे की ओर से ऐसी कोई गलती हुई हो जिसके कारण वह मार खाने का हक़दार हो।
5. इस मार का उद्देश्य अदब व शिष्टाचार सिखाना हो न कि अपना इंतक़ाम (प्रतिशोध) लेना, अन्यथा अपने अहंकार के कारण बदला लेने वाला माना जायेगा)।

६३- अल्लाह तथा उसके नबी की ज़मानत देने का अध्याय (इख़लास़ एवं अनुसरण)

अल्लाह तआला के नाम पर किये गये वादा को पूरा न करना उसकी शान में कमी तथा तौहीद में विकार है, अतः लोगों से मामला करते समय भी अल्लाह का आदर करना वाजिब है यद्यपि वो कुफ्फार ही क्यों न हों, चाहे जिहाद जैसी संगीन परिस्थिति ही क्यों न हो, अल्लाह की शरीअत का क्रियान्वयन तथा उसके नबी की ज़मानत का आदर किया जायेगा।

पहली व दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ الآيَة. (जब अल्लाह से अह्द (प्रतिज्ञा) करो तो उसे पूरा करो और जब पक्की क़समें खाओ तो उसे न तोड़ो)।

२- तथा बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी बड़ी सेना अथवा छोटी टुकड़ी का किसी को सेनापति बनाते तो उसे अल्लाह से डरने और अपने साथ के मुसलमानों के संग अच्छे स्वभाव के साथ पेश आने की ताकीद करते, और फरमाते:

«اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْـمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ – أَوْ: خِلَالٍ – فَأَيَّتَهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْـمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُم أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْـمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْـمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْـمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْـمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْـجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ؛ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ؛ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا»،

"अल्लाह के मार्ग में अल्लाह का नाम लेकर लड़ो और हरेक उस व्यक्ति से लड़ो जो अल्लाह को नकारता है, लड़ाई करना तथा ख़्यानत (विश्वासघात, अपभेग) न करना, वचन न तोड़ो, मुस्ला (मृतक के अंग-भंग) न करना और न बच्चों को क़त्ल करना, जब अपने मुश्रिक शत्रु से तुम्हारा सामना हो तो उन्हें तीन बातों का प्रस्ताव दो, यदि वह उन में से एक भी बात मान लें तो उसे स्वीकार कर लो तथा युद्ध से रुक जाओ: सर्वप्रथम उन्हें इस्लाम की दावत देना यदि वो इसे मान लें तो उसे स्वीकार कर लेना और उन्हें कुफ्र वाले स्थान से इस्लाम वाले स्थान की ओर पलायन की दावत देना, और उन्हें बताना कि यदि वो हिजरत करेंगे तो उन्हें वह समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो मुहाजिरीन को प्राप्त हैं और जो मुहाजिरीन को बर्दाश्त करना पड़ता है उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और यदि वो हिजरत करने से इंकार करें तो उन्हें बताना कि वे ग्रामीण मुसलमानों के समान होंगे जिन पर अल्लाह का आदेश लागू होता है, किंतु उन्हें ग़नीमत अथवा फैय से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि वो मुसलमानों के साथ मिल कर लड़ें, यदि वह इस्लाम धर्म अपनाने से इंकार कर दें तो फिर उनसे जिज़या (रक्षाकर) मांगो और यदि जिज़या देने पर राज़ी हो जायें तो स्वीकार कर लेना तथा लड़ाई से रुक जाना, और यदि वह जिज़या देने से भी इंकार करें तो अल्लाह तआला की सहायता माँग कर उनसे लड़ाई करना, और जब तुम किसी क़िला (गढ़ी) को घेर लो और वो लोग तुमसे अल्लाह तआला और उसके रसूल की ज़मानत माँगे तो ऐसा कदापि मत करना बल्कि अपनी तथा अपनी साथियों की ज़मानत दो, क्योंकि यदि तुम अपनी या अपनी साथियों की ज़मानत तोड़ दो तो यह अल्लाह तथा उसके रसूल की ज़मानत को तोड़ने से सरल होगा, और जब तुम क़िला में बंद अपने किसी शत्रु को घेर लो और वो चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह के आदेश पर उतारो तो ऐसा भी कदापि न करना क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके संबंध में अल्लाह के फैसला को सटीक रुप से पा सकोगे या नहीं"। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- «جَيْشٍ»: चार सौ से अधिक सेना वाली टुकड़ी को जैश कहते हैं।
- «أَوْ سَرِيَّةٍ»: जिसमें चार सौ से कम सेना हो उसको सरीय्या कहते हैं।
- «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ»: १- अल्लाह से सहायता माँगते हुए। २- अल्लाह का नाम लेकर लड़ाई आरंभ करो।
- «فِي سَبِيلِ اللهِ»: इसमें नीयत और अमल (कर्म) दोनों शामिल हैं।
- «مَنْ كَفَرَ بِاللهِ»: पक्षपात, देश अथवा समुदाय के लिये न लड़ो बल्कि उन्हीं के हित अर्थात उन्हें जहन्नम से बचाने के लिये उनसे लड़ाई करो, और ज्ञात रहे कि कुफ्र का आधार दो चीज़ें हैं: इंकार करना तथा अपने आपको महान समझना।
- «وَلَا تَغُلُّوا»: ग़नीमत के धन से कुछ छुपा कर अपने लिये न रख ले।

- «وَلَا تَغْدِرُوا»: वचन देने के बाद हम धोखा नहीं दें, किंतु यदि वचन न दिया हो तो धोखा देना जायज़ है क्योंकि युद्ध नाम ही है धोखा का।
- «وَلَا تُمَثِّلُوا»: अनावश्यक किसी अंग को काट कर उसे क्षत-विक्षत कर देना, क्योंकि यह अनुचित प्रतिशोध है, किंतु यदि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया हो तो फिर दूसरी बात है।
- «وَلِيدًا»: बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, साधकों एवं संतों तथा रोगियों को क़त्ल नहीं किया जायेगा, परंतु यदि वो लड़ने में शामिल रहे हों या लोगों को लड़ने के लिये प्रेरित कर रहे हों या लड़ाई में कोई राय दे रहे हों तो फिर अलग बात है।
- «عَدُوَّكَ»: यह उनसे लड़ने के लिये प्रोत्साहित करना है, और स्मरण रहे कि शत्रु आपका अपमान करना, आप से दूर रहना तथा आप पर अत्याचार करना चाहता है।
- «الْغَنِيمَةِ»: कुफ्फार के वह धन जो लड़ाई अथवा इसके समतुल्य जो हो उसके द्वारा अर्जित हुआ हो।
- «وَالْفَيْءِ»: (अल-फैय) जो बैतुलमाल के लिये अलग किया जाये, जैसे ग़नीमत का धन, ख़िराज और जिज़या का पाँचवां भाग।
- «إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا»: जब वो इस्लाम स्वीकार कर लें और युद्ध लड़ें तो उन्हें भी आम मुसलमानों के समान ग़नीमत और फैय में से हिस्सा मिलेगा।
- «الْـجِزْيَةَ»: (जिज़या) मुसलमानों के बीच रहने तथा उनकी रक्षा हेतु ग़ैर मुस्लिमों की ओर से दिये जाने वाले धन को कहते हैं, और इसमें यहूदी, ईसाई तथा मजूसी के अतिरिक्त अन्य लोगों से भी जिज़या लेने का प्रमाण है।

संधि किये हुए लोगों के संग हमारा व्यवहार:

जब तक वो लोग संधि का पालन करते रहें हम पर भी उसका पालन करते रहना वाजिब है: ﴿فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ﴾ (जब तक वो लोग तुमसे वादा निभाएं तुम भी उनसे वफादारी करो)।

यदि वो लोग संधि तोड़ दें तो समझौता समाप्त हो जायेगा तथा उनसे लड़ना जायज़ होगा: ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ﴾ (यदि ये लोग संधि के बाद भी अपना वादा तोड़ दें)।

यदि संधि करने में हमें दुविधा हो तो वह संधि हम लौटा देंगे: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٖ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ﴾ (यदि किसी समुदाय से तुझे विश्वासघात का भय हो तो उनकी संधि उन्हें लौटा दो)।

मुसलमान कुफ्फार से जिहाद के समय क्या करते हैं	कुफ्फार मुस्लिमों से लड़ाई के समय क्या करते हैं
बच्चों, महिलाओं, साधकों और रोगियों को क़त्ल करना ह़राम है	बच्चों, महिलाओं, साधकों और रोगियों को क़त्ल करते हैं
उनसे लड़ना उन्हीं के हित के लिये होता है (उन्हें नरक से बचाना)	उनका लड़ना दुनिया के लिये होता है
उनसे की गई संधि का पालन करते हैं	अधिकतर संधि तोड़ देते हैं
जब कुफ्फार वचन तोड़े तो लड़ने के पूर्व उनको सावधान करते हैं कि हमारी संधि समाप्त हो चुकी	जब मुसलमानों की ओर से ऐसा कुछ हो तो वो सावधान नहीं करते हैं
धोखा नहीं देते हैं	धोखा देते हैं
मृतकों के अंग भंग नहीं करते सिवाय उस समय कि जब उनके मृतकों के साथ भी ऐसा किया गया हो	उनके मृतकों के साथ ऐसा न किया गया हो फिर भी ऐसा करते हैं
इस्लाम या जिज़या में चयन का अधिकार दिये बिना नहीं लड़ते	मूल रूप से उनके यहाँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं
न्यायपूर्ण फ़ैसला करते हैं अत्याचार नहीं करते	उनके फैसले अत्याचार आधारित होते हैं
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत से लेकर तमाम युद्धों में मृतकों की संख्या एक हज़ार से अधिक नहीं है	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से केवल एक आदमी को क़त्ल किया
उन युद्धों में किसी बच्चे, बूढ़े अथवा महिला को क़त्ल नहीं किया गया	

मसाइल:

पहला: अल्लाह तथा उसके रसूल एवं मुसलमानों की ज़िम्मदारी में अंतर।

दूसरा: दो बातों में से जो कम खतरनाक हो उसको अपनाना चाहिए।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमानः «**اُغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ**» "**अल्लाह के मार्ग में अल्लाह का नाम लेकर लड़ो**" (लड़ाई के समय इख़लास़, शरीअत के अनुसार तथा अल्लाह से सहायता माँगते हुए लड़ना वाजबि है)।

चौथा: आपका फरमाना किः «**قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ**» "**उससे लड़ो जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया**" (उनसे लड़ने का कारण कुफ्र है)।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमानः «**اِسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ**» "**अल्लाह से सहायता माँगो तथा उनसे लड़ो**" (इंसान केवल अपनी शक्ति पर भरोसा न करे)।

छठा: अल्लाह के निर्णय एवं उलेमा व ज्ञानियों के निर्णय में अंतर है।

सातवाँ: आवश्यकतानुसार सहाबी यदि कोई फैसला करें तो वह भी नहीं जानते कि यह फैसला अल्लाह के आदेशानुसार है या नहीं (और यह केवल सहाबी के साथ नहीं है बल्कि बाद के लोग भी इसमें शामिल हैं)।

६४- अल्लाह तआला पर क़सम खाना

जिसने अल्लाह पर क़सम खाई उसने अल्लाह का अनादर किया, अल्लाह के फ़ज़्ल (कृपा) को रोका और अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखा और यह सब कमाल -ए- तौहीद के विरुद्ध है, और कभी-कभी ऐसा करना मूल तौहीद के विरुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि जो महान है उस पर क़सम खाना उसकी शान (वैभव, प्रताप) में अशिष्टता एवं धृष्टता करना है।

अल्लाह तआला पर क़सम खाने के प्रकार:

हराम है, और संभव है कि ऐसा करने वाले के कर्म अकारत हो जाएं: जब ऐसा करना उसे आत्ममुग्धता एवं अहंकार के लिए प्रेरित करे, और वह अल्लाह तआला से बदगुमानी रखते हुये उसके फ़ज़्ल को रोकने का प्रयास करे।

जायज़ है: अपने रब पर दृढ़ विश्वास और अच्छा गुमान रखते हुये क़सम खाये, बशर्ते कि उसके पास किये गये नेक अमल (सदकर्म) मौजूद हों, जैसे अनस बिन नज़्र रज़ियल्लाहु अन्हु के क़िस्से में है।

जायज़ है: जिसके बारे में अल्लाह तआला और उसके रसूल ने सूचित किया है चाहे वह इक़रार में हो या इंकार में, उस पर अल्लाह की क़सम खाना, यह उसके यक़ीन की दलील है, (जैसे कोई कहे: अल्लाह की क़सम, क़यामत के दिन अल्लाह मख़लूक़ के विषय में अपने नबी की सिफारिश को अवश्यावश्य स्वीकार करेगा)।

पहली और दूसरी दलील:

१- जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللهُ ﷻ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» **"एक व्यक्ति ने कहा: अल्लाह की क़सम, अल्लाह अमूक व्यक्ति को क्षमा नहीं करेगा, तो अल्लाह तआला ने फरमाया: यह कौन होता है जो मुझ पर क़सम खाता है कि मैं अमूक को क्षमा नहीं करुंगा, मैंने उसको क्षमा कर दिया और तेरे कर्मों को नाश कर दिया"**। इस हदीस़ को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।

२- तथा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ में है कि: (أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ "ऐसा कहने वाला व्यक्ति, आबिद (साधक एवं तपस्वी) था"), अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ» "उसने मात्र एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसने उसकी दुनिया व आख़िरत (लोक-प्रलोक) दोनों को तबाह किर दिया"।

- «لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ»: ऐसा कहनाः अल्लाह की रहमत से निराशा, तथा अल्लाह के बंदों को हेयदृष्टि से देखने तथा आत्ममुग्धता, अहंकार एवं घमंड का घोतक है।
- «يَتَأَلَّى عَلَيَّ»: मेरे फ़ज़्ल, कृपा एवं नियामत को रोके कि मेरे जिन बंदों ने पाप किया है मैं उनको क्षमा नहीं करूँगा।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला पर क़सम खाने से भयभीत करना।

दूसराः जहन्नम इंसान के जूते के फीते से भी अधिक निकट है।

तीसराः तथा जन्नत भी ऐसे ही समीप है।

चौथाः इस हदीस़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निम्नांकित हदीस़ को समर्थन एवं बल मिलता हैः «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ ...» إِلَى آخِرِهِ **"इंसान कभी-कभी ऐसा वाक्य बोल जाता है जिसके कारण वह सत्तर वर्ष की दूरी के समान जहन्नम की खाई में गिर जाता है"**।

पाँचवां: कभी-कभी किसी व्यक्ति को ऐसे कारण से माफी मिल जाती है, जो उसके समीप सर्वाधिक अप्रिय होता है।

६५- अल्लाह तआला को सिफारिशी के रूप में मख़लूक़ के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता (अल्लाह के अत्यंत महान होने के कारण)

मख़लूक़ (जीव) के समक्ष अल्लाह तआला को सिफारिशी के रूप में पेश करना उसके प्रताप, तेज एवं शान में अशिष्टता का परिचय देना है, क्योंकि ऐसा करके जिस व्यक्ति के समक्ष वह अल्लाह को सिफारिशी बना कर पेश कर रहा है उसने अल्लाह की साख एवं प्रतिष्ठा उस व्यक्ति से भी कम कर दी।

पहली दलील:

जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा: يَا رَسُولَ اللهِ نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ!**»، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «**وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ...**»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ "**हे अल्लाह के रसूल, प्राणियों का नाश हो गया, बच्चे भूखे हो गये, धन बर्बाद हो गया, आप हमारे लिये अपने रब (प्रभु) से वर्षा की दुआ करें, हम आप को अल्लाह के पास तथा अल्लाह को आप के पास सिफारिशी बनाते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी बात सुन कर बारंबार सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक एवं पवित्र है) दोहराने लगे, यहाँ तक कि इसका प्रभाव आपके सहाबा के मुखों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, फिर आपने फरमाया: तेरा बुरा हो, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह क्या है ? (अर्थात उसकी मान-मर्यादा क्या है ?) अल्लाह तआला की मर्यादा इससे कहीं बढ़ कर महान है, अल्लाह को किसी के सामने सिफारिशी बना कर नहीं पेश किया जा सकता**", और फिर पूरी हदीस़ बयान की। इस हदीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

- «نُهِكَتِ»: कमज़ोर व दुर्बल हो गये। «وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ»: वर्षा तथा हरियाली की कमी के कारण।
- «فَاسْتَسْقِ»: आप हमारे लिये अल्लाह तआला से वर्षा कि दुआ कर दें, और ऐसा व्यक्ति जिसकी दुआ अल्लाह के यहाँ स्वीकार्य होने की आशा हो उससे दुआ व प्रार्थना करवाना जायज़ है इस शर्त के साथ कि उस पर ही आश्रित रहने का भाव मन में उत्पन्न न हो तथा एक प्रकार की असहायता का प्रदर्शन भी न हो।

- «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ»: अर्थातः हम अल्लाह तआला को, आपके तथा अल्लाह तआला के मध्य वास्ता बनाते हैं कि आप हमारे लिये अल्लाह से दुआ करें, इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति ने अल्लाह का दर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दर्जा से भी नीचे कर दिया, जोकि मुन्कर (आपत्तिजनक) एवं अत्यंत बुरा है।
- «سُبْحَانَ اللهِ!، سُبْحَانَ اللهِ!»: इस वक्तव्य की भयावहता एवं संगीनी का अंदाज़ा करते हुए तथा इसका इंकार करते हुए, और अल्लाह तआला की पाकी एवं पवित्रता का स्मरण करते हुए।
- «وَيْحَكَ»: मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है और मैं तेरे ऊपर तरस खाता हूँ।

मसाइलः

पहलाः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नेः «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ» (हम अल्लाह तआला को आपके समक्ष सिफारिशी के रूप में पेश करते हैं) कहने वाले देहाती की बात पर अप्रसन्नता प्रकट की और इसका इंकार किया।

दूसराः आपके तेवर इस प्रकार से बदल गये कि इसका प्रभाव सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुखों से भी प्रकट होने लगा।

तीसराः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देहाती की बात का दूसरा भाग किः «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ» (हम आपको अल्लाह तआला के पास सिफरारिशी के रूप में पेश करते हैं) का इंकार नहीं किया।

चौथाः (سُبْحَانَ اللهِ) सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक एवं पवित्र है) के अर्थ का वर्णन।

पाँचवांः यह भी प्रमाणित हुआ कि मुसलमान (सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर आपसे बारिश की दुआ कराया करते थे (अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में)।

(इससे यह भी प्रमाणित होता है कि किसी चीज़ की माँग करते समय इंसान उसे ऐसी विशेषताओं से संबोधित करे जो दयालुता एवं कृपा का भाव उत्पन्न करे)।

६६- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौ़हीद की रक्षा करना तथा शिर्क के दरवाज़ों को बंद करना (यहाँ तक कि शब्दों में भी)

पहली और दूसरी दलील:

१- अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्ण है कि: «انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «**السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**»، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «**قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ**» "मैं बनू आमिर के प्रतिनिधि मंडल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया, तथा हमने कहा: आप हमारे सैय्यिद (अधिपति) हैं तो आपने फरमाया: **सैय्यिद तो अल्लाह तआला है**, हमने कहा: आप हम सबमें सबसे उत्तम तथा हममें सर्वाधिक कृपालु हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **इस प्रकार की (जायज़ और उचित) बात कहा करो, और ध्यान रहे कि शैतान कहीं तुम्हें अपने फंदे में न फंसाले**"। इस ह़दीस़ को इमाम अबू दाऊद ने जैय्यिद सनद के साथ रिवायत किया है।

२- अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि कुछ लोगों ने कहा: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا خَيْرَنَا، وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا، وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ: «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللهُ** ﷻ» "हे अल्लाह के रसूल, हे हम में सर्वोत्तम, हम में से सर्वश्रेष्ठ के पुत्र, हमारे सैय्यिद (अधिपति) तथा हमारे सैय्यिद के पुत्र, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **हे लोगों, तुम वही बातें करो जो तुम करते हो, शैतान कहीं तुम्हें बहका न दे, मैं मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह का बंदा (भक्त) तथा रसूल (संदेशवाहक) हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे उस पद से ऊँचा उठाओ जिस पर अल्लाह तआला ने मुझे रखा है**"। इस ह़दीस़ को नसाई ने जैय्यिद और उत्तम सनद से रिवायत किया है।

- «**السَّيِّدُ اللهُ**»: अल- सय्यद, अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है जो (अल-समद) (बेनियाज़, निःस्पृह) के अर्थ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें इस लिये रोका कि शैतान कहीं उन्हें बहका न दे, और शब्द "सयादत, सरदारी" जो लोगों के लिये विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है कहीं यह अल्लाह के लिये आम एवं व्यापक अर्थों में प्रयोग होने वाले अर्थ के दर्जा तक न पहुँचा दे।

- «وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ»: शैतान तुम्हें कहीं बहका कर के वहाँ तक न पहुँचा दे कि तुम मुन्कर (बुरी बात) कहने लगो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका मार्गदर्शन उचित कार्य की ओर किया ताकि तौहीद में किसी प्रकार की कमी न हो या उसको समाप्त कर देने वाली चीज़ों से बचा जाये।
- «يَا خَيْرَنَا»: वंश, स्थान तथा स्थिति के आधार पर। :«وَابْنَ خَيْرِنَا»: केवल वंश के आधार पर स्थान या स्थिति के आधार पर नहीं।
- «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ»: ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें बहलाये और तुम उसकी बात मानने लगो तथा उसके ढ़ंग के अनुसार कर्म करने लगो यहाँ तक कि तुम ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करने लगो।

मसाइल:

पहला: लोगों को ग़ुलू (अतिश्योक्ति) से रोकना।

दूसरा: जिस व्यक्ति को यह (आप हमारे सय्यद -अधिपति) हैं) कहा जाये उसे क्या कहना चाहिये (अर्थात: वह यह कहे कि सय्यद -सरदार- तो अललाह है, इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि फ़ासिक़, काफिर और मुनाफ़िक़ को सरदार बनाना जायज़ नहीं है, चाहे वह पूरुष हो अथवा महिला)।

तीसरा: उनलोगों ने यद्यपि बात तो सच कही थी तथापि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ **"शैतान कहीं तुम्हें फंसा न ले"**।

चौथा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي» "मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे पद से ऊँचा उठाओ"। (और अल्लाह तआला ने आपको जो पद दिया है वह उबूदियत (भक्ति) और रिसालत (संदेशवाहक होने) का है)।

दसवां भाग: समाप्ति (एक अध्याय)

लेखक रहिमहुल्लाह ने पुस्तक को इस अध्याय के साथ संभवतः -बाकि अल्लाह बेहतर जानता है- इसलिए समाप्त किया है कि:

१- ताकि हम मुश्रिकों की तरह न हो जायें जो ख़ालिक़ और पैदा करने वाले का आदर नहीं करते।

२- ताकि हम अपने अमल (कर्म) से धोखा न खायें, क्योंकि इंसान के कर्म में अपूर्णता तथा कमी की सदा संभावना बनी रहती है, अतः हम किसी भी प्रकार की स्थिति में अल्लाह के लिये विनम्रता एवं विवशता का भाव बनाये रखें।

३- इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह का अनुसरण करते हुये जिन्होंने अपनी किताब की समाप्ति इस हदीस़ के द्वारा की है: «ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ» (तराज़ू में अत्याधिक भारी होंगे), मानो वह अल्लाह तआला से दुआ कर रहे हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से उन जीवों के समान ही इनके भी तराज़ू को नेकियों के द्वारा भारी कर दे, तथा अपनी भूल-चूक के लिये अल्लाह से क्षमा याचना कर रहे हैं।

६७- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ **(और उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिये था वैसा आदर नहीं किया, समस्त भूमि क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारा आकाश उसके दाहिने हाथ में लपेटा हुआ होगा, वह पाक और पवित्र है तथा मुश्रिकीन जिन चीज़ों का उसका साझीदार बनाते हैं वह उससे बढ़कर है)। का अध्याय**

- ज़मीर (सर्वनाम), मुश्रिकों की ओर लौट रही है जिन्होंने अल्लाह तआला का जैसा होना चाहिये वैसा आदर नहीं किया इस अर्थ में कि उन्होंने उसकी मख़लूक़ एवं रचना को ही उसका साझीदार बना दिया, जब्कि वह हरेक प्रकार की कमी व त्रुटि एवं दोष से मुक्त एवं पाक व पवित्र है, उसका निद्द और साझी बनाने से भी उसे पाक समझना चाहिये, अतः उन्होंने यदि अल्लाह तआला का वैसा आदर किया होता जैसा होना चाहिये तो वह अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य का आज्ञापालन तथा इबादत एवं उपासना नहीं करते।

दूसरी दलील:

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी विद्वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर कहने लगा: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ

عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْـمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْـخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَـبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَـتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ الآيَةَ

"हे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हम (अपनी किताब में यह लिखित) पाते हैं कि अल्लाह तआला क़यामत (महाप्रलय) के दिन सारे आकाश को एक ऊँगली पर, समस्त भूमि को एक उँगली पर, सभी वृक्षों को एक उँगली पर, पानी (जल) को एक उँगली पर, कीचड़ (पाताल) को एक उँगली पर, तथा शेष समस्त सृष्टि को एक उँगली पर रख लेगा और कहेगा: मैं ही राजा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी यह बात सुन कर उस विद्वान के द्वारा कही गई बात की पुष्टि के लिये हंस पड़े यहाँ तक कि आपके डाढ़ (केंचुली के दाँत) दिखाई देने लगे, तत्पश्चात आपने इस आयत की तिलावत फरमाई:(और उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिये था वैसा आदर नहीं किया, समस्त भूमि क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी)"। इस हदीस़ को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

तथा मुस्लिम की एक रिवायत में है: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَنَا اللهُ» "**अल्लाह तआला पर्वत एवं वृक्ष को एक उँगली पर रखेगा फिर उनको हिलाकर कहेगा: मैं ही बादशाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ**"। और बुख़ारी की एक रिवायत में इस प्रकार है: «يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْـمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، ، وَسَائِرَ الْـخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ» "**आसमानों को एक उँगली पर, जल एवं कीचड़ (पाताल) को एक उँगली पर तथा शेष सृष्टि को एक उँगली पर (रखेगा)**"।

- «حَـبْرٌ»: प्रकांड विद्वान को कहते हैं, उसको बह्र "بحر" भी कहा जाता है। «إِنَّا نَجِدُ»: अर्थात: तौरात में।
- इसमें अल्लाह तआला के लिये उँगिलयों का प्रमाण है, ऐसी वास्तविक उँगलियां जो उसके प्रताप एवं वैभव के समतुल्य हो, जिस प्रकार से उसके पास ऐसे वास्तविक हाथ हैं जो उसी के लायक़ व योग्य है।

तीन से पाँच तक दलीलें:

३- मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरफूअन वर्णित हे कि: «**يَطْوِي اللهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَيْنَ الْـجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْـمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَيْنَ**

«الْـمُتَكَبِّرُونَ؟» **"अल्लाह तआला क़यामत के दिन सारे आकाशों को लपेट कर अपने दाहिने हाथ में लेगा और फरमायेगा: मैं ही बादशाह हूँ, (ज़मीन पर) उपद्रव तथा उत्पात मचाने वाले कहाँ हैं ? अहंकारी लोग कहाँ हैं ? "। फिर सातों ज़मीनों को लपेटेगा, फिर उन्हें बाएं हाथ में लेगा तत्पश्चात फरमायेगा: (ज़मीन पर) उपद्रव तथा उत्पात मचाने वाले कहाँ हैं ? अहंकारी लोग कहाँ हैं ?**

४- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْـمَنِ؛ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ» "सातों आकाश तथा सातों धरती अल्लाह तआला की हथेली में ऐसे होंगी जैसे तुम्हारे हाथ में राई का दाना होता है"।

५- इब्ने जरीर कहते हैं मुझसे युनुस ने बयान किया कि मुझे इब्ने वहब ने ख़बर दी है कि, मुझसे इब्ने ज़ैद ने कहा कि मुझसे मेरे पिता ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «**مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ؛ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ**» **"सातों आकाश कुर्सी की तुलना में ऐसे हैं जैसे किसी ने सात दिरहम एक ढ़ाल में डाल दिये हों"**। और अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुये सुना: «**مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ**» **"अल्लाह तआला की कुर्सी उसके अर्श की तुलना में यों है जैसे लोहे का एक छल्ला किसी चटियल मैदान में डाल दिया गया हो"**।

- «أَنَا الْـمَلِكُ»: मैं ही हूँ जिसका सम्पूर्ण अधिकार तथा बादशाहत है, जिसमें कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता।
- «أَيْنَ الْـجَبَّارُونَ؟»: यह इस्तिफ़हाम (प्रश्न वाचक संज्ञा) चुनौती देने के लिये है, अर्थात कहाँ हैं वो राजा जिनका दुनियाँ में राज-पाट था और जो अल्लाह के बंदों पर अहंकार करते हुए अत्याचार करते थे ? और उस समय उनकी स्थिति कण एवं दाना के समान होगी जिसको लोग रौंदेंगे।
- «بِشِمَالِهِ»: यह वृद्धि शाज़ अर्थात विरल (ग़लत) है, और यदि इसे हम महफ़ूज़ अर्थात सही मान लें तो इससे अभिप्राय दूसरा हाथ होगा, और यह उस हदीस़ के विरुद्ध नहीं है जिसमें है कि: «**كِلْتَا يَدَيه يَمِين**» "**अल्लाह तआला के दोनों हाथ दाहिने हैं**" क्योंकि यह मख़लूक़ (जीव) के समान हाथ नहीं है जो दाहिने की तुलना में कमतर होता है।
- «كَخَرْدَلَةٍ»: यह बहुत ही छोटे एवं सुक्ष्म कण को कहते हैं, और यह अल्लाह तआला के महानता की दलील है कि किसी भी चीज़ का इल्म उसका इहाता और समाविष्टि नहीं कर सकता।
- «الْكُرْسِيِّ»: अल्लाह तआला के पाँव रखने का स्थान। «تُرْسٍ»: (ढ़ाल) चमड़ा अथवा लकड़ी की एक

वस्तु जिसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता है जिसके द्वारा तलवार या बरछी इत्यादि के वार से बचा जाता है।

- «الْعَرْشِ»: (अर्श) वह विशाल मख़लूक़ (रचना) जिस पर अल्लाह तआला विराजमान है, जिसके क़द्र एवं विशालता का अनुमान अल्लाह के सिवाय कोई नहीं लगा सकता।
- चूँकि यह ह़दीस़ अल्लाह तआला की महानता को प्रमाणित करती है, अतः अध्याय में उल्लेखित आयत की तफ़्सीर के लिए एक दम सटीक है।

छठी और सातवीं दलील:

६- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» "पहले तथा दूसरे आकाश के बीच की दूरी पाँच सौ वर्ष की दूरी है, इसी प्रकार प्रत्येक आकाश से दूसरे आकाश की दूरी पाँच सौ वर्ष के समान है, सातवें आसमान तथा कुर्सी के बीच की दूरी पाँच सौ वर्ष है, तथा कुर्सी एवं पानी के बीच पाँच सौ साल की दूरी है, एवं अल्लाह तआला का अर्श (सिंहासन) पानी के ऊपर है तथा अल्लाह तआला अर्श के ऊपर (विराजमान) है, और तुम्हारा कोई भी कर्म उससे छुपा हुआ नहीं है"। इस ह़दीस़ को इब्ने महदी ने ह़म्माद बिन सलमा से और उन्होंने आसिम से, उन्होंने ज़िर्र तथा उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत किया है। और इसी प्रकार की एक रिवायत मसऊदी ने आसिम से, उन्होंने अबू वाइल से और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से बयान किया है। तथा ह़ाफ़िज़ ज़हबी रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "इस ह़दीस़ की और भी अनेक सनद हैं"।

७- तथा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟»، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ» **"क्या तुम जानते हो कि आकाश तथा धरती के बीच कितनी दूरी है ? हमने कहा: अल्लाह तथा उसके रसूल अधिक जानते हैं। आपने फरमाया: दोनों के बीच पाँच सौ वर्ष की दूरी है, तथा प्रत्येक आसमान की दूरी दूसरे आसमान से पाँच सौ वर्ष के समान है, तथा प्रत्येक आकाश की मोटाई पाँच सौ वर्ष के समान है, सातवें आकाश तथा अर्श के बीच एक समुद्र है जिसके ऊपर तथा तले भागों के मध्य भी उतनी ही दूरी है जितनी आकाश तथा धरती के मध्य दूरी है, और अल्लाह तआला उसके ऊपर है, और आदम की संतान का कोई कर्म उससे छुपा नहीं रहता है"**। इस ह़दीस़ को अबू दाऊद आदि ने रिवायत किया है।

- «وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»: यह अल्लाह तआला की ज़ात (अस्तित्व) एवं सिफ़ात (विशेषताओं) की बुलंदी और ऊँचाई को प्रमाणित करने वाली स्पष्ट दलील है।
- «لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ»: चाहे वह कर्म हार्दिक हों अथवा शारीरिक अंगों से संबंध रखने वाले, दिखाई देने वाले हों अथवा सुनाई देने वाले, अल्लाह के इल्म की व्यापकता एवं विस्तार के चलते वह अल्लाह से छुपे हुए नहीं हैं, और इसको अल्लाह तआला की बुलंदी एवं ऊँचाई का उल्लेख करने के पश्चात यह बताने के लिये लाए हैं कि उसका बुलंद एवं ऊँचा होना अल्लाह का हमारे कर्मों से अवगत होने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है, और अल्लाह तआला के ज़ात (वजूद, अस्तित्व) की बुलंदी एवं ऊँचाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- «هَلْ»: यह इस्तिफहामिया (प्रश्न वाचक संज्ञा) है, और इससे दो चीज़ें अभिप्रेत हैं:

  1– उल्लेख की जाने वाली चीज़ के लिये लालसा एवं रुचि उत्पन्न करना। 2– उल्लेखित होने वाली चीज़ के लिये चेताना एवं सावधान करना।
- «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»: (अल्लाह तथा उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं): ऐसाः १- केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवनकाल में कहा जाता था। २- उन शरई मामलों में कहा जायेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें सिखाए हैं।
- इसमें अल्लाह तआला के आदर का उल्लेख तथा उसके विपरीत से डराना है, क्योंकि वह हमारे ऊपर बुलंदी पर है और उसका फैसला हमें चहुँ ओर से घेरे हुए है।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के फरमान ﴿وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ की तफ़्सीर।

दूसराः इस ह़दीस़ में उल्लेखित तथा इस जैसी अन्य बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग तक यहूदियों में शेष थीं, चुनाँचे उन्होंने न तो इन बातों को नकारा और न कोई उनकी तावील की (जैसे यह कहते किः यहूदी इसमें हेर-फेर करने वालों से बेहतर हैं क्योंकि उन्होंने न तो इसको झुठलाया और न मनगढ़त तावील की)।

तीसराः यहूदी विद्वान ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष इन बातों की चर्चा की तो आपने उसकी पुष्टि की तथा और अधिक पुष्टि के लिये क़ुरआन भी अवतरित हुआ।

चौथाः यहूदी विद्वान ने जब इस महा ज्ञान का उल्लेख किया तो आप हँस दिये।

पाँचवांः अल्लाह तआला के दो हाथों का वर्णन और यह कि अल्लाह के दाहिने हाथ में आकाश तथा दूसरे हाथ में धरतियाँ होंगी (अल्लाह तआला के पास दो हाथों का होना क़ुरआन, ह़दीस़ तथा इज्मा (सलफ के एकमत होने) से साबित है)।

छठा: अल्लाह तआला के पास बायाँ हाथ होने का स्पष्ट वर्णन (यह रिवायत शाज़ अर्थात स्वीकार करने योग्य नहीं है)।

सातवाँ: अल्लाह तआला का उस समय बड़े-बड़े उपद्रवियों तथा अहंकार करने वालों को पुकारना।

आठवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान कि: «كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ» "**अल्लाह तआला के हाथ की तुलना में धरती तथा आकाश ऐसे होंगे जैसे किसी के हाथ में राई का दाना होता है**"।

नौवाँ: आकाश की तुलना में अल्लाह तआला की कुर्सी बड़ी है (ऐसे ही जैसे सात दिरहम किसी ढ़ाल में रख दिये गये हों)।

दसवाँ: कुर्सी की तुलना में अल्लाह तआला का अर्श विशाल है (ऐसे ही जैसे किसी चटियल मैदान में कोई अँगूठी पड़ी हुई हो)।

ग्यारह्वाँ: अर्श तथा कुर्सी दोनों अलग-अलग हैं।

बारह्वाँ: प्रत्येक दो आकाशों के बीच की दूरी (पाँच सौ वर्ष के समान है)।

तेरह्वाँ: सातवें आकाश तथा कुर्सी के बीच की दूरी (पाँच सौ वर्ष के समान है)।

चौदह्वाँ: कुर्सी तथा पानी के बीच के दूरी (पाँच सौ वर्ष के समान है)।

पंद्रह्वाँ: अल्लाह तआला का अर्श पानी के ऊपर है।

सोलह्वाँ: अल्लाह तआला अर्श के ऊपर (विराजमान) है।

सत्रह्वाँ: आकाश तथा धरती के बीच कितनी दूरी है (पाँच सौ वर्ष के समान)।

अट्ठारह्वाँ: प्रत्येक आकाश की मोटाई पाँच सौ वर्ष के समान है।

उन्नीसवाँ: आकाशों के ऊपर जो समुद्र है उसके ऊपर तथा नीचे के भागों के मध्य भी पाँच सौ वर्ष की दूरी है, (والله أعلم, अल्लाह बेहतर जानता है) (इस अध्याय के ह़दीस़ से चयनित कुछ फायदे:

1- अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करने से भयभीत करना।

2- मानव जाति का कोई भी कर्म अल्लाह तआला से छुपा हुआ नहीं है।

والله أعلم، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ

(अल्लाह तआला बेहतर जानता है, और समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, तथा दरूद व सलाम अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर)।

मैं अल्लाह तआला से प्रार्थनारत हूँ एवं दुआ करता हूँ कि हमारा एवं आपका अंत तौह़ीद पर हो। आमीन।

शेष नौवें भाग तथा समाप्ति से परीक्षा (१६ अध्याय)

प्रथम प्रश्नः ☒ का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा रिक्त स्थान पूर्ण करें:

1- (अस्सलामु अलल्लाह) कहने का हुक्मः ☐ मकरूह है ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है।

2- (अस्सलाम) अल्लाह तआला काः ☐ सबूती नाम है ☐ सलबी नाम है, ☐ दोनों, और अल्लाह तआलाः ☐ से दुआ की जायेगी ☐ के लिये दुआ की जायेगी।

3- (अस्सलाम) के द्वारा किसी भी चीज़ के लिये उस समय तक दुआ नहीं की जायेगी जब तक कि वह उससे सुसज्जित होने योग्य न होः ☐ सही ☐ गलत।

4- (ऐ अल्लाह यदि तू चाहे तो मुझे माफ करदे) कहने का हुक्मः ☐ मकरूह है ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है।

5- दुआ में इस्तिस़ना करना जायज़ हैः ☐ सही ☐ गलत, और इस्तिस़ना शर्त को कहते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

6- इंसान जब किसी चीज़ के प्रति दुविधा का शिकार हो तो उसे चाहिये कि वह दुआ करे तथा उस दुआ को अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देः ☐ सही ☐ गलत।

7- बंदा जब अल्लाह तआला से दुआ करे तो जो भी मांगना हो मांगे क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह तआला के लिये कठिन अथवा असंभव नहीं हैः ☐ सही ☐ गलत।

8- (हे अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मैं जन्नत के द्वार का दरबान बन जाऊँ) इस प्रकार की दुआ करनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

9- (ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे निर्णय को टालने की दुआ तो नहीं करता किंतु तुझसे कृपा एवं दया की दुआ करता हूँ) इस प्रकार की दुआ करनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

10- आप अल्लाह तआला से क्या माँगेंगेः ☐ जन्नत ☐ जन्नत में भी फिरदौस -ए- आला।

11- दुआ -ए- इस्तिख़ारा में दुआ को अल्लाह की इच्छा परः ☐ निर्भर रहना है ☐ नहीं रहना है।

12- (अमूक व्यक्ति का अब्द -भक्त, दास- या अमता -भक्तनी, दासी-) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

13- सय्यद (स्वामी) काः (हे मेरे अब्द -भक्त, दास- अमूक वस्तु लेकर आओ) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

14- (मेरा सेवक तथा मेरी सेविका) कहने से तौह़ीद की वास्तविकता की रक्षा हेतु मना किया गया हैः ☐ सही ☐ गलत।

15- बिना आवश्यकता तथा ज़रूरत के माँगना या तो ह़राम है अथवा मकरूहः ☐ सही ☐ गलत।

16- जो आपसे नक़दी रूपया पैसा माँगे कि वह उससे कोई ह़राम चीज़ जैसे मदिरा ख़रीदेगाः ☐ उसकी माँग पूरी की जायेगी ☐ उसकी माँग पूरी नहीं की जायेगी।

17- जो अल्लाह तआला का नाम लेकर माँगे, उसकी माँग पूरी करने का हुक्मः ☐ मुस्तहब है ☐ वाजिब है।

18- ह़दीस़ में वर्णित शब्दः «مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ» "**जो तुम्हें निमंत्रण दे तुम उसके निमंत्रण को स्वीकार करो**" यहाँ निमंत्रण का अभिप्राय हैः ☐ आदर सत्कार के लिये दिया जाने वाला निमंत्रण ☐ योंही मात्र पुकार तथा बुलावा।

19- निमंत्रण स्वीकार करनाः ☐ सामान्यतः वाजिब है ☐ मुस्तहब है सिवाय वलीमा वाले निमंत्रण के।

20- जो किसी वाजिब के करने अथवा छोड़ने पर शरण माँगे उसको शरणः ☐ दिया जायेगा ☐ नहीं दिया जायेगा।

21- «فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» **"उसके लिये दुआ करो यहाँ तक कि तुम्हें यह आभास होने लगे कि तुमने उसका बदला उतार दिया"**, अर्थातः ☐ एक बार दुआ करो ☐ दुआ करने में कोई कमी न करो।

22- «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ» **"अल्लाह तआला का वास्ता दे कर केवल जन्नत ही माँगी जायेगी"**, अर्थातः ☐ किसी मख़लूक़ से अल्लाह का वास्ता दे कर कुछ न माँगो ☐ अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह से केवल जन्नत ही माँगो ☐ उक्त सभी।

23- अल्लाह तआला के लिये "वज्ह (चेहरा, मुख)" साबित हैः ☐ क़ुरआन से ☐ ह़दीस़ से ☐ इज्मा से ☐ उक्त सभी।

24- (हे अल्लाह, मैं तुझसे तेरा वास्ता दे कर माँगता हूँ कि मुझे क़ुरआन ह़िफ़्ज़ व कंठस्थ करने की तौफ़ीक़ दे) इस प्रकार दुआ करनाः ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है, और (हे अल्लाह, मैं तेरा वास्ता दे कर जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

25- (हे अल्लाह मैं तुझसे तेरा वास्ता देकर माँगता हूँ कि तू मुझे उत्तम सामान दे) ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

26- (यदि तुमने मेरी बात मान कर यह यात्रा न की होती तो यह घटना न होती) ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

27- (यदि मैं यात्रा नहीं करता तो मुझे यह लाभ प्राप्त हो जाता) ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

28- (यदि अल्लाह चाहता तो मैं झूठ नहीं बोलता) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

29- (यदि मेरे पास अमूक व्यक्ति के समान धन होता दान करता) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ मुस्तहब है ☐ ह़राम है।

30- यदि मैं पाठ में उपस्थित रहता तो लाभांवित होता) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

31- जिसमें कोई लाभ न हो बुद्धिजीवि को अपना प्रयास ऐसे स्थान परः ☐ करना चाहिये ☐ नहीं करना चाहिये।

32- जो चीज़ इंसान के सामर्थ्य से बाहर हो उसमें तक़दीर से हुज्जत पकड़नाः ☐ पकड़ना चाहिये ☐ नहीं पकड़ना चाहिये।

33- तक़दीर से हुज्जत पकड़ना सही हैः ☐ विपत्ति पर किंतु दोषारोपण के लिये नहीं ☐ इसके विपरीत।

34- वायु तथा आंधी को गाली देनाः ☐ हराम है ☐ मकरूह है, तथा (बारिश बरसाने वाली हवा चली) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

35- (मेरा रब मुझसे प्रेम करता है) कहना, उस व्यक्ति के लिये जायज़ है, जिसको नियामत मिली होः ☐ सही ☐ गलत।

36- जब कोई व्यक्ति किसी फ़ासिक़ धनवान को देखे तो कहेः (यह व्यक्ति इस धन को पाने के योग्य नहीं है), उसका ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

37- इंसान जब वाजिब कार्यों में कोताही करने वाला तथा ह़राम कार्यों में लिप्त हो, और इसके बावजूद अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे, तो यह वास्तव में : ☐ अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है ☐ अल्लाह तआला से अच्छा गुमान ही रखना है।

38- कुछ लोगों का यह गुमान हो कि यदि वह मशरूअ ढ़ंग से दुआ करेंगे तो उनकी दुआ अल्लाह तआला स्वीकार नहीं करेगा, तो यह वास्तव में अल्लाह तआला सेः ☐ बुरा गुमान रखना है ☐ अच्छा गुमान रखना है।

39- (हे अल्लाह तआला! तू आज्ञापालन करने वाले को अज़ाब दे तथा गुनाहगार को सवाब व पुण्य दे) ऐसा कहना, अल्लाह तआला से: ☐ बुरा गुमान रखना है ☐ अच्छा गुमान रखना है।

40- (मैं अमूक पद का किसी अन्य की तुलना में अधिक योग्य हूँ), ऐसा कहना: ☐ अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है ☐ अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना है।

41- रोगी से यों कहना: (बेचारा) और (आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिये था) औ (यदि मामला मेरे हाथ में होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता), ऐसा कहना: ☐ अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है ☐ अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना है।

42- (मामला यदि मेरे हाथ में होता तो मैं अमूक को मुफ्ती बना देता), ऐसा कहना: ☐ जायज़ है ☐ हराम है।

43- (सलामती का रास्ता) ऐसा कहना वास्तव में अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है: ☐ सही ☐ गलत।

44- (हम को रोग नहीं लगना चाहिये तथा हमारे रिज़्क़ में बढ़ोतरी होनी चाहिये), ऐसा कहना अल्लाह तआला से: ☐ बुरा गुमान रखना है ☐ अच्छा गुमान रखना है।

45- आवश्यक है कि इंसान स्वयं अपने बारे में : ☐ बुरा गुमान रखे ☐ अच्छा गुमान रखे।

46- इंसान के लिये ज़रूरी है कि वह अपने आपके संबंध में बुरा गुमान रखे ताकि वह अपने आप से धोखा न खाये: ☐ सही ☐ गलत।

47- कंजूसी एवं अत्याचार हरेक प्रकार की बुराई का ठिकाना नफ्स (इंद्रिय) है: ☐ सही ☐ गलत।

48- क़ज़ा व क़दर की श्रेणियाँ हैं : ☐ चार ☐ पाँच ☐ तीन।

49- जो क़ज़ा व क़दर का इंकार करे: ☐ वह इस्लामी मिल्लत से ख़ारिज है ☐ वह इस्लामी मिल्लत से ख़ारिज नहीं है।

50- (मेरे दिल में तक़दीर के संबंध में कुछ है) अर्थात: ☐ शक एवं दुविधा ☐ इंकार।

51- (मेरे दिल में तक़दीर के संबंध में कुछ है) अर्थात: ....., और क्या वह इसके कारण काफिर समझा जायेगा: .....

52- क़लम: ☐ सर्वप्रथम रचना है ☐ जिसका हम अवलोकन करते हैं उसकी तुलना में सर्व प्रथम पैदा की गई है।

53- सलफ़ की यह आदत रही है कि वह शंका के निवारण के लिये: ☐ उलेमा से ☐ इबादगुज़ारों से, पूछते रहे हैं।

54- अनेक उलेमा से पूछना जायज़ है, बशर्ते कि यह: ☐ संतुष्टि तथा इत्मीनान के लिये हो ☐ अपनी सुविधा खोजने के लिये हो ☐ उक्त सभी।

55- शंका का पूर्णरूपेण निवारण हो जाता है यदि उसे सौंप दिया जाये: ☐ अल्लाह और उसके रसूल को ☐ उलेमा को।

56- शंकाओ को सुनने से बचना वाजिब है क्योंकि यह कभी-कभी मस्तिष्क में चिपक कर रह जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

57- शुबुहात एवं शंकाओं को सुनने तथा उसे फैलाने के मामले में अधिकांश लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश का उल्लंघन करते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

58- तौरात और इंजील को पढ़ना जायज़ नहीं, और इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य को पढ़ना तो और अधिक जायज़ नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

59- (चित्रकारों से संबंधित चीज़ों का बयान) इसे किताबुत तौहीद में उल्लेख करना कुछ लिपिकारों की गलती है, क्योंकि इसका इस किताब से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध फ़िक़्ह से है: ☐ सही ☐ गलत।

60- चित्रकारों के दंड के वर्ग हैं : (☐ ५ ☐ ४ ☐ ३ ।

61- चित्र बनाना एक प्रकार से पैदा करने व अविष्कार करन के समान है तो इस आधार पर चित्रकार मानो अल्लाह तआला का मुकाबला करने का प्रयास करता है: ☐ सही ☐ गलत।

62- चित्र बनाना कबीरा गुनाह है, क्योंकि (☐ वास्तव में यह कुफ्फार की नक़ल करना है ☐ इसमें अपव्यय (फ़ुज़ूल ख़र्ची) है ☐ यह अल्लाह तआला से पैदा करने में मुक़ाबला करना है।

63- पेड़, पर्वत, नदी तथा नाले का चित्र बनाना: ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

64- चित्र को मिटाने के रूप इस प्रकार हैं : ☐ किसी दूसरे रंग से उसकी निशानियों को मिटा देना ☐ मूर्ति के सिर तोड़ देना ☐ यदि गड्ढ़े के रूप में हो तो उसको पाट देना ☐ समस्त, परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो वह किया जाये।

65- मुशरिफ़ (ऊँची तथा अलग क़ब्र), अर्थात: ☐ जिस पर निशानियां लगी हुई हों ☐ जिस पर निर्माण किया गया हो ☐ जिसको रंगा गया हो ☐ जो मिट्टी या पत्थर के कारण दूसरों से भिन्न हो ☐ उक्त सभी।

66- क़ब्र को बराबर कर देना अर्थात: ☐ उसको सुन्नत के अनुसार कर देना ☐ उसके आस-पास को बराबर कर देना ☐ उक्त सभी।

67- चित्र में विद्यमान व्यक्ति के आदर के लिये चित्र एकत्र करना: ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

68- जो अत्याधिक सौगंध लेता है, वह: ☐ अल्लाह का आदर करने वाला होता है ☐ अल्लाह का अनादर करने वाला होता है।

69- हरेक क़िस्म की, प्रथम, मध्यम तथा अंतिम, तीन स्थिति होती है: ☐ सही ☐ गलत।

70- ऐसा मोटापा जो इंसान के वश से बाहर हो, वह: ☐ निंदनीय है ☐ निंदनीय नहीं है।

71- असबाब एवं कारणों के कमज़ोर होने के बाद भी कुकर्म करना, उसकी भयावहता को और बढ़ा देता है: ☐ सही ☐ गलत।

72- किसी आवश्यकता के अंतर्गत सौगंध लेना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

73- बच्चों को मारना-पीटना: ☐ सामान्यत: जायज़ है ☐ कुछ शर्तों के साथ जायज़ है।

74- बंदों पर अल्लाह का ह़क़ व अधिकार यह है कि: ☐ उसकी इबादत करें तथा उसके साथ किसी को साझीदार न बनायें ☐ जो उसके संग किसी को साझीदार न बनायें वह उन्हें अज़ाब न दे।

75- जैश उस सेना को कहते हैं जिसके फौजियों की संख्या: (☐ ४०० हो ☐ १००० हो) और सरीय्या इसके विपरीत है।

76- अल्लाह के रास्ते में लड़ना: ☐ नीयत के साथ ख़ास है ☐ कर्म के साथ ख़ास है ☐ नीयत और कर्म दोनों को सम्मिलित है।

77- हम काफिरों से लड़ाई उनके हित के लिये ही करते हैं जोकि उनको नरक से बचाना है: ☐ सही ☐ गलत।

78- ग़ुलूल और ख़्यानत कहते हैं : ग़नीमत के माल में कोई चीज़ छुपा कर अपने लिये ख़ास कर लेना: (☐ सही ☐ गलत) और इस ख़्यानत (विश्वासघात) का हुक्म: (☐ जायज़ है ☐ ह़राम है ☐ कबीरा गुनाह है।

79- कुफ्फार के बच्चों, महिलाओं, साधकों एवं तपस्वियों को क़त्ल करना जायज़ नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

80- मृतक का मुसला (अंग-भंग) करना, ख़्यानत (विश्वासघात), ग़द्दारी, बच्चों को क़त्ल करना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

81- जिज़या लिया जायेगा: ☐ यहूदी, ईसाई तथा मजूसी से ☐ समस्त काफिरों से।

82- (अल्लाह तआला तुम्हारी तौबा को कदापि स्वीकार नही करेगा) कहने का हुक्म: ☐ जायज़ है ☐ कबीरा गुनाह है।

83- (अल्लाह की क़सम, अल्लाह तआला शिर्क करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगा), कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ कबीरा गुनाह है।

84- किसी निश्चित व्यक्ति पर हुक्म लगाते हुए ज़ुबान की फिसलन से बचनाः ☐ जायज़ है ☐ मुबाह है ☐ वाजिब है।

85- (अल्लाह तआला अमूक जीवित व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा) कहने की वर्जनाः ☐ केवल गुनाहगार मुसलमानों के लिये है ☐ मुस्लिम और काफिर दोनों को सम्मिलित है।

86- मुन्कर (वर्जित) यह कहना हैः (हम सिफारिशी बनाते हैं ...): ☐ अल्लाह को आप पर ☐ आप को अल्लाह तआला पर।

87- «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ» **"हम आपको अल्लाह तआला के पास सिफारिशी के रूप में पेश करते हैं"**
अर्थातः .....

88- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की रक्षा करना (☐ एक स्थायी अध्याय है ☐ दोहराया हुआ है) और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद की रक्षा की हैः (☐ कर्म में भी ☐ शब्दों में भी)।

89- अल-सय्यद (अधिपति): ☐ अल्लाह तआला के नामों में से है ☐ अल्लाह के नामों में से नहीं है।

90- अल-सय्यद, अल-समद (बेनियाज़, निःस्पृह) के अर्थ में हैः ☐ सही ☐ गलत।

91- शब्द सियादत (सरदारी) का प्रयोग उसके व्यापक एवं आम अर्थों में न करके सीमित अर्थों में करना जायज़ हैः ☐ सही ☐ गलत।

92- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक अच्छा गुण यह है कि आपः ☐ अल्लाह के बंदे और रसूल हैं ☐ मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह हैं।

93- यहूदी उन लोगों से बेहतर हैं जो सिफ़ात (विशेषताओं) का इंकार करते हैं और इस विषय में मनगढ़त तावील से काम लेते हैं, तथा वो उनकी तुलना में अल्लाह को अधिक जानने वाले हैः ☐ सही ☐ गलत।

94- अर्शः ..... कुर्सीः .....

95- किताबुत तौहीद के अंत में लेखक रहिमहुल्लाह मानो यह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तआला इस किताब के द्वारा उनके नेकियों वाले पलड़े को वैसे ही भारी कर दे जैसे आकाश, अर्श तथा कुर्सी भारी हैं : (☐ सही ☐ गलत) और इस बात की ओर चेताया है कि काफिरों ने अल्लाह तआला का जैसा आदर होना चाहिये वैसा आदर नहीं किया, अतः तुम उनके समान न हो जाओ, बल्कि अल्लाह तआला की तौहीद को अपना कर उसका आदर करोः (☐ सही ☐ गलत)।

96- अनेकों सलफ़ ने सही अक़ीदा के लिये बहुतेरे नामों का प्रयोग किया है जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं :
☐ सुन्नत ☐ शरीअत ☐ तौहीद ☐ फिक़ह -ए- अकबर ☐ उक्त सभी।

विषय सूची

"किताबुत तौहीद" के अध्यायों का सारांश (६७ अध्याय)..... ४

पहला भागः प्रस्तावना (५ अध्याय)..... १२
([१] तौहीद के वाजिब व अपरिहार्य होने का अध्याय)..... १३
२- तौहीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता और यह कि वह पापों को मिटा देती है..... २४
३- जो वास्तविक तौहीद अपनाएगा बिना हिसाब जन्नत में प्रवेश पाएगा..... ३०
४- शिर्क (बहुदेववादिता) से डरने का बयान..... ३६
५- "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के लिए आमंत्रण देने का अध्याय..... ४२
पहले पाठ से परीक्षा (५ अध्याय)..... ४८

दूसरा भागः तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या (९ अध्याय)..... ५६
६- तौहीद व "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही की तफ्सीर एवं व्याख्या..... ५६
७- विपत्ति को रोकने अथवा दूर करने के लिए कड़ा एवं धागा आदि पहनना शिर्क है..... ६०
८- झाड़-फूँक और तावीज़ (यंत्र तथा मंत्र) का बयान..... ६५
९- जो पेड़ अथवा पत्थर आदि को मुबारक (शुभ) समझता हो..... ७०
१०- अल्लाह के सिवाय किसी अन्य के लिए बलि चढ़ाने के विषय में..... ७४
११- जिस स्थान में ग़ैरुल्लाह के लिए बलि दी जाती हो वहाँ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी न किया जाए..... ७८
१२- ग़ैरुल्लाह की नज़्र व नियाज़ (मनौती) मानना शिर्क है..... ८२
१३- अल्लाह के सिवाय अन्य से इस्तेआज़ा (शरण माँगना) शिर्क है..... ८४
१४- ग़ैरुल्लाह से इस्तेग़ासा (गुहार, फरियाद) करना अथवा दुआ करना शिर्क है..... ८७
दूसरे पाठ से परीक्षा (९ अध्याय)..... ९०

तीसरा भागः अल्लाह के सिवाय अन्य की इबादत बातिल है (४ अध्याय)..... ९४
१५- अल्लाह तआला के इस फरमानः ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾ الآيَةَ (क्या वो उसे (अल्लाह तआला) का साझी बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे स्वयं पैदा किये गये हैं, और न ही उनकी सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं) का अध्याय..... ९४
१६- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (यहाँ तक कि जब उनके दिलों से भय दूर कर दिया जाता है तो पूछते हैं कि तुम्हारे रब (प्रभु) ने क्या कहा है? वे कहते हैं कि उसने हक़ (सत्य) कहा है तथा वह सर्वोच्च व सबसे महान है) का अध्याय.... ९८
१७- शफ़ाअत (सिफारिश, अभिस्तावना) का अध्याय..... १०४

१८- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾الآية (आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते) का अध्याय १०९
तीसरे पाठ से परीक्षा (४ अध्याय) ११२

चौथा भागः मानव जाति में कुफ़्र पनपने का कारण (४ अध्याय) ११५
१९- मानव जाति में कुफ़्र पनपने एवं धर्म त्यागने का कारण नेक लोगों (साधु-संतों) के संबंध में अतिश्योक्ति (ग़ुलू) से काम लेना है ११५
२०- जब किसी नेक आदमी (साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के पास अल्लाह की इबादत करना घोर पाप है तो स्वयं उस व्यक्ति विशेष की पूजा करना किता बड़ा महा पाप होगा ? १२०
२१- नेक लोगों की क़ब्रों के संबंध में अतिश्योक्ति उन्हें अल्लाह के सिवाय पूजा जाने वाला वसन (मूर्ति) बना देती है १२५
२२- नबी -ए- मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की चहारदीवारी की रक्षा तथा शिर्क तक पहुँचने के मार्ग को बंद करना १२८

पाँचवाँ भागः उन लोगों की दलीलों का खण्डन जो कहते हैं कि इस उम्मत अथवा अरब द्वीप में शिर्क नही पनप सकता (एक अध्याय) १३१
२३- इस उम्मत के कुछ लोग वसन (मूर्ति) की पूजा करेंगे १३१
चौथे तथा पाँचवे पाठ से परीक्षा (५ अध्याय) १३८

छठा भागः शैतानी कृत्य (७ अध्याय) १४२
२४- जादू का बयान १४२
२५- जादू के कुछ भेदों का वर्णन १४६
२६- काहिन (भविष्यवक्ता) आदि के विषय में १४९
२७- जादू-टोना के द्वारा जादू का उपचार १५३
२८- अपशगुन लेने के विषय में १५६
२९- ज्योतिष विद्या के विषय में १६३
३०- नक्षत्रों से वर्षा होने की आस्था रखना १६६
छठे पाठ से परीक्षा (७ अध्याय) १७१

सातवाँ भागः दिलों के आमाल (९ अध्याय) १७७
३१- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ الآية (कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को अल्लाह का साझी बनाते हैं और उनसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से करना चाहिए) का अध्याय १७७

३२- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ الآيَةَ (वस्तुतः यह शैतान है जो अपने मित्रों से डराता है, अतः यदि तुम मोमिन हो तो उनसे न डरो, मुझ से ही डरो) का अध्याय १८२

३३- अल्लाह तआला के फरमान ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ (यदि तुम ईमान वाले हो तो केवल अल्लाह पर ही तवक्कुल व भरोसा करो) का अध्याय १८७

३४- अल्लाह तआला के फरमान ﴿أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ (क्या ये लोग अल्लाह के उपाय से निर्भय हो गये हैं, अल्लाह के दाव से वही लोग निर्भीक होते हैं जो घाटा उठाने वाले हों) का अध्याय १९२

३५- अल्लाह की लिखी हुई तक़दीर पर संतोष करना ईमान का अंश है १९४

३६- रियाकारी (पाखण्ड) की निंदा १९८

३७- इंसान का अपने कर्म से सांसारिक लाभ चाहना शिर्क है २०१

३८- अल्लाह के ह़राम किये हुये को ह़लाल तथा ह़लाल किये हुये को ह़राम करने में जिसने विद्वानों एवं प्रशासकों का आज्ञापालन किया उसने अल्लाह को छोड़ कर उसे अपना रब बना लिया २०५

३९- अल्लाह तआला के फरमान ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो यह दावा तो करते हैं कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया उस पर उनका ईमान है, किंतु वो अपने फैसले ताग़ूत (ग़ैरुल्लाह) के पास ले जाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें आदेश दिया गया है कि उसका इंकार करें, शैतान तो यही चाहता है कि उन्हें सुदूर बहका कर डाल दे) का अध्याय २०८

सातवें पाठ से परीक्षा (९ अध्याय) २१२

आठवाँ भागः तौह़ीद -ए- असमा व सिफात (एक अध्याय) २१८

४०- जो अल्लाह के किसी नाम और विशेषणों का इंकार करे २१८

आठवें पाठ से परीक्षा (एक अध्याय) २२७

नौवां भागः वर्जित व शिर्क आधारित शब्द तथा वक्तव्य (२६ अध्याय) २३०

४१- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآيَةَ (ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हुए भी इंकार करते हैं) का अध्याय ..... २३० (अल्लाह की नेमतों (नियामतों, अनुग्रहों) का इंकार करना शिर्क है)

४२- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ (अतः तुम जानबूझकर किसी को अल्लाह तआला का साझी न बनाओ) का अध्याय २३३

४३- जो अल्लाह के नाम की क़सम खाये जाने पर संतुष्ट न हो २३६
४४- (जो अल्लाह चाहे तथा जो आप चाहें) बोलने का हुक्म २३७
४५- समय एवं युग को अपशब्द कहना दरअसल अल्लाह को पीड़ा देना है (घटना का संबंध किसी काल से जोड़ देना) २४०
४६- काज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) आदि नाम रखना २४३
४७- अल्लाह तआला के नामों का आदर तथा इसके कारण नामों को बदल देना २४५
४८- अल्लाह तआला, क़ुरआन तथा रसूलुल्लाह का उपहास उड़ाने वाले का हुक्म २४७
४९- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَلَئِنۡ أَذَقۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾ الآيَةَ (और यदि दुःख के पश्चात हम उसे अपनी दया का अनुभव कराते हैं तो वह कहता है कि यह मेरे लिये है) का अध्याय २५१
५०- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحٗا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَاۚ﴾ الآيَةَ (जब अल्लाह तआला ने उन्हें स्वस्थ शिशु दिया तो उन्होंने इस कृपा में दूसरों को अल्लाह का शरीक (साझी) बना दिया) का अध्याय २५५
५१- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ﴾ الآيَةَ (और अल्लाह तआला के अच्छे-अच्छे व शुभ नाम हैं, अतः तुम उसे उन्हीं नामों के द्वारा पुकारो तथा उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद (कजी, नास्तिकता) करते हैं) का अध्याय २५९
नौवें पाठ से प्रथम परीक्षा (११) अध्याय २६१
५२- "अस्सलामु अलल्लाह" नहीं कहा जायेगा (ऐसा कहना हराम है) २६८
५३- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ) (हे अल्लाह यदि तू चाहे तो मुझे क्षमा कर दे) कहने का हुक्म (इस प्रकार से अल्लाह की इच्छा पर छोड़ते हुये दुआ करना हराम है) २७०
५४- अब्दी व अमती कहने की वर्जना २७२
५५- अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को ख़ाली हाथ न लौटाया जाए (यह तहरीम या कराहत के लिए है) २७४
५६- अल्लाह का वास्ता देकर केवल जन्नत माँगी जाये २७७
५७- "लौ" (यदि, अगर) कहने का हुक्म (इसमें तफ़्सील है) २७८
५८- वायु एवं आंधी को गाली देने की निषिद्धता (भाग्य से संतुष्ट रहना) २८१
५९- अल्लाह तआला के फरमान ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ الآيَةَ (वो अल्लाह तआला के बारे में जाहिलीयत युग के समान मिथ्या धारणा रखते हैं, और कहते हैं क्या हमें भी किसी चीज़ का अधिकार है, आप कह दीजिये हरेक प्रकार का अधिकार केवल अल्लाह के पास है) का अध्याय २८३
६०- तक़दीर का इंकार करने वालों का हुक्म (कुफ्र -ए- अकबर है) २८६

६१- चित्रकारों के संबंध में (कड़ी चेतावनी) २९३
६२- अत्याधिक क़सम खाना (अल्लाह के आदर के कारण इस पर चेतावनी है)..... २९६
६३- अल्लाह तथा उसके नबी की ज़मानत देने का अध्याय (इख़लास़ एवं अनुसरण) २९९
६४- अल्लाह तआला पर क़सम खाना ३०३
६५- अल्लाह तआला को सिफारिशी के रूप में मख़लूक़ के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता (अल्लाह के अत्यंत महान होने के कारण) ३०५
६६- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की रक्षा करना तथा शिर्क के दरवाज़ों को बंद करना (यहाँ तक कि शब्दों में भी) ३०७

दसवां भागः समाप्ति (एक अध्याय)..... ३०९

६७- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴾ (और उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिये था वैसा आदर नहीं किया, समस्त भूमि क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारा आकाश उसके दाहिने हाथ में लिपटा हुआ होगा, वह पाक और पवित्र है तथा मुश्रिकीन जिन चीज़ों को उसका साझीदार बनाते हैं वह उनसे बढ़कर है)। का अध्याय..... ३०९
शेष नौवें पाठ तथा समाप्ति से परीक्षा (१६ अध्याय)..... ३१५

विषय सूची..... ३२०